# Writ Petition No. 4436(M/B)-2003

## Volume - IV
## INDEX

| Sl No. | Description of Paper | | Page No. |
|---|---|---|---|
| 60 | CMA. No. 2539/09 Application for taking on record the affidavit on behalf of Nagar Nigam in compliance of order dated 16.10.2008 | 14.1.2009 | 1455-1479 |
| 61 | Affidavit on behalf of Department of Urban development in compliance of order dated 16.10.2008 | 07.01.2009 | 1480-1527 |
| 62 | Affidavit on behalf of Department of Urban development in compliance of order dated 16.10.2008, by D.K.Sharma | 26.3.2009 | 1528-1543 |
| 63 | Affidavit on behalf of Jal Nigam in compliance of order dated 16.10.2008 by V. U. Bishnoi | 26.3.2009 | 1544-1569 |
| 64 | Application for exemption from personal appearance of Municipal Commissioner, Mr. S. K. Singh | 26.3.2009 | 1570-1573 |
| 65 | Affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of order dated 16.10.2008 by Ambrish Chandra Sinha | 26.3.2009 | 1574-1579 |
| 66 | Application for taking record of Affidavit of Urban Development in compliance of order dated 02.03.2009.by S. P. Mishra | 26.3.2009 | 1580-1602 |
| 67 | Application for taking record accompanying short counter Affidavit on behalf of O.P. party | 15.9.2009 | 1603-1607 |
| 68 | Affidavit in compliance of order dated 26.03.2009 by impleaded opposite party by | 15.5.2009 | 1608-1640 |

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Shailesh Kumar Singh | | |
| 69 | Application for taking on record for Affidavit of Urban Development in compliance of order dated 26.03.2009 C.M.A. No.46328/2009 | 07.5.2009 | 1641-1680 |
| 70 | Affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in compliance of order dated 26.03.2009, by D. K. Sharma | 13.5.2009 | 1681-1687 |
| 71 | Application for taken on record affidavit on behalf of UP Jal Nigam in compliance of court's order dated 26.03.2009 by V. U. Bishnoi | 15.5.2009 | 1688-1707 |
| 72 | Supplementary Affidavit on behalf of Nagar Nigam,Lucknow in compliance of order dated 26.02.2009 | 15.5.2009 | 1708-1713 |
| 73 | Application for taking on record accompanying short counter affidavit by Ground Water Department | 9.7.2009 | 1714-1745 |
| 74 | Application for taken on record affidavit on behalf of Department of Urban Development in compliance of court's order dated 15.05.2009 | 09.07.2009 | 1746-1787 |
| 75 | Application for taking the status report on affidavit on behalf of Jal Sansthan in compliance of order dated 15.05.2009 | 09.7.2009 | 1788-1798 |
| 76 | Application for taking the status report on affidavit on behalf of Nagar Nigam in compliance of order dated 15.05.2009 | 09.7.2009 | 1799-1815 |
| 77 | Application for taken on record affidavit on behalf of Jal Nigam in compliance of court's order dated 15.05.2009 by Akhil Kumar Mittal | 09.7.2009 | 1816-1835 |
| 78 | Application for taking on record accompanying short counter affidavit by Ground Water Department by A.K. Arora director | 15.9.2009 | 1836 |
| 79 | Application for taking on record accompanying short counter affidavit | 15.9.2009 | 1837-1844 |
| 80 | Status report on affidavit in compliance of order dated 09.07.2009 by Municipal Commissioner By S. K. Singh | 15.9.2009 | 1845-1889 |
| 81 | Application for taking on record affidavit on | 15.9.2009 | 1890-1921 |

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | behalf of Jal Nigam in compliance of court's order dated 15.05.2009 | | |
| 82 | Application for taking on record affidavit on behalf of Department of Urban Development in compliance of court's order dated 09.07.2009 | 15.9.2009 | 1922-1948 |
| 83 | Application for taking the status report on affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of order dated 15.09.2009 & 17.09.2009. | 12.11.2009 | 1949-1970 |
| 84 | Application for taking the status report on affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in compliance of order dated 15.09.2009 & 17.09.2009. | 12.11.2009 | 1971-2091 |
| 85 | Application for taking on record affidavit on behalf of Department of Urban Development in compliance of court's order dated 15.10.09 & 17.10.2009 | 30.10.2009 | 2092-2121 |
| 86 | CMA.No. 112336/2009, Application of listing | 17.11.2009 | 2122-2123 |
| 87 | Application for taking on record affidavit on behalf of Lucknow Development Authority | 21.11.2009 | 2124-2146 |
| 88 | Application for taking on record affidavit on behalf of UP Jal Nigam in compliance of court's order dated 15.09.2009 | 23.11.2009 | 2147-2167 |
| 89 | Application for taking the status report on affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of order dated 15.09.2009 & 17.09.2009 | 4.12.2009 | 2168-2172 |
| 90 | Application for taking the status report on affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in compliance of order dated 15.09.2009 & 17.09.2009 | 4.12.2009 | 2173-2181 |
| 91 | Affidavit by clerk of Petitioner's counsel | 4.12.2009 | 2182-2189 |

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

1455 ~~1364~~ (1)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

2539/09

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

PRESENTED TODAY
JOINT REGISTRAR (L)

12 JAN 2009

SEWAGE TREATMENT PLANT---------- PETITIONER

VERSUS

STATE OF U.P.AND OTHERS---------- OPPOSITE PARTIES

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD THE AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.10.2008 PASSED BY THIS HON'BLE COURT

That in compliance of orders passed by the Hon'ble Court dated 16.10.08 the affidavit alongwith the compliance report is being filed by the Lucknow Nagar Nigam before the Hon'ble Court which may kindly be taken on record and be read as part of this petition.

(Namit Sharma)
Advocate
Counsel for the Applicatnt/Opposite party

Lucknow :
Dated : 5th January, 2009

1456 1365

(2)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

SEWAGE TREATMENT PLANT---------- PETITIONER

VERSUS

STATE OF U.P.AND OTHERS---------- OPPOSITE PARTIES

AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.10.2008 PASSED BY THIS HON'BLE COURT

I, Ambrish Chandra Sinha, aged about 58 years, son of Late Sri J.P. Sinha, presently posted as Additional Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

1. That the deponent is impleated in the aforesaid writ petition as opposite party as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2 That this writ petition was last listed on 16.10.2008 whereby the this Hon'ble Court was pleased to pass the following order :

" Learned Counsel for the parties say that one months time be granted to them for selecting the site and for the Pollution Board to

1457 1366

(3)



give its report/recommendation. This accordingly be done within a period of one month. The report/recommendation shall be forwarded to NEERI thereafter forthwith, which shall submit its report expeditiously say within maximum period of one month from the date of receipt of report/recommendation.

Let the matter be listed on 7th January 2009 at 3.00 p.m. . In the meantime , the respondents and particularly the State Government shall file necessary affidavit of compliance if at all required with regard to earlier orders."

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 16.10.2008 the present affidavit is being filed thereby mentioning the steps taken at the end of Nagar Nigam Lucknow in compliance of the said order.

4 That in compliance of the said order the Nagar Nigam Lucknow issued letters dated 12.11.2008 in favour of Chief Engineer P.W.D.Lucknow , Chief Engineer Jal Nigam Lucknow, Chief Engineer Irrigation Department Lucknow thereby annexing the report of NEERI dated 14.10.2008 alongwith said letters for needful at their end. True copies of letter dated 12.11.2008 in favour of Chief Engineer P.W.D., Lucknow , Chief Engineer Jal Nigam Lucknow, Chief Engineer Irrigation Department, Lucknow are cummutively annexed herewith as **Annexure No. A-1** to this affidavit.

5. That in reply to the above said letter, the Chief Engineer P.W.D. Lucknow vide its letter no. 115CZE/838/CZE(Court-244/08) dated 22.11.2008 informed the Nagar Nigam Lucknow that the Public Work Department does not have the figures of Hydro-geological Data, Ground Water Gradient and Topography of the area and more over it does not have expertise in this field hence it could not construct and inspect the retaining wall at the site in question. Thus the Nagar Nigam

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1458
1367
4



Lucknow has been asked to seek help from the appropriate department. A true copy of said letter dated 22.11.2008 is annexed as **Annexure No. A-2** to this affidavit.

6. That further in reply to the above letter issued by Nagar Nigam Lucknow, the Executive Engineer, Lucknow Division, Sharda Cannal, Lucknow vide its letter no. 5573/LDSC dated 28.11.2008 informed the Nagar Nigam Lucknow that the embankment construction for reclamation of land is in progress after the same being approved by the Ganga Flood Control Board Patna. A true copy of said letter dated 28.11.2008 is being annexed as **Annexure No. A-3** to this affidavit.

7. That it is pertinent to mention over here that the letter issued by Nagar Nigam Lucknow to various authorities on 12.11.2008 remains unrebutted on each and every point mentioned in it. Thus in light of said letter dated 12.11.2008, the Nagar Nigam Lucknow further sent reminder on 31.12.2008 addressed to Executive Engineer, Irrigation Department, Sharda Cannal Lucknow and Chief Engineer, Jal Nigam, Lucknow. A true copy of said letters dated 31.12.2008 are annexed herewith as **Annexure No. A-4** to this affidavit.

8. That further in compliance of various orders passed in the above writ petition and its connected petition the Lucknow Development Authority has selected one land measuring 35 hectares on the Hardoi Road for the disposal of Municipal Solid Waste and further acquisition of the said land is in process by the Lucknow Development Authority.

Further it is pertinent to mention over here that the Nagar Nigam, Lucknow in addition to above said land has identified four more lands for the proposed sanitary land fill sites out of which 2 are located at Tehsil Mohan Lal Ganj and another 2 are located in Bakshi Ka Talab . A request for earmarking the said land has been made to

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

the District Magistrate Lucknow vide letter no. D-1148/CD/08 dated 22.12.2008 . A true copy of said letter dated 22.12.2008 is annexed herewith as **Annexure No. A-5** to this affidavit .

9. That in light of orders passed by this Hon'ble Court in the said petition from time to time the Nagar Nigam, Lucknow issued a letter dated 26.12.2008 addressed to the Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow thereby apprising him regarding Solid Waste Management for selecting land fill site under the Solid Waste Management Rules 2000 in light of report of NEERI and thus requested to apprise the same to the Urban Development Department as well as the Nagar Nigam Lucknow with regard to action taken at its end. A true copy of said letter dated 26.12.2008 is annexed herewith as **Annexure No. A-6** to this affidavit

10. That further for selection of land fill site under the Municipal Solid Waste Rules 2000, the Nagar Nigam, Lucknow issued a letter dated 27.12.2008 addressed to Project Manager , C.N.D.S. U.P. Jal Nigam Lucknow for examining the three land sites selected for the said purpose and thus forward its report to the Nagar Nigam, Lucknow at earliest so that the same can be forwarded to the NEERI for seeking its report in the said matter. A true copy of said letter dated 27.12.2008 is annexed herewith as **Annexure No. A-7** to this affidavit

11. That in compliance of the orders passed in the said petition the Nagar Nigam, Lucknow issued a letter dated 30.12.2008 addressed to the Director, NEERI , thereby requesting NEERI to send a team to examine the landfill site chosen and it further requested to examine the other developments with regard to the said site . A true copy of said letter dated 30.12.2008 is annexed herewith as **Annexure No. A-8** to this affidavit .

1460 1369

(6)



12. That in reply to the above said letter dated 30.12.2008 the NEERI vide its letter no. SWMU/HQ/2009 dated January 05,2009 informed the Nagar Nigam, Lucknow that suitability of the site selected by Lucknow Nagar Nigam for MSW landfill could be assessed on the basis of elaborate study with relevant data and as such needs sufficient time to arrive at the decision . It further mentioned that NEERI can take up these studies in accordance with the detailed proposal (enclosed) elaborating work elements involved and budgetary requirements . The said proposal indicates **four months** under the head of **Duration** for executing the said task. A true copy of said letter dated 05.1.2009 along with detailed proposal of NEERI is annexed herewith as **Annexure No. A-9** to this affidavit

13. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 16.10.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time.

14. That this compliance report is being filed in compliance of this Hon'ble Court's order dated 16.10.2008 and the same is liable to be taken on record.

Lucknow :

Dated : 6th January , 2009.

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the contents of paragraph 1 and 13 of this affidavit are true to my personal knowledge and those of para 2 to 12 are based on record and the contents of para 14 are based on legal advise. No part of this affidavit is false and nothing material has been concealed. So help me God.

1461 1370

(7)



Lucknow :

Dated : 6th January, 2009.

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by the deponent Sri Shailesh Kumar Singh, on 6/1/09 at 1:00 a.m./p.m. and who has been identified by Sri Namit Sharma, Advocate High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 6/1/09 Code No. 037659

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

1462 1371 (8)

(7)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003
Sewage Treatment Plant Annexure-A-1 vs State of U.P.

# नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः- D-610/AMC-A/08
दिनांकः- 12-11-2008

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
लखनऊ परिक्षेत्र
लखनऊ।

नत्थी.

—: विषय :—
रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. डम्पिंग ऑन द गोमती रिवर बैंक नियर गॉधी सेतु लखनऊ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2008 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, नेहरू मार्ग, नागपुर, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 14.10.2008 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। गॉधी सेतु के पास डम्प सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की गयी है उसे नीरी द्वारा सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराये जाने के निर्देश मा. उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में दिये गये है।

इस क्रम में नगर निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नीरी के निर्देशो के अनुसार अपना अभिमत अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे।

12/11/08
(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

COMMISSIONER FOR OATHS
619

1463
1372

(9)

(8)

# नगर निगम लखनऊ

**प्रेषक,**

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः- D-611/AMC-A/08
दिनांकः- 12-11-2008

**सेवा में,**

मुख्य अभियन्ता
जल निगम
लखनऊ परिक्षेत्र
लखनऊ।

नत्थी.

**—: विषय :—**

रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. डम्पिंग ऑन द गोमती रिवर बैंक नियर गॉधी सेतु लखनऊ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2008 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, नेहरू मार्ग, नागपुर, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 14.10.2008 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। गॉधी सेतु के पास डम्प सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की गयी है उसे नीरी द्वारा सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराये जाने के निर्देश मा. उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में दिये गये है।

इस क्रम में नगर निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नीरी के निर्देशो के अनुसार अपना अभिमत अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे।

12/11/08

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

9C

1464 1375 (10)

(9)

# नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः- D-612/AMC/08
दिनांकः- 12-11-2008

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
सिंचाई विभाग
लखनऊ परिक्षेत्र
लखनऊ।

नत्थी.

—: विषय :—

रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. डम्पिंग ऑन द गोमती रिवर बैंक नियर गॉधी सेतु लखनऊ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2008 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, नेहरू मार्ग, नागपुर, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 14.10.2008 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। गॉधी सेतु के पास डम्प सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की गयी है उसे नीरी द्वारा सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराये जाने के निर्देश मा. उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में दिये गये है।

इस क्रम में नगर निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नीरी के निर्देशो के अनुसार अपना अभिमत अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे।

11/08

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

9L

COMMISSIONER FOR GAT... High Court ...

611

1465 +3774 (11)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

(10)

Sewage Treatment Plant vs State of U.P.
WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

Annexure-A-2

802-INAE/5-12-08

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)**
**लो0नि0वि0, लखनऊ**

पत्रांक: 115 सी0जे0ई0/838सी0जेड0ई0(कोर्ट)-244/08 दिनांक: 27/11

रोस्टर नं.

2103/G/Amc(A)/08
26/11

**अपर नगर आयुक्त,**
**नगर निगम,**
**लखनऊ।**

1566/G
2-12-08

**रिट याचिका सं0-4436(एम0बी0)/03 में पारित आदेश दि0 28-08-08 के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः आपका पत्रांक-डी0-610/ए0एम0सी0-ए0/08 दि0 12-11-08

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सन्दर्भगत पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, नेशनल इन्वोयरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट नेहरू मार्ग, नागपुर महाराष्ट्र का पत्र दि0 14-10-08 की छायाप्रति अन्य अभिलेखों सहित प्रेषित कर इस प्रकरण में अभिमत उपलब्ध कराने की आपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एम0एस0डब्लू0 डाम्पिंग ऑन द, गोमती रिवर के निकट गाँधी सेतु का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किए गए हैं कि नेशनल इन्वायरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्टीट्यूट, नागपुर को प्रकरण प्रेषित कर दिशा निर्देश प्राप्त कर तद्नुसार डमप सालिड वेस्ट का निस्तारण किया जाएं।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 28-08-08 का समादर करते हुए जो कार्य योजना आपके पत्र सं0-31नी0/म0/आ0 दि0 19-09-08 द्वारा नेशनल इन्वायरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट नागपुर को भेजी गई थी, उस के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि डिजाइन एवं रिटेनिंगवाल निर्माण Hydro-geological Data, ground water gradient एवं Topography of the area के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। यह डिजाइन सक्षम विभाग जो इस कार्य में से अन्तर्ग्रस्त है, उनके द्वारा परीक्षित होना चाहिए।

1872
2/12/08

उल्लेखनीय है कि लो0नि0वि0, Hydro-geological Data, ground water gradient एवं Topography of the area के आंकडे नहीं रखता है और नहीं इनसे सम्बन्धित कार्य कराता है, इस कारण उनके आधार पर रिटेंनिंग दीवार का निर्माण एवं उसकी डिजाइन का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। इस हेतु जो विभाग सक्षम हो उससे उक्त का परीक्षण कराके प्रकरण नौरी को भिजवाएं।

SE
CE
Encl-2
P.S.

मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ

1466 1375 (12)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

(11)

S.t. P. vs State of U.P.

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

Annexure-A-3

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

3400/C
01-12-08

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

2324/C/AMC(H)/08
2/12

पत्रांक- 5573 /लखशान/ दिनांक- 28.11.2008

विषय :- रिट याचिका 4436/एस0बी0/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0एस0डब्लू0 डम्पिंग आन द गोमती रिवर बैंक नियर गांधी सेतु लखनऊ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 28.08.2008 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- 1- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ का पत्रांक वाद 1389/सप्तम दिनांक 28.11.200
2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (शा0सहा0) का पत्रांक 17804 दिनांक 22.11.2008
3- अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ का पत्र संख्या-डी-612/एएमसी-ए/08 दिनांक 12.11.2008

महोदय,

AMC(H)

संदर्भित पत्र कमांक-1 द्वारा आपके संदर्भित पत्र कमांक-3 पत्र की छयाप्रति उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय से नगर निगम द्वारा विषयगत हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव पर अभिमत प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। अभिमत निम्नानुसार है।

नगर निगम लखनऊ द्वारा गांधी सेतु के निकट गोमती नदी के बेड में जिस सथल पर पूर्व में कूड़ा डाला गया था, एवं अब उसपर पार्कनिर्माण एवं रिटेनिंग वाल बनाये जाने का प्रस्ताव कियां गया है वह भाग शासन द्वारा आदेशित भूमि रिक्लेम भाग का हिस्सा है। शासन के निर्देशानुसार इस स्थान पर 21 एकड़ भूमि रिक्लेम किये जाने के लिए तटबन्ध बनाये जाने की वांछना उच्च स्तर से की गई थी। तदनुसार परियोजना प्रस्ताव बनाकर सक्षम समितियों से स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार के जलसंसाधन मंत्रालय के मगा बाढ़ नियंत्रण परिषद पटना से स्वीकृति प्राप्त हुई की गयी थी। वर्तमान में तटबन्ध निर्माण परियोजना का निर्माण कार्य तीव्रता के साथ प्रगति में है।

(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक- /लखशान/दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (शारदा सहायक), गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
2- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।

Ex Em-2 P.S

(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

1467 1376 (13)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

S.T.P. VS State of U.P. (12)

WRIT PETITION NO. 4436(M/B).OF 2003

Annexure-A-4

# नगर निगम लखनऊ

| प्रेषक, | सेवा में, |
|---|---|
| **अपर नगर आयुक्त,**<br>नगर निगम, लखनऊ । | **अधिशासी अभियन्ता,**<br>लखनऊ खन्ड शारदा नहर,<br>लखनऊ। |
| संख्या : D-754/AMC-A/08 | |
| दिनांक : 31.12.2008 | |

**विषयः रिट याचिका 4436/एस0बी0/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम()एस()डब्लू डम्पिंग आन द गोमती रिवर बैंक नियर गांधी सेतु लखनऊ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 28.08.08 के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक डी-612/एएमसी-ए/08 दिनांक 12.11.08 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ नीरी के पत्र दिनांक 14.02.08 की छायाप्रति संलग्न करते हुए नगर निगम लखनऊ द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध में मा() उच्च न्यायालय लखनऊ खन्ड पीठ के निर्देश एवं उस सम्बन्ध में नीरी के सुझाव के अनुक्रम में प्रस्ताव तैयार करते हुए नीरी की अनुशंसा दिनांक 14.10.08 के क्रम में प्रस्ताव का परीक्षण करने एवं उस पर अभिमत उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। इस सम्बन्ध में आपका पत्र 5573/लखशान/ दिनांक 28.11.08 नगर निगम लखनऊ को प्राप्त हुआ है, जिसमें बांध के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की सूचना दी गई है। परन्तु क्या यह बांध का कार्य नीरी द्वारा दी गई गाइडलाइन्स के अनुसार किया जा रहा है। जैसा कि नीरी के पत्र दिनांक 14.10.08 में रिटेनिंग वाल के सम्बन्ध में हाइड्रो-जियोलाजिकल डाटा, ग्राउन्ड वाटर ग्रेडियन्ट एवं टापोग्राफी ऑफ द एरिया के आधार पर परीक्षण किये जाने के लिए कहा गया है। अतः लखनऊ नगर निगम द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प एम()एस()डब्लू() के निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार नीरी की योजना ए पार्क एवं बी रिटेनिंग वाल के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर परीक्षण की कार्यवाही करते हुए आख्या एवं अभिमत उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ में स्थिति स्पष्ट की जा सके।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग ।
2- नगर आयुक्त महोदय ।

6/1/09

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

1468 ~~377~~ (14) (13)

# नगर निगम लखनऊ

| प्रेषक, | सेवा में, |
|---|---|
| अपर नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ। | मुख्य अभियन्ता,<br>जल निगम,<br>लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ। |
| संख्या : D-75/AMC-A/08<br>दिनांक : 31.12.2008 | |

**विषय: रिट याचिका 4436/एस0बी0/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम()एस()डब्लू डम्पिंग आन द गोमती रिवर बैंक नियर गांधी सेतु लखनऊ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 28.08.08 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक डी-611/एएमसी-ए/08 दिनांक 12.11.08 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 उच्च न्यायालय में उक्त के सम्बन्ध में जनवरी माह मे प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना है परन्तु इस सम्बन्ध में आपकी आख्या / अभिमत अभी तक लखनऊ नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।

आपसे पुन: अनुरोध है कि लखनऊ नगर निगम द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प एम()एस()डब्लू() के निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार नीरी की योजना ए पार्क एवं बी रिटेनिंग वाल के सम्बन्ध में नीरी की प्रेक्षा दिनांक 14.10.08 में उल्लिखित बिन्दु हाइड्रो-जियोलाजिकल डाटा, ग्राउन्ड वाटर ग्रेडियन्ट एवं टापोग्राफी ऑफ द एरिया के आधार पर आपकी आख्या एवं अभिमत लखनऊ नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ में स्थिति स्पष्ट की जा सके।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
2- नगर आयुक्त महोदय।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ

1467 ~~1378~~ (15)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

(14)

S.T.P. vs State of U.P.

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

Annexure-A-5

# लखनऊ नगर निगम

| प्रेषक, | सेवा में, |
|---|---|
| नगर आयुक्त<br>नगर निगम, लखनऊ। | जिलाधिकारी,<br>लखनऊ। |
| पत्रांक SI-1148/ph.d./08<br>दिनांक 22/12/08 | |

विषय:– म्यूनिसपिल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि का लखनऊ नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्यक्ष, राज्य सलाहकार परिषद, उ0प्र0 की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के विकास हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 13.11.2008 में निर्णय लिया गया कि म्यूनिसपिल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु 4 जगह स्थल चयन किये जाने थे, जिनमें केवल हरदोई रोड पर 35 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। संक्षेप में यह तय हुआ कि एक माह में चारों स्थलों का चयन एवं अधिग्रहण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर कार्य प्रारम्भ हो जाये। इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ, लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण/नगर निगम, लखनऊ को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु परगना तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम–बिन्दौवा की खसरा संख्या–281 क्षेत्रफल 10.699 हेक्टेयर जो अभिलेखों में ऊसर दर्ज है एवं ग्राम–हदुआपुर की खसरा संख्या–96 रकबा 0.809हे0, 101 रकबा 0.797, 102ख रकबा 4.509हे0, 103ग रकबा 4.275हे0 एवं 104 रकबा 1.161हे0 कुल 5 कित्ता कुल क्षेत्रफल 11.551हेक्टेयर सीलिंग भूमि तथा तहसील बक्शी का तालाब के अन्तर्गत अन्तर्गत ग्राम–रसूलपुर कायस्थ की 29.034हे0 व ग्राम–अचरामऊ की 02.672हे0 भूमि जिसकी सूची साथ में संलग्न है, इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त पायी गयी है।

उपरोक्त भूमियों के म्यूनिसपिल सालिड वेस्ट योजना के अन्तर्गत अपशिष्ट भरण

क्रमशः पेज .... 2 .... पर

6/19

1470

(2) ~~1379~~

(16)

(15)

स्थल हेतु नगर निगम, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त वर्णित भूमियों को यथाशीघ्र नगर निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

c/c (शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

c/c (शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त
E.N.7

COMMISSIONER FOR OATHS
6117

1471 ~~1380~~ (17)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

(16)

S.T.P. vs State of U.P.

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

Annexure-A-6

माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण

अति आवश्यक / समयबद्ध

# नगर निगम लखनऊ

| | |
|---|---|
| **प्रेषक,**<br>अपर नगर आयुक्त<br>नगर निगम लखनऊ। | **सेवा में,**<br>सचिव<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण<br>लखनऊ। |
| संख्याः- D-729/ANC-A108<br>दिनांकः- 26-12-2008 | नत्थी. ..... |

**-: विषय :-**

रिट पिटीशन संख्या 4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा. उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देश विशेष रूप से दिनांक 25.08.2008 व 16.10.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में मा. उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि जो भी कार्यवाही की जाये विशेष रूप से लैण्ड फिल साईट का चयन व विकास वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स्- 2000 एवं नीरी नागपुर के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप की जाये।

कृपया उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में दिनांक 07.01.2009 को मा. उच्च न्यायालय में सुनवाई निर्धारित है। इससे पूर्व जल निगम, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण निरांत्रण बोर्ड, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम आदि के द्वारा सी.ए. फाईल करना है।

अतः अनुरोध है कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशो के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी कार्यवाही गयी है उससे आज ही नगर विकास विभाग एवं नगर निगम को अवगत कराने की कृपा करे।

भवदीय

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः- श्री एस.पी. मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

1472 1381 (198)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

(17)

S.T.P. vs State of U.P.

WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003

Annexure-A-7

# नगर निगम लखनऊ

| | |
|---|---|
| **प्रेषक,**<br>**अपर नगर आयुक्त**<br>**नगर निगम लखनऊ।**<br><br>संख्याः- D-737/Amc-Alok<br>दिनाकः- 27-12-2008 | **सेवा में,**<br>परियोजना प्रबन्धक<br>यूनिट-6<br>**सी.एण्ड डी.एस.**<br>**उत्तर प्रदेश जल निगम**<br>के.जी.एम.यू. कैम्पस, बुद्धा पार्क के सामने, चौक<br>लखनऊ।<br>नत्थी. ..... |

**-: विषय :-**

**म्यूनिस्पिल सॉलिड वेस्ट हेतु लैण्ड फिल साईट का चयन**

महोदय,

**उपर्युक्त विषयक** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा लैण्ड फिल साईट के अन्तर्गत हरदोई रोड पर दशहरी गॉव के समीप 35.80 हेक्टेयर भूमि के संबंध में आख्या उपलब्ध करायी गयी है **परन्तु इस स्थल** के संबंध में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवन्धन एवं हथालन) नियम 2000 में **दिये गये गाईड लाईन्स** के क्रम में आख्या अपेक्षित है। इसी के साथ यह भी अवगत **कराना है कि लैण्ड फिल साईट** हेतु **मोहनलालगंज तहसील** के अंतर्गत ग्राम **बिन्दौवा** की खसरा **सख्या 281 क्षेत्रफल 10.699 हेक्टेयर तथा** ग्राम **हबुआपुर** की 11.551 हेक्टेयर भूमि एवं **बक्शी का तालाब तहसील के अंतर्गत ग्राम रसूलपुर कायस्थ** की **29.034 हेक्टेयर** ग्राम **अचरामऊ** की 92.672 हेक्टेयर **भूमि के चयन किए जाने की कार्यवाही** की जा रही है। **इस हेतु जिलाधिकारी** महोदय से दिनाक 22.12.2008 **को** पत्र **प्रेषित** कर अनुरोध किया जा चुका है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ प्रेषित है, साथ में उक्त स्थलों का सजरा प्लान भी संलग्न किया जा रहा है। मा. उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुपालन में दिनांक 07.01.2009 को सुनवाई के समय इन स्थलो के सम्बन्ध नेशनल एनवॉयरमेंटल रिसर्च इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, (नीरी) नागपुर की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत **की जानी है।**

अतः **उपर्युक्त** तीनो **स्थलों** के संबंध में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवन्धन एवं हथालन, नियमावली 2000 के क्रम में **स्थलों** के परीक्षण की कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उक्त रिपोर्ट नीरी को प्रेषित कर उनकी आख्या प्राप्त की जा सके।

भवदीय

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः-

1. **प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग** उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ।
2. **आयुक्त, लखनऊ मण्डल,** लखनऊ को सूचनार्थ।
3. **उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।**

1473 1302 (19) (18)

4 **जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।**
5 निदेशक, **सी.एण्ड.डी.एस. उत्तर प्रदेश** जल निगम 2, लालबाग शास्त्री नगर को सूचनार्थ।

6 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5 उत्तर प्रदश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, तृतीय तल पिकप भवन विभूति **खण्ड**, गामती नगर लखनऊ को सूचनार्थ।
7. निदेशक, **नेशनल इनवॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट**, नेहरू मार्ग, नागपुर **महाराष्ट्र को सूचनार्थ।**

(ए.पी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

1474
~~1383~~ (20) (19)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

S.T.P. vs State of U.P.
WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003
Annexure A-8

# Lucknow Nagar Nigam

From,
Addl. Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam

Ref. no.- D-746/Amc-A/08
Date- 30.12.08

To,
The Director
National Environmental
Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur
Maharastra 440 020

Subject
MSW dumping on the Gomti river bank near Gandhi setu, Lucknow

Sir,

Regarding the above subject kindly refer to your letter no SWMU/HQ/2008 dated Oct 14, 2008, as intimated earlier the Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench will hear the development on Jan 07, 2009 in context of W.P.4436(M/B)of 2003.

In the letter dated 14-10-2008 you suggested as follows-

- "As regard the site selection for the Sanitary Landfill site, it is suggested that the concerned authorities should identify few sites, considering all necessary statutory requirements. NEERI will assist in finalizing the site selection on the basis of environmental impact."

We request you to send a team to examine the Land Fill Sites chosen so far. This team may also examine the other developments. This is for information that a report has to filed before the Hon'ble High Court on the Jan 07, 2009.

Yours

30/12/08

(A.C. Sinha)
Addl. Municipal Commissioner

9/c

1/1/09

1473 ~~1304~~ 21 (20)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

S.T.P. vs State of U.P.
WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003
Annexure – A-9

1


**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**

**Dr. A.N. Vaidya** Tele : phone : 0712-2249752 (direct)
0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
Assistant Director : fax : 0712-2249752
Solid Waste Management Unit : gram : NEERI, Nagpur-20 : email : an_vaidya@neeri.res.in


SWMU HQ 2009
January 05, 2009

**Fax No. 0522-2622440**
**0522-2625960**

To,
Mr.A.C. Sinha
Municipal Commissioner,
Lucknow Nagar Nigam,
**Lucknow**

**Subject: MSW dumping on the Gomati river bank near Gandhi Setu, Lucknow**

Sir,

This has reference to your fax dated December 30, 2008, (Ref.No. D-746/AMCA/08) requesting NEERI's assistance in the selection of the land fill site for MSW in Lucknow. In this regard I wish to inform you that suitability of the site selected by Lucknow Nagar Nigam for MSW landfill could be assessed on the basis of elaborate study with relevant data and as such needs sufficient time to arrive at the decision. NEERI can take up these studies in accordance with the detailed proposal (enclosed) elaborating work elements involved and budgetary requirements.

Yours faithfully,

A.N.Vaidya

(A.N.Vaidya)

(1) of (5)

1476 ~~385~~ 22

*Project Proposal* (21)

# Selection of Site for Development of Sanitary Landfill at Lucknow

*Sponsor :*

**Lucknow Nagar Nigam, Lucknow**

**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nagpur - 440 020**

January 2009

(2) 605 (5)

04/01/2009 11:19 0712522562 NEERI FAXPLR. PAGE 02/0

1477 ~~1306~~ (22) 23

# Selection of Site for Development of Sanitary Landfill at Lucknow

## 1.0 Preamble

Disposal of municipal solid waste (MSW) is a vital activity in solid waste management. Uncontrolled landfilling of MSW often leads to deterioration of environmental quality. Fire hazard, uncontrolled methane emission, degradation of ground water quality, disturbance of ecology due to surface run off, odour, breeding of mosquitoes and flies, etc. are some of the major adverse impacts associated with non-scientific landfilling. It is necessary to construct and operate sanitary landfill so that environment is properly protected. Sanitary landfills are provided with liners and leachate collection system. Liner acts as a barrier between leachate and ground water. Moreover, compaction of waste is carried out and earth cover is applied over the waste in sanitary landfill. Appropriate site for sanitary landfill needs to be selected considering various locational criteria, environmental factors and geological and hydro-geological aspects following guidelines in MSW 2000, Rules. Lucknow Nagar Nigam (LNN) has identified landfill sites for disposal of MSW generated in Lucknow city and LNN has requested assistance of National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur for assessing the suitability of the identified sites for sanitary landfill as per the MSW Rules, 2000. This proposal is prepared in response to the request of Lucknow Nagar Nigam.

## 2.0 Objectives

- Critical analysis of the locational, geological, hydro-geological and environmental data for the sites selected by LNN for sanitary landfill
- Assessment of possible impacts on the surroundings
- Evaluation and ranking of the identified sites for sanitary landfill



(3) of (5)

04/01/2009 11:19 07122249[illegible] NEERI NAGPUR PAGE 03/05

1478 ~~1307~~ 24

(23)

## 3.0 Scope of the Study

Scope of the study is limited to the sites selected by Lucknow Nagar Nigam and it includes collection and review of locational, environmental, geological and hydro-geological data. Further, it includes selection of the most suitable site on the basis of the impacts on the surroundings. NEERI will not be involved in any way in procurement of site and will not be responsible for any legal and other liabilities of sites.

## 4.0 Work Plan

- Site visit
- Collection and review of the locational data
- Collection, review and interpretation of environmental, geological and hydro-geological and other relevant data
- Assessment of possible impacts of the proposed landfill on surroundings
- Final selection of the site based on comparative evaluation
- Report preparation

**Inputs from LNN**

- Identification of the potential sites for sanitary landfill
- Collection of relevant locational, geological, hydrogeological and environmental data for NEERI
- Provision of location maps and other necessary documents
- Access to the sites for inspection
- Arrangement of local transport, lodging and boarding for visiting NEERI team

**Duration:** 4 Months



(4) of (5)

04/01/2009 11:19 07122249750 NEERI NAGPUR PAGE 04/05

1479 ~~1308~~ (24) 25

**Total Cost:** Rs. 5.00 Lakhs + Service Tax @ 12.36% = Rs. 5.618 lakhs

**Mode of Payment:**

- Rs. 3.00 lakhs + service tax @ 12.36% at the start of the project
- Rs. 2.00 lakhs + service tax @ 12.36% within 15 days on submission of Draft Report

---



(5) g (5)

04/01/2003 11:19 07122249752 NEERI NAGPUR PAGE 05/

1480
~~1389~~

26

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.**

C. M. Application No. of 2009

State of U. P. ----------Applicant

In re

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 16.10.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 07.01.2009

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1481 ~~1396~~ 27

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW**

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

**AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 16.10.2008.**

I, Surya Prakash Mishra aged about 51 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

1482
1391

28

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 16.10.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 7th January 2009.

5. That in compliance of the order dated 16.10.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow, U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan, Lucknow in compliance of orders dated 16.10.2008 passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing the progress report submitted by the U. P. Jal Nigam with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' . The true photostat copy of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam in different Zones of the Lucknow City till 03.01.2009 are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

7. That it is submitted that the master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done and same has been approved by the Government of India under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme. It is

Oath Commissioner (LUCKNOW)

1483 ~~1392~~

29

submitted that in Master Planning of the sewage work, Lucknow town has been divided into four Sewage Districts. It is submitted that the Ministry of Urban Development, Government of India in its 60th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) of the Sub Mission on Urban Infrastructure and Governance under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission, held on 21st November 2008 has approved the DPR of Sewage District– III (Part – I) for an amount of Rs. 262.16 Crore, and an amount of Rs. 236.23 Crore as second installment for Sewage District– I (Part –I and II), in the year 2008 – 09, in the aforesaid 60th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee. The said minutes of meetings dated 21st November 2008 has been issued vide Office Memorandum dated 16th December 2008; a copy whereof is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

It is submitted that in anticipation of receiving the aforementioned grant issued by the Government of India vide aforesaid Office Memorandum dated 16th December 2008; the proceedings with regard to issuance of share of State Government i.e., amounting to Rs. 24.9195 Crore are under progress.

**8.** That a project for Rs. 325.21 Crore for improvement of Storm Water Drainage of Lucknow City has been approved by the Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC), Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission, Ministry of Urban Development, Government of India on 29.12.2008. This drainage master plan covers about 33700 Hectare Land within the Lucknow Municipal Corporation Area. In this meeting a plan for sewage district III Part II too an amount of Rs 214.43 cr has also been sanctioned.

1484
~~1393~~

30

**9.** That is submitted that the details of work done till 05.01.2009 under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme are being mentioned as under:

**(i).** The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 05.01.2009, 31 + 4 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing, out of which till 05.01.2009, 34 old Tube-Wells have been repaired and they are working, and the repairing work with regard to 9 Tube-Wells are in progress.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 69.10 Km have been completed till 05.01.2009.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 35 numbers of Tube-Wells have been completed till 05.01.2009, and rising main work relating to 22 numbers of Tube-Wells are in progress.

**(ii).** It is significant to submit that under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 409 numbers of new hand-pumps were proposed in the year of 2007 – 08, all of them have been installed and they are working.

1485
~~1394~~

31

Under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 1230 numbers of new hand-pumps were proposed in the year of 2008 – 09, all of them have been installed and they are working.

Under the "Drinking Water Scheme" the works relating to special repairing / rebore of 670 numbers of hand-pumps were proposed in the year 2007 – 08, all of them have been repaired / rebored and they are under working. In the year 2008 – 09, the works relating to special repairing / rebore of 153 numbers of hand-pumps were proposed in the year 2008 – 09, all of them have been repaired / rebored and they are under working.

Out of aforesaid hand-pumps, under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 5 numbers of new Tube-wells, and rebore of 39 other Tube-wells were proposed, out of them 3 new Tubewells have been installed and all have been rebored.

**10.** That in Master Planning of Sewerage Works, for Sewerage District – 1 an estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanction by the Government of India. It is submitted that the Sewerage Scheme of District – 1 covers approximately 289 Km of branch sewer laying, and 48 Km of trunk sewer laying, construction of one Sewage Pumping Station of 56 mld capacity and one number STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 72.0 Km. of sewer line has been laid till 05.01.2009, and the work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started after tendering process. As per report of the U.P. Jal Nigam, the said works are under progress in accordance with the norms prescribed by the U.P. Pollution Control Board. True photostat

1486 1375

32

copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme (under the Sewerage Scheme of District–1) is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No.A– 3** to this affidavit.

The construction work for Kukrail Nala Sewage Pumping Station has been started after shifting the place of Pumping Station. It is submitted that up to December 2008, 40 % work of Sewage Pumping Station has been completed, and further work is under progress.

**11.** That under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme the detailed project report of Sewerage District – II and IV of Lucknow City are under preparation and the same shall be submitted to the Government of India for its approval. The true photostat copy of the main points of project report of Sewerage District – II and IV Lucknow is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

**12.** That it is significant to submit that the works done till 05.01.2009, under Gomti Action Plan Phase –I and Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09, are detailed herein under:

**(i).** It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to three schemes , which were under progress. However, due to heavy rain and flood in Gomati River, the required progress could not be achieved, but now the work is in progress.

**(ii).** It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

1487
~~1396~~



The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II till 05.01.2009 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

**13.** That it is submitted that vide letter dated 22.12.2008, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow requested to the District Magistrate, Lucknow to provide the land to the Nagar Nigam, Lucknow for construction of Sanitary Landfill Sites under the Municipal Solid Waste Management Scheme as has been decided in the meeting dated 13.11.2008. The Municipal Commissioner, Nagar Nigam informed that with regard to 35 Hectare land at Hardoi Road, the proceedings for acquiring the land by acquisition has been going on. He further stated that the Nagar Nigam, Lucknow has identified four more lands for the construction of proposed Sanitary Landfill Sites:

**(i).** Khasara No. 281 area 10.699 Hectare (i.e. Usar Land) situate in village Bindoua, Tahsil Mohanlalganj, Lucknow;

**(ii).** Khasara No. 96 area 0.809 Hectare ; Khasara No. 101 area 0.797 Hectare; Khasara No. 102 Kh area 4.509 Hectare; Khasara No. 103G area 4.275 Hectare and Khasara No. 104 area 1.161 Hectare (total area 11.551 Hectare, i.e., Ceiling Land) situate in village–Habuapur, Tahsil – Mohanlalganj, Lucknow;

**(iii).** 29.039 Hectare land of about 37 Khasara situate in village Rasoolpur Kayasth, Tahsil Bakshi Ka Talab, Lucknow; and

**(iv)** 92.672 Hectare land of about 37 Khasara situate in village Acharamau, Tahsil Bakshi Ka Talab, Lucknow.

1488
1397

34

The true photostat copy of the aforesaid letter dated 22.12.2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

In this regard, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow submitted letters dated 03.11.2008, 22.12.2008, 24.12.2008, 26.12.2008, 27.12.2008, and 31.12.2008 to the Secretary, LDA, Lucknow; Managing Director, U.P. Jal Nigam; Chief Engineer, U.P. Pollution Control Board and Director , NEERI, Nagpur for action in this regard.

It is submitted that for compliance of order dated 16.10.2008 passed by this Hon'ble Court, vide the letter dated 27.12.2008 the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow informed to the Assistant Director, NEERI, Nagpur to finalise the technical report with regard to the Sanitary Landfill sites chosen by the Nagar Nigam, Lucknow.

In pursuance to the letter dated 02.01.2009, with regard to acquiring 35.406 + 3.267 Hectare land at Hardoi Road, by way of acquisition ; the Lucknow Development Authority , Lucknow has submitted its report to the State Government vide letter dated 04.01.2009 and submitted that the proceedings for publication of notification under Section 6 of the Land Acquisition Act with regard to the said land are under progress. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 04.01.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

**14.** That it is submitted that for compliance of order dated 25.8.2008 passed by this Hon'ble Court, vide letters dated 12.11.2008 the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow requested to the Chief Engineer, PWD, Lucknow Circle, Lucknow; Chief Engineer, Irrigation Department,

Lucknow; Chief Engineer, U. P. Jal Nigam, Lucknow forwarding the report of NEERI, Nagpur dated 14.10.2008 for further necessary action by these departments at their end. In reply to the said letters, the Chief Engineer, PWD, Lucknow Circle, Lucknow has submitted his report vide letter dated 22.11.2008. The Executive Engineer, Lucknow Division, Sharda Canal, Irrigation Department, Lucknow has submitted his report on 28.11.2008 that the embankment construction for reclamation of land is in progress after the approval of same by the Ganga Flood Control Board, Patana. True photostat copy of the aforesaid letters dated 12.11.2008, 22.11.2008 and 28.11.2008 are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit.

**15.** That it is significant to submit that for checking the draining of ground water and its recharging, the State Government has taken decision regarding rain water harvesting / recharging in the town areas. In this regard, the Department of Housing and Urban Planning, State of U.P. issued several government orders. It is submitted that vide Government Order No. 3982 / Eight – 1 – 08 – 17 Misc. / 03 T.C. – 1 dated 1st July 2008 , the State Government directed for implementing the policy of rain water harvesting / recharging, and several directions with regard to the same have been issued to the Housing Commissioner, U.P. Awas Vikas Parishad; Vice Chairman of all the Development Authorities; Chairman / District Magistrates of Special Zone Development Authorities; Chief Executive Officer of NOIDA; Managing Director, U.P. State Industrial Development Corporation and Managing Director, U.P. Sahakari Awas Sangh Ltd., Lucknow etc.. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated

1490
1399

36

1st July 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 9** to this affidavit.

**16.** That it is submitted that under the provisions of Section 57 of the U.P. Urban Planing and Development Act, 1973 the State Government approved the draft of Model Building Construction and Development Bye Laws,2008. It is pertinent to submit that the Model Building Construction and Development Bye Laws, 2008 have provisions to install roof-top rain harvesting system compulsorily at all types of buildings having 100 – 300 Sq. Meter or more area to develop roof-top rain water harvesting system for recharging of ground water, along with other networks such as water supply, drainages, and sewage dispersal systems etc. in the newly establishing housing colonies. It is submitted that vide Government Order No. 5416 / 8 – 3 – 08 – 181 Misc. / 2008 dated 14th November 2008, a copy whereof has been send to the Vice Chairman of all the Development Authorities and Commissioner, U.P. Awas Vikas Parishad with the direction that after getting it approved, it should be send to the State Government. It is submitted that vide letter No. 12/ 8 – 3 – 2009 dated 5th January 2009, the Department of Housing and Urban Planning, State of U.P. informed to the answering respondent about the aforesaid facts, and apprised that the concerned agencies are pursuing to adopt the provisions of aforesaid Bye Laws, 2008. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 14th November 2008, letter dated 5th January 2009 along with the relevant extract of Model Building Construction and Development Bye Laws,2008 having provisions of rain water harvesting system are being

Oath Commissioner
LUCKNOW

1491

37

annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 10** to this affidavit.

**17.** That it is submitted that vide letter dated 04.01.2009, the Lucknow Development Authority, Lucknow informed the State Government that the proposed / amended Model Building Construction and Development Bye Laws, 2008 were placed for approval before the Board of the Lucknow Development Authority, Lucknow. The Board of the Lucknow Development Authority, Lucknow in its meeting held on 24.12.2008 has raised 22 points on which it requires clarification / comments, for which it has constructed a Committee headed by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow to submit its comments / report before the Board on each and every point at an early date, where after the proposed / amended Bye Laws, 2008 would be considered for approval. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 04.01.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 11** to this affidavit.

**18.** That it is most humbly submitted that in the instant writ petition, this Hon'ble Court pleased to pass the orders dated 20.8.2007, 21.02.2008, 27.3.2008, 30.4.2008, 22.5.2008, 21.7.2008 and 25.8.2008. In compliance of the aforementioned orders, the compliance report have been filed on behalf of the State Government by means of affidavits.

**19.** That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 6/1/09

Deponent

1492 (1491) 38

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1, 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 18 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 19 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated: 06-01-2009 Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

(ओमप्रकाश चौहान)
नगर विकास अनुभाग-5
उ०प्र० सचिवालय लखनऊ।

Oath Commissioner LUCKNOW

कक्ष सं० 037148
द्वारा शपथ ली गई सुश्री/श्रीमती/श्री ओम प्रकाश चौहान
जिनका परिचय श्री ओम प्रकाश चौहान
दिनांक 06.01.09
बाद संख्या 1491 (स/ब) 2008
पक्षकार [illegible]
न्यायालय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ
शपथ की फीस वसूल की गई 10.00

अभिसाशी ने शपथ – पत्र पढ़ लिया है, और इसकी विषय वस्तु समझता है।

6/1/09

( डा० जटाशंकर त्रिपाठी )
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

ANNEXURE NO. A-1

~~194~~ 39

# कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
## उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ

पत्रांक 10 M-24 15 दिनांक 3/1/09

सेवा में,

विशेष सचिव
नगर विकास अनुभाग-5
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

विषयः- रिट याचिका संख्या 4436(एम/बी)/2003/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में दिनांक 16.10.2008 को पारित आदेशो का अनुपालन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 8102(1/9-5-2006-4 रिट/07/दिनांक 02.01.2008) संन्दर्भ में लखनऊ नगर में पेयजल एवं सीवेज तथा गोमती कार्य की योजनाओं पर अधितन स्थिति एवं नोट संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वी0यू0बिशनोई)
महाप्रबन्धक

प्र.संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री आई0पी0सिंह एडवोकेट।
2- महाप्रबन्धक (पेयजल) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ
3- अधि0 अभि0/, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक



1494 40

**Progress of Sewer Works in Compliance of HON'BLE COURT'S ORDER DATED 16-10-2008 in W/P No. 4436 (M/B)/2003**

1. UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal. Jal Nigam is preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

2. In Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. The Ministry of Urban Development, Govt. of India has sanctioned the DPR of Sewerage District-III Part-I for an amount of Rs. 262.16 Crore in the meeting of C.S.M.C. dated 21.11.2008 and Sewerage District-III Part-II for an amount of Rs. 214.43 Crore in the meeting dated 29.12.2008.

3. The Detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is annexed as ANNEXURE-I .

Commissioner LUCKNOW

1495 1497 41

4. Government of India has issued fund released order for first installment of Rs.29.53 crore on 3.10.2007 and Second installment of Rs.29.53 crore on 16.12.2008 in favour of Government of UP against detailed project report of sewage district-I (amounting to Rs.236.23 crore). Matching grant of first installment 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. The Govt. of India has released Rs. 32.77 Crore for Sewerage District-III Part-I on dated 16.12.2008. The second installment of Sewerage District-I & 1st Installment of Sewerage District-III Part-I is yet to be released by Government of India,. A photo copy of the letter dated 16.12.2008 issued by Government of India, Ministry of Urban Development is being annexed as ANNEXURE-II.

5. Sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 90.0 Km of sewer line has been laid. The work of construction of sewage pumping station and STP has been started and in progress. An expenditure of Rs. 46.52 Crore has been made against release of Rs. 48.37 Crore (Rs. 15.00 Crore on 19.03.2008 and Rs. 15.00 Crore on 22.04.2008, Rs.13.037 Crore on 06.10.2008 and Rs. 5.34 Crore on 5.12.2008). A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as ANNEXURE-III.

1496 ~~1497~~ ~~42~~

6. The construction work for Kukrail Nala Sewage pumping Station has been started after shifting the place of Pumping Station. Upto December 2008, 40% work of Pumping station has been completed.

7. In cleaning of Gomti River, the land for construction of 345 mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has been started on 18.7.2008. The required progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood during July to October 2008 in Gomti river but now work is going on in full swing.

8. It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as ANNEXURE-IV & V.

Project Manager
Gomti Pollution Control Unit-I/Temp.
U.P.Jal Nigam, Lucknow

General Manager
Gomti Pollution Control Unit
U.P.Jal Nigam, Lucknow

1497 ~~1406~~ 43

**Progress of Water Supply Works in Compliance of HON'BLE COURT'S ORDER DATED 16-10-2008 in W/P No. 4436 (M/B)/2003**

9. That so far installation of 21 tube wells is concerned , the work has been completed for 4 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 14 tube wells are under progress. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **Annexure no.VI.**

10. Target of re-boring under JNNURM Programme is 43 tube wells. The work has been competed for 34 tube wells and the work is in progress for 9 tube wells. A photo copy of progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **Annexure no.VI**

11. Target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban) 2007-08. Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed in addition to this installation of all 1230 New India Mark-II handpump and reboring / special repair of 153 handpump has been done against the target of 2008-09. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **Annexure no.VI**

1498 ~~1407~~ 44

12. In addition to JNNURM, UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for 2 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **Annexure no.VI**.

13. The work for finalization of tender for establishment of 3rd Water works has been completed and the date of start has been given to the Firm. The Work of clarifloculator, Zonal Underground water storage tanks, Administrative Building and Central CWR are in progress. Besides this laying of feeder main is also in progress. As per approved estimate the work is to be completed by 2010, efforts will be made to complete the work before time.

14. The financial progress of water supply schemes is annexed as **Annexure No. VII.**

15. Present status of Master Plan of Lucknow Water Supply is annexed as **Annexure No. VIII.**

Project Manager
Payjal –II

General Manager
( PAYJAL)

ANNEXURE. NO. A-2

1499 45

K-14012/2(60)/2006-NURM-III
Government of India
Ministry of Urban Development

New Delhi, dated the 16th December, 2008

**Office Memorandum**

**Subject:** Minutes of the 60th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) for sanctioning projects under UIG of JNNURM held on 21st November, 2008

The undersigned is directed to forward herewith minutes of 60th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) of the Sub Mission on Urban Infrastructure and Governance under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) held on 21.11.2008 under the Chairmanship of Secretary (UD) for information and necessary action.

Nitin

(Nitin R. Gokarn)
Director NURM-III
Tel. 23062374

To

CSMC:

1. Dr. M. Ramachandran, Secretary (UD), MoUD- Chairman, CSMC
2. Ms. Kiran Dhingra, Secretary, M/o Housing and Urban Poverty Alleviation, Nirman Bhawan, New Delhi.
3. Mrs. Sushma Nath, Secretary, M/o Finance (Department of Expenditure), North Block, New Delhi.
4. Shri Vijai Sharma, Secretary, M/o Environment & Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
5. Shri K.M. Acharya, Secretary, M/o Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. Shri Harish Chandra, Advisor(HUD), Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
7. Dr.R.K. Vats, Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Nirman Bhawan, New Delhi

1500 1409 46

3. Uttar Pradesh:

**Varanasi: Storm Water Drainage works for Varanasi**

ULB stated that presently there is no functional storm water drainage system in Varanasi. The CDP document has highlighted the urgent need for development of an effective and dedicated storm water drainage system. The proposed project has been prepared with a view to solve the water logging problem through repair of very old & incomplete open drainage system, safe disposal of waste water, conservation of water and drains in slum areas & minority areas.

The ULB gave an account of the progress of the on-going projects sanctioned for Varanasi. It was stated that around 30% of the work has been completed in respect of first project sanctioned for the city. The new project will rehabilitate the existing drains as well as constructing new drains. After the completion of the project water logging problem of Varanasi will be resolved and pollution of river will be reduced. Ministry of Environment & Forest agreed with the observation of CPHEEO and the State Govt.

Secretary (UD) observed that the State should give an assurance to the effect that after implementation of the project, the water logging of Varanasi would be substantially reduced. CPHEEO stated that 45% water logging have been identified and integrated with the existing system which will be improved to above 60% after implementation of the Project. CPHEEO suggested that the ULB should check and segregate the sewerage, solid waste from the storm water drains by providing under ground sewerage to prevent pollution and foul smell.

The presentation made by the ULB is at Annexure-III

CSMC approved the project with the condition that status of action on the CPHEEO's comments will also be taken into account before releasing the next instalment of funds. The financing scheme of the project is as under:

Rs. In lakhs

| Mission City/State | Project title | Approved project cost | Central share(ACA) (50%) | Amount of ACA to be released(25% of ACA) |
|---|---|---|---|---|
| Varanasi, Uttar Pradesh | Storm Water Drainage works for Varanasi | 19162.00 | 9581.00 | 2395.25 (1st instalment) |

**Lucknow: Sewerage work for Lucknow City- Sewerage District-III( Part-I)**

The ULB stated that Gomti Action Plan *(GoAP)* was introduced in 1993 through funding from Govt. of India under National River Conservation Directorate (NRCD), MoEF. The DPR on the proposed sewerage project has been framed integrating works, which are either executed or under execution under Gomti Action Plan to solve the problem of pollution in Gomti river due to open drains which are carrying sewage to the river. The main objective of the project is to reduce the pollution of Gomati River by 26 nalas.

1501 (1410) 47

Secretary (UD) suggested that the State should set up IRMA who should make a comparative study under various parameters and planned changes showing the variation between the existing water supply and sewerage projects and the impact of the new projects.

Regarding implementation of reforms, Special Secretary, Govt. of U.P. stated that under e-Governance, property tax, water tax, property tax, death and birth certificates are computerized. Online payment of property tax would be facilitated in 3 months. The State has obtained Central assistance to assess the assets and properties. Secretary (UD) suggested that the Govt. of U.P. may provide a copy of order issued regarding implementation of e-Governance and Area Sabha. The CSMC approved the project with the following financing pattern subject to above conditions:

Rs. In lakhs

| Mission City/State | Project title | Approved project cost | Central share(ACA) (50%) | Amount of ACA to be released(25% of ACA) |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow, Uttar Pradesh | Sewage works for Lucknow City-Sewerage District-III(Part-I) | 26216.00 | 13108.00 | 3277.00 (1st instalment) |

**Second instalment release for 5 projects:**

Reforms status at ULB level for each ULB was informed by JS(M). The status was clarified by State Govt. CSMC observed that more efforts needed to be made to implement the reforms. Considering the need for upgradation of the infrastructure in Uttar Pradesh and the fact that Secretary UD, govt. of UP, assured that ULB's will implement reform commitments on fast track, CSMC approved the 2nd instalment for the following five projects but indicated that it may be constrained to withhold release of future instalments if reforms do not show further progress as assured by State Govt.

| Sl. No. | Mission City/ State | Project Title/name | Project Cost | Central Share | Amount and no. of instalment to be released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agra, Uttar Pradesh | Construction of Branch and lateral sewer lines in Northern Western Zone, Agra | 2162.00 | 1081.00 | 270.25 (2nd installment) |
| 2. | Allahabad, Uttar Pradesh | Water Supply Scheme for Allahabad, Allahabad | 8969.00 | 4484.50 | 1121.13 (2nd installment) |



329

Civil Secretariat LUCKNOW

1502 ~~1411~~ 48

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Varanasi, Uttar Pradesh | Water Supply Component of Varanasi, Varanasi | 11102.00 | 5551.00 | 1387.75 (2nd installment) |
| 4. | Lucknow, Uttar Pradesh | Water Supply Project for Lucknow, Lucknow | 38861.00 | 19430.50 | 4857.63 (2nd installment) |
| 5. | Lucknow, Uttar Pradesh | Sewerage Works for Lucknow District-I (Vol-I and II), Lucknow | 23623.00 | 11811.50 | 2952.87 (2nd installment) |

State Co... LUCKNOW Civil Secretariat

1563 ~~1712~~ 49

# RECOMMENDED COST OF ESTIMATE

(Rs in lacs)

| Sl.No | Components wise Project Cost | Cost appraised by State Govt. | As recommended by CPHEEO |
|---|---|---|---|
| A. | **Civil Works** | | |
| 1. | Supply and laying ofNP-2/ NP-3/ NP-4 RCC pipes for Trunk, Lateral & Branch Sewers(excluding road reinst.) | 20396.07 | 18509.800 |
| 2. | Constt. of Pumping Station | 114.00 | 108.300 |
| 3. | Supply and laying of 800 mm dia PSC Rising Main | 342.30 | 325.185 |
| 4. | Constt. ofGenerator room, Panel room & Staff quarter. | 25.55 | 24.273 |
| 5 | Constt. ofBoundary wall, site development & hiring of godown at SPS | 26.07 | 24.767 |
| | **Sub Total(A) :** | **20903.99** | **18992.325** |
| B. | **E&M Works** | | |
| 1. | Supply & installation of Pumping plants, generator and arrangement for W/S system at SPS & its connected accessories | 296.81 | 254.894 |
| 2 | Construction of sub station | 89.55 | 85.072 |
| 3 | Operation charges for Pumping Plant & Sub station. | 7.47 | |
| | **Sub Total(B) :** | **393.83** | **339.968** |
| | **Total(A+B) :** | **21297.82** | **19332.291** |
| C | **Contingencies 2% on A+B** | **425.96** | **386.640** |
| | **Total(A+B+C) :** | **21723.78** | **19718.931** |
| D | **Deduct 5% for Nigam Profiency on Total(A+B+C) :** | **(-)1086.19** | **Adjusted in above** |
| | **Total(A+B+C+D) :** | **21050.34** | **19718.931** |
| E | **Administrative Expenses ( 2% / 0.5%)** | **412.76** | **101.75** |
| F | 1) Reinstatement of road | 8004.91 | 6180.70 |
| | 2) Shifting of Electric & Telephone cables | 486.62 | 48.66 |
| | 3) Transmission line & power connection. | 166.70 | 166.70 |
| | **Sub Total(F) :** | **8658.23** | **6396.06** |
| | **Total(A+B+C+D+E+F) :** | **29708.67** | **26216.741** |
| G | Training, Capacity building, IEC ( 1.5%) | 309.56 | |
| | **Total(A to G):** | **30018.13** | **26216.741** |
| H | Centage charges 12.5% on (A+B+C+D) | 2579.70 | |
| | **Grand Total:** | **32597.83** | **26216.741** |
| | **Say (Rs. In crore)** | **325.98** | **262.16** |

Oath Commissioner LUCKNOW

संलग्नक - ANNEXURE NO.A-3

1504 (413) ~~450~~

**कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल [illegible], लखनऊ**

**माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति**

**जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)**

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 05.01.2009 तक कुल प्रगति | दि. 15.10.2008 से दि. 05.01.2009 तक कुल . प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | .5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 38.50 कि.मी. | 72.00 कि.मी. | 33.50 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 11.50 कि.मी. | 18.00 कि.मी. | 6.50 कि.मी. | " |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 10% | 15% | 5% | " |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 10% | 15% | 5% | " |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | | " |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 37.587 | 46.520 | 8.933 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 43.037 | 48.370 | 5.340 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा दिसम्बर 2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. **सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।**
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) एवं पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 एवं दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

d:progress/progressformat.xls sh1

1505

ANNEXURE NO A-4

51

## जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना मुख्य बिन्दु

दिनांक 05.01.2009 तक

~~ANNEXURE-I~~

| क्र.सं. | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत) | चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र | 287335 | 448634 | 565069 | 36 | 55 | 70 | 229.55 | 236.23 | 7988.93 | 4062.34 | 8221.35 | 4180.52 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम. एल.डी.। | निर्माणाधीन |
| 2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II | अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र | 225975 | 442125 | 884500 | 28 | 54 | 108 | 489.98 | -- | 21682.93 | 5539.63 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| 3.1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट - I) | गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र | 709558 | 1130121 | 1765143 | 87 | 138 | 216 | 276.03 | 308.80 | 3890.16 | 1563.80 | 4351.96 | 1749.41 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी<br>राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.08 को रु. 262.16 करोड़ के लिए स्वीकृत। धन आवंटन आपेक्षित। |

Cabinet Secretariat LUCKNOW

1506

52

| क्र.सं | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 3.2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट-II ) | गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र | 465860 | 716805 | 1059143 | 57 | 88 | 130 | 165.03 | 244.03 | 3542.48 | 1558.15 | 5238.27 | 2304.03 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी<br>राइजिंगमेन - 3375 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.08 को रु. 214.43 करोड़ के लिए स्वीकृत। धन आवंटन आपेक्षित। |
| 4 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV | शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि | 1114272 | 1505315 | 2148145 | 136 | 184 | 263 | 955.08 | -- | 8571.34 | 4446.07 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग<br>एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| **TOTAL** | | | **2803000** | **4243000** | **6422000** | **344** | **519** | **787** | **2115.67** | | **7547.88** | **3294.41** | | | | **787 MLD** | |

d:aks/NURM.xls sh7

Civil Secretariat LUCKNOW

1507

ANNEXURE NO A-5

सलग्नक - 4

53

## कार्यालय ...प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल ...म, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 05.01.2009 तक कुल प्रगति | दि. 15.10.2008 से दि. 05.01.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | -- | | | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (30%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (40%) | 1 नग (10%) | |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5120 मीटर | 5220 मीटर | 100 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाव | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 11 | विविध कार्य - जाव | 100% | 42% | 47% | 5% | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 44.75 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 36.556 | 37.22 | 0.664 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 33.850 | 35.160 | 1.310 | |

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

d:progress/progressformat.xls sh1

1508

~~संलग्नक~~ -

54

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 05.01.2009 तक कुल प्रगति | दि. 15.10.2008 से दि. 05.01.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17 नग 95% | 17 नग 95% | | |
| | | | 1 नग 20% | 1 नग 40% | 1 नग 20% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95% 1 नग 30% | 10 नग 95% 1 नग 30% | | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 8134 मीटर | 8134 मीटर | | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092.मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 80% | 80% | | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 70% | 70% | | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 10% | 1 नग 15% | 1 नग 5% | |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100% 1 नग 90% | 6 नग 100% 1 नग 90% | | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 1 नग 90% | 1 नग 90% | | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | | |
| 12 | वनीकरण - जाब | 20% | 5% | 5% | | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 20% | 5% | 5% | | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 40% | | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 108.432 | 130.09 | 21.658 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 108.433 | 149.11 | 40.677 | |

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

d:progress/progressformat.xls sh1

ANNEXURE I

ANNEXURE NO.A-6

1509 ~~418~~ 55

9

# लखनऊ नगर निगम

| प्रेषक, | सेवा में, |
|---|---|
| नगर आयुक्त<br>नगर निगम, लखनऊ। | जिलाधिकारी,<br>लखनऊ। |
| पत्रांक SI-1148/पी.डी./08<br>दिनांक 22/12/08 | |

विषय:- म्यूनिसपिल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि को लखनऊ नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्यक्ष, राज्य सलाहकार परिषद, उ0प्र0 की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के विकास हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 13.11.2008 में निर्णय लिया गया कि म्यूनिसपिल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु 4 जगह स्थल चयन किये जाने थे, जिनमें केवल हरदोई रोड पर 35 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। संक्षेप में यह तय हुआ कि एक माह में चारों स्थलों का चयन एवं अधिग्रहण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर कार्य प्रारम्भ हो जाये। इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ, लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण/नगर निगम, लखनऊ को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु परगना तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम-बिन्दौवा की खसरा संख्या-281 क्षेत्रफल 10.699 हेक्टेयर जो अभिलेखों में ऊसर दर्ज है एवं ग्राम-हबुआपुर की खसरा संख्या-96 रकबा 0.809हे0, 101 रकबा 0.797, 102ख रकबा 4.509हे0, 103ग रकबा 4.275हे0 एवं 104 रकबा 1.161हे0 कुल 5 किता कुल क्षेत्रफल 11.551हेक्टेयर सीलिंग भूमि तथा तहसील बक्शी का तालाब के अन्तर्गत अन्तर्गत ग्राम-रसूलपुर कायस्थ की 29.034हे0 व ग्राम-अचरामऊ की 92.672हे0 भूमि जिसकी सूची साथ में संलग्न है, इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त पायी गयी है।

उपरोक्त भूमियों के म्यूनिसपिल सालिड वेस्ट योजना के अन्तर्गत अपशिष्ट भरण

क्रमशः पेज ... 2 ...' पर

Oath Commissioner LUCKNOW

1510 ~~1915~~ 56

(2)

स्थल हेतु नगर निगम, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त वर्णित भूमियों को यथाशीघ्र नगर निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

ANNEXURE NO. A-7

1511 ~~1410~~ 57

पत्रांक: मेमो/AC/09

दिनांक: 04/01/09

सेवा में,

~~विशेष सचिव~~
नगर विकास अनुभाग-5
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय:- रिट याचिका संख्या-4536/MB/03 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ०प्र० शासन व अन्य में दिनांक 16/10/08 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 8/02(1)/9-5-2006 -4 रिट/07 दिनांक 02/11/09 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेत हरदोई रोड पर ग्राम - सलेमपुर पतौरा, सिकरौरी, दशहरी व रायपुर में भूमि अधिग्रहण के सन्दर्भ में अद्यतन स्थिति के संबन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि

4/1/09
(एस० के० त्रिपाठी)
सहायक अभियन्ता
(अर्जन)
ल० वि० प्राधिकरण

1512 ~~1411~~ 58

**सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु हरदोई रोड पर ग्राम सलेमपुर पतौरा,सिकरोरी,दशहरी व रायपुर में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में संक्षिप्ट टिप्पणी।**

---

**1. प्रस्तावित योजना में सम्मिलित भूमि**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कृषि भूमि | 35.406 हे0 |
| 2. | ग्राम समाज | 3.267 हे0 |
| | **कुल** | **38.672 हे0** |

हरदोई रोड लाईन के पास 38.672 हे0 भूमि का चयन लैंड फिल साईट हेतु किया गया जिसमें 33.405 हे0 कृषि भूमि व 3.270 हे0 भूमि ग्राम समाज की स्थित है, जिसमें 33.405 हे0 कृषक भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके धारा 4/17 की सूचना प्रकाशित हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया।

**2.** धारा 4 के प्रकाशन हेतु प्रेषित धनराशि (10 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर व 10 प्रतिशत अर्जन व्यय सहित) धनराशि प्रेषित की जा चुकी है — रू0 1,74,71,086.00

**3.** धारा 4(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन — दिनांक 21.10.08

**4.** धारा 6 के प्रकाशन हेतु प्रेषित धनराशि (70 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर) — रू0 6,11,48,802.00

पुर्नवास नीति के अर्न्तगत देय धनराशि धनराशि प्रेषित की जानी है। — रू0 1,37,78,940.00

नोट:- धारा-6 की विज्ञप्ति का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है।

(S.K. Tripathi)
AE - Anjan
LDA

23

board prastav

1513 (1492) 59
ANNEXURE NO A-8

3

# नगर निगम लखनऊ

**प्रेषक,**
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः- D-610/AMC-A/08
दिनांकः- 12-11-2008

**सेवा में,**
मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
लखनऊ परिक्षेत्र
लखनऊ।

**नत्थी.**

**—: विषय :—**
रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. डम्पिंग ऑन द गोमती रिवर बैंक नियर गॉधी सेतु लखनऊ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2008 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, नेहरू मार्ग, नागपुर, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 14.10.2008 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। गॉधी सेतु के पास डम्प सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की गयी है उसे नीरी द्वारा सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराये जाने के निर्देश मा. उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में दिये गये है।

इस क्रम में नगर निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नीरी के निर्देशो के अनुसार अपना अभिमत अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे।

12/11/08
(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

Oath Commissioner LUCKNOW

1514 ~~1423~~ 60

# नगर निगम लखनऊ

**प्रेषक,**

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः- D-612/Amc/A/08
दिनांकः- 12-11-2008

**सेवा में,**

मुख्य अभियन्ता
सिंचाई विभाग
लखनऊ परिक्षेत्र
लखनऊ।

नत्थी.

**—: विषय :—**

रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. डम्पिंग ऑन द गोमती रिवर बैंक नियर गॉधी सेतु लखनऊ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2008 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, नेहरू मार्ग, नागपुर, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 14.10.2008 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। गॉधी सेतु के पास डम्प सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की गयी है उसे नीरी द्वारा सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराये जाने के निर्देश मा. उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में दिये गये है।

इस क्रम में नगर निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नीरी के निर्देशो के अनुसार अपना अभिमत अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे।

12/11/08

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

9L

Commissioner LUCKNOW

ISIS ~~1421~~ 41

2

# नगर निगम लखनऊ

**प्रेषक,**

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः- D-611/AMC-Alok.
दिनांकः- 12-11-2008

**सेवा में,**

मुख्य अभियन्ता
जल निगम
लखनऊ परिक्षेत्र
लखनऊ।

नत्थी.

**—: विषय :—**

रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. डम्पिंग ऑन द गोमती रिवर बैंक नियर गॉधी सेतु लखनऊ के संबंध में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2008 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट, नेहरू मार्ग, नागपुर, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 14.10.2008 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। गॉधी सेतु के पास डम्प सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की गयी है उसे नीरी द्वारा सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराये जाने के निर्देश मा. उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में दिये गये है।

इस क्रम में नगर निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों एवं नीरी के निर्देशो के अनुसार अपना अभिमत अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे।

12/11/08

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

Oath Commissioner LUCKNOW

1516 (194) 62

1a

**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**

{ phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
**Dr. A.N. Vaidya** **Tele** { fax : 0712-2249752
Assistant Director { gram : NEERI, Nagpur-20
Solid Waste Management Unit { email : an_vaidya@neeri.res.in

SWMU/HQ/2008
October 14, 2008

**Fax No. 0522-2622440**

To,

Municipal Commissioner,
Lucknow Nagar Nigam,
**Lucknow**

**Subject: MSW dumping on the Gomati river bank near Gandhi Setu, Lucknow**

Sir,

This has reference to your letter No.31 /अ/अ.नि/08 dated September 19, 2008 and which was received in this office on September 30, 2008. The said letter is accompanied by the following documents.

1. Proposal for park and retaining wall(Bandha) at site of M.S.W. dumping on the Gomati river bed near Gandhi setu, Lucknow
2. Statement of Directives from Hon'ble High Court for Writ Petition No. 4436(MB) of 2005
3. Comments on the above proposal by Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)

After the preliminary examination of these documents following comments are offered.

- Retaining wall has been suggested in both the options delineated in NEERI's report to protect ground water contamination and river water contamination. This is duly considered in the proposal. However design and construction of the retaining wall must be examined in the context of hydro-geological data, ground water gradient, and topography of the area. This information is not included explicitly in the proposal. However, these designs should be vetted by competent agencies like State Public Works Department, State Irrigation Department, or Jal Nigam, which are actively involved in such activities.

(1) of (2)

Oath Commissioner LUCKNOW

1517 1726 63

1b



- The Closure of the dumping site should necessarily follow MSW 2000 rules as referred in the proposal and the comments offered by UPPCB in this regard should also be considered.

- As regards the site selection for the Sanitary Landfill site, it is suggested that the concerned authorities should identify few sites, considering all necessary statutory requirements. NEERI will assist in finalizing the site selection on the basis of environmental impacts. The budget requirements for NEERI for conducting such studies could be finalized at a later date.

With regards,

Yours faithfully,

ANVaidya 14/10/08

(A.N.Vaidya)

(2) of (2)

Oath Commissioner LUCKNOW

1518 ~~1427~~ 64

802-N.A.C
5-12-08

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक 115 रोज में

सी0जेड0ई0/838सी0जेड0ई0(कोर्ट)-244/08 दिनांक: 24/11/08

2183/G/Amc/A/08
26/11

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

1566/G
विषय
2-12-08

रिट याचिका सं0-4436(एम0बी0)/03 में पारित आदेश दि0 28-08-08 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक-डी0-610/ए0एम0सी0-ए0/08 दि0 12-11-08

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सन्दर्भगत पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, नेशनल इन्वोयरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इस्टीट्यूट नेहरू मार्ग, नागपुर महाराष्ट्र का पत्र दि0 14-10-08 की छायाप्रति अन्य अभिलेखों सहित प्रेषित कर इस प्रकरण में अभिमत उपलब्ध कराने की आपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एम0एस0डब्लू0 डाम्पिंग ऑन द. गोमती रिवर बैंक निकट गाँधी सेतु का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किए गए हैं कि नेशनल इन्वायरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्टीट्यूट, नागपुर से प्रकरण प्रेषित कर दिशा निर्देश प्राप्त कर तदनुसार ड़मप सालिड वेस्ट का निस्तारण किया जाएं।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 28-08-08 का समादर करते हुए जो कार्य योजना आपके पत्र सं0-31नी0/म0/आ0 दि0 19-09-08 द्वारा नेशनल इन्वायरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट नागपुर को भेजी गई थी, उस के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि डिजाइन एवं रिटेनिंगवाल निर्माण Hydro-geological Data, ground water gradient एवं Topography of the area के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। यह डिजाइन सक्षम विभाग जो इस कार्य में से अर्न्तग्रस्त है, उनके द्वारा परीक्षित होना चाहिए।

1872
24/11

उल्लेखनीय है कि लो0नि0वि0, Hydro-geological Data, ground water gradient एवं Topography of the area के आंकडे नहीं रखता है और नहीं इनसे सम्बन्धित कार्य कराता है, इस कारण उनके आधार पर रिटेनिंग दीवार का निर्माण एवं उसकी डिजाइन का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। इस हेतु जो विभाग सक्षम हो उससे उक्त का परीक्षण कराके प्रकरण नौरी को भिजवाएं।

VN
① CE
② E.E. 2
③ S.E.
27/11

अपर नगर आयुक्त

मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ

Oath Commissioner (LUCKNOW)

1519 ~~425~~ 45

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

3400/C
01-12-08

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

पत्रांक- 5573 /लखशान/ दिनांक- 28.11.2008

विषय :- रिट याचिका 4436/एस0बी0/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0एस0डब्लू0 डम्पिंग आन द गोमती रिवर बैंक नियर गांधी सेतु लखनऊ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 28.08.2008 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- 1- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ का पत्रांक वाद 1389/सप्तम दिनांक 28.11.200
2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (शा0सहा0) का पत्रांक 17804 दिनांक 22.11.2008
3- अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ का पत्र संख्या-डी-612/एएमसी-ए/08 दिनांक 12.11.2008

महोदय,

संदर्भित पत्र कमांक-1 द्वारा आपके संदर्भित पत्र कमांक-3 पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय से नगर निगम द्वारा विषयगत हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव पर अभिमत प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। अभिमत निम्नानुसार है।

नगर निगम लखनऊ द्वारा गांधी सेतु के निकट गोमती नदी के बेड में जिस सथल पर पूर्व में कूड़ा डाला गया था, एवं अब उसपर पार्कनिर्माण एवं रिटेनिंग वाल बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है वह भाग शासन द्वारा आदेशित भूमि रिक्लेम भाग का हिस्सा है। शासन के निर्देशानुसार इस स्थान पर 21 एकड़ भूमि रिक्लेम किये जाने के लिए तटबन्ध बनाये जाने की वांछना उच्च स्तर से की गई थी। तद्नुसार परियोजना प्रस्ताव बनाकर सक्षम समितियों से स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार के जलसंसाधन मंत्रालय के गमा बाढ़ नियंत्रण परिषद पटना से स्वीकृति प्राप्त हुई की गयी थी। वर्तमान में तटबन्ध निर्माण परियोनजा का निर्माण कार्य तीव्रता के साथ प्रगति में है।

(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक- /लखशान/दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखिंत को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (शारदा सहायक), गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
2- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।

(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

ANNEXURE NO. A-9

1520 1429 66

फैक्स / समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 3982 / आठ–1–08–17विविध / 03टीसी–1

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
वृहत्तर नवीन ओखला औद्योगिक
विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
8. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि.लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊः दिनांक 01 जुलाई 2008

विषयः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के कियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में तीव्र नगरीकरण एवं उपलब्ध जल श्रोतों के अत्यधिक / अनियमित दोहन के परिणामस्वरूप निरन्तर गिरते भू–जल स्तर में सुधार लाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 3671 / 9–आ–1–17विविधि / 03 (आ.ब.) दिनांक 19.06.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि "भू–जल संशाधनों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन की दृष्टि से 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ–टाप हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया जाए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य योजना को एक अभियान के रूप में कियान्वित करते हुए इस कार्यक्रम का व्यांपक प्रचार–प्रसार भी किया जाय"।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 19.06.03 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अब तक हुई प्रतीत नहीं होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम को और अधिक गम्भीरता से लिये जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में यह आवश्यक है कि सभी कार्यदायी / रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाए तथा व्यापक अभियान चलाकर उक्त कार्यक्रम को कठोरता से लागू किया जाए।

3. इस सम्बन्ध में निर्गत किए गए शासनादेश संख्या यू.ओ. 35 / आठ–1–05, दिनांक 25.04.06 के प्रस्तर–3.6 के उप प्रस्तर–ख में 200 वर्ग मीटर एवं उससे कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रतिबन्ध को अवकमित करते हुए 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर होने वाले सभी प्रकार के निर्माणों पर उक्त व्यवस्था लागू रहेगी।

4. इसी क्रम में आपका ध्यान उक्त शासनादेश दिनांक 25.04.2006 में किए गये इस प्राविधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 20 एकड़ से अधिक की



योजनाओं के ले–आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना के क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भ–ूजल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी जलाशय बनाया जाए एवं पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज सैफ्ट बनाया जाए। उक्त प्राविधान का कियान्वयन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

5. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये:–

(1) 300 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित भवनों के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जाय।

(क) शासनादेश दिनांक 19.06.03 के पश्चात निर्मित भवनों का चिन्हीकरण किया जाय।

(ख) भवन स्वामियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था एक नियत समयावधि में सुनिश्चित करने हेतु नोटिस दी जाय और यह बाध्यकारी बनाया जाए कि वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के उपरान्त प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट करेंगें। अनुपालन आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्राधिकरण स्तर से पुनरीक्षित कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत की जाएगी।

(ग) शासनादेश दिनांक 19.06.03 के निर्गत होने की तिथि से 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ–टाफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(2) निजी निर्माताओं अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग की कालोनियों तथा बहुमंजिली आवासीय इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/निर्माता का होगा।

(3) समस्त सरकारी व अर्द्धसरकारी भवनों में रूफ–टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/प्राधिकरण/ अभिकरण/निगम का होगा।

6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम की प्रगति का सत्यापन शासन स्तर पर गठित टीम द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण करके भी किया जायेगा तथा इससे शासकीय निर्देशों के विपरीत कोई अनियमितता व शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित भवन स्वामी/निजी विकासकर्ता/सहकारी आवास समितियों/शासकीय अभिकरणों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित तकनीकी डिजाइन आदि की विस्तृत जानकारी आवास बन्धु की वेबसाइट www.awas.up.nic.in तथा भू–गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.gwd.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त समस्त कार्यवाहियां समयबद्ध, चरणबद्ध रूप में अभियान चलाकर अधिकतम 02 माह के अन्दर पूर्ण की जाएंगी। इसी अभियान की पाक्षिक समीक्षा की जाए एवं इसकी विस्तृत रिपोर्ट आवास विभाग सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को भेजी जाए। दो माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त समस्त विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों/निगमों के विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को इस आशय का लिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत

Oath Commissioner LUCKNOW

1522 (1431) 68

करना होगा कि उनकी अधिकारिता में स्थित सभी भवनों/कार्यालय/कालोनियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था से संतृप्त कर दिया गया है।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या :3982(1)/आठ-1-08, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रतियां समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरमिन्दर राज सिंह)
प्रमुख सचिव।

AVAS-1//GO-15



1523

ANNEXURE NO A-10

(1932) 69

[illegible]

संख्या- 5446 /8-3-08-181विविध/2008

प्रेषक,

एच.पी. सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 नवम्बर, 2008

विषयः-भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रारूप का शासन द्वारा अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत उक्त उपविधि पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया इस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें। स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार अपेक्षित हों तो कृपया बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि शासन स्तर से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया जा सके। उक्त उपविधि का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाए ताकि जन-साधारण को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या (1)/8-3-2008-181विविध/208 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 की एक प्रति संलग्न करते हुए आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त उपविधि पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2- आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बंधित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 की प्रतियां कराकर उन्हें उपलब्ध करा दी जाएं।

3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

(एच.पी.सिंह)
अनुसचिव।

Shukla G.O.-08(119)

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1524

संख्याः 12 /8-3-2008

प्रेषक,

**एच. पी. सिंह,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**विशेष सचिव,**
नगर विकास अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 05 जनवरी, 2009

**विषयः रिट याचिका संख्याः4436/एम.बी./03 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उ. प्र. शासन व अन्य में दिनांकः 16.10.2008 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 8102(1)/9-5-2006-4 रिट/07 दिनांक 2.1.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 01 जुलाई 2008 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर किसी भी प्रकार के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति उक्त व्यवस्था के उपरान्त ही दी जाएगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ. प्र. शासन द्वारा प्रदेश के नगरों हेतु विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 का प्रारूप तैयार कर समस्त विकास प्राधिकरणों को शासन के पत्र संख्याः 5416/8-3-08-181विविध/2008 दिनांक 14.11.2008 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस आशय से प्रेषित किया गया है कि स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार आपेक्षित हो तो उस प्रस्ताव के साथ प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। उक्त भवन उपविधि में भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों को शामिल किया गया है।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरणों में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 लागू करने के निदेश जारी कर दिए गए हैं। अतः उक्त भवन उपविधियॉ प्राधिकरणों द्वारा नियमानुसार अंगीकृत कर ली जाएंगी।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

**(एच. पी. सिंह)**
अनुसचिव

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1525 1434

i"B 9@124

(ख) समस्त विद्यमान संरचनाओं और 'फीचर्स' की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन/बिजली के खम्भे, अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन, आदि जो स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हों, दर्शाई जाएंगी।

(ग) भूखण्ड की समस्त मुख्य भौतिक विशेषताएं जिनके अन्तर्गत किसी जलाशय की स्थिति और लगभग आकार, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और स्थल का ढाल (1:20 से अधिक होने पर 0.3 मीटर के अन्तराल पर समोच्च रेखाएं (कन्टूर) सहित) दर्शाई जाएंगी।

(घ) महायोजना/जोनल प्लान में स्थल की स्थिति।

(ड.) प्रयुक्त पैमाना और उत्तर दिशा-सूचक।

**2.1.2.5 उप-विभाजन तलपट मानचित्र**

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे:-

(I) पैमाना तथा उत्तर दिशा-सूचक।

(II) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।

(III) भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा 'रो-हाउसिंग', 'सेमी-डिटेच्ड' अथवा डिटेच्ड।

(IV) सर्विसेज़ प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वास्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।

(V) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।

(VI) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन में प्रस्तावित हो), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।

(VII) निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त ;प्द्ध से ;टप्द्ध तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएगी।

(VIII) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।

(IX) [redacted] के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे:-

(क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/हाइड्रोलॉजीकल /हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

Oath Commissioner LUCKNOW Civil

1526 1425 72

i'"B 10@124

(ख) 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजीकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व ''स्टेगनेशन' का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाय और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस-रन-आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

(ग) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दशा में किया जाए।

(घ) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परिमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

(ङ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधो का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।

(च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/ भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।

(छ) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित येाजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

Commissioner LUCKNOW Secretariat

ANNEXURE NO. A-11

पत्रांक: मेमो/TP/09 ~~1436~~ 73

दिनांक: 04/01/09

1527

सेवा में,

विशेष सचिव
नगर विकास अनभाग-5
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय:- रिट याचिका संख्या-4436/MB/03 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ० प्र० शासन व अन्य में दिनांक 16/10/08 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8102(1)9-5-2006-4 रि/07 दिनांक 02/1/09 के संदर्भ में अवगत कराना है कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 का प्रारूप शासन द्वारा प्राधिकरण को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया है कि बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्राप्त कर शासन को प्रेषित करे। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु व्यवस्था का प्रविधान विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है जिसकी छायाप्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न संदर्भ हेतु प्रस्तुत है।

भवन निर्माण विकास उपविधि-2008 का प्रारूप लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा परिक्षण कर लगभग 22 बिन्दुओं पर संशोधन करने हेतु अपने मत के साथ भवनउपविधि-2008 स्वीकृतार्थ प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24/12/08 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 22 बिन्दुओं पर उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित कर उनके द्वारा परिक्षण कर संस्तुति के साथ शासन को भेजकर वहाँ से स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में समायोजन कर बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

संलग्न: यथोपरि

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

6/1/09
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)

4/1/09
(जे० एन० रेड्डी)
नगर नियोजन

1520 ~~1497~~ 746

**IN THE HON'BLE HIGH CUORT OF JUDICATURE AT**

**ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

In Re :
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

**SEWAGE TREATMENT PLANT** .....Petitioner

VERSUS

**STATE OF U.P. & OTHERS** .....Opposite party

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.10.2008 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, **D.K. SHARMA**, aged about 56 years, son of Late Sri D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as one of the opposite party, as such he is well conversant with the facts deposed to hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 16.10.2008 whereby the this Hon'ble Court was pleased to pass the following order :-

"Learned Counsel for the parties say that one month time be granted to them for selecting the site and for the Pollution Board to give its report/recommendation. This

1529 ~~1498~~ 75

accordingly be done within a period of one month The report/recommendation shall be forwarded to NEERI thereafter forthwith , which shall submit its report expeditiously say within maximum period of one month from the date of receipt of report/recommendation.

Let the matter be listed on 7th January, 2009 at 3.00 p.m. In the meantime, the respondents and particularly the State Government shall file necessary affidavit of compliance if at all required with regard to earlier orders."

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 16.10.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Lucknow Jal Sansthan, Lucknow in compliance of the same, thereby mentioning the details of work undertaken by the authorities under the JNNURM Scheme.

4. That it is submitted that so far as the installation of 61, Tubewells are concerned which are to be completed under the JNNURM Scheme, in which work of installation of 40 Tubewells is also included , out of the same work of 34 Tubewells has been commissioned and work of remaining 6 Tubewells are in progress where water supply system is available and the work would be completed expeditiously. The chart has been prepared in this regard by U.P. Jal Nigam. A Photocopy of the said chart is being filed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1530 ~~1925~~ 76

5. That so far as installation of 21 Tubewells is concerned, the work has been completed on 4 Tubewells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of Tubewells it will take sometime and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 14 Tubewells are under progress. A Photocopy of the chart in respect of installation of 21 Tubewells is already being annexed as **Annexure No.1** to this affidavit.

6. That it is submitted that so far as re-boring of 43 Tubewells is concerned the work has been completed on 41 Tubewells whereas the work is in progress on 2 Tubewells. A Photocopy of the progress chart in respect of re-boring of 43 Tubewells is already being annexed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

7. That it is submitted that target of installation of 409 new handpumps and re-boring /special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (Urban) 2007-08. Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring/special repair of 670 handpumps has been completed in additional to this installation of all 1230 New India Mark –II handpump and re-boring/special repair of 153 handpump has been done against the target of 2008-09. A Photocopy of progress chart in details, including new installed hand pumps is already being annexed as **Annexure No.1** to this affidavit.

1531 (1440) 77

8. That it is further submitted that in addition to JNNURM U.P. Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) Programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of Tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 Tube Wells have been completed and the work for 2 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells, all the 39 tube wells has been rebored. A photocopy of progress chart is this respect is already being annexed as **Annexure No. 1** to this affidavit.

9. That it is also submitted that the work for finalization of tender for establishment of 3rd Water Works has been completed and the date of start has been givn to the Firm. The work of clarifoculator, Zonal Underground Water Storage Tanks, Administrative Building and Central CWR are in progress. Besides this laying of feeder main is also in progress. As per approved estimate the work is to be completed by 2010 efforts, will be made to complete the work well before time.

10. That the sewerage scheme of District-I cover approximately 337 KM of sewer Laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 125.00 Km. of sewer line has been laid. The work of construction of sewage pumping station and ST has been started and in progress. An expenditure of Rs. 55.80 Crore

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1532 (1911) 78

has been made upto 28.02.2009 against release of Rs. 75.622 Crore (Rs. 15.00 Crore on 19.03.2008 and Rs. 15.00 Crore on 22.04.2008, Rs. 13.037 Crore on 06.10.2008 and Rs. 5.34 Crore on 05.12.2008 and Rs. 7.48 Crore on 16.02.2009 and Rs.19.772 Crore on 18.03.2009). A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **Annexure No.2** to this affidavit.

11. That it is further pertinent to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has filed its compliance affidavit in light of each and ever order passed by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

12. That from the narration made herein above it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 16.10.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

**Lucknow**

**Dated : 26.03.2009**

**Deponent**

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 12 of this affidavit are true to my

1533 (1442) 79

personal knowledge. No Part of it is false and nothing material has been concealed.

Signed and verified on this 26th day of March 2009 at Lucknow.

**Deponent**

I identify the deponent who is personally known and has signed before me.

**Advocate**

Solemnly affirmed before me on at 11-55 am/pm on 26/3/09 by **D.K. SHARMA** has been identified by **Sri Namit Sharma**, Advocate, High Court, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

**(OATH COMMISSIONER)**

Shailendra Kumar.
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 26/3/09 Copy No. 10684

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 of 2009 (M/B)

Bhuvaneshwar Tocahner Ram .....Petitioners
VERSUS
State of U.P. & Others .....Opposite Parties
Annexure No. 1

1534

संलग्नक नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण :

| क्र. सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 16.10.08 तक प्रगति | दि. 16.10.08 से दि. 15.04.09 तक प्रगति | दि. 15.04.09 तक कुल प्रगति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों में) | 40 नग | 28 नग चालू, 9 नग प्रगति पर। | 6 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | 34 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 3 नग चालू, 13 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू, 12 प्रगति पर। | 4 नग चालू, 13 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | | 1 नग प्रगति पर। | 1 नग प्रगति पर। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 25 नग चालू, 11 नग प्रगति पर। | 16 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | 41 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 36.00 कि.मी. | 50.80 कि0मी0 | 86.80 कि.मी. | |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 31 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू तथा 20 का कार्य प्रगति पर। | 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं19 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 38 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 19 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | | 409 नग | |
| | वर्ष 2008 09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | | 1230 नग | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 | | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | | 153 नग | 153 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू। | दो नलकूपों का कार्य प्रगति पर। | 3 नग चालू तथा 2 नग प्रगति पर। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 89 नग | 89 नग | | 89 नग। | |

परियोजना प्रबन्धक
पेय जल (ग्रामीण)

परियोजना प्रबन्धक (पेय जल)

1535

1444

81

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई तृतीय(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

दिनांक 15.03.2009 तक की प्रगति

के एफ डब्लू आर एप. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण.

कुल 40 नग नये नलकूपों

प्रगति 34 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)

| नलकूपों का नाम और क्षमता स्थान सी. प्रति मिनट | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चार्ज करने की संशोधित तिथि पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि. /स.उपलब्ध होने की स्थिति में ) | | जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि | जल वृद्धि एम. एल.डी में | वर्तमान की प्रगति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सम्भावित | वास्तविक | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| सेक्टर-एल जोन-3 1000 सी.पी.एम.) | 1.1.07 | | 5.5.08 | 16.5.08 | 1.5 | | |
| सेक्टर-ई ब्लाक, जोन-5 1000 सी.पी.एम.) | 15.12.07 | | 1.5.08 | 17.5.08 | 1.00 | | 16.1.09 |
| सेक्टर मलड, जोन-5 1000 सी.पी.एम.) | 5.3.08 | | 12.5.08 | 17.5.08 | 1.00 | | 17.1.09 |
| सेक्टर सी.डी. जोन-3 1000 सी.पी.एम.) | 17.3.08 | | 7.5.08 | 17.5.08 | 1.00 | | 5.12.08 |
| अलकापुरी कालोनी जोन-1 1000 सी.पी.एम. | 18.3.08 | | 18.5.08 | 18.5.08 | 1.00 | | 16.12.08 |
| जोन-3 1000 सी.पी.एम. | 30.3.08 | | 8.5.08 | 31.5.08 | 1.00 | | |
| सेक्टर-एल जोन-3 1000 सी.पी.एम. | 17.3.08 | | 3.5.08 | 7.6.08 | 1.00 | | 2.2.09 |
| सेक्टर-9 1000 सी.पी.एम. | 19.4.08 | | 19.5.08 | 11.6.08 | 1.00 | | 1.1.09 |
| सेक्टर-एल जोन-3 1000 सी.पी.एम. | 29.4.08 | | 21.5.08 | 20.6.08 | 1.00 | | 18.12.08 |
| सेक्टर-एल जोन-3 1000 सी.पी.एम. ) | 13.4.08 | | 2.6.08 | 17.6.08 | 1.00 | | 19.1.09 |
| जोन-4 1000 सी.पी.एम. ) | 11.4.08 | | 10.5.08 | 17.6.08 | 1.00 | | |
| सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3 1000 सी.पी.एम.) | 13.4.08 | | 29.5.08 | 18.6.08 | 1.00 | | 15.1.09 |
| सेक्टर-ई- बलरामपुर कालोनी जोन-3 1000 सी.पी.एम. | 9.5.08 | | 7.6.08 | 18.6.08 | 1.00 | | 1.1.09 |
| जोन-1 1000 सी.पी.एम. ) | 15.4.08 | | 16.6.08 | 22.6.08 | 1.00 | | 16.1.01 |
| सेक्टर मलड, जोन-5 1000 सी.पी.एम. | 24.3.08 | | 15.6.08 | 28.6.08 | 1.00 | | 17.1.09 |
| सेक्टर-सी-1 जोन-4 1000 सी.पी.एम. ) | 21.4.08 | | 26.6.08 | 4.7.08 | 1.00 | | |
| सेक्टर मलड, इन्दिरानगर, जोन-1 1000 सी.पी.एम. ) | 11.4.08 | | 30.6.08 | 4.7.08 | 1.00 | | |
| सेक्टर मलड ई- ब्लाक जोन-5 1000 सी.पी.एम. ) | 15.3.08 | | 16.6.08 | 8.7.08 | 1.00 | | |
| सेक्टर मलड निशातगंज जोन-2 1000 सी.पी.एम. ) | 5.5.08 | | 15.6.08 | 10.7.08 | 1.00 | | 15.2.09 |
| सेक्टर कालोनी, रहीम नगरजोन-3 1000 सी.पी.एम. ) | 20.5.08 | | 15.6.08 | 11.7.08 | 1.00 | | 1.1.09 |

COMMISSIONER FOR OATHS

1536

(9) 1445/82

| क्र. | नलकूपों का नाम | कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक | नलकूप चालू करने की संभावित तिथि जब ग्रह का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है | | जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि | जल वृद्धि एम. एल डी में | वर्तमान की प्रगति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सम्भावित | संशोधित | | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | [illegible] जिम खण्ड, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 5.5.08 | | 20.6.08 | 18.7.08 | 1.00 | | |
| | सेक्टर प्लाट -4 गोमती नगर जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.) | 15.4.08 | | 1.6.08 | 30.7.08 | 1.00 | | [illegible] |
| | [illegible] डी.ए. योजना अलम्बाग, जोन -4 (1000 ली.प्र.मि.) | 29.4.08 | | 1.7.08 | 11.8.08 | 1.00 | | |
| 14 | अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6 (1000 ली.प्र.मि.) | 29.4.08 | | 11.8.08 | 14.8.08 | 1.00 | | [illegible] 9.12.08 |
| | [illegible] जोन-6 (800ली.प्र.मि.) | 13.4.08 | | 11.8.08 | 2.9.08 | 0.80 | | [illegible] 9.12.08 |
| 16 | [illegible] सेक्टर-सी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 9.5.08 | | 17.6.08 | 6.9.08 | 1.00 | | [illegible] |
| | [illegible] नगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 8.5.08 | | 8.7.08 | 26.9.08 | 1.00 | | |
| | [illegible] मार्केट नगरी, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.) | 9.5.08 | | 26.6.08 | 9.10.08 | 1.00 | | [illegible] 15.12.08 |
| | [illegible] पार्क, अलन्दनगर, (पी. [illegible] ई. [illegible]) जोन-4 | 8.5.08 | | 7.7.08 | 18.8.08 | 1.00 | | |
| | [illegible] [illegible] लखनीनगर, जोन-5 | 6.6.08 | | 8.10.08 | 26.11.08 | 1.00 | | |
| | [illegible] [illegible] नलकूप, जोन-2 | 30.8.08 | | 25.12.08 | 11.1.09 | 1.00 | | [illegible] |
| | [illegible] खण्ड-1, गोमतीनगर जोन-5 | 6.6.08 | | 15.11.08 | 18.12.08 | 1.00 | | |
| | [illegible] पुर, जोन-6 | 1.7.08 | | 22.2.09 | 25.2.09 | 1.00 | | [illegible] 27.2.09 |
| | [illegible] [illegible] सेक्टर-9 इंदिरा [illegible] जोन-5 | 20.5.08 | | 25.12.08 | 11.3.09 | 1.00 | | |
| | [illegible] सेक्टर-14, जोन-5 | 5.5.08 | | 7.3.09 | | | पूर्ण होने की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] [illegible] की [illegible] जोन-6 | 30.5.08 | 31.03.09 | | | | | |
| | [illegible] नगर नरही रोड, जोन-1 | 10.6.08 | 31.03.09 | | | | | |
| | [illegible] [illegible], जोन-2 | 19.5.08 | 31.03.09 | | | | | |
| | [illegible] पालिका, जोन-2 | 5.7.18 | 31.03.09 | | | | [illegible] | |
| | [illegible] पुरा, आलमनगर जोन-6 | 30.5.08 | 31.03.09 | | | | [illegible] | |

[illegible] नलकूपों की संख्या - 34 नग, जलावृद्धि - 34.3 एम.एल.डी.
[illegible] नलकूपों की संख्या - 6 नग

परियोजना प्रबन्धक

[illegible] COMMISSIONER FOR OATHS

1537

10

दिनांक 15.03.2009 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

कुल - 21नग नये नलकूप 1नग रिबोर उपलब्धि - 4 नग नये नलकूप

| नलकूपों का नाम आवद लीटर प्रति मिनट | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की सम्भावित तिथि (पम्प हाउस का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में) | | जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सम्भावित | वास्तविक | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **लिवटी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3** | | | | | | | |
| कुर्मान्चल नगर(मानसविहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि. | 10.2.08 | | 8.5.08 | 18.5.08 | 1.00 | हस्तान्तरित 16.1.09 | |
| कुर्मान्चल नगर(लिवटी कालोनी)न.कू | 17.7.08 | | 22.6.08 | 17.7.08 | 1.00 | हस्तान्तरित 16.1.09 | |
| **शिवमगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3** | | | | | | | |
| नलकूप सं -1 1000 ली.प्र.मि. | 10.11.07 | | 8.5.08 | 28.5.08 | 1.00 | | |
| [illegible] (कुमार रोला) | 30.5.08 | | 10.5.08 | 8.11.08 | 1.00 | | |
| | | | | | | पिन प्लावइट उपलब्ध नहीं है। | |
| | | | | | | तदैव | |
| **[illegible] पेय जल योजना :- 3 नलकूप ,जोन-3** | | | | | | | |
| [illegible] कालोनी | 15.3.08 | | 20.5.08 | | - | पम्प मेन लाइन | |
| [illegible] पार्क | 30.4.08 | | 21.6.08 | | - | नदेय | |
| [illegible] | 28.4.08 | | 21.6.08 | | | नदेय | |
| **[illegible] एनगाईन पेयजल योजना :- 6 नलकूप नये , 1 नलकूप रिबोर, जोन-2** | | | | | | | |
| [illegible] पिन के पास, | 30.4.08 | 31.3.09 | | | | पम्प प्लान्ट लेवल | |
| [illegible] नलकूप | 21.5.08 | 31.3.09 | | | | जी.पी.यू. से विद्युत कार्य पूर्ण | |
| इन्दिरानगर सांस्कृतिक रिबोर नलकूप | 4.11.18 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| इन्दिरा नगर निगम स्टोर | 3.8.08 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| रेलवे लाइन के पास | 1.9.08 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| 15 | | | | | | पिन प्लावइट उपलब्ध नहीं है। | |
| | | | | | | नदेय | |
| **[illegible] डार्र पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4** | | | | | | | |
| [illegible] | 18.6.08 | 31.3.09 | | | | जी.पी.यू. से विद्युत पूर्ण | |
| [illegible] नलकूप संख्या-1(लोना खेड़ा) | 3.5.08 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| [illegible] संख्या-3(इन्दिरा विहार पार्क) | 17.5.08 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| [illegible] संख्या-3(नीम स्कूल के | 30.5.08 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| [illegible] कालोनी पार्क | 18.6.08 | 31.3.09 | | | | नदेय | |
| नलकूप संख्या-2(इन्दिरा बाना पार्क) | 13.5.08 | 31.3.09 | | | | केन्द्रसर से विद्युत कार्य सिविल कार्य प्रारम्भ होने के कारण नहीं हो पा रहा है। | |

- कुल प्रस्तावित नये नलकूपों की संख्या - 21 नग
- [illegible] नलकूपों की संख्या - 1 नग , जनपथ [illegible]
- [illegible] नये नलकूपों की संख्या - 13 नग
- [illegible] नलकूपों की संख्या जिनके पिन प्लाइट उपलब्ध नहीं है। - 4 नग
- [illegible] नलकूप की संख्या - 1 नग (गढ़ी कनौरा के योजनान्तर्गत)

परियोजना प्रबन्धक

1538

दिनांक 15.03.2009 तक की प्रगति

[illegible] एम.एल.डी. अर्बन एम के अन्तर्गत 43 नग डी-वाटर नलकूपों का निर्माण कार्य:-

लक्ष्य- 43 नग डीप नलकूप

उपलब्धि - 41 नग

| नलकूपों का नाम | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि | | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वास्तविक | सम्भावित | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [illegible] जोन-1 | 1.3.08 | 29.4.08 | | 1.00 | [illegible] |
| [illegible] सेक्टर-डी, जोन-3 | 6.4.08 | 15.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-1 | 20.3.08 | 13.5.08 | | 0.60 | [illegible] |
| [illegible] जोन-1 | 17.4.08 | 30.5.08 | | 1.00 | [illegible] |
| [illegible] के निकट जोन-3 | 10.5.08 | [illegible]8 | | 1.00 | [illegible] |
| [illegible] कुरमी, न-कसार, जोन-5 | 28.5.08 | 23.6.08 | | 1.00 | [illegible] |
| [illegible] नलकूप जोन | 20.5.08 | 28.7.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] मंदिर गणेश गंज जोन-1 | 25.5.08 | 12.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] गोलतोलगंज जोन-5 | 5.5.08 | 13.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] नलकूप जोन-3 | 28.6.08 | 24.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-1 | 30.6.08 | 26.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] के निकट जोन-3 | 10.4.08 | 23.6.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-3 | 1.6.08 | 30.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-1 | 1.6.08 | 31.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-3 | 24.5.08 | 31.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-1 | 22.7.08 | 30.8.08 | | 1.00 | तदैव |
| शनिश्चर मंदिर, जोन-3 | 6.6.08 | 4.9.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] स.-6 जोन-3 | 6.6.08 | 10.9.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-1 | 17.6.08 | 15.9.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] नगर, जोन-4 | 28.5.08 | 15.9.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] के निकट जोन-5 | 1.8.08 | 18.9.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-4 | 28.5.08 | 3.10.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-3 | 21.6.08 | 30.9.08 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-5 | 3.7.08 | 5.10.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] स.-7 जोन-3 | 10.6.08 | 10.10.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] नगर, जोन-1 | 15.6.08 | 22.10.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-3 | 6.6.08 | 27.10.8 | | 1.00 | तदैव |
| स.-11 गंजारीपुरम जोन-6 | 28.6.08 | 15.10.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] नगर, जोन-4 | 20.7.08 | 15.10.8 | | 1.00 | |
| [illegible] हास्पिटल नलकूप, जोन-3 | 20.8.08 | 27.10.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] नलकूप, जोन-3 | 24.7.08 | 12.11.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] नगर, जोन-4 | 20.8.08 | 11.11.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] जोन-4 | 26.7.08 | 7.11.8 | | 1.00 | तदैव |
| [illegible] स. 54, जोन-5 | 3.5.08 | 15.11.8 | | 1.00 | तदैव |

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

1539 (12) 85

| | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | कार्य पूर्ण होने की तिथि (ड्राइंग मैन पावर द्वारा निर्धारित कार्य एवं वित्त उपलब्ध होने की स्थिति में) | | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | वास्तविक | सम्भावित | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 10.8.05 | 5.12.08 | | 1.00 | प्रतिपूर्ति प्राप्त |
| | 26.7.08 | 22.12.08 | | 1.00 | तदैव |
| | 5.10.08 | 26.12.08 | | 1.00 | तदैव |
| | 30.8.08 | 31.12.08 | | 1.00 | तदैव |
| | 23.6.08 | 11.1.09 | | 1.00 | तदैव |
| | 28.6.08 | 25.1.09 | | 1.00 | तदैव |
| | 11.6.08 | 21.2.09 | | 1.00 | तदैव |
| | 30.8.08 | | 31.03.09 | | ओ.पी.यूनिट से विधायक कार्य पूर्ण |
| | 25.7.08 | | 31.03.09 | | तदैव |

- 43 नग
- 41 नग, जलवृद्धि - 41.00एम.एल.डी.
2 नग

परियोजना प्रबन्धक



1540

(13) ~~1440~~ 86

5.03.2009 तक की प्रगति

...गीर नलकूप निर्माण से संबंधित विवरण

...30 नग

| नलकूपों का नाम | चालू करने की तिथि | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| शासनादेश संख्या-590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं 3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07 | | | |
| ...नगर सेक्टर डी नलकूप | 20.5.06 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा... |
| ...नगर सेक्टर-एफ नलकूप | 14.4.06 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर सेक्टर-जी नलकूप | 15.4.06 | 1.00 | तदैव |
| ...नलकूप | 14.6.06 | 1.00 | तदैव |
| ...गंज नलकूप | 25.6.06 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर सेक्टर-6 नलकूप | 15.6.06 | 1.00 | तदैव |
| ...गंज नलकूप | 1.7.06 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर-7 नलकूप | 11.7.06 | 1.00 | तदैव |
| ...पुरम नलकूप | 30.8.06 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर न.-7 नलकूप | 7.8.06 | 1.00 | तदैव |
| ...नलकूप | 15.10.06 | 0.80 | तदैव |
| ...पार्क नलकूप | 18.12.06 | 0.80 | तदैव |
| द्वितीय वर्ष - 2006-07 में कुल:- | एम.एल.डी | 11.6 | |
| ...नगर सेक्टर-2 नलकूप -1 | 13.6.07 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर नलकूप सं.47 नलकूप | 25.8.07 | 1.00 | तदैव |
| ...सेक्टर-जी नलकूप | 16.9.07 | 1.00 | तदैव |
| ...पार्क नलकूप | 3.2.08 | 1.00 | तदैव |
| ...टूटर ब्रक्स नलकूप | 18.3.08 | 1.00 | तदैव |
| ...नलकूप | 30.3.08 | 1.00 | तदैव |
| ...नलकूप | 30.3.08 | 1.00 | तदैव |
| तृतीय वर्ष - 2007-08 में कुल:- | एम.एल.डी | 7.00 | |
| ...नलकूप | 1.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...पार्क महानगर नलकूप | 9.4.08 | 0.80 | तदैव |
| ...नगर सेक्टर-14 नलकूप | 8.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...सेक्टर-क्यू. नलकूप | 10.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर संख्या-4 नलकूप | 10.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...नगर संख्या-2 नलकूप | 15.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...पुरम सेक्टर ई नलकूप | 25.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...मंदी श्री इलाके न.2 नलकूप | 29.4.08 | 1.00 | तदैव |
| ...कालोनी | 29.4.08 | 0.8 | तदैव |
| ...नगर सेक्टर-सी नलकूप सं-6 | 19.5.08 | 1.00 | तदैव |
| ...औलगवां नलकूप | 19.5.08 | 1.00 | तदैव |
| चतुर्थ वर्ष - 2008-09 में कुल:- | एम.एल.डी | 10.6 | |
| शासनादेश संख्या-1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.06.07 | | | |
| लक्ष्य - 1 नग | | | |
| उपलब्धि - 1 नग | | | |
| विनय खण्ड-4 निशांत नलकूप | 19.6.08 | 1.00 | तदैव |
| कुल एम.एल.डी. | | 1.00 | |
| मेंहदी गंज पेयजल योजना- त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम | | | |
| लक्ष्य -1 नग | | | |
| उपलब्धि - | | | |
| ...नगर न. 1 | 30.8.08 | | ...से कुलदीप ने किया... |

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

1541

14 87

| | नलकूप का नाम | चालू करने की तिथि | जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी. | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| | कार्यादेश संख्या-3240/नी-5-07 सं0/07 दिनांक 2.11.07 | | | |
| | लक्ष्य - 9 नग | | | |
| | उपलब्धि - 8 नग | | | |
| | [illegible] कालोनी नलकूप | 15.2.07 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ द्वारा [illegible] |
| | [illegible] नलकूप | 1.2.07 | 1.00 | संदत्त |
| | प्रेषणीय वर्ष - 2006-07 में कुल:- | एम.एल.डी | 2.00 | |
| | [illegible] नलकूप | 5.6.07 | 0.80 | संदत्त |
| | [illegible] विनय खण्ड नलकूप | 13.6.07 | 1.00 | संदत्त |
| | [illegible] नलकूप | 26.12.07 | 1.00 | संदत्त |
| | [illegible] नलकूप | 1.9.07 | 0.80 | संदत्त |
| | [illegible] नगर सेक्टर-5 नलकूप नं 16 | 11.9.07 | 1.00 | संदत्त |
| | [illegible] टीला | 3.2.08 | 0.60 | संदत्त |
| | वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुल:- | एम.एल.डी | 5.40 | |
| | नये नलकूपों के निर्माण से संबंधित विवरण :- | | | |
| | लक्ष्य - 3 नग नलकूप | | | |
| | उपलब्धि - 3 नग चालू | | | |
| | [illegible] | 10.6.07 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ को दिनांक 31.3.08 को [illegible] |
| | [illegible] नगर -3 | 20.6.07 | 1.00 | पूर्ण एवं जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरित [illegible] |
| | [illegible] चन्द्रशेखर पार्क नलकूप | 10.5.08 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ को 9.7.08 को हस्तान्तरित |
| | [illegible] एवं एफ ब्लाक | | | |
| | कार्यादेश संख्या - 02/नी-5-2008-45 बजट/ 05 दिनांक 20.2.08 | | | |
| | लक्ष्य - 2 नग दिनांक 31.7.08 | | | |
| | उपलब्धि - | | | |
| 1 | [illegible] नं -1 [illegible] - [illegible] | - | - | ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण |
| 2 | [illegible] नं -2 [illegible] - [illegible] | | | संदत्त |
| | अम्बेडकर मैदान- डिपाजिट कार्य | | | |
| | लक्ष्य -2 नग | | | |
| | उपलब्धि - 2 नग | | | |
| 1 | नलकूप नं -1 | 2.5.08 | 0.80 | नलकूप चालू |
| 2 | नलकूप नं -2 | 6.5.08 | 0.80 | संदत्त |
| | वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुल:- | एम.एल.डी | 1.60 | |
| | माननीय विधान सभा क्षेत्र हेतु आश्वासन संख्या 187/2008 के विरूद्ध निर्मित नलकूप | | | |
| | लक्ष्य -3 नग | | | |
| | उपलब्धि - | | | |
| 1 | [illegible] कालोनी नलकूप | | | ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण |
| 2 | [illegible] सेक्टर-13 नलकूप | | | संदत्त |
| 3 | [illegible] नलकूप | | | संदत्त |
| 8 | छावनी हेतु पेयजल योजना :- | | | |
| 1 | [illegible] नलकूप | - | - | कार्यालय से विकास कार्य पूर्ण |

परियोजना प्रबन्धक

1542 1971 15 88

# THE MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE TILL 15.3.2009

## LUCKNOW WATER SUPPLY

### 1. UNDER JNNURM PROGRAMME :

- Construction of New Tube Wells against 40 Tube Wells : 34 Tube Wells Commissioned, 6 Tube Wells under Progress
- Construction of Tube Wells under Five piped Water Supply Schemes
- New Tube Well - 21 Nos. : 4 Tube Well Commissioned, 13 under Progress.
- Rebore Tube Well - 1 No. : Under Progress.
- Construction of Rebore Tube Wells against 43 Rebore Tube Wells : 41 Tube Well Commissioned, 2 under progress.
- Distribution System : 86·8 Km. Laid.
- Rising Main : Rising Main of 38 Tube Wells laid and Commissioned.
  Rising Main of 19 Tube Wells under Progress
- Over Head Tank : Construction of 4 Over Head Tanks in Progress.
- C.W.R. : Construction of 10 CWR's in Progress
- Third Water Works : Construction of Boundary Wall, Zonal C.W.R. & construction of central CWR, clarifloculator and administrative block of WTP, units of WTP started and under progress. Laying of feeder mains also under progress, 8·5 Km. laid.
  Fund of Rs. 10·0 Crore has been paid to Irrigation Department for Construction of Head Works etc.

### 2. UNDER WATER SUPPLY NORMAL PROGRAMME :

- New Hand Pumps
  Against Year 2007-08 : Work of all proposed 409 new India Mark-II Hand Pump completed.
  Against Year 2008-09 : Work of all proposed 1230 new India Mark-II Hand Pump completed.
- Rebore/Special Repair Hand Pumps
  Against Year 2007-08 : Work of all proposed Rebored/Repaired 670 India Mark-II Hand Pump completed.
  Against Year 2008-09 : Work of all proposed Rebored/Repaired 153 india Mark-II Hand Pump completed.
- Construction of New Tube wells : 3 Tube wells commissioned. Two tube well under progress.
- Construction of Rebore Tube wells : All 39 Tube wells commissioned.

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

संलग्नक - 3

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र स | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दि 15.10.2008 से दि 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम एम साइज | 289 कि मी | 38 50 कि मी | 105 00 कि मी | 66 50 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 11.50 कि मी. | 20.00 कि मी. | 8 50 कि मी. | " |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम एल डी.) | 1 नग | 10% | 30% | 20% | " |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम एल डी.) | 1 नग | 10% | 35% | 25% | " |
| 5 | गाडिंजग मेन - 1000 एम एम | 45 मीटर | | | | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परियोजना) (रु करोड़) | 263 04 | | | | |
| 1 | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु करोड़) | | 37 587 | 55 800 | 18 213 | |
| 2 | प्राप्त धन (रु करोड़) | | 43 037 | 55 850 | 12 813 | |

नोट :-

1 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 1 की योजना दिनांक 17 8 2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।

2 नगर निगम द्वारा रु 15 00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19 03 2008 को एवं रु 15 00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20 6 2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु 13 037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा दिसम्बर 2008 को रु 5 34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा माह फरवरी 2009 में रु 7 48 करोड़ की पंचम किश्त तथा माह मार्च 2009 में रु 10 372 करोड़ की किश्त निर्गत की गयी।

3 लगभग 180 कि मी सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके है।

4 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम एल डी के कार्य दिनांक 19 5 2008 से प्रारम्भ/ 18 माह में कार्य अवधि।

5 सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1 6 2008 से प्रारम्भ किया गया।

6 भौति तथा के कारण सीवर लाइन एस टी पी तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।

7 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट II पार्ट I (अनुलागत रु 262 16 करोड़) की योजना दिनांक 21 11 2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु 65 54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर ली गयी है।

8 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट III पार्ट II (अनुलागत रु 214 43 करोड़) की योजना दिनांक 29 12 2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु 53 62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर ली गयी है।

9 सीवरेज डिस्ट्रिक्ट II एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/आन्शिक)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।

महाप्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 (M/B) of 2008
Sewage Treatment Plant .....Petitioners
VERSUS
U.P. Jal Nigam .....Opposite Parties
Annexure No. 2

1543

1544 ~~1457~~ 90

**IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 16-10-2008 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM**

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

2. That on 16-10-2008 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to submit necessary affidavit of

compliance if at all required, with regard to earlier orders passed by this Hon'ble court.

3. That it is submitted that That UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal. It is further submitted that Jal Nigam is preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

4. That for Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. The Ministry of Urban Development, Govt. of India has sanctioned the DPR of Sewerage District-III Part-I for an amount of Rs. 262.16 Crore in the meeting of C.S.M.C. dated 21.11.2008 and Sewerage District-III Part-II for an amount of Rs. 214.43 Crore in the meeting dated 29.12.2008.

5. That the detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is being annexed as **ANNEXURE-I** to this affidavit.

6. That the Government of India has issued fund released order for first installment of Rs.29.53 crore on 3.10.2007 and Second installment of Rs.29.53 crore on 16.12.2008 in favour of Government of UP against detailed project report of

1546 ~~1455~~ 92

sewage district-I (amounting to Rs.236.23 crore). Matching grant of first and second installment 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. The Govt. of India has released Rs. 32.77 Crore for Sewerage District-III Part-I on dated 16.12.2008 and Rs. 26.18 Crore for Sewerage District-III Part-II. The matching grant of 1st installment 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. Funds for Sewerage District-III Part-I and II yet to be received by U.P. Jal Nigam. A photo copy of the letter dated 02.03.2009 issued by Government of Uttar Pradesh is being annexed as **ANNEXURE-II** to this affidavit.

7. That the sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 125.00 Km of sewer line has been laid. The work of construction of sewage pumping station and STP has been started and in progress. An expenditure of Rs. 55.80 Crore has been made upto 28.02.2009 against release of Rs. 75.622 Crore (Rs. 15.00 Crore on 19.03.2008 and Rs. 15.00 Crore on 22.04.2008, Rs.13.037 Crore on 06.10.2008 and Rs. 5.34 Crore on 5.12.2008 and Rs. 7.48 Crore on 16.2.2009 and Rs. 19.772 Crore on 18.03.2009). A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **ANNEXURE-III** to this affidavit.

8. That the construction work for Kukrail Nala Sewage pumping Station has been started after shifting the place of Pumping Station. Upto February 2009, 45% work of Pumping station has been completed.

9. That so far cleaning of Gomti River is concerned, it is submitted that the land for construction of 345 mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has

1547 ~~1450~~ 93

been started on 18.7.2008. The required progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood during July to October 2008 in Gomti river but now work is going on in full swing.

10. It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as **ANNEXURE-IV & ANNEXURE V** to this affidavit.

11. That so far installation of 21 tube wells is concerned , the work has been completed for 4 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 14 tube wells are under progress. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

12. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells is concerned; the work has been completed for 41 tube wells and the work is in progress for 2 tube wells. A photo copy of progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

13. That it is submitted that target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban) 2007-08. Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed in addition to this installation of all 1230 New India Mark-II handpump and reboring / special repair of 153 handpump has been done against the target of 2008-09. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

COMMISSIONER PER OATH
2613

1548 ~~1409~~ 94

14. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for 2 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

15. That it is also submitted that the work for finalization of tender for establishment of 3rd Water works has been completed and the date of start has been given to the Firm. The Work of clarifloculator, Zonal Underground water storage tanks, Administrative Building and Central CWR are in progress. Besides this laying of feeder main is also in progress. As per approved estimate the work is to be completed by 2010, efforts will be made to complete the work before time.

16. That it is submitted that financial progress of water supply schemes is annexed as **ANNEXURE NO. VII** to this affidavit.

17. Present status of Master Plan of Lucknow Water Supply is annexed as **ANNEXURE No. VIII** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 26/03/2009

Deponent

2.6.13/09

1549 ~~1458~~ 95

## Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 17 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 26.03.2009

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Deepak Singh
Advocate

Solemnly affirmed before me on 26/3/09.
at 11.30 a.m./p.m. by Shri V. U. Bishnoi who is identified by Shri Deepak Singh C/o Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench,Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

**OATH COMMISSIONER**

26/3/09

Sanjay Kumar Singh
S. K. Singh
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW

106983 26/3/09.

## जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना के ् ा बिन्दु

दिनांक 20.03.2009 तक

**ANNEXURE-I**

| क्र.सं. | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत) | चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र | 287335 | 448634 | 565069 | 36 | 55 | 70 | 229.55 | 236.23 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी. बढ़ाकर 56 एम.एल.डी.(वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम.एल.डी.। | निर्माणाधीन |
| 2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। | अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र | 225975 | 442125 | 884500 | 28 | 54 | 108 | 489.98 | -- | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |

| क्र.सं. | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | | | |
| 3.1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट -I) | गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र | 709558 | 1130121 | 1765143 | 87 | 138 | 216 | 276.03 | 308.80 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी<br>राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.08 को रु 262.16 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 45.878 करोड़ आवंटित। निविदा की कार्यवाही प्रगति पर। |
| 3.2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट-II ) | गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र | 465860 | 716805 | 1059143 | 57 | 88 | 130 | 165.03 | 244.03 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी<br>राइजिंगमेन - 3375 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.08 को रु 214.43 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु.37.534 करोड़ आवंटित। निविदा का कार्य प्रगति पर। |
| 4 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV | शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि | 1114272 | 1505315 | 2148145 | 136 | 184 | 263 | 955.08 | -- | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग<br>एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| **TOTAL** | | | **2803000** | **4243000** | **6422000** | **344** | **519** | **787** | **2115.67** | | | **787 MLD** | |

d:aks/NURM.xls sh7

1552 (1481) 98

ANNEXURE - II

संख्याः 1797/नौ-5-2009-37सा/09

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 02 मार्च, 2009

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम योजना के यू.आई.जी. घटक के अन्तर्गत निकायों के अंश की धनराशि की 'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- तक0सेल/3513/286-रिवा0फण्ड/08, दिनांक 25.02.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत आच्छादित नगरों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि के सापेक्ष निर्धारित 30 प्रतिशत निकाय अंश की धनराशि कुल रू0 **11347.12 लाख (रू0 एक अरब तेरह करोड़ सैतालीस लाख बारह हजार मात्र)** को **'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना'** के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत करनें की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्रमांक | निकाय का नाम | परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निकाय अंश की प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर निगम, कानपुर | कानपुर नगर में सीवेज ट्रीटमेंट | 10100.45 | 1262.55 | 505.02 | 757.53 |
| 2 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य | 19162.00 | 2395.25 | 958.10 | 1437.15 |
| 3 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर में ट्रान्स बरुणा एरिया में सीवरेज कार्य | 30912.00 | 3091.00 | 1236.40 | 1854.60 |
| 4 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। (पार्ट-।) | 21443.00 | 2681.00 | 1072.40 | 1608.60 |
| 5 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-। (वाल्यूम-। एण्ड ।।) | 23623.00 | 2952.87 | 1181.15 | 1771.72 |
| 6 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।।(पार्ट-।) | 26216.00 | 3277.00 | 1310.80 | 1966.20 |
| 7 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज | 31521.00 | 3252.20 | 1300.88 | 1951.32 |
| | | योग | 162977.45 | 18911.87 | 7564.75 | 11347.12 |

(रू0 एक अरब तेरह करोड़ सैतालीस लाख बारह हजार मात्र)

GORF-(08-09)-SI

1553 (1962) 99



2- संबंधित निकायों को उपर्युक्त तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी।
3. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्प्ले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा.
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं शासन को 30 जून, 2009 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"6215 जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-848-दस/09, दिनांक 02 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

COMMISSIONER FOR OATHS

2613

GORF-(08-09)-S1

1554 # ~~1463~~ 100

कार्य-76

-3-

पत्रांक- 1797/नौ-5-2009-37सा/09, तददिनांक

AC-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (Nuvm), जल निगम, लखनऊ

पत्रांक 297/KVS(NUVm)/934-2037/09 दि० 6-3-09

प्रति

1. मुख्य अभि० (झांसी/इलाहाबाद/लखनऊ सेतु), जल निगम, झांसी/इलाहाबाद/लखनऊ,
2. अधिशासी, गंगा/गोमती प्रदूषण नि० इकाई, जल निगम, कानपुर/इलाहाबाद/लखनऊ।

5/3/09
CE (Nuvm)

कार्यालय महाप्रबन्धक, गो० प्र० नि० उ०नि०, उ० प्रदेश निगम, लखनऊ।

पत्रांक 550/ AC-11 /31 दिनांक 13.3.09

शासन निर्देश अनुसार उपरोक्त प्रकरण पूर्व अनुभाग (पूर्ति अनुभाग) उ० प्रदेश निगम लखनऊ का Nuvm Form अनुभाग कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज अग्रवाल)
महाप्रबन्धक

(08-09)-S1

13-03-09

संलग्नक - 3

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दि. 15.10.2008 से दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 38.50 कि.मी. | 105.00 कि.मी. | 66.50 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 11.50 कि.मी. | 20.00 कि.मी. | 8.50 कि.मी. | " |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 10% | 30% | 20% | " |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 10% | 35% | 25% | " |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | | " |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 37.587 | 55.800 | 18.213 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 43.037 | 55.850 | 12.813 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा दिसम्बर 2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा माह फरवरी,2009 में रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा माह मार्च 2009 में रु.19.772 करोड़ की किश्त निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
9. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE - III

d:progress/progressformat.xls sh1

सलग्नक - 4

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दि. 15.10.2008 से दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | — | | | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण,<br>1 नग (30%) | 5 नग पूर्ण,<br>1 नग (45%) | 1 नग (15%) | |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5120 मीटर | 5220 मीटर | 100 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 42% | 50% | 8% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 44.75 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 36.556 | 37.39 | 0.834 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 33.850 | 37.277 | 3.427 | |

**नोट :** कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

13.

ANNEXURE - III

संलग्नक - 5

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दि. 15.10.2008 से दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17 नग 95% | 17 नग 95% | | |
| | | | 1 नग 20% | 1 नग 40% | 1 नग 20% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95% 1 नग 30% | 10 नग 95% 1 नग 30% | | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 8134 मीटर | 9000 मीटर | 866 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 80% | 80% | | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 70% | 70% | | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 10% | 1 नग 33% | 1 नग 23% | |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100% 1 नग 90% | 6 नग 100% 1 नग 90% | | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 1 नग 90% | 1 नग 90% | | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | | |
| 12 | वनीकरण - जाब | 20% | 5% | 5% | | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 20% | 5% | 5% | | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 40% | | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 108.432 | 150.97 | 42.538 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 108.433 | 161.711 | 53.278 | |

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

ANNEXURE- V

# लखनऊ [illegible] में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का [illegible]

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि 16.10.08 तक प्रगति | दि. 16.10.08 से दि. 15.03.09 तक प्रगति | दि. 15.03.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों में) | 40 नग | 28 नग चालू, 9 नग प्रगति पर। | 6 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | 34 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयज़ल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 3 नग चालू, 13 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू, 12 प्रगति पर। | 4 नग चालू, 13 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | - | 1 नग प्रगति पर। | 1 नग प्रगति पर। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 25 नग चालू, 11 नग प्रगति पर। | 16 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | 41 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 36.00 कि.मी. | 50.80 कि0मी0 | 86.80 कि.मी. | |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 31 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू तथा 20 का कार्य प्रगति पर। | 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं19 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 38 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 19 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | - | 1230 नग | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | - | 153 नग | 153 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू। | दो नलकूपों का कार्य प्रगति पर। | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग | | 39 नग। | |

परिवोजना प्रबन्धक
पेय जल (ट्यूबेल)

महाप्रबन्धक(पेयजल)



ANNEXURE - VI

1559 1460 105

## कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

### दिनांक 15.03.2009 तक की प्रगति

अ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:
लक्ष्य- 40 नग नये नलकूपों
उपलब्धि - 34 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)

| क्र सं. | नलकूपो का नाम और जल स्त्राव ली. प्रति मिनट | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि ( पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में ) | | जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि | जल वृद्धि एम. एल.डी में | वर्तमान की प्रगति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संभावित | वास्तविक | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 (1500 ली.प्र. मि.) | 1.1.07 | | 6.5.08 | 16.5.08 | 1.5 | | हस्तान्तरित 5.12.08 |
| 2 | इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5 (1000 ली..प्र.मि.) | 15.12.07 | | 1.5.08 | 12.5.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 16.1.09 |
| 3 | विजय खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.) | 5.3.08 | | 12.5.08 | 17.5.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 17.1.09 |
| 4 | अलीगंज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 17.3.08 | | 7.5.08 | 17.5.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 5.12.08 |
| 5 | गुलिस्ता कालोनी, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.) | 18.3.08 | | 18.5.08 | 18.5.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 16.12.08 |
| 6 | नीलमेरठपुर जोन-3 (1000 ली.प्र.मि) | 30.3.08 | | 8.5.08 | 31.5.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 7.3.09 |
| 7 | [illegible] नगर, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 17.3.08 | | 8.5.08 | 7.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 7.3.09 |
| 8 | [illegible] नगर, सेक्टर-9 (1000 ली.प्र.मि.) | 19.4.08 | | 19.5.08 | 11.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 1.1.09 |
| 9 | सफेदा पार्क, महानगर जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 29.4.08 | | 21.5.08 | 20.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 18.12.08 |
| 10 | जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 15.4.08 | | 2.6.08 | 17.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 19.1.09 |
| 11 | हिन्द नगर नलकूप जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 11.3.08 | | 10.5.08 | 17.6.08 | 1.00 | | |
| 12 | लालाराम सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 13.4.08 | | 29.5.08 | 18.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 15.1.09 |
| 13 | [illegible] लला.विष्णुपुरी कालोनी जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 9.5.08 | | 7.6.08 | 18.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 1.1.09 |
| 14 | [illegible] पार्क गणेश गंज, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.) | 15.4.08 | | 16.6.08 | 22.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 16.1.01 |
| 15 | विनीत खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.) | 24.3.08 | | 15.6.08 | 28.6.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 17.1.09 |
| 16 | साउथ सिटी सेक्टर-सी-1 जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 21.4.08 | | 26.6.08 | 4.7.08 | 1.00 | | |
| 17 | दामोदर नगर,आलमनगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 13.4.08 | | 30.6.08 | 4.7.08 | 1.00 | | |
| 18 | इंदिरा नगर बी- ब्लाक जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.) | 15.3.08 | | 16.6.08 | 8.7.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 16.1.09 |
| 19 | मेया नर्सरी निशातगंज , जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 5.5.08 | | 15.6.08 | 10.7.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 15.2.09 |
| 20 | पंचवटी कालोनी, रहीम नगरोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 19.5.08 | | 15.6.08 | 11.7.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 1.1.09 |

COMMISSIONER FOR OATH

2613

1560 ~~1969~~ 106

| क्रमां | नलकूपों का नाम | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि /सम्प्र ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि. /स.उपलब्ध होने की स्थिति में | | जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि | जल वृद्धि एम. एल. डी में | वर्तमान की प्रगति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सम्भावित | वास्तविक | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [illegible] | [illegible] निर्माण खण्ड, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 9.5.08 | | 30.6.08 | 18.7.08 | 1.00 | | |
| 22 | विवेक खण्ड -4 गोमती नगर जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.) | 15.4.08 | | 21.6.08 | 30.7.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 17.1.09 |
| 23 | सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4 (1000 ली.प्र.मि.) | 29.4.08 | | 3.7.08 | 11.8.08 | 1.00 | | |
| 24 | अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6 (1000 ली.प्र.मि.) | 29.4.08 | | 11.8.08 | 14.8.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 9.12.08 |
| 25 | [illegible]नशेरवाली कॉलो.सलमतगंज जोन-6 (800ली.प्र.मि.) | 13.4.08 | | 31.8.08 | 2.9.08 | 0.80 | | हस्तान्तरित 9.12.08 |
| 26 | जानकी पुरम सेक्टर-सी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.) | 9.5.08 | | 17.6.08 | 6.9.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 19.1.09 |
| 27 | [illegible]ब्रह्म नगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि.) | 8.5.08 | | 8.7.08 | 26.9.08 | 1.00 | | |
| 28 | [illegible]मेडाइटी पार्क नरही, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.) | 9.5.08 | | 26.6.08 | 9.10.08 | 1.00 | | हस्तान्तरित 15.12.08 |
| 29 | [illegible]ड़ बरहा, आनन्दनगर, (पी. [illegible]र.ई. ग्राउन्ड) जोन-4 | 8.5.08 | | 7.7.08 | 18.8.08 | 1.00 | | |
| [illegible] | [illegible]ण्ड गोमतीनगर, जोन-5 | 6.6.08 | | 8.10.08 | 26.11.08 | 1.00 | | |
| [illegible] | [illegible]ोरी मोहल्ला नलकूप, जोन-2 | 30.8.08 | | 29.12.08 | 11.1.09 | 1.00 | | [illegible] 27.2.09 |
| 32 | विनय खण्ड-1, गोमतीनगर , जोन-5 | 6.6.08 | | 15.11.08 | 18.12.08 | 1.00 | | |
| 33 | जलाल पुर, जोन-6 | 1.7.08 | | 22.2.09 | 25.2.09 | 1.00 | | हस्तान्तरित 27.2.09 |
| 34 | स्टार कालोनी सेक्टर-9 इंदिरा नगर , जोन-5 | 20.5.08 | | 25.12.08 | 11.3.09 | 1.00 | | |
| [illegible] | इन्दिरानगर सेक्टर-14, जोन-5 | 5.5.08 | | 7.3.09 | | | पम्प सेट अधिष्ठापित एवं वि.स. आपीका ओ.पी.यूनिट से विद्युत कार्य पूर्ण | [illegible] [illegible] [illegible] |
| 36 | [illegible]ल्लाह बदरअली तकिया शाह जोन-6 | 30.5.08 | 31.03.09 | | | | लंबित | लंबित |
| 37 | आनन्द नगर बरहा रोड , जोन-4 | 10.6.08 | 31.03.09 | | | | लंबित | लंबित |
| 38 | हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2 | 19.5.08 | 31.03.09 | | | | लंबित | लंबित |
| 39 | अहमदगंज पजावा , जोन-2 | 5.7.08 | 31.03.09 | | | | लंबित | लंबित |
| 40 | सर्राफ पुरा, आलमनगर जोन-6 | 30.5.08 | 31.03.09 | | | | लंबित | लंबित |

नोट:

1. चालू नलकूपों की संख्या - 34 नग , जलावृद्धि - 34.3 एम.एल.डी.
2. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 6 नग

परियोजना प्रबंधक

COMMISSIONER FOR OATHS

2613

1561 ~~1410~~ 1409

दिनांक 15.03.2009 तक की प्रगति

ब जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

लक्ष्य - 21नग नये नलकूप, 1नग रिबोर उपलब्धि - 4 नग नये नलकूप

| क्र सं. | नलकूपों का नाम स्राव लीटर प्रति मिनट | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प गृह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में ) | | जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संम्भावित | वास्तविक | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | लिवर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3 | | | | | | | |
| | 1. कुर्मान्चल नगर(मानसविहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि. | 10.2.08 | | 8.5.08 | 18.5.08 | 1.00 | हस्तान्तरित 16.1.09 | |
| | 2. कुर्मान्चल नगर(लिवर्टी कालोनी)न.कू 2 | 17.3.08 | | 22.5.08 | 17.7.08 | 1.00 | हस्तान्तरित 16.1.09 | |
| 2 | शिवनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3 | | | | | | | |
| | 3. नलकूप सं.-1 1000 ली.प्र.मि. | 10.11.07 | | 8.5.08 | 28.5.08 | 1.00 | | |
| | 4. नलकूप संख्या -2( कुम्हार टोला ) | 30.5.08 | | 10.8.08 | 8.11.08 | 1.00 | | |
| | 5. | | | | | | पिन प्लावइंट उपलब्ध नहीं है। | |
| | | | | | | | तदैव | |
| 3 | मारुतिनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप ,जोन-3 | | | | | | | |
| | 6. लिवर्टी कालोनी | 15.3.08 | | 20.5.08 | | - | पम्प सेट चालू | |
| | 7. मारुतिनगर उद्यान पार्क | 30.4.08 | | 21.6.08 | | - | तदैव | |
| | 8. अन्य चैक पार्क | 28.4.08 | | 21.6.08 | | | तदैव | |
| 4 | गडीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप नये , 1 नलकूप रिबोर, जोन-2 | | | | | | | |
| | 9. पी.डी.सी. , मिल के पास, | 30.4.08 | 31.3.09 | | | | पम्प प्लान्ट लेवर्ड | |
| | 11. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा | 21.5.08 | 31.3.09 | | | | ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य पूर्ण | |
| | 12. इन्डस्ट्रियल एरियर रिबोर नलकूप | 4.11.18 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 13. करेहटा नगर निगम स्टोर | 3.8.08 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 14. रेलवे लाइन के पास | 1.9.08 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 15. | | | | | | पिन प्लावइंट उपलब्ध नहीं है। | |
| | 16. | | | | | | तदैव | |
| 5 | खरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4 | | | | | | | |
| | 17. [illegible] | 18.6.08 | 31.3.09 | | | | ओ.पी. यूनिट से विकास पूर्ण | |
| | 18. नलकूप संख्या-1(लौगा खेडा) | 3.5.08 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 19. नलकूप संख्या-3(बलदेव विहार पार्क) | 17.5.08 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 20. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के | 30.5.08 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 21. इन्द्र विहार कालोनी पार्क | 18.6.08 | 31.3.09 | | | | तदैव | |
| | 22. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क) | 13.5.08 | 31.3.09 | | | | कमीशनर से विकास कार्य सिविल कार्य प्रारम्भ होने के कारण नहीं हो पा रहा है। | |

नोट- 1. कुल प्रस्तावित नये नलकूपों की संख्या - 21 नग

2. चालू नलकूपों की संख्या - 4 नग , जलापूर्ति - 4.00एम.एल.डी.

3. निर्माणाधीन नये नलकूपों की संख्या - 13 नग

4. अवशेष नलकूपों की संख्या जिनके पिन प्वाइंट उपलब्ध नहीं है। - 4 नग

5. रि-बोर नलकूप की संख्या - 1 नग (गडी कनौरा के योजनान्तर्गत)

परियोजना प्रबन्धक

26/3

दिनांक 15.03.2009 तक की प्रगति

स जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-:
लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूप
उपलब्धि - 41 नग

| क्र. सं | नलकूपों का नाम | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि | | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | सम्भावित | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | डायमंड डेरी, जोन-1 | 1.3.08 | 29.4.08 | | 1.00 | जलापूर्ति प्रारम्भ | |
| 2 | महानगर सेक्टर-डी, जोन-3 | 6.4.08 | 1.5.08 | | 1 00 | तदैव | |
| 3 | सहकारिता भवन, जोन-1 | 20.3.08 | 13.5.08 | | 0.60 | तदैव | |
| 4 | जवाहर भवन, जोन-1 | 17.4.08 | 30.5.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 5 | कमला कपूर पार्क निराला नगर जोन-3 | 10.5.08 | 3.6.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 6 | जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-3 | 28.5.08 | 23.6.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 7 | ऊषा मिल कालोनी नलकूप जोन 3 | 20.5.08 | 28.7.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 8 | आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1 | 25.5.08 | 12.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 9 | जवाहर पुरम गोमतीनगर जोन-5 | 5.5.08 | 13.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 10 | रफूचक्कर, नलकूप जोन-3 | 28.6.08 | 24.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 11 | नाजबाग, जोन-1 | 30.6.08 | 26.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 12 | कानपुर रोड योजना सं.-जे जोन-4 | 10.4.08 | 23.6.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 13 | [illegible] नगर, जोन-3 | 1.6.08 | 30.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 14 | डायमंड डेरी, जोन-1 | 1.6.08 | 31.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 15 | [illegible]ज, जोन-3 | 24.5.08 | 31.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 16 | हातीमपुल खाँ, जोन-1 | 22.7.08 | 30.8.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 17 | कोनेश्वर मंदिर, जोन-3 | 6.6.08 | 4.9.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 18 | अलीगंज सं.-6 जोन-3 | 6.6.08 | 10.9.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 19 | गांधीनगर जोन-1 | 17.6.08 | 15.9.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 20 | इन्दिरा नगर, जोन-4 | 28.5.08 | 15.9.08 | | 1.00 | तदैव | |
| 21 | [illegible] एल डी कालेज कानपुर रोड | 1.8.08 | 18.9:08 | | 1.00 | तदैव | |
| | [illegible] जोन-4 | 28.5.08 | 3.10.08 | | 1.00 | तदैव | |
| | [illegible] जोन-3 | 21.6.08 | 30.9.08 | | 1.00 | तदैव | |
| | [illegible] खण्ड,जोन-5 | 3.7.08 | 5.10.8 | | 1.00 | तदैव | |
| | [illegible] सं.-7 जोन-3 | 10.6.08 | 10.10.8 | | 1.00 | तदैव | |
| | [illegible] नर्सिंहर, जोन-1 | 15.6.08 | 22.10.8 | | 1.00 | तदैव | |
| | [illegible] कालोनी, जोन-3 | 6.6.08 | 27.10.8 | | 1.00 | तदैव | |
| 28 | सं.-11 राजाजीपुरम जोन-6 | 28.6.08 | 15.10.8 | | 1.00 | तदैव | |
| 29 | कृष्णा नगर, जोन-4 | 20.7.08 | 15.10.8 | | 1.00 | | |
| 30 | फातिमा हास्पिटल नलकूप, जोन-3 | 20.8.08 | 27.10.8 | | 1.00 | तदैव | |
| 31 | डालीगंज नलकूप, जोन-3 | 24.7.08 | 12.11.8 | | 1.00 | तदैव | |
| 32 | बन्दर नगर, जोन-4 | 20.8.08 | 11.11.8 | | 1.00 | तदैव | |
| 33 | आजाद नगर, जोन-4 | 26.7.08 | 8.11.8 | | 1.00 | तदैव | |
| 34 | इंदिरानगर स. 54, जोन-5 | 3.5.08 | 15.11.8 | | 1.00 | तदैव | |



| क्र. स. | नलकूपों का नाम | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में ) | | जल वृद्धि एम.एल. डी. में | वर्तमान स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वास्तविक | सम्भावित | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 11 | [illegible] सेक्टर-33 | 10.8.08 | 8.12.08 | | 1.00 | जलापूर्ति प्रारम्भ | |
| 12 | [illegible] सेक्टर-6 | 26.7.08 | 22.12.08 | | 1.00 | तदैव | |
| [illegible] | [illegible] सेक्टर-4 | 5.10.08 | 26.12.08 | | 1.00 | तदैव | |
| [illegible] | [illegible] सेक्टर-5 | 30.8.08 | 31.12.08 | | 1.00 | तदैव | |
| [illegible] | [illegible] सेक्टर-6 | 23.6.08 | 11.1.09 | | 1.00 | तदैव | |
| [illegible] | [illegible] सेक्टर-6 | 28.6.08 | 25.1.09 | | 1.00 | तदैव | |
| [illegible] | [illegible] सेक्टर-6 | 11.6.08 | 21.2.09 | | 1.00 | तदैव | |
| [illegible] | [illegible] सेक्टर-14 सेक्टर-5 | 30.8.08 | | 31.03.09 | | ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य पूर्ण | विद्युत संयोजन विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण चालू नहीं हो पा रहा है। |
| 13 | सेक्टर-14 राजाजीपुरम सीनि-6 | 25.7.08 | | 31.03.09 | | तदैव | तदैव |

कुल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या - 43 नग
चालू नलकूपों की संख्या - 41 नग , जलावृद्धि - 41.00एम.एल.डी.
निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 2 नग

परियोजना प्रबन्धक



1564 ~~1477~~ 1110

15.03.2009 तक की प्रगति

क. री-बोर नलकूप निर्माण से संबंधित विवरण

लक्ष्य - 30 नग

उपलब्धि - 30 नग

| क्रमसं. | नलकूपों का नाम | चालू करने की तिथि | जल वृद्धि एम.एल.डी. में | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| क. | शासनादेश संख्या-590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं 3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07 | | | |
| 1 | अलीगंज सेक्टर बी नलकूप | 20.5.06 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है। |
| 2 | अलीगंज सेक्टर-एफ नलकूप | 14.4.06 | 1.00 | तदैव |
| 3 | अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप | 15.4.06 | 1.00 | तदैव |
| 4 | इन्दिरालोक नलकूप | 14.6.06 | 1.00 | तदैव |
| 5 | गणेश गंज नलकूप | 25.6.06 | 1.00 | तदैव |
| 6 | विकास नगर सैक्टर-6 नलकूप | 15.6.06 | 1.00 | तदैव |
| 7 | न्यूहैदर गंज नलकूप | 4.7.06 | 1.00 | तदैव |
| 8 | चन्दरनगर-7 नलकूप | 11.7.06 | 1.00 | तदैव |
| 9 | राजाजी पुरम नलकूप | 30.8.06 | 1.00 | तदैव |
| 10 | इंदिरा नगर न.-7 नलकूप | 7.8.06 | 1.00 | तदैव |
| 11 | चौपटिया नलकूप | 15.10.06 | 0.80 | तदैव |
| 12 | कक्कड पार्क नलकूप | 18.12.06 | 0.80 | तदैव |
| | वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुल:- | एम.एल.डी | 11.6 | |
| 13 | विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप -1 | 13.6.07 | 1.00 | तदैव |
| 14 | इंदिरा नगर नलकूप सं.47 नलकूप | 25.8.07 | 1.00 | तदैव |
| 15 | अलीगंज सेक्टर-ओ नलकूप | 16.9.07 | 1.00 | तदैव |
| 16 | सुभाष पार्क नलकूप | 3.2.08 | 1.00 | तदैव |
| 17 | इन्दिरालोक वाटर वर्क्स नलकूप | 18.3.08 | 1.00 | तदैव |
| 18 | कैलाश विलेज नलकूप | 30.3.08 | 1.00 | तदैव |
| 19 | सेक्टर एच | 30.3.08 | 1.00 | तदैव |
| | वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुल:- | एम.एल.डी | 7.00 | |
| 20. | प्रेमनगर नलकूप | 4.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 21 | तिकोनिया पार्क महानगर नलकूप | 9.4.08 | 0.80 | तदैव |
| 22 | विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप | 8.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 23 | अलीगंज सेक्टर-क्यू. नलकूप | 10.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 24 | इन्द नगर संख्या-4 नलकूप | 10.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 25 | इन्द नगर संख्या-2 नलकूप | 15.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 26 | राजाजी पुरम सेक्टर-ई नलकूप | 25.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 27 | साउथ सिटी बी ब्लाक न.2 नलकूप | 29.4.08 | 1.00 | तदैव |
| 28 | गुरुकुल कालेज | 29.4.08 | 0.8 | तदैव |
| 29 | इंदिरानगर सेक्टर-सी नलकूप सं-6 | 19.5.08 | 1.00 | तदैव |
| 30 | एल्डिको आलमबाग नलकूप | 19.5.08 | 1.00 | तदैव |
| | वित्तीय वर्ष - 2008-09 में कुल:- | एम.एल.डी | 10.6 | |
| ख. | शासनादेश संख्या-1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.06.07 | | | |
| | लक्ष्य - 1 नग | | | |
| | उपलब्धि - 1 नग | | | |
| 1 | विनय खण्ड-4 रिबोर नलकूप | 19.6.08 | 1.00 | तदैव |
| | कुल.एम.एल.डी. | | 1.00 | |
| ग. | मेहदी गंज पेयजल योजना- त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम | | | |
| | लक्ष्य -1 नग | | | |
| | उपलब्धि - | | | |
| | नलकूप संख्या-1 | 30.8.08 | - | ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण |

COMMISSIONER PWD

2618

1565 ~~1474~~ 111

| क्रम. | नलकूपों का नाम | चालू करने की तिथि | जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी. | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| घ. | शासनादेश संख्या-3240/नौ-5-07 सा0/07 दिनांक 2.11.07 | | | |
| | लक्ष्य - 8 नग | | | |
| | उपलब्धि - 8 नग | | | |
| | टिकैतराय कालोनी नलकूप | 15.2.07 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है। |
| | भेल खेड़ा नललकूप | 1.2.07 | 1.00 | तदैव |
| | वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुलः- | एम.एल.डी | 2.00 | |
| 3 | बजरंग रकाबगंज नलकूप | 5.6.07 | 0.80 | तदैव |
| 4 | गोमती नगर विनय खण्ड नलकूप | 13.6.07 | 1.00 | तदैव |
| 5 | दीवानगंज नलकूप | 26.12.07 | 1.00 | तदैव |
| 6 | नाबस्ता नलकूप | 1.9.07 | 0.80 | तदैव |
| 7 | विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप नं.16 | 11.9.07 | 1.00 | तदैव |
| 8 | कलियन टोला | 3.2.08 | 0.80 | तदैव |
| | वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः- | एम.एल.डी | 5.40 | |
| ङ. | नये नलकूपों के निर्माण से संबंधित विवरण -: | | | |
| | लक्ष्य - 3 नग नलकूप | | | |
| | उपलब्धि - 3 नग चालू | | | |
| | [illegible] | 10.6.07 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ को दिनांक 31 3.08 को हस्तान्तरित |
| | [illegible] -4 | 20.6.07 | 1.00 | पूर्ण एवं जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाना है |
| | [illegible] नरभीवाई पार्क नलकूप | 10.5.08 | 1.00 | जल संस्थान लखनऊ को 9/08 को हस्तान्तरित |
| च | [illegible] पुरम ई. एवं एफ ब्लाक | | | |
| | शासनादेश संख्या - 02/नौ-5-2008-45 बजट/ 05 दिनांक 20.2.08 | | | |
| | लक्ष्य - 2 नग दिनांक 31.7.08 | | | |
| | उपलब्धि - | | | |
| | 1. नलकूप नं.-1 (एफ - ब्लाक) | - | - | ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य पूर्ण |
| | 2. नलकूप नं.-2(ई. - ब्लाक ) | - | - | तदैव |
| छ. | अम्बेडकर मैदान- डिपाजिट कार्य | | | |
| | लक्ष्य -2 नग | | | |
| | उपलब्धि - 2 नग | | | |
| | 1. नलकूप नं.-1 | 1.5.08 | 0.80 | नलकूप चालू |
| | 2. नलकूप नं.-2 | 6.4.08 | 0.80 | तदैव |
| | वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः- | एम.एल.डी | 1.60 | |
| ज | [illegible] विधान सभा क्षेत्र हेतु आश्वासन संख्या 187/2008 के विरुद्ध निर्मित नलकूप | | | |
| | लक्ष्य -3 नग | | | |
| | उपलब्धि - | | | |
| | 1 टिकैतराय कालोनी नलकूप | | | ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण |
| | 2 गाजीपुरम सेक्टर-13 नलकूप | | | तदैव |
| | 3 सआदत गंज नलकूप | | | तदैव |
| झ. | छावनी हेतु पेयजल योजना -: | | | |
| 1 | के.के.सी. रिवोर नलकूप | - | - | कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण |

परियोजना प्रबन्धक

26/3

1566 (1479) 172

# THE MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE TILL 15.3.2009

## LUCKNOW WATER SUPPLY

### 1- UNDER JNNURM PROGRAMME :

- Construction of New Tube Wells against 40 Tube Wells : 34 Tube Wells Commissioned, 6 Tube Wells under Progress.
- Construction of Tube Wells under Five piped Water Supply Schemes
- New Tube Well - 21 Nos. : 4 Tube Well Commissioned, 13 under Progress.
- Rebore Tube Well - 1 No. : Under Progress.
- Construction of Rebore Tube Wells against 43 Rebore Tube Wells : 41 Tube Well Commissioned, 2 under progress.
- Distribution System : 86.8 Km. Laid.
- Rising Main : Rising Main of 38 Tube Wells laid and Commissioned.
  Rising Main of 19 Tube Wells under Progress.
- Over Head Tank : Construction of 4 Over Head Tanks in Progress.
- C.W.R. : Construction of 10 CWR's in Progress.
- Third Water Works : Construction of Boundary Wall, Zonal C.W.R. & construction of central CWR, clarifloculator and administrative block of WTP, units of WTP started and under progress. Laying of feeder mains also under progress, 8.5 Km. laid.
  Fund of Rs. 10.0 Crore has been paid to Irrigation Department for Construction of Head Works etc.

### 2- UNDER WATER SUPPLY NORMAL PROGRAMME :

- New Hand Pumps
  Against Year 2007-08 : Work of all proposed 409 new India Mark-II Hand Pump completed.
  Against Year 2008-09 : Work of all proposed 1230 new India Mark-II Hand Pump completed.
- Rebore/Special Repair Hand Pumps
  Against Year 2007-08 : Work of all proposed Rebored/Repaired 670 India Mark-II Hand Pump completed.
  Against Year 2008-09 : Work of all proposed Rebored/Repaired 153 India Mark-II Hand Pump completed.
- Construction of New Tube wells : 3 Tube wells commissioned. Two tube well under progress.
- Construction of Rebore Tube wells : All 39 Tube wells commissioned.

COMMISSIONER FOR OATH
26/3

# लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1

## वित्तीय प्रगति

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.08.07 तक प्रगति | 20.08.07 से 27.03.08 की प्रगति | दि. 27.03.08 से दि. 21.07.08 तक प्रगति | दि. 21.07.08 से दि. 15.10.08 तक प्रगति | दि. 15.10.08 से दि. 20.03.09 तक प्रगति | दि. 20.03.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति | - | - | - | 22.00 | 38.00 | 63.8818 | 123.8818 | प्रथम किश्त रू0 20.00 करोड़ 27.03.08 को, द्वितीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अप्रैल 2008, तृतीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अगस्त 2008 में, चौथी किश्त रू0 10.7986 करोड़ 06.10.08 को तथा पाँचवी किश्त रू0 8.784667 करोड़ 04.12.08, 12.298533 करोड़ 11.02.09 एवं रू0 39.6388 17.03.09 को प्राप्त हुई है। |
| | प्राप्त धनराशि | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 71.5206 | 131.5206 | |

परियोजना प्रबन्धक
पेय जल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

ANNEXURE VII

# STATUS AND REQUIREMENT OF WATER SUPPLY FOR LUCKNOW CITY

| S.No. | Water Supply District | Location | Main Area included | Population | | | Requirement | | Available at Present | | | | Proposed to be enhanced in JNNURM by 2010 | | Availability of Ground Water beyond mid stage 2025 | Total Proposed Availability | | Deficit (Year 2040) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Water | | | Storage | Water | Storage | | Water | Storage | Water | Storage |
| | | | | 2010 | 2025 | 2040 | Water Demand in 2040 (MLD) | Storage (KL) | Surface (MLD) | Ground Water (MLD) | Total (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | A | Cis Gomti area between Gomti River and Line from Dilkusha to Hardoi. | Aminabad, Charbagh, Hazratganj, Vidhan Sabha, Butler Palace, Rajajipuram, Aisbhagh, Balaganj, Chowk, Medical College, Hardoi Road. | 1159707 | 1495795 | 1879750 | 341.26 | 113752 | 183.86 | 71.13 | 254.99 | 77350 | 111.52 | 2550 | 15.00 | 310.38 | 79900 | 30.88 | 33852 |
| 2 | B | Trans Gomti area on the left bank upto Kukrail Nala. | Aliganj, Khadra, Daliganj, Nishatganj, Jankipuram, Nirala Nagar, Sitapur Road, University Road, Paper Mill. | 696698 | 1111911 | 1745287 | 301.06 | 100354 | 20.00 | 73.72 | 93.72 | 31300 | 19.20 | 3100 | 70.00 | 109.20 | 34400 | 191.86 | 65954 |
| 3 | C | Trans Gomti area on the left bank of Gomti River beyond Kukrail Nala. | Indira Nagar, Gomti Nagar, Sarvodaya Nagar, Sanjay Gandhi Puram & adjoining private colonies. | 478910 | 737155 | 1085451 | 187.24 | 62413 | 0.00 | 66.98 | 66.98 | 34500 | 84.80 | 5350 | 55.00 | 139.80 | 39850 | 47.44 | 22563 |
| 4 | D | Cis Gomti area beyond Dilkusha Hardoi N.R. Line. | Alambagh, Sringar Nagar, Kanpur Road, Raibareli Road, Airport, Sarojini Nagar, South City, Aashiana. | 467685 | 898139 | 1711512 | 295.24 | 98412 | 0.00 | 42.04 | 42.04 | 14000 | 23.04 | 2200 | 42.04 | 65.08 | 16200 | 230.16 | 82212 |
| | | | Total | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 1124.80 | 374931 | 203.86 | 253.87 | 457.73 | 157150 | 238.56 | 13200 | 182.04 | 624.46 | 170350 | 469.46 | 204581 |



ANNEXURE VIII

| Proposed Work in Future under JNNURM Programme | | | |
|---|---|---|---|
| Phase-I, Part-I<br>Estimated Cost Rs. 456.62 Crore<br>(Rs. 388.61 Crore without centage) | Phase-I, Part-II<br>Estimated Cost Rs. 146.565 Crore | Phase-I, Part-III | Phase-II |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
| Renovation of 100 Year old Aishbagh Water Works,<br>Strengthening of Feeder Mains, Replacement of Raw Water Rising Main,<br>Upgradation of II W/W Balaganj from 100 MLD to 200 MLD,<br>Strengthening of Feeder Mains from Balaganj.<br>Reorganisation of Garhi Kanaura W/S at the farthest end of Aishbagh W/W command area.<br>Tube wells - 12 Nos.(12 mld) | Reorganisation of W/S Scheme in three areas namely Saadatganj, Kanhaiya Madhopur & Mallahi Tola.<br>Tube wells - 2 Nos.<br>Works related to intake of II water works Balaganj<br>Works related to increase of water in river Gomti. | W/S Schemes having no piped arrangement.<br>Renovation of existing C.W.R. & over head tanks.<br>Automation of existing water supply system.<br>Segregation of existing feeder mains in different water supply zones. | |
| Reorganisation of Shiv Nagar Khadra W/S Scheme,New Water Supply Scheme for Bharat Nagar Area, Sitapur Road.<br>Tube wells - 20 Nos.(20 mld) | W/S Scheme in Aadil Nagar area.<br>Tube wells - 4 Nos. | New W/S Scheme having no piped water supply.<br>Automation of existing water supply system.<br>Renovation of existing over head tanks. | Construction of FourthWater works at Ghaila. |
| Construction of III$^{rd}$ W/W at Gomti Nagar ( 80 mld Capacity)<br>Liberty Colony Sarvodaya Nagar W/S Scheme<br>Tube wells - 5 Nos.(5 mld) | Six W/S Schemes of private colonies adjacent to Indira Nagar & Gomti Nagar to utilize the water produced by Third Water Works. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | |
| New Water Supply Scheme for Kharika Ward.<br>Tube wells – 24 Nos.(24 mld) | W/S Scheme of Raja Bijli Pasi Ward &<br>Reorganisation of Chitragupta Nagar Ward.<br>Tube wells - 15 Nos. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Reboring of permanent defunct tube wells.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | Construction of Fifth Water works at Mohaan road.<br>Reorganisation of distribution system of remaining areas. |
| **Present Status:** | | | |
| DPR sanctioned by G.O.I. Works under progress. Rs. 40.00 Crores has been received by U.P. Jal Nigam till now out of total amount of Rs. 89.2464 Crore released as I$^{st}$ Installment.Govt of India & State Government has released their part for the the II$^{nd}$ Installment | DPR sanctioned by Govt. of India | Survery in progess. | |

Pai Jal II

1STO (1479) 116

**IN THE HON'BLE HIGH CUORT OF JUDICATURE AT**

**ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No. of 2009

**LUCKNOW NAGAR NIGAM, LUCKNOW**
**THORUGH ITS ADDITIONAL MUNICIPAL COMMISSIONER**
.....Applicant

In Re :
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

**SEWAGE TREATMENT PLANT** .....Petitioner

VERSUS

**STATE OF U.P.** .....Opposite party

**APPLICATION FOR EXEMPTION FROM PERSONAL APPEARANCE OF MUNICIPAL COMMISSIONER MR. S.K. SINGH**

For the facts and reasons stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to exempt the Municipal Commissioner, Mr. Shailesh Kumar Singh, from personal appearance on 26.03.2009 in the aforesaid matter, in the interest of justice.

Any other order which is deemed just and proper in the nature and circumstances of the case be also passed in favour of Lucknow Nagar Nigam, Lucknow, in the interest of justice.

**Lucknow**
**Dated :** 26.03.2009

**(Namit Sharma)**
**Advocate**
**Counsel for Nagar Nigam**
**Lucknow**

1571 ~~1480~~ 117

**IN THE HON'BLE HIGH CUORT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

In Re :
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

**SEWAGE TREATMENT PLANT** .....Petitioner

VERSUS

**STATE OF U.P. & OTHERS** .....Opposite party

**AFFIDAVIT IN SUPPORT OF APPLICATION FOR EXEMPTION FROM PERSONAL APPEARANCE OF MUNICIPAL COMMISSIONER MR. S.K. SINGH**

I, **AMBRISH CHANDRA SINHA**, aged about 59 years, son of Mr. J.C. Sinha, presently working as Additional Municipal Commissioner in Nagar Nigam, Lalbagh Office, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is presently working as Additional Municipal Commissioner in Nagar Nigam, Lalbagh Office, Lucknow and he has been duly authorized on behalf of the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow to swear and file this affidavit on his behalf and as such he is well conversant with the facts deposed to hereinafter.

2. That this Hon'ble Court in the aforesaid petition was pleased to pass an order whereby the Municipal

1572 ~~(48)~~ 118

Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow was required to appear in person before this Hon'ble Court on 26.03.2009.

3. That since the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow is out of station to ~~attain~~ attend & the last rites of one of his close relative because of which he is unable to present himself before this Hon'ble Court today i.e. on 26.03.2009 when the aforesaid matter is listed before this Hon'ble Court.

4. That for the reasons as indicated above it is most respectfully prayed that the personal appearance of Mr. Shailesh Kumar Singh, Municipal Commissioner in Nagar Nigam, Lucknow, be exempted for today i.e. 26.03.2009 in the interest of justice.

**Lucknow**

**Dated : 26.03.2009**

**Deponent**

**VERIFICATION**

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 4 of this affidavit are true to my personal knowledge. No Part of it is false and nothing material has been concealed.

Signed and verified on this 26th day of March 2009 at Lucknow.

**Deponent**

I identify the deponent who is personally known and has signed before me.

**Advocate**

1573 (482) 119

Solemnly affirmed before me on at 11-30 am/pm on 26/3/09, by **AMBRISH CHANDRA SINHA** has been identified by **Sri Namit Sharma**, Advocate, High Court, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

**(OATH COMMISSIONER)**

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 26/3/09 Copan No. 106632

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD
2613

1574 1489 120

**IN THE HON'BLE HIGH CUORT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

In Re :
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

**SEWAGE TREATMENT PLANT** .....Petitioner

VERSUS

**STATE OF U.P. & OTHERS** .....Opposite party

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.10.2008 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, **AMBRISH CHANDRA SINHA**, aged about 59 years, son of Mr. J.C. Sinha, presently working as Additional Municipal Commissioner in Nagar Nigam, Lalbagh Office, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as one of the opposite party, as such he is well conversant with the facts deposed to hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 16.10.2008 whereby the this Hon'ble Court was pleased to pass the following order :-

"Learned Counsel for the parties say that one month time be granted to them for selecting the site and for the

1575 (1494) 121

Pollution Board to give its report/recommendation . This accordingly be done within a period of one month The report/recommendation shall be forwarded to NEERI thereafter forthwith , which shall submit its report expeditiously say within maximum period of one month from the date of receipt of report/recommendation.

Let the matter be listed on 7th January, 2009 at 3.00 p.m. In the meantime, the respondents and particularly the State Government shall file necessary affidavit of compliance if at all required with regard to earlier orders."

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 16.10.2008 a detailed affidavit was being filed by the Nagar Nigam, on 06.01.2009, when the matter was listed before this Hon'ble Court.

4. That in continuation to the aforesaid affidavit the present affidavit is being filed thereby indicating the subsequent progress made in the aforesaid matter.

5. That in reference to paragraph -8 of the affidavit dated 06.01.2009 filed by Nagar Nigam, Lucknow, which is available on record, the District Magistrate, Lucknow has resumed 10 Hectares of Land in Gata No.313b in Village Bendowa, Tehsil and Pargana-Mohanlalganj, District Lucknow, for the purpose of Municipal Solid Waste Management vide its order No.472/DLRC/09 dated 30.01.2009. The said order has been communicated to the

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1576 1455 122

Project Manager, Construction and Design Services, U.P. Jal Nigam, Lucknow by the Nagar Nigam, Lucknow vide its Letter No.12/E.E./JNNURM/08-09 dated 16.02.2009 for needful at its end with regard to the said project. True copies of said order dated-3.01.2009, passed District Magistrate, Lucknow and said copy of letter dated 16.01.2009 issued by Lucknow Nagar Nigam, Lucknow are being annexed herewith as **Annexure No.A-1 and A-2** respectively to this affidavit.

6. That the said affidavit may kindly be read alongwith previous affidavit dated 06.01.2009 filed by Nagar Nigam, Lucknow in the aforesaid case.

7. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated -16.10.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time.

8. That this compliance report is being filed in compliance of this Hon'ble Court's order dated 16.10.2008 and the same is liable to be taken on record.

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

26/3/09

**Lucknow**

**Dated : 26.03.2009**

**Deponent**

ISTT 1956 123

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 4 of this affidavit are true to my personal knowledge. No Part of it is false and nothing material has been concealed.

Signed and verified on this 26th day of March 2009 at Lucknow.

**Deponent**

I identify the deponent who is personally known and has signed before me.

**Advocate**

Solemnly affirmed before me on at 11-50 am/pm on 26/3/09, by **AMBRISH CHANDRA SINHA** has been identified by **Sri Namit Sharma**, Advocate, High Court, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

**(OATH COMMISSIONER)**

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

2613

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 26/3/09 Coupon No. 100654

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 (M/B) of 2009
Sewage Treatment Plant .....Petitioners
VERSUS
State of U.P. & Ors .....Opposite Parties
Annexure No. A-1

1578 (5) 124

3.30/2/09

# कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या– ५१२ /डी0एल0आर0सी0/09 दिनांक: जनवरी, 30 - 2009

## आदेश

अधिसूचना संख्या 258/रा0–1–16 (1) 73, दिनांक 05.03.1974 द्वारा प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, मैं चन्द्रभानु कलेक्टर लखनऊ निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि को जो अब तक स्तम्भ–6 में उल्लिखित गॉव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों मे नि.. थी, को शासनादेश संख्या 258/16 (1)–1973–रा0 1 दिनांक 16.06.81 व शासनादेश संख्या 258/16 (1)/73–रा0 1 दिनांक 09.05.84 निर्देशों के अनुरूप फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। यद्यपि वर्णित भूमि को नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग मानते हुए शासनादेश सं0 258/16 (1)/73–रा0 1 दिनांक 09.05.84 के कम मे निःशुल्क पुनर्ग्रहीत किया जा रहा है यदि भविष्य में भूमि का शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश संज्ञानित होते है तो भूमि के मूल्य की देयता नगर विकास विभाग की होगी।

अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गॉव | गॉवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेअर मे | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | लखनऊ | मोहनलाल गंज | मोहनलाल गंज | बेन्दौवा | बेन्दौवा | 313ख | 10.699हे0 मे से 10.000हे0 | नगर विकास विभाग, उ0प्र0सरकार के पक्ष मे म्युनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रयोजन हेतु। |
| कुल योग-- | | | | | | 1 किता | 10.000 हे0 | |

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि–
1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1,लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ को पत्र सं0–884/नौ–5–2009–48सा/09 दिनांक 29.01.2009 में दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मोहनलालगंज को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि सुनिश्चित कराने हेतु।

30/1/09
(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

नगर निगम, लखनऊ।

245

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 (M/B) of 2009
Sewage Treatment Plant .....Petitioners
VERSUS
State of U.P. & Ors.
....Opposite Parties
Annexure No. A-2

1579 (6) 125

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| अधि० अभियंता<br>नगर निगम, लखनऊ। | परियोजना प्रबन्धक,<br>कन्सट्रक्शन डिजायन सर्विसेंज<br>उ० प्र० जल निगम, लखनऊ |
| संख्या : 12/E.E/JNNURM/08-09 | |
| दिनांक : 16.02.2009. | नत्थी : ..... |

विषय : जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की लैण्ड फिल भूमि के सम्बन्ध मे।

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की लैण्ड फिल के लिए लखनऊ नगर निगम द्वारा ग्राम बेन्दौवा तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ के गाटा संख्या-313 ख की 10 हेक्टेयर भूमि जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश संख्या-472/डी०एल०आर०सी/09, दिनांक 30 जनवरी 2009 द्वारा पुर्नग्रहित की गई है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि भूमि का कब्जा प्राप्त करने एंव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना अनुसार उक्त भूमि पर लैण्ड फिल के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशाषी अभियंता
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता नगर निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।

अधिशाषी अभियंता
नगर निगम लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT ALLAHABAD

5/9/09

1580 ~~1489~~ 126

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.**

C. M. Application No. of 2009

State of U. P. ----------Applicant

In re

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 02.3.2009 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 26.03.2009

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1501 (1490) 127

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .**




**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

**AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 02.3.2009.**

I, Surya Prakash Mishra aged about 51 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P.,

1582 1497 128

Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

**2.** That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

**3.** That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

**4.** That it is submitted that instant matter was listed on 02.3.2009 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 26th March 2009.

**5.** That in compliance of the order dated 02.3.2009 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

**6.** That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow, U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan, Lucknow in compliance of orders dated 02.3.2009 passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing the progress report with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' on the basis of records submitted by the U. P. Jal Nigam.

324

1583 ~~1454~~ 129

7. That it is submitted that the master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done and same has been approved by the Government of India under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme, under which the funding pattern is 50 % by Government of India, 20 % by the State Government and remaining 30 % by the local bodies. It is submitted that in Master Planning of the sewage work, Lucknow town has been divided into four Sewage Districts. It is submitted that the Ministry of Urban Development, Government of India in its 60th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) of the Sub Mission on Urban Infrastructure and Governance under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission, held on 21st November 2008 has approved the DPR of Sewage District– III (Part – I) for an amount of Rs. 262.16 Crore, and an amount of Rs. 236.23 Crore as second installment for Sewage District– I (Part –I and II), in the year 2008 – 09, in the aforesaid 60th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee.

8. That it is submitted that under the sub mission 'Urban Infrastructure and Governance' of the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission of the Government of India, with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' in the Sewage Districts of Lucknow City, following amount have been sanctioned by the State Government, vide Government Order No. 35 - G. I. / Nine - 5 - 2008 - 55 Budget / 06 TC Lucknow dated 16.02.2009, which include the share of Central Government as well as the share of the State Government:

1584

~~1453~~ 1380

**(i)** For Sewage District– III (Part – II) Rs. 3753.40 Lakh;

**(ii)** For Sewage District– I (Vol. –I and II) Rs. 4134.02 Lakh;

**(iii)** For Sewage District– III (Part – I) Rs. 4587.80 Lakh;

**(iv)** For improvement of Storm Water Drainage of Lucknow City Rs. 4553.08 Lakh;

**(v)** For supply of Drinking Water of Lucknow City Rs. 6800.68 Lakh.

Total: Rs. 23,828.98 Lakh.

The true Photostat copy of the aforesaid Government Order dated 16.02.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A - 1** to this affidavit.

**9.** That it is submitted that under the sub mission 'Urban Infrastructure and Governance' of the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission of the Government of India, with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' in the various Sewage Districts of Lucknow City, 30 % share should be provided by the local body (i.e., the Nagar Nigam, Lucknow), for the said purposes following amount have been sanctioned by the State Government under the *'Ma. Kanshiram Nagar Vikas Yojana'* as interest free loan, vide Government Order No. 1797 / Nine - 5 - 2009 - 37 Sa / 09 Lucknow dated 02.3.2009, as share of Nagar Nigam, Lucknow:

**(i)** For Sewage District– III (Part – II) Rs. 1608.08 Lakh;

**(ii)** For Sewage District– I (Vol. –I and II) Rs. 1771.72 Lakh;

**(iii)** For Sewage District– III (Part – I) Rs. 1966.20 Lakh;

**(iv)** For improvement of Storm Water Drainage of Lucknow City Rs. 1951.32 Lakh.

Total: Rs. 7297.84 Lakh.

324

Oath Commissioner (LUCKNOW)

2012

1585 ~~1494~~ 131

The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 02.3.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A - 2** to this affidavit.

**10.** That is submitted that in the Financial Year 2008 -09, vide Government Order No. 1543 / Nine - 5 - 2009 - 264 Budget / 08 dated 02.3.2009, the State Government has sanctioned an amount of Rs. 2,01,22,000.00 under the Gomti Action Plan (Phase- II) for construction of 345 LMD capacity Sewage Treatment Plant at village Bharwara, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 02.3.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A - 3** to this affidavit.

**11.** That it is submitted that in the Financial Year 2008 -09, vide Government Order No. 1599 / Nine - 5 - 2008 - 287 Budget / 08 dated 02.3.2009, the State Government has sanctioned an amount of Rs. 3,52,00,000.00 as State share, under the Gomti Action Plan (Phase- I) against the *'I. and D. of Kukrail Nala and Construction of Intermediate Pumping Station at Lucknow*'; which has been sanctioned by the Government of India. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 02.3.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A - 4** to this affidavit.

**12.** That is submitted that the details of work done till 15.3.2009 under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme are being mentioned as under:

The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 15.3.2009, 34 + 6 new Tube-Wells have been

installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing, out of which till 15.3.2009, 41 old Tube-Wells have been repaired and they are working, and the repairing work with regard to 2 Tube-Wells are in progress.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 86.80 Km have been completed till 15.3.2009.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 38 numbers of Tube-Wells have been completed till 15.3.2009, and rising main work relating to 19 numbers of Tube-Wells are in progress.

True photostat copy of a chart showing physical progress of aforesaid work is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No.A– 5** to this affidavit.

**13.** That in Master Planning of Sewerage Works, for Sewerage District – 1 an estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by the Government of India. It is submitted that the Sewerage Scheme of District – 1 covers approximately 289 Km of branch sewer laying, and 48 Km of trunk sewer laying, construction of one Sewage Pumping Station of 56 mld capacity and one number STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 105.0 Km. of sewer line has been laid till 20.3.2009, and out of 48 Km. trunk sewer laying work, the work in total 20 Km have been completed till

20.3.2009. It is submitted that the work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started after tendering process, and about 30 - 35 % work have been completed. As per report of the U.P. Jal Nigam, the said works are under progress in accordance with the norms prescribed by the U.P. Pollution Control Board. True photostat copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (under the Sewerage Scheme of District–1) is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No.A– 6** to this affidavit.

**14.** That it is significant to submit that the works done till 20.3.2009, under Gomti Action Plan Phase –I and Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09 are detailed herein under:

**(i).** It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to three schemes , which were under progress.

**(ii).** It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II till 20.3.2009 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

**15.** That it is submitted that vide letter dated 23.3.2009, the U.P. Jal Nigam informed to the office of deponent that the

1588 1589 134

construction work for Kukrail Nala Sewage Pumping Station has been started after shifting the place of pumping station and up to February 2009, about 45 % work of the pumping station has been completed.

**16.** That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 26/3/09

Deponent

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1 to 3 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 4 to 16 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs _____ are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated: 26.03.2009

Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

26/3/09

( ओम प्रकाश चौहान )
सभीक्षा अधिकारी
नगर विकास अनुभाग-5
उ0 प्र0 शासन

0101637

कक्ष सं0 .....
द्वारा शपथ ली गई सूर्य प्रकाश सिंह
जिनका परिचय श्री ओम प्रकाश चौहान
दिनांक 26.03.09 समय 10.20 बजे पूर्वाह्न
बाद संख्या 4453/16 वर्ष 2003
पक्षकार सेव द ट्रीटमेंट प्लांट ग्रुप सेट आव उ0 प्र0
न्यायालय .....

अभिसाक्षी ने शपथ – पत्र पढ़ लिया है, और इसकी विषय वस्तु समझता है।

26/3/09

( डा० जटाशंकर त्रिपाठी )
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी

ANNEXURE NO. A-1

संख्या- 35-जी.आई./नौ-5-2008-55बजट/06टीसी

135

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 16 फरवरी, 2009

विषयः **भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श में वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- 59(1)/पीएफ-1/2008-407, दिनांक 29.12.2008, पत्रांक- 59(1)/पीएफ-1/2008-413, दिनांक 31.12.2008 एवं पत्रांक- 59(1)/पीएफ-1/2008-431, दिनांक 09.01.2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत 15 परियोजनाओं हेतु कुल अनुमोदित लागत **रू0 259894.85 लाख** में से अनुमन्य केन्द्रांश **रू0 133064.42 लाख** के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम/द्वितीय किश्त/अवशेष धनराशि के रूप में अवमुक्त धनराशि **रू0 30925.31 लाख** तथा तद्नुसार निर्धारित 20 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि **रू0 12160.87 लाख** अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि **रू0 43086.18 लाख (रू0 चार अरब तीस करोड़ छियासी लाख अट्ठारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्न विवरणानुसार एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 | परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष कुल अनुमन्य केन्द्रांश | केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि | केन्द्रांश तथा राज्यांश की कुल स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | इलाहाबाद नगर में वाटर सप्लाई कम्पोनेन्ट (पार्ट-।।) | 16234.00 | 8117.00 | 1623.00 | 649.20 | 2272.20 |
| 2 | इलाहाबाद नगर में जलापूर्ति | 8969.00 | 4484.50 | 1121.13 | 448.45 | 1569.58 |
| 3 | कानपुर नगर में सीवेज ट्रीटमेंट | 10100.45 | 5050.22 | 1262.55 | 505.02 | 1767.57 |
| 4 | मेरठ नगर में म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेंट | 2259.40 | 1129.70 | 282.43 | 112.97 | 395.40 |
| 5 | वाराणसी नगर की वाटर सप्लाई पार्ट-।। सिस वरूना एरिया | 8610.00 | 4305.00 | 1076.25 | 430.50 | 1506.75 |
| 6 | वाराणसी नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य | 19162.00 | 9581.00 | 2395.25 | 958.10 | 3353.35 |



LUCKNOW 26/3

1590 ~~1499~~ 136

| क्र0 | परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष कुल अनुमन्य केन्द्रांश | केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि | केन्द्रांश तथा राज्यांश की कुल स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | वाराणसी नगर में जलापूर्ति कम्पोनेन्ट | 11102.00 | 5551.00 | 1387.75 | 555.10 | 1942.85 |
| 8 | वाराणसी नगर में ट्रान्स वरूणा एरिया में सीवरेज कार्य | 30912.00 | 15456.00 | 3091.00 | 1236.40 | 4327.40 |
| 9 | आगरा नगर में नार्थ वेस्टर्न जोन में ब्रान्च एण्ड लैटेरल सीवर लाइन निर्माण | 2162.00 | 1081.00 | 270.25 | 108.10 | 378.35 |
| 10 | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। (पार्ट-।।) | 21443.00 | 10722.00 | 2681.00 | 1072.40 | 3753.40 |
| 11 | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-। (वाल्यूम-। एण्ड ।।) | 23623.00 | 11811.50 | 2952.87 | 1181.15 | 4134.02 |
| 12 | लखनऊ नगर में सीवेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।।(पार्ट-।) | 26216.00 | 13108.00 | 3277.00 | 1310.80 | 4587.80 |
| 13 | लखनऊ नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज | 31521.00 | 16261.00 | 3252.20 | 1300.88 | 4553.08 |
| 14 | लखनऊ नगर में जलापूर्ति | 38861.00 | 19430.50 | 4857.63 | 1943.05 | 6800.68 |
| 15 | मथुरा नगर में स्ट्राम वाटर ड्रेनेज | 8720.00 | 6976.00 | 1395.00 | 348.75 | 1743.75 |
| | योग | 259894.85 | 133064.42 | 30925.31 | 12160.87 | **43086.18** |

(1) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-2, 4, 7, 9, 11 एवं 14 पर अंकित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की द्वितीय किश्त तथा क्रमांक 1 व 13 पर अंकित परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि तथा क्रमांक- 3, 5, 6, 8, 10, 12 एवं 15 पर अंकित परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः जिन परियोजनाओं के लिये द्वितीय किश्त/अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है, उनके संदर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) के खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित नागर स्थानीय निकाय के अंश की धनराशि प्राप्त होने या अंशदान देने की सहमति प्राप्त होने पर अवमुक्त की जायेगी।

(3) यथा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

1591 1592 1500 737



2- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2008-09 की आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-04-नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत सहायता-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान'' के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-पू०प्रो० ई-8-568/दस/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- वरिश्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10- नियोजन अनुभाग-3/4
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव

1592 ANNEXURE NO A-2

1593 1797 138

संख्याः 1797/नौ-5-2009-37सा/09

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 02 मार्च, 2009

**विषयः-** वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम योजना के यू.आई.जी. घटक के अन्तर्गत निकायों के अंश की धनराशि की **'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना'** से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- तक0सेल/3513/286-रिवा0फण्ड/08, दिनांक 25.02.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत आच्छादित नगरों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि के सापेक्ष निर्धारित 30 प्रतिशत निकाय अंश की धनराशि कुल **रू0 11347.12 लाख (रू0 एक अरब तेरह करोड़ सैतालीस लाख बारह हजार मात्र)** को **'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना'** के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्रमांक | निकाय का नाम | परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निकाय अंश की प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर निगम, कानपुर | कानपुर नगर में सीवेज ट्रीटमेंट | 10100.45 | 1262.55 | 505.02 | 757.53 |
| 2 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य | 19162.00 | 2395.25 | 958.10 | 1437.15 |
| 3 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर में ट्रान्स वरूणा एरिया में सीवरेज कार्य | 30912.00 | 3091.00 | 1236.40 | 1854.60 |
| 4 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। (पार्ट-।।) | 21443.00 | 2681.00 | 1072.40 | 1608.60 |
| 5 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-। (वाल्यूम-। एण्ड ।।) | 23623.00 | 2952.87 | 1181.15 | 1771.72 |
| 6 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। (पार्ट-।) | 26216.00 | 3277.00 | 1310.80 | 1966.20 |
| 7 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज | 31521.00 | 3252.20 | 1300.88 | 1951.32 |
| | | योग | 162977.45 | 18911.87 | 7564.75 | **11347.12** |

**(रू0 एक अरब तेरह करोड़ सैतालीस लाख बारह हजार मात्र)**

GORF-(08-09)-S1

26/3

1593 1594 1502 139



2- संबंधित निकायों को उपर्युक्त तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंध के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी।
3. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्प्ले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं शासन को 30 जून, 2009 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"6215 जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-848-दस/09, दिनांक 02 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

GORF-(08-09)-SI

26/3

1594 1595 1602 140



संख्या- 1797/नौ-5-2009-37सा/09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

GORF-(08-09)-S1

26/3

ANNEXURE NO. A-3

1595

संख्या- 1543/नौ-5-2009-264बजट/08

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2009

विषयः गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर के भरवारा गांव में 345 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-36/022-0222/2009, दिनांक 07.02.09 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर के भरवारा गांव में 345 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु शासनोदश संख्या- 5510/नौ-5-2008-264बजट/08, दिनांक 10.10.2008 के क्रम में राज्यांश की बढ़ी हुई धनराशि में से रू0 2,01,22,000/- (रू0 दो करोड़ एक लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
4. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। अन्य कार्यों पर नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार दो माह के अन्तराल में तीन समानुपातिक किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

1596 1597 1505 142



3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषण निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-03-नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (70 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-९५१ /दस-09, दिनांक 9 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 1543/नौ-5-2009-264बजट/08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हों।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3, 4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

2/3/09
07/4/09

GOFinSanctions-NV5(08-09)SI

26/3

ANNEXURE NO A-4

1597 ~~1598~~ ~~1506~~ 1543

संख्या- 1599/नौ-5-2008-287बजट/08

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2009

विषयः गोमती कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना "आई. एण्ड डी. आफ कुकरैल नाला एण्ड कन्सट्रक्शन आफ इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन एट लखनऊ" की बढ़ी हुई धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-51/022-0221/2009, दिनांक 19.02.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोमती कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना **"आई. एण्ड डी. आफ कुकरैल नाला एण्ड कन्सट्रक्शन आफ इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन एट लखनऊ"** के कार्यों के आगणन रू0 1169.06 लाख पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यांश की बढ़ी हुई धनराशि **रू0 3,52,00,000/- (रू0 तीन करोड़ बावन लाख मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
4. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। अन्य कार्यों पर नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित कर फेजिंग के अनुसार दो माह के अन्तराल में तीन समानुपातिक किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

1598 ~~1507~~ 144



3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषण निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-01-गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत लखनऊ में कुकरैल नाला संबंधी कार्य (के.70/रा.30-रा.)-20-सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-026/दस-09, दिनांक 2 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3, 4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

2/3/09

26/3

ANNEXURE NO. A-5

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

| कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 16.10.08 तक प्रगति | दि. 05.01.09 तक कुल प्रगति | दि. 15.03.2009 तक कुल प्रगति | दि. 05.01.09 से 15.03.09 तक कुल प्रगति | अभ्यु |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | | |
| नये नलकूप (समस्याग्रस्त क्षेत्रों में) | 40 नग | 28 नग चालू, 9 नग प्रगति पर | 31 नग चालू, 9 नग प्रगति पर | 34 नग चालू, 6 नग प्रगति पर | 3 नग चालू, | |
| विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओ के अन्तर्गत | | | | | | |
| नये नलकूप | 21 नग | 3 नग चालू, 13 नग प्रगति पर | 4 नग चालू, 13 नग प्रगति पर | 4 नग चालू, 13 नग प्रगति पर | -- | 4 कार्यस्थल |
| रिबोर नलकूप | 1 नग | | 1 नग प्रगति पर। | 1 नग प्रगति पर। | -- | |
| रिबोर नलकूप | 43 नग | 25 नग चालू, 11 नग प्रगति पर। | 34 नग चालू, 9 नग प्रगति पर। | 41 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | 7 नग चालू, | |
| वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 36.00 कि.मी. | 69.10 कि.मी. | 86.80 कि.मी. | 17.70 कि.मी. | |
| राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 31 नग नलकूप की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू तथा 20 का कार्य प्रगति पर। | 35 नग नलकूप की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 22 नग नलकूपो की राजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 38 नग नलकूप की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 19 नग नलकूपो की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 3 नग नलकूप की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। | |
| सामान्य कार्यक्रम | | | | | | |
| वर्ष 2007-08 के विरूद्व नये हैण्डपम्प<br>वर्ष 2008-09 के विरूद्व नये हैण्डपम्प | 409 नग<br>1230 नग | 409 नग | 409 नग<br>1230 नग | 409 नग<br>1230 नग | -- | |
| वर्ष 2007-08 के विरूद्व विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प<br>वर्ष 2008-09 के विरूद्व विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग<br>153 नग | 670 नग | 670 नग<br>153 नग | 670 नग<br>153 नग | -- | |
| नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू। | 3 नग चालू तथा,<br>2 नग प्रगति पर। | 3 नग चालू तथा,<br>2 नग प्रगति पर। | -- | |
| रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग | 39 नग | 39 नग | -- | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

ANNEXURE NO. A-6

संलग्नक

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दिनांक 5.01.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 5.01.2009 से 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 38.50 कि.मी. | 72.00 कि.मी. | 105.00 कि.मी. | 33.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 11.50 कि.मी. | 18.00 कि.मी. | 20.00 कि.मी. | 2.00 कि.मी. | " |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 10% | 15% | 30% | 15% | " |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 10% | 15% | 35% | 20% | " |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | | " |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 263.04 | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 37.587 | 46.520 | 55.800 | 9.280 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 43.037 | 48.370 | 55.850 | 7.480 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा दिसम्बर 2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा माह फरवरी, 2009 में रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा माह मार्च 2009 में रु.19.772 करोड़ की किश्त निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
9. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
अपर आयुक्त एवं विभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग- (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE No. A. 7

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दिनांक 5.01.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 5.01.2009 से 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | -- | | | | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (30%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (40%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (45%) | 1 नग (5%) | |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5120 मीटर | 5220 मीटर | 5220 मीटर | शून्य | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 42% | 47% | 50% | 3% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 44.75 | | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 36.556 | 37.22 | 37.39 | 0.17 | |
| | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 33.850 | 35.160 | 37.277 | 2.117 | |

**नोट :** कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

संलग्नक-4

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति | दिनांक 5.01.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 5.01.2009 से 20.03.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17 नग 95% | 17 नग 95% | 17 नग 95% | -- | |
| | | | 1 नग 20% | 1 नग 40% | 1 नग 40% | -- | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95% 1 नग 30% | 10 नग 95% 1 नग 30% | 10 नग 95% 1 नग 30% | -- | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 8134 मीटर | 8134 मीटर | 9000 मीटर | 866 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 80% | 80% | 80% | -- | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 70% | 70% | 70% | -- | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 10% | 1 नग 15% | 1 नग 33% | 1 नग 18% | |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100% 1 नग 90% | 6 नग 100% 1 नग 90% | 6 नग 100% 1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 1 नग 90% | 1 नग 90% | 1 नग 90% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | 6 नग | -- | |
| 12 | वनीकरण - जाब | 20% | 5% | 5% | 5% | -- | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 20% | 5% | 5% | 5% | -- | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 40% | 40% | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 263.04 | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 108.432 | 130.09 | 150.97 | 20.88 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 108.433 | 149.11 | 161.711 | 12.601 | |

Civil Secretariat LUCKNOW

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

26/3/09
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
अपर आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

1603 ~~1/2~~ 149

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.
C.M. APPLICATION NO. OF 2009

State of U.P. & Others ... Applicant/Opp. Parties.

In re:

**Writ Petition No 4436 (M/B) of 2003**

Sewage Treatment Plant,
Lucknow ..... Petitioner

Versus

State of U.P. & Others .... Opp. Parties

**APPLICATION FOR TAKING RECORD ACCOMPANYING SHORT COUNTER AFFIDAVIT.**

The above named applicants/Opp. Parties most respectfully beg to submit as under:-

For the facts, reasons and circumstances disclosed in the accompanying Short Counter Affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to take the same on record, in the interest of justice.

Any other order or direction which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances of the case may also be passed.

Place: Lucknow
Dated: 15/4/2009

(Addl. Chief Standing Counsel.)
Counsel for the Applicants/
Respondents.

1604 (1513) 150

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

State of U.P. & Others ... Applicant/Opp. Parties.

2009 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 016772

सत्यमेव जयते High Court, ALLAHABAD

15/5/09

**Writ Petition No 4436 (M/B) of 2003**

Sewage Treatment Plant,

Lucknow ..... Petitioner

Versus

State of U.P. & Others .... Opp. Parties

**SHORT COUNTER AFFIDAVIT**

I, Awadhoo Ram,, aged about 52 years, son of Shri Balkaran posted as Chief Engineer ( Sharda), Ganga Sinchai Bhawan, Telibagh, Lucknow the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

COMMISSIONER FOR OATH सत्यमेव जयते High Court, ALLAHABAD

15/5/09

1. That the deponent is presently posted as Chief Engineer, (Sharda),Ganga Sinchai, Bhawan, Telibagh, Lucknow ,as such, he fully conversant with the facts of case deposed to hereunder.

1605 (1519) 151

2. That vide order dated 9th July, 2009, this Hon'ble Court has issued directions to the Irrigation Department for filing affidavit by the next date of listing specifically on the points as to what steps have been taken by the Irrigation Department for cleaning of the river Gomti.

3. That in compliance of the order dated 9th July,2009 passed by this Hon'ble Court the steps which have been taken by the Irrigation Department are being brought to the notice of the Hon'ble Court in the manner disclosed below.

4. That the duties of the Irrigation Department is limited only flood protection of the city against floods of river Gomti by maintenance of Marginal Embankments on both sides of river Gomti, closing the barrels when river is in flood.

5. That at present study for minimum requirement of water from environmental consolidation is being done by I.I.T. Roorkee, and a study is being done by CWRPS, ( Central Water Research & Power Station), Pune. A project for additional discharge of 100 Cusecs from Sharda Canal system has been prepared and sent to U.P. Jal Nigam. the project is attached with the project of Jal Nigam and is pending with G.O.I for financial sanction.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
सत्यमेव जयते

6. That this year cleaning and dredging work of river Gomti is being done by the U.P. Projects

1606 (1575) 152

Corporation. The funds have been provided by Commissioner, Lucknow.

7. That the embarkment on right bank of river Gomti near Gandhi Setu about 96% of the work has been completed. The length of the bend is 750 meters and its top width is 5.5 m.

Place: Lucknow

DATED 15/9/09

(DEPONENT)

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paras 4 of this affidavit are true to my knowledge and the contents of paras 2 to 7 are true to my knowledge derived from records and those of paras 2 are based on legal advice. Nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

LUCKNOW:

DATED: 15/9/2009

DEPONENT.

I identify the above named deponent, who has signed before me.

Clerk Of C.S.C. Office.

1607 (1576) 153

Solemnly affirmed before me on 15/9/09

at 1.55 ~~a.m./~~p.m.

by Sri Awadhesh Kumar

The deponent who is identified by

Sri, K.N. Yadav, CSC Office,

High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

COMMISSIONER FOR OATH
सत्यं नैव ज्यते
High Court, ALLAHABAD

15/9/09

15/9/09

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad
Lucknow Bench

No. 748 0167742

15/9/09

1608. 154

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003







Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

Affidavit in Compliance of the order dated 26.3.2009

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 53 years, s/o Late Subedar Singh, presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow, the deponent do here by solemnly affairs and state on oath as under:-




1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That the aforesaid writ petition was last listed on 26.3.2009 where by this Hon'ble Court was pleased to pass following order : " We under the circumstances, direct that immediate steps be taken by the concerned authorities for

1609 (1310 ~~455~~)

selection of sites and for that purpose, the site will be identified and the information will be given to the U.P. Pollution Control Board so that they may make inspection and submit report and thereafter the matter be reffered to NEERI with the request that they may make inspection and submit their report" .

Sri D.K. Upadhyaya learned Chief Standing Counsel states that the Lucknow Development Authority would be requiring three weeks time to identify the lands and thereafter they will forward their report to the Nagar Nigam, who in turn will intimate the land sites to the U.P. Pollution Control Board as well as the NEERI so that proposal earlier given by the NEERI dated 5th January 2009 may be acted upon".

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 26.3.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Nagar Nigam Lucknow in compliance of the said order.

4. That in compliance of the said order a meeting was convened by the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. on 06.04.2009 which was attended by all the officers of the concerned departments. A true copy of the minutes of said meeting dated 06.04.2009, circular of same issued on 09.04.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

5. That the Lucknow Development Authority issued a letter no. 1618/sa0ni0/9 dated 06.04.2009 addressed to Under Secretary Housing and Urban Planning, Government of U.P. with a copy of the same endorsed to the deponent, which indicated that in all four lands have been earmarked in the Lucknow Master Plan 2021 along the Outer Ring Road by the side of Hardoi Road, besides Sitapur National Highway, Deva Road and Outer Ring Road on Raibareli Road . Out of the said four lands as indicated above in the first phase, the land measuring about thirty five hectares is in the process of acquisition by the Lucknow Development Authority.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1610 1579 156

Further in compliance of proceedings initiated under section 6 of the Land Acqutition Act an amount of Rs. 6.11 crores has been deposited by the Lucknow Development Authority before the appropriate authority. In furtherance to above the Lucknow Development Authority has also deposited an amount of Rs. 1.37 crores for rehabilitation process before the appropriate authority. A true copy of said letter dated 06.04.2009 issued by Lucknow Development Authority is being annexed herewith as **Annexure No.2** to this affidavit.

6. That in continuation to above process the Construction And Design Services, U.P. Jal Nigam, Government of U.P. issued a letter dated 26.02.2009 addressed to the Director, Environment and Secretary, State Level Expert Appraisal Committee with regard to Environmental clearance of the land located at Hardoi Road. A true copy of said letter dated 26.02.2009 issued by Construction And Design Services, U.P. Jal Nigam, Government of U.P. is being annexed herewith as **Annexure No.3** to this affidavit.

7. That further in compliance of various orders passed in the aforesaid and its connected petitions, the District Administration has requisitioned ten hectares of land located at Village-Bindauva, Pargana and Tehsil Mohanlalganj, District Lucknow to the Urban Development Department, Government of U.P. vide its order no. 472/DLRC/09 dated 30.01.2009 for the puposes of Municipal Solid Waste Management . A true copy of said letter dated 30.01.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.4** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

8. That it is pertinent to mention over here that the Nagar Nigam Lucknow vide its letter no. 32/EE/JNNURM/09-10 dated 28.04.2009 addressed to Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow has submitted Form-1 for the said land in question . A true copy of said letter dated 28.04.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.5** to this affidavit.

1611 (1520) 157

9. That in continuation to the above letter annexed as annexure-5 to this affidavit, the Nagar Nigam Lucknow issued letter no. 34/EE/JNNURM/09-10 dated 28.04.2009 addressed to the Chief Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for inspecting the landfill site at Village-Bindauva, Pargana and Tehsil Mohanlalganj, District Lucknow. A true copy of said letter dated 28.04.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.6** to this affidavit.

10. That thereafter the above said landfill site was inspected by the U.P. Pollution Control Board on 29.04.2009 whereby it has cleared the said land in principle for development of the same. The same has been communicated by the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board to the deponent vide its letter no. Go6319/C-5/Municipal Solid Waste/09 dated 01.05.2009 . A true copy of said letter dated 01.05.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.7** to this affidavit.

11. That in continuation to above mentioned landfill site it is pertinent to mention over here that the Nagar Nigam Lucknow vide its letter no. 33/EE/JNNURM/09-10 dated 28.04.2009 addressed to Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow has submitted Form-1 for the lands located at Village-Kurha Eetgaon, Pargana Kakori and Tehsil Sadar measuring 13.495 hectares and Village Palehanda, Pargana Bijnor, Tehsil Sadar, Lucknow measuring 14.765 hectares . A true copy of said letter dated 28.04.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.8** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

12. That in continuation to the above letter annexed as annexure-8 to this affidavit, the Nagar Nigam Lucknow issued letter no. 35/EE/JNNURM/09-10 dated 28.04.2009 addressed to the Chief Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for inspecting the lands located at Village-Kurha Eetgaon, Pargana Kakori and Tehsil Sadar measuring 13.495

1612 (1521) 158

hectares and Village Palehanda, Pargana Bijnor, Tehsil Sadar, Lucknow measuring 14.765 hectares. A true copy of said letter dated 28.04.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.9** to this affidavit.

13. That thereafter the above said landfill site was inspected by the U.P. Pollution Control Board on 01.05.2009 whereby it has cleared the said land in principle for development of the same. The same has been communicated by the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board to the deponent vide its letter no. 280/RO/C-5/Municipal Solid Waste/09 dated 02.05.2009 . A true copy of said letter dated 02.05.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.10** to this affidavit.

14. That in continuation to above the deponent has issued a letter no. 36/EE/JNNURM/09-10 dated 01.05.2009 addressed to the Director, Construction And Design Services, U.P. Jal Nigam, Government of U.P. whereby the said authority has been requested to complete the formalities at its end such as to furnish its technical reports, location map of area of 2 k.m. radius around the said lands earmarking the habitation, schools, natural water sources, river, drains, religious places, forest, fruit orchids etc. so that the same could be forwarded to the U.P. Poluttion Control Board for needful at its end. A true copy of said letter dated 01.05.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.11** to this affidavit.

15. That in continuation to above mentioned landfill site it is pertinent to mention over here that the Nagar Nigam Lucknow had identified the lands located at Village-Rasoolpur Kayastha, Pargana and Tehsil Bakshi Ka Talab measuring 29.034 hectares and Village Achramau, Pargana and Tehsil Bakshi Ka Talab, measuring 92.672 hectares . The same are under the control of the Forest Department Government Of U.P. and therefore could not be acquired.

1613 (15 22) 159

16. That in continuation to above mentioned landfill site it is pertinent to mention over here that the Nagar Nigam Lucknow had identified the land located at Village-Habuapur, Pargana and Tehsil Mohanlalganj measuring 11.551 hectares. The same is in dispute under the Ceiling Act and therefore could not be acquired.

17. That it is pertinent to mention over here that the Executive Engineer, Lucknow Division, Sharda Cannal, Lucknow vide its letter no. 147/LDSC dated 09.01.2009 addressed to the Nagar Nigam Lucknow has informed that the Irrigation Department is constructing the bund between Gandhi Setu and the La Martenier bund for reclaiming of 21.00 acres of un-utilized (Nishprayojya) land. A true copy of said letter dated 09.01.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.12** to this affidavit.

The project of construction of the said bund for reclamation of the land has been approved by the Ganga Flood Control Council, under the Ministry of Water Resources, Government of India. Under the said project the bund is being constructed in a length of 750.0 meters in which the width at top of bund will be 5.50 meters and the river side slope will be covered with geotextile and pitched 60cm, thick stone bolder pitching. The top level of the bund will be 113.64 meters as per the prevalent standard of the Central water Commission. A true copy of the report of the Executive Engineer, Lucknow Division, Sharda Cannal, Lucknow dated 01.05.2009 along with the site plan is being annexed herewith as **Annexure No.13A and 13B** respectively to this affidavit

18. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 26.03.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will

1614 (1523) 160

carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow:
Dated: 04.05.2009

**DEPONENT**

**Verification**

I the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 18 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of this is false and nothing material has been concealed therein.

Signed and verified on this 04th day of May 2009 at Lucknow.

Lucknow:
Dated: 04.05.2009

**DEPONENT**

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by sri ---------- the deponent on 4/5/09 at 11.0 A.M./P.M. who has been identified by sri ---------- Advocate, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 4/5/09 (11499)

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 1

**रिट याचिका संख्या– 4436(एमबी)/2003, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06 अप्रैल 2009 को अपरान्ह 5.30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।**

उपस्थिति–

1. श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
2. श्री अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3. श्री राम सहाय, अनु सचिव, नगर विकास विभाग।
4. श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल।
5. श्री भरत जी पाण्डेय, एडीएम (सीए), लखनऊ
6. श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
7. श्री ए0सी0 सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
8. श्री डी0के0 शर्मा, महाप्रबंधक, जल संस्थान, लखनऊ।
9. श्री नमित शर्मा, अधिवक्ता, नगर निगम, लखनऊ।
10. श्री स्वामीनाथ राम, मुख्य पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
11. श्री एस0एन0 पाण्डेय, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
12. श्री रघुवेन्द्र कुमार, सचिव, जल संस्थान, लखनऊ।
13. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. श्री आर0के0 गौड़, तकनीकी सलाहकार
15. श्री डी0पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. श्री राजेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबंधक, पेयजल (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
17. श्री ए0के0 मित्तल, परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
18. श्री एस0के0 त्रिपाठी, सहायक अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

बैठक में सर्वप्रथम विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या– 4436(एमबी)/2003, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 26.03.2009 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से अवगत कराते हुए बताया गया कि एसटीपी तथा कूड़ा प्रबंधन हेतु भू–स्थलों का चयन किया जाना था, जिसकी कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। इस पर प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया कि भरवारा में स्थापित किये जा रहे 345 एमएलडी क्षमता के एसटीपी की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही कर ली गयी है। एसटीपी हेतु अधिग्रहीत भूमि पर नियमानुसार ईआईएए की कार्यवाही भी करा ली गयी है एवं निर्माण कार्य संचालित है। एसटीपी हेतु भविष्य की अन्य योजनाओं के लिये भूमि की व्यवस्था लखनऊ महायोजना में चिन्हांकित स्थानों पर की जायेगी। अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में कूड़ा प्रबंधन हेतु आवश्यक एक स्थल के लिये 35 हे0 भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है तथा भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रचलित है। शेष तीन स्थानों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उक्त सूचना पर प्रमुख सचिव द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि

1616 (1525) (9) 162

कूड़ा प्रबंधन हेतु नगर में चयनित चारों स्थल कहॉ–कहॉ हैं। विशेष सचिव द्वारा चयनित स्थलों का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' के नियम–4 के अनुसार इस नियम के प्राविधानों को लागू करने का दायित्व नगर निगम का है तथा 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' की अनुसूची–3 के अनुसार भूमि भरण स्थलों के चयन का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' के नियम–4 के प्राविधानों के अनुसार प्रारूप–1 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना देने का दायित्व नगर निगम का है। अतः अवशेष 03 स्थल, जिनको चिन्हित किया गया है, के संबंध में प्रारूप–1 पर सूचना नगर निगम लखनऊ द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त नियम के प्राविधानों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र इसका निस्तारण करेंगे। बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त होते ही इसका परीक्षण 'नीरी' से कराने हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जाय तथा प्रयास कर उनकी रिपोर्ट दिनांक 24 अप्रैल 2009 के पूर्व प्राप्त कर ली जाय। भूमि के अन्तिम रूप से चयन होने के बाद Environment (Protection) Act, 1986 के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटीफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुसार ईआईएए हेतु कार्यवाही की जाय। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपस्थित अधिकारीगणों को प्रमुख सचिव द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये कि वे नगर निगम लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर एक सप्ताह में अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

2– बैठक में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा यह बताया गया कि नगर निगम द्वारा चिन्हित चारों स्थलों में से एक स्थल के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी लखनऊ को संदर्भित किया गया है, जिसमें अग्रेतर कार्यवाही की ज़ानी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम लखनऊ के अधिकारी जिलाधिकारी लखनऊ के यहॉ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करायें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, लखनऊ)**

3– गांधी सेतु के पास एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु रिटेनिंग वाल बनाये जाने के संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णित हुआ कि सिंचाई विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नगर निगम लखनऊ प्रकरण को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाये ताकि समुचित निर्देश प्राप्त हो सकें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

4– अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अनुरोध किया गया कि कूड़ा प्रबंधन हेतु आवश्यक भूमि के चयन के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक जो प्रयास किये जाते रहे हैं, उसे उन्हें जारी रखना चाहिये। इस पर यह निर्णीत हुआ कि 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' में वर्णित व्यवस्था के कम में लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने मास्टर प्लान के अनुसार समयबद्ध रूप से स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण करायें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण)**

1617 (10) 1526 163

5— बैठक में यह भी निर्णीत हुआ कि अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के अनुपालन में चयनित भू–स्थलों के पूर्ण विवरण 03 दिन के भीतर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रस्तुत करें एवं 07 दिन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6— बैठक में इस पर भी विचार–विमर्श किया गया कि प्रकरण के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा **मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की तैयारी के** समय शासन एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिखाया जाना उचित होगा। इस बिन्दु पर प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रतिशपथ पत्रों को अन्तिम रूप से तैयार कराने से पूर्व शासन एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिखा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष विरोधाभास की स्थित उत्पन्न न हो।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

**सूर्य प्रकाश मिश्र**
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–1698/नौ–5–2009–4रिट/07
लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2009

उपर्युक्त की प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल।
3. श्री भरत जी पाण्डेय, एडीएम (सीए), लखनऊ
4. श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
5. श्री ए0सी0 सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
6. श्री डी0के0 शर्मा, महाप्रबंधक, जल संस्थान, लखनऊ।
7. श्री नमित शर्मा, अधिवक्ता, नगर निगम, लखनऊ।
8. श्री स्वामीनाथ राम, मुख्य पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. श्री डी0पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12. श्री राजेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबंधक, पेयजल (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम।
13. श्री ए0के0 मित्तल, परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

Meeting AgendaSI

COMMISSIONER FOR OATHS

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 2

प्रेषक

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पत्रांक: 1618/सं0नि0/09
दिनाँक: 16-04-2009

सेवा में,

अनुसचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन
अनुभाग 3,उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

विषय:- जनहित योचिका सं0 4436/एमबी/2003(पी.आईएल)एस.टी.पी बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 4436/एमबी/2003(पी.आईएल)एस.टी.पी बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 26.03.09 को मा. उच्च न्यायालय द्वारा लखनऊ नगर के सालिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं गांधी सेतु के पास एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु उपलब्ध विकल्पों पर स्पष्ट अभिमत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. अवगत कराना है कि महायोजना 2021 मे लैण्ड फिल साइट हेतु लखनऊ शहर के चारो मार्गो के किनारे गार्बेज स्थलो के रूप मे चार स्थल निर्धारित किये गये है। हरदोई रोड के किनारे बाहरी रिंग रोड पर, सीतापुर राजमार्ग के किनारे, देवॉ रोड पर व रायबरेली रोड के किनारे बाहरी रिंग रोड पर महायोजना मे निर्धारित स्थल ठोस अपशिष्टो के निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये है। महायोजना 2021 मे चिन्हित चारो स्थलो की भूमि मे से प्रथम चरण मे 2 स्थलो की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने की अपेक्षा लखनऊ विकास प्राधिकरण से की गयी थी।

महायोजना 2021 में अंकित लैण्ड फिल साइट हेतु देवॉ रोड पर ग्राम गोयला मे, परियोजना हेतु अर्जित किये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनॉक 12.08.08 को प्रेषित किया गया था। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल के कार्यालय मे किये गये धरना प्रदर्शन के उपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये आश्वासन के क्रम मे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) तथा प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त नौबस्ता कलॉ मे भूमि का चयन सालिड बेस्ट मनैजमेन्ट के लिये लैण्ड फिल साइट हेतु किया गया है, जिसके क्रम मे जनपद के देवा रोड के ग्राम नौबस्ता कला में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये प्रस्तावित भूमि का विवरण पत्र 24 प्रपत्रों में भरकर भूमि अधिग्रहण की धारा 4/17 के प्रकाशन हेतु प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 को दिनांक 04.11.08 को प्रेषित किया गया था। इस योजना में कुल 37.680 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित थी, जिसमें कृषि योग्य भूमि 31.270 हे0, ग्राम समाज की भूमि 5.995

1619 (12) +65

हे0, राज्य सरकार की 0.455 हे0 भूमि योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है, परन्तु उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में यह तथ्य संज्ञान में आया था कि नगर निगम/जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक भूमि का चयन कर लिया गया है, जिसके कारण ग्राम नौबस्ता में लैड फिल साईट हेतु प्रेषित प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।

4. महायोजना 2021 में अंकित लैण्ड फिल साइट हेतु हरदोई रोड पर ग्राम दशहरी, सिकरोरी, रायपुर व सलेमपुर पतौरा में परियोजना हेतु अर्जित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनॉक 13.08.08 को जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें 38.672 हे0 भूमि का चयन लैण्ड फिल साइट हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कृषि योग्य भूमि 35.405 हे0, ग्राम समाज की भूमि 3.267 हे0 भूमि सम्मिलित है।

| | |
|---|---|
| धारा-4 की विज्ञप्ति हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि | 1.75 करोड़ |
| धारा 4 का प्रकाशन दिनांक | 21.10.08 |
| धारा 6 हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि | 6.11 करोड़ |
| पुर्नवास नीति हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि | 1.37 करोड़ |

धारा 6 के प्रकाशन की कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।

5. इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि लैड फिल साईट हेतु भूमि उपलब्ध कराने के विषय पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के बैठक में चर्चा हुई थी, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया था कि अन्य स्थानो पर लैड फिल साईट का चयन किया जा चुका है एवं भूमि निर्माण एजेन्सी-सी.एन.डी.एस. उ.प्र. जल निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान समय में प्राधिकरण के स्तर पर केवल उपरोक्त प्रस्तर 3 पर अंकित विवरण के अनुसार मात्र एक लैड फिल साईट हरदोई रोड पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसके लिये धारा 6 की सूचना का प्रकाशन जिलाधिकारी,लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर 5 कम में अन्य लैड फिल साईट का विवरण शासन को तथा श्री डी.के. उपाध्याय, मुख्य स्थाई अधिवक्ता को अपने स्तर से सीधें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1.08.10 4/10/09
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

letter handed over from sc

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

(1529) 166

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

(13)

1620

ANNEXURE NO - 3


# Construction & Design Services
## Uttar Pradesh Jal Nigam
(Government of U.P)

0522-2239088 (Fax)
2237768 (PBX)
2238260
2237801
2237765
2237873
2236784
2237845

**Head Office :** 2, Lal Bahadur Shastri Marg, Lucknow-226 001


Ref No 27 /C.D.S.-15/03

Date 26.2.09

To

The Director, Environment and
Secretary, State Level Expert Appraisal Committee,
Dr. Bhimrao Ambedkar Paryavaran Parisar,
Vineet Khand – I, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010, Uttar Pradesh

**Sub.: Regarding Solid Waste Management in Distt. Lucknow (U.P.)**

**Ref.: 24th Meeting of State Expert Appraisal Committee (SEAC) held on 17th November, 2008 at Dr. Bhimrao Ambedkar Paryavaran Parisar, Vineet Khand – I, Gomti Nagar, Lucknow.**

Dear Sir,

We had presented the Terms of Reference (TOR) for the above mentioned project in the 24th Meeting of State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) held on 17th November, 2008 for Nawabsta Kalan. But as per the present conditions the land is being acquired next to Hardoi road near Village Dasehri for development of Sanitary landfill & Composting site at Lucknow.

It is therefore requested to kindly consider the Dasehri village site and issue the TOR for further processing of the case.

Thanking you.

Enclosed Documents:
1. Form 1
2. Draft 'TOR'
3. Prefeasibility Report

Yours faithfully,

(Brijendra Pratap Singh)
Director

26.2.09
(O.P. SRIVASTAVA)
P.A. To Director
Directorate of Environment
U.P. Lucknow

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 4

# कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या– 472 /डी0एल0आर0सी0/09 दिनांकःजनवरी, 30 - 2009

## आदेश

अधिसूचना संख्या 258/रा0–1–16 (1) 73, दिनांक 05.03.1974 द्वारा प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, मैं चन्द्रभानु कलेक्टर लखनऊ निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि को जो अब तक स्तम्भ–6 में उल्लिखित गॉव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, को शासनादेश संख्या 258/16 (1)–1973–रा0 1 दिनांक 16.06.81 व शासनादेश संख्या 258/16 (1)/73–रा0 1 दिनांक 09.05.84 निर्देशों के अनुरूप फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। यद्यपि वर्णित भूमि को नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग मानते हुए शासनादेश सं0 258/16 (1)/73–रा0 1 दिनांक 09.05.84 के कम में निःशुल्क पुनर्ग्रहीत किया जा रहा है यदि भविष्य में भूमि का शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश संज्ञानित होते हैं तो भूमि के मूल्य की देयता नगर विकास विभाग की होगी।

अनुसूची

| क0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गॉव | गॉवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | लखनऊ | मोहनलाल गंज | मोहनलाल गंज | बेन्दौवा | बेन्दौवा | 313ख | 10.699हे0 में से 10.000हे0 | नगर विकास विभाग, उ0प्र0सरकार के पक्ष में म्युनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रयोजन हेतु। |
| कुल योग– | | | | | | 1 किता | 10.000 हे0 | |

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1,लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ को पत्र सं0–884/नौ–5–2009–48सा/09 दिनांक 29.01.2009 में दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मोहनलालगंज को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि सुनिश्चित कराने हेतु।

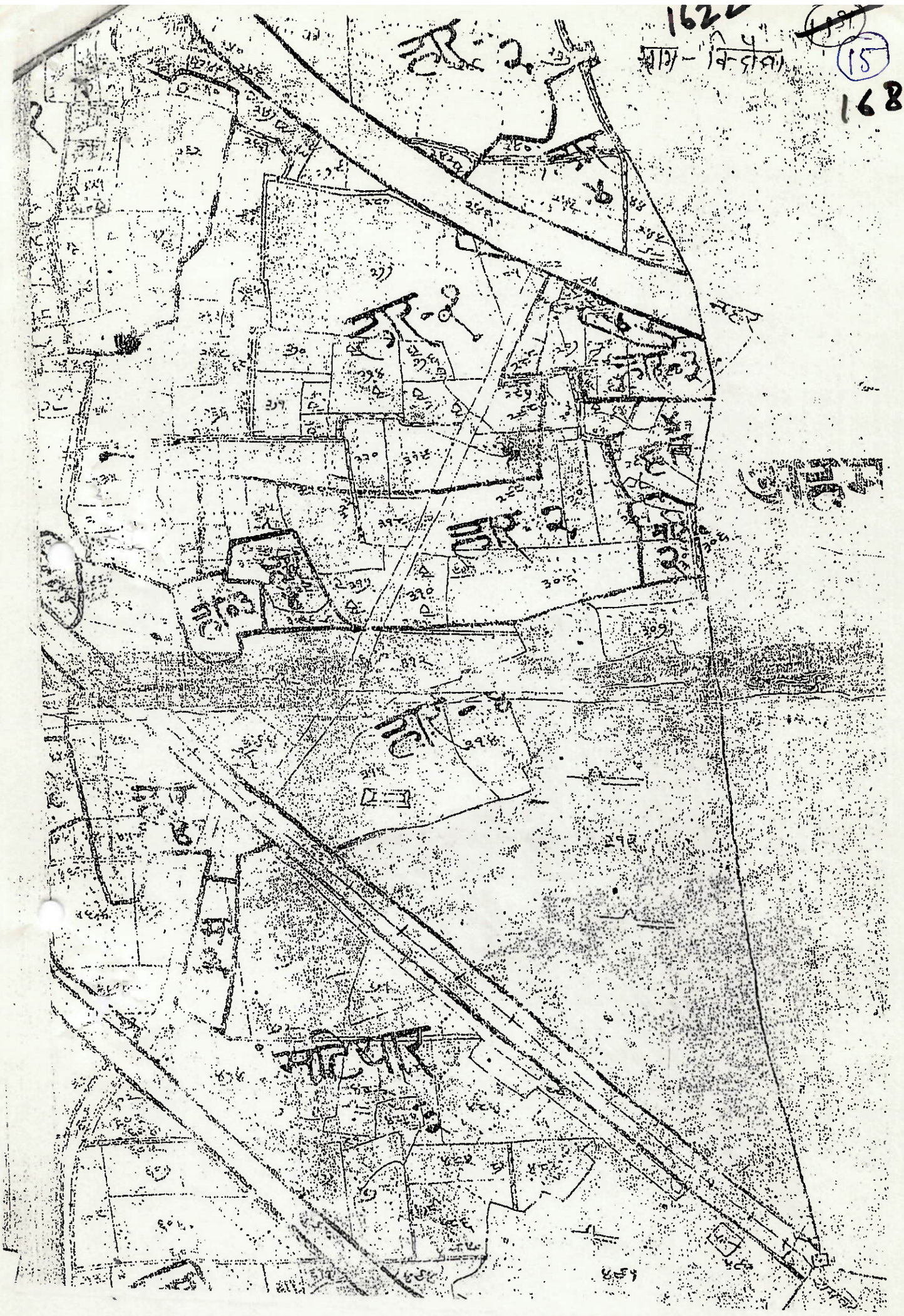
अ.ना.आ.(R)/(A) Camp

30/1/09

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

C:\Users\dpo\Desktop\DM\HC Room No. 360\other.doc

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD



COMMISSIONER FOR OATHS

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 5

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ। | सदस्य सचिव,<br>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>पिकप भवन, गोमती नगर<br>लखनऊ |
| संख्याः 32/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांकः 28.04.2009 | |

**विषय : जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की ग्राम-बिन्दोवा, की लैण्ड फिल भूमि हेतु प्रपत्र 01 के अर्न्तगत आवेदन।**

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की धनांक रू०-42.92 करोड़ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम-बिन्दोवा, परगना एंव तहसील-मोहनलाल गंज की 10.00 हेक्टेयर भूमि का पुर्नग्रहण कलेक्टर/जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश संख्याः 472/डी०एल०आर०सी०/09 द्वारा किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) नियम, 2000 के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र 01 में उक्त भूमि के अथराइजेशन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः प्रपत्र 01, आदेश एवं स्थलीय सजरा प्लान।

भवदीय

28/4

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन महोदय को सूचनार्थ।
02. निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० को सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. महाप्रबन्धक (नि-3/2), सी०एण्डडी०एस० उ०प्र० जल निगम लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/4

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

28.4.2009

COMMISSIONER FOR OATHS

1624 3302/6/Mis(Cell)08

# कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या– ५१२ /डी0एल0आर0सी0/09 दिनांक:जनवरी, ३०- 2009

## आदेश

अधिसूचना संख्या 258/रा0–1–16 (1) 73, दिनांक 05.03.1974 द्वारा प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, मैं चन्द्रभानु कलेक्टर लखनऊ निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि को जो अब तक स्तम्भ–6 में उल्लिखित गॉव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, को शासनादेश संख्या 258/16 (1)–1973–रा0 1 दिनांक 16.06.81 व शासनादेश संख्या 258/16 (1)/73–रा0 1 दिनांक 09.05.84 निर्देशों के अनुरूप फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। यद्यपि वर्णित भूमि को नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग मानते हुए शासनादेश सं0 258/16 (1)/73–रा0 1 दिनांक 09.05.84 के कम में निःशुल्क पुनर्ग्रहीत किया जा रहा है यदि भविष्य में भूमि का शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश संज्ञानित होते हैं तो भूमि के मूल्य की देयता नगर विकास विभाग की होगी।

अनुसूची

| क0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गॉव | गॉवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | लखनऊ | मोहनलाल गंज | मोहनलाल गंज | बेन्दौवा | बेन्दौवा | 313ख | 10.699हे0 में से 10.000हे0 | नगर विकास विभाग, उ0प्र0सरकार के पक्ष में म्युनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रयोजन हेतु। |
| कुल योग– | | | | | | 1 किता | 10.000 हे0 | |

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1,लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ को पत्र सं0–884/नौ–5–2009–48सा/09 दिनांक 29.01.2009 में दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मोहनलालगंज को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि सुनिश्चित कराने हेतु।

अ॰ना॰आ॰(R)(CA) Camp

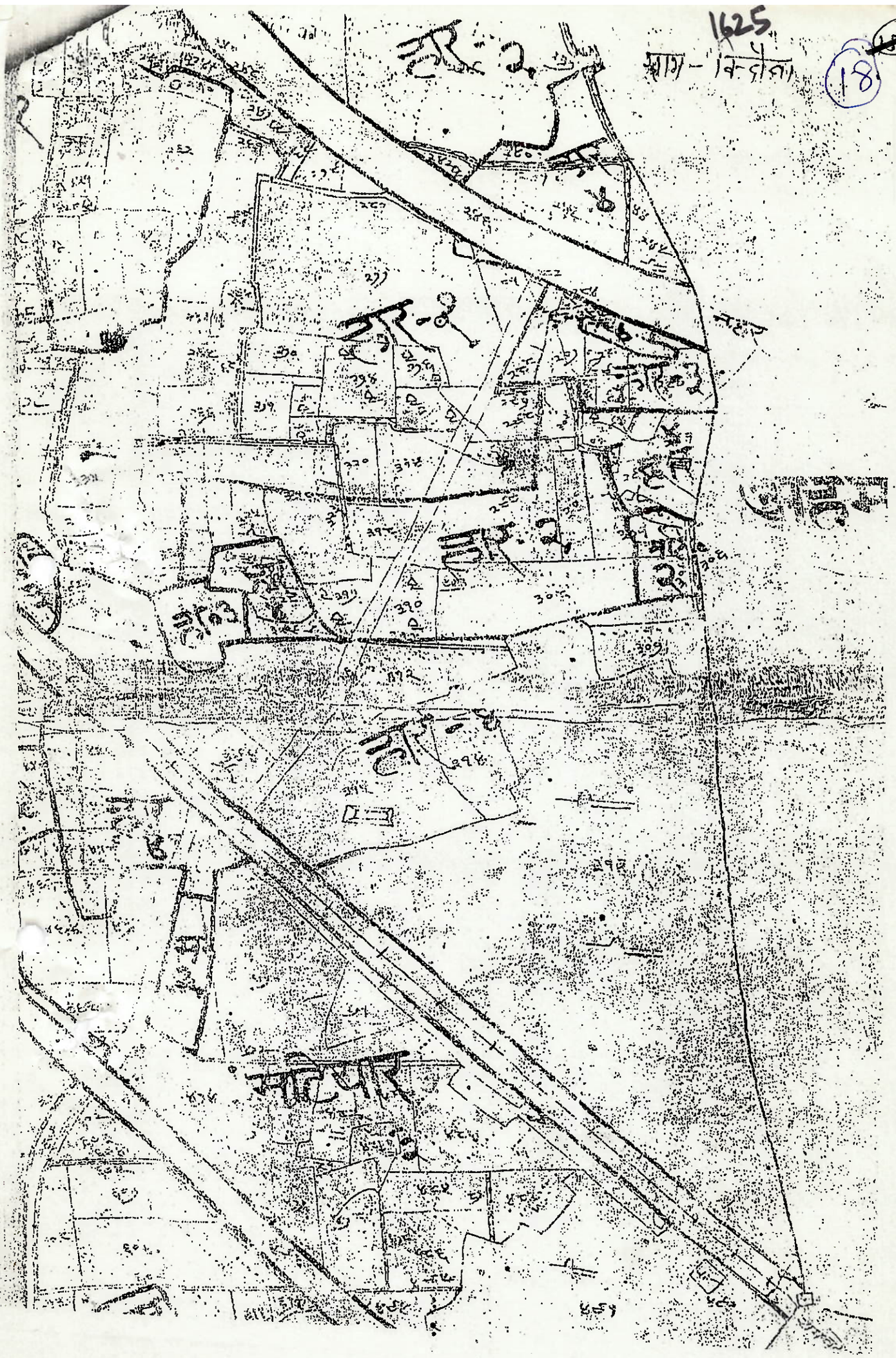
नगर निगम, लखनऊ

30/1/09

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

C:\Users\hp\Desktop\DJ\RC Room No. 389\letter.doc

नगर निगम, लखनऊ।



1625

(18)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 6

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| अपर नगर आयुक्त<br>नगर निगम, लखनऊ। | मुख्य पर्यावरण अभियंता,<br>उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>लखनऊ। |
| संख्या : 34/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांक : 28.04.2009 | |

विषय : जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु चयनित ग्राम-बिन्दोवा की लैण्ड फिल भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके संज्ञान मे लाना है कि जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु ग्राम-बिन्दोवा में 10.00 हेक्टेयर भूमि का पुर्नग्रहण कलेक्टर/जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश संख्याः 472/डी०एल०आर०सी०/09 द्वारा किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय मे दायर रिट याचिका संख्याः 4436(एम.बी)/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा लैण्ड फिल की भूमि के सम्बन्ध मे नीरी से विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर अद्यतन आख्या केश की सुनवाइ की अगली तिथि 4 मई 2009 मे प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त के प्ररिप्रेक्ष्य मे अनुरोध है कि ग्राम-बिन्दोवा की उक्त भूमि की लैण्ड फिल के रूप मे उपयुक्तता के संदर्भ मे स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि नीरी से उनका विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जा सके।

भवदीय

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

20/4/09 रामचन्द्र

28-4-09
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT ALLAHABAD

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage. Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 7

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं / Ref. No. Lo.6319 /C-5/म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट/07 दिनांक / Date 01-5-07

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषयः— जे०एन०एन०यू०आर०एम कार्य के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की ग्राम– बिन्दोवा, तहसील– मोहनलाल गंज, लखनऊ की लैण्ड फिल भूमि हेतु ०१ के अन्तर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या ३२/EE/JNNURM/09-10 दिनांक २८–४–०६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के साथ संलग्न ग्राम–बिन्दोवा, तहसील– मोहनलाल गंज, लखनऊ मे नगरीय ठोस अपशिष्ट( प्रबन्धन एवं हथालन) नियम–२००० के अन्तर्गत प्रपत्र–१ पर प्रस्तावित १०.० हेक्टेअर भूमि जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–१ में वार्णित सूचनाओं के परीक्षण/जॉच के उपरान्त पाया गया है कि आवेदन पत्र के विन्दु–५ पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन एवं निस्तारण /प्रबन्धन हेतु विस्तृत तकनीकी परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र–१ के साथ संलग्न नही किया गया है। इसी अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री एस०के० जैन (अधिशाषी अभियन्ता) एवं श्री एस०सी० गुप्ता, तहसीदार नगर निगम के साथ दिनांक २६–४–०६ को आवेदन पत्र में इंगित स्थल ग्राम–बिन्दोवा, तहसील– मोहनलाल गंज, लखनऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के अनुसार प्रश्नगत स्थल की २०० मी० की त्रिज्या में कोई आबादी मस्जिद, मंदिर, स्कूल इत्यादि स्थित नहीं है किन्तु स्थल का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण हेतु विस्तृत तकनीकी परियोजना रिपोर्ट जैसा कि प्रपत्र–१ के बिन्दु–५ में वॉछित है, आवश्यक है, तभी उक्त प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा।

अतएव उक्त परिस्थिति में आप से अनुरोध है कि यद्यपि उक्त स्थल के निरीक्षण के अनुसार आपके प्रतिनिधियों द्वारा दर्शाया गया स्थल सैद्धान्तिक रूप से उचित पाया गया किन्तु प्रस्तावित भूमि से संबंधित विवरण, प्रस्ताव से संबंधित वांक्षित तकनीकी परियोजना रिपोर्ट एवं आसपास स्थित आबादी, स्कूल, प्राकृति जल श्रोत, नदी नाले, धार्मिक स्थल, वन/फलदार बाग एवं अन्य संबेदनशील स्थलों का दूरी सहित विवरण एवं लोकेशन मैप तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जा सके ।

भवदीय,
( ज०सी०एस० भट्ट )
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१ विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या २६८८/६–५–२००६–४ रिट/२००७ के संदर्भ में।
२ निदेशक, स्थानीय निकाय, इन्द्रा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
३ क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
४ महाप्रबन्धक, ( नि–३/२), सी०एण्ड० डी०एस० उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।

सदस्य सचिव

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(21)

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 8

# नगर निगम, लखनऊ

प्रेषक :
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

संख्याः 33/E.E/JNNURM/09-10
दिनांकः 28.04.2009

सेवा में :
सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, गोमती नगर
लखनऊ

**विषय : जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की ग्राम-कूढ़ा ईटगांव, परगना-काकोरी, तहसील-सदर एंव ग्राम-पलेहन्दा परगना-बिजनौर तहसील-लखनऊ की लैण्ड फिल भूमि हेतु प्रपत्र 01 के अर्न्तगत आवेदन।**

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की धनांक रू०-42.92 करोड़ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम-कूढ़ा ईटगांव, परगना-काकोरी, तहसील-सदर की 13.495 हेक्टेयर एंव ग्राम-पलेहन्दा, परगना-बिजनौर, तहसील-लखनऊ में 14.765 हेक्टेयर भूमि कृषि विभाग, उ०प्र० शासन से नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन को हस्तातंरित किये जाने की कार्यवाही प्रगतिधीन है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) नियम, 2000 के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र 01 में उक्त भूमि के अथराइजेशन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः प्रपत्र 01, एवं खतौनी व स्थलीय सजरा प्लान।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन महोदय को सूचनार्थ।
02. निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० को सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. महाप्रबन्धक (नि-3/2), सी०एण्डडी०एस० उ०प्र० जल निगम लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

28.4.2009

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

1629 ~~1538~~ 22 195

Form-1
[See rules 4(4) & 6(2)]
Application for obtaining authorization

To,

The Member Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
PICUP Bhawan, Gomti Nagar,
Lucknow.

| | | |
|---|---|---|
| 1- | Name of the municipal authority/Name of the agency appointed by the municipal authority | : Nagar Nigam, Lucknow |
| 2- | Correspondence address | : Nagar Ayukta,<br>Lucknow Nagar Nigam,<br>Trilok Nath Road, Lalbagh<br>Lucknow-226001 |
| | Telephone No. | : 0522- 2622440 |
| | Fax No. | : 0522- 2622440 |
| 3- | Nodal Officer & designation (Officer authorized by the Municipal authority or agency responsible for operation of processing or disposal facility) | Health Officer, Nagar Nigam, Lucknow |
| 4- | Authorization applied for (Please tick mark) | (a) Setting up & operation of waste processing facility<br>(b)Setting up & operation of disposal facility |
| 5- | Detailed proposal of waste processing/disposal facility (to be attached) to include | |
| 5-1 | Processing of Waste | |
| | (i) Location of site | Vill.-Kurha Eetgaon, Pargana-Kakori,<br>Vill-Palehanda, Pargana-Bijnor,<br>Tahsil- Lucknow |
| | (ii) Name of waste processing technology | 1- Composting<br>2- Refuse derived fuel recovery<br>3- Recovery of plastic & metals<br>4- Processing of building materials |
| | (xii) Details of processing technology | --same as above—with Mechanical aid |
| | (xiii) Quantity of waste to be processed per day | 600TPD |
| | (xiv) Site clearance (from local authority) | In Process of transfer from Agriculture Department to Urban Development Department, GOUP. |
| | (xv) Details of agreement between municipal authority and operating agency | Operating agency to be selected |
| | (xvi) Utilization programme for waste processed (Product utilization) | 1-Compost for agriculture, horticulture gardening etc.<br>2-RDF - to be use in furnaces<br>3-Plastic- to form granules<br>4-Metal- to be recycled |

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

1630 ~~1550~~ (23) 176

| | | |
|---|---|---|
| | | 5-Building materials- in production ECO bricks |
| (xvii) | Methodology for disposal of waste processing rejects (quantity and quality) | In sanitary land fill, developed in accordance with MSWM-2000 rules |
| (xviii) | Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution | 1-Use of sanitizers<br>2-Aerobic processing<br>3-Recovery of recyclables<br>4-Avoid formation of methane & carbon mono oxide by use of aerobic processing |
| (xix) | Investment on Project and expected returns | 4292.37 lacs<br>Net returns 118.10 lacs Per /annum. |
| (xx) | Measures to be taken for safety of workers working in the plant | Workers shall be provided with personal safety equipment just like1-gloves,2-Boots, 3-Uniforms 4-Helmets 5- Masks 6- First Aid arrangements will be available at site. |
| 9.3 | **Disposal of Waste** | |
| (ix) | Number of sites identified | One |
| (x) | Layout maps of site | Attached |
| (xi) | Quantity of waste to be disposed per day | 600 TPD |
| (xii) | Nature and composition of waste | 1-Bio-degradable- 47.35 %<br>2-Construction Debries – 15.98%<br>3-Mixed waste Drain site & Street sweeping - 19.67%<br>4-Re-cyclable- - 17.00% |
| (xiii) | Detail of methodology or criteria followed for site selection | As per MSWM (M&H) Rules, 2000 |
| (xiv) | Details of existing site under operation | Attached (present sites being used for land fills, Nagar Nigam) |
| (xv) | Methodology and operational details of land filling | As per MSWM (M&H) Rules, 2000 |
| (xvi) | Measures taken to check environmental pollution | Sanitary land filling, forestation, leachate collection system etc. |

Date

Signature of Nodal Officer

# उद्धरण खतौनी

ग्राम समाज
अन्य [illegible]

ग्राम का नाम : [illegible] परगना : [illegible] तहसील : लखनऊ

फसली वर्ष : 1411 फसली से 1416 फसली ग्राम : 1

| जमा खतौनी ग्राम संख्या | असामी का नाम | पिता/पति/संरक्षक का नाम | निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्राप्त होने की फसली वर्ष | खाते के प्रत्येक भाग की खसरा संख्या | रकबा गाटे के सम्मुख (हे0) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित जिस आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 12 | 13 |
| 00001. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| | | | | 1411 | 1148 | 0.641 | | | |
| | | | | 1414 | 1524 | 0.226 | | | |
| | | | | 1414 | 524 | 6.914 | | | |
| | | | | 1414 | 557 | 0.333 | | | |
| | | | | 1414 | 561 | 0.222 | | | |
| | | | | 1414 | 562 | 0.544 | | | |
| | | | | 1414 | 5840 | 1.469 | | | |
| | | | | 1414 | 5852 | 0.440 | | | |
| | | | | 1414 | 6462 | 0.122 | | | |
| | | | | 1414 | 6432 | 1.464 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 13.495 | 0.00 | | |

1631

24

1632 (25)

~~(24)~~ ~~178~~



COMMISSIONER FOR OATHS

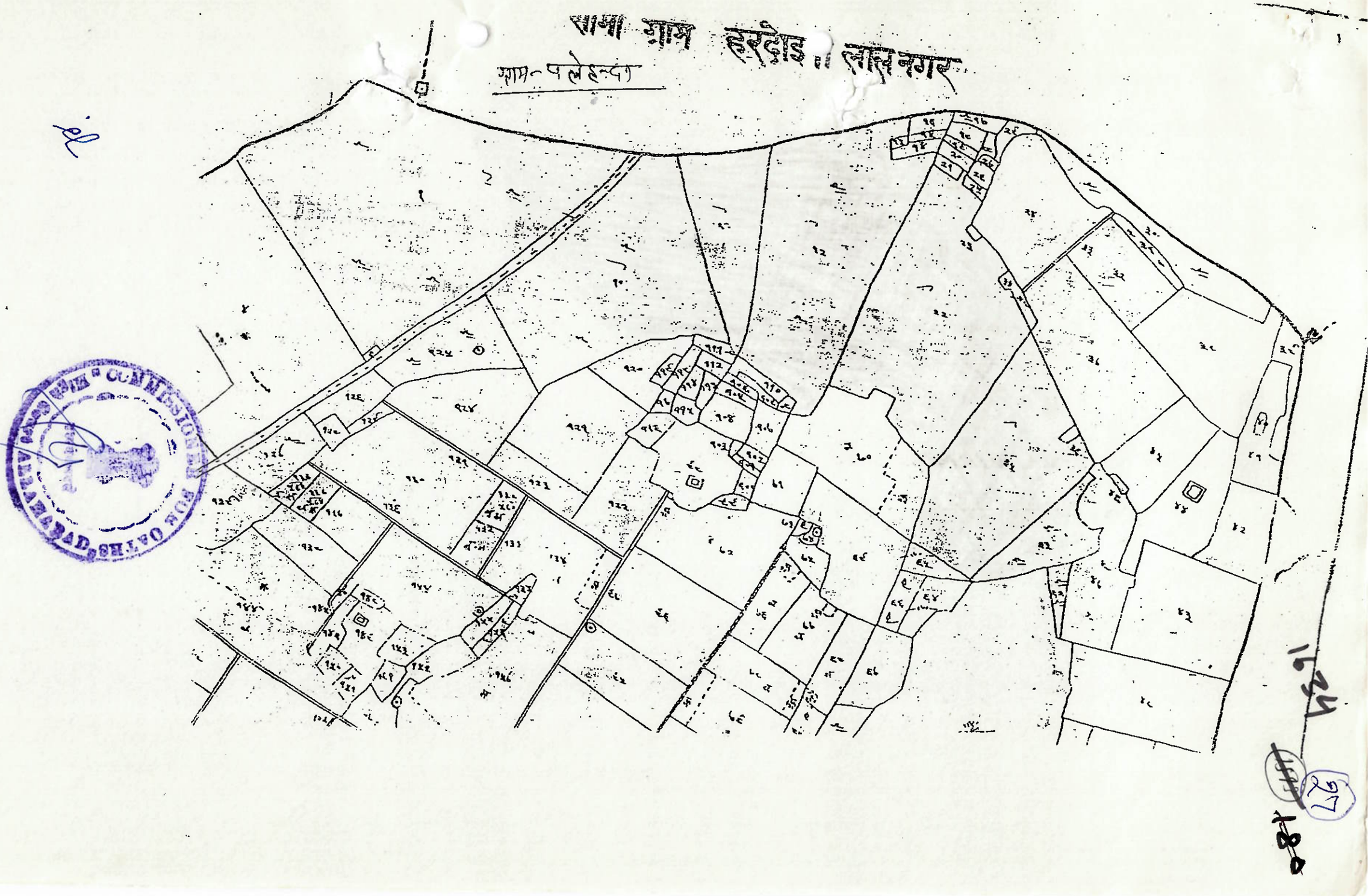
# रद्दरण खतौनी

ग्राम क्रमांक 390205 00324 ग्राम का नाम : पहेटन्दा परगना : [illegible] तहसील : लखनऊ

जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1412 फसली से 1413 फसली भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम | पिताः पति संरक्षक का नाम | निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की अलग संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है०) | खातेदार की भूमिधरी या सगुजारी | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 12 | 13 |
| | [illegible] | | | | | | | | |
| 00001 | अमर कुमार पोद्दार, सचिव श्री निवास उ० प्र० शासन-ल० लखनऊ | | | 1403 फ० | 1 मु. | 0.405 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 9 मु. | 0.153 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 10 मु. | 1.538 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 11 | 1.163 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 12 | 4.209 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 12 मु. | 3.868 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 35 | 2.269 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 46 | 0.017 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 47 मु. | 0.125 | | | |
| | | | | 1403 फ० | 63 | 0.582 | | | |
| | | | | | 10 | 14.765 | 0.60 | | |

[illegible] भाव मूल्य हेतु
कार्य
अवैध
28/11/09


ग्राम पलेहन्दा

ANNEXURE NO - 9

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| अपर नगर आयुक्त<br>नगर निगम, लखनऊ। | मुख्य पर्यावरण अभियंता,<br>उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>लखनऊ। |
| संख्या : 35/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांक : 28.04.2009 | |

विषय : **जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु चयनित ग्राम- ग्राम-कूढ़ा ईटगांव, परगना-काकोरी, तहसील-सदर एंव ग्राम-पलेहन्दा परगना-बिजनौर तहसील-लखनऊ की लैण्ड फिल भूमि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके संज्ञान मे लाना है कि जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु ग्राम-कूढ़ा ईटगांव की 13.495 हेक्टेयर एंव ग्राम-पलेहन्दा में 14.765 हेक्टेयर भूमि कृषि विभाग, उ०प्र० शासन से नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन को हस्तातंरित किये जाने की कार्यवाही प्रगतिधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय मे दायर रिट याचिका संख्याः 4436(एम.बी)/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा लैण्ड फिल की भूमि के सम्बन्ध मे नीरी से विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर अद्यतन आख्या केश की सुनवाइ की अगली तिथि 4 मई 2009 मे प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जिसकी प्रति पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

उपरोक्त के प्ररिप्रेक्ष्य मे अनुरोध है कि ग्राम-कूढ़ा ईटगांव व ग्राम-पल्हेन्दा की उक्त दोनो भूमि की लैण्ड फिल के रूप मे उपयुक्तता के संदर्भ मे स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि नीरी से उनका विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जा सके।

भवदीय

28/4

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/4-09 रामचन्द्र

28/4

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

28.4.09

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ



IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003 1636
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 10

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं
Ref. No. 220/R.O./सी-5/म्यूनिस पला सालिड वेस्ट/09 दिनांक Date 2.5.09

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ ।

विषयः **जे0एन0एन0यू0आर0एम कार्य के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम की सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट परियोजना की ग्राम–कूढा ईंटगांव, परगना–काकोरी, तहसील–सदर एवं ग्राम पलेहन्दा परगना–बिजनौर तहसील–लखनऊ की लखनऊ की लैण्डफिल भूमि हेतु 01 के अन्तर्गत आवेदन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 33/ई0ई0/जेएनएनयूआरएम/09–10 दिनॉक– 28.04.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के साथ संलग्न **ग्राम––कूढा ईंटगांव, परगना–काकोरी, तहसील–सदर एवं ग्राम पलेहन्दा परगना–बिजनौर तहसील–लखनऊ** में नगरीय ठोस अपशिष्ठ ( प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,–2000 के अन्तर्गत **प्रपत्र–1 पर प्रस्तावित 13.495 हेक्टेयर एवं 14.765 हैक्टेयर भूमि** जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ठ का प्रबन्धन किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–1 में वर्णित सूचनाओं के परीक्षण/जॉच के उपरान्त पाया गया है कि आवेदन पत्र के बिन्दु–5 पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन एवं निस्तारण/प्रबन्धन हेतु विस्तृत तकनीकी परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र–1 के साथ संलग्न नहीं किया गया है । इसी अनुकम में प्रस्तावित स्थलों, ग्राम– कूढा ईटगांव, परगना–काकोरी, तहसील–लखनऊ सदर एवं ग्राम पलेहन्दा परगना–बिजनौर तहसील–लखनऊ का निरीक्षण राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री एस0के0 जैन (अधिशासी अभियंता) एवं श्री एस0पी0 गुप्ता तहसीलदार, नगर निगम, लखनऊ के साथ दिनॉक– 01.05.09 को किया गया ।

यद्यपि उपरोक्त प्रस्तावित स्थल पर्यावरर्णीय दृष्टिकोण से उचित पाये गये, किन्तु दोनों स्थल सम्भवतः फल पट्टी क्षेत्र में आच्छादित है अथवा नहीं, पर जिला उद्यान कार्यालय, लखनऊ से भी आख्या प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । इसी अनुकम में उक्त प्रस्तावित स्थलों के आसपास लगभग 1.0 कि0मी0 की त्रिज्या में स्थित, आवादी, गॉव, स्कूल, मन्दिर–मस्जिद, प्राकृतिक जल श्रोत, प्राकृतिक नालें इत्यादि के लोकेशन मैप के साथ–साथ नगरीय ठोस अपशिष्ठ के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रस्तावित तकनीकी परियोजना रिपोर्ट भी अपेक्षित है, ताकि नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन से जनित सम्भावित समस्याओं एवं प्रस्तावित निराकरण के आधार पर आसपास पड़ने वाले अधिप्रभाव का मूल्यॉकन करते हुये स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जा सके ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचनायें अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त प्रस्तावित स्थलों के पर्यावरर्णीय दृष्टिकोण से उपयुक्तता के सम्बन्ध में शीघ्र अग्रिम कार्यवाही किया जा सके ।

भवदीय,

(डा0सी0एस0भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 2688/9–5–2009–4 रिट/2007 के संदर्भ में ।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
4– महाप्रबन्धक (नि–3/2) सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।

सदस्य सचिव

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

(30)

ANNEXURE NO - 11

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ। | निदेशक,<br>कन्स्ट्रक्शन एंव डिजायन सर्विसेज,<br>उ०प्र०, जल निगम, लखनऊ। |
| संख्या :36/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांक : 01.05.2009 | |

**विषय : लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अर्न्तगत चयनित लैण्डफिल [illegible] का उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विषयक हरदोई रोड़ की ग्राम-दशहरी, सिकरौरी, रामपुर व सलेमपुर पतौरा में अधिग्रहण की जा रही 35.05 हेक्टेयर भूमि सम्बन्धी स्थलीय निरीक्षण उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24.04.09 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० श्री जाफरी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित भूमि से सम्बधिंत विवरण, प्रस्ताव से सम्बधिंत तकनीकी परियोजना रिपोर्ट एंव आस-पास स्थित आबादी, स्कूल, प्राकृतिक जल श्रोत, नदी नाले, धार्मिक स्थल, वन/फलदार बाग एंव अन्य संवेदनशील स्थलो का दूरी सहित विवरण एंव लोकेशन मैप तत्काल प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

आप अवगत हैं कि उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लैण्डफिल हेतु उपलब्ध कराई गई/जा रही ग्राम-बेन्दौवा, तहसील-मोहनलाल गंज की 10 हे० भूमि, ग्राम-कूड़ा ईटगांव, परगना-ककोरी, तहसील-सदर मे 13.495 हे० एंव ग्राम-पल्हेन्दा में 14.765 हे० कृषि विभाग की भूमि के स्थलीय परीक्षण भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रमशः दिनांक 29.04.09 एंव 01.05.09 को किये गये है। प्रारम्भिक तौर पर उक्त तीनो भूमि लैण्डफिल विकास हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयुक्त पायी गयी है। ग्राम-बेन्दौवा के सम्बन्ध में जारी पत्र संख्याः Go6319/C-5/म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/09 दिनांक 01.05.09 की प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त तीनो,भूमि के अपेक्षित विवरण, तकनीकी रिपोर्ट व 2 किमी दायरे का लोकेशन मैप प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि तदानुसार उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विवरण प्रेषित किये जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग महोदय को सूचनार्थ।
02. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ।

Pano 2/5/09

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

HIGH COURT ALLAHABAD COMMISSIONER FOR OATHS

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

(31)

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 12

947/NAE 13-1-09

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

396/9 Dt. 13-1-09

2930/C/A-nnexure 14/1/09

सेवा में,

उप नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

पत्रांक- /लखशान/ दिनांक- 09-1-09

विषय :- रिट याचिका 4436/एसबी/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0एस0डब्लू डम्पिंग आन द गोमती रियर बैंक लियर गांधी सेतु लखनऊ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक-28.08.08 के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक-डी-754/ए0एस0सी-ए 108 दिनांक 31.12.2008

महोदय,

संदर्भित पत्र के अवलोकन का कष्ट करें जिसके द्वारा यह सूचना चाही गयी है कि क्या सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया जा रहा तटबन्ध नीरी द्वारा दी गई गाइड लाइन्स के अनुसार निर्मित किया जा रहा है। आपके पत्र से स्पष्ट है कि नीरी ने लखनऊ नगर निगम द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प एम0एस0डब्लू0 के निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार योजना हेतु गाइड लाइन्स दी हैं, न कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराये जा रहे किसी तटबन्ध के सम्बन्ध में।

Jone (A) 13/01/09

सूचनीय है सिंचाई विभाग द्वारा तटबन्ध का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित गांधी सेतु से लामार्टिनियर तटबन्ध के मध्य 21.00 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि को रिक्लेम करने हेतु कराया जा रहा है। जिसका लखनऊ नगर निगम द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प एम0एस0डब्लू0 के निस्तारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त भूमि रिक्लेम हेतु निर्मित कराये जा रहे तटबन्ध की परियोजना को मुख्य अभियन्ता समिति की संस्तुति के उपरान्त उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति से संस्तुति प्राप्त हुई थी तदुपरान्त परियोजना को स्थाई संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। स्थाई संचालन समिति के अनुमोदन के उपरान्त परियोजना को भारत सरकार के जलसंसधान मंत्रालय के अधीनस्थ गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद पटना से भी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तटबन्ध निर्माण की परियोजना उपरोक्त समितियों एवं परिषद जो तटबन्ध निर्माण की स्वीकृति हेतु निर्धारित है की गाइड लाइन्स के अनुसार ही बनाई गई हैं तथा उनकी स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य कराया जा रहा है।

DNA-II
DPS

14/01/09

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

पत्रांक- 147 /लखशान/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।
2- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

D:\office letters.doc

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

32

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 13A

## लखनऊ शहर में गोमती नदी पर निर्मित गांधी सेतु के डाउन स्ट्रीम में दाहिने गाइडबंध से लामार्टिनियर कालेज तक दाहिने किनारे पर भूमि रिक्लेम हेतु तटबन्ध बनाये जाने की परियोजना

गोमती बैराज के डाउन स्ट्रीम में लगभग 600.00 मीटर की दूरी पर गांधी सेतु लगभग 9 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। इस नवनिर्मित पुल का स्पैन 210.00 मीटर है एवं इसे नदी के बांये पार्श्व पर स्थित गोमती नगर सुरक्षा तटबन्ध से सटा कर निर्मित किया गया है। इस नवनिर्मित पुल के नदी के एक पार्श्व (बांये) से सट कर बने होने के कारण गोमती बैराज से लामार्टिनियर कालेज तक नदी के दाहिने पार्श्वों में काफी भूमि खाली पड़ी है। खाली पड़ी भूमि को रिक्लेम किये जाने हेतु उक्त परियोजना का कार्य प्रगति में है। उक्त परियोजना में निर्मित होने वाले तटबन्ध की लम्बाई लगभग 750.00 मीटर हैं। इस तटबन्ध के निर्माण के पश्चात लगभग 42 एकड़ क्षेत्रफल में भूमि विकास कार्य हेतु प्राप्त होगी। इस रिक्लेम होने वाले भू–भाग पर हरित पट्टी विकसित कर पर्यावरणीय वातावरण बढ़ाने अथवा सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना में इसका उपयोग किया जा सकेगा।

तटबन्ध का परिकल्पन जी0एफ0सी0सी0 की वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार किया गया है। जिसमें तटबन्ध के टाप की चौड़ाई 5.50 मीटर तथा नदी साइड स्लोप 2.5:1 एवं कन्ट्री साइड स्लोप 3:1 प्राविधानित है। हाइड्रालिक ग्रेडियन्ट 1:6 लिया गया है। रीवर साइड स्लोप पर जीओ टेक्सटाइल के ऊपर 60.00 से0मी0 की मोटाई में स्टोन बोल्डर पिचिंग की जायेगी। सौ वर्ष में एक बार के लिए परिकल्पित 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज के लिए उच्चतम बाढ़ स्तर 111.84 मीटर के ऊपर 1.80 मीटर का फ्रीबोर्ड का प्राविधान रखा गया है, इस प्रकार तटबन्ध का टाप लेबिल 113.64 मीटर रखा गया है, जो केन्द्रीय जल आयोग के वर्तमान मानक के अनुसार है।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर
लखनऊ

Genral

1640 ~~1641~~ 186

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

32

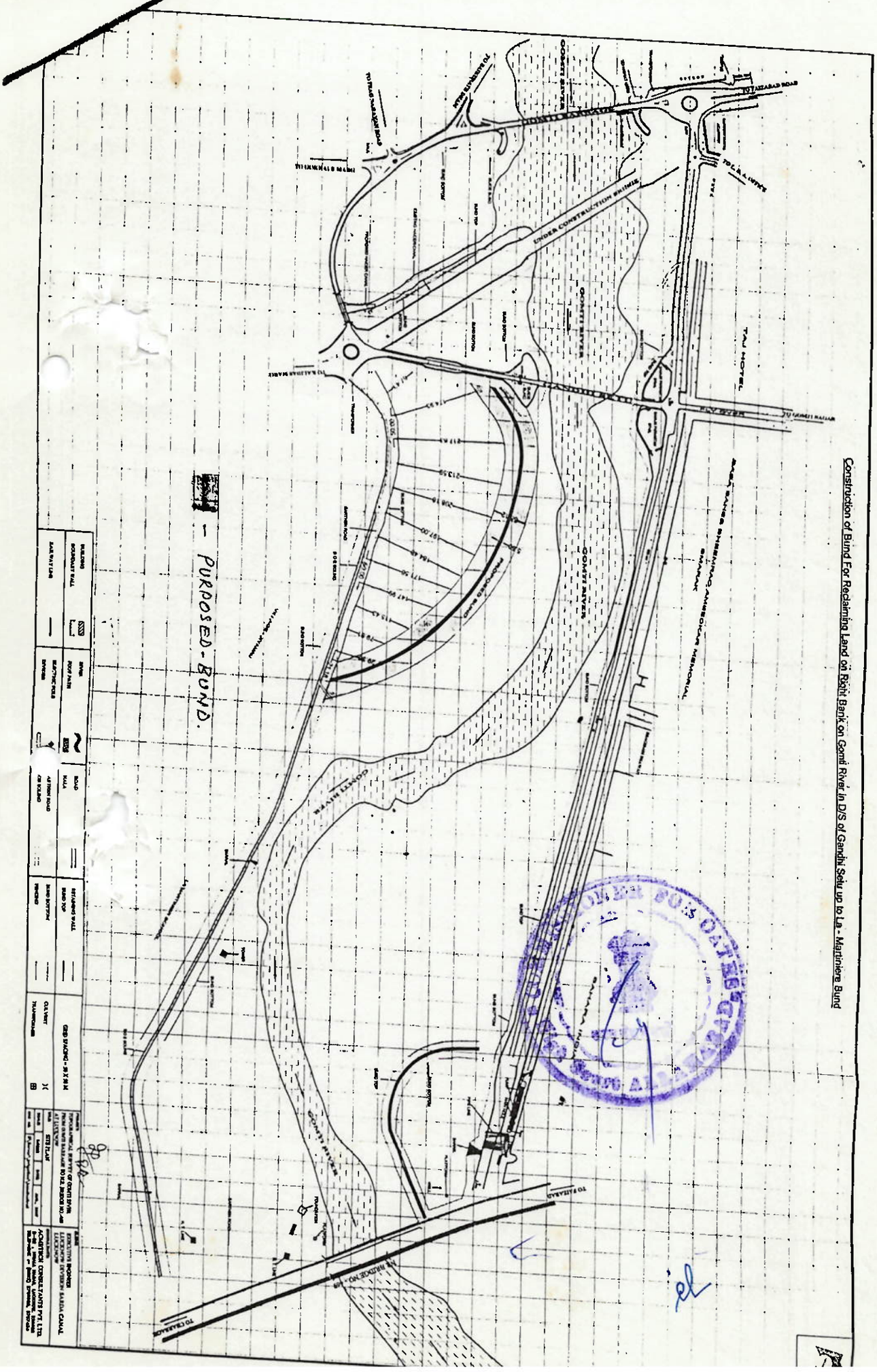
writ petition No. 4436(MB) of 2003

Sewage Treatment Plants ---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 13B



1641 (1530) 187

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.**

PRESENTED TODAY
JOINT REGISTRAR (L)

C. M. Application No. 4 6328 of 2009

State of U. P. ----------Applicant

In re

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

06 MAY 2009

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 26.3.2009 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 04.05.2009

7/5/09

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1642 (57) 188

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .**




**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

**AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 26.3.2009.**

I, Surya Prakash Mishra aged about 51 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:



1643 (1504) 189

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 26.3.2009 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 4th May 2009.

5. That in compliance of the order dated 26.3.2009 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that in compliance of the order dated 26.3.2009 passed by this Hon'ble Court, on 6th April 2009, a meeting of the officers of the concerned departments had been convened in the headship of Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Lucknow and after discussion, necessary directions were issued to the concerned authorities of the Department of Urban Development, Government of U.P., Lucknow. The true photostat copy of the minutes of meeting dated 6th April 2009 issued vide Order dated 9th April 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A - 1** to this affidavit.

7. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow, U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan, Lucknow in compliance of orders dated

Civil Secretariat LUCKNOW

1644 ~~1553~~ 190

26.3.2009 passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing the progress report with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' on the basis of records submitted by the U. P. Jal Nigam vide its letter dated 01.5.2009.

**8.** That is submitted that the details of work done till 30.4.2009 under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme are being mentioned as under:

The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 30.4.2009, 36 + 7 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing, out of which till 30.4.2009, total 43 old Tube-Wells have been repaired and they are working.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 94.50 Km have been completed till 30.4.2009.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 43 numbers of Tube-Wells have been completed till 30.4.2009, and rising main work relating to 14 numbers of Tube-Wells are in progress.

True photostat copy of a chart showing physical progress of aforesaid work is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

Oath Commissioner LUCKNOW 495 Civil Secretariat

1645 ~~1554~~ 191

**9.** That in Master Planning of Sewerage Works, for Sewerage District – 1 an estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by the Government of India. It is submitted that the Sewerage Scheme of District – 1 covers approximately 289 Km of branch sewer laying, and 48 Km of trunk sewer laying, construction of one Sewage Pumping Station of 56 mld capacity and one number STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 117.0 Km. of sewer line has been laid till 30.4.2009, and out of 48 Km. trunk sewer laying work, the work in total 23 Km have been completed till 30.4.2009. It is submitted that the work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started after tendering process, and about 36 - 45 % work have been completed. As per report of the U. P. Jal Nigam, the said works are under progress in accordance with the norms prescribed by the U.P. Pollution Control Board. True photostat copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (under the Sewerage Scheme of District–1) is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

**10.** That it is significant to submit that the works done till 30.4.2009, under Gomti Action Plan Phase –I and Phase – II at Lucknow are detailed herein under:

**(i).** It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to four works , which are under progress.

Oath Commissioner LUCKNOW 4/5 Civil Secretariat

1646 ~~1995~~ 192

**(ii).** It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II till 20.3.2009 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

**11.** That it is submitted that vide letter dated 01.5.2009, the U.P. Jal Nigam informed to the office of deponent that the construction work for Kukrail Nala Sewage Pumping Station has been started after shifting the place of pumping station and up to April 2009, about 50 % work of the pumping station has been completed.

**12.** That it is submitted that in compliance of order dated 26.3.2009, vide letter dated 06.4.2009, the Lucknow Development Authority informed to the Under Secretary, Housing & Urban Planning, U.P. that for construction of Sanitary Landfill Sites under the Municipal Solid Waste Management Scheme, four Sanitary Landfill Sites were marked each at Hardoi Road, Sitapur Road, Deva Road and Raibareili Road under the Lucknow Mahanagar Yojana - 2021.

Through the aforesaid letter dated 06.4.2009, the Lucknow Development Authority also informed that the proceedings for land acquisition concerning to land situate at Village - Naubasta Kalan, Deva Road, Lucknow had been dropped due to selection of another site.

The Lucknow Development Authority also informed that vide proposal dated 13.8.2008, a request has been submitted to

Commissioner Oath LUCKNOW 915 Civil Secretariat

1647 ~~1556~~ 193

the District Magistrate, Lucknow for initiating the land acquisition proceedings with regard to 38.672 Hectare land earmarked at village Dashahari, Sikarauri, Raipur and Salempur Patura for construction of Sanitary Landfill Site at Hardoi Road, under the Lucknow Mahanagar Yojana - 2021; in reference whereof the proceedings for publication of notification under Section 4 of the Land Acquisition Act has been completed on 27.10.2008, and the Lucknow Development Authority has provided an amount of Rs. 1.75 Crore + Rs. 6.11 Crore + Rs. 1.37 Crores, in the said matter the proceedings for publication of notification under Section 6 of the Land Acquisition Act are pending at the level of District Magistrate, Lucknow. The true photostat copy of the progress details contained in letter dated 06.4.2009 of the Lucknow Development Authority is being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

**13.** That it is submitted that vide letter dated 26.02.2009, the Director, Construction and Design Services, U.P., Jal Nigam, Lucknow requested to the Director, Environment and Secretary, State Level Expert Appraisal Committee, Lucknow for considering the Dasehri Village sanitary landfill site and issuing the terms of reference for further processing of the case; however, the matter is still pending thereat. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 26.02.2009 is being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

**14.** That it is submitted that vide letter dated 22.12.2008, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow requested to the District Magistrate, Lucknow to provide the land to the Nagar Nigam, Lucknow for construction of Sanitary Landfill

Commissioner LUCKNOW 415 Civil Secretariat

1648 ~~1557~~ 194

Sites under the Municipal Solid Waste Management Scheme as has been decided in the meeting dated 13.11.2008. The Municipal Commissioner, Nagar Nigam further stated that the Nagar Nigam, Lucknow has identified four more lands for the construction of proposed Sanitary Landfill Sites:

**(i).** Khasara No. 281 area 10.699 Hectare (i.e. Usar Land) situate in village Bindoua, Tahsil Mohanlalganj, Lucknow;

**(ii).** Khasara No. 96 area 0.809 Hectare ; Khasara No. 101 area 0.797 Hectare; Khasara No. 102 Kh area 4.509 Hectare; Khasara No. 103G area 4.275 Hectare and Khasara No. 104 area 1.161 Hectare (total area 11.551 Hectare, i.e., Ceiling Land) situate in village–Habuapur, Tahsil – Mohanlalganj, Lucknow;

**(iii).** 29.039 Hectare land of about 37 Khasara situate in village Rasoolpur Kayasth, Tahsil Bakshi Ka Talab, Lucknow; and

**(iv)** 92.672 Hectare land of about 37 Khasara situated in village Acharamau, Tahsil Bakshi Ka Talab, Lucknow.

It is submitted that the lands mentioned at S.No. (iii) and (iv) situate in village Rasoolpur Kayasth and Acharamau, Tahsil Bakshi Ka Talab, Lucknow and belongs to the Forest Department, and therefore, it could not be acquired.

It is submitted that the lands mentioned at S.No. (ii) situate in village Habuapur, Tahsil – Mohanlalganj, Lucknow have certain disputes relating to the Ceiling Act, and therefore, it could not be acquired.

Oath Commr. LUCKNOW 415 Civil Secretariat

**15.** That it is submitted that under the authority of law, vide order dated 30.01.2009, the District Magistrate, Lucknow vested 10.00 Hectare land situate in village Bindoua, Tahsil Mohanlalganj, Lucknow [ i.e., land relating to the Section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950]

1649

1538
495

in favour of the Nagar Vikas Vibhag, U. P., for construction of Sanitary Landfill Site thereat under the Municipal Solid Waste Management Scheme. The true photostat copy of the aforesaid order dated 30.01.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

**16.** That thereafter, vide letters dated 28.4.2009 the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow submitted an *'Application for obtaining authorization'* to the Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for necessary action with regard to 10.00 Hectare land situate in village Bindoua, Tahsil Mohanlalganj, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid letters dated 28.4.2009 along with site map are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit.

In reply to the aforesaid letters dated 28.4.2009, vide letter dated 01.5.2009, the Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow directed to the Nagar Nigam, Lucknow to furnish the detailed technical reports regarding the planning for taking decision after examining the effect of pollution in all respects. The Board also directed to submit the report earmarking the habitation, schools, religious places, forest, food archids etc. near to the site in question. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 01.5.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 9** to this affidavit.

**17.** That it is submitted that vide letters dated 28.4.2009 the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow submitted an *'Application for obtaining authorization'* to the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for necessary action with regard to 13.495 Hectare land situate in

1650

~~1958~~ 196

village Kurha Entgavn, Pargana - Kakori, Tahsil Sadar, Lucknow, and 14.765 Hectare land situate in village Palehanda, Pargana - Bijnore, Tahsil Sadar, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 28.4.2009 along with site map and application for obtaining authorization are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 10** to this affidavit.

In reply to the aforesaid letters dated 28.4.2009, vide letter dated 02.5.2009, the Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow directed to the Nagar Nigam, Lucknow to furnish the detailed technical reports regarding the planning for taking decision after examining the effect of pollution in all respects. The Board also directed to submit the report earmarking the habitation, schools, religious places, forest, food archids etc. near to the site in question. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 02.5.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 11** to this affidavit.

**18.** That in pursuance to the aforesaid letter dated 01.5.2009 of the Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow; vide letter dated 01.5.2009, the Nagar Nigam, Lucknow requested to the Director, Construction and Design Services, U.P., Jal Nigam, Lucknow to submit the detailed technical reports regarding the planning and location maps of two kilometer radius in reference to the aforesaid three proposed sites, and the proceedings with regards to same are in progress. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 01.5.2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 12** to this affidavit.

Oath Commissioner LUCKNOW 4/5 Civil Secretariat

1651 197

**19.** That vide letter dated 09.01.2009, the Executive Engineer, Lucknow Divison, Sharda Canal, Irrigation Department, Lucknow has informed to the Nagar Nigam, Lucknow that the embankment construction for reclamation of land is in progress after the approval of same by the Ganga Flood Control Council, Patana under the Ministry of Water Resources, Government of India. It is submitted that under the said project the bund is being constructed in a length of 750.00 Meters in which width at the top of bund will be 5.50 meter, and the river side slop will be covered with geotextile and 60 Centimeter thick stone boulder pitching. The top level of the bund will be 113.64 Meters as per prevalent standard of the Central Water Commission. The true photostat copy of the aforesaid letter / report dated 09.01.2009 of the Executive Engineer, Lucknow Divison, Sharda Canal, Irrigation Department, Lucknow along with the site plan are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 13** to this affidavit..

**20.** That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 04.05.2009

Deponent

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1 to 3 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 4 to 20 are true to my information which derived from the records and those of

Oath Commissioner LUCKNOW 415 Civil Secretariat

1652 ~~1987~~ 1998

paragraphs ~~X~~ are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated: 04/5/09

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

(ओम प्रकाश चौहान)
तहसील अधिकारी
नगर विकास अनुभाग-2
उ.प्र. सचिवालय।

कक्ष सं० 011975 5
द्वारा शपथ की गई मुझे प्रकाश सिंह
जिनका परिचय श्री ओम प्रकाश चौहान
दिनांक 04-5-09 समय 12.00 अपराह्न
आई कार्ड सं० 4436 (रद्द) 1003
पक्षकार ने अपने हलफनामे को भली भाँति समझ लिया।
न्यायालय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ
शपथ की फीस वसूली गई

शपथकर्ता ने शपथ-पत्र पढ़ लिया है,
और इसकी विषय वस्तु समझता है।

04/5/09

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

Oath Commissioner
LUCKNOW
Civil Secretariat

1653 ANNEXURE NO-A-1

199

**रिट याचिका संख्या– 4436(एमबी)/2003, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06 अप्रैल 2009 को अपरान्ह 5.30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।**

उपस्थिति–

1. श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
2. श्री अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3. श्री राम सहाय, अनु सचिव, नगर विकास विभाग।
4. श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल।
5. श्री भरत जी पाण्डेय, एडीएम (सीए), लखनऊ
6. श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
7. श्री ए0सी0 सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
8. श्री डी0के0 शर्मा, महाप्रबंधक, जल संस्थान, लखनऊ।
9. श्री नमित शर्मा, अधिवक्ता, नगर निगम, लखनऊ।
10. श्री स्वामीनाथ राम, मुख्य पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
11. श्री एस0एन0 पाण्डेय, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
12. श्री रघुवेन्द्र कुमार, सचिव, जल संस्थान, लखनऊ।
13. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
14. श्री आर0के0 गौड़, तकनीकी सलाहकार
15. श्री डी0पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. श्री राजेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबंधक, पेयजल (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
17. श्री ए0के0 मित्तल, परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
18. श्री एस0के0 त्रिपाठी, सहायक अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

बैठक में सर्वप्रथम विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या– 4436(एमबी)/2003, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 26.03.2009 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से अवगत कराते हुए बताया गया कि एसटीपी तथा कूड़ा प्रबंधन हेतु भू–स्थलों का चयन किया जाना था, जिसकी कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। इस पर प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया कि भरवारा में स्थापित किये जा रहे 345 एमएलडी क्षमता के एसटीपी की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही कर ली गयी है। एसटीपी हेतु अधिग्रहीत भूमि पर नियमानुसार ईआईएए की कार्यवाही भी करा ली गयी है एवं निर्माण कार्य संचालित है। एसटीपी हेतु भविष्य की अन्य योजनाओं के लिये भूमि की व्यवस्था लखनऊ महायोजना में चिन्हिांकित स्थानों पर की जायेगी। अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में कूड़ा प्रबंधन हेतु आवश्यक एक स्थल के लिये 35 हे0 भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है तथा भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रचलित है। शेष तीन स्थानों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उक्त सूचना पर प्रमुख सचिव द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि

Oath Commissioner LUCKNOW 415 Civil Secretariat

कूड़ा प्रबंधन हेतु नगर में चयनित चारों स्थल कहॉ–कहॉ हैं। विशेष सचिव द्वारा चयनित स्थलों का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' के नियम–4 के अनुसार इस नियम के प्राविधानों को लागू करने का दायित्व नगर निगम का है तथा 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' की अनुसूची–3 के अनुसार भूमि भरण स्थलों के चयन का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' के नियम–4 के प्राविधानों के अनुसार प्रारूप–1 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना देने का दायित्व नगर निगम का है। अतः अवशेष 03 स्थल, जिनको चिन्हित किया गया है, के संबंध में प्रारूप–1 पर सूचना नगर निगम लखनऊ द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त नियम के प्राविधानों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र इसका निस्तारण करेंगे। बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त होते ही इसका परीक्षण 'नीरी' से कराने हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जाय तथा प्रयास कर उनकी रिपोर्ट दिनांक 24 अप्रैल 2009 के पूर्व प्राप्त कर ली जाय। भूमि के अन्तिम रूप से चयन होने के बाद Environment (Protection) Act, 1986 के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटीफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुसार ईआईएए हेतु कार्यवाही की जाय। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपस्थित अधिकारीगणों को प्रमुख सचिव द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये कि बे नगर निगम लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर एक सप्ताह में अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

2– बैठक में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा यह बताया गया कि नगर निगम द्वारा चिन्हित चारों स्थलों में से एक स्थल के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी लखनऊ को संदर्भित किया गया है, जिसमें अग्रेतर कार्यवाही की जानी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम लखनऊ के अधिकारी जिलाधिकारी लखनऊ के यहॉ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करायें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, लखनऊ)**

3– गांधी सेतु के पास एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु रिटेनिंग वाल बनाये जाने के संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णित हुआ कि सिंचाई विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नगर निगम लखनऊ प्रकरण को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाये ताकि समुचित निर्देश प्राप्त हो सकें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

4– अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अनुरोध किया गया कि कूड़ा प्रबंधन हेतु आवश्यक भूमि के चयन के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक जो प्रयास किये जाते रहे हैं, उसे उन्हें जारी रखना चाहिये। इस पर यह निर्णीत हुआ कि 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम–2000' में वर्णित व्यवस्था के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने मास्टर प्लान के अनुसार समयबद्ध रूप से स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण करायें।

**(कार्यवाही– नगर निगम, लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण)**

LUCKNOW 415 Civil Secretariat

5- बैठक में यह भी निर्णीत हुआ कि अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के अनुपालन में चयनित भू-स्थलों के पूर्ण विवरण 03 दिन के भीतर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रस्तुत करें एवं 07 दिन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

**(कार्यवाही- नगर निगम, लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

6- बैठक में इस पर भी विचार-विमर्श किया गया कि प्रकरण के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की तैयारी के समय शासन एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिखाया जाना उचित होगा। इस बिन्दु पर प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रतिशपथ पत्रों को अन्तिम रूप से तैयार कराने से पूर्व शासन एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दिखा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष विरोधाभास की स्थित उत्पन्न न हो।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

**सूर्य प्रकाश मिश्र**
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-2688 / नौ-5-2009-4रिट / 07
लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2009

उपर्युक्त की प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल।
3. श्री भरत जी पाण्डेय, एडीएम (सीए), लखनऊ
4. श्री मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
5. श्री ए0सी0 सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
6. श्री डी0के0 शर्मा, महाप्रबंधक, जल संस्थान, लखनऊ।
7. श्री नमित शर्मा, अधिवक्ता, नगर निगम, लखनऊ।
8. श्री स्वामीनाथ राम, मुख्य पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. श्री डी0पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12. श्री राजेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबंधक, पेयजल (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम।
13. श्री ए0के0 मित्तल, परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

Oath Commissioner LUCKNOW 415 Civil Secretariat

ANNEXURE NO A-2

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 20.03.09 तक कुल प्रगति | 20.03.09 से 30.04.09 तक प्रगति | 30.04.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 34 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू, | 36 नग चालू, 4 नग प्रगति पर। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 4 नग चालू, 13 नग प्रगति पर। | 3 नग चालू, | 7 नग चालू, 10 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू। | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 41 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 86.80 कि.मी. | 7.70 कि.मी. | 94.50 कि.मी. | |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 38 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 19 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 5 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण कर नलकूप चालू किया गया। | 43 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 14 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | -- | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | -- | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | -- | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | — | 153 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | -- | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | -- | 39 नग। | |

Commissioner Civil Secretariat LUCKNOW 415

Progress W.S.(01-05-09)

परियोजना प्रबन्धक

परियोजना प्रबन्धक पेयजल

ANNEXURE NO. A-

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 से 30.04.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 113.00 कि.मी. | 117.00 कि.मी. | 4.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 22.00 कि.मी. | 23.00 कि.मी. | 1.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 35% | 36% | 1% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 40% | 45% | 5% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 55.800 | 71.230 | 15.430 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 55.850 | 95.620 | 39.770 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा दिसम्बर 2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा माह फरवरी 2009 में रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा माह मार्च 2009 में रु.24.77 करोड़ तथा रु. 15.00 करोड़ की किश्त दिनांक 1.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 11.45 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
9. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE NO A-4

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 से 30.04.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग | 5 नग + 1 नग (30%) | 1 नग (30%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (45%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (50%) | 1 नग (5%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5270 मीटर | 5470 मीटर | 200 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 50% | 58% | 8% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| 1. | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 37.39 | 38.55 | 1.16 | |
| | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 37.277 | 41.650 | 4.37 | |

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

Dalb Chandra Verma LUCKNOW 415 Civil Secretariat

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 से 30.04.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95%+ 1 नग 40% | 17नग, 95%+ 1 नग 50% | 1 नग 10% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 30% | 10 नग 95%+1 नग 40% | 1 नग 10% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9000 मीटर | 9180 मीटर | 180 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 80% | 80% | -- | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 70% | 75% | 5% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 33% | 1 नग 41% | 1 नग 8% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+ 1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 90% | 5 नग 100% | 5 नग 10% | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 20% | 5% | 10% | 5% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 20% | 5% | 5% | -- | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 40% | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 263.04/417.64 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 150.97 | 175.121 | 24.15 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 161.711 | 180.6051 | 18.8941 | |

Commissioner Civil Secretariat LUCKNOW 415

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE No- A-5

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

206
1660

प्रेषक

पत्रांक: 1618/सत्रा0/09/3
दिनांक: 16-04-2009

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

35/NV 9.4.09

सेवा में,

अनुसचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन
अनुभाग 3,उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

AMC(P/A)

विषय:- **जनहित याचिका सं0 4436/एमबी/2003(पी.आईएल)एस.टी.पी बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 4436/एमबी/2003(पी.आईएल)एस.टी.पी बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 26.03.09 को मा. उच्च न्यायालय द्वारा लखनऊ नगर के सालिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं गांधी सेतु के समीप एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु उपलब्ध विकल्पों पर स्पष्ट अभिमत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि महायोजना 2021 मे लैण्ड फिल साइट हेतु लखनऊ शहर के चारो मार्गो के किनारे गार्बेज स्थलो के रूप मे चार स्थल निर्धारित किये गये है। हरदोई रोड के किनारे बाहरी रिंग रोड पर, सीतापुर राजमार्ग के किनारे, देवॉ रोड पर व रायबरेली रोड के किनारे बाहरी रिंग रोड पर महायोजना मे निर्धारित स्थल ठोस अपशिष्टो के निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये है। महायोजना 2021 मे चिन्हित चारो स्थलो की भूमि मे से प्रथम चरण मे 2 स्थलो की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने की अपेक्षा लखनऊ विकास प्राधिकरण से की गयी थी।

महायोजना 2021 में अंकित लैण्ड फिल साइट हेतु देवॉ रोड पर, ग्राम गोयला मे, परियोजना हेतु अर्जित किये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनॉक 12.08.08 को प्रेषित किया गया था। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल के कार्यालय मे किये गये धरना प्रदर्शन के उपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये आश्वासन के क्रम मे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) तथा प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त नौबस्ता कला मे भूमि का चयन सालिड बेस्ट मनैजमेन्ट के लिये लैण्ड फिल साइट हेतु किया गया है, जिसके क्रम मे जनपद के देवा रोड के ग्राम नौबस्ता कला में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये प्रस्तावित भूमि का विवरण पत्र 24 प्रपत्रों में भरकर भूमि अधिग्रहण की धारा 4/17 के प्रकाशन हेतु प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 को दिनांक 04.11.08 को प्रेषित किया गया था। इस योजना में कुल 37.680 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित थी, जिसमें कृषि योग्य भूमि 31.270 हे0, ग्राम समाज की भूमि 5.995

Oath Commissioner LUCKNOW 475 Civil Secretariat

(1) श्री एस.के.जैन -नगर अभियन्ता
(2) तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है

1661 1570 207

है0, राज्य सरकार की 0.455 है0 भूमि योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है, परन्तु उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में यह तथ्य संज्ञान में आया था कि नगर निगम/जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक भूमि का चयन कर लिया गया है, जिसके कारण ग्राम नौबस्ता में लैंड फिल साईट हेतु प्रेषित प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।

4. महायोजना 2021 में अंकित लैण्ड फिल साइट हेतु हरदोई रोड पर ग्राम दशहरी, सिकरोरी, रायपुर व सलेमपुर पतौरा में परियोजना हेतु अर्जित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनॉक 13.08.08 को जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें 38.672 है0 भूमि का चयन लैण्ड फिल साइट हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कृषि योग्य भूमि 35.405 है0, ग्राम समाज की भूमि 3.267 है0 भूमि सम्मिलित है।

| | |
|---|---|
| धारा-4 की विज्ञप्ति हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि | 1.75 करोड़ |
| धारा 4 का प्रकाशन दिनांक | 21.10.08 |
| धारा 6 हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि | 6.11 करोड़ |
| पुर्नवास नीति हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि | 1.37 करोड़ |

धारा 6 के प्रकाशन की कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।

5. इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि लैंड फिल साईट हेतु भूमि उपलब्ध कराने के विषय पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के बैठक में चर्चा हुई थी, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया था कि अन्य स्थानो पर लैंड फिल साईट का चयन किया जा चुका है एवं भूमि निर्माण एजेन्सी-सी.एन.डी.एस. उ.प्र. जल निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान समय में प्राधिकरण के स्तर पर केवल उपरोक्त प्रस्तर 3 पर अंकित विवरण के अनुसार मात्र एक लैंड फिल साईट हरदोई रोड पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसके लिये धारा 6 की सूचना का प्रकाशन जिलाधिकारी,लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम,को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर 5 क्रम में अन्य लैंड फिल साईट का विवरण शासन को तथा श्री डी.के. उपाध्याय, मुख्य स्थाई अधिवक्ता को अपने स्तर से सीधें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

दि. 06/04/09
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat 415

ANNEXURE No-A-6

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1662-208


# Construction & Design Services
## Utter Pradesh Jal Nigam
(Government of U.P)

0522-2239088 (Fax)
2237768 (PBX)
2238260
2237801
2237765
2237873
2236784
2237845

**Head Office :** 2, Lal Bahadur Shastri Marg, Lucknow-226 001


Ref No 27 /Gn 2 - 15/03 Date 26.2.09

To,

The Director, Environment and
Secretary, State Level Expert Appraisal Committee,
Dr. Bhimrao Ambedkar Paryavaran Parisar,
Vineet Khand – I, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010, Uttar Pradesh

**Sub.:** Regarding Solid Waste Management in Distt. Lucknow (U.P.)

**Ref.:** 24th Meeting of State Expert Appraisal Committee (SEAC) held on 17th November, 2008 at Dr. Bhimrao Ambedkar Paryavaran Parisar, Vineet Khand – I, Gomti Nagar, Lucknow.

Dear Sir,

We had presented the Terms of Reference (TOR) for the above mentioned project in the 24th Meeting of State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) held on 17th November, 2008 for Nawabsta Kalan. But as per the present conditions the land is being acquired next to Hardoi road near Village Dasehri for development of Sanitary landfill & Composting site at Lucknow.

It is therefore requested to kindly consider the Dasehri village site and issue the TOR for further processing of the case.

Thanking you.

Enclosed Documents:

1. Form 1
2. Draft 'TOR'
3. Prefeasibility Report

Yours faithfully,

(Brijendra Pratap Singh)
Director

26.2.09
(O.P. SRIVASTAVA)
P. A. To Director
Directorate of Environment
U.P. Lucknow

Civil Secretariat LUCKNOW 415

ANNEXURE NO - A 7

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1663

# कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या- 472 /डी0एल0आर0सी0/09 दिनांकःजनवरी, 30- 2009

## आदेश

अधिसूचना संख्या 258/रा0-1-16 (1) 73, दिनांक 05.03.1974 द्वारा प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, मैं चन्द्रभानु कलेक्टर लखनऊ निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि को जो अब तक स्तम्भ-6 में उल्लिखित गॉव सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, को शासनादेश संख्या 258/16 (1)-1973-रा0 1 दिनांक 16.06.81 व शासनादेश संख्या 258/16 (1)/73-रा0 1 दिनांक 09.05.84 निर्देशों के अनुरूप फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। यद्यपि वर्णित भूमि को नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग मानते हुए शासनादेश सं0 258/16 (1)/73-रा0 1 दिनांक 09.05.84 के कम में निःशुल्क पुनर्ग्रहीत किया जा रहा है यदि भविष्य में भूमि का शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश संज्ञानित होते हैं तो भूमि के मूल्य की देयता नगर विकास विभाग की होगी।

अनुसूची

| क0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गॉव | गॉवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेअर में | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | लखनऊ | मोहनलाल गंज | मोहनलाल गंज | बेन्दौवा | बेन्दौवा | 313ख | 10.699हे0 में से 10.000हे0 | नगर विकास विभाग, उ0प्र0सरकार के पक्ष में म्युनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रयोजन हेतु। |
| कुल योग- | | | | | | 1 किता | 10.000 हे0 | |

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपिः-
1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1,लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ को पत्र सं0-884/नौ-5-2009-48सा/09 दिनांक 29.01.2009 में दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
3 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मोहनलालगंज को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि सुनिश्चित कराने हेतु।

अ.ना.आ.(R)/(A) Camp

30/1/09

(चन्द्रभानु)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ।

LUCKNOW Civil Secretariat 415

245



LUCKNOW
415

ANNEXURE NO-A-8

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

211
1665

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ। | सदस्य सचिव,<br>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>पिकप भवन, गोमती नगर<br>लखनऊ |
| संख्याः 32/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांकः 28.04.2009 | |

विषय : **जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की ग्राम-बिन्दोवा, की लैण्ड फिल भूमि हेतु प्रपत्र 01 के अर्न्तगत आवेदन।**

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की धनांक रू०-42.92 करोड़ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम-बिन्दोवा, परगना एंव तहसील-मोहनलाल गंज की 10.00 हेक्टेयर भूमि का पुर्नग्रहण कलेक्टर/जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश संख्याः 472/डी०एल०आर०सी०/09 द्वारा किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन व हथालन) नियम, 2000 के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र 01 में उक्त भूमि के अथराइजेशन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः प्रपत्र 01, आदेश एवं स्थलीय सजरा प्लान।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन महोदय को सूचनार्थ।
02. निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० को सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. महाप्रबन्धक (नि-3/2), सी०एण्डडी०एस० उ०प्र० जल निगम लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat
4/5
28.4.2009

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

1575

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

212

1666

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| अपर नगर आयुक्त<br>नगर निगम, लखनऊ। | मुख्य पर्यावरण अभियंता,<br>उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>लखनऊ। |
| संख्या : 34/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांक : 28.04.2009 | |

**विषय : जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु चयनित ग्राम-बिन्दोवा की लैण्ड फिल भूमि के सम्बन्ध में।**

महोदय,.

आपके संज्ञान मे लाना है कि जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु ग्राम-बिन्दोवा में 10.00 हेक्टेयर भूमि का पुर्नग्रहण कलेक्टर/जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश संख्याः 472/डी०एल०आर०सी०/09 द्वारा किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय मे दायर रिट याचिका संख्याः 4436(एम.बी)/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा लैण्ड फिल की भूमि के सम्बन्ध मे नीरी से विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर अद्यतन आख्या केश की सुनवाइ की अगली तिथि 4 मई 2009 मे प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त के प्ररिप्रेक्ष्य मे अनुरोध है कि ग्राम-बिन्दोवा की उक्त भूमि की लैण्ड फिल के रूप मे उपयुक्तता के संदर्भ मे स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि नीरी से उनका विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जा सके।

भवदीय

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

20/4/09 रामचन्द्र

28-4-09
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

Oath Commissioner
LUCKNOW
475
Civil Secretariat

324

ANNEXURE NO-A-9

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1667

# नगर निगम, लखनऊ

प्रेषक :

नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

संख्या :36/E.E/JNNURM/09-10
दिनांक : 01.05.2009

सेवा में :

निदेशक,
कन्स्ट्रक्शन एंव डिजायन सर्विसेज,
उ०प्र०, जल निगम, लखनऊ।

विषय : **लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अर्न्तगत चयनित लैण्डफिल भूमि का उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विषयक हरदोई रोड़ की ग्राम-दशहरी, सिकरौरी, रामपुर व सलेमपुर पतौरा में अधिग्रहण की जा रही 35.05 हेक्टेयर भूमि सम्बन्धी स्थलीय निरीक्षण उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24.04.09 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० श्री जाफरी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित भूमि से सम्बधिंत विवरण, प्रस्ताव से सम्बधिंत तकनीकी परियोजना रिपोर्ट एंव आस-पास स्थित आबादी, स्कूल, प्राकृतिक जल श्रोत, नदी नाले, धार्मिक स्थल, वन/फलदार बाग एंव अन्य संवेदनशील स्थलो का दूरी सहित विवरण एंव लोकेशन मैप तत्काल प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

आप अवगत हैं कि उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लैण्डफिल हेतु उपलब्ध कराई गई/जा रही ग्राम-बेन्दौवा, तहसील-मोहनलाल गंज की 10 हे० भूमि, ग्राम-कूड़ा ईटगांव, परगना-ककोरी, तहसील-सदर मे 13.495 हे० एंव ग्राम-पल्हेन्दा में 14.765 हे० कृषि विभाग की भूमि के स्थलीय परीक्षण भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रमशः दिनांक 29.04.09 एंव 01.05.09 को किये गये है। प्रारम्भिक तौर पर उक्त तीनो भूमि लैण्डफिल विकास हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयुक्त पायी गयी है। ग्राम-बेन्दौवा के सम्बन्ध में जारी पत्र संख्याः Go6319/C-5/म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/09 दिनांक 01.05.09 की प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त तीनो भूमि के अपेक्षित विवरण, तकनीकी रिपोर्ट व 2 किमी दायरे का लोकेशन मैप प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि तदानुसार उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विवरण प्रेषित किये जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग महोदय को सूचनार्थ।
02. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त

Received 2/5/09

Civil Secretariat LUCKNOW 415

ANNEXURE No. A-10

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1668 (1)(7) 214

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ। | सदस्य सचिव,<br>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>पिकप भवन, गोमती नगर<br>लखनऊ |
| संख्याः 33/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांकः 28.04.2009 | |

**विषय : जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना की ग्राम-कूढ़ा ईटगांव, परगना-काकोरी, तहसील-सदर एंव ग्राम-पलेहन्दा परगना-बिजनौर तहसील-लखनऊ की लैण्ड फिल भूमि हेतु प्रपत्र 01 के अर्न्तगत आवेदन।**

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर निगम की धनांक रू०-42.92 करोड़ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम-कूढ़ा ईटगांव, परगना-काकोरी, तहसील-सदर की 13.495 हेक्टेयर एंव ग्राम-पलेहन्दा, परगना-बिजनौर, तहसील--लखनऊ में 14.765 हेक्टेयर भूमि कृषि विभाग, उ०प्र० शासन से नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन को हस्तातंरित किये जाने की कार्यवाही प्रगतिधीन है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) नियम, 2000 के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र 01 में उक्त भूमि के अथराइजेशन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः प्रपत्र 01, एवं खतौनी व स्थलीय सजरा प्लान।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन महोदय को सूचनार्थ।
02. निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र० को सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. महाप्रबन्धक (नि-3/2), सी०एण्डडी०एस० उ०प्र० जल निगम लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

Oath Commissioner LUCKNOW 415 Civil Secretariat

28.4.2009

324

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

215

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1669

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| अपर नगर आयुक्त<br>नगर निगम, लखनऊ। | मुख्य पर्यावरण अभियंता,<br>उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>लखनऊ। |
| संख्या : 35/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांक : 28.04.2009 | |

**विषय : जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु चयनित ग्राम- ग्राम-कूढ़ा ईटगांव, परगना-काकोरी, तहसील-सदर एंव ग्राम-पलेहन्दा परगना-बिजनौर तहसील-लखनऊ की लैण्ड फिल भूमि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके संज्ञान मे लाना है कि जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के अर्न्तगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु ग्राम-कूढ़ा ईटगांव की 13.495 हेक्टेयर एंव ग्राम-पलेहन्दा में 14.765 हेक्टेयर भूमि कृषि विभाग, उ०प्र० शासन से नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन को हस्तातंरित किये जाने की कार्यवाही प्रगतिधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय मे दायर रिट याचिका संख्याः 4436(एम.बी)/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा लैण्ड फिल की भूमि के सम्बन्ध मे नीरी से विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर अद्यतन आख्या केश की सुनवाइ की अगली तिथि 4 मई 2009 मे प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जिसकी प्रति पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

उपरोक्त के प्ररिप्रेक्ष्य मे अनुरोध है कि ग्राम-कूढ़ा ईटगांव व ग्राम-पल्हेन्दा की उक्त दोनो भूमि की लैण्ड फिल के रूप मे उपयुक्तता के संदर्भ मे स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि नीरी से उनका विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जा सके।

भवदीय

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/4-09 रामचन्द्र

28.4.09
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(ए०सी० सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

LUCKNOW 475 Secretariat

324

216
1670 ~~1979~~

Form-1
[See rules 4(4) & 6(2)]
Application for obtaining authorization

To,

The Member Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
PICUP Bhawan, Gomti Nagar,
Lucknow.

| | | |
|---|---|---|
| 1- | Name of the municipal authority/Name of the agency appointed by the municipal authority | : Nagar Nigam, Lucknow |
| 2- | Correspondence address | : Nagar Ayukta,<br>Lucknow Nagar Nigam,<br>Trilok Nath Road, Lalbagh<br>Lucknow-226001 |
| | Telephone No. | : 0522- 2622440 |
| | Fax No. | : 0522- 2622440 |
| 3- | Nodal Officer & designation (Officer authorized by the Municipal authority or agency responsible for operation of processing or disposal facility) | Health Officer, Nagar Nigam, Lucknow |
| 4- | Authorization applied for (Please tick mark) | (a) Setting up & operation of waste processing facility<br>(b)Setting up & operation of disposal facility |
| 5- | Detailed proposal of waste processing/disposal facility (to be attached) to include | |
| 5-1 | Processing of Waste | |
| | (i) Location of site | Vill.-Kurha Eetgaon, Pargana-Kakori, Vill-Palehanda, Pargana-Bijnor, Tahsil- Lucknow |
| | (ii) Name of waste processing technology | 1- Composting<br>2- Refuse derived fuel recovery<br>3- Recovery of plastic & metals<br>4- Processing of building materials |
| | (xii) Details of processing technology | --same as above—with Mechanical aid |
| | (xiii) Quantity of waste to be processed per day | 600TPD |
| | (xiv) Site clearance (from local authority) | In Process of transfer from Agriculture Department to Urban Development Department, GOUP. |
| | (xv) Details of agreement between municipal authority and operating agency | Operating agency to be selected |
| | (xvi) Utilization programme for waste processed (Product utilization) | 1-Compost for agriculture, horticulture gardening etc.<br>2-RDF - to be use in furnaces<br>3-Plastic- to form granules<br>4-Metal- to be recycled |

Civil Secretariat LUCKNOW 4/5

324

1671 217

| | | |
|---|---|---|
| | | 5-Building materials- in production ECO bricks |
| (xvii) | Methodology for disposal of waste processing rejects (quantity and quality) | In sanitary land fill, developed in accordance with MSWM-2000 rules |
| (xviii) | Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution | 1-Use of sanitizers<br>2-Aerobic processing<br>3-Recovery of recyclables<br>4-Avoid formation of methane & carbon mono oxide by use of aerobic processing |
| (xix) | Investment on Project and expected returns | 4292.37 lacs<br>Net returns 118.10 lacs Per /annum. |
| (xx) | Measures to be taken for safety of workers working in the plant | Workers shall be provided with personal safety equipment just like1-gloves,2-Boots, 3-Uniforms 4-Helmets 5- Masks 6- First Aid arrangements will be available at site. |
| 5.3 | **Disposal of Waste** | |
| (ix) | Number of sites identified | One |
| (x) | Layout maps of site | Attached |
| (xi) | Quantity of waste to be disposed per day | 600 TPD |
| (xii) | Nature and composition of waste | 1-Bio-degradable- 47.35 %<br>2-Construction Debries – 15.98%<br>3-Mixed waste Drain site & Street sweeping - 19.67%<br>4-Re-cyclable- - 17.00% |
| (xiii) | Detail of methodology or criteria followed for site selection | As per MSWM (M&H) Rules, 2000 |
| (xiv) | Details of existing site under operation | Attached (present sites being used for land fills, Nagar Nigam) |
| (xv) | Methodology and operational details of land filling | As per MSWM (M&H) Rules, 2000 |
| (xvi) | Measures taken to check environmental pollution | Sanitary land filling, forestation, leachate collection system etc. |

Date

Signature of Nodal Officer

LUCKNOW
475

# उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : ग्राम का नाम : कुर्सीटाँण्ड परगना : काकोरी तहसील : मलिहाबाद

जनपद : मलिहाबाद फसली वर्ष : 1411 फसली से 1416 फसली भाग : 1

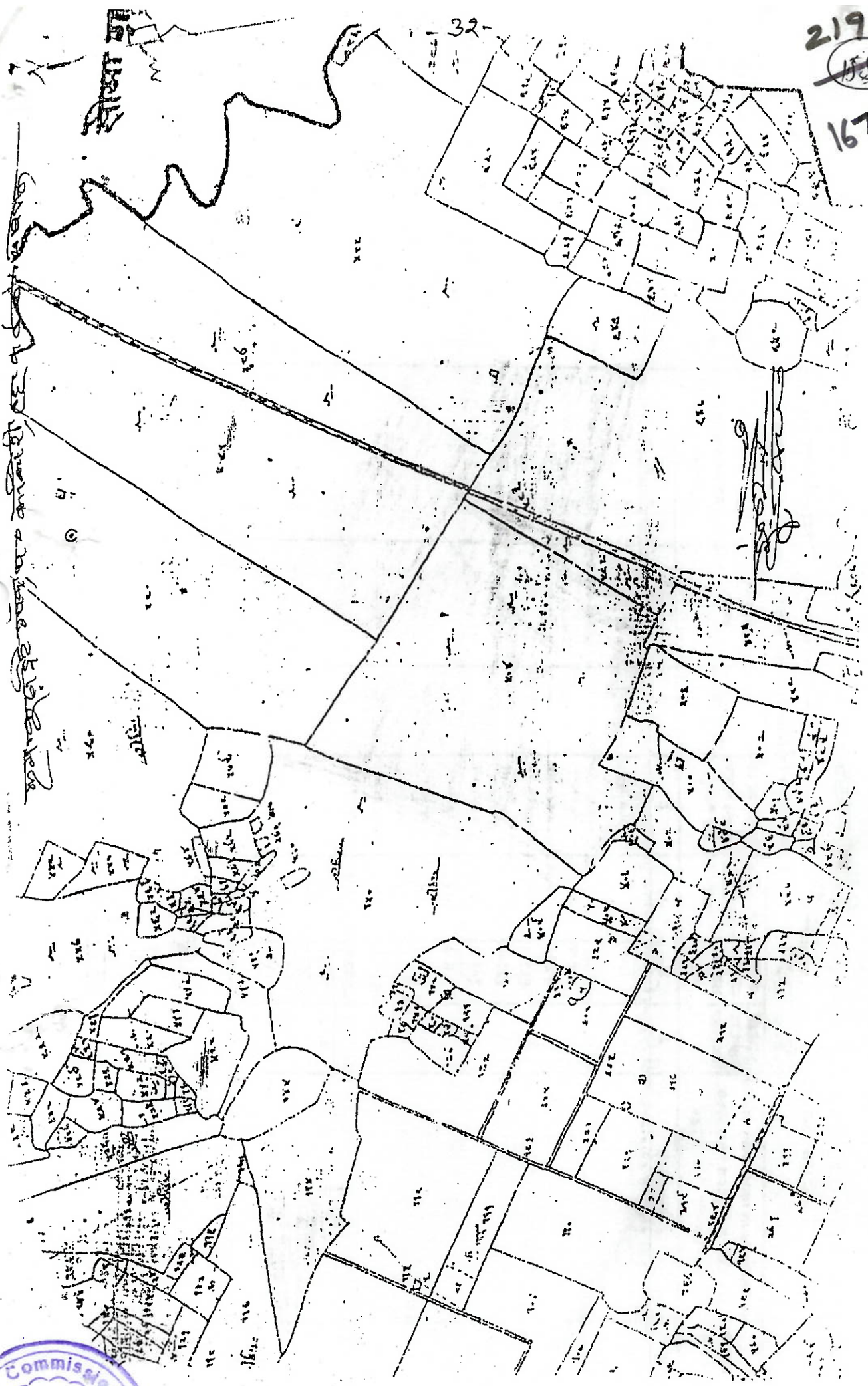
| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम | पिता/पति/संरक्षक का नाम | निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने की फसली वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे0) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 – 12 | 13 |
| 0000 1. | श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| | [illegible] | | | | 1451m | 1140 | 0.641 | | |
| | | | | | 1454m | 1521 | 0.228 | | |
| | | | | | 1454m | 554 | 6.914 | | |
| | | | | | 1454m | 557 | 0.333 | | |
| | | | | | 1454m | 561 | 0.252 | | |
| | | | | | 1454m | 582 | 0.542 | | |
| | | | | | 1454m | 584.0 | 1.459 | | |
| | | | | | 1454m | 585.2 | 0.660 | | |
| | | | | | 1454m | 646 | 0.120 | | |
| | | | | | 1454m | 647.54 | 1.464 | | |
| | | | | | | 10 | 12.465 | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

219
1673



Oath Commissioner
LUCKNOW
Civil Secretariat
415

# उद्ग्रहण खतौनी

ग्राम क्रमांक 390205000524 ग्राम का नाम : पलेटन्दा परगना : [illegible] तहसील : लखनऊ

जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1412 फसली से 1417 फसली भाग : 1

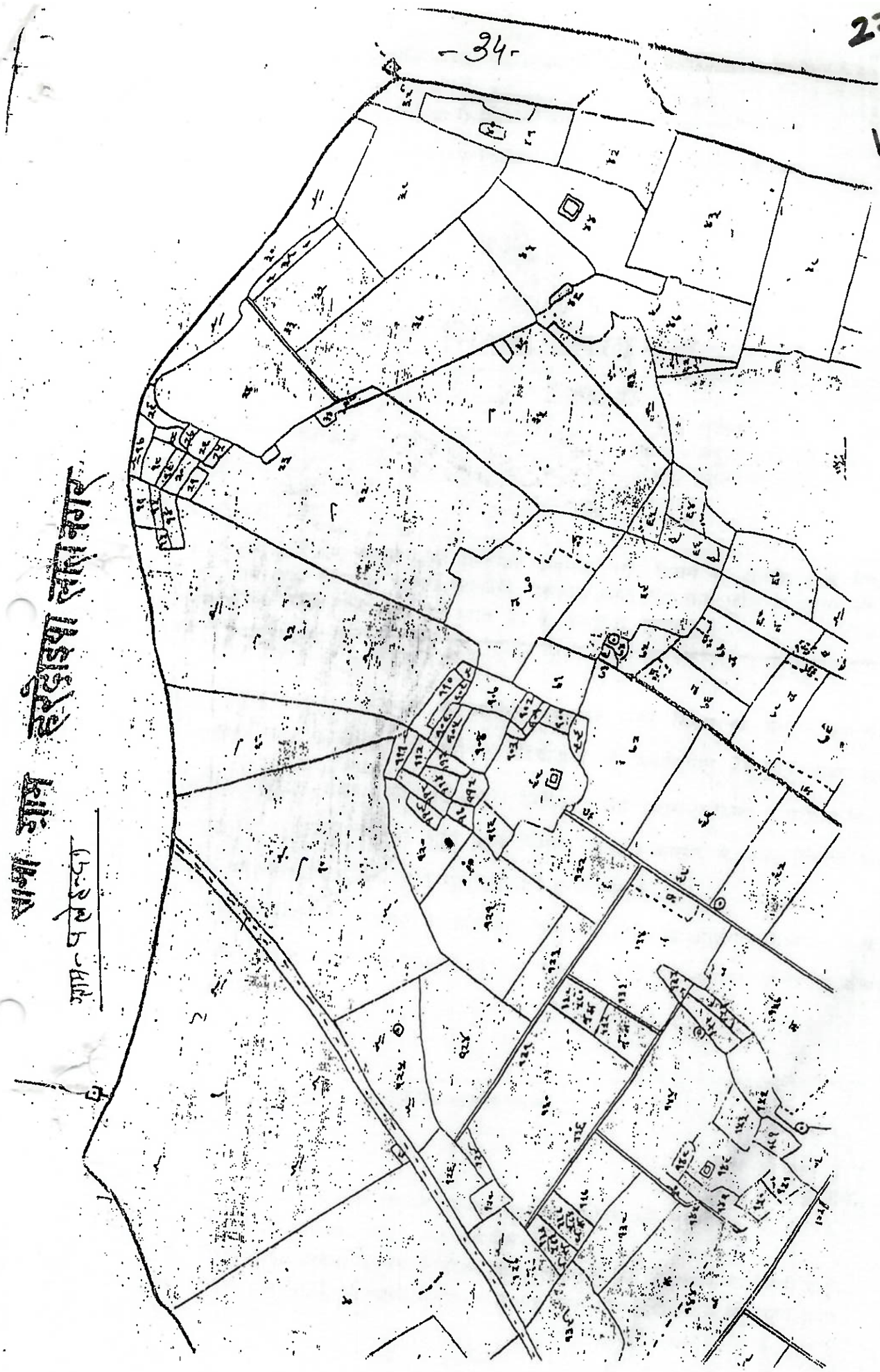
| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम | पिता/पति/संरक्षक का नाम | निवास स्थान | मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खतौनी संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है0) | खातेदारी हस्तान्तरण/भारग्रस्तता | उद्ग्रहण सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 12 | 13 |
| | टिप्पणी:- ये भूमियां [illegible] ग्राम [illegible] | | | | | | | | |
| 00001 | मुसा कुमार योजना सचिव भूमि विभाग- उ0प्र0 शासन-लखनऊ | | | 1403फ | 1 ह. | 0.405 | | | |
| | | | | 1403फ | 9 ह. | 0-153 | | | |
| | | | | 1403फ | 10 ह. | 1-538 | | | |
| | | | | 1403फ | 11 | 1-163 | | | |
| | | | | 1403फ | 12 | 4-209 | | | |
| | | | | 1403फ | 22 ह. | 3-805 | | | |
| | | | | 1403फ | 35 | 2-319 | | | |
| | | | | 1403फ | 46 | 0-017 | | | |
| | | | | 1403फ | 47 ह. | 0-125 | | | |
| | | | | 1403फ | 63 | 0-582 | | | |
| | | | | | 10 | 14-765 | 0-00 | | |

[illegible] 28/11/09

221

~~454~~

1675



LUCKNOW
Civil Secretariat
415

ANNEXURE NO. A-11

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

~~1595~~ 1676 222

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

~~संदर्भ सं०~~
Ref. No. 220/R.O./21-5/म्यूनिसपल सालिड वेस्ट/09

दिनांक
Date 2.5.09

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ ।

विषयः **जे0एन0एन0यू0आर0एम कार्य के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम की सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट परियोजना की ग्राम–कूढा ईटगांव, परगना–काकोरी, तहसील–सदर एवं ग्राम पलेहन्दा परगना–बिजनौर तहसील–लखनऊ की लखनऊ की लैण्डफिल भूमि हेतु 01 के अन्तर्गत आवेदन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 33/ई0ई0/जेएनएनयूआरएम/09–10 दिनॉक– 28.04.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के साथ संलग्न **ग्राम––कूढा ईटगांव, परगना–काकोरी, तहसील–सदर एवं ग्राम पलेहन्दा परगना–बिजनौर तहसील–लखनऊ** में नगरीय ठोस अपशिष्ठ ( प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,–2000 के अन्तर्गत **प्रपत्र–1 पर प्रस्तावित 13.495 हेक्टेयर एवं 14.765 हैक्टेयर भूमि** जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ठ का प्रबन्धन किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–1 में वर्णित सूचनाओं के परीक्षण/जॉच के उपरान्त पाया गया है कि आवेदन पत्र के बिन्दु–5 पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन एवं निस्तारण/प्रबन्धन हेतु विस्तृत तकनीकी परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र–1 के साथ संलग्न नहीं किया गया है । इसी अनुकम में प्रस्तावित स्थलों, ग्राम– कूढा ईटगांव, परगना–काकोरी, तहसील–लखनऊ सदर एवं ग्राम पलेहन्दा परगना–बिजनौर तहसील–लखनऊ का निरीक्षण राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री एस0के0 जैन (अधिशासी अभियंता) एवं श्री एस0पी0 गुप्ता तहसीलदार, नगर निगम, लखनऊ के साथ दिनॉक– 01.05.09 को किया गया ।

यद्यपि उपरोक्त प्रस्तावित स्थल पर्यावरर्णीय दृष्टिकोण से उचित पाये गये, किन्तु दोनों स्थल सम्भवतः फल पट्टी क्षेत्र में आच्छादित है अथवा नहीं, पर जिला उद्यान कार्यालय, लखनऊ से भी आख्या प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । इसी अनुकम में उक्त प्रस्तावित स्थलों के आसपास लगभग 1.0 कि0मी0 की त्रिज्या में स्थित, आबादी, गॉव, स्कूल, मन्दिर–मस्जिद, प्राकृतिक जल श्रोत, प्राकृतिक नालें इत्यादि के लोकेशन मैप के साथ–साथ नगरीय ठोस अपशिष्ठ के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रस्तावित तकनीकी परियोजना रिपोर्ट भी अपेक्षित है, ताकि नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन से जनित सम्भावित समस्याओं एवं प्रस्तावित निराकरण के आधार पर आसपास पड़ने वाले अधिप्रभाव का मूल्यॉकन करते हुये स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जा सके ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचनायें अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त प्रस्तावित स्थलों के पर्यावरर्णीय दृष्टिकोण से उपयुक्तता के सम्बन्ध में शीघ्र अग्रिम कार्यवाही किया जा सके ।

भवदीय,

(डा0सी0एस0भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 2688/9–5–2009–4 रिट/2007 के संदर्भ में ।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
4– महाप्रबन्धक (नि–3/2) सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।

सदस्य सचिव

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

ANNEXURE NO-A-12

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ।<br><br>संख्या :36/E.E/JNNURM/09-10<br>दिनांक : 01.05.2009 | निदेशक,<br>कन्स्ट्रक्शन एंव डिजायन सर्विसेज,<br>उ०प्र०, जल निगम, लखनऊ। |

**विषय : लखनऊ नगर निगम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अर्न्तगत चयनित लैण्डफिल भूमि का उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विषयक हरदोई रोड़ की ग्राम-दशहरी, सिकरौरी, रामपुर व सलेमपुर पतौरा में अधिग्रहण की जा रही 35.05 हेक्टेयर भूमि सम्बन्धी स्थलीय निरीक्षण उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24.04.09 को किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० श्री जाफरी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित भूमि से सम्बधिंत विवरण, प्रस्ताव से सम्बधिंत तकनीकी परियोजना रिपोर्ट एंव आस-पास स्थित आबादी, स्कूल, प्राकृतिक जल श्रोत, नदी नाले, धार्मिक स्थल, वन/फलदार बाग एंव अन्य संवेदनशील स्थलो का दूरी सहित विवरण एंव लोकेशन मैप तत्काल प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

आप अवगत हैं कि उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लैण्डफिल हेतु उपलब्ध कराई गई/जा रही ग्राम-बेन्दौवा, तहसील-मोहनलाल गंज की 10 हे० भूमि, ग्राम-कूड़ा ईटगांव, परगना-ककोरी, तहसील-सदर मे 13.495 हे० एंव ग्राम-पल्हेन्दा में 14.765 हे० कृषि विभाग की भूमि के स्थलीय परीक्षण भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रमशः दिनांक 29.04.09 एंव 01.05.09 को किये गये है। प्रारम्भिक तौर पर उक्त तीनो भूमि लैण्डफिल विकास हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयुक्त पायी गयी है। ग्राम-बेन्दौवा के सम्बन्ध में जारी पत्र संख्याः Go6319/C-5/म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/09 दिनांक 01.05.09 की प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त तीनो भूमि के अपेक्षित विवरण, तकनीकी रिपोर्ट व 2 किमी दायरे का लोकेशन मैप प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि तदानुसार उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विवरण प्रेषित किये जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रतिलिपिः

01. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग महोदय को सूचनार्थ।
02. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ।

Received 2/5/09

LUCKNOW Civil Secretariat

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

ANNEXURE No. A-13

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1678

947/N.A.II
13-1-09

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

3969/C
Dt. 13-1-09

2930/C/A-IV-E.A.I
14/1/09

सेवा में,

उप नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

पत्रांक- /लखशाम/ दिनांक- 09-1-09

विषय :- रिट याचिका 4436/एसबी/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0एस0डब्लू डम्पिंग आन द गोमती रिवर बैक नियर गांधी सेतु लखनऊ के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक-28.08.08 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-डी-754/ए0एस0सी-ए 108 दिनांक 31.12.2008

महोदय,

संदर्भित पत्र के अवलोकन का कष्ट करें जिसके द्वारा यह सूचना चाही गयी है कि क्या सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया जा रहा तटबन्ध नीरी द्वारा दी गई गाइड लाइन्स के अनुसार निर्मित किया जा रहा है। आपके पत्र से स्पष्ट है कि नीरी ने लखनऊ नगर निगम द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प एम0एस0डब्लू0 के निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार योजना हेतु गाइड लाइन्स दी हैं, न कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराये जा रहे किसी तटबन्ध के सम्बन्ध में।

Jone (A)
13/01/09

सूचनीय है सिंचाई विभाग द्वारा तटबन्ध का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित गांधी सेतु से लामार्टिनियर तटबन्ध के मध्य 21.00 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि को रिक्लेम करने हेतु कराया जा रहा है। जिसका लखनऊ नगर निगम द्वारा गांधी सेतु के पास डम्प एम0एस0डब्लू0 के निस्तारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त भूमि रिक्लेम हेतु निर्मित कराये जा रहे तटबन्ध की परियोजना को मुख्य अभियन्ता समिति की संस्तुति के उपरान्त उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति से संस्तुति प्राप्त हुई थी तदुपरान्त परियोजना को स्थाई संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। स्थाई संचालन समिति के अनुमोदन के उपरान्त परियोजना को भारत सरकार के जलसंसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद पटना से भी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तटबन्ध निर्माण की परियोजना उपरोक्त समितियों एवं परिषद जो तटबन्ध निर्माण की स्वीकृति हेतु निर्धारित है की गाइड लाइन्स के अनुसार ही बनाई गई हैं तथा उनकी स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य कराया जा रहा है।

DNA-II
PS

14/01 अपर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

पत्रांक- 147 /लखशाम/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।
2- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता,
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

LUCKNOW
415
D:\office letters.doc

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1679 225

## लखनऊ शहर में गोमती नदी पर निर्मित गांधी सेतु के डाउन स्ट्रीम में दाहिने गाइडबंध से लामार्टिनियर कालेज तक दाहिने किनारे पर भूमि रिक्लेम हेतु तटबन्ध बनाये जाने की परियोजना

गोमती बैराज के डाउन स्ट्रीम में लगभग 600.00 मीटर की दूरी पर गांधी सेतु लगभग 9 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। इस नवनिर्मित पुल का स्पैन 210.00 मीटर है एवं इसे नदी के बांये पार्श्व पर स्थित गोमती नगर सुरक्षा तटबन्ध से सटा कर निर्मित किया गया है। इस नवनिर्मित पुल के नदी के एक पार्श्व (बांये) से सट कर बने होने के कारण गोमती बैराज से लामार्टिनियर कालेज तक नदी के दाहिने पार्श्वों में काफी भूमि खाली पड़ी है। खाली पड़ी भूमि को रिक्लेम किये जाने हेतु उक्त परियोजना का कार्य प्रगति में है। उक्त परियोजना में निर्मित होने वाले तटबन्ध की लम्बाई लगभग 750.00 मीटर हैं। इस तटबन्ध के निर्माण के पश्चात लगभग 42 एकड़ क्षेत्रफल में भूमि विकास कार्य हेतु प्राप्त होगी। इस रिक्लेम होने वाले भू–भाग पर हरित पट्टी विकसित कर पर्यावरणीय वातावरण बढ़ाने अथवा सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना में इसका उपयोग किया जा सकेगा।

तटबन्ध का परिकल्पन जी0एफ0सी0सी0 की वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार किया गया है। जिसमें तटबन्ध के टाप की चौड़ाई 5.50 मीटर तथा नदी साइड स्लोप 2.5:1 एवं कन्ट्री साइड स्लोप 3:1 प्राविधानित है। हाइड्रालिक ग्रेडियन्ट 1:6 लिया गया है। रीवर साइड स्लोप पर जीओ टेक्सटाइल के ऊपर 60.00 से0मी0 की मोटाई में स्टोन बोल्डर पिचिंग की जायेगी। सौ वर्ष में एक बार के लिए परिकल्पित 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज के लिए उच्चतम बाढ़ स्तर 111.84 मीटर के ऊपर 1.80 मीटर का फ्रीबोर्ड का प्राविधान रखा गया है, इस प्रकार तटबन्ध का टाप लेबिल 113.64 मीटर रखा गया है, जो केन्द्रीय जल आयोग के वर्तमान मानक के अनुसार है।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर
लखनऊ

LUCKNOW 475 Civil Secretariat

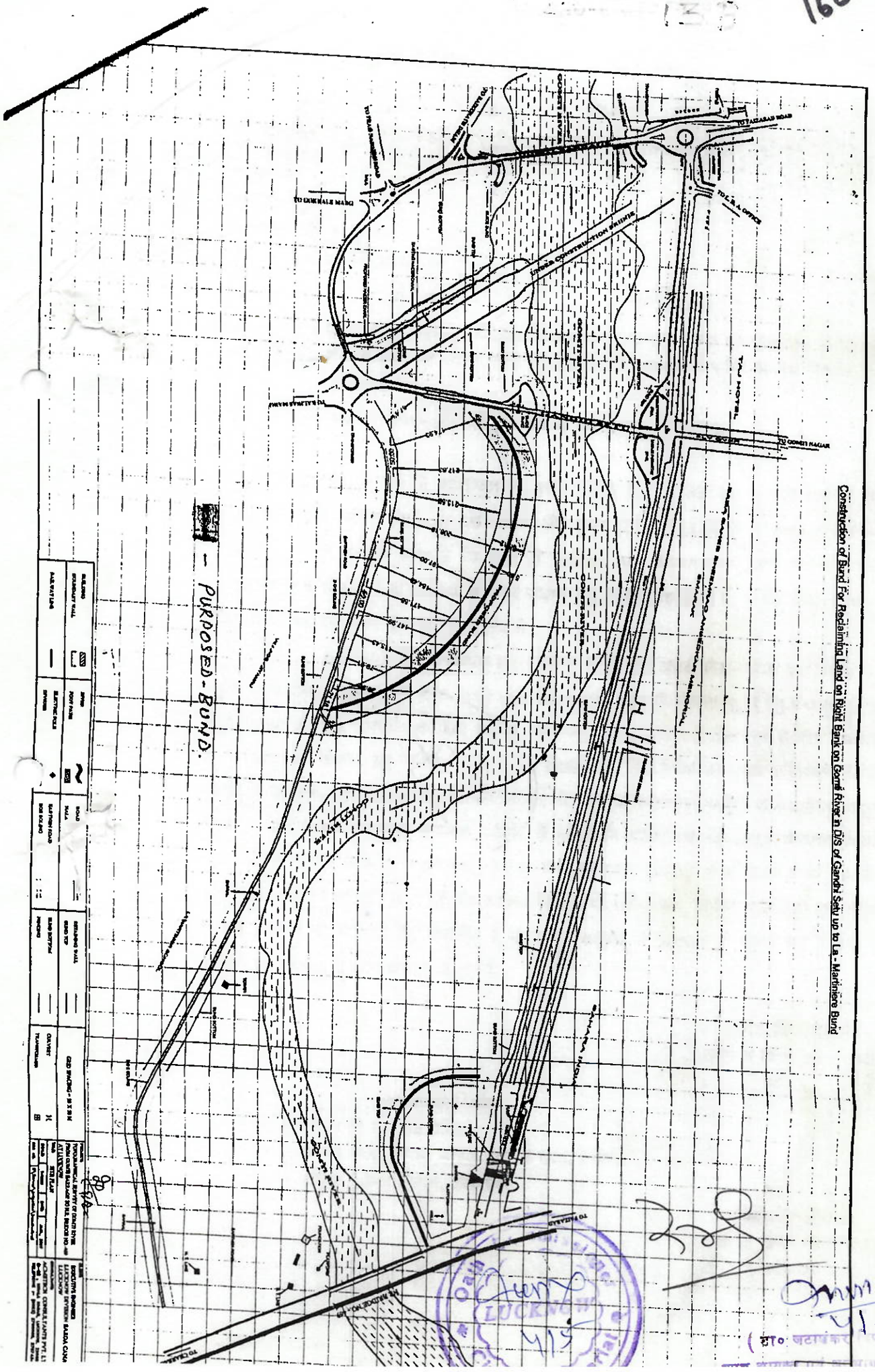
Genral

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

1589
226

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

1680




( डा० बटाभंकर पाण्डेय )
अधिकारी

1681

1596
227

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

2009 AFFIDAVIT
HIGH COURT
ALLAHABAD
0140946

10 Rs. COURT FEE

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 26.03.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, D.K. Sharma, aged about 56 years, son of Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 26.03.2009 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass the following order, relevant portion of the same is being reproduced herein as under:-

"We under the circumstances, direct that immediate steps be taken by the concerned authorities for selection of sites and for the purpose, the site will be identical and due information will be given to the U.P. Pollution Control Board so that they may make inspection and submit report and thereafter the matter be

referred to NEERI with the request that they may make inspection and submit their report.

Sri D.K. Upadhya, learned Chief Standing Counsel states that the Lucknow Development Authority would be requiring three weeks time to identify the lands and thereafter they will forward their report to the Nagar Nigam, who in turn will intimate, the land sites to the U.P. Pollution Control Board as well as the NEERI so that proposal either given by the NEERI dated 5th January 2009 may be acted upon"

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 26.03.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Lucknow Jal Sansthan, Lucknow in compliance of the same, thereby mentioning the details of work undertaken by the authorities under the JNNURM and others.

4. That it is submitted that so for as the installation of 61, Tubewells are concerned which are to be completed under the JNNURM Scheme, in which work of installation of 40 Tubewells is also included, out of the same work of 36 Tubewells has been commissioned and work of remaining 4 Tubewells are in progress where water supply system is available and the work would be completed expeditiously. The chart has been prepared in this regard by U.P. Jal Nigam . A photocopy of the said chart is being filed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That so far as installation of 21 Tubewells is concerned, the work has been completed on 7 Tubewells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of Tubewells it will take some time and would be commissioned

after laying of distribution system. The work of 14 Tubewells are under progress. A photocopy of the chart in respect of installation of 21 Tubewells has already being annexed as Annexure No. 1 to this affidavit.

6. That it is submitted that so far as reboring of 43 Tubewells is concerned the work has been completed on all 43 Tubewells. A photocopy of the progress chart in respect of re-boring of 43 Tubewells has already been annexed herewith as Annexure No. 1 to this affidavit.

7. That it is further submitted that from the target of installation of 409 new handpums and re-boring/special reboring of 670 handpums was fixed under District Plan (Urban) 2007-08. Out of which all 409 new handpumps and reboring/special repair of 670 handpumps has been completed in additional to this installation of all 1230 New India Mark-II handpump and re-boring /special reapir of 153 handpump has been done against the target of 2008-09. A photocopy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is already being annexed as Annexure No. 1 to this affidavit.

8. That it is further submitted that in addition to JNNURM U.P. Jal Sansthan has worked under Urban Water Supply (Normal) Programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of Tube wells and other works. Out of 5 proposed Tubewells, the works for 3 Tubewells have been completed and the work for 2 tubewells is in progress. Out of proposed 39 rebore tubewells, all the 39 tubewells has been rebored. A Photocopy of progress chart is this respect is already being annexed as Annexure No. 1 to this affidavit.

1684 ~~1893~~ 230



9. That it is also submitted that the work of construction of third water works at Gomti Nagar, and other related works under JNNURN is under progress. The works including Zonal Reserviors Central CWR, laying of clear water main, administrative building are in progress.

10. That the Sewerage Scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one Sewerage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 Mld at Daulatganj, Lucknow and other relevant appurtenant works. 140 Km. of sewer line has been laid. The work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started and in progress. A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **Annexure No.2** to this affidavit.

11. That it is further pertinent to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has filed its compliance affidavit in light of each and every order passed by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

12. That from the narration made herein above it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 26.03.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

1375

Lucknow

Dated : 04.05.2009

1375/09

**DEPONENT**

1685 ~~1994~~ 231



## Verification

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 2 of this affidavit are true to my personal knowledge and those of paras 3,2,1) are believed by me to be true on the basis of record, and paras 1 2 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed.

So help me God.

Lucknow

Dated : ~~04.05.2009~~ 13/5/09

**DEPONENT**

I identify the deponent who has signed before me.

13/5/2009

**(Namit Sharma)**
Advocate

Solemnly affirm before me on 13/5 2009 at about 11-00 a.m. /p.m. by, D.K.Sharma, the deponent who is identified by Sri Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

**Oath Commissioner**

13/5

Shailendra Tewari
Advocate
Date 13/5/09 (140946)

1686 1555 (C) 232

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
## LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

**ANNEXURE No. –I**

**Writ Petition No. 4436/MB/2003**

**Sewage Treatment plant----------Petitioner**

**VERSUS**

**State of UP and Others----------Opp parties**

| क0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दिनांक 20.03.09 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.09 से 30.04.09 तक प्रगति | दिनांक 30.04.09 कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1 | नये नलकूप(समस्यग्रस्त क्षेत्रों में। | 40 नग | 34 नग चालू 6 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू | 36 नग चालू 4 नग प्रगति पर। | |
| 2 | विभिन्न पांच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 4 नग चालू 13 नग प्रगति पर | 3 नग चालू | 7नग चालू, 10 नग प्रगति पर | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग प्रगति पर | 1 नग चालू | 1 नग चालू | – |
| 3 | रिबोर नलकूप | 43 नग | 41 नग चालू, 2 नग प्रगति पर | 2 चालू | 43 नग चालू | |
| 4 | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 86.80 कि.मी. | 7.70 कि.मी. | 94.50 कि.मी. | |
| 5 | राईजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 38 नग नलकूपों को राईजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 19 नग नलकूपों की राईजिंग मेन का कार्य प्रगति परै। | 5 नग नलकूपो की राईजिंग मेन पूर्ण कर नलकूप चालू किया गया। | 43 नग नलकूपों की राईजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 14 नग नलकूपों की राईजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1 | वर्ष 2007–08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प<br>वर्ष 2008–09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग<br>1230 नग | 409 नग<br>1230 नग | | 409 नग<br>1230 नग | |
| 2 | वर्ष 2007–08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प।<br>वर्ष 2008–09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प। | 670 नग<br>153 नग | 670 नग<br>153 नग | | 670 नग<br>153 नग | |
| 3 | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू तथा 2 नग प्रगति पर | | 3 नग चालू 2 नग प्रगति पर | |
| 4 | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग | | 39 नग | |

सचिव,
लखनऊ जल संस्थान

1687 233

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
# LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

**ANNEXURE No. –II**

**Writ Petition No. 4436/MB/2003**
**Sewage Treatment plant----------Petitioner**

**VERSUS**

**State of UP and Others----------Opp parties**

**माननीय उच्चन्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त दिये गये कार्यों की प्रगति जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट)–।**

**(रूपये करोड मे)**

| क्रमांक 0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दिनांक 20.03.09 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.04.09 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.09 से 30.04.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम. एम. साइज | 289.00 कि.मी. | 113.00 कि.मी. | 117.00 कि.मी. | 4.00 कि.मी | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250से 1800 एम.एम.) | 48.00 कि. मी. | 22.00 कि.मी. | 23.00 कि.मी. | 1.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 35% | 36% | 1% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 40% | 45% | 5% | |
| 5 | राईजिंग मेन–1000 एम.एम | 45 मीटर | — | — | — | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रू0 करोड़) | 263.04 | | | | |
| 1 | वित्तीय प्रगति (व्यय)(रू0 करोड़) | | 55.800 | 71.230 | 15.430 | |
| 2 | प्राप्त धन (रू0 करोड़) | | 55.850 | 95.620 | 39.770 | |

सचिव,
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR OATHS

1680 (1597) 234

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD**

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 15/5/09

**(I.P. Singh)**
Advocate,
Counsel for Deponent

1689 1598 235

**IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 26-03-2009 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM**

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

2. That on 26-03-2009 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court.

1690 (1599) 236

3. That it is submitted that That UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal. It is further submitted that Jal Nigam is preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

4. That for Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. The Ministry of Urban Development, Govt. of India has sanctioned the DPR of Sewerage District-III Part-I for an amount of Rs. 262.16 Crore in the meeting of C.S.M.C. dated 21.11.2008 and Sewerage District-III Part-II for an amount of Rs. 214.43 Crore in the meeting dated 29.12.2008.

5. That the detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is being annexed as **ANNEXURE-I** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

1915

6. That the Government of India has issued fund released order for first installment of Rs.29.53 crore on 3.10.2007 and Second installment of Rs.29.53 crore on 16.12.2008 in favour of Government of UP against detailed project report of sewage district-I (amounting to Rs.236.23 crore). Matching grant of first and second installment 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government

1691 (1600) 237

and Local body respectively. The Govt. of India has released Rs. 32.77 Crore for Sewerage District-III Part-I on dated 16.12.2008 and Rs. 26.18 Crore for Sewerage District-III Part-II. The matching grant of 1st installment 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. Funds for Sewerage District-III Part-I and II yet to be received by U.P. Jal Nigam. A photo copy of the letter dated 02.03.2009 issued by Government of Uttar Pradesh is being annexed as **ANNEXURE-II** to this affidavit.

7. That the sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 140.00 Km of sewer line has been laid. The work of construction of sewage pumping station and STP has been started and in progress. An expenditure of Rs. 71.23 Crore has been made upto 30.04.2009 against release of Rs. 95.620 Crore (Rs. 15.00 Crore on 19.03.2008 and Rs. 15.00 Crore on 22.04.2008, Rs.13.037 Crore on 06.10.2008 and Rs. 5.34 Crore on 5.12.2008 and Rs. 7.48 Crore on 16.2.2009 and Rs. 19.772 Crore on 18.03.2009 and Rs.15.00 Crore on 1.4.2009). A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **ANNEXURE-III** to this affidavit.

8. That so far cleaning of Gomti River is concerned, it is submitted that the land for construction of 345 mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has been started on 18.7.2008. The required progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood during July to October 2008 in Gomti river but now work is going on in full swing.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

1911

1692 (1807) 238

9. That the construction work for Kukrail Nala Sewage pumping Station has been started after getting alternative land in August 2007 from Nagar Nigam and after getting no objection from U.P. Irrigation on 17.04.2008. Upto April 2009, 50% work of Pumping station has been completed.

10. It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as **ANNEXURE-IV & ANNEXURE V** to this affidavit.

11. That so far installation of new tube wells under JNNURM is concerned out of 40 new tube wells, works of 36 new tube wells has been completed and commissioned and works of 4 tube wells under progress. In addition to this installation of 21 tube wells under five piped water supply schemes, the work of 7 tube wells has been completed. There is no water supply system available for these tube wells, so after completing the work of these tube well it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. A photocopy of the chart is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

12. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells under JNNURM is concerned; the work of all 43 rebore tube wells has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

13. That it is also submitted that the works of construction of 3rd water works at Gomti Nagar and other related under JNNURM is under progress. The works including zonal reservoirs, central CWR, laying of clear water main, administrative building are in progress.

14. That it is submitted that target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban) 2007-08. Out of which

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

4

1615

1693 ~~1602~~ 239

all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed. In addition to this installation of all 1230 New India Mark-II handpump and reboring / special repair of 153 handpump has been done against the target of 2008-09. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

15. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for 2 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **ANNEXURE NO.VI** to this affidavit.

16. That it is submitted that financial progress of water supply schemes is annexed as **ANNEXURE NO. VII** to this affidavit.

17. Present status of Master Plan of Lucknow Water Supply is annexed as **ANNEXURE No. VIII** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 14-5-2009

Deponent

14/5/09

1694 ~~1603~~ 240

## Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 10 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 14-5-2009

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 14/5/09 at 11:00 a.m./~~p.m.~~ by Shri U. U. Vishnoi who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench,Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

**OATH COMMISSIONER**

Sanjay Kumar Singh
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT, ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

14/5/09 14/5/09

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT, ALLAHABAD

14/5/09

# जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्य के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना के मुख्य बिन्दु

दिनांक 20.03.2009 तक

ANNEXURE-I

| क्र.सं. | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत) | चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र | 287335 | 448634 | 565069 | 36 | 55 | 70 | 229.55 | 236.23 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी. बढ़ाकर 56 एम.एल.डी.(वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम.एल.डी.। | निर्माणाधीन |
| 2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II | अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र | 225975 | 442125 | 884500 | 28 | 54 | 108 | 489.98 | -- | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |

ANNEXURE-I

| क्र.सं | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | | | |
| ~~3.1~~ | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट - I) | गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र | 709558 | 1130121 | 1765143 | 87 | 138 | 216 | 276.03 | 308.80 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी<br>राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.08 को रु 262.16 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 45.878 करोड़ आवंटित। निविदा की कार्यवाही प्रगति पर। |
| 3.2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट-II) | गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र | 465860 | 716805 | 1059143 | 57 | 88 | 130 | 165.03 | 244.03 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी<br>राइजिंगमेन - 3375 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.08 को रु 214.43 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु.37.534 करोड़ आवंटित। निविदा का कार्य प्रगति पर। |
| 4 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV | शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि | 1114272 | 1505315 | 2148145 | 136 | 184 | 263 | 955.08 | -- | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग<br>एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| **TOTAL** | | | **2803000** | **4243000** | **6422000** | **344** | **519** | **787** | **2115.67** | | | **787 MLD** | |

d:aks/NURM.xls sh7

1697 243

ANNEXURE – II

संख्याः 1797/नौ-5-2009-37सा/09

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 02 मार्च, 2009

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम योजना के यू.आई.जी. घटक के अन्तर्गत निकायों के अंश की धनराशि को 'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- तक0सेल/3513/286-रिवा0फण्ड/08, दिनांक 25.02.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत आच्छादित नगरों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि के सापेक्ष निर्धारित 30 प्रतिशत निकाय अंश की धनराशि कुल रू0 11347.12 लाख (रू0 एक अरब तेरह करोड़ सैतालीस लाख बारह हजार मात्र) को 'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना' के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0. में)

| क्रमांक | निकाय का नाम | परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निकाय अंश की प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर निगम, कानपुर | कानपुर नगर में सीवेज ट्रीटमेंट | 10100.45 | 1262.55 | 505.02 | 757.53 |
| 2 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य | 19162.00 | 2395.25 | 958.10 | 1437.15 |
| 3 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर में ट्रान्स बरूणा एरिया में सीवरेज कार्य | 30912.00 | 3091.00 | 1236.40 | 1854.60 |
| 4 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। (पार्ट-।) | 21443.00 | 2681.00 | 1072.40 | 1608.60 |
| 5 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवरेज कार्य-लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-। (वाल्यूम-। एण्ड ।।) | 23623.00 | 2952.87 | 1181.15 | 1771.72 |
| 6 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में सीवेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।।(पार्ट-।) | 26216.00 | 3277.00 | 1310.80 | 1966.20 |
| 7 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर में स्टार्म वाटर ड्रेनेज. | 31521.00 | 3252.20 | 1300.88 | 1951.32 |
| | | योग | 162977.45 | 18911.87 | 7564.75 | 11347.12 |

(रू0 एक अरब तेरह करोड़ सैतालीस लाख बारह हजार मात्र)

2- संबंधित निकायों को उपर्युक्त तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी।
3. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिज़ाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्प्ले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं शासन को 30 जून, 2009 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"6215 जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-8-848-दस/09, दिनांक 02 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

GORF-(08-09)-SI

कार्या-76 1699 245

क्र- 1797/नौ-5-2009-37सा/09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-8।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

AC-11

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (Nuvvu), जल निगम, लखनऊ

पत्रांक 297/KVS(NUKm)/034-2037/09 दि० 06-3-09

प्रति

1. मुख्य अभि० (झांसी/इलाहाबाद/लखनऊ क्षेत्र), जल निगम, झाँसी/इलाहाबाद/लखनऊ,
2. परियोजना, गंगा/गोमती प्रदूषण नि. इकाई, जल निगम, कानपुर/इलाहाबाद/लखनऊ/

5/3/09
CE (Nuvvu)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जी0 डी0 कि0 इकाई,
जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 550/ AC-11 / 31 दिनांक 13.3.09

योजना के [illegible] उपरोक्त पत्र के प्रति परियोजना लखनऊ को [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अधिशासी अभियन्ता)
जी0 डी0 कि0 इकाई
जल निगम, लखनऊ।

13.03.09

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
141/5

संलग्नक - 3

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 से 30.04.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 113.00 कि.मी. | 117.00 कि.मी. | 4.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 22.00 कि.मी. | 23.00 कि.मी. | 1.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 35% | 36% | 1% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 40% | 45% | 5% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 55.800 | 71.230 | 15.430 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 55.850 | 95.620 | 39.770 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा दिसम्बर 2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा माह फरवरी 2009 में रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा माह मार्च 2009 में रु.24.77 करोड़ तथा रु. 15.00 करोड़ की किश्त दिनांक 1.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 11.45 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
9. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ



ANNEXURE III
246

सलग्नक - 4

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 से 30.04.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग | 5 नग + 1 नग (30%) | 1 नग (30%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (45%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (50%) | 1 नग (5%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5270 मीटर | 5470 मीटर | 200 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 50% | 58% | 8% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 37.39 | 38.55 | 1.16 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 37.277 | 41.650 | 4.37 | |

**नोट :** कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ess/progressformat xls sh1

ANNEXURE-IV

संलग्नक - 5

# कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

## माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

## गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 20.03.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 20.03.2009 से 30.04.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95%+ 1 नग 40% | 17नग 95%+ 1 नग 50% | 1 नग 10% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 30% | 10 नग 95%+1 नग 40% | 1 नग 10% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9000 मीटर | 9180 मीटर | 180 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 80% | 80% | -- | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 70% | 75% | 5% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 33% | 1 नग 41% | 1 नग 8% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+ 1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 90% | 5 नग 100% | 5 नग 10% | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 20% | 5% | 10% | 5% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 20% | 5% | 5% | -- | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 40% | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 263.04/417.64 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 150.97 | 175.121 | 24.15 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 161.711 | 180.6051 | 18.8941 | |

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ess/progressformat.xls sh1

ANNEXURE-K

संलग्नक - 6

# लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 20.03.09 तक कुल प्रगति | 20.03.09 से 30.04.09 तक प्रगति | 30.04.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम** | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 34 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू, | 36 नग चालू, 4 नग प्रगति पर। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 4 नग चालू, 13 नग प्रगति पर। | 3 नग चालू, | 7 नग चालू, 10 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू। | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 41 नग चालू, 2 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 86.80 कि.मी. | 7.70 कि.मी. | 94.50 कि.मी. | |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 38 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 19 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 5 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण कर नलकूप चालू किया गया। | 43 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 14 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | **सामान्य कार्यक्रम** | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | -- | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | -- | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | -- | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | -- | 153 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | -- | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | -- | 39 नग। | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल/लखनऊ



ANNEXURE - VI

# लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1

संलग्नक - 7

## वित्तीय प्रगति

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | 20.08.07 से 27.03.08 की प्रगति | 27.03.08 से 21.07.08 तक प्रगति | 21.07.08 से 15.10.08 तक प्रगति | 15.10.08 से 20.03.09 तक प्रगति | 20.03.09 तक कुल प्रगति | 20.03.09 से 30.04.09 तक प्रगति | 30.04.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति | - | 22.00 | 38.00 | 63.8818 | 123.8818 | 31.0082 | 154.89 | प्रथम किश्त रू0 20.00 करोड़ 27.03.08 को, द्वितीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अप्रैल 2008, तृतीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अगस्त 2008 में, चौथी किश्त रू0 10.7986 करोड़ 06.10.08 को तथा पाँचवी किश्त रू0 8.784667 करोड़ 04.12.08, 12.298533 करोड़ 11.02.09 एवं रू0 39.6388 17.03.09 को एवं रू0 33.6388 करोड़ दिनांक 31.03.09 को प्राप्त हुई है। |
| | प्राप्त धनराशि | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 71.5206 | 131.5206 | 33.6388 | 165.1594 | |

परियोजना प्रबन्धक



ANNEXURE - VII

संलग्नक - 8

# STATUS AND REQUIREMENT OF WATER SUPPLY FOR LUCKNOW CITY

| No. | Water Supply District | Location | Main Area included | Population | | | Requirement | | Available at present | | | | Proposed to be enhanced in JNNURM by 2010 | | Availability of Ground Water beyond mid stage 2025 | Total Proposed Availability | | Deficit (Year 2040) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Water | | | Storage | Water | Storage | | Water | Storage | Water | Storage |
| | | | | 2010 | 2025 | 2040 | Water Demand in 2040 | Storage | Surface | Ground Water | Total | | | | | | | | |
| | | | | | | | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | A | Cis Gomti area between Gomti River and Line from Dilkusha to Hardoi. | Aminabad, Charbagh, Hazratganj, Vidhan Sabha, Butler Palace, Rajajipuram, Aisbhagh, Balaganj, Chowk, Medical College, Hardoi Road. | 1159707 | 1495795 | 1879750 | 341.26 | 113752 | 183.86 | 71.13 | 254.99 | 77350 | 111.52 | 2550 | 15.00 | 310.38 | 79900 | 30.88 | 33852 |
| | B | Trans Gomti area on the left bank upto Kukrail Nala. | Aliganj, Khadra, Daliganj, Nishatganj, Jankipuram, Nirala Nagar, Sitapur Road, University Road, Paper Mill. | 696698 | 1111911 | 1745287 | 301.06 | 100354 | 20.00 | 73.72 | 93.72 | 31300 | 19.20 | 3100 | 70.00 | 109.20 | 34400 | 191.86 | 65954 |
| | C | Trans Gomti area on the left bank of Gomti River beyond Kukrail Nala. | Indira Nagar, Gomti Nagar, Sarvodaya Nagar, Sanjay Gandhi Puram & adjoining private colonies. | 478910 | 737155 | 1085451 | 187.24 | 62413 | 0.00 | 66.98 | 66.98 | 34500 | 84.80 | 5350 | 55.00 | 139.80 | 39850 | 47.44 | 22563 |
| | D | Cis Gomti area beyond Dilkusha Hardoi N.R. Line. | Alambagh, Sringar Nagar, Kanpur Road, Raibareli Road, Airport, Sarojini Nagar, South City, Aashiana. | 467685 | 898139 | 1711512 | 295.24 | 98412 | 0.00 | 42.04 | 42.04 | 14000 | 23.04 | 2200 | 42.04 | 65.08 | 16200 | 230.16 | 82212 |
| | | | Total | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 1124.80 | 374931 | 203.86 | 253.87 | 457.73 | 157150 | 238.56 | 13200 | 182.04 | 624.46 | 170350 | 469.46 | 204581 |

PROJECT MANAGER

ANNEXURE VIII

**Proposed Work in Future under JNNURM Programme**

| Phase-I, Part-I<br>Estimated Cost Rs. 456.62 Crore<br>(Rs. 388.61 Crore without centage) | Phase-I, Part-II<br>Estimated Cost Rs. 146.565 Crore | Phase-I, Part-III | Phase-II |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 |
| ıovation of 100 Year old Aishbagh Water Works,<br>ıgthening of Feeder Mains, Replacement of Raw Water Rising<br>n,<br>ıradation of II W/W Balaganj from 100 MLD to 200 MLD,<br>ıgthening of Feeder Mains from Balaganj.<br>ırganisation of Garhi Kanaura W/S at the farthest end of Aishbagh<br>V command area.<br>e wells - 12 Nos.(12 mld) | Reorganisation of W/S Scheme in three areas namely Saadatganj, Kanhaiya Madhopur & Mallahi Tola.<br>Tube wells - 2 Nos.<br>Works related to intake of II water works Balaganj<br>Works related to increase of water in river Gomti. | W/S Schemes having no piped arrangement.<br>Renovation of existing C.W.R. & over head tanks.<br>Automation of existing water supply system.<br>Segregation of existing feeder mains in different water supply zones. | |
| ırganisation of Shiv Nagar Khadra W/S Scheme,New Water Supply<br>eme for Bharat Nagar Area, Sitapur Road.<br>e wells - 20 Nos.(20 mld) | W/S Scheme in Aadil Nagar area.<br>Tube wells - 4 Nos. | New W/S Scheme having no piped water supply.<br>Automation of existing water supply system.<br>Renovation of existing over head tanks. | Construction of FourthWater works at Ghaila. |
| struction of III[rd] W/W at Gomti Nagar ( 80 mld Capacity)<br>ırty Colony Sarvodaya Nagar W/S Scheme<br>e wells - 5 Nos.(5 mld) | Six W/S Schemes of private colonies adjacent to Indira Nagar & Gomti Nagar to utilize the water produced by Third Water Works. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | |
| Water Supply Scheme for Kharika Ward.<br>e wells – 24 Nos.(24 mld) | W/S Scheme of Raja Bijli Pasi Ward & Reorganisation of Chitragupta Nagar Ward.<br>Tube wells - 15 Nos. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Reboring of permanent defunct tube wells.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | Construction of Fifth Water works at Mohaan road.<br>Reorganisation of distribution system of remaining areas. |
| **sent Status:** | | | |
| sanctioned by G.O.I. Works under progress. Rs. 165.1594 Crores been received by U.P. Jal Nigam till now out of which Rs. 154.89 e has been spent on works. The works of scheme are under ıress. | DPR Costing Rs. 146.565 Crore sanctioned by Govt. of India. | Survey & preparation of scheme in progess. | Scheme will be prepared, subject to the availability of surface water source. |



PROJECT MANAGER

1707 ~~1616~~ 253

# THE MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF WATER SUPPLY TILL 30.04.09

## 1- UNDER JNNURM PROGRAMME :

- **Construction of New Tube Wells against 40 Tube Wells** : 36 Tube Wells Commissioned, 4 Tube Wells under Progress.
- **Construction of Tube Wells under Five piped water supply schemes.** :
- **New Tube Wells - 21 Nos.** 7 Tube Wells Commissioned, 10 under Progress.
- **Rebore Tube Wells - 1 No.** Commissioned.
- **Construction of Rebore Tube Wells against 43 Rebore Tube Wells** : 43 Tube Wells Commissioned.
- **Distribution System** : 94.50 Km. Laid.
- **Rising Main** : Rising Main of 43 Tube Wells laid and Commissioned.
  Rising Main of 14 Tube Wells under Progress.
- **Over Head Tank** : Construction of 4 Over Head Tanks in Progress.
- **C.W.R.** : Construction of 10 CWR's in Progress.
- **Third Water Works** : Construction of Boundary Wall & Site office complete, Zonal C.W.R., clarriflocculator and administrative block of WTP under progress. Laying of feeder main is also under progress, 9.50 Km. laid.
  Fund of Rs. 10.00 Crore has been paid to Irrigation Department for Construction of Head Works etc.

## 2- UNDER WATER SUPPLY NORMAL PROGRAMME :

- **New Hand Pumps** :
- **Against 2007-08** Work of all proposed 409 New India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2008-09** Work of all proposed 1230 New India Mark-II Hand Pump completed.
- **Rebore/Special Repair Hand Pumps** :
- **Against 2007-08** Works of all 670 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2008-09** Works of all 153 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed.
- **Construction of New Tube well under Normal Programme** : 3 Tube wells commissioned, 2 under progress.
- **Construction of Rebore Tube wells** : All 39 Tube wells commissioned.

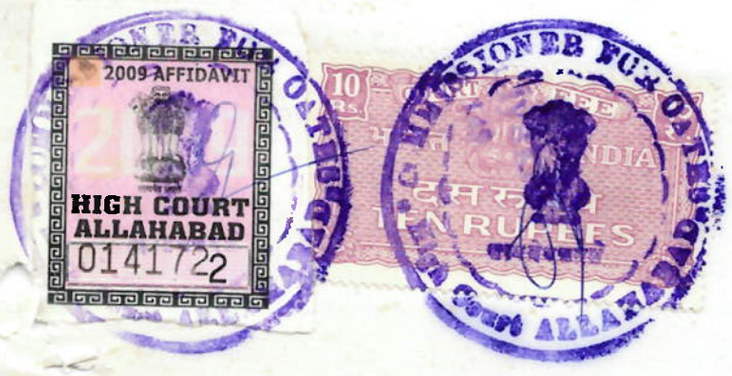
14/5/09

**Project Manager**
Peyjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow

1708 (167) 254

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003




Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite parties

**SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER 26.03.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 53 years, son of Late Subedar Singh, presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow; the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.



2. That in compliance of the order dated 26.03.2009 passed by this Hon'ble Court a detailed affidavit alongwith relevant enclosures has been sweared on 04.05.2009, thereafter because of certain developments the present supplementary affidavit is being filed to bring the relevant developments alongwith enclosures before this Hon'ble Court in the said case.

1709 (1/8) 255



3. That the present supplementary affidavit may kindly be read alongwith affidavit dated 04.05.2009 being filed by the deponent, which are in compliance of order dated 26.03.2009 passed by this Hon'ble Court.

4. That in compliance of the observation made by this Hon'ble Court on 26.03.2009 the Nagar Nigam, Lucknow issued a letter No. 42/EE/JNNURM/09/10, dated 07.05.2009 addressed to the Director, NEERI, Nagpur, Maharastra, with regard to identification of lands for Sanitary Landfill sites, which have been identified by Nagar Nigam, Lucknow and examined by U.P. Pollution Control Board, Lucknow. A true copy of said letter dated 07.05.2009 is being annexed herewith as **Annexure No. SA-1** to this supplementary affidavit.

5. That in reply to the above letter issued by Nagar Nigam, Lucknow the NEERI vide its letter No. SHWMD/HQ/2009 dated May 14, 2009, duly informed the Nagar Nigam, Lucknow with regard to additional points which need to be considered for the site selection, in the context of MSW (Management & Handling) Rules, 2000. Besides this other observations, if any, after the detailed examination of the documents will be communicated by NEERI at a later stage. A true copy of said letter dated May 14, 2009 is being annexed herewith as **Annexure No. SA-2** to this supplementary affidavit.

6. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 26.03.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out

1710 ~~1615~~ 256



every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow

Dated : 15.5.2009

**DEPONENT**

## VERIFICATION

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 6 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of its is false and nothing material has been concealed therein.

So help me God.

Lucknow

Dated : 15.5.2009

**DEPONENT**

I identify the deponent who has signed before me.

**(Namit Sharma)**
Advocate

Solemnly affirm before me on 15.5.2009 at about 12.30 a.m. /p.m. by, the deponent who is identified by Sri Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

**Oath Commissioner**

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 15/5/09 141722

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD
15/5/09

1711 1620 (4)

257

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite parties

ANNEXURE NO. SA-1

# Municipal Corporation, Lucknow

From:
Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Lucknow.

Ref No: 42/EE/JNNURM/09/10
Date: 07.05.2009

To,
The Director,
NEERI, Nehru Marg
Nagpur, Maharashtra.

**Sub: Lands for Sanitary Landfill sites in Lucknow City and garbage fill at Gandhi Setu.**

Sir,

In the WP (MB) 4326/2003, the Hon'ble High Court has passed orders on 26-03.09 for identification of landfill sites for Lucknow City, a copy of which is attached for your kind reference . It is to further inform that the Hon'ble High Court shall take up the next hearing of the case on 13.05.09.

As regards the identification of lands for Sanitary Landfill sites, Lucknow Nagar Nigam has identified the following lands for the proposed Sanitary Landfills and processing facilities:

01. Lucknow Development Authority is in the process of notification under Section 6 for the acquisition of 38.672 hect lands of village-Dashehari, Sikrauri, Raipur and Salempur patora on Hardoi Road. The lands have been inspected by the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the report has been forwarded vide letter No-6309/C-5/Municipal Solid Waste/09 dated 27-04-09, copy of which is attached at Annexure-1.
The application in Form I with the prefeasibility report, TOR and the land map have been submitted to the SEIAA, Environment Department, GoUP vide letter No-534/G-2-16/08 dated 4.11.08 for environmental clearance of this land for the proposed Sanitary Landfill . The same is pending with the SEIAA for the public hearing sometime after the Lok Sabha General Elections, 2009. Copy of the same is attached at Annexure-2.

02. 10.0 Hect of Gramsamaj land has been recquisitioned at village-Bindauva, Pargana_Mohanlalganj, Tah-Sadar, Lucknow by the Collector/ District Magistrate Lucknow vide Order No.472/DLRC/09 dated 30.01.2009, copy of the same with the copy of the application in Form 1 is attached at Annexture-3. The same has been inspected by the Uttar Pradesh Pollution Control Board and primarily found suitable for development of Sanitary Landfill. Copy of the letter No-6319/ C-5/Municipal Solid Waste/09 dated 01.01.09 of Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board is attached at Annexture-4.

03. 13.495 Hect land in Vill - Kurha Eetgaon, Pargana-Kakori, Tah - Sadar, Lucknow, and 14.765 Hect land in Vill-Palehanda, Par-Bijnour, Tah-Sadar of barren lands with the Agriculture Department, Govt. of Uttar Pradesh is under transfer to the Urban Development Department, Govt. of Uttar Pradesh for the purposes of processing plants and sanitary landfill sites. Copy of the application in Form 1 for the same is attached at Annexture-5. The same has been inspected by the Uttar Pradesh Pollution Control Board and primarily found suitable for development of Sanitary Landfill. Copy of the letter No-

1712 (A1) 258 (5)

280/Ro/C-5/Municipal Solid Waste/09 dated 02-05-09 of Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board is attached at Annexture-6.

As regards the garbage fill near Gandhi Setu, The Irrigation Department, Govt. of Uttar Pradesh is constructing bund of approx 750m length from the Gandhi Setu to the Lamatiniar bund for reclamation of about 42 acre land. A copy of the project proposal approved by the Ganga Flood Control Council, Ministry of Water Resorces. Govt. of India with the plan proposal is attached at Annexture-7.

In view of the Hon'ble High Court, it is kindly requested that the above mentioned preliminary observations of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, regarding the lands for the Sanitary Landfill sites as well as the bund proposal of Agriculture Department, Govt. of Uttar Pradesh may kindly be examined at your end for your kind advise on the same.

**Your Sincerely**

**Additional Municipal Commissioner.**
**Nagar Nigam, Lucknow.**



1713 1622 259 6

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite parties

ANNEXURE NO. SA-2

13/05/2009 10:02 07122249752 NEERI NAGPUR. PAGE 01/01


**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**

Dr. A.N. Vaidya
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste
Management Division

Tele { phone: 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in


SHWMD/HQ/2009
May 14, 2009

To
Addtional Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam,
Lucknow.

Fax : 0522 – 2625960/2622440

Dear Sir,

This has reference to your letter no. 42/E.E./JNNURM/09/10 dated 7/5/09 received on 11/5/09. Based on the preliminary examination of the documents, following additional points ed to be considered for the site selection, in the context of MSW (Management & Handling Rules), 2000. Other observations, if any, after the detailed examination of the document will be communicated later on.

- Minimum distance of the airport from the proposed site
- Buffer zone around the landfill site.
- Waste proessing facility near the landfill site

In addition, it is also desirable to conduct detailed studies for the proposed sites prior to site seletion, as indicated in our earlier letter no. SWMU/HQ/2009 dated January 05, 2009.

Regarding confinement of the waste near Gandhi Setu, we have already indicated in earlier letter dated 14/10/2008 that design should be vetted by competant agency.

With regards.

Yours sincerely,

(A.N. Vaidya) 14/5/09

COMMISSIONER FOR GATES ... 14/5/09

1714 1623 260

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.**

**LUCKNOW BENCH LUCKNOW**

--

C.M. Application No. of 2009

Sate of U.P. of others .....Applicant/Opposite parties

In Re:

Writ petition No. 4436(M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow ..... Petitioner

**Versus**

State of U.P. & others .. Opposite Parties

**APPLICATION FOR TAKING ON RECORD ACCOMPANYING SHORT COUNTER AFFIDAVIT**

The above named applicant/ Opposite Parties most respectfully begs to submit as under:-

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying Short Counter affidavit, it most respectfully prayed that this Honble Court may be pleased to take on record the accompanying Short Counter affidavit in the interest of justice and equity.

Such other order or direction, which this Hon'ble Court deem fit and proper is the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow : Dated
July 9 /2009

Additional Chief Standing Counsel
Counsel for Applicant

1715 (1624) 261

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.**

**LUCKNOW BENCH LUCKNOW**

--

Writ petition No. 4436(M/B) of 2003

2009 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 0153116

Sewage treatment Plant Lucknow ..... Petitioner

**Versus**

State of U.P. & others .. Opposite Parties

**SHORT COUNTER AFFIDAVIT**

I, A.K. Arora, aged about 56 years ,Son of Sri Hansraj presently posted as Director ,Ground Water Department U.P. Lucknow ,do here by solemnly affirm & state on oath as under.

1. That the deponent is presently posted as Director, Ground Water Department, U.P. Lucknow and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to here under.

2. That vide order dated 15th May 2009, this Hon'ble Court has issued certain directions. The Hon'ble Court provided in the said order that the concerned authorities of Ground Water Department shall under take the proposed exercise i.e. to identify the places/sites which would be most suitable for establishing the project of water recharging and water conservation, as the ground water level is receding to the extent of approximately 0.50 to 1.50 meters per year and shall submit its progress report on the next date of listing. While identifying the

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad 7/5/09

place/sites, if assistance of any other local authority or body like Avas Evam Vikas Parishad, Lucknow Development Authority, Nagar Nigam or Jal Sansthan is needed the same be given by the concerned department and their authorities for the aforesaid purpose.

3. That in this regard it is stated that Ground water Department is entrusted with job and responsibility of the Ground Water survey, availability, management and planning and scientific study of ground water related problems, control on ground water extraction, conservation and technical supervision and monitoring of recharge projects.

4. That on the basis of regular monitoring / measurement of ground level on established piezometers in the city of Lucknow in year 2003 to 2009 by Ground water Department and Central Ground Water Board on annual average lowering of ground water level of 0.15 meter to 1.00 meter has been registered. The relevant Ground water level data of Ground water Department and Central Ground Water Board is being annexed as **ANNEXURE NO.SCA-1** and **ANNEXURE NO. SCA-2** to this Short counter affidavit.




5. That for conserving ground water and recharging, the decision by the State Government has already been taken for adopting and introducing Rain Water Harvesting system vide Government order dated 25th April 2006. This Government order dated 25.4.2006 has been revised and amended vide Government order No. 3982/Eight-1-08-17-Vividh/03 T.C. -1 dated 01-07-2008. A True Copy of Government order dated 25th April 2006 and 1st July

2008 are annexed as **ANNEXURE NO SCA-3** and **ANNEXURE NO. SCA-4** to this Short counter affidavit.

6. That as per the aforesaid Government order under Water Harvesting System it has been made compulsory to establish Roof top rain Water Harvesting System in the buildings being constructed over an area of 300 Sq. meters. Instead of 200 sq. meters and above.

As per the progress up to March 2009 in-formed by AVAS BHANDHU LUCKNOW, the progress of rain water harvesting in city of Lucknow is as below:-

1. Sanctioned map of buildings having area more than 200 sq. meters. = 620 Buildings
2. Buildings on which recharge system was established = 137 Buildings
3. Building on which recharge system was not established = 483 Buildings
4. Buildings sealed / prosecution action taken = 141 Buildings
5. Ground water recharge arrangements on New/existing ponds/ tanks = 04 Nos.

The letter No. 9635/Aa. B-1/ Rain water-harvesting /09 dated 28.5.09 is annexed as **ANNEXURE NO. SCA-5** to this Short counter affidavit.

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

7. That as per the data collected by the Ground water Department the roof top rain water harvesting system has been established in 56 Government / Semi-government buildings. The detailed data is being annexed here with as **ANNEXURE NO. SCA-6** to this Short counter affidavit.

1718 1627 264

8. That an Executive Committee under the chairmanship of chief secretary of Government of Utter Pradesh has been constituted to monitor and review the projects related to rain water harvesting system and ground water recharging vide office memorandum dated 12th July 2004. Apart from this an "Expert committee" under the Chairmanship of Agriculture Production Commissioner, U.P. has been constituted vide Government Order No. 2177/62-1-2007-8wp /2007 dated 5-10-2007 to control the declining ground water level due to ground water extraction for irrigation, drinking and industrial purpose and to make compulsory the rain water harvesting in the State. The meeting of expert committee was convened on 8-4-2009 with several directions / recommendations regarding Rain Water Harvesting and Recharging which are to be complied with by different department eg: Gramya Vikas, Nagar Vikas, Avas Vibhag, Jal Sansthan etc.

The Government Order dated 5.10.2007 and the proceedings of the expert committee's meeting dated 8-4-2009 are annexed as **ANNEXURE NO. SCA-7** and **ANNEXURE NO. SCA-8** respectively to this Short counter affidavit.

9. That apart from this chief Secretary, Government of U.P. has also issued some directions of water conservation for better future of public vide Government Order No. 43/54-2-2009-9(127)/08 dated 30.3.2009. The Government order dated 30.3.2009 is annexed as **ANNEXURE NO.SCA-9** to this Short counter affidavit.




10 That the Ground water Department has also been providing the technical know how to all the Government / Semi Government departments/construction agencies of the state. Technical guide lines are being circulated every year through a PATRIKA named BHUJAL -

1719 ~~1625~~ 265

SANDESH. The department is also organizing various programmes to sensitize the people about need of water recharging and preserving the ground water.

11. That it is therefore expedient and necessary in the interest of justice that this Hon'ble Court may be pleased to take on record the accompanying Short Counter affidavit.



Deponent

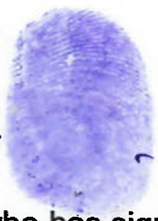
Lucknow : Dated
7/7/ 2009

LTI.

**VERIFICATION**

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of paras 1 of this affidavit are true to my own knowledge: those of para 2 to 10 are based on records and those of para 11 are based on the legal advice tendered by my counsel and are believed by me to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed.

So help me God.



LTI.

Deponent

Lucknow : Dated
7/7/ 2009

I identify the deponent who has signed before me.

~~Clerk of the C.S.C. Office~~

~~Oath Commissioner~~

Solemnly affirmed before me on 7/7/09 at 3.20 ~~a.m./~~p.m. by the deponent who is identified by ~~Sri~~ A.N. Khanam Advocate ~~clerk of CSC office.~~ High Court Lucknow Bench Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

A. NOOR KHANAM
Advocate
OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad

1720

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow .....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-1

**WATER LEVEL DATA AND LIST OF PIEZOMETER IN LUCKNOW CITY** संलग्नक-1

| S.NO | Location of Peizometer | Water level Pre-Mon-07 | Water level Pre-Mon-09 | Comparative G.W. level decline(m) | Average annual G.W. level decline(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIARI | 8.65 | 6.90 | 1.75 | 0.88 |
| 2 | MAHANAGER P. O. | 26.27 | 25.27 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | KUKRALL FOREST OFFICE | 19.60 | 19.50 | 0.10 | 0.05 |
| 4 | P.M.VIDAYALA CHINHAT | 9.60 | 6.75 | 2.85 | 1.43 |
| 5 | PRIMARY SCHOOL TAKROOHI | 15.55 | 13.35 | 2.20 | 1.10 |
| 6 | P.M. PRIMARY SCHOOL AMRAI GAON | 11.15 | 8.00 | 3.15 | 1.58 |
| 7 | PRIMARY SCHOOL -1 RAHIM NAGAR | 28.35 | 11.20 | 17.15 | 8.58 |
| 8 | H.A.L CAMPUS | 31.35 | 29.30 | 2.05 | 1.03 |
| 9 | 132 [illegible] SUB STATION GOMTI NAGAR | 19.87 | 19.77 | 0.10 | 0.05 |
| 10 | [illegible]RIMARY SCHOOL-1 MALSIMAU | 15.54 | 10.52 | 5.02 | 2.51 |
| 11 | NEW WISDOM SWAY SCHOOL CAK MALHOR | 13.20 | 12.30 | 0.90 | 0.45 |
| 12 | PRIMARY SCHOOL BHARWARA | 14.75 | 13.80 | 0.95 | 0.48 |
| 13 | IETC, SITAPUR ROAD | 15.90 | 16.10 | -0.20 | -0.10 |
| 14 | 132 KVA SUB STATION KURSI ROAD | 16.05 | 10.25 | 5.80 | 2.90 |
| 15 | RSAC ALIGANJ | 16.65 | 16.60 | 0.05 | 0.02 |
| 16 | HAJRILAL MADHMIK VIDHYALAY PURNIA | 23.55 | 21.16 | 2.39 | 1.20 |
| 17 | ALHUD MODEL SCHOOL TRIVANI NAGAR | 17.85 | 16.95 | 0.90 | 0.45 |
| 18 | PRIMARY SCHOOL SHIMRAGARHI | 13.90 | 12.75 | 1.15 | 0.58 |
| 19 | PRIMARY SCHOOL SAUGAMAU | 14.10 | 13.10 | 1.00 | 0.50 |
| 20 | PRIMARY SCHOOL FAZOOL GANJ | 11.20 | 11.10 | 0.10 | 0.05 |
| 21 | PRIMARY SCHOOL GHAZIPUR BALRAM | 4.80 | 4.40 | 0.40 | 0.20 |
| 22 | SPROTS COLLGE KURSI ROAD | 9.70 | 8.90 | 0.80 | 0.40 |
| 23 | LUCKNOW CONVENT SCHOOL DINDAYAL NAGAR | 15.55 | 13.85 | 1.70 | 0.85 |
| 24 | LUCKNOW INTER COLLEGE LDA , | 30.66 | 31.65 | -0.99 | -0.49 |
| 25 | CANTOMENT , SADAR | 39.50 | 40.75 | -1.25 | -0.63 |
| 26 | PRIMARY SCHOOL, NILMATTHA | 17.50 | 18.65 | -1.15 | -0.57 |
| 27 | LAL KURTI, | 25.35 | 26.60 | -1.25 | -0.63 |
| 28 | [illegible]AY CROSSING, MOHAN GANJ, | 13.10 | 14.00 | -0.90 | -0.45 |
| 29 | TELIBAGH | 19.70 | 21.00 | -1.30 | -0.65 |
| 30 | PRIMARY HEALTH CENTRE , UTHRATIYA | 12.07 | 12.55 | -0.48 | -0.24 |
| 31 | JUNIOR HIGH SCHOOL, NOBASSTA | 26.70 | 26.85 | -0.15 | -0.08 |
| 32 | LALMART COLLEGE, M.G.ROAD | 21.40 | 22.55 | -1.15 | -0.58 |
| 33 | MONI BABA MANDIR, ALAMBAGH | 36.70 | 38.05 | -1.35 | -0.67 |
| 34 | PURVA MADHYAMIK VIDHALYA , ALAMBAGH | 30.05 | 31.00 | -0.95 | -0.48 |
| 35 | RAM MANHOR LOHIYA PARK CHOWK | 18.15 | 17.50 | 0.65 | 0.32 |
| 36 | GALLA MANDI, THAKURGANJ | 6.20 | 6.60 | -0.40 | -0.20 |
| 37 | PEER NAGAR BARAKALAN | 17.50 | 18.05 | -0.55 | -0.28 |
| 38 | MADHOPUR , THAKURGANJ, NEAR MASJID | 21.75 | 21.50 | 0.25 | 0.13 |
| 39 | PARA, ALAMBAGH ROAD | 22.75 | 23.75 | -1.00 | -0.50 |
| 40 | JALALPUR, RAILWAY CROSSING | 31.45 | 32.55 | -1.10 | -0.55 |
| 41 | SCOOTER INDIA ROAD LEFT | 11.10 | 11.20 | -0.10 | -0.05 |
| 42 | RAHIMABAD , NEAR HAJ HOUSE | 13.00 | 12.65 | 0.35 | 0.18 |
| 43 | AMOUSI NEAR INDIAN OIL | 13.15 | 12.55 | 0.60 | 0.30 |
| 44 | AIR PORT LEFT AMAUSI | 14.55 | 14.70 | -0.15 | -0.07 |
| 45 | OURANGABAD, BIJNORE | 10.85 | 9.80 | 1.05 | 0.52 |
| 46 | SALHA NAGAR, BIJNORE | 21.45 | 20.90 | 0.55 | 0.28 |
| 47 | SHRI DURGA MANDIR, FRONT OF THE JAIL | 33.25 | 33.35 | -0.10 | -0.05 |
| 48 | SHIV MANDIR , ALINAGAR SUNAHARA | 19.40 | 18.80 | 0.60 | 0.30 |

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2008

Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

Annexure No. SCA-2

## DEPTH OF GROUND WATER LEVEL AND DECLINING TREND IN LUCKNOW CITY

| S.No | Location of Piezometer | Depth of Gww. level(m.bgl.) | | Comparative G.W. level decline(m) | Average annual G.W. level decline(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | May-03 | May-08 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ARYA NAGAR | 20.13 | 20.86 | -0.73 | -0.15 |
| 2 | BHU JAL BHAWAN | 16.06 | 19.73 | -3.67 | -0.73 |
| 3 | CAMP BELL ROAD | 14.17 | 13.08 | 1.09 | 0.22 |
| 4 | DILKUSHA | 29.60 | 32.45 | -2.85 | -0.57 |
| 5 | ULISTA COLONEY | 28.82 | 32.60 | -3.78 | -0.76 |
| 6 | L.U. NEW CAMPUS | 11.17 | 14.15 | -2.98 | -0.60 |
| 7 | L.U. OLD CAMPUS | 24.95 | 28.90 | -3.95 | -0.79 |
| 8 | MAHANAGAR H. PARK | 24.05 | 28.55 | -4.50 | -0.90 |
| 9 | MAHILA COLLEGE | 13.00 | 16.22 | -3.22 | -0.64 |
| 10 | NARAHI | 27.05 | 32.00 | -4.95 | -0.99 |
| 11 | NEW HYDERABAD | 19.21 | 24.23 | -5.02 | -1.00 |
| 12 | P.Q.S. PHASE CANT | 17.99 | 22.88 | -4.89 | -0.98 |
| 13 | RAJA JI PURAM | 25.55 | 29.09 | -3.54 | -0.71 |
| 14 | RIVER BANK COLONY | 19.63 | 23.40 | -3.77 | -0.75 |
| 15 | SAROJANI NAGAR | 10.07 | 12.92 | -2.85 | -0.57 |
| 16 | VIKAS NAGAR SECTOR 2 | 20.06 | 24.23 | -4.17 | -0.83 |

( स्रोत- केन्द्रीय भूजल परिषद )

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-3

ICRI 268

1722

संलग्नक–3

संख्या : 0035/आठ–1–2005

प्रेषक,

**नवीन चन्द्र बाजपेई,**
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव**
उत्तर प्रदेश शासन,
2. **सगस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2006

**विषयः भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा–यमुना के दोआब में स्थित है, जहॉ विश्व का विशालतम भू–जल–भण्डार उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू–जल स्रोतों का अनियंत्रित दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे–धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू–जल स्रोतों के साथ–साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2. उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथा भू–जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश करा कर भविष्य में सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर दबावग्रस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :–

(i) शासनादेश संख्या : 1703ए/9–आ–1–29 विविध/98, दिनांक 12.4.2001
(ii) शासनादेश संख्या : 3771/9–आ–1–17 विविध/2003, दिनांक 16.6.2001
(iii) शासनादेश संख्या : 3887/9–आ–1–रेन वा0 हार्वे0/2002 दिनांक 02.09.02
(iv) शासनादेश संख्या : 1760/9–आ–1–04–17विविध/2003 दिनांक 29.07.04

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विधा में विशेषज्ञ विभागों/संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ

1723 (H22) 269

कि भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हित कर उनके वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का सरफेस रन ऑफ व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में **भू–जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नहीं बनाए जायंगे**, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल–प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।

3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू–जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेशन्स) व स्टेगनेशन का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु **जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए।** इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के सरफेस–रन–ऑफ को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में किया जाए।

3.5 पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट संहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथा सम्भव 'परमीएबिल' या ऐसी परिमीएबिल परफोरेटैड–ब्लाक्स के प्रयोग से ही बनाए जाए। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

3.6 **नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए।** इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :–

(क) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

**रिचार्जिंग** हेतु अन्य **पृथक नेटवक** का प्राविधान किया जाए, जिसमें व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था पर आने वाले व्यय को योजना की विक्रय–योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों/भवनों के विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

(ख) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में **100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल** के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र **यह बाध्यता होगी** कि भवनों की छत से वर्षा जल को सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि **200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों** में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

3.7 भू–जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ही भू–जल स्रोतों में रिचार्ज कराया जाए। **खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपयोग में न लाया जाए** क्योंकि रिचार्जिंग वैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिससे **भू–जल प्रदूषित** हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए, ताकि भू–जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

3.8 सड़कों के किनारे यथासंभव कच्चे रखे जाएं, जिसमें ब्रिक आन एज/लूज स्टोन पेवमेन्ट का प्राविधान किया जाए, ताकि भू–जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्कों तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़–पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म में हरे–भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित **रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य** सम्बन्धित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 **जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू–जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए,** परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र का जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजिकल एवं हाइड्राजियोलॉजिकल सर्वेक्षण फिजीबिलिटी के आंकलन, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण उपलब्ध टैक्नॉलाजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख–रखाव की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू–जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू–जल अनुसंधान, अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को **'नोडल एजेन्सी'** घोषित किया गया हैं। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू–जल रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने वाले

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

1725 271

4. भू–जल रिचार्ज एवं भू–जल स्तर पर सम्भावित प्रभाव के आंकलन तथा 'इम्पेक्ट असेसमेन्ट' की व्यवस्था 'नोडल एजेन्सी' द्वारा सुनिश्चित की जाए।

5. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

संख्या 0035 (1)/आठ–1–2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(के0एल0 मीना)
सचिव

COMMISSIONER FOR OATH High Court

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B of 2008

Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-4

272

1726

## संलग्नक-4

फैक्स / समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 3982/आठ-1-08-17विविध/03टीसी-1

प्रेषक,

अंतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
वृहत्तर नवीन ओखला औद्योगिक
विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
8. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि.लखनऊ

लखनऊः दिनांक 01 जुलाई 2008

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

विषयः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के कियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में तीव्र नगरीकरण एवं उपलब्ध जल स्रोतों के अत्यधिक / अ[illegible] दोहन के परिणामस्वरूप निरन्तर गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 3671/9-आ-1-17विविधि/03 (आ.ब.) दिनांक 19.06.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि "भू-जल संशाधनों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन की दृष्टि से 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के नए निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ-टाप हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया जाए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करते हुए इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय"।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 19.06.03 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अब तक हुई प्रतीत नहीं होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम को और अधिक गम्भीरता से लिये जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में यह आवश्यक है कि सभी कार्यदायी / रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाए तथा व्यापक अभियान चलाकर उक्त कार्यक्रम को कठोरता से लागू किया जाए।

3. इस सम्बन्ध में निर्गत किए गए शासनादेश संख्या यू.ओ. 35/आ[illegible] 1-05 दिनांक 25.04.06 के प्रस्तर-3.6 के उप प्रस्तर-ख में 200 वर्ग मीटर एवं उससे कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान को अवकगित करते हुए 300 वर्ग मीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर होने वाले सभी प्रकार के निर्माणों पर उक्त व्यवस्था लागू रहेगी।

4. इसी क्रम में आपका ध्यान उक्त शासनादेश दिनांक 25.04.2006 में किए गए इस प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 20 एकड़ से अधिक की

नगर एवं ग्राम नियोजन
उ० प्र०, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS

1727 273

योजनाओं के ले–आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना के क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी जहां संभव हो जलाशय बनाया जाए। पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाया जाए। उक्त प्राविधान का कियान्वयन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

5. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये:–

(1) 300 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित भवनों के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्य की जाय।

(क) शासनादेश दिनांक 19.06.03 के पश्चात निर्मित भवनों का चिन्हीकरण किया जाय।

(ख) भवन स्वामियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था एक नियत समयावधि में सुनिश्चित हेतु नोटिस दी जाय और यह बाध्यकारी बनाया जाए कि वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के उपरान्त प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट करेंगें। अनुपालन आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्राधिकरण स्तर से पुनरीक्षित कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत की जाएगी।

(ग) शासनादेश दिनांक 19.06.03 के निर्गत होने की तिथि से 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ–टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(2) निजी निर्माताओं अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग कालोनियों तथा बहुमंजिली आवासीय इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित का दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/निर्माता का होगा।

(3) समस्त सरकारी व अर्द्धसरकारी भवनों में रूफ–टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/प्राधिकरण, अभिकरण/निगम का होगा।

6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम की प्रगति का सत्यापन शासन स्तर पर गठित टीम समय–समय पर स्थल निरीक्षण करके भी किया जायेगा तथा इसमें शासकीय निर्देशों के प्रति कोई अनियमितता व शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित भवन स्वामी/निजी बिल्डर्स/सहकारी आवास समितियों/शासकीय अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

7 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित तकनीकी डिजाइन आदि की विस्तृत जानकारी आवास बन्धु की वेबसाइट www.awas.up.nic.in तथा भू–गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.gwd.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त समस्त कार्यवाहियां समयबद्ध, चरणबद्ध रूप में अभियान चलाकर अधिकतम 02 माह के अन्दर पूर्ण की जाएंगी। इसी अभियान की पाक्षिक समीक्षा की जाए एवं इसकी विस्तृत रिपोर्ट इस विभाग सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को भेजी जाए। दो माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त समस्त विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/सभी निकायों/निगमों के विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को इस आशय का लिखित प्रमाण–पत्र

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

274
1728

...सूचना हो।। कि उनकी याचिका पर स्थिति स्पष्ट।। ...

...हाईकोर्ट की व्यवस्था से ...तपत्र कर दिया गया है।।

...कृपया उक्त निर्देशों का ...अक्षरशः अनुपालन ...

...

संख्या 3182/(1)/आठ-1-08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव/रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रतियां सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन की वेबसाइट पर उपलोड कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि ओम शुक्ल)
मुख्य सचिव

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

AVAS-1/GO-15

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow .....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-5

275 (458) 1729


आवास बन्धु

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ

दूरभाष: 2622941, 2627021,फैक्स: 2612098

ई–मेल :awasbandhu@gmail.com


संख्याः 9635 /आ.ब.–1/रेनवाटर–हार्वेस्टिंग/09 लखनऊ, दिनांक 28 मई, 2009

प्रेषक,

**निदेशक**
आवास बन्धु, उ.प्र.।

सेवा में,

**निदेशक,**
भूगर्भ जल विभाग,
9वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

**विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रीचार्जिंग कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का विवरण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 633/भू0ज0वि0/जी–30(भू जल दिवस) दिनांक 22 मई, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार हैः–

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अभिकरणों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च 2009 तक 566 सरकारी/अर्धसरकारी भवनों में 67.41 हेक्टेयर रूफटॉप क्षेत्रफल, 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के 2965 भवनों के 375.47 हेक्टेयर रूफटॉप क्षेत्रफल के वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी, जिससे कुल 1309013घन मीटर वॉटर हार्वेस्टिंग सम्भाव्य है।

कुल 191 तालाबों/जलाशयों के 1678 हेक्टेयर कैचमेन्ट एरिया में ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें कुल 1590648 घन मीटर वाटर हार्वेस्टिंग सम्भाव्य ०।

आवास बन्धु में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अभिकरणवार विस्तृत प्रगति विवरण (माह मार्च, 09 तक) संलग्न कर प्रेषित है।

**संलग्नकः उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

28/05/09

(एस. सी मिश्र)
निदेशक

COMMISSIONER FOR OATH
High Court Allahabad

एम.पी.आर.–22

सैलरनक -5

# रेन वाटर हारवेस्टिं एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग

रिपोर्टिंग ... मार्च , 2009 तक

| क्रम संख्या | नाम विकास प्राधिकरण / आ वि परिषद | वर्ष 2008–09 मे रेन वाटर हारवस्टिंग एव रीचार्जिंग क | | | | | | परम्भ से अलांच्य माह तक की क्युमैलिटिव प्रगति | | | | | | | | | ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी / अर्द्ध सरकारी भवनों मे | | 200 व मी एव अधिक क्षेत्रफल के भवनों मे | | नये / विद्यमान जलाशयों = | | सरकारी / अर्द्ध– सरकारी भवनों मे | | 200 वर्ग मीटर एव अधिक क्षेत्रफल के भवनों मे | | | | | कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (हैक्ट.) (10–13) | सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.) | नये / विद्यमान तालाबो एव जलाशयों मे (संख्या) | केचमन्ट एरिया (हैक्ट.) | सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.) |
| | | | | | | | | | | कुल स्कीकृत भवनों (संख्या) | व्यवस्था की गई | | व्यवस्था नही की गई | | | | | | |
| | | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि (संख्या) | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि (संख्या) | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि (संख्या) | भवनो की संख्या | रूफ टॉप क्षेत्रफल (हैक्ट.) | | भवनों की (संख्या) | रूफ टॉप क्षेत्रफल (हैक्ट.) | भवनो की (संख्या) (11–12) | कार्यवाही सीलबन्द / अभियोजन (संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ए0एस0–1 | गाजियाबाद | 12 | 3 | 100 | 91 | 3 | 0 | 80 | 20.09 | 1191 | 806 | 192.03 | 385 | 385 | 212.12 | 461569 | 1 | 4.70 | 14900 |
| ए0एस0–2 | आ वि परिषद | 18 | 1 | 250 | 20 | 3 | 17 | 101 | 3.85 | 811 | 253 | 10.31 | 558 | 7 | 14.16 | 120350 | 39 | 138.74 | 224439 |
| ए0एस0–3 | कानपुर | 12 | 0 | 200 | 20 | 3 | 0 | 11 | 2.30 | 721 | 155 | 11.80 | 566 | 0 | 14.10 | 49428 | 18 | 83.92 | 14938 |
| ए0एस0–4 | लखनऊ | 12 | 20 | 250 | 67 | 3 | 0 | 55 | 10.25 | 620 | 137 | 17.31 | 483 | 141 | 27.56 | 98770 | 4 | 84.00 | 415000 |
| ग(श्रेणी–ए0एस) | | **54** | **24** | **800** | **198** | **12** | **17** | **247** | **36.48** | **3343** | **1351** | **231.46** | **1992** | **533** | **267.94** | **730117** | **62** | **311.36** | **669277** |
| ए–1 | आगरा | 5 | 1 | 150 | 16 | 2 | 1 | 24 | 3.03 | 397 | 345 | 20.21 | 52 | 0 | 23.24 | 60884 | 11 | 264.86 | 506172 |
| ए–2 | इलाहाबाद | 5 | 0 | 125 | 9 | 2 | 0 | 143 | 2.33 | 87 | 54 | 3.66 | 33 | 0 | 5.99 | 32596 | 2 | 2.34 | 6703 |
| ए–3 | मेरठ | 5 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.95 | 216 | 216 | 46.60 | 0 | 0 | 49.55 | 54712 | 14 | 5.46 | 8245.94 |
| ए–4 | मुरादाबाद | 5 | 9 | 125 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5.66 | 119 | 69 | 5.81 | 50 | 0 | 11.47 | 101363 | 0 | 0.00 | 0 |
| योग(श्रेणी–ए) | | **20** | **10** | **525** | **28** | **8** | **1** | **203** | **13.97** | **819** | **684** | **76.28** | **135** | **0** | **90.25** | **249555** | **27** | **272.66** | **521121** |
| बी–1 | अलीगढ | 4 | 4 | 80 | 75 | 2 | 0 | 16 | 7.30 | 260 | 157 | 6.12 | 103 | 103 | 13.42 | 83500 | 2 | 4.00 | 22000 |
| बी–2 | बरेली | 4 | 4 | 100 | 64 | 2 | 0 | 22 | 1.04 | 275 | 197 | 10.25 | 78 | 0 | 11.29 | 9195 | 5 | 5.00 | 18000 |
| बी–3 | गोरखपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| बी–4 | मथुरा–वृन्दावन | 3 | 3 | 100 | 81 | 2 | 1 | 22 | 2.53 | 376 | 349 | 25.57 | 27 | 0 | 28.10 | 60198 | 5 | 4.61 | 38500 |
| बी–5 | वाराणसी | 3 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.58 | 54 | 50 | 5.00 | 4 | 0 | 5.58 | 56100 | 39 | 20.00 | 176400 |
| योग(श्रेणी–बी) | | **14** | **11** | **380** | **220** | **8** | **1** | **65** | **11.45** | **965** | **753** | **46.94** | **212** | **103** | **58.39** | **208993** | **51** | **33.61** | **254900** |
| सी–1 | बाँदा | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.01 | 20 | 2 | 0.00 | 18 | 0 | 0.01 | 100 | 1 | 4.90 | 8000 |
| सी–2 | बुलन्दशहर | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.58 | 34 | 26 | 1.88 | 8 | 0 | 2.46 | 14852 | 2 | 0.55 | 0.2491 |
| सी–3 | फैज़ाबाद | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.26 | 68 | 9 | 0.45 | 59 | 0 | 0.71 | 3879 | 1 | 1.20 | 72000 |
| सी–4 | फिरोजाबाद | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 28 | 6 | 1.21 | 22 | 0 | 1.40 | 1100 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–5 | हापुड़–पिलखुवा | 1 | 0 | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0.17 | 118 | 35 | 6.19 | 83 | 83 | 6.35 | 18750 | 2 | 7.50 | 18750 |
| सी–6 | झाँसी | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.60 | 7 | 4 | 0.15 | 3 | 0 | 0.75 | 3550 | 2 | 40.00 | 40000 |
| सी–7 | मुजफ्फरनगर | 1 | 1 | 10 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0.77 | 36 | 23 | 1.31 | 13 | 13 | 2.08 | 15317 | 1 | 0.00 | 0 |
| सी–8 | रायबरेली | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.25 | 10 | 9 | 1.09 | 1 | 0 | 3.34 | 18000 | 11 | 4.50 | 4800 |
| सी–9 | सहारनपुर | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.50 | 38 | 2 | 6.82 | 36 | 0 | 7.32 | 42000 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–10 | उन्नाव | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | 20 | 10 | 0.72 | 10 | 0 | 0.83 | 2800 | 1 | 30.00 | 1800 |
| सी–11 | रामपुर | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–12 | उरई | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–13 | खुर्जा | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–14 | शक्तिनगर वि.क्षे.वि.प्रा. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 25 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 25 | 486.18 | 0 |
| सी–15 | कुशीनगर वि.क्षे.वि.प्रा. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 25 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 5 | 486.18 | 0 |
| सी–16 | चित्रकूट वि.क्षे.वि.प्रा. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–17 | कपिलवस्तु वि.क्षे.वि.प्रा. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| सी–18 | मिर्जापुर वि.क्षे.वि.प्रा. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| योग(श्रेणी–सी) | | **18** | **12** | **165** | **37** | **18** | **0** | **51** | **5.51** | **448** | **177** | **20.79** | **271** | **96** | **26.30** | **120348** | **51** | **1061.01** | **145350** |
| | महायोग | **106** | **57** | **1870** | **483** | **46** | **19** | **566** | **67.41** | **5575** | **2965** | **375.47** | **2610** | **732** | **442.88** | **1309013** | **191** | **1678.64** | **1590648** |

Water Harvesting Potential (cu.m.)= Rainfall (metres) x Area of catchment (sq m ) x Run off coefficient

1730

276

संलग्नक-6

# शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने की त्रैमासिक प्रगति

## समस्त जनपद/नगर, उत्तर प्रदेश।

जून, 2009

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन | | | शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन | | | वर्तमान में निर्माणाधीन भवन | | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है | कुल सं0 | भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है | विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है | कुल सं0 | भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है | विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है | कार्यदायी संस्था का नाम | कुल सं0 | भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है। | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | लखनऊ | लोक निर्माण विभाग | 6 | – | | | | राज्य हज समिति (हज हाऊस) | सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम | 1 | 1 | |
| | | राज्य सम्पत्ति विभाग | 36 | 6 | | | | पी0जी0आई0 (आवासीय भवन, टेलीमेडिसिन एवं | सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम | 4 | 4 | |
| | | सिचाई विभाग | 5 | – | | | | स्वास्थ्य विभाग (रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय) | सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम | 1 | 1 | |
| | | वाल्मी | 1 | – | | | | के0जी0 डेन्टल यूनिवर्सिटी (कर्मचारी क्वाटर) | सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम | 1 | 1 | |
| | | नगर निगम | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | कलेक्ट्रेट | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | मण्डलायुक्त | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | जल निगम | 5 | 2 | | | | | | | | |
| | | कृषि विभाग | 1 | – | | | | | | | | |
| | | राज्य कृषि प्रबंध संस्थान (रहमानखेड़ा) | 3 | – | | | | | | | | |
| | | कल्याण मण्डप (नगर निगम) | 1 | 1 | | | | | | | | |

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2009
Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner
Versus
State of U.P. and others .....Opposite Parties
Annexure No. S.C.A-6

1731



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राविधिक शिक्षा विभाग (पालीटेक्निक) | 25 | 8 | | | | प्राविधिक शिक्षा विभाग (आई0ई0टी0) | राजकीय निर्माण निगम | 2 | – | |
| | | लखनऊ विकास प्राधिकरण | 12 | 8 | लखनऊ विकास प्राधिकरण | 3 | 3 | | | | | |
| | | आवास विकास परिषद | 8 | 6 | | | | | | | | |
| | | खेल विभाग | 6 | 2–चौक एवं राजाजीपुरम स्टेडियम | | | | | | | | |
| | | कारागार विभाग (जिला व सेन्ट्रल जेल एवं मुख्यालय) | 3 | – | | | | | | | | |
| | | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | 12 | – | | | | | | | | |
| | | पुलिस विभाग | 12 | – | | | | होमगार्ड्स विभाग (जेल रोड) | राजकीय निर्माण निगम | 2 | – | |
| | | राजस्व विभाग | 1 | – | | | | | | | | |
| | | भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग | 1 | – | | | | | | | | |
| | | वन विभाग | 13 | – | | | | | | | | |
| | | | | | पर्यटन विभाग | 2 | – | | | | | |
| | | जनपद न्यायालय | 4 | – | | | | | | | | |
| | | उच्च न्यायालय | 1 | – | | | | | | | | |
| | | | | | भूमि सुधार निगम (भूमित्र भवन) | 1 | – | | | | | |
| | | | | | मण्डी परिषद | 3 | – | | | | | |
| | | सहकारिता विभाग | 2 | – | | | | | | | | |
| | | गन्ना विभाग | 2 | – | | | | | | | | |
| | | व्यापार कर विभाग | 4 | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पशुपालन वि... | 7 | – | पशुपालन विभाग | 1 | – | पशुपालन विभाग | राजकीय निर्माण निगम | 2 | 2 | |
| | | चिकित्सा षिक्षा विभाग | 14 | – | चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल यूनिवर्सिटी) | 1 | – | | | | | |
| | | संस्कृति विभाग | 2 | – | संस्कृति विभाग | 2 | – | | | | | |
| | | पर्यावरण विभाग | 1 | – | | | | | | | | |
| | | समाज कल्याण विभाग | 1 | – | | | | | | | | |
| | | उद्यान विभाग | 4 | – | | | | उद्यान विभाग | – | 4 | 4 | |
| | | ऊर्जा विभाग | 8 | – | | | | | | | | |
| | | लखनऊ विश्वविद्यालय ( उच्च शिक्षा विभाग ) | 15 | 1 ऑशिक | | | | | | | | |
| | | पिकप भवन | 1 | – | | | | | | | | |
| | | केन्द्रीय भूजल बोर्ड | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | एनबीआरआई | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | | सीडीआरआई | 2 | – | | | | | | | | |
| | | आईटीआरसी | 1 | – | | | | | | | | |
| | | सिमैप | 1 | – | | | | | | | | |
| | | दूरदर्शन | 2 | – | दूरदर्षन | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | यूपीआईएल | 2 | 2 | | | | | |
| | | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 3 | 1 | | | | | | | | |
| | | भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण | 4 | 1 | | | | | | | | |
| | | उ0प्र0 लोक सेवा आयोग | 1 | – | | | | | | | | |
| | | प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी | 1 | – | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | रूरल इलेक्ट्रीफिकेश | 1 | – | | | | | | |
| | | रेलवे विभाग | 8 | – | | | | आंचलिक विज्ञान केन्द्र | – | 1 | – | | |
| | | राजकीय निर्माण निगम | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग | 8 | – | | | | | | | | | |
| | | | | | ललित कला अकादमी | 1 | – | | | | | | |
| | | विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग | 3 | 1 | विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग | 1 | 1 | | | | | | |
| | | आयकर विभाग | 2 | – | | | | उ0प्र0 सहकारी आवास संघलि0 | जल निगम | 1 | 1 | | |
| | | सहकारी ग्राम्य विकास बैंक | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना (महिला कल्याण सीतापुर रोड) | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | लघु सिंचाई विभाग (बक्शी का तालाब) | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | निरालानगर पोस्ट आफिस | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | अलीगंज पोस्ट आफिस | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | उद्योग विभाग | 1 | 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राथमिक विद्यालय निरालानगर(शिक्षा विभाग) | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | प्राथमिक विद्यालय निषातगंज(शिक्षा विभाग) | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | राजकीय मुद्रणालय | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | | | | वन निगम | 2 | – | | | | | | |
| | | राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान (प्रषिक्षण एवं सेवा नियोजन, श्रम विभाग) | 4 | – | | | | | | | | | |
| | | राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | उ0प्र0 वन निगम मुख्यालय | 2 | – | | | | | | | | | |
| | | उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय | 24 | – | | | | | | | | | |
| | | खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ।ग्रामोद्योग भवन। | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | | | | एस0पी0एल0 एम0 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर कार्यालय भवन | 1 | 1 | रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर बैंक भवन | 1 | 1 | | | | | | |
| | | कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 1 | – | | | | | | | | | |
| | | योग | 304 | 47 | | 23 | 9 | | | 19 | 14 | | |

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2007

Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-7

1736

# संलग्नक-7

उत्तर प्रदेश शासन,
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1
संख्या– /62–1–2007–8डब्लूपी/2007
लखनऊः दिनांक– 05 अक्टूबर,2007

## कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में विभिन्न प्रकार से सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों हेतु भूगर्भ जल के दोहन के कारण गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने तथा वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाये जाने की दृष्टि से रिट याचिका संख्या–3599(एम/बी)/2007 राजीव तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–15 जून, 2007 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

| | |
|---|---|
| (1) कृषि उत्पादन आयुक्त,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव,<br>लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य सचिव |
| (3) प्रमुख सचिव,<br>ग्राम्य विकास विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव,<br>कृषि विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (5) प्रमुख सचिव,<br>भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (6) प्रमुख सचिव,<br>आवास विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (7) प्रमुख सचिव,<br>नगर विकास विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (8) प्रमुख सचिव,<br>राजस्व विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (9) प्रमुख सचिव,<br>वन विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

1737 646 283

| | |
|---|---|
| (10) प्रमुख सचिव,<br>सिंचाई विभाग,<br>उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |
| (11) निदेशक,<br>भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0,<br>लखनऊ। | सदस्य |
| (12) मुख्य अभियन्ता,<br>लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0,<br>लखनऊ। | आमंत्रित सदस्य |
| (13) क्षेत्रीय निदेशक,<br>केन्द्रीय भूजल बोर्ड,लखनऊ। | आमंत्रित सदस्य |

2— चूँकि भूगर्भ जल से सम्बन्धित कार्यों हेतु लघु सिंचाई विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0 को नोडल विभाग बनाया गया है, अतः बैठक आहूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने का कार्य प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त विशेषज्ञ समिति की बैठक प्रत्येक माह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में आहूत की जायेगी। यदि किन्ही कारणों से कृषि उत्पादन आयुक्त उपलब्ध न हों, तो प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगी।

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव।

संख्या—2177(1)/62--1--2007,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
(2) प्रमुख सचिव,कृषि विभाग,उ0प्र0शासन।
(3) प्रमुख सचिव,भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0शासन।
(4) प्रमुख सचिव,आवास विभाग,उ0प्र0शासन।
(5) प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
(6) प्रमुख सचिव,राजस्व विभाग,उ0प्र0शासन।
(7) प्रमुख सचिव,वन विभाग,उ0प्र0शासन।
(8) प्रमुख सचिव,सिंचाई विभाग,उ0प्र0शासन।
(9) स्टाफ आफिसर,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0शासन।
(10) निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
(11) मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
(12) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, सेक्टर—बी, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ।

आज्ञा से,
(डा0 सुधाकर अदीब)
संयुक्त सचिव।

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2007

Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-8

284

1738

**कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने तथा वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के संबंध में गठित "विशेषज्ञ समिति" की दिनांक 08–4–2009 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल द्वारा प्रदेश में सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों हेतु भूगर्भ जल दोहन के कारण गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर को रोकने तथा वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाए जाने की दृष्टि से रिट याचिका सं0–3599(एम0बी0)/2007 राजीव तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–6–07 से समिति को अवगत कराते हुए यह सूचित किया गया कि शासनादेश दिनांक 05–10–2007 द्वारा गठित उक्त "विशेषज्ञ समिति" मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.6.2007 के अनुपालन में गठित की गयी है। उक्त रिट याचिका से संबंधित नोडल विभाग नगर विकास विभाग है। प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त विशेषज्ञ समिति के गठन के पूर्व रिट याचिका सं0 2409/2004 एक्सनोरा इनोवेटर्स क्लब बनाम राज्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में शासनादेश दिनांक 12–7–2004 द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित है तथा रिट याचिका सं0 38910/2003, इकबाल अहमद बनाम डी0डी0सी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में तालाबों, झीलों इत्यादि के संरक्षण हेतु राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप सं0 234/1–2–2007–रा–2, दिनांक 07फरवरी, 2007 से एक समिति पृथक से गठित है। इस प्रकार रेनवाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, रिचार्ज इत्यादि के संबंध में ही पृथक–पृथक तीन समितियां गठित है। प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल द्वारा पूर्व से ही गठित उक्त समितियों द्वारा किए गए निर्णयों के कम में वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लिए गए निर्णयों से भी अवगत कराया गया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि कदाचित रिट याचिका सं0 3599/2007 राजीव तिवारी बनाम राज्य में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते समय मा0 उच्च न्यायालय को इन सभी समितियों के संबंध में अवगत नहीं कराया गया। यह उचित होगा कि इन सभी समितियों के terms of reference का परीक्षण कर यह देख लिया जाए कि तीनों समितियों के अलग–अलग बने रहने का औचित्य है?

प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल के द्वारा प्रदेश में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल रिचार्ज, जल संरक्षण इत्यादि को और प्रभावी बनाने हेतु प्रस्तावित कतिपय उपायों को समिति के समक्ष रखा गया। ये निम्नवत् है :–

**शहरी क्षेत्र :–**

(1) शहरी क्षेत्र के अनुपयुक्त क्षेत्र में तालाबों/वाटर बाडीज का निर्माण।
(2) सड़कों पर गिरने वाले वर्षा जल का रिचार्ज ट्रेन्च के माध्यम से रिचार्ज।
(3) सड़कों के किनारे पेवमेन्ट में परफोरेटेड ब्लाक्स का उपयोग किया जाना।
(4) शहर के बाहरी क्षेत्र में भूगर्भ जल पोषित जल कल (water works) स्थापित करना।
(5) रिसाइकिल्ड वाटर का रिचार्ज (सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर ट्रीटेड जल का रिचार्ज) अथवा उसका सिंचाई एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग।

COMMISSIONER FOR OATH

(6) शहर के विभिन्न भागों में स्थित पार्कों में रिचार्ज ट्रेन्च का निर्माण।
(7) ग्रीष्म काल में मानसून से पूर्व पार्कों व मोटर गेराजों में भूगर्भ जल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना। (वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत)
(8) शहरी क्षेत्रों में जिनके घरों में सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये गये हों उन्हें वाटर कनेक्शन न दिया जाना एवं भूजल दोहन हेतु प्रतीक जल कर वसूल किया जाना।
(9) आबादी वाले क्षेत्रों मे सामूहिक भूजल रिचार्ज को प्रोत्साहित करने हेतु जलकर/गृहकर में छूट प्रदान करना।
(10) विशेष रूप से 10 लाख से ऊपर आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल हेतु एवं धुलाई/सफाई कार्य हेतु पृथक–पृथक पाइप लाइन बनाई जाए।

**ग्रामीण क्षेत्रः–**

(1) वर्षा जल का अधिकतम रन आफ, रिचार्ज हेतु उपयोग में लाये जाने के लिए 138(अति दोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल) विकासखण्डों में वर्षा जल रिचार्ज की एक परियोजना तैयार की जाये, जिससे 5 वर्षों में यह सभी विकासखण्ड सेफ श्रेणी में आ जायें इसमें प्रत्येक विकासखण्ड के प्रत्येक गॉव में 05 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष दो–दो तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना अनिवार्य किया जाये।
(2) भूजल स्तर में गिरावट वाले शेष 323 विकासखण्डों में निम्न बिन्दुओं को अनिवार्य किया जाय–
   (i) प्रत्येक गॉव में 05 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष एक–एक तालाब का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाए।
   (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध डिप्रेशन में रिचार्ज पिट अथवा छोटे तालाब का निम्रण (वर्षा के समय जहॉ–जहॉ जल एकत्रित होता है तथा उसका कैचमेन्ट लगभग 0.5 से 1.0 हेक्टेयर हो)।
   (iii) इन सीटू (आन फार्म) रिचार्ज एक्टीविटी को कृषि योग्य भूमि में प्रोत्साहित करना।
(3) छोटी नदी व नालों पर चेक डैम का निर्माण।
(4) वनीकरण एवं नमी संरक्षण कार्य।
(5) भूजल व सतही जल का समन्वित उपयोग व प्रबन्धन।
- गहरे भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में नहरों का अधिकतम उपयोग तथा स्प्रिन्कलर व ड्रिप सिंचाई हेतु 138 विकासखण्डों में अनुदान दिए जाने पर विचार किया जाना।

उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त बैठक में निम्न निर्णय लिए गए :–

1– रिट याचिका सं0–3599(एम0बी0)/2007 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15–6–2007 के अनुपालन में नगर विकास/आवास विभाग यह देख ले कि इस संबंध में विस्तृत (comprehensive) आदेश निर्गत हुआ कि नहीं। यदि यह नहीं हुआ तो तत्काल एक विस्तृत आदेश मुख्य सचिव स्तर से कराया जाय।
2– उक्त रिट याचिका तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं लेक, पान्डस व वाटर बाडीज के संरक्षण से संबंधित अन्य रिट याचिाक सं0 2409/2004 एकसनोरा इन्नोवेटर्स क्लब बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा रिट याचिका सं0 38910/2003 इकाबल अहमद बनाम डीडीसी देवरिया व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों नगर विकास/आवास विभाग से संबंधित विन्दुओं के संबंध में एक

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad

प्रभावशाली अनुश्रवण व्यवस्था विकसित की जाए और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रत्येक माह भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(कार्यवाही नगर विकास विभाग/आवास विभाग)

3— शहरी क्षेत्रों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है। इसके अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था बनायी जाय और नियमित रूप से प्रगति प्राप्त की जाए।

4— आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1 के शासनादेश सं0—यू0ओ0—35/आठ—1—2005, दिनांक 25—4—2006 में किए गए प्राविधानों के निम्न मदों के अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था बनायी जाये और नियमित रूप से प्रगति उपलब्ध कराई जाये:—

(i) नगरीय क्षेत्रों में तालाब/पोखरों व जलाशयों का संरक्षण ।

(ii) 20 एकड से अधिक व कम क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में तालाब जल संरक्षण इत्यादि के किए गए प्राविधान।

(iii) नई आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज नेटवक के साथ भूजल की सामूहिक रिचार्जग हेतु पृथक नेटवर्क।

(iv) 300 वर्ग मी0 अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित भवनों पर रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्य व्यवस्था।

(v) निजी निर्माताओं अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग कालोनियों तथा बहुमंजिकला इमारतों में उक्त प्राविधानों के अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए और प्रत्येक माह विभिन्न रूप से सभी मदों की प्रगति उपलब्ध कराई जाए।

(vi) सडकों के किनारों को यथासंभव कच्चा रखने तथा उसमें ब्रिक आन ऐज/लूज स्टोन पेवमेंट के प्राविधान।

6— शहरी क्षेत्रों में पार्कों में पक्के स्थान के निर्धारण इत्यादि से संबंधित दिशा—निर्देश निर्गत कराए जाए।

(कार्यवाही—आवास विभाग/नगर विकास विभाग)

7— शहरी क्षेत्र में तालाबों एवं वाटर बाडीज के संरक्षण हेतु रिपेयर रिपोपेशन आफ वाटर बाडीज की केन्द्र पोषित योजना जिसका प्रदेश में नोडल विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग है, से धनराशि प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर प्रस्तुत की जाए।

8— सभी संबंधित विभाग एक सप्ताह के अन्दर वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल रिचार्ज, जल संरक्षण इत्यादि से संबंधित कराये जा रहे कार्यों हेतु अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था हेतु निदेश निर्गत कर भूगर्भ जल विभाग को अवगत करायें।

9— ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत प्लान तेयार करने, विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने तथा उसके प्रभावी कियान्व्यन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश दिनांक 02—12—2004 द्वारा गठित "तकनीकी समन्वय समिति" की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है और न ही उनकी सूचना प्राप्त हो रही हैं।

इस संदर्भ में आयुक्त, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन, सिंचाई, लघु सिंचाई, भूमि सुधार निगम, पंचायतीराज आदि विभागों को सम्मिलित कर एक सब ग्रुप/टास्कफोर्स गठित की जाए जिसका सदस्य सचिव निदेशक, भूगर्भ जल को बनाया जाए। इस ग्रुप द्वारा प्रत्येक जनपद का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु किसी अच्छी सलाहकार संस्था का चयन किया जाए और टर्म्स आफ रिफरेन्स निर्धारित करते हुए प्रत्येक जनपद का मास्टर प्लान तीन महीने में तैयार करवाया जाए जिसमें विभिन्न कार्यों का वार्षिक लक्ष्य तथा वित्त पोषण का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। मास्टर प्लान तैयार करने पर आने वाली लागत की व्यवस्था फूड सेक्योरिटी मिशन के अन्तर्गत इनोवेटिव स्कीम हेतु मात्राकृत धनराशि से अथवा ग्राम्य विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बड़ी झीलों की सफाई का भी मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाए तथा 'वैट लैण्ड स्कीम' के अन्तर्गत भी झीलों के जीर्णोद्धार व विकास का कार्य कराया जाय।

(कार्यवाही– लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं संबंधित विभाग)

10– ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग को अनिवार्य किए जाने हेतु राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर भूगर्भ जल विभाग (जो पहले से ही नोडल विभाग घोषित है) एक कम्प्रीहेन्सिव शासनादेश निर्गत करायें।

(कार्यवाही–राजस्व व ग्राम्य विकास विभाग)

11– शहरी क्षेत्रों में गिरते भूजल की समस्या के दृष्टिगत नगर विकास/आवास विभाग द्वारा पब्लिक कास्ट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग कार्य कराए जाने की संभावनाओं को देखा जाए और सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही– नगर विकास/आवास विभाग)

12– शहर के बाहरी क्षेत्र में भूगर्भ जल पोषित वाटर–वर्कस की योजना बनाये जाने हेतु एक कन्सेप्ट पेपर विकसित किया जाए तथा उसका वित्त पोषण वाहय सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत कराया जाने हेतु तत्काल नियोजन विभाग को भेजा जाए।

(कार्यवाही– नगर विकास विभाग)

13– शहरी क्षेत्र में जल के प्रयोग पर Differential pricing की व्यवस्था विकसित की जाए ताकि आवश्यकता से अधिक जल का प्रयोग करने वाले यूजर्स से अधिक कर वसूला जा सके और जल के अपव्यय को नियंत्रित किया जा सकें।

(कार्यवाही– नगर विकास विभाग,जल संस्थान)

14– मुख्य शहरों में नदियों व बड़े नालों पर शहर में प्रवेश करने से पहले एक बैराजिंग कर जल स्टोरेज एवं रिचार्ज करने व पेयजल हेतु उस पानी का उपयोग करने की व्यवस्था की जाए।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

15– ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों, जहॉ भूजल स्तर उथला है, को छोड़ कर प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड के गॉवों में 2–2 तालाब, नरेगा के अन्तर्गत बनाए जाएं।

(कार्यवाही–ग्राम्य विकास विभाग)

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

288

1742

16– उक्त संदर्भित याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित तीन समितियों के terms of reference का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही पर धनिर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक आहूत करायी जाए।

17– उक्तानुसार विभिन्न संस्तुतियों को प्राथमिकता क्रम में निर्धारित किया जाए और 5 प्रथम प्राथमिकता वाली संस्तुतियों पर प्रथमतः समयबद्ध ढंग से कार्यवाही की जाए।

संख्या– 914/62–1–2009, दिनांक: 24-4-09

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
3– प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवंज ल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
4– प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0शासन।
5– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
7– प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0शासन।
8– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन।
9– बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
10– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

(उषारमण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

COMMISSIONER FOR OATH

289

1743

**दिनांक 08–4–2009 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने तथा वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के संबंध में गठित "विशेषज्ञ समिति" की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची।**

| क0सं0 | अधिकारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | सर्वश्री–<br>" टी0आर0 त्रिपाठी | |
| 2 | " मनोज कुमार सिंह | आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन। |
| 3 | " अनिल कुमार सिंह | विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0शासन। |
| 4 | " बी0एल0 अग्रवाल | विशेष सचिव, कृषि उत्पादन । |
| 5 | " संजय सिंह | विशेष सचिव, वन, उ0प्र0शासन। |
| 6 | " विजय बहादुर सिंह | विशेष सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन। |
| 7 | " शिवशंकर सिंह | विशेष सचिव, समन्वय, उ0प्र0शासन। |
| 8 | " जमाल नुसरत | प्रोफेसर, वाल्मी लखनऊ (सेवा निवृत्त) |
| 9 | " आर0आर0वर्मा | विशेष सचिव, समन्वय, उ0प्र0शासन। |
| 10 | " भजन सिंह | क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ। |
| 11 | " उपेन्द्र श्रीवास्तव | वैज्ञानिक सी, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ। |
| 12 | " अजय कुमार भार्गव | वैज्ञानिक बी, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ। |
| 13 | " एम0पी0 खण्डोई | अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, लखनऊ। |
| 14 | " अरूण कुमार | अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, लखनऊ। |
| 15 | " राम सजन' | उप सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन |
| 16 | " विजय कुमार मिश्र | उप सचिव, सिंचाई विभाग, लखनऊ। |
| 17 | " शिशिर कुमार यादव | उप सचिव, राजस्व। |
| 18 | " राम सिंह | अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई। |
| 19 | " राम सहाय गुप्ता | अनु सचिव, नगर विकास। |
| 20 | " अरविन्द कुमार चित्रांशी | अनु सचिव, समन्वय। |
| 21 | " एम0एम0 अंसारी | निदेशक, भूगर्भ जल विभाग |
| 22 | " राम किशोर | अनु सचिव, लघु सिंचाई । |

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow.....Petitioner

**Versus**

State of U.P. and others ....Opposite Parties

**Annexure No.** SCA-9

संख्या– 43/54-2-2009-9(127)/08

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2009

विषय– जन सामान्य के अच्छे भविष्य हेतु जल संरक्षण ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जल ही जीवन है। जल के अभाव में जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती है। देश एवं प्रदेश में बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण बढ़ रही पेयजल की मांग एवं विगत वर्षो में औसत से कम वर्षा होने से भूगर्भ के निरंतर घट रहे जल स्तर को देखते हुये यह आवश्यक है कि अब जन सामान्य द्वारा जल का न केवल मितव्ययतापूर्वक उपयोग किया जाय, वरन् भविष्य के लिये जल का संरक्षण भी किया जाय।

2– इस उददेश्य की पूर्ति के लिये प्रदेश में वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को जल की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश शासन तंत्र का यह नैतिक दायित्व है कि जन सामान्य में जल का सम्यक् उपयोग करने एवं भविष्य के लिये जल का संरक्षण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

3– अतएव उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जन सामान्य के अच्छे भविष्य हेतु जल संरक्षण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सुझावों को अमल मे लाने एवं इसके प्रचार – प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। :–

(1) बैठकों, सेमीनारों, प्रदर्शिनियों एवं सांस्कृतिक कार्यकमों में जहां पेयजल आवश्यक हो, 01 लीटर पानी के बोतल के स्थान पर 250–300 मिलीलीटर के पानी के बोतल का उपयोग किया जाय, जिंससे इस अमूल्य धरोहर /संसाधन को अपव्यय से बचाया जा सके।

(2) पानी पीने हेतु छोटे बर्तन/गिलास का उपयोग करने का अनुरोध जन सामान्य से किया जाय।

(3) बड़े गिलास/बर्तन मे पानी लेकर एक या दो घूंट पानी पीने के बाद शेष पानी फेंक देने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिये केवल उतना ही पानी लिया जाय जितना पिया जा सके।

(4) पीने के पानी (ट्रीटेड) से लॉन, किचन-गार्डेन, फूलों की क्यारियों आदि की सिंचाई तथा गर्मियों में धूल उड़ने से बचने के लिये घर के सामने की सड़क भिगोंने की गतिविधियों को, पेयजल की महत्ता एवं सीमितता के दृष्टिगत, हतोत्साहित किया जाय।

4– कृपया उपरोक्त सुझावों के कियान्वयन हेतु अपने स्तर से की गयी कार्यवाही एवं इस निमित्त जारी किये गये आदेशों /परिपत्रों से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

P.T.O. .....2

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव
लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश शासन

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

~~1.54~~ 291
1745

संख्या –43(1) /54–2–2009–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
3– समस्त मा0 मंत्री गण/मा0 राज्य मंत्री गण(स्वतंत्र प्रभार)/ मा0 राज्य मंत्री गण के निजी सचिव।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद,उ0प्र0।
7– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0 प्र0,लखनऊ को इस अभियुक्ति सहित कि कृपया समाचार पत्रो के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करा दें।
8– निजी सचिव, मा0 जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी अहमद किदवई, मार्ग, नई दिल्ली।
9– उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad
2/7/10

1746 (1653) 292

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.**

C. M. Application No. of 2009

State of U. P. ----------Applicant

In re

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 15.5.2009 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 09-07-2009 H. Srivastava

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1747 (1658) 293

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

**AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 15th May 2009.**

I, Surya Prakash Mishra aged about 51 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

1748 (165) 294

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 15th May 2009 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 9th July 2009.

5. That in compliance of the order dated 15th May 2009 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow; U. P. Jal Nigam, Lucknow; Jal Sansthan, Lucknow and Ground Water Department in compliance of orders dated 15th May 2009 passed by this Hon'ble Court.

7. That it is submitted that during the financial year 2009 -10, under the Urban Drinking Water Supply Scheme (District Sector), for implementation of the Drinking Water Supply Scheme vide Government Order No. 2726 / 9 – 5 – 2009 – 5 Budget / 2007 dated 13th May 2009, the State Government has sanctioned an amount of Rs. 8.00 Crores as grant-in-aid to the U.P., Jal Nigam, Lucknow; out of which an amount of Rs.41.65 Lakh has been sanctioned for the District Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1749 295

dated 13th May 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

**8.** That it is submitted that during the financial year 2009 -10, under the 'Anusuchit Jati Sub Plan' for implementation of the Drinking Water Supply Scheme in the urban area having dense population of scheduled caste category persons / citizen; vide Government Order No. 332 / 26 – B. Pr. – 2009 – 28 Budget / 2007 dated 13th May 2009, the State Government has sanctioned an amount of Rs. 20.00 Crores as grant-in-aid to the U.P., Jal Nigam, Lucknow; out of which an amount of Rs.10.55 Lakh has been sanctioned for the District Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 13th May 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

**9.** That it is submitted that during the 1st quarter of the financial year 2009 -10, for implementation of the ongoing / already sanctioned schemes under Gomati Action Plan Phase – II at Lucknow; vide Government Order No. 14014 / 3 / 2003 – NRCD - II dated 17th June 2009, the Ministry of Environment and Forests, National River Conservation Directorate, Government of India released the payment of grant-in-aid of Rs. 41.43 Crore in favour of the U.P., Jal Nigam, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 17th June 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court.

**10.** That the deponent is filing the progress report with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' on the basis of records submitted by the U. P. Jal Nigam vide its letter No. 2547 / Mu. Abhi. (L. Kshe.) Sa – 12 / 143 dated 3rd July 2009.

1750 296

**(i).** That the details of work done till 30th June 2009 under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for improvement of drinking water facilities are being mentioned as under:

The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 30th June 2009, 40 + 10 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing, out of which till 30th June 2009, total 43 old Tube-Wells have been repaired and they are working.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 101.64 Km have been completed till 30th June 2009.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 50 numbers of Tube-Wells have been completed till 30th June 2009, and rising main work relating to 7 numbers of Tube-Wells are in progress.

**(ii).** That the details of work done till 30th June 2009 under the General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City are being mentioned as under:

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City total 409 + 1230 new hand

1751 1551 297

pumps have been installed in the year 2007-08 and 2008 - 09, and those are working.

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City total 670 + 153 hand pumps were proposed for special repairing / rebore, in the year 2007-08 and 2008 -09, and those have been repaired / rebored and they are working.

In the year 2009-10, the U. P. Jal Nigam proposed for special repairing / rebore of 140 hand pumps; out of which till 30th June 2009 the works relating to special repairing / rebore of 99 hand pumps have been completed, and they are working.

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City total 5 Tube-Wells were proposed for installation, out of which till 30th June 2009 , 4 Tube-Wells have been installed and they are working.

True photostat copy of a chart showing physical progress of aforesaid work is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

**11.** That in Master Planning of Sewerage Works, for Sewerage District – 1 an estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by the Government of India. It is submitted that the Sewerage Scheme of District – 1 covers approximately 289 Km of branch sewer laying, and 48 Km of trunk sewer laying, construction of one Sewage Pumping Station of 56 mld capacity and one number STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 138.0 Km. of sewer line has been laid till 30th June 2009, and out of 48 Km. trunk sewer laying work, the work in total 27 Km have been completed till 30th June 2009. It is submitted that the work of

COMMISSIONER FOR OATHS

1752 (661) 298

construction of Sewage Pumping Station and STP has been started after tendering process, and about 45 % and 55 % work with regard to same have been completed. As per report of the U. P. Jal Nigam, the said works are under progress in accordance with the norms prescribed by the U.P. Pollution Control Board. True photostat copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (under the Sewerage Scheme of District–1) is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

**12.** That it is significant to submit that the works done till 30th June 2009, under Gomti Action Plan Phase –I and Phase – II at Lucknow are detailed herein under:

**(i).** It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to four works , which are under progress.

**(ii).** It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II till 30th June 2009 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

**13.** That it is submitted that for construction of Sanitary Landfill Sites under the Municipal Solid Waste Management Scheme, the sanitary landfill site has been marked at Hardoi Road under the Lucknow Mahanagar Yojana – 2021 having 38.672

1753

1662
299

Hectare land in village *Dashahari, Sikrouri, Raipur* and *Salempur Patoura*, and for the said land, the Notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 has been published on 21.10.2008. Thereafter vide Notification No. 2165 / 8 – 3 – 2009 – 60 L.A./ 2009 Lucknow dated 25th June 2009, the aforesaid land marked at Hardoi Road under the Lucknow Mahanagar Yojana – 2021 has been notified under Section 6 (1) / 16 of the Land Acquisition Act, 1894. The true photostat copy of the Notification dated 25th June 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

**14.** That it is submitted that the Housing Department, State of U.P. framed and implemented the "*Model Building Construction and Development Bye Laws, 2008*" vide Government Order dated 12th May 2009; wherein Bye Laws 2.1.2.5 (IX) have provisions regarding conservation of ground water and its recharging at the level of prescribed authority. The true photostat copy of the relevant portion of the aforesaid "*Model Building Construction and Development Bye Laws, 2008*" and Government Order dated 12th May 2009 are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit.

**15.** That it is submitted that in compliance of order dated 15th May 2009 passed by this Hon'ble Court, vide letter dated 3rd July 2009, the Lucknow Development Authority informed to the Under Secretary, Housing and Urban Planning, U.P. that for construction of sanitary landfill sites under the Municipal Solid Waste Management Scheme, for the sanitary landfill site marked at Hardoi Road under the Lucknow Mahanagar Yojana – 2021 having 38.672 Hectare land in village Dashahari,

COMMISSIONER FOR OATHS ★ High Court ALLAHABAD ★

1754 (1163) 300

Sikrouri, Raipur and Salempur Patoura, the Notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 had already been done on 21.10.2008. Thereafter vide Notification dated 25th June 2009, the aforesaid land marked at Hardoi Road under the Lucknow Mahanagar Yojana – 2021 has been notified under Section 6 (1) / 16 of the Land Acquisition Act, 1894. The

Through the aforesaid letter dated 03.7.2009, the Lucknow Development Authority also informed that an amount of Rs. 9.23 Crore have been made available for acquiring the said land earmarked at village Dashahari, Sikarauri, Raipur and Salempur Patura for construction of Sanitary Landfill Site at Hardoi Road, under the Lucknow Mahanagar Yojana – 2021.

In compliance of order dated 15th May 2009 passed by this Hon'ble Court, vide letter dated 3rd July 2009, the Lucknow Development Authority also informed that the Housing Department, State of U. P. framed and implemented the "*Model Building Construction and Development Bye Laws, 2008*" vide Government Order dated 19th May 2009, and the maps of houses are being sanctioned accordingly by the Lucknow Development Authority.

The Lucknow Development Authority also informed that for '*Rain Water Harvesting*' necessary information bulletins were published in daily newspapers in public interest to make aware the common man about the same, and notices were given by the Lucknow Development Authority to 1351 house owners for insuring rain water harvesting measures in their premises, out of which 116 of them informed that they have arranged the rain water harvesting measures in their premises.

The true photostat copy of the progress details contained in aforesaid letter dated 03.7.2009 of the Lucknow Development

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, Allahabad

1755 ~~169~~ 301

Authority is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 9** to this affidavit.

**16.** That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 09-07-2009 Deponent

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1 and 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 15 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 16 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated: 9-7-09 Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

Solemnly affirmed before me on 9.7.09 12.45 pm by the Deponent, who been identified by Sri Anil Kumar Clerk to Sri H.N. Singh Advocate

OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench
No 0153274
Date 9-7-09

IDENTIFICATION
Clerk
to Sri H.N. Singh Advocate

I have satisfied my self by Examining the deponent that he has fully understood the Contents of this affidavit which has been read over and Explained.

ANNEXURE NO.A-1

संख्या-2726/9-5-2009-5बजट/2007

1665
302
1756

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 13 मई, 2009

विषयः-वित्तीय वर्ष 2009-10 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जल सम्पूर्ति कार्य के कार्यान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय इस शासनादेश से संलग्न सूची में अंकित विभिन्न जनपदों में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में निर्दशित धनराशि से आवश्यक कार्य कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल रू0 8,00,00,000.00 (रूपये आठ करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. इस धनराशि का प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-490-दस /2009-231/2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।
2. स्वीकृत अनुदान की धनराशि का आहरण उ0प्र0जल निगम द्वारा किया जायेगा तथा सम्बन्धित जिले के जिला इकाई (उ0प्र0 जल निगम) को उपलब्ध कराया जायेगा । संबंधित जिला इकाई द्वारा संलग्नक-1 पर अंकित अपने जिले से सम्बन्धित धनराशि कोषागार से आहरित कर व्यय की जायेगी। आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व इस पर जिला नियोजन समिति का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र की अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने, हैण्डपम्पों की स्थापना / रिबोर आदि पर किया जायेगा । जिलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करेंगे । सामान्य मरम्मत के कार्य भी कराये जायेंगे ।
4. धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा प्रत्येक त्रैमास की 2 व 3 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा ।
5. उक्त धनराशि का व्यय केवल नगरीय पेयजल योजनाओं पर किया जायेगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक-31.03.2010 तक भेजना अनिवार्य है ।
6. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थी, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है ।
7. पाईप्ड पेयजल योजनाओं के सामान्य मरम्मत के कार्य नहीं कराये जायेंगे ।
8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह आहरित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा और यदि स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में जिला योजना के अधीन उभरकर आता है, तो उपलब्ध होने वाले परिव्यय के अनुसार यथासमय स्वीकृतियां संशोधित की जायेंगी ।

GO Sri Pandey

COMMISSIONER FOR OATHS ★ High Court ★

1757 1667 303

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- जिला योजनाओं की स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/71/35-आ-2/91-52, दिनांक-16.08.1991 के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति -03-नगरीय पेयजल कार्यक्रमों के निर्माण कार्य हेतु अनुदान-48-पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1523/दस-09, दिनांक 13 मई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक :: (संलग्नक 1)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (वर्क्स लेखा) अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
3. संलग्नक में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी / कोषाधिकारी ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 / बजट अनुभाग-4
7. संलग्नक में अंकित जनपदों के मण्डलायुक्त ।
8. राज्य योजना आयोग-2, नियोजन विभाग ।
9. सम्बन्धित वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव ।

COMMISSIONER FOR OATHS ★ High Court, ALLAHABAD ★

GO Sri Pandey

1758 304

शासनादेश संख्या-2726(1)/9-5-09-5बजट/2007, दिनांक 13 मई, 2009

का संलग्नक-1

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 | जनपद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | अलीगढ़ | 7.57 |
| 2 | आगरा | 31.68 |
| 3 | एटा | 3.33 |
| 4 | फिरोजाबाद | 27.70 |
| 5 | मथुरा | 21.53 |
| 6 | महामायानगर | 8.94 |
| 7 | मैनपुरी | 3.00 |
| 8 | आजमगढ़ | 3.61 |
| 9 | बलिया | 5.33 |
| 10 | मऊ | 9.04 |
| 11 | इलाहाबाद | 4.49 |
| 12 | कौशाम्बी | 0.00 |
| 13 | प्रतापगढ़ | 3.98 |
| 14 | फतेहपुर | 5.94 |
| 15 | इटावा | 7.54 |
| 16 | औरैया | 1.75 |
| 17 | कन्नौज | 8.86 |
| 18 | कानपुर देहात | 18.68 |
| 19 | कानपुर नगर | 41.23 |
| 20 | फर्रूखाबाद | 6.87 |
| 21 | कुशीनगर | 5.70 |
| 22 | गोरखपुर | 18.55 |
| 23 | देवरिया | 17.63 |
| 24 | महराजगंज | 9.37 |
| 25 | चित्रकूट | 0.84 |
| 26 | बाँदा | 24.81 |
| 27 | महोबा | 26.60 |
| 28 | हमीरपुर | 5.80 |
| 29 | जालौन | 2.02 |
| 30 | झाँसी | 5.93 |
| 31 | ललितपुर | 18.35 |
| 32 | गोण्डा | 6.45 |
| 33 | बलरामपुर | 5.29 |
| 34 | बहराईच | 0.00 |
| 35 | श्रावस्ती | 0.00 |
| 36 | अम्बेडकरनगर | 9.72 |
| 37 | फैजाबाद | 11.48 |
| 38 | बाराबंकी | 13.57 |
| 39 | सुल्तानपुर | 1.59 |

Budget

COMMISSIONER FOR OATHS ★ Govt. ALLAHABAD

1759 H.C.J 305

| | | |
|---|---|---|
| 40 | पीलीभीत | 2.36 |
| 41 | बदायूँ | 3.88 |
| 42 | बरेली | 5.18 |
| 43 | शाहजहाँपुर | 10.88 |
| 44 | लखनी | 0.00 |
| 45 | संतकबीरनगर | 0.00 |
| 46 | सिद्धार्थनगर | 0.00 |
| 47 | जे0पी0नगर | 4.94 |
| 48 | बिजनौर | 0.00 |
| 49 | मुरादाबाद | 28.01 |
| 50 | रामपुर | 27.15 |
| 51 | गाजियाबाद | 27.85 |
| 52 | गौतमबुद्धनगर | 0.90 |
| 53 | बागपत | 2.70 |
| 54 | बुलन्दशहर | 12.94 |
| 55 | मेरठ | 12.49 |
| 56 | उन्नाव | 7.60 |
| 57 | लखीमपुरखीरी | 15.13 |
| 58 | गयसरेली | 59.37 |
| 59 | लखनऊ | 41.65 |
| 60 | सीतापुर | 20.23 |
| 61 | हरदोई | 6.61 |
| 62 | गाजीपुर | 7.80 |
| 63 | चन्दौली | 1.52 |
| 64 | जौनपुर | 2.40 |
| 65 | वाराणसी | 40.72 |
| 66 | मिर्जापुर | 7.85 |
| 67 | सन्तरविदासनगर | 0.00 |
| 68 | सोनभद्र | 1.43 |
| 69 | मुजफ्फरनगर | 24.30 |
| 70 | सहारनपुर | 6.57 |
| 71 | कांशीरामनगर | 11.97 |
| | योग | रू0 800.00 |

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव ।

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

Budget

ANNEXURE No. A-2

1760 306

संख्या–332 /26–ब0प्र0–2009–28 बजट/2007

सेवा में,

भवनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक: 13 मई, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति सब पलान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 20,00,00,000/– (रू0 बीस करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि FAQ/MCC के दिशा–निर्देशों एवं प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो ।

2– स्वीकृत की गयी धनराशि में से जो भी धनराशि व्यय की जायेगी उसके लिये सम्बन्धित विभाग/अधिकारी दो–दो महीने का सेक्टर तैयार कर शासन से अनुमोदित करा लेगें। तदनुसार ही धनराशि को व्यय किया जायेगा ।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु मानक तथा दिशा–निर्देश का अनुपालन किया गया है तथा शासकीय पत्र संख्या–66/26–ब0प्र0–2007, दिनांक 09.04.2007 एवं दिनांक 08.05.2007 में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।

3– उक्त धनराशि निम्न शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है ।

(1) - स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 06 समान त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा।

(2) - इस धनराशि का प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक 20.3.2009 में दिए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा ।

(3) - स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय क्षेत्रों की हैण्डपम्पों की स्थापना/रिबोर पर पाईप पेयजल योजनाओं के कार्यो पर किया जायेगा । जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन किया जायेगा ।

(4) - स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा आहरित कर सम्बन्धित जनपदों को जनपदवार फॉट पर सक्षम स्तर (बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण) से अनुमोदन के पश्चात ही उपलब्ध करायी जायेगी ।

(5) - उक्त धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में जहां उनकी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने पर ही किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2010 तक भेजना अनिवार्य है।

COMMISSIONER FOR OATHS

1761 307

(6)- विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थी, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है ।

(7)- धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी । प्रत्येक माह की 02 व 03 तारीख तक भौतिक एवं वित्ती प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा ।

(8)- कोषागार / स्टेट बैंक से धनराशि आहरण से सम्बन्धित व्यय पत्र (बाउचर्स) की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को आहरण के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(9)- स्वीकृत धनराशि से पाईप्ड पेयजल योजनाओं के सामान्य मरम्मत के कार्य नहीं कराये जायेगें ।

(10)- स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा और यदि स्वीकृत धनराशि से भिनन परिव्यय जनपद विशेष में जिला योजना के अधीन उभरकर आता है, तो उपलब्ध होने वाली परिव्यय के अनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित की जायेगी ।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनेश्चित करेगें । यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्व विवरण सहित वितत विभाग को दे दी जाय ।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन- 42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1160/दस-2009, दिनांक 20.4.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

संलग्नक:: यथोक्त ।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या- 332 (1)/26-ब0प्र0-2009-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- महालेखाकार (वर्क्स लेखा) अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ ।
6- सम्बन्धित वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/एन0आई0सी0 की प्रति ।
9- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

शासनादेश संख्या– /26–ब0प्र0–2009–28 बजट/2007, दिनांक 13 मई, 2009 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रू0 में)

| कर्मांक | जनपद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | आगरा | 123.24 |
| 2 | मैनपुरी | 4.98 |
| 3 | मथुरा | 46.62 |
| 4 | फिरोजाबाद | 40.27 |
| 5 | अलीगढ़ | 65.72 |
| 6 | महामायानगर | 55.74 |
| 7 | एटा | 18.55 |
| 8 | कांशीरामनगर | 47.78 |
| 9 | झांसी | 25.34 |
| 10 | जालौन | 144.59 |
| 11 | हमीरपुर | 20.35 |
| 12 | महोबा | 51.63 |
| 13 | बांदा | 35.55 |
| 14 | चित्रकूट | 2.37 |
| 15 | लखनऊ | 10.55 |
| 16 | रायबरेली | 12.02 |
| 17 | हरदोई | 11.52 |
| 18 | उन्नाव | 25.12 |
| 19 | लखीमपुरखीरी | 89.54 |
| 20 | बदायूं | 21.33 |
| 21 | पीलीभीत | 3.70 |
| 22 | शाहजहांपुर | 16.95 |
| 23 | मेरठ | 15.22 |
| 24 | बागपत | 5.54 |
| 25 | गाजियाबाद | 37.21 |
| 26 | गौतमबुद्धनगर | 8.39 |
| 27 | बुलन्दशहर | 117.69 |
| 28 | सहारनपुर | 41.64 |
| 29 | ज्योतिबाफूलेनगर | 7.71 |
| 30 | रामपुर | 42.19 |
| 31 | वाराणसी | 77.50 |
| 32 | चन्दौली | 9.48 |
| 33 | जौनपुर | 13.82 |
| 34 | मिर्जापुर | 37.92 |
| 35 | सोनभद्र | 13.43 |
| 36 | गोरखपुर | 115.36 |
| 37 | महराजगंज | 16.59 |
| 38 | देवरिया | 21.80 |
| 39 | कुशीनगर | 35.55 |
| 40 | आजमगढ़ | 6.21 |
| 41 | मऊ | 9.48 |
| 42 | बलिया | 6.96 |
| 43 | इलाहाबाद | 19.41 |
| 44 | फतेहपुर | 15.87 |
| 45 | प्रतापगढ़ | 35.55 |
| 46 | कानपुर नगर | 209.54 |
| 47 | कानपुर देहात | 30.81 |
| 48 | फर्रूखाबाद | 58.22 |
| 49 | कन्नौज | 9.32 |
| 50 | औरैया | 11.03 |
| 51 | इटावा | 36.30 |
| 52 | फैजाबाद | 42.93 |
| 53 | अम्बेडकरनगर | 7.77 |
| 54 | सुल्तानपुर | 2.44 |
| 55 | बलरामपुर | 7.66 |
| | योग | 2000.00 |

(रू0 बीस करोड़ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

COMMISSIONER FOR OATHS

1763 (1612) 309

ANNEXURE No. A-3



FAX No.- 0522 - 2621841

No.M-14014/3/2003-NRCD-II
Government of India
Ministry of Environment & Forests
NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

"Paryavaran Bhawan"
CGO Complex,Lodi Road
New Delhi-110003
Dated -17th June,2009

The Pay and Accounts Officer,
Ministry of Environment & Forests,
'Paryavaran Bhawan',
CGO Complex Lodhi Road,
NEW DELHI

**Subject:- Release of Grant-in-Aid of Rs.41,43,00,000/- (Rupees Forty one crore and Forty three lakh only) in favour of Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow for implementation of the ongoing/already sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase-II at Lucknow (UP) for the Ist quarter of the financial year 2009-2010.**

I am directed to convey the sanction of the President to the release for the payment of Grant-in-Aid of **Rs.41,43,00,000/- (Rupees Forty one crore and Forty three lakh only)** in favour of Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow for implementation of the ongoing/already sanctioned schemes under Gomti Action Plan, Phase II at Lucknow (UP) for the Ist quarter of the financial year 2009-2010.

The following points are also to be noted :-

i) Close monitoring of implementation is done so as to ensure that the sanctioned schemes are completed within the sanctioned cost and time. Any increase in cost due to cost or time over run, or for any other reason, shall be borne by the State Government themselves.

ii) The State Government of U.P. is also contributes their corresponding share for the scheme, and confirms the same to NRCD.

iii) Further release of funds will be considered only after receipt of Utilization Certificate and Expenditure Statement/Physical Progress Statement showing clearly the progress of implementation in terms of percentages.

The release of funds is subject to the following terms and conditions:

**Financial Aspects**

i) The terms and conditions as stipulated in the orders conveying Administrative Approval & Expenditure Sanctions (AA&ES) in respect of the schemes under the Plan issued from time to time shall be adhered to during the implementation of the projects.

1764

Any escalation over and above the sanctioned cost in respect of individual project shall be borne by the State Government. The Implementing Agency has to take this into account while incurring expenditure on the approved projects.

Funds shall be made available to the implementing agencies without delay or diversion.

The State Govt. shall take all necessary legal and executive measures to ensure that adequate resources for Operation & Maintenance of the assets created under the project are provided in the Annual Plan.

Appropriate policy initiatives will be taken by State Govt. to tackle non-point sources of pollution, e.g. agricultural run-off, industrial pollution and solid waste management.

On receipt of the grant, the grantee/State Government shall make available its share in the cost of the project. Further installments of grants of the Central Government would be released only after such contribution is released by the State.

The funds released for the projects should be operated through a separate interest earning bank account. The interest thus earned should be credited to the project and reflected in the Utilization certificates from time to time and shall be adjusted towards future funds release for the project. In the event of funds the corpus of the project shall [illegible].

The Central Government reserves the right to withdraw the allocation at any stage if it is satisfied that the amount released has not been properly utilized or appropriate progress is not being made.

The Implementing Agency is not permitted to seek or utilize funds for the same purpose from any other organization (Government, semi-Government, autonomous or private).

The implementing agency shall furnish monthly expenditure statements in the prescribed form from the commencement of the project. These should be submitted by the 20th of the following month for the preceding month.

The implementing agency shall furnish to the NRCD a utilization certificate in respect of grants received during the various quarters, as under:

For the 1st, 2nd and 3rd quarters in the prescribed form 'A' to be provided by NRCD.
For the 4th Quarter in the prescribed form 'B' to be provided by NRCD.

Utilization certificates will be furnished to NRCD in respect of grants received in various quarters by the dates indicated as follows:

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] Quarter | July- September | 15th November |
| 2nd Quarter | October-December | 15th February |
| 3rd Quarter | January- March | 15th May |

The cost of the project is to be shared on 70:30 basis between Centre and States. The sanctioned amount should be spent exclusively thereon as per the guidelines of the scheme and within the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed the amount sanctioned for the project/scheme.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad

1765 1674 311

...the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed the amount sanctioned for ... scheme and within the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed the ... sanctioned for the project/scheme. Any unspent amount(s) should be surrendered to the ... or carrying forward any unutilized amounts beyond the specified time limit, prior ... NRCD should be obtained. Centage will be payable @ 8%

...expenditure.

Audit

The Comptroller & Auditor General of India at his discretion shall have the right of access to the ...ks and accounts of the Implementing Agency receiving the funds from the Government of India for ...e purpose of Audit.

(ii) The books of accounts of the grantee relating to this grant, shall be open to Audit by the Internal Audit Wing of this Ministry.

(iii) The implementing agency shall furnish to the Government annually a report of its work within ... months and its audited statement of accounts within nine months of the financial year.

3.2 **Electronic Remittance of Funds**

The fund releases by this Ministry would be remitted by Electronic transfer. The following ...s may be kept updated from time to time to enable electronic remittance:

(a) Bank account details both in figures and words to NRCD
(b) MICR Code and IFSC Code of the Bank Branch
(c) Necessary authorization by the grantee organization to its bank to receive the remittances on its behalf and to issue necessary bank receipt to the Ministry's bank for receipt of funds.

Changes if any in the bank details shall be communicated without delay to this Ministry.

3.3 **Submission of Monthly Physical & Financial Progress Reports (PFPR)**

(a) Monthly Physical and Financial Progress Reports (PFPR) in the prescribed format shall be signed by at least two designated officers of the Implementing Agency, one of whom will be Chief Engineer/ Head of the Department.

(b) The signing officer will indicate his name and designation in full in capital letters and affix official seal under the signature. While fax PPRs will be accepted for commencement of the processing of the ...ink-signed PPRs must follow by Speed Post.

(c) Consistency between physical progress and expenditure shall be maintained and reasons for substantial variations i.e., more than 10% shall be appropriately explained against each item.

COMMISSIONER FOR OATHS

1766

312

-4-

Submission of Utilization Certificates (UCs)

The Utilization Certificates (UCs) in the prescribed format shall be signed and stamped by the Head of the Organization, Head of the Accounts Department and field level functionaries i.e. Executive Engineer level/ Principal Investigator, as applicable. The name and designation of the officers signing the UCs shall be clearly mentioned in full and in capital letters.

Project Management & Monitoring

Time and cost overrun leading to delay in implementation of projects is viewed with serious concern by the Government and as per instructions contained in Cabinet Secretary's D.O. letter No.261/1/10 2000-Cab. Dated June 4, 2001 read with Planning Commission's D.O. letter No.O.-4(015/2/98-PAMD dated 19.8.1998, mandatory Review of the Schemes must be carried out from time to time so as to assess the expenditure trend and time schedule of the schemes and appropriate action against those responsible delay shall be taken in accordance with the instructions.

(b) Inter-Departmental Monitoring Committee shall be set up at the State/UT and Divisional/District levels. The State level Committee will be chaired by Principal Secretary of the Department concerned and a balanced and representative composition of representatives of all Departments and agencies concerned for ensuring timely and, qualitatively sound execution of work.

(c) The Urban Local Body level Committee will be constituted under the Chairmanship of the Chief Executive Officer of the Municipal Corporation/Committee and have representatives from all executing agencies concerned. The intervention of District Magistrate/ Collector shall be sought for resolution of inter-Departmental issues.

(d) Citizens Monitoring Committees shall be constituted in the towns where the NRCP works are proposed to be taken up.

Inspection

(a). The Government of India may depute any person to visit the implementing agency for the purpose of monitoring its work. Full facilities shall be provided by the implementing agency to the persons deputed for inspection by the Government of India.

(b) The implementing agency shall maintain separate audited accounts for the project. If it is found expedient to keep a part or the whole amount in a bank account earning interest, the interest thus earned has to be reported as a credit to the grantee adjustable towards further installments of grant.

3.7 Operation & Maintenance:

(a) Assets created under the GAP/ NRCP shall be handed over to the local body after completion and construction agency shall continue to maintain assets on contract basis till such time the local body acquires the necessary technical expertise for this purpose.

(b) Local communities shall be involved in the operation and maintenance of non-core schemes.

COMMISSIONER FOR OATHS

1767 (1676) 313



-5-

Encumbrances.

Any staff that may be employed for preparation, execution or operation of the project by the implementing agency are not to be treated as employees of the Government of India. They shall be governed solely by the rules of the grantee with respect to all matters including terms and tenure of service. The deployment of such staff at the time of completion or termination of the project will not be the concern or responsibility of the Government of India.

4. The Drawing and Disbursing Officer, National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forests is hereby authorized to prepare and submit bill for **Rs.41,43,00,000/-(Rupees Forty one crore and Forty threelakh only)** to Pay and Accounts Officer, Ministry of Environment & Forests, New Delhi to make payment electronically i.e. through CBs/RTGS to Managing Director, U P Jal Nigam, Lucknow (U.P.) whose bank details are given below:-

| Name of the Implementing Agency | Address of Implementing Agency | Name of Bank where Account of Agency held | Name & Complete Address of the Bank Branch | MICR Code & IFSC Code | Type of Account | Account No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U P Jal Nigam, Lucknow -226001 | Managing Director, U P Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001 | Union Bank of India | Union Bank of India, Hazaratganj Branch, 29-Hazaratganj, Lucknow | MICR Code-226026002 IFSC Code – UBIN0530221 | Saving Bank | 3022020107011?2 |

**Receipt of funds may kindly be acknowledged by way of a letter. Changes if any in the banks details shall be communicated to this Ministry immediately.**

5. This is a recurring grant and the unspent balance of Rs. "Nil" as on 31-3-2009 also have been taken into consideration while releasing the current installment of funds. A copy of the Utilization Certificates for the months ending 3/2009 (from 1-1-2009 to 31-3-2009) alongwith the earlier sanction order dated 24th March, 2009 are enclosed. The grantee institution is a State Government Body.

6. The funds for expenditure on the scheme would be debitable to the Major Head '3435', 04 101 06 07 31- Grants-in-Aid (Other Schemes)- National River Conservation Plan under Demand No 30-Ministry of Environment & Forests for the financial year 2009-2010 (Plan).

7. In case of violation of any of these conditions of the grant or in case of closure or dissolution of the grantee organization, the Government shall take possession of all the assets of the organization acquired out of the Government grants and use them in any manner deemed appropriate or to recover from the organization the value of such assets at its discretion.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

328

1768 1677 314



5 This issues under the powers delegated to the Ministry of Environment & Forests and with the approval of Minister of State (Independent Charge) Environment & Forests as well as with the concurrence of IFD vide their Dy No.742/JS(FA/F/09 dated 13-5-2009

Yours faithfully

s/l-

(C.UPPIL I)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy for information and necessary action to :-

1 DDO, NRCD- 2 copies
2. Jt.Director of Audit-II, Commercial, Scientific & Misc.Works AGCR Building I.P Estate, New Delhi.
3 Chief Secretary, Govt.of U.P., Sachivalaya, "Annex", Lucknow(UP)
4 Principal Secretary, Department of Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh, Sachivalaya,"Bapu Bhawan" Lucknow (UP)
5 Managing Director, U P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow (UP)
6 Chief Engineer (Ganga), U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow.
7 General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, River Bank Coloney, Near Suraj Kund, Lucknow (UP).
8 The District Magistrate, Lucknow (U.P)
9 Dir(HA)/Dir(BS)/DD(SS)/US(Fin)/US(P)/Computer Cell
10 Sanction Folder/Guard File.

COMMISSIONER FOR OA... High Court ALLAHABAD

(C.UPPIL I)
Under Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE NO.A-

संलग्नक - 6

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 30.04.09 तक कुल प्रगति | 30.04.09 से 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 36 नग चालू, 4 नग प्रगति पर। | 4 नग चालू। | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 7 नग चालू, 10 नग प्रगति पर। | 3 नग चालू। | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 94.50 कि.मी. | 7.14 कि.मी. | 101.64 कि.मी. | 25.64 कि.मी. कमीशन्ड, कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 43 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 14 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण कर नलकूप चालू किया गया। | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | - | 99 नग | 99 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू | 4 नग चालू तथा, 1 नग प्रगति पर। | 1 नलकूप पर विद्युत संयो प्राप्त होना शेष है। |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

COMMISSIONER FOR OATHS ★ Hon'ble Court, ALLAHABAD ★

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

ANNEXURE NO A

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 से 30.06.2009 तक कुल प्रगति | अध्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एन. साइज | 289 कि.मी. | 117.00 कि.मी. | 138.00 कि.मी. | 21.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 23.00 कि.मी. | 27.00 कि.मी. | 4.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 36% | 45% | 9% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 45% | 55% | 10% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 71.230 | 85.710 | 14.480 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 95.620 | 100.390 | -4.770 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 22.4.2008 को निर्गत की गयी। दिनांक 13.10.08 को रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा 5.12.2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा 10.02.2009 को रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा 20.03.2009 को रु.24.77 करोड़ तथा रु. 19.77 करोड़ की किश्त दिनांक 2.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 15.22 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
9. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

परियोजना प्रबन्धक

महाप्रबन्धक

ANNEXURE NO. A-6

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 से 30.06.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग + 1 नग (30%) | 5 नग + 1 नग (80%) | 1 नग (50%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (50%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (60%) | 1 नग (10%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मैन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5470 मीटर | 5670 मीटर | 200 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 58% | 60% | 2% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 38.55 | 39.175 | 0.62 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 41.650 | 41.650 | 0.00 | |

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नि[illegible] इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

# कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

## माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

## गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 से 30.06.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95%+ 1 नग 50% | 17नग 95%+ 1 नग 50% | -- | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 40% | 10 नग 95%+1 नग 50% | 1 नग 10% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9180 मीटर | 9180 मीटर | 400 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग. | 80% | 90% | 10% | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 75% | 80% | 5% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 41% | 1 नग 55% | 1 नग 14% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 100% | 5 नग 100% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | |
| 12 | वनीकरण - जाब | 80% | 10% | 20% | 10% | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 13 | जनजागरण - जाब | 80% | 5% | 10% | 5% | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 45% | 5% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| 1. | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 263.04/417.64 | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 175.121 | 201.713 | 26.592 | |
| | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 180.6051 | 244.0351 | 63.430 | |

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

ANNEXURE NO.A-7

1773 ~~1652~~ 319

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या–2165/8–3–2009–60एल0ए0/2009

लखनऊः दिनॉकः 3 जून, 2009

## अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या–545/8– (भू0अ0)/न0म0पा0–द्वितीय/लखनऊ दिनांक 21.10.2008 के क्रम में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–6(1)/16 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात लखनऊ में हरदोई रोड़ पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए लैंड फिल साइट योजना के लिए आवश्यकता है, और उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन लखनऊ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करें।

### अनुसूची

| जिला | तहसील | परगना | ग्राम | खसरा नं0 | क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | लखनऊ | काकोरी | दशहरी | 263 पी | 0.075 |
| | | | | 264पी | 0.020 |
| | | | | 265 पी | 0.200 |
| | | | | 279पी | 0.037 |
| | | | | 280पी | 0.120 |
| | | | | 283 | 0.051 |
| | | | | 284 | 0.392 |

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

Dhara-6-08(31)

1774

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 285 | 0.339 |
| | | | | 286 | 0.309 |
| | | | | 288 | 0.170 |
| | | | | 289पी | 0.457 |
| | | | | 290पी | 0.090 |
| | | | | 294पी | 0.502 |
| | | | | 296पी | 0 034 |
| | | | | 297 | 1.947 |
| | | | | 298पी | 0.127 |
| | | | | 299 | 0.291 |
| | | | | 303 | 0.326 |
| | | | | 304 | 0.120 |
| | | | | 306 | 0.167 |
| | | | | 307 | 0.126 |
| | | | | 310 | 0.213 |
| | | | | 311 | 0 122 |
| | | | | 312 | 0.076 |
| | | | | 313 | 0.054 |
| | | | | 314 | 0.092 |
| | | | | 315 | 0 141 |
| | | | | 316 | 0.028 |
| | | | | 317 | 0.259 |
| | | | | 318 | 0.202 |
| | | | | 319 | 0.314 |
| | | | | 320 | 0.707 |
| | | | | 321पी | 0.076 |
| | | | | 322पी | 0.019 |
| | | | | 436पी | 0.220 |
| | | | | 437 | 0.606 |
| | | | | 440 | 0.253 |
| | | | | 441पी | 0.158 |
| | | | | 442 | 0.198 |
| | | | | 443 | 0.084 |
| | | | | 444पी | 0.021 |
| | | | योग | | 9.743 |
| लखनऊ Lucknow | लखनऊ Lucknow | काकोरी Kakori | सलेमपुर मतौरा Salempur Pattura | 2 | 0.884 |
| | | | | 3 | 0.830 |

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

1775 321

| | |
|---|---|
| 4 | 0.545 |
| 5 | 0.076 |
| 6पी | 0.045 |
| 7पी | 0.031 |
| 49 | 0.132 |
| 50 | 0.104 |
| 70 | 0.240 |
| 71 | 0.254 |
| 72 | 0.616 |
| 75 | 0.367 |
| 76 | 0.307 |
| 77 | 0.081 |
| 79 | 0.177 |
| 80 | 0.934 |
| 84 | 1.857 |
| 85 | 0.101 |
| 86 | 0.454 |
| 87 | 0.242 |
| 88 | 0.031 |
| 89 | 1.264 |
| 92 | 0.213 |
| 93 | 0.948 |
| 94 | 0.733 |
| 95 | 0.068 |
| 96 | 0.732 |
| 98 | 0.289 |
| 99 | 0.265 |
| 100 | 0.400 |
| 101 | 0.242 |
| 102 | 0.649 |
| 103 | 0.308 |
| 105 | 0.650 |
| 106पी | 1.252 |
| 107पी | 0.031 |
| 108पी | 0.690 |
| 109पी | 0.247 |
| 110 | 0.362 |

COMMISSIONER FOR OATHS ★ High Court ★ AHMEDABAD

1776 1655 322

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 116पी | 0.205 |
| | | | | 118पी | 0.356 |
| | | | योग | | 18.212 |
| लखनऊ Lucknow | लखनऊ Lucknow | काकोरी Kakori | रायपुर Raipur | 1पी | 0.130 |
| | | | | 4पी | 0.370 |
| | | | | 5 | 0.114 |
| | | | | 6 | 0.192 |
| | | | | 7 | 0.078 |
| | | | | 8 | 0.169 |
| | | | | 9 | 0.161 |
| | | | | 10 | 0.051 |
| | | | | 11 | 0.192 |
| | | | | 12 | 0.111 |
| | | | | 13 | 0.422 |
| | | | | 14पी | 0.027 |
| | | | | 15पी | 0.016 |
| | | | | 71पी | 0.101 |
| | | | | 73पी | 0.010 |
| | | | | 75पी | 0.075 |
| | | | | 79पी | 0.010 |
| | | | | 82 | 0.399 |
| | | | | 83 | 0.194 |
| | | | | 84पी | 0.034 |
| | | | | 85पी | 0.218 |
| | | | | 86 | 0.466 |
| | | | | 87 | 0.126 |
| | | | | 89 | 0.010 |
| | | | | 90 | 0.021 |
| | | | | 91 | 0.025 |
| | | | | 92 | 0.101 |
| | | | | 93 | 0.056 |
| | | | | 94 | 0.066 |
| | | | | 95पी | 0.340 |
| | | | | 96पी | 0.244 |
| | | | | 97 | 0.176 |
| | | | | 98 | 0.322 |

328

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

1777 1656 323

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 0.320 |
| | | | | 100 | 0.202 |
| | | | | 102पी | 0.205 |
| | | | | 103पी | 0.031 |
| | | | | 104 | 0.038 |
| | | | | 105 | 0.177 |
| | | | | 106पी | 0.208 |
| | | | | 107पी | 0.013 |
| | | | | 109पी | 0.010 |
| | | | | 95/250 | 0.013 |
| | | | योग | | 6.364 |
| लखनऊ Lucknow | लखनऊ Lucknow | काकोरी - Kakori | सिकरोरी Sikrori | 540 | 0.003 |
| | | | | 541पी | 0.095 |
| | | | | 542 | 0.270 |
| | | | | 543पी | 0.528 |
| | | | | 544 | 0.010 |
| | | | | 545 | 0.185 |
| | | | | 546 | 0.013 |
| | | | योग | | 1.096 |
| | | | कुल योग | | 35.405 |

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है –लखनऊ में हरदोई रोड पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए लैण्ड फिल साइट योजना के लिए आवश्यकता है।

टिप्पणी:– भूमि का नक्शा कलेक्टर लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से

श्री कृष्ण
प्रमुख सचिव

Dhara-6-08(37)

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court
ALLAHABAD

1778 (687) 324

संख्या 2165 (1) 8–3–09–60 एलए/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को एक अंग्रेजी प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 के असाधारण गजट में दिनांक जून, 2009 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर गजट की 20–20 मुद्रित प्रतियाँ सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,

(राम निरंजन)
अनु सचिव।

संख्या 2165 (2) 8–3–09–60 एलए/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
3– जिलाधिकारी, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5– अपर जिलाधिकारी,(भू.अ.)।

आज्ञा से,

(राम निरंजन)
अनु सचिव।

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

ANNEXURE NO·A-8

(688) 325

1779

संख्या : 2028 /8–3–09–181विविध/2008

प्रेषक,

रमा शंकर साहू,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 12 मई, 2009

**विषयः–** भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 पर अन्तिम अनुमोदन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 5416/8–3–08–181विविध/08, दिनॉक 14.11.08 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रारूप कों प्रेषित करते हुए प्राधिकरण/परिषद बोर्ड के माध्यम से अंगीकृत किये जाने और स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दष्टिगत यदि कोई परिष्कार अपेक्षित हो तो बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत उपविधि में शासनादेश संख्या : 5899/8–3–08–181विविध/08, दिनॉक 20.11.08 द्वारा उपविधि के प्रस्तर–3.11.3.1 के बिन्दु संख्या–।।। में कतिपय संशोधन भी किये गये हैं।

2– उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 को अंगीकृत कर लिया गया है तथा कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त उपविधि को स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक परिष्कारों संहित अंगीकृत किया गया है तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा उक्त उपविधि को अंगीकृत नहीं किया जा सका है बल्कि उक्त उपविधि को संशोधन सहित आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में अंगीकृत किये जाने की सूचना दी गयी है।

3– इस संबंध में अवगत कराना है कि आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के प्रावधानों के मध्य एकरूपता लाये जाने तथा इसे समान रूप से समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पर लागू किये जाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अतः विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

1780 (1689) 326

दृष्टिगत किये गये परिष्कारों को शासन द्वारा औचित्यपूर्ण न पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया है।

4— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–5416/8–3– 2008–181विविध/2008 दिनांक 14.11.2008 द्वारा प्रेषित आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्राविधानों तथा प्रश्नगत उपविधि में शासनादेश संख्या : 5899/8–3–08–181विविध/08, दिनॉक 20.11.08 द्वारा उपविधि के प्रस्तर–3.11.3.1 के बिन्दु संख्या–।।। में किये गये कतिपय संशोधन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमाशंकर साहू)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सलाहकार, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत शासनादेश को आवास विभाग के बेबसाइट पर अपलोड करायें तथा इसे आगामी शासनादेशों के संकलन में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(एच.पी. सिंह)
अनुसचिव

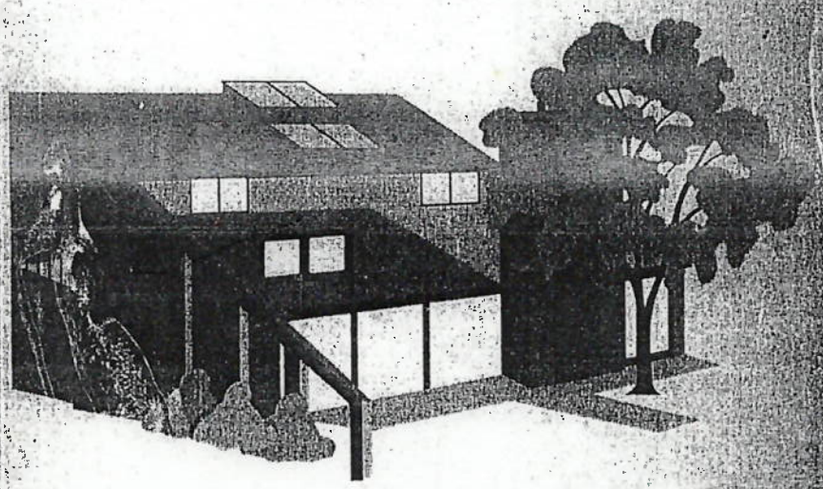
7/5/09

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

-35-
327
1490
1781

# विकास प्राधिकरण
# भवन निर्माण एवं विकास उपविधि
# 2008

(रमापति वर्मा)
मुख्य अभियन्ता



आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
नवम्बर, 2008

14.5.2009 को अधिसूचित।

COMMISSIONER FOR OATHS

(ख) समस्त विद्यमान संरचनाओं और 'फीचर्स' की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन/बिजली के खम्भे, अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन, आदि जो स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हों, दर्शाई जाएंगी।

(ग) भूखण्ड की समस्त मुख्य भौतिक विशेषताएं जिनके अन्तर्गत किसी जलाशय की स्थिति और लगभग आकार, बाढग्रस्त क्षेत्र और स्थल का ढाल (1:20 से अधिक होने पर 0.3 मीटर के अन्तराल पर समोच्च रेखाएं (कन्टूर) सहित) दर्शाई जाएंगी।

(घ) महायोजना/जोनल प्लान में स्थल की स्थिति।

(ङ) प्रयुक्त पैमाना और उत्तर दिशा-सूचक।

2.1.2.5 उप-विभाजन तलपट मानचित्र

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे:-

(I) पैमाना तथा उत्तर दिशा-सूचक।

(II) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सडकों की चौड़ाई।

(III) भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा 'रो-हाउसिंग', 'सेमी-डिटेच्ड' अथवा डिटेच्ड।

(IV) सार्विसेज़ प्लान जिसमें नालियों, वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।

(V) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।

(VI) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सडकें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाए तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग, (जो उप-विभाजन मे प्रस्तावित हो), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।

(VII) निर्मित क्षेत्र मे स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त (I) से (VI) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सडक से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएगी।

(VIII) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।

(IX) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे:-

(क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/हाइड्रोलॉजीकल /हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।



(ख) 20 एकड से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजीकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व 'स्टेगनेशन' का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाय और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस–रन–आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

(ग) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दशा में किया जाए।

(घ) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परिमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

(ङ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधो का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।

(च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोडकर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।

(छ) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

2.1.2.6 विशिष्टियाँ — भूखण्ड के उप–विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टियाँ व विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे :–

(I) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यो यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पेविंग, नालियाँ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग–प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।

(II) स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएं यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल–निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सडक, विद्युत–आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्त्रोत, इत्यादि।

(III) औद्योगिक इकाईयों की स्थिति में उत्सर्गों के प्रकार एवं मात्रा।

2.1.3 विकास अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना — प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु जमा कराये जाने वाले शुल्क (विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश/प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।

2.1.4 विकास अनुज्ञा हेतु अनुबन्ध — विकास अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार आवेदक के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।

2.1.5 विकास अनुज्ञा–पत्र की वैधता

(I) एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम पॉच वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राधिकरण से निर्धारित प्रकियानुसार प्राप्त किया जाएगा।

(II) प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक–एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम तीन बार वृद्धि दी जा सकती है।

2.1.6 विकास के प्रारम्भ की सूचना — अनुज्ञा के अधीन विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में दी जाएगी।

2.1.7 विकास के समय विचलन — विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।

2.1.8 पूर्णता प्रमाण–पत्र — विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–3) में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण–पत्र की सम्पूर्ण प्रकिया अनुलग्नक–2 के अनुसार होगी।

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

ANNEXURE NO. A-9

1785

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या :3087/8–3–2009–58एल.यू.सी/06
लखनऊ : दिनांक : 7 जुलाई, 2009

अनुभाग अधिकारी,
नगर विकास अनुभाग–5
उत्तर प्रदेश शासन।

जनहित याचिका संख्या–4436(एम./बी)/03 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–15.05.09 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति विवरण उपलब्ध कराने विषयक अनुसचिव,नगर विकास विभाग के पत्र संख्या–4450 (1)/नौ–5–09–4रिट/07टीसी, दिनांक–01.07.09 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक–03.07.09 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट जो आपको भी पृष्ठांकित है, की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-पत्रोक्त

(राम निरंजन)
अनु सचिव

COMMISSIONER FOR GATE ... High Court ALLAHABAD

U.O.-2009(28)

1786 (1699) 332

सं. 3087/Bms-3-09

# कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

| | |
|---|---|
| प्रेषक :<br>सचिव<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण,<br>प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड<br>गोमतीनगर, लखनऊ।<br>संख्या : 234/सु.अ0/2009<br>दिनांक : 03-7-09 | सेवा में,<br>**अनुसचिव**<br>आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-3<br>उ0प्र0 शासन,<br>लखनऊ।<br>नत्थी : ..... |

**विषय**

**जनहित याचिका संख्या-4436(एम.बी.)/03 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2997(1)/8-3-2009-58एल.यू.सी./08, दिनांक 2 जुलाई, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.09 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.09 में लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या/विवरण निम्नवत् है :-

1. महायोजना 2021 में प्रदर्शित लैण्ड फिल साइट हेतु हरदोई रोड पर ग्राम दशहरी, सिकरोरी, रायपुर व सलेमपुर पतौरा में परियोजना हेतु 38.672 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है जिसमें 35.405 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तथा 3.267 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित है। इस हेतु धारा-4 का प्रकाशन दिनांक 21.10.08 तथा धारा-6 का प्रकाशन दिनांक 25.06.09 को कराया जा चुका है। भूमि अर्जन के लिये वर्तमान समय तक कुल रू0 9.23 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। अन्य स्थानों पर लैण्ड फिल साइट हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा लैण्ड फिल साइट का चयन किया जा चुका है एवं भूमि निर्माण एजेंसी सी. एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जा चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.09 के प्रथम चार प्रस्तरों में लैण्ड फिल साइट से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को निर्देश दिये गये है जिस क्रम में वांछित अनुपालन/कार्यवाही उनके स्तर से ही होनी है। लैण्ड फिल साइट के सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1618/सं.नि./09, दिनांक 06.04.09 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी विस्तृत सूचना की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

Today



Urgent-6-pm

COMMISSIONER FOR OATHS

1787 (1696) 333

2. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.09 में वाटर हार्वेस्टिंग से सम्बन्धित बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया में वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में किया गया है। इसके अनुसार ही मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान करते हुये इसे दिनांक 14.05.09 को प्रकाशित/अधिसूचित किया जा चुका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की विधि से जन सामान्य को अवगत कराने के लिये प्राधिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित ब्रोशर/विवरण-पत्र प्रकाशित कराके समय-समय से जनहित में वितरित कराया गया है। स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिये 1351 सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा नोटिस दी गयी है। जिस क्रम में 116 व्यक्तियों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पूर्ण करा ली गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

दि. 02/04/09

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

COMMISSIONER ... High Court ALLAHABAD

( D:\Log105\CE (IMP)\Letters\Dock.let0397.doc )

1788 (1697) 334

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No.

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003




Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

**APPLICATION FOR TAKING THE STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.05.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT ON RECORD**

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to take the same on record.

Such other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the nature and circumstances of the case may also kindly be passed in favour of the said opposite party.

Lucknow

Dated : 09.07.2009

**(Namit Sharma)**
Advocate
Counsel for Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.

1789 698 335

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

2009 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 0154056

COMMISSIONER FOR OATH

High Court L. No. 1 COURT FEE 10 Rs. INDIA TEN RUPEES

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

**STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.05.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, D.K. Sharma, aged about 56 years, son of Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 25.08.2008 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass the following order, relevant portion of the same is being reproduced herein as under:-

"By the next date was listing orders dated 20th August, 2007, 27th March 2008 and 21st July 2008 passed by this Court be complied with and progress report of the work done be submitted. Sri D.K. Upadhyaya says that he will submit necessary report as per the aforesaid orders by the next date".

COMMISSIONER FOR OATH 9/7/09

"We expect that all authorities who are concerned with the cleaning of River Gomti shall, in the meantime, take appropriate step. We also expect that since rainy season is approaching, all the concerned authorities of the State Government and other authorities would take such measures/steps so that no water logging takes place and drinking water may not be contaminated. It goes without saying that the provisions for installation of hand-pumps and tube-wells may be made so as to cater the need of drinking water during summer season in the whole city of Lucknow and action with respect to repairs of the hand-pumps and tube-wells may also be taken and it shall be done so that the public may not suffer inconvenience due to the scarcity of drinking water".

3. That in compliance of the aforesaid direction made by this Hon'ble Court on 15.05.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Lucknow Jal Sansthan, Lucknow in compliance of the same, thereby mentioning the details of work undertaken by the authorities under the JNNURM and others.

4. That in compliance of the aforesaid order to ensure pure and safe supply of drinking water the Lucknow Jal Sansthan has installed Chlorine Dozing Plant at each and every tube-well in each Zone.

5. That further in continuation to above for Chlorine Testing of drinking water a joint inspection team comprising of representatives of Chief Medical Officer (Deputy Chief Medical Officer), Zonal Health Officer of Nagar Nigam Lucknow and Assistant Engineer of Lucknow Jal Sansthan has been found which is entrusted with the job of taking water sample and thus testing it to ensure pure and safe supply of drinking water. True copy of details of testing report in the Form of chart for the

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad
21/7/09

month of May –June, 2009 is annexed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

6. That the Lucknow Jal Sansthan has taken all steps and measures to prevent contamination of drinking water by conducting regular drives with regard to repair of leakage and disconnection of illegal connection and connections taken from Alkathiene Pipe (Plastic Pipe) in all the zones throughout Lucknow City. True copy of zone-wise chart of said drive is enclosed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

7. That so for as installation of new tube wells under JNNURM is concerned out of 40 new tube wells, works of all the 40 new tube wells has been completed and commissioned. In addition to this installation of 21 tube well under five piped water supply schemes, the work of 10 tube wells has been completed and the work of 7 tube wells are in progress. A photocopy of the chart is being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

8. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells under JNNURM is concerned, the work of all 43 rebore tube wells has been completed. A photocopy of progress chart has already being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

9. That it is submitted that target of re-boring/special repair of 140 handpumps was fixed under District Plan (Urban) 2009-10. Out of which all the 99 re-boring/special repair has been completed. A photocopy of progress chart has already being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

10. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 4 tube wells have been completed and the work

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Ahmedabad
2/7/09

1792 (1701) 338



for 1 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells have been rebored. A photocopy of progress chart in this respect is already being annexed as **Annexure No. 3** to this affidavit.

11. That it is further submitted that in addition to JNNURM, reboaring of 8 tube wells in water scarcity areas have been completed by the Lucknow Jal Sansthan from its own fund. A photocopy of chart indicating reboaring of said tube wells is annexed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

12. That it is further submitted that with regard to repairs of handpumps and tube wells suitable steps have been taken by the Lucknow Jal Sansthan in all the zones through out the city of Lucknow. True copy of zone wise of chart of said repair work done by Lucknow Jal Sansthan is being annexed herewith as **Annexure No. 5** to this affidavit.

13. That it is further pertinent to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan has filed its compliance affidavit in light of each and every order passed by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

14. That from the narration made herein above it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 15.05.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow

Dated : 09.07.2009

**DEPONENT**

COMMISSIONER FOR OATH
9/7/09

## Verification

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 14 of this affidavit are true to my personal knowledge and those of

1793 (1702) 339



paras 1 to 7 are believed by me to be true on the basis of record and paras 8 to 11 are based on legal advise. No part of its is false and nothing material has been concealed therein.

So help me God.

Lucknow

Dated : 09.07.2009

**DEPONENT**

I identify the deponent who has signed before me.

**(Namit Sharma)**
Advocate

Solemnly affirm before me on 9/7/2009 at about 12.25 P.M. a.m./p.m. by the deponent who is identified by D.K. Sharma the deponent, who is identified by Sri Namit Sharma Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

A. NOOR KHANAM
Advocate
OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench Lucknow
No. 15456 Dt. 9/7/09

**Oath Commissioner**

COMMISSIONER FOR OATH 9/7/09

1794 (1703) 340 (6)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2009 (MB)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. & Ors

# ANNEXURE NO. 1

## संयुक्त टीम द्वारा जून–2009 माह में किये गये ओ0 टी0 टेस्ट का विवरण

| क्रम सं0 | दिनांक | जोन सं0 | परीक्षण किये गये नमूनो की संख्या | परिणाम धनात्मक | ऋणात्मक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.6.09 | 1 | 11 | 11 | – | |
| 2. | 2.6.09 | 2 एवं 6 | 14 | 14 | – | |
| 3. | 3.6.09 | विकास नगर | 13 | 13 | – | |
| 4. | 4.6.09 | 4 | 13 | 13 | – | |
| 5. | 5.6.09 | 5 | 10 | 10 | – | |
| 6. | 6.6.09 | 6 | 12 | 12 | – | |
| 7. | 8.6.09 | 1 | 12 | 12 | – | |
| 8. | 9.6.09 | 2 | 15 | 15 | – | |
| 9. | 10.6.09 | 3 एवं विकास नगर | 14 | 14 | – | |
| 10. | 11.6.09 | 4 | 12 | 12 | – | |
| 11 | 12.6.09 | 3 | 15 | 15 | – | |
| 12 | 13.6.09 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1–358/172 बिहारी पुर 2–एम0 आई0 जी0/750 टिकैतराय तालाब कालोनी पुनः ओ0 टी टेस्ट मे कलोरीन प्राप्त हुई |
| 13 | 15.6.09 | 1 | 11 | 11 | – | |
| 14. | 16.6.09 | 6 एवं 2 | 14 | 14 | – | |
| 15. | 18.6.09 | 4 | 15 | 15 | – | |
| 16. | 19.6.09 | 5 | 12 | 12 | – | |
| 17. | 20.6.09 | 6 | 13 | 12 | 1 | स्टै0 पो0 मुअज्ज़म नगर–पुनः ओ0 टी टेस्ट पर क्लोरीन प्राप्त हुई |
| 18. | 23.6.09 | 6 एवं 2 | 15 | 15 | – | |
| 19. | 25.6.09 | 4 | 12 | 12 | – | |
| 20. | 26.6.09 | 5 | 12 | 12 | – | |
| 21. | 27.6.09 | 6 | 12 | 12 | – | |
| 22. | 29.6.09 | 1 | 10 | 10 | – | |
| 23. | 30.6.09 | 2 | 13 | 13 | – | |
| | | कुल | 293 | 290 | 3 | |

नोटः– तीनों ऋणात्मक स्थानों के जल के नमूने जीवाणु परीक्षण हेतु राज्य स्वास्थय संस्थान लखनऊ भेजे गये जिसकी रिपोर्ट अभी तक नही प्राप्त हुई।

COMMISSIONER FOR OATH

कैमिस्ट

अधिशासी अभियन्ता (मु0)

1795 (1704) (7) 341

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2009 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. & Ors

**ANNEXURE NO. 2**

## लखनऊ जल संस्थान

लीकेज मरम्मत व काटे गऐ अल्काथीन कनेक्शनो का जोनवार विवरण :–

| क्रसं0 | ज़ोन | लीकेज मरम्मत की सं0 | काटे गऐ अल्काथीन कनेक्शनो की सं0 | काटे गये अवैध जल संयोजनो की सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 98 | 13 | 5 |
| 3 | 3 | 167 | 80 | 11 |
| 4 | 4 | 91 | 5 | 1 |
| 5 | 5 | 119 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 139 | 20 | 3 |
| | कुलः | **731** | **125** | **25** |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2009 (M/S)
Sewage Treatment Plant VERSUS
**ANNEXURE NO. 3**

संलग्नक - 6

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 30.04.09 तक कुल प्रगति | 30.04.09 से 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 36 नग चालू, 4 नग प्रगति पर। | 4 नग चालू। | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 7 नग चालू, 10 नग प्रगति पर। | 3 नग चालू। | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 94.50 कि.मी. | 7.14 कि.मी. | 101.64 कि.मी. | 25.64 कि.मी. कमीशन्ड, 25.00 कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 43 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 14 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण कर नलकूप चालू किया गया। | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | - | 99 नग | 99 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू | 4 नग चालू तथा, 1 नग प्रगति पर। | 1 नलकूप पर विद्युत संयोजन प्राप्त होना शेष है। |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

COMMISSIONER FOR OATH

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

1797 (1706) (9) 343

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2009 (M/B)
Sewage Treatment Plan VERSUS State of U.P. & Ors

**ANNEXURE NO. 4**

## लखनऊ जल संस्थान

जल संस्थान द्वारा अपने स्रोतो से कराये जाने वाले रिबोर नलकूपों की सूची :–

| क0सं0 | नलकूप का नाम | लाभान्वित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | मुण्डवीर | गोपालपुरी, मुण्डवरी, पकरी |
| 2 | से0–ई, कानपुर रोड | दामोदर क्षेत्र से0–ई का क्षेत्र |
| 3 | मोतीझील | मोतीझील, सचिवालय कालोनी, पाण्डेय का तालाब |
| 4 | गाडी अड्डा | कटरा खुदायार खां, सहादतगंज, नूरबाडी |
| 5 | बाग आइना बीबी | बाग आइना बीबी का क्षेत्र, माता सुग्गा देवी |
| 6 | ए0पी0 सेन रोड | ए0पी0 सेन रोड, चारबाग, सुदामापुरी कालोनी |
| 7 | सचिवालय कालोनी, राजाजीपुरम | सचिवालय कालोनी एवं आस–पास का क्षेत्र |
| 8 | रूचीखण्ड–।। | रूचीखण्ड–।। का क्षेत्र |

सचिव

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

1798 1707 (10) 344

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2009 (M/S)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. & Ors

**ANNEXURE NO. 5**

## लखनऊ जल संस्थान

**हैण्डपम्पो व नलकूप मरम्मत का जोनवार विवरण :–**

| कसं0 | ज़ोन | हैण्डपम्प मरम्मत की सं0 | नलकूपो की सं0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | 8 |
| 2 | 2 | 68 | 4 |
| 3 | 3 | 113 | 18 |
| 4 | 4 | 57 | 4 |
| 5 | 5 | 52 | 5 |
| 6 | 6 | 91 | 11 |
| | कुलः | **409** | **50** |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR OATH
High Court Allahabad

1799 (1708) 345

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No.

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003




Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

**APPLICATION FOR TAKING THE STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM, LUCKOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.05.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT ON RECORD**

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to take the same on record.

Such other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the nature and circumstances of the case may also kindly be passed in favour of the said opposite party.

Lucknow

Dated : 09.07.2009

**(Namit Sharma)**
Advocate
Counsel for Nagar Nigam,
Lucknow.

1050 1709 346

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003







Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

Status report on affidavit in compliance of order dated 15.5.2009 passed by this Hon'ble Court

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 53 years, s/o Late Subedar Singh, presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow, the deponent do here by solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That the aforesaid writ petition was last listed on 15.5.2009 where by this Hon'ble Court was pleased to pass following order :

" Sri Shailesh Kumar Singh further informs that he has already carried out the work of aerial distance of airfield and

1801 (1)310 347

that he requires some more time to get the required clearance from NEERI. He expects that all clearance will come by 30th June 2009.

We expect that necessary exercise shall be undertaken without any delay and required information shall be sent to the NEERI, which on its turn shall submit its report at the earliest without any unreasonable delay, preferably by 30th June, 2009.

In respect of site of Gandhi Setu the Municipal Commissioner shall take all necessary steps as directed by NEERI in its earlier correspondence and whatever steps have been taken or are to be taken by the Nagar Nigam for meeting the said problem, shall be informed to NEERI and a report with respect to the same shall be taken from NEERI and filed before the Court."

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 15.5.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Nagar Nigam Lucknow in compliance of the said order.

4. That in compliance of aforesaid order passed by this Hon'ble Court as indicated above the State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh vide its letter no. 969/SEAC/258/AD(Y)/08 dated 10th June, 2009 addressed to the General Manager, Construction and Design Services, Jal Nigam with regard to Environmental clearance for Solid Waste Management Scheme in Lucknow of the landfill site near Village Dasehri on Hardoi Road, has cleared the terms of reference for preparation and submission of the Environmental Impact Assessment Report and the Environmental Management Plan in accordance with the following , the relevant portion of the same is being reproduced herein as under :-

(a) The Project of Solid Waste Management Scheme of Lucknow is covered under screening category "7i" of the EIA notification dated 14/9/2006.

COMMISSIONER FOR ... ALLAHABAD

9/7/09

1802 (1711) 348

(b) 15 Km. radius map (on survey of India toposheet) showing co-ordinates of project site, national highway, state highway, district road/approach road river, canal, natural drainage, protected areas, under Wild Life (Protection) Act, archaeological site, natural lake , flood area, human settlements ( with population), industries, high tension electric line, prominent wind direction (summer and winter), effluent drain, if any and ponds etc should be presented and impacts assessed on the same.

( c) Status of ambient air quality and surface and ground water quality, soil type, cropping pattern, land use pattern, population, socio-economic status, and anticipated air and water pollution should be given in detail.

(d) Clarification regarding General Conditions as specified in the schedule of activities of notification dated 14/9/2006 issued by the MoEF, Government of India.

(e) The EIA should also address to a parawise compliance status of the project site and other project details with reference to the provisions of the Municipal Solid Wastes (Management Handling Rules, 2000).

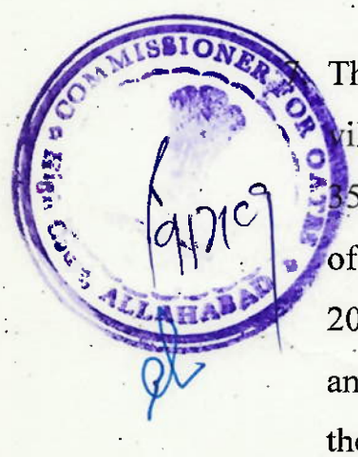
Further it is pertinent to mention over here that the aforesaid letter dated 10th June, 2009 of the State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh has been forwarded to M/s Grass Roots Research and Creation Pvt., Ltd. New Delhi by the Construction and Design Services, Jal Nigam vide letter no. 210/G-2-16/09 dated 16th June, 2009 for preparation of the Environmental Impact Assessment Report and the Environmental Management Plan. True copy of said State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh letter dated 10th June, 2009 and said letter dated 16th June, 2009 issued by Construction and Design Services, Jal Nigam are being annexed herewith as **Annexure No.-1 and 2** respectively to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
19/12/09

1803 (1712) 349

5. That in light of above, necessary studies and surveys recommended by the State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh have been undertaken and the Environmental Impact Assessment report and the Environmental Management Plan is in the final stages of preparation and shall be submitted soon by M/s Grass Roots Research and Creation Pvt. Ltd. New Delhi for Environmental clearance to the State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh. As soon as the said report is received by Jal Nigam at the end of M/s Grass Roots Research and Creation Pvt. Ltd. New Delhi, the same shall be forwarded to NEERI for needful at its end.

6. That further in compliance of the aforesaid order it is pertinent to mention over here that the deponent in his affidavit dated 4th May, 2009 filed in aforesaid case has filed a letter dated 1st May, 2009 issued by Executive Engineer , Sharda Canal, Lucknow addressed to Nagar Nigam Lucknow had informed that the Irrigation Department is constructing the bund between Gandhi Setu and the La Martenier bund for reclaiming of 21.00 acres of un-utilized (Nishprayojya) land. The project of construction of the said bund for reclamation of the land has been approved by the Ganga Flood Control Council, under the Ministry of Water Resources, Government of India. Under the said project the bund is being constructed in a length of 750.0 meters in which the width at top of bund will be 5.50 meters and the river side slope will be covered with geotextile and pitched 60cm, thick stone boulder pitching. The top level of the bund will be 113.64 meters as per the prevalent standard of the Central Water Commission.




That further in compliance of the said order the land on Hardoi road, village Dasehri, Sikrauri, Salempur Pataura and Raipur admeasuring 35.405 hectares has been identified and notified under section 6(1)/16 of the Land Acquisition Act, 1894 vide notification no. 2165/8-3-2009-60L.A./2009 Lucknow dated 25th June, 2009 by the Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh thereby directing the Collector for acquiring the said land under section 7 of the aforesaid Act. True copy of said notification dated

1804 (1713) 350

25th June, 2009 is being annexed herewith as **Annexure No.-3** to this affidavit.

8. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 15.05.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow
Dated: 9.07.2009

**DEPONENT**

**Verification**

I the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 8 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of this is false and nothing material has been concealed therein.

Signed and verified on this 9th day of July, 2009 at Lucknow.

Lucknow:
Dated: 9.07.2009

**DEPONENT**

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by Shri Shailesh Kumar Singh the deponent on 9/7/09 at 4.15 A.M./P.M. who has been identified by Namit Sharma Advocate, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD 917

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date Copies No

1805

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------- Petitioner

Versus

State of U.P. and others ---------- Opposite parties

ANNEXURE NO. 1

स्पीड पोस्ट

# State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh


**Directorate of Environment, U.P.**
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : up.seac@yahoo.com


Ref: 969 /SEAC/258/AD(Y)/08 Date 10 June, 2009

To,

Shri V.P.Singh,
General Manager, Construction and Design Services,
U.P. JalNigam,2, Lai Bahadur Shashtri Marg,
Lucknow-226001

Sub: Regarding Environmental clearance for Solid Waste Management Scheme in Lucknow.

Sir,

Please refer to your letter no. 87/G-2-18/03 dated 26/02/09 addressed to the Director, Environment and Secretary, State Level Expert Appraisal Committee, Lucknow on the subject as above. The Committee was informed that the project was considered in the SEAC meeting dated 17/11/08 for "Scoping". The additional terms of reference were communicated to the project proponents vide letter dated 02/01/09 as per recommendations of SEAC. Project proponents Construction and Design Services, Uttar Pradesh Jal Nigam, Lucknow has informed vide letter dated 26/02/09 that the land for the project is now shifted/ acquired next to Hardoi Road near Village Daschri. The Committee deliberated since the site of the project is now changed, the scoping process is required to be revised with reference to the new site. The project proponents made a presentation on the proposed terms of reference and given to understand that:

1. The Environmental clearance is sought for the development of sanitary land fill and composting at a site next to Hardoi road near Village Daschari.
2. Size of the project is 98 Acres.
3. Facilities for treatment of 1198.7 TPD solid wastes and its leachate are proposed.
4. The project is covered under screening category "7i" of the EIA notification 14/09/06.

The General Condition attached to the list of the Project activities requiring Environmental Clearance as given in Gazette Notification no. S.O.1533 (E) Dated 14-09-2006 issued by Govt. of India which reads as follows "Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries." In this connection, I

13/6/09

1806 7 ~~1775~~ 352

have been directed to inform you that incase any of the criteria are violated; the Project Proponent would take the Clearance of Govt. of India as provided.

The Committee has unanimously decided that the project requires an Environment Impact Assessment and Management Plan report and that the public hearing is essentially required.

The Committee discussed in details Terms of Reference for the preparation of EIA and EMP submitted by the Projects Proponents vide letter. The Committee deliberated that all the issues submitted vide above document dated 26/02/09 shall be taken into consideration for preparing the E.I.A The Committed felt that in so far as the Terms of Reference have been designed in accordance to guidelines published by MoEF, they appear to be quite comprehensive and must be followed. The Committee decided that EIA should strictly follow the methods of monitoring and analysis, Annexure-IV: guidance for assessment of the representativeness and reliability of baseline environmental attributes detailed under EIA manual, January 2001 and the other guidelines in the matter.

The Committee also suggested the addition of following studies to the proposed Terms of Reference submitted by the Project Proponents:

1. Study regarding impact on mango belt/ orchids.
2. Appendix-3 of EIA notification 2006 shall be followed for preparing the Environment impact assessment report.
3. The criteria for assessing waste generation should be clearly specified.
4. The System of leachate collection should be specifically described.
5. 15 km radius map (on survey of India toposheet) showing co-ordinates of project site, national highway, state highway, district road/approach road, river, canal, natural drainage, protected areas, under Wild Life (Protection) Act, archaeological site, natural lake, flood area, human settlements (with population), industries, high tension electric line, prominent wind direction (summer and winter), effluent drain, if any and ponds etc should be presented and impacts assessed on the same.
6. A Layout plan of project site showing solid waste storage, green belt (width & length, 33% of the project area), all roads, prominent wind direction, processing plant & buildings etc should be provided.
7. The Land use certificate from the competent Authority should be submitted.

MISSIONER FOR GAT

191

1807 8476 353

8. Status of ambient air quality and surface ana ground water quality, soil type, cropping pattern, land use pattern, population, socio-economic status, and anticipated air and water pollution should be given in detail.
9. Topography of the area indicating whether the site requires any filling. If so, details of filling, quantity of fill material required its source and transportation etc.
10. Impact on the drainage and nearby habitats/settlements (surroundings)
11. Surface hydrology and water regime and impact on the same.
12. One complete season AAQ data (except monsoon) with the dates of monitoring. Impact of the project on the AAQ of the area (including H2S, CH4 )
13. Detailed plan of waste management.
14. Details of sanitary land fill site impermeability and whether it would be lined, if so detail thereof.
15. Ground water quality around the project site (including heavy metals and pesticides)
16. Assessment of the site in view of impact on smooth movement in religious/pilgrimage areas.
17. Impact of Anticipated Secondary development.
18. Impact on Environmental Sensitive Areas.
19. Details of rehabilitation/compensation package for the project effected people.
20. Public hearing points raised and commitment of the project proponent on the same.
21. Item wise cost of EMP implementation.
22. Impact on occupational health.
23. Impact of rivers especially during flood period.
24. Clarification regarding General Conditions as specified in the schedule of activities of notification dated 14.9.2006 issued by the MoEF, Government of India.
25. EIA should address the state of all statutory Clearances and knock out criteria.
26. Details of Institutional framework for Environment Management Plan/Cell.
27. Critical parameters are to be monitored/analysed by MOE&F certified laboratory.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD
917

1808 (9) 354

28. The EIA should also address to a parawise compliance status of the project site and other project details with reference to the provisions of the Municipal Solid Wastes(Management Handling Rules,2000)

This is to request you to take further necessary actions in the matter as per provisions of Gazzaette Notification No. SO 1533 E dated 14/09/06 issued by MoEF, Govt. of India.

(Dr. Yashpal Singh)
Director,Environment
And
Secretary,SEAC

**Copy for necessary action to:**

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road ,New Delhi
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Administrative Officer, Directorate of Environment for Monitoring and Web Updation.

(Dr. Yashpal Singh)

COMMISSIONER FOR CATE... High Court, ALLAHABAD

1912

1809

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite parties

ANNEXURE NO. 2


# कन्सट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज़

0522-2237801(Ph.)
2237768(PBX)
2239088(FAX)

## उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ - 22 6001


पत्र सं० 10/सी.डी.-2-16/09 दिनांक 16.6.09

सेवा में,

मै० ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड क्रिएशन प्रा०लि०,
जी-52, कालकाजी,
नई दिल्ली-110019

**विषय:-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लखनऊ हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 969/एसईएसी/258/एडी(वाई)/08 दि० 10.06.2009 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लखनऊ से सम्बन्धित एडिशनल टी०ओ०आर० प्रेषित की गयी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कृपया पत्र में इंगित धाराओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए एडिशनल टी०ओ०आर० प्राथमिकता पर तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

16/6/09
(विजय प्रताप सिंह)
महाप्रबन्धक(नो०-2)

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक(नि-3), सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-06, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

16/6/09
महाप्रबन्धक(नो०-2)

COMMISSIONER FOR

9/17

1810 (11) f 356

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite parties

ANNEXURE NO. 3

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2165/8–3–2009–60एल0ए0/2009
लखनऊः दिनॉकः जून, 2009

## अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या–545/8– (भू0अ0)/न0म0पा0–द्वितीय/लखनऊ दिनांक 21.10.2008 के क्रम में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–6(1)/16 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात लखनऊ में हरदोई रोड पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए लैंड फिल साइट योजना के लिए आवश्यकता है, और उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन लखनऊ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करें।

## अनुसूची

| जिला | तहसील | परगना | ग्राम | खसरा नं0 | क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | लखनऊ | काकोरी | दशहरी | 263 पी | 0.075 |
| | | | | 264पी | 0.020 |
| | | | | 265 पी | 0.200 |
| | | | | 279पी | 0.037 |
| | | | | 280पी | 0.120 |
| | | | | 283 | 0.051 |
| | | | | 284 | 0.392 |

1811

(12) 357

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 285 | 0.339 |
| | | | | 286 | 0.309 |
| | | | | 288 | 0.170 |
| | | | | 289पी | 0.457 |
| | | | | 290पी | 0.090 |
| | | | | 294पी | 0.502 |
| | | | | 296पी | 0.034 |
| | | | | 297 | 1.947 |
| | | | | 298पी | 0.127 |
| | | | | 299 | 0.261 |
| | | | | 303 | 0.326 |
| | | | | 304 | 0.120 |
| | | | | 306 | 0.167 |
| | | | | 307 | 0.126 |
| | | | | 310 | 0.213 |
| | | | | 311 | 0.122 |
| | | | | 312 | 0.076 |
| | | | | 313 | 0.054 |
| | | | | 314 | 0.092 |
| | | | | 315 | 0.141 |
| | | | | 316 | 0.028 |
| | | | | 317 | 0.259 |
| | | | | 318 | 0.202 |
| | | | | 319 | 0.314 |
| | | | | 320 | 0.707 |
| | | | | 321पी | 0.076 |
| | | | | 322पी | 0.019 |
| | | | | 436पी | 0.220 |
| | | | | 437 | 0.606 |
| | | | | 440 | 0.253 |
| | | | | 441पी | 0.158 |
| | | | | 442 | 0.198 |
| | | | | 443 | 0.084 |
| | | | | 444पी | 0.021 |
| | | | योग | | 9.743 |
| लखनऊ Lucknow | लखनऊ Lucknow | काकोरी Kakori | सलेमपुर पतौरा Salempur Pattura | 2 | 0.884 |
| | | | | 3 | 0.830 |

1/917

1912 1921 1720 13 958

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 0.545 |
| | | | | 5 | 0.076 |
| | | | | 6पी | 0.045 |
| | | | | 7पी | 0.031 |
| | | | | 49 | 0.132 |
| | | | | 50 | 0.104 |
| | | | | 70 | 0.240 |
| | | | | 71 | 0.254 |
| | | | | 72 | 0.616 |
| | | | | 75 | 0.367 |
| | | | | 76 | 0.307 |
| | | | | 77 | 0.081 |
| | | | | 79 | 0.177 |
| | | | | 80 | 0.934 |
| | | | | 84 | 1.857 |
| | | | | 85 | 0.101 |
| | | | | 86 | 0.454 |
| | | | | 87 | 0.242 |
| | | | | 88 | 0.031 |
| | | | | 89 | 1.264 |
| | | | | 92 | 0.213 |
| | | | | 93 | 0.948 |
| | | | | 94 | 0.733 |
| | | | | 95 | 0.068 |
| | | | | 96 | 0.732 |
| | | | | 98 | 0.289 |
| | | | | 99 | 0.265 |
| | | | | 100 | 0.400 |
| | | | | 101 | 0.242 |
| | | | | 102 | 0.649 |
| | | | | 103 | 0.308 |
| | | | | 105 | 0.650 |
| | | | | 106पी | 1.252 |
| | | | | 107पी | 0.031 |
| | | | | 108पी | 0.690 |
| | | | | 109पी | 0.247 |
| | | | | 110 | 0.362 |

COMMISSIONER FOR [illegible] Court, [illegible]

917

1813

(14) ~~1112~~ 359

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 116पी | 0.205 |
| | | | | 118पी | 0.356 |
| | | | योग | | 18.212 |
| लखनऊ Lucknow | लखनऊ Lucknow | काकोरी Kakori | रायपुर Raipur | 1पी | 0.130 |
| | | | | 4पी | 0.370 |
| | | | | 5 | 0.114 |
| | | | | 6 | 0.192 |
| | | | | 7 | 0.078 |
| | | | | 8 | 0.169 |
| | | | | 9 | 0.164 |
| | | | | 10 | 0.051 |
| | | | | 11 | 0.192 |
| | | | | 12 | 0.111 |
| | | | | 13 | 0.422 |
| | | | | 14पी | 0.027 |
| | | | | 15पी | 0.016 |
| | | | | 71पी | 0.101 |
| | | | | 73पी | 0.010 |
| | | | | 75पी | 0.075 |
| | | | | 79पी | 0.010 |
| | | | | 82 | 0.399 |
| | | | | 83 | 0.194 |
| | | | | 84पी | 0.034 |
| | | | | 85पी | 0.218 |
| | | | | 86 | 0.466 |
| | | | | 87 | 0.126 |
| | | | | 89 | 0.010 |
| | | | | 90 | 0.021 |
| | | | | 91 | 0.025 |
| | | | | 92 | 0.101 |
| | | | | 93 | 0.056 |
| | | | | 94 | 0.066 |
| | | | | 95पी | 0.340 |
| | | | | 96पी | 0.244 |
| | | | | 97 | 0.176 |
| | | | | 98 | 0.322 |

SSIONER

9/17

1814

15 (1429)

360

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 99 | 0.320 |
| | | | | 100 | 0.202 |
| | | | | 102पी | 0.205 |
| | | | | 103पी | 0.061 |
| | | | | 104 | 0.038 |
| | | | | 105 | 0.177 |
| | | | | 106पी | 0.289 |
| | | | | 107पी | 0.013 |
| | | | | 109पी | 0.010 |
| | | | | 95/250 | 0.013 |
| | | | योग | | 6.354 |
| लखनऊ Lucknow | लखनऊ Lucknow | काकोरी Kakori | सिकरोरी Sikrori | 540 | 0.003 |
| | | | | 541पी | 0.095 |
| | | | | 542 | 0.270 |
| | | | | 543पी | 0.526 |
| | | | | 544 | 0.010 |
| | | | | 545 | 0.180 |
| | | | | 546 | 0.013 |
| | | | योग | | 1.096 |
| | | | कुल योग | | 35.405 |

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है –लखनऊ में हरदोई रोड पर सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए लैण्ड फिल साइट योजना के लिए आवश्यकता है।

टिप्पणी:– भूमि का नक्शा कलेक्टर लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से

श्री कृष्ण
प्रमुख सचिव

Dhara-6-08(37)

COMMISSIONER FOR High Court

1917

1015 (16) 1124 361

संख्या 2165 (1) 8–3–09–60 एलए/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को एक अंग्रेजी प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 के असाधारण गजट में दिनांक जून, 2009 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर गजट की 20–20 मुद्रित प्रतियाँ सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,

(राम निरंजन)
अनु सचिव।

संख्या 2165 (2) 8–3–09–60 एलए/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
3– जिलाधिकारी, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5– अपर जिलाधिकारी,(भू.अ.)।

आज्ञा से,

(राम निरंजन)
अनु सचिव।

Dhara-6-08(34)

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

9/7/19

1816

362
1725

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD**

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 09/07/2009

**(I.P. Singh)**
Advocate,
Counsel for Deponent

1817

1726
363

**IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 15-05-2009 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM**

I, Akhil Kumar Mittal, aged about 55 years, son of late Sri S.N. Mittal presently posted as Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, UP. Jal Nigam, Lucknow and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

COMMISSIONER FOR OATHS
9/2/09
ALLAHABAD

2. That on 15-05-2009 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to furnish a report with respect to the steps which have been taken for the

1818 (A27) 364

establishment of sewage treatment plant and third water works which are essential for supply of water and for treatment of sewerage.

3. That it is submitted that That UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal.

4. It is further submitted that Jal Nigam is preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

5. That for Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. The Ministry of Urban Development, Govt. of India has sanctioned the DPR of Sewerage District-III Part-I for an amount of Rs. 262.16 Crore in the meeting of C.S.M.C. dated 21.11.2008 and Sewerage District-III Part-II for an amount of Rs. 214.43 Crore in the meeting dated 29.12.2008.

6. That the detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is being annexed as **ANNEXURE NO.I** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD 917

7. That the Government of India / U.P. Government has released Rs. 100.39 Crore upto 30.06.2009 against detailed

1819 (1728) 365

project report of Sewerage District-I (amounting to Rs.236.23 crore). The Govt. of India has released Rs. 32.77 Crore for Sewerage District-III Part-I on dated 16.12.2008 and Rs. 26.18 Crore for Sewerage District-III Part-II. The matching grant of 1st installment 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. Funds for Sewerage District-III Part-I and II yet to be received by U.P. Jal Nigam.

8. That the sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 165.00 Km of sewer line has been laid. The work of construction of sewage pumping station and STP has been started and in progress. An expenditure of Rs. 85.70 Crore has been made upto 30.06.2009 against release of Rs. 100.390 Crore. A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **ANNEXURE NO. II** to this affidavit.

9. It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as **ANNEXURE NO. IV & ANNEXURE NO. V** to this affidavit.

10. That so far concrete steps in regard to progress of Sewage Treatment Plant is concerned, it is submitted that the land for construction of 345 mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process and clearance from pollution control board and forest department, the work for STP has been started on 18.7.2008. The required progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood during July to October 2008 in Gomti river but now work is going on in

COMMISSIONER FOR OATHS ★ High Court, ALLAHABAD ★

9/7

1820 (1729) 366

full swing and 55% of work has been completed upto 30.06.2009. The progress of different component of 345 mld STP is annexed as **ANNEXURE NO. III** to this affidavit.

11. That so far installation of new tube wells under JNNURM is concerned out of 40 new tube wells, works of all the 40 new tube wells has been completed and commissioned. In addition to this installation of 21 tube wells under five piped water supply schemes, the work of 10 tube wells has been completed and the work of 7 tube wells are in progress. A photocopy of the chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

12. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells under JNNURM is concerned; the work of all 43 rebore tube wells has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

13. That it is submitted that target of re-boring / special repair of 140 handpumps was fixed under District Plan (urban) 2009-10. Out of which all the 99 re-boring / special repair has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

14. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 4 tube wells have been completed and the work for 1 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

9/7

15. That so far concrete steps in regard to progress of IIIrd Water Works is concerned, 8 Hectare land near Katautha Jheel has been acquired for third water works and the works for boundary wall has been completed. Irrigation Department has agreed to provide 100 cusec Raw Water from Sharda Canal for IIIrd Water Works, the formal order is yet to be received from Irrigation Department. The works for clear water treatment plant, 10 Nos. underground water storage tank, clear water feeder main, development of intake works and dredging, development and beautification works of Katautha Jheel are in progress. A photocopy of the chart showing progress of different component of IIIrd Water Works is being annexed as **ANNEXURE NO. VII** to this affidavit.

16. That it is submitted that financial progress of water supply schemes is annexed as **ANNEXURE NO. VIII** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 09/07/2009

Deponent

COMMISSIONER'S COURT ALLAHABAD

9/7/09

**Verification**

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 16 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para

1822 (1231) 368

..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 09/07/2009

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 9/7/09. at 10:45 a.m./~~p.m.~~ by Shri A.K. Mittal who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER

Sanjay Kumar Singh

HIGH COURT, ALLAHABAD

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

Date.....

153526 9/7/09

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT, ALLAHABAD

9/7/09

## जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना के मख्य बिन्दु

दिनांक 20.06.2009 तक

ANNEXURE-I

| क्र.सं | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत) | चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र | 287335 | 448634 | 565069 | 36 | 55 | 70 | 229.55 | 236.23 | 7988.93 | 4062.34 | 8221.35 | 4180.52 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब | दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम. एल.डी.। | निर्माणाधीन |
| 2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II | अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र | 225975 | 442125 | 884500 | 28 | 54 | 108 | 489.98 | -- | 21682.93 | 5539.63 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब | ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| 3.1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट - I) | गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र | 709558 | 1130121 | 1765143 | 87 | 138 | 216 | 276.03 | 308.80 | 3890.16 | 1563.80 | 4351.96 | 1749.41 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग एस.टी.पी. - नही विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.08 को रु. 262.16 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 45.878 करोड़ आवंटित। निविदा की कार्यवाही प्रगति पर। |

ANNEXURE-I

| क्र.सं | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी. डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी. पी.आर. के अनुसार रु में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 3.2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III, ( पार्ट-II ) | गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र | 465860 | 716805 | 1059143 | 57 | 88 | 130 | 165.03 | 244.03 | 3542.48 | 1558.15 | 5238.27 | 2304.03 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी<br>राइजिंगमेन - 3375 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग<br>एस.टी.पी. - नहीं<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.08 को रु. 214.43 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु.37.534 करोड़ आवंटित। निविदा का कार्य प्रगति पर। |
| 4 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV | शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि | 1114272 | 1505315 | 2148145 | 136 | 184 | 263 | 955.08 | -- | 8571.34 | 4446.07 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग<br>एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम मरतेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| TOTAL | | | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 344 | 519 | 787 | 2115.67 | | 7547.88 | 3294.41 | | | | 787 MLD | |

d:aks/NURM.xls sh7

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

परियोजना प्रबन्धक (अस्थाई)

ANNEXURE - II

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 से 30.06.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 117.00 कि.मी. | 138.00 कि.मी. | 21.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 23.00 कि.मी. | 27.00 कि.मी. | 4.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 36% | 45% | 9% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 45% | 55% | 10% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़)<br>प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 71.230<br>95.620 | 85.710<br>100.390 | 14.480<br>-4.770 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 22.4.2008 को निर्गत की गयी। दिनांक 13.10.08 को रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा 5.12.2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा 10.02.2009 को रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा 20.03.2009 को रु.24.77 करोड़ तथा रु. 19.77 करोड़ की किश्त दिनांक 2.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 15.22 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - शून्य। जल निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर दी गयी हैं।
9. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD



ANNEXURE-II

1826 (1735) 372

**ANNEXURE NO. III**

345 एम.एल.डी. क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) कार्य के विभिन्न अवयवों का प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्य घटक | वास्तविक अद्यतन प्रगति (30.06.2009) |
|---|---|---|
| 1. | प्री-ट्रीटमेन्ट यूनिट्स | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, कॉलम कार्य 60% पूर्ण, अन्य कार्य 5% पूर्ण |
| 2. | यू.ए.एस.बी. रियेक्टर | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 30% पूर्ण, अन्य कार्य 5% पूर्ण |
| 3. | प्री-एरेशन टैंक- 3 नग | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 20% पूर्ण |
| 4. | पालिशिंग पाण्ड ऐरेशन जोन- 140 मीटर × 140 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70% पूर्ण |
| 5. | फाइनल पालिशिंग पाण्ड 140 मीटर × 550 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70% पूर्ण |
| 6. | स्लज ड्राईंग बेड (106 नग) | 70% पूर्ण |
| 7. | स्टाफ क्वार्टर 15 नग | 80% पूर्ण |
| 8. | एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक 1 नग | 70% पूर्ण |
| 9. | वर्कशाप बिल्डिंग | 65% पूर्ण |
| 10. | फाइनल एफ्लुऐन्ट सीवर 2400 मीटर साइज-1500 मीटर | उत्पादन केन्द्र बन गया है पाइप बनना चालू हो गया है यद्यपि मोल्डस के कारण कुछ समस्या आ रही है। |
| 11. | पैस होल्डर्स - 3 नग | राफ्ट कार्य 65% पूर्ण |
| 12. | स्लज पम्प हाउस | फाउन्डेशन कार्य 30% पूर्ण |
| 13. | क्लोरीन कान्टेक्ट टैंक | फांउन्डेशन कार्य 50% पूर्ण, अन्य कार्य 5% पूर्ण |
| 14. | विद्युत यांत्रिक कार्य | फर्म द्वारा सप्लाई आदेश का कार्य पूर्ण |
| 15. | कार्य की ओवर आल प्रगति | 55% |

परियोजना प्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

917

ANNEXURE - IV

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 से 30.06.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग + 1 नग (30%) | 5 नग + 1 नग (80%) | 1 नग (50%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (50%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (60%) | 1 नग (10%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5470 मीटर | 5670 मीटर | 200 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 58% | 60% | 2% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 38.55 | 39.175 | 0.62 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 41.650 | 41.650 | 0.00 | |

**नोट :** कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई

1927

ANNEXURE - IV

ANNEXURE - V

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.04.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.04.2009 से 30.06.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95%+ 1 नग 50% | 17नग 95%+ 1 नग 50% | -- | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 40% | 10 नग 95%+1 नग 50% | 1 नग 10% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9180 मीटर | 9180 मीटर | 400 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 80% | 90% | 10% | |
| 6 | जेनसैट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 75% | 80% | 5% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 41% | 1 नग 55% | 1 नग 14% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 100% | 5 नग 100% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 80% | 10% | 20% | 10% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 80% | 5% | 10% | 5% | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 40% | 45% | 5% | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 263.04/417.64 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 175.121 | 201.713 | 26.592 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 180.6051 | 244.0351 | 63.430 | |

परियोजना प्रबन्धक

गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1/अस्थाई

महाप्रबन्धक

गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

ANNEXURE - V

संलग्नक - 6

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का ब्यौरा

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 30.04.09 तक कुल प्रगति | 30.04.09 से 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 36 नग चालू, 4 नग प्रगति पर। | 4 नग चालू। | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 7 नग चालू, 10 नग प्रगति पर। | 3 नग चालू। | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 94.50 कि.मी. | 7.14 कि.मी. | 101.64 कि.मी. | 25.64 कि.मी. कमीशन्ड, 25.00 कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 43 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 14 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण कर नलकूप चालू किया गया। | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | - | 99 नग | 99 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 3 नग चालू तथा, 2 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू | 4 नग चालू तथा, 1 नग प्रगति पर। | 1 नलकूप पर विद्युत संयोजन प्राप्त होना शेष है। |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)



ANNEXURE NO. VI

1829

1030 (1239) 376

ANNEXURE - VII

# BRIEF NOTE ON PROGRESS OF THIRD WATER WORKS AT GOMTI NAGAR SANCTIONED UNDER JNNURM

Work of costruction of III[rd] Water Works is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase-I, Part-I sanctioned cost Rs. 388.61 Crore, sanctioned by GOI under JNNURM. Cost of III[rd] Water Works & related works included in above project is Rs. 172.93 Crore.

8.00 hectare land near Kathauta lake is available for III[rd] Water Works. Source of raw water is Sharda Sahayak Feeder Canal near Moradabad Distributory. Irrigation Department has already agreed to provide 100 cusecs of raw water but formal G.O. has to be issued. To provide raw water from Sharda Sahayak a proposal of Rs. 19.01 Crore of Irrigation Department for the construction of head works etc. is included in the sanctioned project and out of which Rs. 10.00 Crore has already been released. In addition to this, Rs. 1.00 Crore has also been paid to Irrigation Department for the construction of retaining wall & other safety measures required for feeder canal.

Proposed works under III[rd] Water Works are construction of head works at Sharda Sahayak intake site (by Irrigation Department), 10.50 Km. raw water rising main, dredging, development & beautification of Kathauta lake, treatment plant - 80 MLD capacity, underground reservoirs-12 nos.(6 nos. each for Indira Nagar & Gomti Nagar areas), 27.50 Km. clear water feeder main & 30.80 Km. clear water rising main. Against above proposed works, works of construction of treatment plant, 10 nos. underground reservoirs, clear water feeder main, head works at intake site by Irrigation Department and dredging & development works of Kathauta lake are under progress. During canal closure period, water stored in Kathauta lake will be utilized as raw water for treatment plant. Till now Rs. 165.1594 Crore (Central, State & Lucknow Nagar Nigam Share) has been released to U.P. Jal Nigam (Construction Agency) by Govt. under Lucknow Water Supply Scheme Phase-I, Part-I. Out of which Rs. 165.12 Crore has already been spent against whole project. Out of this total expenditure, Rs. 55.80 Crore has been spent for the works of III[rd] Water Works. All works of III[rd] Water Works are proposed to complete by March 2011.

COMMISSIONER FOR OATH ★ ALLAHABAD ★

917

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

# DESCRIPTION OF WORKS RELATED TO III[rd] WATER WORKS

| S. No. | Description of Work | Cost | | Total | Present Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Civil | E/M | | |
| 1- | Canal lining & head works. | 1901.00 | - | **1901.00** | Work is under execution by Irrigation Department. Rs. 1000.00 Lacs has been given to Irrigation Department against Rs. 1901.00 Lacs |
| 2- | Intake and pre-settling units. | 30.75 | 1693.68 | **1724.43** | Civil works awarded. Rs. 100.00 Lacs has been given to Irrigation Department for the construction of retaining wall for the safety of feeder canal & related works. Cleaning of site has already been done. |
| 3- | Treatment Plant-80 mld and intake well at Chinhat lake. | 1239.81 | 2017.67 | **3257.48** | Work is under progress. Approx-30% work completed. |
| 4- | Raw water rising main | 2254.52 | - | **2254.52** | Work awarded & supply of pipes started. |
| 5- | Dredging & development of Chinhat lake. | 2403.86 | - | **2403.86** | Work in progress. Approx-42% work completed. |
| 6- | Clear water rising main | 2892.65 | - | **2892.65** | Work in progress. 11.00 Km. line laid. |
| 7- | Rising main to fill the existing over head tank from proposed C.W.R. & construction of C.W.R. | 1538.72 | 788.95 | 2327.67 | Construction of 10 nos. C.W.R. is under progress. |
| | Construction of office building, boundary wall etc. | 531.44 | - | 531.44 | Construction of boundary wall completed. Remaining works are under progress. |
| | **G.Total** | **12792.75** | **4500.30** | 17293.05 | |

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

# STATUS AND REQUIREMENT OF WATER SUPPLY F[illegible] LUCKNOW CITY

संलग्नक-8

| S. No. | Water Supply District | Location | Main Area included | Population | | | Requirement | | Available at Present | | | | Proposed to be enhanced in JNNURM by 2010 | | Availability of Ground Water beyond mid stage 2025 | Total Proposed Availability | | Deficit (Year 2040) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2010 | 2025 | 2040 | Water Demand in 2040 | Storage | Water | | | Storage | Water | Storage | | Water | Storage | Water | Storage |
| | | | | | | | | | Surface | Ground Water | Total | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) |
| A | | Cis Gomti area between Gomti River and Line from Dilkusha to Hardoi. | Aminabad, Charbagh, Hazratganj, Vidhan Sabha, Butler Palace, Rajajipuram, Aisbhagh, Balaganj, Chowk, Medical College, Hardoi Road. | 1159707 | 1495795 | 1879750 | 341.26 | 113752 | 183.86 | 71.13 | 254.99 | 77350 | 111.52 | 2550 | 15.00 | 310.38 | 79900 | 30.88 | 33852 |
| 2 | B | Trans Gomti area on the left bank upto Kukrail Nala. | Aliganj, Khadra, Daliganj, Nishatganj, Jankipuram, Nirala Nagar, Sitapur Road, University Road, Paper Mill. | 696698 | 1111911 | 1745287 | 301.06 | 100354 | 20.00 | 73.72 | 93.72 | 31300 | 19.20 | 3100 | 70.00 | 109.20 | 34400 | 191.86 | 65954 |
| 3 | C | Trans Gomti area on the left bank of Gomti River beyond Kukrail Nala. | Indira Nagar, Gomti Nagar, Sarvodaya Nagar, Sanjay Gandhi Puram & adjoining private colonies. | 478910 | 737155 | 1085451 | 187.24 | 62413 | 0.00 | 66.98 | 66.98 | 34500 | 84.80 | 5350 | 55.00 | 139.80 | 39850 | 47.44 | 22563 |
| 4 | D | Cis Gomti area beyond Dilkusha Hardoi N.R. Line. | Alambagh, Sringar Nagar, Kanpur Road, Raibareli Road, Airport, Sarojini Nagar, South City, Aashiana. | 467685 | 898139 | 1711512 | 295.24 | 98412 | 0.00 | 42.04 | 42.04 | 14000 | 23.04 | 2200 | 42.04 | 65.08 | 16200 | 230.16 | 82212 |
| | | | Total | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 1124.80 | 374931 | 203.86 | 253.87 | 457.73 | 157150 | 238.56 | 13200 | 182.04 | 624.46 | 170350 | 469.46 | 204581 |

ANNEXURE NO. III

1832

| Proposed Work in Future under JNNURM Programme | | | |
|---|---|---|---|
| **Phase-I, Part-I**<br>**Estimated Cost Rs. 456.62 Crore**<br>**(Rs. 388.61 Crore without centage)** | **Phase-I, Part-II**<br>**Estimated Cost Rs. 146.565 Crore** | **Phase-I, Part-III** | **Phase-II** |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
| Renovation of 100 Year old Aishbagh Water Works, Strengthening of Feeder Mains, Replacement of Raw Water Rising Main,<br>Upgradation of II W/W Balaganj from 100 MLD to 200 MLD, Strengthening of Feeder Mains from Balaganj.<br>Reorganisation of Garhi Kanaura W/S at the farthest end of Aishbagh W/W command area.<br>Tube wells - 12 Nos.(12 mld) | Reorganisation of W/S Scheme in three areas namely Saadatganj, Kanhaiya Madhopur & Mallahi Tola.<br>Tube wells - 2 Nos.<br>Works related to intake of II water works Balaganj<br>Works related to increase of water in river Gomti. | W/S Schemes having no piped arrangement.<br>Renovation of existing C.W.R. & over head tanks.<br>Automation of existing water supply system.<br>Segregation of existing feeder mains in different water supply zones. | |
| Reorganisation of Shiv Nagar Khadra W/S Scheme,New Water Supply Scheme for Bharat Nagar Area, Sitapur Road.<br>Tube wells - 20 Nos.(20 mld) | W/S Scheme in Aadil Nagar area.<br>Tube wells - 4 Nos. | New W/S Scheme having no piped water supply.<br>Automation of existing water supply system.<br>Renovation of existing over head tanks. | Construction of FourthWater works at Ghaila. |
| Construction of III[rd] W/W at Gomti Nagar ( 80 mld Capacity)<br>Liberty Colony Sarvodaya Nagar W/S Scheme<br>Tube wells - 5 Nos.(5 mld) | Six W/S Schemes of private colonies adjacent to Indira Nagar & Gomti Nagar to utilize the water produced by Third Water Works. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | |
| New Water Supply Scheme for Kharika Ward.<br>Tube wells – 24 Nos.(24 mld) | W/S Scheme of Raja Bijli Pasi Ward & Reorganisation of Chitragupta Nagar Ward.<br>Tube wells - 15 Nos. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Reboring of permanent defunct tube wells.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | Construction of Fifth Water works at Mohaan road.<br>Reorganisation of distribution system of remaining areas. |
| **Present Status:** | | | |
| DPR sanctioned by G.O.I. Works under progress. Rs. 165.1594 Crores has been received by U.P. Jal Nigam till now out of which Rs. 165.12 Crore has been spent on works. The works of scheme are under progress. | DPR Costing Rs. 146.565 Crore sanctioned by Govt. of India. Tendering process for the works are under progress. | Survey & preparation of scheme in progess. | Scheme will be prepared, subject to the availability of surface water source. |

Project Manager,
Payjal-II

1033
(442)
379

संलग्नक – 7

# लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1

## वित्तीय प्रगति

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | 20.03.09 तक कुल प्रगति | 20.03.09 से 30.04.09 तक कुल प्रगति | 30.04.09 तक कुल प्रगति | 30.04.09 से 30 06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | रुत्म्! |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति | 123.8818 | 31.0082 | 154.89 | 10.23 | 165.12 | प्रथम किश्त रू0 20.00 करोड़ 27.03.08 को, द्वितीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अप्रैल 2008, तृतीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अगस्त 2008 में, चौथी किश्त रू0 10.7986 करोड़ 06.10.08 को तथा पाँचवी किश्त रू0 8.784667 करोड़ 04.12.08, 12.298533 करोड़ 11.02.09 एवं रू0 39.6388 करोड़ 17.03.09 को एवं रू0 33.6388 करोड़ दिनांक 31.03.09 को प्राप्त हुई है। |
| | प्राप्त धनराशि | 131.5206 | 33.6388 | 165.1594 | - | 165.1594 | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

1035 1744 381

# THE MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF WATER SUPPLY TILL 30.06.09

## 1- UNDER JNNURM PROGRAMME :

- **Construction of New Tube Wells against 40 Tube Wells** : 40 Tube Wells Commissioned.
- **Construction of Tube Wells under Five piped water supply schemes.** :
- **New Tube Wells - 21 Nos.** 10 Tube Wells Commissioned, 7 under Progress & 4 site disputed.
- **Rebore Tube Wells - 1 No.** Commissioned.
- **Construction of Rebore Tube Wells against 43 Rebore Tube Wells** : 43 Tube Wells Commissioned.

**Distribution System** : 101.64 Km. Laid, 25.64 Km. Commissioned.

**Rising Main** : Rising Main of 50 Tube Wells laid and Commissioned.
Rising Main of 7 Tube Wells under Progress.

- **Over Head Tank** : Construction of 4 Over Head Tanks in Progress.
- **C.W.R.** : Construction of 5 CWR's in Progress.
- **Third Water Works** : Construction of Boundary Wall, Inlet Chamber, Inlet Channel, clarriflocculators, C.W.R. cum sump, filter house and administrative block of WTP under progress. Laying of feeder main is also under progress, 11.00 Km. laid. Construction of 10 Zonal C.W.Rs. also under progress.
Fund of Rs. 11.00 Crore has been paid to Irrigation Department for Construction of Head Works, retaining wall at intake site etc.

## 2- UNDER WATER SUPPLY NORMAL PROGRAMME :

- **New Hand Pumps** :
- **Against 2007-08** Work of all proposed 409 New India Mark-II Hand Pump completed.

**Against 2008-09** Work of all proposed 1230 New India Mark-II Hand Pump completed.

- **Rebore/Special Repair Hand Pumps** :
- **Against 2007-08** Works of all 670 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2008-09** Works of all 153 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2009-10** Out of 140 targetted Hand pumps, 99 Hand pumps are commissioned by reboring/special repair.

- **Construction of New Tube well under Normal Programme** : 4 Tube wells commissioned, 1 under progress.

9/7/09

**Project Manager**
Peyjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow

1036 (AF) 382

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

C.M. Application No of 2009

State of U.P. & others .....Applicanat/opposite parties

In Re :

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage treatment Plant , Lucknow.....Petition

Versus

State of U.P. & others .....Opposite Parties.

APPLICATION FOR TAKING RECORD ACCOMPANYING
COUNTER AFFIDAVIT

The above named applicant/opposite parties most respectfully begs to submit as under :-

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to take on record the accompanying counter affidavit in the interest of justice & equity.

Such other order or direction, which this Hon'ble court deem fit and proper in the circumstances of the case may also be passed.

Addition Chief standing counsel

Counsel for applicant.

Lucknow : Dated

15th September,2009

1837 1746 383

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage treatment Plant , Lucknow.....Petition




Versus

State of U.P. & others .....Opposite Parties.

SHORT COUNTER AFFIDAVIT

I, A.K. Arora, aged about 56 years, son of Sri Hansraj posted as Director, Ground Water Department, U.P., Lucknow, do hereby solemnly affirm & state on oath as under :-

1. That the deponent in posted as Director, Ground Water Department, U.P., Lucknow and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to here under.

2. That vide order dated 9th July'2009, this Hon'ble Court has issued certain directions. The direction concerned to Ground Water Department, U.P. are as follows:-

*" Shri Upadhyay has produced before us a circular issued by the Chief Secretary dated 9th June, 2009 taking strict view in the matter of water harvesting and ground water techniques. He says that the order has been issued for strict compliance of the same.*

*We expect that the directions issued would be strictly followed by all the concerned agencies."*



3. That in this regard it is stated that vide Government order dated 09.6.09, all the district Magistrates were directed to get prepare the project of 138 stressed blocks of the state by using rain water harvesting techniques. Out of 138 blocks, 37 blocks are in Over-exploited, 13 blocks are Critical and 88 blocks are in Semi-critical category. It is also proposed that by using rain water harvesting techniques, the stressed blocks may come into the Safe category. Three months time has been proposed for the preparation of projects of 138 blocks.

In compliance of the above directions of Chief Secretary, Government of U.P., Principal Secretary, Minor Irrigation and Ground water has also issued directions vide G.O.No. 1367/62-1-2009 dated 18-6-09 and G.O.No. 48 Bha.Sa/62-1-2009-49GW/2009 dated 11-8-09 to all concerned District Magistrate to inform the progress of preparation of project & to take help for the nominated officers of Ground water department, U.P. and Central Ground Water Board. The concerned Government order dated 18-6-09 and 11-8-09 is being annexed as Annexure No. CA-1 and CA-2 respectively.

4. That it is further stated that out of 138 blocks, the projects of 107 blocks have been prepared, projects of 92 blocks have been sent to the concerned District magistrate for approval through district level Technical Co-ordination Committee. The Projects of three blocks have been approved by the District Magistrate.

5. That the above mentioned progress has been achieved in compliance of the G.O. dated 9.6.09.

6. That it is therefore expedient and necessary in the interest of justice that this Hon'ble court may be pleased to take on record the accompanying counter affidavit.

Lucknow : Dated (Deponent)

September,2009

1839 (798) 385

## VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of para 1 of this affidavit are true to my knowledge, those of para 2 to 5 are based on records & those of para 6 are based on the legal advice tendered by my counsel and are believed by me to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed.

So help me God.

Lucknow : Dated 14/9 2009

Deponent

I identify the deponent who has signed before me.

Clerk of the C.S.C. office

Solemnly affirmed before me on 14/9/09 at 3.00 a.m/p.m. by the deponent who is identified by clerk of C.S.C. office

I have satisfied myself by examining the deponent that the understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD 14/9

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 14/9/09 Code no 16966

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

(199) 386

1040

MISB No. 4436 of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow .....Petitioner

Vs.

State of U.P. & another ..... Opp.Parties

ANNEXURE No CA-1

---

सं0– /62–1–2009–

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा/अलीगढ/हाथरस/एटा/मैनपुरी/मथुरा/फिरोजाबाद/औरैया/फर्रूखाबाद/कानपुर नगर/ कन्नौज/ आजमगढ/बलिया/ मऊनाथ भंजन/ बागपत/ बुलन्दशहर/ बरेली/बदायूँ/शाहजहॉपुर/ बिजनौर/ मुरादाबाद/ ज्योतिबाफुलेनगर/रामपुर/ देवरिया/ कुशीनगर/ फैजाबाद/ अम्बेडकरनगर/फतेहपुर/कौशाम्बी/गाजियाबाद / गोण्डा/ हरदोई/लखनऊ/रायबरेली/सीतापुर/उन्नाव/ललितपुर/जौनपुर/ मुजफ्फरनगर/सहारनपुर।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 18 जून,2009

विषयः– प्रदेश के 138 अतिदोहित/किटिकल/सेमीकिटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु प्रोजेक्ट की संरचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश के 138 अतिदोहित/किटिकल/सेमी किटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु प्रोजेक्ट तैयार कराकर मिशन मोड में कियान्वित किए जाने विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के अ0शा0 पत्र सं01313 दिनांक 09जून, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में यह उल्लेख भी किया गया है कि आपके जनपद से संबंधित भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी को आपके निर्देशन में योजना तैयार करने का उततरदायित्व सौंपा जा रहा है।

उक्त संबंध में उत्तरदायी अधिकारियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :–

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | योजना तैयार करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम एवं पदनाम |
|---|---|---|
| 1– | आगरा | श्री उमेश चन्द्र, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 2– | अलीगढ | श्री सुभाष चन्द्र सिंह, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 3– | हाथरस | श्री सुभाष चन्द्र सिंह, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 4– | एटा | श्री वी0बी0 सिंह, सहायक अभियंता |
| 5– | मैनपुरी | श्री वी0बी0 सिंह, सहायक अभियंता |
| 6– | मथुरा | श्री उमेश चन्द्र, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 7– | फिरोजाबाद | श्री उमेश चन्द्र, हाइड्रोलाजिस्ट |

1841 1770 387

| | | |
|---|---|---|
| 8– | औरैया | श्री अशोक कुमार, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 9– | फर्रूखाबाद | श्री अशोक कुमार, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 10– | कानपुर नगर | श्री अशोक कुमार, सहायक अभियंता |
| 11– | कन्नौज | श्री विश्वनाथ चकवर्ती, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 12– | आजमगढ़ | श्री ओंकार सिंह, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 13– | बलिया | श्री जहीरूददीन, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 14– | मऊनाथ भंजन | श्री टी0के0 सिन्हा, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 15– | बागपत | श्री एस0के0 साहनी, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 16– | बुलन्दशहर | श्री एस0के0 साहनी, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 17– | बरेली | श्री लायक अली, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 18– | बदायूँ | श्री लायक अली, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 19– | शाहजहाँपुर | श्री लायक अली, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 20– | बिजनौर | श्री अशोक कुमार मिश्रा, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 21– | मुरादाबाद | श्री प्रमोद कुंमार श्रीवास्तव, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 22– | ज्योफिबाफूलेनगर | श्री अशोक कुमार मिश्रा, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 23– | रामपुर | श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 24– | देवरिया | श्री हसन फिरोज, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 25– | कुशीनगर | श्री एस0पी0 त्रिपाठी, सहायक अभियंता |
| 26– | फैजाबाद | श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता |
| 27– | अम्बेडकरनगर | श्री मक्खन सिंह, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 28– | फतेहपुर | श्री रामजी सिंह, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 29– | कौशाम्बी | श्री जगमेर सिंह, सहायक अभियंता |
| 30– | गाजियाबाद | श्री ए0के0रत्ती, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 31– | गोण्डा | श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 32– | हरदोई | श्री जी0के0रावत, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 33– | लखनऊ | श्री सुरेश चन्द्र सिंह, सहायक अभियंता |
| 34– | रायबरेली | श्री सुरेश चन्द्र सिंह, सहायक अभियंता |
| 35– | सीतापुर | श्री सुरेश चन्द्र सिंह, सहायक अभियंता |
| 36– | उन्नाव | श्री जी0के0 रावत, हाइड्रोलाजिस्ट |

PRPD47

1148

1842 1367 388

| | | |
|---|---|---|
| 37– | ललितपुर | श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता |
| 38– | जौनपुर | श्री विजयबहादुर सिंह, हाइड्रोलाजिस्ट |
| 39– | मुजफ्फरनगर | श्री एम0सी0 जोशी, सहायक अभियंता |
| 40– | सहारनपुर | श्री एस0के0 मल्होत्रा, सहायक अभियंता |

आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के प्रत्येक stressed block (संकटाकीर्ण विकासखण्ड) के लिए प्रोजेक्ट की संरचना उक्त अधिकारियों से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1367 (1)/62–1–2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

(1) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे प्रोजेक्ट निर्माण हेतु उक्त उल्लिखित अधिकारियों को निर्देशित करें और अपने स्तर से इस कार्य की समीक्षा भी करें।

(2) उक्त उल्लिखित समस्त अधिकारियों को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु वे संबंधित जिलाधिकारियों से तत्काल सम्पर्क करें।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

1/148

1843 ~~1152~~ 389

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLHABAD**
**LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.**

MISB No. 4436 of 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow .....Petitioner

Vs.

State of U.P. & another ..... Opp.Parties

**ANNEXURE No .....CA-2**

महत्वपूर्ण।

संख्या– /62–1–2009–49जीडब्लू/2009

Dy. No 596.....
File No A-7-101...
Date...../11.01.09

दिनांक–11–01–2009

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा/अलीगढ़/हाथरस/एटा/मैनपुरी/मथुरा/फिरोजाबाद/औरैया/फर्रूखाबाद/कानपुर/कन्नौज/आजमगढ़/बलिया/मऊनाथभंजन/बागपत/बुलन्दशहर/बरेली/बदायूँ/शाहजहाँपुर/बिजनौर/मुरादाबाद/ज्योतिबाफुले नगर/रामपुर/देवरिया/कुशीनगर/फैजाबाद/अम्बेडकरनगर/फतेहपुर/कौशाम्बी/गाजियाबाद/गोण्डा/हरदोई/लखनऊ/रायबरेली/सीतापुर/उन्नाव/ललितपुर/जौनपुर/ मुजफफरनगर/सहारनपुर।

विषयः– प्रदेश के 138 अतिदोहित/किटिकल/सेमीकिटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु प्रोजेक्ट की संरचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1313/62–1–09, दिनांक 09जून, 2009 एवं स्मरण पत्र सं0 1367/62–1–2009, दिनांक–18–6–2009 का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में डा0एस0सी0धिमान, सदस्य सचिव, केन्द्रीय भूजल परिषद, नई दिल्ली ने पत्र सं0 21–4/एनआर/सीजीडब्लूए/2009–263, दिनांक 20–7–2009, संलग्नक सहित की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 138 अतिदोहित/किटिकल/सेमी–किटिकल विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु प्रोजेक्ट की संरचना के संबंध में आप भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों के साथ–साथ केन्द्रीय भूजल परिषद के जनपद में नामित नोडल अधिकारियों का भी आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करने का कष्ट करें।

3– इस संबंध में यह भी उल्लेख करना है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 9जून, 2009 द्वारा प्रोजेक्ट की संरचना हेतु 2 माह का समय निर्धारित किया गया था। यह समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है, किंतु आपके स्तर से प्रोजेक्ट की संरचना के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रोजेक्ट की संरचना कराने का कष्ट करें। इस कार्य की अद्यतन स्थिति से मुझे अवगत भी कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

1044 ~~1753~~ 390



संख्या- 4897/ 62-1-2009तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, भूगर्भ जल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

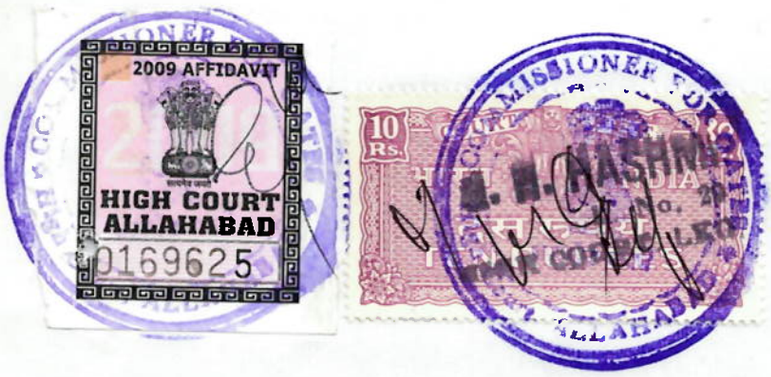
(राम किशोर)
अनु सचिव।



1845 (1759) 396

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003




Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

Status report on affidavit in compliance of order dated 09.07.2009 passed by this Hon'ble Court

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 53 years, s/o Late Subedar Singh, presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow, the deponent do here by solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That the aforesaid writ petition was last listed on 09.07.2009 where by this Hon'ble Court was pleased to pass following order :

**" Sri D.K. Upadhyaya, learned Chief Standing Counsel, also representing the Lucknow Development**

1846 (176) 397

Authority, suggested that so far as Government building are concerned, the monitoring of the same be entrusted to the Nagar Nigam and all the concerned Agencies who look after such buildings may be directed to undertake the work of rain water harvesting without any delay and the rest of the work be entrusted to the Lucknow Development Authority or to the concerned Agencies namely, Awas Evam Vikas Parishad and Nagar Nigam under whose jurisdiction the colonies or buildings fall.

We order accordingly.

Sri Upadhyaya has produced before us a Circular issued by the Chief Secretary dated 9th June 2009 taking a strict view in the matter of water harvesting and ground water recharging. He says thet the orders have been issued for strict compliance of the same.

We expect that the directions issued would be strictly followed by all the concerned agencies.

So far as the solid waste management is concerned, according to the Nagar Nigam steps have been taken and the procedure required for the purpose is being fully adopted. Clearance from the Environment Department as well as approval from NEERI is still awaited. Let a report in this regard be submitted on the next day.

In the meantime we expect that all the steps shall be taken by all the Agencies so far as selection of Sanitary I Land Fill area is concerned.

The Municipal Commissioner shall furnish a detailed affidavit regarding the action taken with respect to removal of garbage near Gandhi Setu.

Sri D.K.Upadhyaya shall seek specife instructions in this regard and shall also indicate that if any report is required from NEERI for the purpose of establishment of park or not. Sri Upadhyaya says that construction regarding sanitary land-fill site selected for the solid waste management would be done when the report from NEERI is obtained.

1047 1767/378

**We expect that the NEERI shall also furnish the report at the earliest and the other agencies which are required to give the necessary clearance for the purpose would also do the same without any delay as soon as Nagar Nigam approaches.**

**On the next date, an affidavit shall also be filed by the Irrigation Department as to what steps they have taken and what they are doing for cleaning of the river Gomti."**

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 9.7.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Nagar Nigam Lucknow in compliance of the said order.

4. That in compliance of the said order the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps by issuing letters to the main concerned departments with regard to rain water harvesting which includes the Principal Secretary, State Public Works Department, Government of U.P. and Principal Secretary, Estate Department, Government of U.P. vide letters dated 22.08.2009. True Copies of said letters dated 22.08.2009 are annexed herewith as **Annexure No.-1 and 2** to this affidavit

5. That in compliance of aforesaid order passed by this Hon'ble Court as indicated above the Nagar Nigam Lucknow has issued notice with regard to water harvesting to the Government Offices situated within the Municipal Limits of Lucknow vide letter no. 22/EE(P)/JNNURM/DR/09-10 dated 24.08.2009. A true copy of one of the notice dated 24.08.2009 issued to Jawahar Bhawan Vitran Khand, Vikramaditya Marg, Lucknow in the Zone-1 is being annexed herewith as **Annexure No.-3** to this affidavit.

6. That in furtherance to aforesaid the monitoring of the water harvesting with respect to the Government Offices is being carried on by Nagar Nigam Lucknow , with regard to which the said notice has been

1848 (1/8) 399

issued to 1776 Government Offices/Buildings within the Municipal Limits of Lucknow thereby covering all the six Municipal Zones.

7. That in response to the aforesaid notices issued by Nagar Nigam Lucknow the Nagar Nigam has received reply at the end of 13 departments till date. Photocopies of said reply are annexed cumulatively herewith as **Annexure No.-4** to this affidavit.

8. That further in compliance of the aforesaid order necessary studies and surveys recommended by the State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh have been undertaken and the Environmental Impact Assessment Report and its Executive summary have been submitted before the Directorate of Environment, Government of U.P. for environmental clearance of the Sanitary Landfill Site acquired on the Hardoi Road.

Further it is pertinent to mention over here that copies of the said report have been submitted before the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board as per the statutory requirement.

As per orders issued by this Hon'ble Court a copy of the said report has also been forwarded to the Director, NEERI, Nagpur vide its letter no. 89/EE/JNNURM/ 09-10 dated 05.09.2009. A true copy of said letter dated 5.9.2009 alongwith its Executive summary is being annexed herewith as **Annexure No.-5** to this affidavit.

As regards visit of NEERI scientists in connection with Solid Waste Management at Lucknow, Scientist and Head, Solid and Hazardous Waste Management Division, NEERI has confirmed the receipt of the "Rapid Environmental Impact Assessment Report and Environmental Management Plan" and has submitted vide his letter no. SHWMD/HQ/2009 dated 14/9/2009 that considering the pre-committed assignments, the Scientists will be able to visit Lucknow during second week of October 2009 to asses the progress of the work related to remediation of the site near Gomti river bed and also visit the proposed site for sanitary landfill. A true copy of said letter dated 14.9.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.-6** to this affidavit.

1849 1763 400

9. That further in compliance of the aforesaid order it is pertinent to mention over here that the deponent in his affidavit dated 4th May, 2009 filed in aforesaid case has filed a letter dated 1st May, 2009 issued by Executive Engineer , Sharda Canal, Lucknow addressed to Nagar Nigam Lucknow had informed that the Irrigation Department is constructing the bund between Gandhi Setu and the La Martenier bund for reclaiming of 21.00 acres of un-utilized (Nishprayojya) land. The project of construction of the said bund for reclamation of the land has been approved by the Ganga Flood Control Council, under the Ministry of Water Resources, Government of India. Under the said project the bund is being constructed in a length of 750.0 meters in which the width at top of bund will be 5.50 meters and the river side slope will be covered with geotextile and pitched 60cm, thick stone boulder pitching. The top level of the bund will be 113.64 meters as per the prevalent standard of the Central Water Commission.

As regards the present status of the construction of said Land Reclamation Bund, Executive Engineer , Lucknow Division Sharda Canal, Lucknow has forwarded the same vide his letter no. 4820/LDSC/M-1/Drawing Sec. dated 14/9/2009 addressed to Additional Municipal Commissioner Nagar Nigam Lucknow. A true copy of said letter dated 14.9.2009 is being annexed herewith as **Annexure No.-7** to this affidavit.

10. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 09.07.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time.

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

1579

Lucknow
Dated: 15.09.2009

**DEPONENT**

1850 1769 1770 401

## Verification

I the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 10 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of this is false and nothing material has been concealed therein.

Signed and verified on this 15th day of September, 2009 at Lucknow.

Lucknow:
Dated: 15.09.2009

**DEPONENT**

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by Shri Shailesh Kumar Singh the deponent on ~~15/9/09 at 11 a.m.~~ A.M./P.M. who has been identified by Namit Sharma Advocate, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Code No. 69625
Date 15/9/09

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD

15/9

1057

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp Parties

ANNEXURE NO - 1

# नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्या:- D-582/NN/AMC-A109
दिनांक:- 22-08-2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक निर्माण विभाग
लखनऊ।

नत्थी (5) पत्र

-: विषय :-

रिट पिटीशन संख्या 4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित संलग्न आदेश दिनांक 09.07.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस आदेश के अनुसार शासकीय भवनो में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जानी है, चूँकि अधिकांश शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों का रख-रखाव आपके विभाग द्वारा किया जाता है। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

1519

1852 403 (1772) (176)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 2

# नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्या : 2-581/NA/Amc-2009
दिनांक : 22-08-2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
उ.प्र. राज्य सम्पत्ति विभाग
लखनऊ।

नत्थी (5) पृष्ठ

–: विषय :–

रिट पिटीशन संख्या 4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित संलग्न आदेश दिनांक 09.07.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। इस आदेश के अनुसार शासकीय भवनो में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जानी है, चूँकि अधिकांश शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों का रख–रखाव आपके विभाग द्वारा किया जाता है। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

COMMISSIONER FOR OATHS

1819

1853

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp Parties

ANNEXURE NO - 3

# नगर निगम, लखनऊ

| प्रेषक : | सेवा में : |
|---|---|
| अपर नगर आयुक्त,<br>नगर निगम, लखनऊ।<br>संख्या : 22/EE(P)/JNNURM/DR/09-10<br>दिनांक : 24.08.2009 | जवाहर भवन वितरण खण्ड,<br>विक्रमादित्य मार्ग,<br>लखनऊ – 226001 |

**विषय : माननीय उच्च न्यायालय मे दायर रिट याचिका संख्या–4436(एम/बी)/2003, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया रिट याचिका संख्या–4436(एम/बी)/2003, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके मुख्य प्रभावी अंश निम्नानुसार है:

So for water recharging] water harvesting and Bye Laws amended by the Lucknow Development Authority with respect to sanction of the building plan on the given dimensions are concerned, it has been stated that notices have already been issued. The affiadavit filed by the Ground Water Department annexes a chart (SCA-6) naming the Government Buildings where water harvesting can be provided orhas been provided, but it is not clear as to whether all these buildings have been provided all the requisite structure and facility or not.

Sri D.K. Upadhyaya, learned Chief Standing Counsil, also representing the Lucknow Development Authority, suggested that so for as Government buildings are concerned, the monitoring of the same be entrusted to the Nagar Nigam and all the concerned Agencies who look after such buildings may be directed to undertake the work of rain water harvesting without any delay and the rest of the work be entrusted to the Lucknow Development Authority or to the concerened Agencies, namely, Awas Vikas Parishad and Nagar Nigam under whose jurisdication the colonies or buildings fall.

तदानुसार अपने विभाग से सम्बधित अनुपालन/अद्यतन आख्या अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रतिमाह प्रथम शुक्रवार को निम्नाकिंत प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराये एंव विशेषत: दिनांक 03.09.2009 तक इस माह की रिपार्ट प्रेषित करने का कष्ट करें।

| क.सं. | कार्यालय का नाम व पता | प्लाट एरिया एंव आच्छादित क्षेत्रफल | रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित है अथवा नही |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

1054

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

ANNEXURE NO - 4


GRAM: FOODCORP
Phone No- 0522-2720062
2720935,2720937
Fax.No- 0522-2720935

भारतीय खाद्य निगम

FOOD CORPORATION OF INDIA

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश

Regional Office (U.P)

ISO 9001:2000 Certified
TC-3V VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW: 226010


पत्रांक:इंजी0 / सीई / 34(04) / 97 / 986

दिनांक:02.09.2009

स्पीड़ पोस्ट

सेवा में,
अधिकारी
ज़ोन 4, नगर निगम
हुसडिया चौराहा,
(जयपुरिया स्कूल के बगल में)
गोमती नगर
लखनऊ।

विषयः भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन टी सी–3वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में water harvesting व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या मेमो/जोन–4 दिनांक 22.08.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भवन संख्या टी सी–3वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में water harvesting व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय खाद्य निगम के इस भवन में rain water harvesting की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

प्रार्थी

(एस0के0सक्सेना)
सहायक महाप्रबंधक(इंजी0)

406

कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ।
पत्रसंख्याःआर.आई–2(हार्वेस्टिंग)/2009 दिनांकःसितम्बर ,2009

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक,
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0,
विभूति खण्ड,व्यावसायिक परिसर, पार्ट–1
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः– रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जोनल अधिकारी, जोन–4, नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्याःमेमों/जोन–4 दिनांकः22708.2009 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्याः4436/(एम0बी0)/2003 दिनांकः09.07.2009 में नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस लाइन,लखनऊ के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सूचना नगर निगम, लखनऊ को भेजा जाना है। चूंकि पुलिस लाइन परिसर के राजकीय आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नही है जिसकी यथाशीघ्र व्यवस्था कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः आप पुलिस लाइन, लखनऊ परिसर के शासकीय भवनों/राजकीय आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि वांछित सूचना समय से सम्बन्धित को भेजी जा सके।

पुलिस उपमहानिरीक्षक,
लखनऊ

प्रतिलिपिः–जोनल अधिकारी, जोन–4, नगर निगम, लखनऊ को उनके पत्र संख्या' मेमों/जोन–4 दिनांकः22.08.2009 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1856 (12) 407

PICUP
(Owned by Government of Uttar Pradesh)
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

**दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यू. पी. लिमिटेड**
**The Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of U.P. Ltd.**

पत्रांक : रांक्षा/रांके/६/२७८/१०८/०३ 2070 दिनांक : सितम्बर 7, २००६

सेवा में,

जोनल अधिकारी, जोन- 4,
नगर निगम
लखनऊ ।

विषयः वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र रांक्षा मेमो/जोन-४ दिनांक २१-०८-२००६ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग उ०प्र० शासन ने पत्र संख्या २०६२/६२-१-२००६-८७-जी०डब्लू/२००६ दिनांक २५-०८-२००६ द्वारा सूचित किया है कि पिकप भवन तथा कुछ अन्य भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के कार्य हेतु केन्द्रिय भू-जल परिषद एवं भू-गर्भ जल विभाग द्वारा एक सामेकित परियोजना तैयार किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध मे एक समिति का गठन किया गया है। सम्बन्धित समिति के सदस्यों द्वारा पिकप भवन का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा चुका है और उनके द्वारा योजना तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही पिकप भवन में उक्त सिस्टम की स्थापना हो जायेगा।

भवदीया,

( ऋचा भार्गव )
वरिष्ठ प्रबन्धक (मा०सं० वि०)

संलग्नकः- प्रमुख सचिव लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग उ०प्र० शासन ने पत्र संख्या २०६२/६२-१-२००६-८७-जी०डब्लू/२००६, दिनांक २५-०८-२००६ का पत्र।

कप भवन" ,गोमती नगर, लखनऊ-२२६ ०१०, भारत
ाष :(०५२२)२७२०६८६, २७२०७६८ फैक्स :(०५२२) २७२०७६२
: पिकप

"PICUP BHAWAN" Gomti Nagar, Lucknow-226010 (India)
Phones:(0522)2720689, 2720798 Fax: (0522) 2720792
GRAM : PICUP
Visit us at: http://www.picupindia.com
E-mail:picup@sancharnet.in

पत्र –व्यवहार 22
CORR 22

1857 (1) 408

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
OFFICE OF THE PRINCIPAL GENERAL MANAGER
कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक दूरसंचार
LUCKNOW TELECOM DISTRICT GANDHI BHAVAN, LUCKNOW, PIN 226 001
लखनऊ दूरसंचार जिला गाँधी भवन, लखनऊ पिन २२६ ००१

Connecting India

सेवा में/ To
सी०महा प्रबन्धक(प्रशा)
सी०पी०सी०पुरा दूरसंचार जिला
गांधी भवन, लखनऊ

प्रेषक/From
S.D.E. (Bldg. P/P)
Alambagh, Lucknow

क्रम संख्या / No एस.डी.ई.(भवन)/आलम०/कुटुम्बा/2

विषय / Subject : आवासीय भवनों में बाहर टेलीफोनिंग की व्यवस्था के संबंध में।

दिनांक / Date 1.9.05

1425/205
2.9.05

कृपया लेखानगर डिपो लखनऊ के कोतवाल अधिकारी जैम.-5 के संलग्न मूल्य पर्यन्त : 117/2/2005 जैम-5/05 दि: 27-07-05 का अवलोकन करें एवं मांगी गई सांख्यिकी सूचनाओं को सम्बन्धित न्यायालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

संलग्नक/
मूल्य पत्र आरोपित

S.D.E. (Bldg P/P),
Alambagh, Lucknow

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

1) एस.डी.ई. टेलीफोन्स
आर.टी.टी. लखनऊ

2) कोतवाल अधिकारी जैम-5
लेखानगर न्यायालय लखनऊ

अनुपालनीय अधिशासी (न.त.)
अलंकापुरी।

S.D.E. (Bldg P/P),
Alambagh, Lucknow

श्री शकील

चपला
1.9.05

1858 1712 (14) 409

प्रेषक :- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
1460/205 सिविल डिस्पेंसरी आलमबाग
409 लखनऊ

सेवा में :- जोनल अधिकारी जोन-5
नगर निगम, लखनऊ.

विषय :- चिकित्सालय भवन में वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के सम्बन्ध

दिनांक - 07.09.09.

महोदय,

आप के पत्र संख्या- 1123/205/जोन-5/09. दिनांक 27-08-09. के सन्दर्भ में आप को सादर अवगत कराना है कि सिविल डिस्पेंसरी आलमबाग, लखनऊ का भवन अति पुराना व जर्जर अवस्था में है। इस भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है

भवदीय -

प्रभारी चिकित्साधिकारी
Medical Officer In Charge
Civil Dispensary Alambagh
Lucknow-5 (U.P.)

प्रति लिपि :-
1- श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु.

07/9

श्री शुक्ल

7/9/09

20/



1859 (1773) (15) (3) 410

प्रेषकः

वरिष्ठ कीटनाशी/उर्वरक विश्लेषक
उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला,
आलमबाग, लखनऊ।

सेवा में,
जोनल अधिकारी, जोन–5
लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

पत्रांक–एफपी./लैब/ 899 /वाटर हार्वेस्टिंग/2009–10 दिनांक 02 SEP 2009

1475/205
7.9.9

विषयः– **शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में** ।

महोदय,

आपके पत्रांक 117/8/205/जोन–5/09 दिनांक 27.08.2009 के कम में अवगत कराना है, कि आलमबाग स्थित राजकीय प्रयोगशाला का निर्माण 40 वर्ष पूर्व किया गया था, तत्कालीन समय में प्रायः वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं दी जाती थी तथा राजकीय भवन अपनी पूर्ववत स्थिति में है इसलिए वर्तमान में भी वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, अपितु प्रयोगशाला भवन के छत से कई ड्रेन पाइप लगाये गये है जिससे पानी भूतल (कच्चे) स्थानों से होकर बह जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सी0पी0श्रीवास्तव)
वरिष्ठ कीटनाशी/उर्वरक विश्लेषक

3/P

7/9/09

1519

1860 1779 16 411


# उ0 प्र0 जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान

वाल्मी भवन, उतरेटिया, लखनऊ - 226 025

**U. P. WATER & LAND MANAGEMENT INSTITUTE**

WALMI BHAWAN, UTRATIA, LUCKNOW - 226 025

Phone & Fax: (0522) 2440309, E-mail: walmeup@sancharnet.in

WALMI-UP


प्रेषक,

जी0 के0 गुप्ता,
उपनिदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

जोनल अधिकारी, जोन-5,
लखनऊ नगर निगम।

पत्रांकः 2387 /वाल्मी/09-10 दिनांकः सितम्बर 03, 2009

1469/205
5-9-9

विषयः <u>शासकीय भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या- 117/242205/जोन-5-09, दिनांक 27.08.09, जिसके साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2009 की छायाप्रति संलग्न की गई है, के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में वाल्मी भवन में वॉटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। किन्तु, उक्त के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(जी0 के0 गुप्ता) 3.9.09
उपनिदेशक (प्रशासन)

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\WALMI\Deputy Director\Sri G.K. Gupta\Letter to Zonal Officer (Zone-5).doc

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\WALMI\Deputy Director\Sri G.K. Gupta\Letter to Zonal Officer (Zone-5).doc

1861 1475 (17) 412

(8)

# कार्यालय सेनानायक 32वी वाहिनी पीएसी लखनऊ।

पत्रांकः क्यू0एम0मिस(वाटर हार्वेस्टिंग)/09 दिनांकः 8/9 .09

सेवा में,

जोनल अधिकारी
जोन–5, नगर निगम,
लखनऊ।

कृपया अपने पत्र संख्याः 123/जैड0ओ0–5/जोन–05/09 दिनांकः 03.09.2009 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में है।

उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालनकम में अवगत कराना है कि शासकीय भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नही है।

सूचना अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1498/205
7-9-09

8/9/09
सेनानायक
32वी वाहिनी पीएसी
लखनऊ

AIO/P
श्री इकबाल
7/9/09

9/3 2009\D\32 BN HQ\VIVIDH\WATER HARVESTING.doc

COMMISSIONER FOR GARDEN

# उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम

सी-973-74 बी, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ–226 006, उ० प्र०
दूरभाष :– 0522-2385356/2384802/2385832, फैक्स : 91-522-2384845
ई–मेल : upseed@rediffmail.com/upseeds@rediffmail.com


पत्रांकः यूपीसीड/04/09/3241
दिनांकः 5 सितम्बर, 2009

जोनल अधिकारी,
जोन–5
लखनऊ नगर निगम
**लखनऊ**

1499/205
8.9.9

महोदय,

आपके पत्रांक संख्या 117/6/205/जोन–5/09 दिनांक 22.08.2009 जो की शासकीय भवनों वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यू0पी0 बीज विकास निगम एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला मकान संख्या जी बी–82 में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है ।

5-9-09
(सी0 प्रसाद)
उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी

**प्रतिलिपिः–**

प्रभारी अधिकारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला आलमबाग लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(सी0 प्रसाद)
उप मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी

उ०/P
श्री द्विवेदी
8/9/09

1863 19 414

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ।
पत्र संख्या–भ–63/2009 दिनांक–सितम्बर 05 ,2009

सेवा में,

जोनल अधिकारी, जोन–5
नगर निगम, लखनऊ।

कृपया आप अपने पत्र संख्या–125/जेड0ओ0–5/जोन–5/09 दिनांक 31.08.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के कम में शासकीय भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है या नही से सम्बन्धित सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध कराये जानें विषयक है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के कार्यालय भवन में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नही है।

(अनिल कुमार राय)
अपर पुलिस अधीक्षक,प्रोटोकॉल/कार्यालय
निमित्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,
लखनऊ।

1507/205
8.9.9

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक, (परियोजना), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ कार्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1815

1864 (20) 415

प्रेषक,

अधिशासी अभियंता
नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट–2,
लखनऊ।

सेवा में

जनल अधिकारी
जोन–5, लखनऊ नगर निगम
चम्बाग, लखनऊ।

533/205
O.P.S

पत्रांक 306 /न0अ0नि0यू0–2/ वाटर हार्वेस्टिंग दिनांक 9/9 सितम्बर, 2009

विषयः– शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 117/34/205/जोन–5/09 दिनांक 27/8/2009 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसमें शासकीय भवन पर वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के शासकीय भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय,

डी0सी0 भट्ट
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन
यूनिट–2, लखनऊ
9/09/09

पत्रांक /न0अ0नि0यू0–2/ तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(डी0सी0 भट्ट)
अधिशासी अभियंता

12/9/09

157

कार्यालय सीनियर फोरमैन
उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम
चारबाग डिपो(चारबाग) लखनऊ

1065 1279 21 416

पत्रांक: 746 ल०क्षे०/सी०प्रोथ-चार०/09 दि०- 09-09-09

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम
लखनऊ।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 4436 (एम/बी)/2003, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

1510/205 9.9.9- आपके कार्यालय पत्र संख्या 22/EE(P)/JNNURM/DR/09-10 दिनांक 24-08-09 के द्वारा उपरोक्त विषयक, सम्बन्धी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | कार्यालय का नाम व पता | प्लाट एरिया एवं आच्छादित क्षेत्रफल | रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित है अथवा नहीं |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक प्रबन्धक सीनियर फोरमैन रोडवेज बस डिपो जी.बी.-31 अमौसी | 29,260 स्क्वायर मीटर | नहीं |

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सीनियर फोरमैन
उ० प्र० परिवहन निगम
चारबाग डिपो, लखनऊ

प्रतिलिपि- ① सेवा प्रबन्धक महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
② सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक चारबाग डिपो को सादर सूचनार्थ।

अ०प्र
9/9/09
20V

सीनियर फोरमैन
उ० प्र० परिवहन निगम
चारबाग डिपो, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS

1866 (22) 1750 417

महत्वपूर्ण/मा0उच्च न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

सेवा में,

जोनल अधिकारी,
जोन-5, लखनऊ नगर निगम,
लखनऊ।

496/205
7.9.8

पत्रांक 607/एटीआई/नगरनिगम/ दिनांक 07 सितम्बर,2009

विषयः- शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-117/27/205/जोन-5/09 दिनांक 27 अगस्त,2009 को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0, लखनऊ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ के परिसर में स्थित है। एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0, लखनऊ के शासकीय भवनों में वाटर की सप्लाई उक्त प्राधिकरण जिनके पास वाटर हार्वे...ग की व्यवस्था है के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

भवदीय,

( देवेन्द्र स्वरूप )
निदेशक।

अ

7/9/09

1867 ~~1981~~ 23 418

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp Parties

ANNEXURE NO - 5

# Municipal Corporation, Lucknow

From:
Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam Lucknow.

Ref No: 89/E.E/JNNURM/09-10
Date: 05.09.2009

To,
The Director,
NEERI, Nehru Marg,
Nagpur, Maharashtra.

**Sub: EIA of Land for Sanitary Landfill site at vill. Dasheri in Lucknow City**

Sir,

In the WP (MB) 4436( MB)/2003, the Hon'ble High Court has passed orders for identification of landfill sites for Lucknow City, It is to further inform that the Hon'ble High Court shall take up the next hearing of the case on 15.09.09. Vide letter No. 42/E.E/JNNURM/09-10 Dated 07.05.2009 of this office informations on the identified lands for the proposed Sanitary Landfills and processing facilities were forwarded formerly for your kind comments.

With reference to the above, the EIA of the proposed Sanitary Landfill site at vill. Dasheri is being forwarded alongwith this letter for your kind expert comments that may kindly be submitted before the Hon'ble High Court.

Encl. : As above.

**Yours Sincerely**

**Addl. Municipal Commissioner.**
**Nagar Nigam, Lucknow.**

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

1868 ~~1282~~ (24) 419

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp Parties

ANNEXURE NO - 6

21/01/2006 13:54 0712-2249752 NEERI NAGPUR. PAGE 01/01

**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**


Dr. A.N. Vaidya
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste
Management Division

Tele { phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in


SHWMD/HQ/2009
September 14, 2009

Fax No. 0522-2625960

To
Mr. S.K. Singh
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam
Lucknow

**Subject: Visit of NEERI Scientists in connection with Solid Waste Management at Lucknow**

Dear Sir,

This has reference to your letter No. D-582/NA/AMCA/09 dated 22.08.2009. Meanwhile, we have received the report entitled "Rapid Environmental Impact Assessment Report and Environmental Management Plan for proposed sanitary landfill and composting site of Lucknow city" on 11th Sept. 2009 from you, and the same is being reviewed at our end. Considering the pre-committed assignments, we will be able to visit Lucknow during second week of October 2009 to assess the progress of the work related to remediation of the site near Gomati river bed. By this time, we hope significant progress will be made in this regard. We will also visit the proposed site for sanitary landfill during this period. After completion of the inspection study, a report will be submitted by us. The charges for the proposed inspection and other relevant expenses will be communicated shortly.

With warm regards,

Yours sincerely,

A.N. Vaidya

(A.N. Vaidya) 14/9/09

COMMISSIONER FOR CAT...

1515

1869 1281 25 420

# EXECUTIVE SUMMARY

## Proposed
## SANITARY LANDFILL & COMPOSTING SITE
*Lucknow city, Dist. Lucknow, U.P.*

*FOR*

## U.P. JAL NIGAM
**Lucknow**

*Prepared By*
GRASS ROOTS RESEARCH & CREATION PVT. LTD.
(An ISO 9001:2008 Certified Co.)
G-52, Kalkaji, New Delhi -110 019
Ph.: 011-40740200, Telefax: 011-26441761
*Email: grc.india@yahoo.com, grc_india@rediffmail.com*
*Website: http://www.grc-india.com*

COMMISSIONER FOR GATE

1/19

# EXECUTIVE SUMMARY

## 1.0 Introduction

Almost all the solid waste generated in the towns of our country especially in Uttar Pradesh is being disposed of by dumping the waste on open land. In order to resolve the problem of finance the Govt. of India under, JNNURM & UIDSSMT programmes, has sanctioned projects of 19 towns/cities of this State at present. Lucknow is one such city for which sanctions by Govt. of India has already been accorded.

Lucknow city has a present population of 21.85 lacs. It is spread over an area of 247.7 Sq.km. The whole town is divided into 110 election wards and 6 zones for solid waste management. The Lucknow Nagar Nigam (LNN) is responsible for collection, treatment and disposal of Municipal Solid Waste generated in Lucknow city. Hence, LNN has initiated development of Municipal Solid Waste (MSW) processing complex in Lucknow City, with an objective of waste reduction and ultimately effective management.

The existing SWM system of Lucknow does not have an engineered landfill site for disposal of waste. The waste collected from secondary collection points is dumped in an unorganized manner at the dumpsite located at Ghaila/Dubagga/Hardoi-kanpur ring road, Ramdaskheda village, and Kursi road.

- The proposed land for the Sanitary Landfill Facility (SLF) for 25 years is located at Village-Nawbasta Dasehri village. The site lies in close proximity to Lucknow Haridoi Northern Railway main line. The project is spread over 93 acres of land and will require an investment of Rs. 4292.37 lacs. A 500 TPD of compost plant in modular units of 250 TPD has been proposed. The total cost of the project is Rs 4292.37 lacs, including cost of collection and transportation of

solid waste as Rs 1659.64 lacs and cost of sanitary landfill facility and processing as Rs 2632.73 lacs. The proposed solid waste management facility shall involve conversion of waste into organic manure. Non biodegradable products such as stones, sand ceramics and metal components will be separated from biodegradable and other organic matter waste.

The proposed project falls under Item 7 (i) (Common Municipal Solid Waste Management Facilities) as per Environmental Impact Assessment Notification dated September 14, 2006. The project will fall under Category B as it does not fall within 10 kms of any of the criteria as specified in the general conditions such as interstate boundary, protected forests etc. and will not require environmental clearance from Ministry of Environment and Forests, but only from the SEAC.

A REIA/EMP study report has been prepared for this project based on Post-Monsoon season (October - December, 2008) baseline environmental quality data in the study area. Identification & prediction of significant environmental impacts due to the proposed integrated waste processing facility with an Environmental Impact Statement followed by delineation of appropriate impact mitigation measures in an Environmental Management Plan are included in the REIA Report.

The purpose of this Environmental Impact Assessment (EIA) study is to provide information on the nature and extent of environmental impacts arising from the construction and operation of the proposed project.

The solid waste at project site shall be provided by Lucknow Nagar Nigam. The proposed integrated waste processing facility will have a section for processing Municipal Solid Waste (MSW) which will involve manual segregation, shredding, screening to separate both fine inerts and some percentage of bio-degradable matter, fines screening, ballistic separation etc.

A compost plant of 500 TPD in modular units of 250 TPD of capacity will be installed for converting biodegradable waste into fully matured and stabilized humus like organic fertilizer/soil enricher for use in crop production. Quality control will be maintained as far as the physical, chemical, and biological parameters and the finished product will be packed in high density polyethylene (HDPE) bags for sale.

## 2.0 Salient Features of Project

The salient features of the project are provided below:

| | |
|---|---|
| Total Project Cost | : Rs 4292.37 lacs |
| Land Area | : 93 acres |
| MSW Processing Facility | : 1198.7 TPD |
| Capacity of compost plant | : 500 TPD |
| Leachate to Be Managed | : 480.35 $m^3$/hr |
| Area for landfill | : 75 acres (approx) |
| Area of compost plant and other facilities | : 18 acres |

## 3.0 Site Location & Description

The land for municipal solid waste disposal is located in the west of the city near the Lucknow Haridoi Northern Railway main line at Dasehri village. From the project site Gomati river on its northern side and Sarda canal on the southern side. The nearest Railway Station is Kakori at a distance of approx. 3 Km. The site is having an area of about 98 acres. The site can be accessed through the by Lucknow - Haridoi road which is at a distance of 2 Km from the site.

1073 (1757) (29) 424

## 4.0 Project Utilities/Amenities

### Water Supply and Sprinkling System

One RCC water reservoir of 90,000 its capacity will be constructed near the platform with provision of pump house for spraying of culture, slurry and water during the compost treatment process.

### Electric Power

A HT / LT electric power connection will be obtained from UPPCL Total power requirement for pre-processing, composting, curing and storing is 150 KVA

### Green Belt and Garden Area

A green belt of densely planted, tall growing trees will be developed around the plant. Suitable provision for demonstration plots to ascertain the quality of finished products may be made available at the plant site. Around 25% of the area has been earmarked for green belts, associated facilities and buffer zones in as much as the surrounding environment is not disturbed/ effected by noise, odors and defacement (from aesthetic considerations). All services are accommodated within this area.

### Access Road

The proposed landfill shall receive MSW by road from various wards/ localities located within Lucknow municipal area; as such the site shall be suitably connected with a good road network. A direct 5.0 m wide road including 1 m shoulders on each side connecting the landfill area is planned to reach the landfill site and within the facility for proper circulation and movement of vehicles.





**Cost of the Proposed Scheme**

| | Particulars | Total Outlay Rs. in lacs |
|---|---|---|
| A | Collection, Storage and Transportation | 1659.64 |
| B | Sanitary Landfill site and processing facility | 2632.73 |
| C | **Total Cost of the proposed scheme(A+B)** | **4292.37** |

## 5.0 Proposed MSW Facility

### 5.1 Landfill Design

The MSW landfill has been designed keeping in mind 93 acres of land; out of which 84 acres has been earmarked for landfill and rest 14 acres would be used for compost plant and its associated facilities. The base landfill i.e. top of liner has been kept at ground level and 12 m high (above GL) earthen embankment has been provided to achieve the required storage capacity within the area available. Top width of the embankment has been kept at 3m, Inner and outer slopes of embankments have been kept at1V:2H for stability of slopes. All around the landfill site 1.8 m high fencing shall be provided to prevent any unauthorized entry & stray animals. A 3m wide green belt has been provided all along the facility boundary. The leachate treatment units, leachate collection sumps, equalization tanks, treatment control room etc. shall be provided outside the embankment.

#### 5.1.1 Liner Systems

A geo-composite liner will be provided on the inner side of the landfill as per the requirement of Central and State Pollution Control Board norms. The objective in the design of liners is to minimize the infiltration of leachate and gases into subsurface soils below the landfill eliminating the potential for ground water contamination. Liners provide an effective hydraulic barrier beneath the waste to contain the waste and to allow for effective removal of leachate generated during containment.

**a) Bottom Liners**

The bottom portion of the landfill directly rests on stable compacted specially prepared soil bed. The various layers of liners from bottom to top layer

- 600 mm thick compacted clay/ amended soil ($k<10^{-7}$ cm/sec.)
- 1.5 mm thick High Density Polyethylene (HDPE) Geomembrane
- 200 mm thick silt sand protective layer
- 300 mm thick granular soil drainage layer (Leachate Collection Layer)

**b) Side Liners**

The side slopes in the soil formation are similarly made on firm compacted specially prepared stable slopes 2H: 1V. The various layers of side liners from bottom to top are:

- 450 mm thick compacted clay/ amended soil ($k <10^{-7}$ Cm/sec.)
- 1.5 mm thick High Density Polyethylene (HDPE) Geo-membrane
- 100 mm thick protective layer (selected soil)

**c) Top Cover Liners**

The top cover shall have the highest point at the center and slopes towards the edges radially with around 5 % slopes (after pre-grade settlement) towards the embankment. The various layers of liners from bottom to top are:

- 450 mm thick granular soil (Gas Collection Layer)
- 600 mm thick compacted clay / soil ($k <10^{-7}$ cm/sec.)
- 300 mm thick topsoil thick topsoil / Sweet earth laid to 5 % slope

**5.1.2 Leachate Control Facilities**

The leachate collection layer is provided in the granular soil (drainage) layer of the bottom liner system. The landfill is provided with two HDPE header pipes (355 mm. dia) which transfers the leachate into the collection sumps. These header pipes shall be connected with a network of perforated HDPE lateral pipes laid at a slope of 1% and 20 m c/c spacing. These laterals collect leachate and

transfer it to the HDPE header pipe, which is laid at a slope of 1%. The header pipe ultimately transfers the leachate into the leachate collection sumps. The landfill will receive municipal solid wastes only. All operations are planned in such a way that generation of liquid waste is minimum and the leachate directly reaches the leachate collection sump for treatment. The maximum flow of the leachate is assumed to be 480.35 $m^3$/hr.

### 5.1.3 Landfill Gas Control Facilities

The liner system consists of one layers of geo-membrane and one layer of 2 ft. (600 mm) thick amended clay as liners whereby the chances of gases escaping from the ground and contaminating the ground water and soil are remote. The gases developed due to continued confinement of degradable wastes, if any, are released through the gas extraction facilities provided in the landfill. For this purpose GI vents are planned at 20m x 20m grids.

## 5.2 Wastes to compost Plant

The biodegradable waste segregated at the source is collected and transported to the Compost Plant. The Process Design for MSW Compost Plant involves various steps as described (Figure E-1)

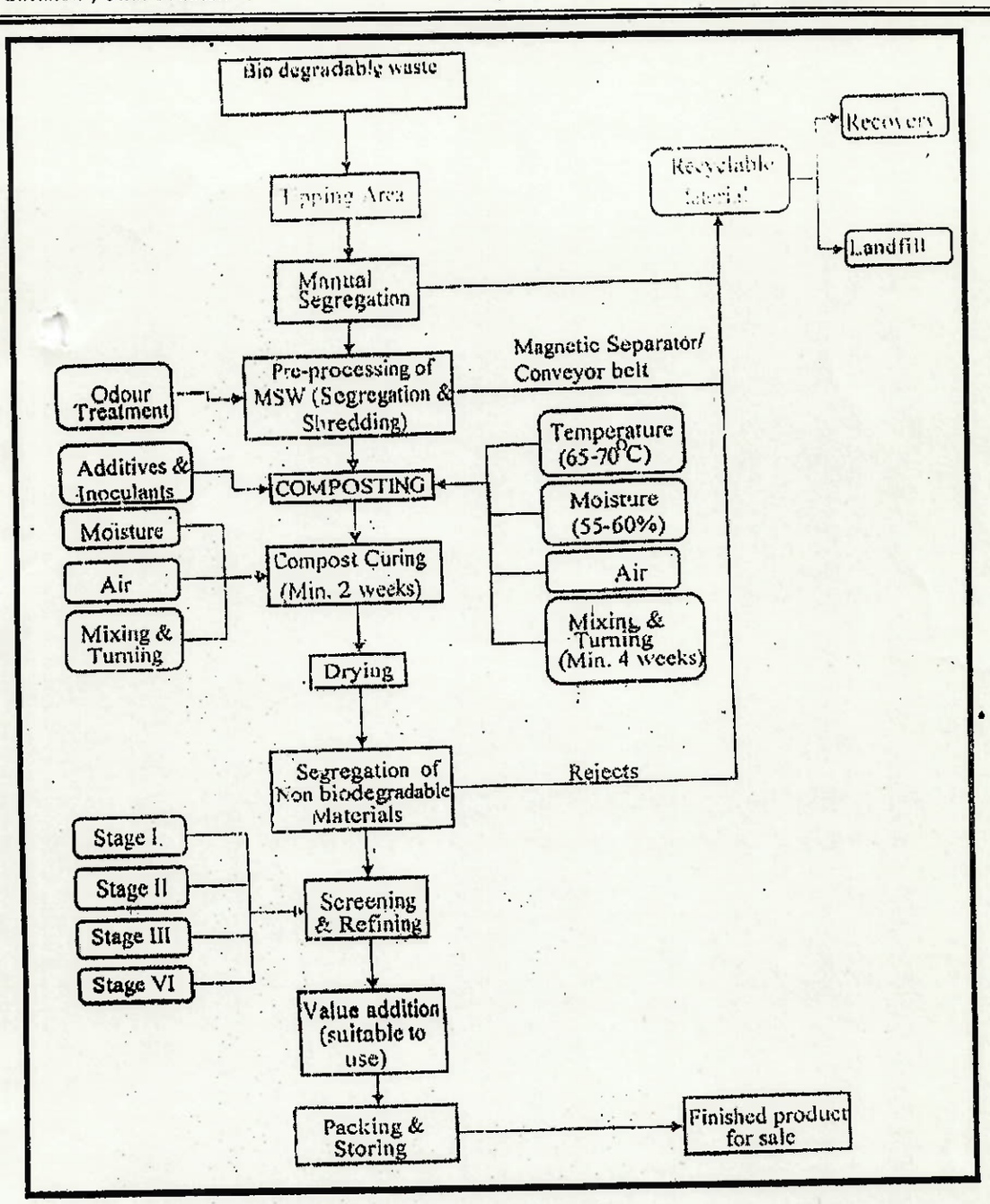



**Fig-E-1- Process Design for MSW Compost Plant**

### 5.2.1 Waste Receipt and Storage

The bio-degradable waste from the city is received by Tippers and unloaded on an elevated ground near the Receipt area. At this point, waste segregation is carried out manually. The segregated organic material is dozed off into the receiving pit through a Dozer of Front-end Loader. It is then drawn by a Reciprocating Feeder (R-feeder) and put on to a Conveyor Belt to facilitate removal of non-biodegradable material such as metal, paper, glass, bricks, stones, etc.

### 5.2.1 Waste Pre-processing

The segregated organic waste is transferred to a Surge Hopper in the Screening Area. The material in the surge hopper is drawn by reciprocating feeders and put on to flat Picking Conveyors that run at a speed of 0.8m/s. workers are deployed on either side of the slow moving picking conveyors to sort the non-biodegradable wastes. The rejected material is transferred to Reject Hopper for appropriate disposal.

The sorted organic refuse is sent to a Shredder in the Shredding Yard for sizing through Loading Conveyors. The size reduction facilitates faster biological decomposition. The shredded materials are transferred to Windrows through front-end loaders or through Shuttle Conveyor arrangement and telescopic chute. Additives, inoculants and micro-organisms are added at this stage for controlled decomposition of organic material.

The pre-processed waste is laid in trapezoidal or triangular heaps in multiple rows for initiating the microbial activity. These waste heaps are periodically aerated through Self-Propelled Windrow Turners which move over the rows and facilitate turning and cropping.

Water sprayed on the heaps to maintain the desired moisture content. The heaps are covered with a layer of polyvinyl chloride (PVC) sheets to prevent odor nuisance, flies and to maintain the required temperature.

As the decomposition progresses, the bio-mass changes color from light green to dark brown humus like substance. Once, this condition is reached, the compost ready for further refinement (separation and grading). At this stage the conversion of organic waste into compost takes approximately 4 weeks.

### 5.2.1.1 Curing and Drying

The fully decomposed organic matter will be placed on the curing bed for two weeks and covered with PVC sheets. Water will be sprinkled on a regular basis. This process is done to remove any odor and the microbes present in the compost. The fully matured compost will then be dried in the drying bed under the sunlight.

### 5.5.2.1 Compost Refinement, Bagging, and Storage

The compost is passed through a coarse trammel (rotary sieve) to get the compost of desired size. After the mechanical separation, grading and sieving, fully matured and stabilized humus like organic fertilizer/soil enricher is recovered for use in crop production. Quality control is done for the physical, chemical, and biological parameters and the finished product is packed in high density polyethylene (HDPE) bags for sale.

## 6.0 Baseline Environmental Status

The baseline environmental status was assessed based on primary and secondary data collected through on-site field observations and obtained from agencies such as IMD, Geological Survey of India, State Ground Water Department, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board, Census of India and Local Forest Department. The following environmental components were focused on during this study:

- Air Environment (Metcorology, Ambient Air Quality, Noise Levels, Traffic Pattern, etc.)
- Water Environment (Quality and Quantity of Surface and Groundwater sources)
- Land Environment (Geology, Hydrogeology, Landuse, Solid Waste generation and characteristics)
- Ecological Environment (Terrestrial and Aquatic Flora & Fauna)
- Socio-Economic Environment (Demographic profile, Occupational structure, Educational status, Literacy status, etc.)

The baseline status collated from analysis of secondary and primary data is summarized in the Table E-1 below.

**Table E-1 Baseline Environmental Status**

| Attribute | Baseline status |
|---|---|
| Ambient Air Quality | Ambient air quality was monitored at 5 locations within a 10 km radius of the project site. The average observed SPM levels were in range of 141.11-189.12µg/m$^3$, while RSPM was in range of 73.64 to 93.59 µg/m$^3$. The range of SO2 and NOX was 8.30 to 12.96 µg/m$^3$ and 14.10-21.08 µg/m$^3$ respectively. Observed concentrations of SPM, RSPM, SO2, CO, NOx were well within the prescribed NAAQS limits. |
| Noise Levels | Noise monitoring was carried out at five locations. The results of the monitoring program indicated that both the daytime and night time levels of noise were well within the prescribed limits NAAQS at all the five locations monitored. |
| Water Quality | 5 Groundwater samples and 2 surface water samples were analyzed. Total Dissolved Solids (TDS) in groundwater samples is below desired limit as per IS: 10500 at 5 locations while Total Hardness exceeds the desired limit as per IS-10500 at all locations while calcium exceeds the desired limit at one location.<br><br>Surface water samples on analysis and comparison with CPCB class "C" water showed that BOD is high in comparison to maximum 3 mg/l. Surface water samples also showed the presence of total Coliform and faecal Coliform indicating organic contamination. |
| Ground Water Availability | The groundwater in the study area occurs in unconfined state in the shallow zone. The groundwater in unconfined conditions rests at 4 m below ground level to a maximum of 29.4 m below ground level. In general deeper water level remains within 20 m below ground level. |
| Soil Quality | The proposed site is characterized by highly variable stratified soils. The result shows that the moisture retention capacity of the soil is 14 %, which is not very good. Soil of the area is slightly basic with a pH of 8.50-9.07. |
| Biological Environment | No protected or reserve forest falls within 15 km radius of the proposed project site. River Gomti and Sarda Canal are the permanent water bodies flowing within 10 km from the proposed project site. The project site does not come within an existing or proposed ecological sensitive zone. No threatened or endangered plant or animal species are known to exist in and around the site. |
| Socio-economy | The complete study area falls under Lucknow Nagar Palika. Literacy rate is 43.77% in census 2001. The sex ratio for the area is 872, as against the state average of 898. In the study area maximum number of people are found to be engaged as "other workers" in economic activity like Government/Private service, teachers, factory workers, commerce etc. agricultural activities are the main source of income. |

1883 1284 39 434

## 7.0 Site Evaluation as per the Guidelines for the Selection of Site for Landfilling

The landfill Site has been evaluated as per the evaluation criteria, discussed in Chapter 5. All the features as described in the Site Ranking criteria have been investigated for the chosen site and Table E-2 shows evaluation of the landfill Site as per the information gathered for evaluation of site suitability. The identified site scored 538 points on the ranking scale, putting in the moderate category since it is below 750. As a moderate site, the selected site may be used for Sanitary landfill Development since other sites are unavailable.

**Table E-2: Evaluation of the landfill Site as Ranking of Disposal Sites Criteria**

| Attribute | Attribute Measurement | Sensitivity Index | Weightage | Attribute Score |
|---|---|---|---|---|
| **Accessibility Related** | | | | |
| Type of Road | State Highway | 0.40 | 25 | 10 |
| Distance from collection point | < 10 km | 0.20 | 35 | 7 |
| **Total** | | | **60** | **17** |
| **Receptor related** | | | | |
| Population within 500 meters | 1203 | 1.0 | 50 | 50 |
| Distance to nearest drinking water source | 150 m | 1.0 | 55 | 55 |
| Use of site by nearby residents | Not used | 0.10 | 25 | 2.5 |
| Distance to nearest building | 150 | 1.0 | 15 | 15 |
| Land use/ Zoning | Completely Remote (zoning not applicable) | 0 | 35 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Decrease in property value with respect to distance | < 1000 m | 0.8 | 15 | 12 |
| Public utility facility within 2 kms | Some commercial | 0.25 | 25 | 6.25 |
| **Public acceptability** | **Acceptance with suggestions** | **0.50** | **30** | **15** |
| **Total** | | | **250** | **155.75** |
| Attribute | Attribute measurement | Sensitivity index | Weightage | Attribute score |
| **Environmental Related** | | | | |
| Critical environment | Not a critical environment | 0.25 | 45 | 11.25 |
| Distance to nearest surface water | 3500 m approx. | 0.30 | 55 | 16.5 |
| Depth to ground water | 10 m approx. | 0.65 | 65 | 42.25 |
| Contamination | No contamination | 1.0 | 35 | 35 |
| Water Quality | Potable | 0.75 | 40 | 30 |
| Air Quality | Confirming to Residential standards | 1.0 | 35 | 35 |
| Soil Quality | Average | 0.75 | 30 | 22.5 |
| **Total** | | | **305** | **192.5** |
| **Socio- economic Related** | | | | |
| Health | Moderate | 0.5 | 40 | 20 |
| Job opportunities | High | 0 | 20 | 0 |
| Odour | Moderate Odour | 0.5 | 30 | 15 |
| Vision | Site fully seen | 0.8 | 20 | 16 |
| **Total** | | | **110** | **51** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Waste Management Practice Related** | | | | |
| Waste quanity/day | 1198.7 TPD | 0.7 | 45 | 31.5 |
| Life of site | 25 years | 0 | 40 | 0 |
| **Total** | | | **85** | **31.5** |
| **Climatological Related** | | | | |
| Precipitation effectiveness index | 31-63 | 0.5 | 25 | 12.5 |
| Climatic features contributing to Air pollution | No problem | 0 | 15 | 0 |
| **Total** | | | **40** | **12.5** |
| **Geological Related** | | | | |
| Soil permeability | $1.4\text{-}1.7 \times 10^{-7}$ | 0.35 | 35 | 12.25 |
| Depth to bedrock | Not known | 1 | 20 | 20 |
| Susceptibility to erosion & run-off | Not susceptible | 0 | 15 | 0 |
| Physical characterstics of rock | Not known | 1 | 15 | 15 |
| Depth of soil layer | 3m | 0.35 | 30 | 10.5 |
| Slope pattern | < 1% | 0 | 15 | 0 |
| Seismicity | Zone III | 0.5 | 20 | 10 |
| **Total** | | | **150** | **67.75** |
| **Grand Total** | | | **1000** | **538** |

### 8.0 Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan

Environmental impact due to the construction and operation stages of the project were predicted and impacts were also evaluated qualitatively using engineering judgment and best management practices.

Adequate environmental management measures will be incorporated during the entire planning, construction and operation stages of the project to minimize the adverse environmental impacts and assure sustainable development of the area.

The impacts during the construction phase will be temporary in nature. This summary details the pollution sources and mitigation measures proposed for the project.

### 8.1 Air Environment

During the construction phase, operation of construction equipments and vehicles will be the main sources of pollution. A dust control plan will be implemented and regular maintenance of vehicles and equipment will be carried out.

During the operation phase, the main sources of pollution shall be emissions from Compost Plant, fugitive dust and odor emissions from waste handling and processing and emissions due to vehicular movement. Adequate mitigation measures shall be implemented. Emissions from waste handling areas shall be controlled by provision of covered areas, proper ventilation and by maintaining negative pressure. Herbicides will be sprayed to discourage further decomposition of MSW. The Compost plant shall be provided with adequate dust control systems such as cyclones, bag filters to control the dust emissions. NOx emissions shall be controlled by admission of secondary air and maintaining temperature balance.

### 8.2 Noise Environment

During the construction phase, adequate mitigative measures such as controlled time of construction, job rotation etc. will be implemented.

During the operation phase, the sources of noise emissions shall be

equipments such as shredders, boilers, generator etc and vehicular movement. Noise enclosures shall be provided wherever possible and workers shall be provided with ear plugs. Personal protection equipments should be provided and the personnel should be trained appropriately.

### 8.3 Water Environment

During the construction phase, a septic tank shall be provided to treat the domestic wastewater generated due to labor settlements.

The main source of water supply from UP Jal Board (UJB) would be used for drinking water and other service requirement. Temporary facility would have impermeable flooring and proper leachate collection arrangement. Leachate has to be treated before discharge. The small quantities of leachate generated will be collected in the sump and treated in Effluent Treatment Plant. Excessive leachate generation in monsoon season will be combated by covering the sub-cells of the facility during rain with HDPE sheets and ensure that no water comes in contact with the waste.

### 8.4 Land Environment

During operation phase of the project, the rejects from waste segregation system/Compost plant will be finally disposed of in the landfill site. The organic waste shall be composted in the Compost Plant for organic fertilizers and soil enricher and the other wastes shall be sold for recycling. As far as possible solid waste should be transported in the sacks and containers to avoid littering of the waste on the land.

### 8.5 Ecological Environment

There is no ecologically sensitive area within a 10 km radial distance of the project site. No wildlife sanctuary or national park is present within the study area. As a compensatory measure, green belt has to be developed in 5 m

strip of land encircling the site to avoid contamination of environment. On both sides of the approach road, at least 5 m wide green belt has to be developed.

### 8.6 Socio Economic Environment

The proposed project will lead to employment generation and will have a positive impact on the socio economic environment. Preference to local population shall be given and adequate mitigation measures will be ensured to reduce odor emissions and disease vectors from proposed site.

### 9.0 Environmental Management System

For the effective implementation of the EMP, an Environmental Management System (EMS) will be established at the proposed project. The EMS will include the following:

1. An Environmental Management cell
2. Environmental Monitoring Program
3. Personnel Training
4. Regular Environmental Audits and Corrective Action.
5. Documentation – Standard operating procedures, Environmental Management Plans and other records.

### 10.0 Conclusion

All possible environment aspects have been adequately assessed and necessary control measures have been formulated to meet statutory requirements. Thus implementing this project will not have any appreciable negative impacts. Moreover, the landfill area requirement will progressively reduce significantly as the solid waste will be converted to stable form (inerts) before being sent for disposal at landfill site. This would save upon the future requirements of area for land filling. Organic Fertilizer / Soil enricher will be an added advantage.

1889 (803) (45) 440

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

writ petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plants---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp Parties

ANNEXURE NO - 07

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर,
लखनऊ

पत्रांकः 4820/लखशान/एम–1/ड्राइंग सें0/ दिनांक 14 सितम्बर 2009

विषयः गांधी सेतु से लामार्टिनियर तटबन्ध के मध्य भूमि रिक्लेम तटबन्ध के निर्माण की प्रगति के संबंध में।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

गांधी सेतु के डाउन स्ट्रीम दाहिना गाइड बन्ध से लामार्टिनियर तटबन्ध के मध्य 21 एकड़ निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि को रिक्लेम किये जाने हेतु तटबन्ध बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। तटबन्ध निर्माण में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। तटबन्ध के सुरक्षात्मक कार्यो का निर्माण कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजना के प्रस्तावित समस्त कार्यो में से 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हों चुके है, शेष 06 प्रतिशत कार्यो को आगामी सितम्बर माह मे ही पूर्ण किया जाना नियोजित है।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर,
लखनऊ

पत्रांकः 4820/लखशान/तदिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर,
लखनऊ

1890

1804

441

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD**

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 14/9/07

**(I.P. Singh)**
Advocate,
Counsel for Deponent

1891 (1805) 442

**IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003




Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Responden

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 15-05-2009 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM**

I, Prem Kumar Assudani, aged about 52 years, son of late Sri H.M. Assudani presently posted as Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, UP. Jal Nigam, Lucknow and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.




2. That on 09-07-2009 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to furnish a progress report for the establishment of sewage treatment plant and

1892 443

third water works which are essential for treatment of sewage and supply of water.

3. That it is submitted that UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal.

4. It is further submitted that Jal Nigam is preparing detailed project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

5. That for Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. The Ministry of Urban Development, Govt. of India has sanctioned the DPR of Sewerage District-III Part-I for an amount of Rs. 262.16 Crore in the meeting of C.S.M.C. dated 21.11.2008 and Sewerage District-III Part-II for an amount of Rs. 214.43 Crore in the meeting dated 29.12.2008.

6. That the detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is being annexed as **ANNEXURE NO.I** to this affidavit.

7. That the Government of India/ U.P. Government has released Rs. 118.15 Crore upto 31.08.2009 against detailed project report of Sewerage District-I (amounting to Rs.236.23 crore),

1893 (807) 444

out of which Nagar Nigam has released an amount of Rs.109.25 Crores to U.P. Jal Nigam. The Govt. of India has released Rs. 32.77 Crore for Sewerage District-III Part-I on dated 16.12.2008 and Rs. 26.18 Crore for Sewerage District-III Part-II. The matching grant of 1st installment 20% and 30% has been released by State Government and Local body respectively. Rs. 29.49 Crore and Rs. 24.13 Crore has been released to U.P. Jal Nigam for Sewerage District-II Part-I and Part-II respectively. The financial bid for Sewerage District-III Part-I and Part-II has been received. The work of evaluation of financial bid is in progress.

8. That the sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 182.00 Km of sewer line has been laid. The work of construction of sewage pumping station and STP has been started and in progress. An expenditure of Rs. 96.67 Crore has been made upto 31.08.2009 against release of Rs. 109.250 Crore. A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **ANNEXURE NO. II** to this affidavit.

9. It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as **ANNEXURE NO. IV & ANNEXURE NO. V** to this affidavit.

10. That so far concrete steps in regard to progress of Sewage Treatment Plant is concerned, it is submitted that the land for construction of 345 mld STP was acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process and clearance from pollution control board and forest department, the work for STP was started on 18.7.2008. The

1894 (1808) 445

required progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood during July to October 2008 in Gomti river but now work is going on in full swing and 65% of work has been completed upto 31.08.2009. The progress of different components of 345 mld STP is annexed as **ANNEXURE NO. III** to this affidavit.

11. That so far installation of new tube wells under JNNURM is concerned out of 40 new tube wells, works of all the 40 new tube wells has been completed and commissioned. In addition to this, installation of 21 tube wells under five piped water supply schemes, the work of 10 tube wells has been completed and the work of 7 tube wells is in progress. A photocopy of the chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

12. That it is submitted that so far installation of new handpumps under normal programme in the year 09-10 is concerned, the work of all the 75 handpumps have been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

13. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells under JNNURM is concerned, the work of all 43 rebore tube wells has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

14. That it is submitted that target of re-boring / special repair of 140 handpumps was fixed under District Plan (urban) 2009-10. Out of which all the 140 re-boring / special repair has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

15. That it is further submitted that in addition to JNNURM, UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State

1895 ~~1805~~ 446

Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for all the 5 tube wells have been completed. Out of proposed 39 rebore tube wells, all the 39 tube wells have been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

16. That so far concrete steps in regard to progress of IIIrd Water Works is concerned, 8 Hectare land near Katautha Jheel has been acquired for third water works and the works for boundary wall has been completed. Irrigation Department has agreed to provide 100 cusec Raw Water from Sharda Canal for IIIrd Water Works, the formal order is yet to be received from Irrigation Department. The works for water treatment plant, 10 Nos. underground water storage tank, clear water feeder main, development of intake works and dredging, development and beautification works of Katautha Jheel are in progress. A photocopy of the chart showing progress of different components of IIIrd Water Works is being annexed as **ANNEXURE NO. VII** to this affidavit.




17. That it is submitted that financial progress of water supply schemes is annexed as **ANNEXURE NO. VIII** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 15.9.09

Deponent

1896 ~~1910~~ 447

## Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 12. of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has been concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 15.09.09

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 15/9/09 at 11.30 a.m./p.m. by Shri Ram Kumar Srivastava who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

COMMISSIONER FOR OATHS ☆ High Court, ALLAHABAD 15/9/09

OATH COMMISSIONER

Sanjay Kumar Singh
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
No. 69864 Date 15/9/09

जे0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवर योजना के मुख्य बिन्दु

दिनांक 31.08.2009 तक

ANNEXURE-I

| क्र.सं | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत) | चौक, हरदोई रोड, कैम्पबेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र | 287335 | 448634 | 565069 | 36 | 55 | 70 | 229.55 | 236.23 | 7988.93 | 4062.34 | 8221.35 | 4180.52 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब | दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी. बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम. एल.डी.। | निर्माणाधीन |
| 2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II | अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र | 225975 | 442125 | 884500 | 28 | 54 | 108 | 489.98 | -- | 21682.93 | 5539.63 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब | ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| 3.1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट - I) | गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र | 709558 | 1130121 | 1765143 | 87 | 138 | 216 | 276.03 | 308.80 | 3890.16 | 1563.80 | 4351.96 | 1749.41 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग एस.टी.पी. - नही विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.08 को रु. 262.16 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 45.878 करोड़ आवंटित। जल निगम को रु. 29.49 करोड़ प्राप्त। निविदा की कार्यवाही प्रगति पर। |

ANNEXURE-1

| क्र.सं | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु. में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 3.2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट-II) | गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र | 465860 | 716805 | 1059143 | 57 | 88 | 130 | 165.03 | 244.03 | 3542.48 | 1558.15 | 5238.27 | 2304.03 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी<br>शाइजिंगमेन - 3375 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग<br>एस.टी.पी. - नहीं<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.08 को रु. 214.43 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 37.534 करोड़ आवंटित। जल निगम को रु. 24.13 करोड़ प्राप्त। निविदा का कार्य प्रगति पर। |
| 4 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV | शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि | 1114272 | 1505315 | 2148145 | 136 | 184 | 263 | 955.08 | -- | 8571.34 | 4446.07 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग<br>एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| | TOTAL | | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 344 | 519 | 787 | 2115.67 | | 7547.88 | 3294.41 | | | | 787 MLD | |

d:aks/NURM xls sh7

परियोजना प्रबन्धक (अस्थाई)

**ANNEXURE - II**

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

## माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

## जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 से 31.08.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 138.00 कि.मी. | 156.00 कि.मी. | 18.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 27.00 कि.मी. | 32.00 कि.मी. | 5.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 45% | 53% | 8% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 55% | 64% | 9% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 85.710 | 96.670 | 10.960 | |
| | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 100.390 | 109.250 | 8.860 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 22.4.2008 को निर्गत की गयी। दिनांक 13.10.08 को रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा 5.12.2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा 10.02.2009 को रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा 20.03.2009 को रु.24.77 करोड़ तथा रु. 19.77 करोड़ की किश्त दिनांक 2.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 15.22 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 29.49 करोड़। जल निगम को वित्तीय निविदायें प्राप्त हो गयी हैं।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 24.13 करोड़। जल निगम को वित्तीय निविदायें प्राप्त हो गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

पी0ई0 परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ



ANNEXURE - II

1900 - 10 - (1819) 451

# ANNEXURE - III

## 345 एम.एल.डी. क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) कार्य के विभिन्न अवयवो का प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्य घटक | वास्तविक अद्यतन प्रगति (31.08.2009) |
|---|---|---|
| 1. | प्री-ट्रीटमेन्ट यूनिट्स | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, कालम कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण। |
| 2. | यू.ए.एस.बी. रियेक्टर | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 5 प्रतिशत पूर्ण। |
| 3. | प्री-एरेशन टेंक - 3 नग | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण |
| 4. | पालिशिंग पाण्ड ऐरेशन जोन- 140 मीटर x 140 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 5. | फाइनल पालिशिंग पाण्ड 140 मीटर x 550 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 6. | स्लज ड्राईंग बेड (106 नग) | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 7. | स्टाफ क्वार्टर 15 नग | 80 प्रतिशत पूर्ण। |
| 8. | एडमिनस्ट्रैटिव ब्लाक 1 नग | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 9. | वर्कशाप बिल्डिंग | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 10. | फाइनल एफ्लुऐन्ट सीवर 2400 एम. एम. साइज - 1500 मीटर | उत्पादन केन्द्र बन गया है, पाइप बनना चालू हो गया है। |
| 11. | गैस होल्डर्स - 3 नग | राफ्ट कार्य पूर्ण। वाल का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण। |
| 12. | स्लज पम्प हाउस | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। |
| 13. | क्लोरीन कान्टैक्ट टैंक | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। वाल कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण। |
| 14. | विद्युत यांत्रिक कार्य | फर्म द्वारा सप्लाई आदेश का कार्य पूर्ण। |
| 15. | कार्य की ओवर प्रगति | 65 प्रतिशत पूर्ण। |

10/9

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-।
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

1/9/19

ANNEXURE - IV

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 से 31.08.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | आई. एल. डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग + 1 नग (80%) | 5 नग + 1 नग (80%) | -- | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण,<br>1 नग (60%) | 5 नग पूर्ण,<br>1 नग (65%) | 1 नग (5%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5670 मीटर | 5830 मीटर | 160 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 60% | 64% | 4% | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 39.175 | 41.105 | 1.930 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 41.650 | 41.650 | 0.000 | |

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

d progress/progressformat xls sh1

ANNEXURE - IV

ANNEXURE - V

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 से 31.08.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | अर्थ एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95% 1 नग 50% | 17नग 95%+ 1 नग 65% | 1 नग 15% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 50% | 10 नग 95%+1 नग 55% | 1 नग 5% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9180 मीटर | 9484 मीटर | 304 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 90% | 90% | -- | |
| 6 | जैनसेट -25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन-1 नग | 1 नग | 80% | 82% | 2% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 55% | 1 नग 65% | 1 नग 10% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 100% | 5 नग 100% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 80% | 20% | 30% | 10% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 80% | 10% | 15% | 5% | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 45% | 45% | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 263.04/417.64 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 201.713 | 223.361 | 21.648 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 244.0351 | 252.035 | 8.000 | |

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

d progress/progressformat xls sh1

-12-
1902
ANNEXURE - V
453

संलग्नक - 6

# लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्या का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 से 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 40 नग चालू। | - | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | - | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 101.64 कि.मी. | 8.24 कि.मी. | 109.88 कि.मी. | 28.38 कि.मी. कमीशन्ड, 25.00 कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | - | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 75 नग | - | 75 नग | 75 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | 99 नग | 41 नग | 140 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 4 नग चालू तथा, 1 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू | 5 नग चालू। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)



COMMISSIONER OFFICE

-13- 1903 (1913) 4554 ANNEXURE-VI

# BRIEF NOTE ON PROGRESS OF THIRD WATER WORKS AT GOMTI NAGAR SANCTIONED UNDER JNNURM

Work of costruction of III[rd] Water Works is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase-I, Part-I sanctioned cost Rs. 388.61 Crore, sanctioned by GOI under JNNURM. Cost of III[rd] Water Works & related works included in above project is Rs. 172.93 Crore.

8.00 hectare land near Kathauta lake is available for III[rd] Water Works. Source of raw water is Sharda Sahayak Feeder Canal near Moradabad Distributory. Irrigation Department has already agreed to provide 100 cusecs of raw water but formal G.O. has to be issued. To provide raw water from Sharda Sahayak a proposal of Rs. 19.01 Crore of Irrigation Department for the construction of head works etc. is included in the sanctioned project and out of which Rs. 10.00 Crore has already been released. In addition to this, Rs. 1.00 Crore has also been paid to Irrigation Department for the construction of retaining wall & other safety measures required for feeder canal.

Proposed works under III[rd] Water Works are construction of head works at Sharda Sahayak intake site (by Irrigation Department), 10.50 Km. raw water rising main, dredging, development & beautification of Kathauta lake, treatment plant - 80 MLD capacity, underground reservoirs-12 nos.(6 nos. each for Indira Nagar & Gomti Nagar areas), 27.50 Km. clear water feeder main & 30.80 Km. clear water rising main. Against above proposed works, works of construction of treatment plant, 10 nos. underground reservoirs, clear water feeder main, head works at intake site by Irrigation Department and dredging & development works of Kathauta lake are under progress. Overall upto date progress of various components of the III[rd] Water Works is about 35%. During canal closure period, water stored in Kathauta lake will be utilized as raw water for treatment plant. Till now Rs. 165.1594 Crore (Central, State & Lucknow Nagar Nigam Share) has been released to U.P. Jal Nigam (Construction Agency) by Govt. under Lucknow Water Supply Scheme Phase-I, Part-I. All the bove released amount has been spent against whole project till 31.08.09. Out of this total expenditure, Rs. 56.40 Crore has been spent for the works of III[rd] Water Works. All works of III[rd] Water Works are proposed to complete by March 2011.

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

1905 (1819) 456

ANNEXURE-(7) VII

# DESCRIPTION OF WORKS RELATED TO III[rd] WATER WORKS

| S. No. | Description of Work | Cost | | Total | Present Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Civil | E/M | | |
| 1- | Canal lining & head works. | 1901.00 | - | **1901.00** | Work is under execution by Irrigation Department. Rs. 1000.00 Lacs has been given to Irrigation Department against Rs. 1901.00 Lacs |
| 2- | Intake and pre-settling units. | 30.75 | 1693.68 | **1724.43** | Civil works awarded. Rs. 100.00 Lacs has been given to Irrigation Department for the construction of retaining wall for the safety of feeder canal & related works. Cleaning of site has already been done. |
| 3- | Treatment Plant-80 mld and intake well at Chinhat lake. | 1239.81 | 2017.67 | **3257.48** | Work is under progress. Approx-35% work completed. |
| 4- | Raw water rising main | 2254.52 | - | **2254.52** | Work awarded & supply of pipes started. |
| 5- | Dredging & development of Chinhat lake. | 2403.86 | - | **2403.86** | Work in progress. Approx-42% work completed. |
| 6- | Clear water rising main | 2892.65 | - | **2892.65** | Work in progress. 14.00 Km. line laid. |
| 7- | Rising main to fill the existing over head tank from proposed C.W.R. & construction of C.W.R. | 1538.72 | 788.95 | **2327.67** | Construction of 10 nos. C.W.R. is under progress. |
| 8- | Construction of office building, boundary wall etc. | 531.44 | - | **531.44** | Construction of boundary wall completed. Remaining works are under progress. |
| | **G.Total** | **12792.75** | **4500.30** | 17293.05 | |

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

1819

संलग्नक - 7

# लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1

## वित्तीय प्रगति

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | 20.03.09 तक कुल प्रगति | 20.03.09 से 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 से 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति | 123.8818 | 41.2382 | 165.12 | 0.0394 | 165.1594 | प्रथम किश्त रू0 20.00 करोड़ 27.03.08 को, द्वितीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अप्रैल 2008, तृतीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अगस्त 2008 में, चौथी किश्त रू0 10.7986 करोड़ 06.10.08 को तथा पाँचवी किश्त रू0 8.784667 करोड़ 04.12.08, 12.298533 करोड़ 11.02.09 एवं रू0 39.6388 करोड़ 17.03.09 को एवं रू0 33.6388 करोड़ दिनांक **31.03.09** को प्राप्त हुई है। |
| | प्राप्त धनराशि | 131.5206 | 33.6388 | 165.1594 | - | 165.1594 | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)



ANNEXURE-VIII

# STATUS AND REQUIREMENT OF WATER SUPPLY FOR LUCKNOW CITY

संलग्नक-3

| S. No. | Water Supply District | Location | Main Area included | Population | | | Requirement | | Availability at Present | | | | Proposed to be enhanced in JNNURM by 2010 | | Availability of Ground Water beyond mid stage 2025 | Total Proposed Availability | | Deficit (Year 2040) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Water | | | Storage | | | | | | | |
| | | | | 2010 | 2025 | 2040 | Water Demand in 2040 | Storage | Surface | Ground Water | Total | | Water | Storage | | Water | Storage | Water | Storage |
| | | | | | | | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | A | Cis Gomti area between Gomti River and Line from Dilkusha to Hardoi. | Aminabad, Charbagh, Hazratganj, Vidhan Sabha, Butler Palace, Rajajipuram, Aisbhagh, Balaganj, Chowk, Medical College, Hardoi Road. | 1159707 | 1495795 | 1879750 | 341.26 | 113752 | 183.86 | 71.13 | 254.99 | 77350 | 111.52 | 2550 | 15.00 | 310.38 | 79900 | 30.88 | 33852 |
| 2 | B | Trans Gomti area on the left bank upto Kukrail Nala. | Aliganj, Khadra, Daliganj, Nishatganj, Jankipuram, Nirala Nagar, Sitapur Road, University Road, Paper Mill. | 696698 | 1111911 | 1745287 | 301.06 | 100354 | 20.00 | 73.72 | 93.72 | 31300 | 19.20 | 3100 | 70.00 | 109.20 | 34400 | 191.86 | 65954 |
| 3 | C | Trans Gomti area on the left bank of Gomti River beyond Kukrail Nala. | Indira Nagar, Gomti Nagar, Sarvodaya Nagar, Sanjay Gandhi Puram & adjoining private colonies. | 478910 | 737155 | 1085451 | 187.24 | 62413 | 0.00 | 66.98 | 66.98 | 34500 | 84.80 | 5350 | 55.00 | 139.80 | 39850 | 47.44 | 22563 |
| 4 | D | Cis Gomti area beyond Dilkusha Hardoi N.R. Line. | Alambagh, Sringar Nagar, Kanpur Road, Raibareli Road, Airport, Sarojini Nagar, South City, Aashiana. | 467685 | 898139 | 1711512 | 295.24 | 98412 | 0.00 | 42.04 | 42.04 | 14000 | 23.04 | 2200 | 42.04 | 65.08 | 16200 | 230.16 | 82212 |
| | | | Total | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 1124.80 | 374931 | 203.86 | 253.87 | 457.73 | 157150 | 238.56 | 13200 | 182.04 | 624.46 | 170350 | 469.46 | 204581 |

| Proposed Work in Future under JNNURM Programm | | | |
|---|---|---|---|
| **Phase-I, Part-I**<br>**Estimated Cost Rs. 456.62 Crore**<br>**(Rs. 388.61 Crore without centage)** | **Phase-I, Part-II**<br>**Estimated Cost Rs. 146.565 Crore** | **Phase-I, Part-III** | **Phase-II** |
| **19** | **20** | **21** | **22** |
| Renovation of 100 Year old Aishbagh Water Works, Strengthening of Feeder Mains, Replacement of Raw Water Rising Main,<br>Upgradation of II W/W Balaganj from 100 MLD to 200 MLD, Strengthening of Feeder Mains from Balaganj.<br>Reorganisation of Garhi Kanaura W/S at the farthest end of Aishbagh W/W command area.<br>Tube wells - 12 Nos.(12 mld) | Reorganisation of W/S Scheme in three areas namely Saadatganj, Kanhaiya Madhopur & Mallahi Tola.<br>Tube wells - 2 Nos.<br>Works related to intake of II water works Balaganj<br>Works related to increase of water in river Gomti. | W/S Schemes having no piped arrangement.<br>Renovation of existing C.W.R. & over head tanks.<br>Automation of existing water supply system.<br>Segregation of existing feeder mains in different water supply zones. | |
| Reorganisation of Shiv Nagar Khadra W/S Scheme,New Water Supply Scheme for Bharat Nagar Area, Sitapur Road.<br>Tube wells - 20 Nos.(20 mld) | W/S Scheme in Aadil Nagar area.<br>Tube wells - 4 Nos. | New W/S Scheme having no piped water supply.<br>Automation of existing water supply system.<br>Renovation of existing over head tanks. | Construction of FourthWater works at Ghaila. |
| Construction of III$^{rd}$ W/W at Gomti Nagar ( 80 mld Capacity)<br>Liberty Colony Sarvodaya Nagar W/S Scheme<br>Tube wells - 5 Nos.(5 mld) | Six W/S Schemes of private colonies adjacent to Indira Nagar & Gomti Nagar to utilize the water produced by Third Water Works. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | |
| New Water Supply Scheme for Kharika Ward.<br>Tube wells – 24 Nos.(24 mld) | W/S Scheme of Raja Bijli Pasi Ward &<br>Reorganisation of Chitragupta Nagar Ward.<br>Tube wells - 15 Nos. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Reboring of permanent defunct tube wells.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | Construction of Fifth Water works at Mohaan road.<br>Reorganisation of distribution system of remaining areas. |
| **Present Status:** | | | |
| DPR sanctioned by G.O.I. Works under progress. Rs. 165.1594 Crores has been received by U.P. Jal Nigam till now out of which Rs. 165.12 Crore has been spent on works. The works of scheme are under progress. | DPR Costing Rs. 146.565 Crore sanctioned by Govt. of India. Tendering process for the works are under progress. | Survey & preparation of scheme in progess. | Scheme will be prepared, subject to the availability of surface water source. |

**Project Manager,**
Payjal-II

# THE MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF WATER SUPPLY TILL 31.08.09

## 1- UNDER JNNURM PROGRAMME :

| | | |
|---|---|---|
| • **Construction of New Tube Wells against 40 Tube Wells** | : | 40 Tube Wells Commissioned. |
| • **Construction of Tube Wells under Five piped water supply schemes.** | : | |
| • **New Tube Wells - 21 Nos.** | | 10 Tube Wells Commissioned, 7 under Progress & 4 site disputed. |
| • **Rebore Tube Wells - 1 No.** | | Commissioned. |
| • **Construction of Rebore Tube Wells against 43 Rebore Tube Wells** | : | 43 Tube Wells Commissioned. |
| • **Distribution System** | : | 109.88 Km. Laid, 28.38 Km. Commissioned. |
| • **Rising Main** | : | Rising Main of 50 Tube Wells laid and Commissioned.<br>Rising Main of 7 Tube Wells under Progress. |
| • **Over Head Tank** | : | Construction of 4 Over Head Tanks in Progress. |
| • **C.W.R.** | : | Construction of 5 CWR's in Progress. |
| • **Third Water Works** | : | Construction of Boundary Wall, Inlet Chamber, Inlet Channel, clarriflocculators, C.W.R. cum sump, filter house and administrative block of WTP under progress. Laying of feeder main is also under progress, 14.00 Km. laid. Construction of 10 Zonal C.W.Rs. also under progress.<br>Fund of Rs. 11.00 Crore has been paid to Irrigation Department for Construction of Head Works, retaining wall at intake site etc. |

## 2- UNDER WATER SUPPLY NORMAL PROGRAMME :

| | | |
|---|---|---|
| • **New Hand Pumps** | : | |
| • **Against 2007-08** | | Work of all proposed 409 New India Mark-II Hand Pump completed. |
| • **Against 2008-09** | | Work of all proposed 1230 New India Mark-II Hand Pump completed. |
| • **Against 2009-10** | | Work of all proposed 75 New India Mark-II Hand Pump completed. |
| • **Rebore/Special Repair Hand Pumps** | : | |
| • **Against 2007-08** | | Works of all 670 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed. |
| • **Against 2008-09** | | Works of all 153 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed. |
| • **Against 2009-10** | | Out of 140 targetted Hand pumps, all 140 Hand pumps are commissioned by reboring/special repair. |
| • **Construction of New Tube well under Normal Programme** | : | 5 Tube wells commissioned. |

**Project Manager**
Peyjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow

(1.)

1910

(1824)

461

**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**

**Dr. A.N. Vaidya**
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste
Management Division

**Tele**
{ phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in

SHWMD/HQ/2009
October 24, 2009

To
Mr. S.K. Singh
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam
Lucknow

**Subject:** **Submission of Inspection Report on Dumped Solid Waste on Gomati River bed near Gandhi Setu**

**Ref:** **Writ Petition No. 4436(M.B.) of 2003 Sewage Treatment Plant Vs. State of U.P. & Others**

Dear Sir,

This has reference to your letter No. D-688/NA/AMC-A/09 dated 26.09.2009, requesting for a visit to Lucknow and submission of Inspection Report on above mentioned subject. Accordingly, we are submitting the report based on the inspection of Gomati river bed (near Gandhi Setu) by NEERI scientists during Oct. 6-7, 2009.

Kindly acknowledge the receipt of the report.

Yours faithfully,

A.N.Vaidya

(A.N. Vaidya) 24/10/09

Copy to: Registrar,
Lucknow Bench of Allahabad High Court
Lucknow

J.R. (Civil)
29.10.09

Registrar (J)

SO MB
30.10.09
JR

Registrar
28-10-2009

1911

1825
462

Inspection Report

# Report on Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow

(Reference: Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003)

Submitted to:

Lucknow Nagar Nigam, Lucknow

National Environmental Engineering Research Institute
(Council of Scientific and Industrial Research)
Nehru Marg, Nagpur - 440 020

October 2009

1912 ~~1826~~ 463

**Preamble**

A writ petition (No. 4436 (MB) of 2003) filed at Lucknow bench of Hon'ble Allahabad High Court raised the issue of Municipal Solid Waste (MSW) that was then being dumped on the bank of Gomati river, near Gandhi Setu, which concerned the pollution of Gomati river. In response, Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court directed Lucknow Nagar Nigam (LNN) to request National Environment Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur for inspection of the site and submitting a status report on the issue. Accordingly, NEERI team inspected the site during July 8 – 9, 2008 along with officials of concerned governmental organizations and regulatory agencies. Subsequently a status report was submitted to Hon'ble High Court. Subsequent to this, Hon'ble High Court on September 15,2009, again directed LNN to request NEERI for the inspection of the site near Gandhi Setu on Gomati River, where LNN and other concerned Governmental agencies had carried out some developmental work and submit a report by October 30, 2009. Accordingly, NEERI scientists Dr. A.N. Vaidya and Mr. J.K. Bhattacharyya inspected the site during October 6-7, 2009 to review the status of activities. This report elaborates the observations of NEERI on the matter and suggests the future course of action. It also offers the comments on the EIA report submitted by LNN for the proposed sanitary landfill site for Lucknow.

**Background of Earlier Status Report (July, 2008)**

The major concern in the earlier inspection and the status report (July, 2008) was the remedial measures for the MSW dumped on the banks of Gomati River near Gandhi Setu, and it did not concern any other developmental activities. The report suggested two alternatives for remediation of the situation. As Lucknow city then did not have and it still does not have a sanitary landfill as per MSW 2000 Rules, confinement of MSW dump was suggested to prevent the pollution of Gomati River. Removal of MSW from the site was another option. However in absence of sanitary landfill, this would have resulted in mere shifting of pollutant

 J.K. Bhattacharyya A.N. Vaidya

from one place to another and would have been detrimental to environment as well. NEERI also recommended for construction of a retaining wall along the periphery of the municipal solid waste dump with the help of experts in this field, competent government organization and regulatory authorities for restricting the lateral movement of leachate towards the river.

In addition to the above status report, NEERI agreed to assist in site selection for sanitary landfill. It was also presumed that necessary clearances would be obtained from various governmental organizations for this purpose. With this background, the visit was undertaken by NEERI scientists in October 2009.

**Report on the Existing Status (October 2009)**

As mentioned earlier, a team of NEERI scientists including Dr. A.N. Vaidya and Mr. J.K. Bhattacharyya visited concerned site during October 6-7, 2009 to review the status of the activities as directed by the Hon'ble High Court. The other officials present during the visit were as follows.

1. Mr. Shailesh Kumar Singh, Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam
2. Mr. A.C. Sinha, Additional Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam
3. Mr. R.K. Tiwari, J.E., Regional Office of U.P. Pollution Control Board, Lucknow
4. Mr. P. Joshia, A.E., Irrigation Department, Luckow
5. Mr. S. Kumar, A.E.(V), PD, PWD, Lucknow
6. Mr. R.K. Shukla, E.E., Lucknow Development Authority, Lucknow
7. Mr. K.K. Kharbanda, S.R.E., Unit 6, C&D.S., U.P. Jal Nigam, Lucknow
8. Mr. A.P. Yadav, P.M. Unit 6, C&D.S. U.P. Jal Nigam, Lucknow
9. Mr. S.R. Verma, J.E. PD, PWD, Lucknow
10. Mr. M.N. Khan, E.E., PD, PWD, Lucknow
11. Mr. S.K. Jain, C.E. Lucknow Nagar Nigam

A.N. Vaidya J.K. Bhattacharyya

1914 ~~1928~~ 465

**Observations**

The major observations pertaining to the site near Gandhi Setu on Gomati River are as follows.

- The concerned municipal solid waste dump has been shifted to the adjacent vacant space and the void has been partly filled up with the demolition waste (Photograph No. 1 and 2). It was reported that the demolition waste was dumped for the purpose of developing parking place.

- A few small heaps of municipal solid wastes are lying scattered at different places. (Photograph No. 3 and 4)

- An embankment, referred as Bundha, has been constructed along right bank of the Gomati River from Gandhi Setu to La Marteneiere bund (Photograph 5). It was reported that the embankment would act as a protective barrier in flooding situation as well as it would protect the river water from surface run off of the surrounding area. It was also reported that the work has been undertaken by irrigation department for land reclamation in the area.

**Comments/Recommendation**

**Management of the MSW Dump**

In the earlier inspection report, two options were suggested for the management of MSW dump and protection of Gomati River water. One option was removal of dumped MSW and disposal in a sanitary landfill constructed as per the guidelines specified in the Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000. However, at present, no sanitary landfill is available at Lucknow. Hence, dumped waste cannot be scientifically disposed of on permanent basis. Alternate option was confinement of waste in a scientific way at the site so that river water is protected from surface run off and leachate due to dumped waste. This involves closure of the dump as per MSW 2000 Rules and provision of retaining wall to arrest surface and subsoil leachate flows towards the river.

1915 466

In the existing situation, priority should be given to the management of the MSW already dumped. Considering the non-availability of sanitary landfill, the confinement of the waste in a scientific manner is of urgent necessity. For confinement of waste, the following measures are suggested:

- Initially all the heaps of municipal solid waste scattered at different places should be brought to one place and as far as possible away from the river and towards the road side and should be thoroughly compacted.
- Afterwards the waste dump should be closed as per the guidelines specified in Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000. The process broadly involves adoption of following measures.

  i. The whole of the waste mass should be covered by barrier soil layer comprising of 60 cms of clay or amended soils with permeability coefficient less than $1 \times 10^{-7}$ cm/sec.

  ii. On the top of the barrier soil layer, there should be a drainage layer of thickness 15 cms.

  iii. On the top of the drainage layer shall be a vegetative layer of thickness 45 cms to support plant growth.

  iv. Vegetative layer can be provided at the top

  v. A slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed dump.

- A retaining wall should be provided along the periphery covering all the sides and enclosing the closed waste dump.
- The retaining wall should be extended to the subsoil strata so that lateral movement of leachate towards the river is prevented. This should be done in consultation and guidance with appropriate experts in the field and regulatory agencies. Hydrological features of the region should also be taken in the consideration. A Wadhya J. K. Bhattacharyya

1916 (1830) 467

**Developmental Activity and Related Construction**

It was reported that a park and parking area are to be developed in the area near the river where the MSW is dumped. As such any urban or commercial construction should not be allowed on the river bed and within 100 m distance from the river bed appropriately determined by high flood water line, from environmental point of view. Hence, prior to commencement of any construction and developmental activity, all the concerned government organizations should ensure that the proposed constructions/development will be beyond flood plane area and satisfy the necessary norms considering high flood line of the river in that area. In addition it is suggested that no commercial or residential activities should be allowed on such a reclaimed area.

**Development of Sanitary Landfill**

Activities have been initiated by LNN for developing sanitary landfill for Lucknow. A land has been identified near Dasheri village for this purpose. Environment Impact Assessment of the proposed sanitary landfill and compost plant has been conducted. A report of the EIA studies has been sent to NEERI for reviewing. It is observed that although the report addresses various aspects of municipal solid waste management as per MSW 2000 rules, it needs revision considering following points.

- It has been reported that landfill site is located at a distance of 100 m from Daseri village. Approach road of the landfill should not pass through the village

- A buffer zone should be created around the landfill. Any development in the buffer zone is prohibited.

- It has been reported that a high tension electric line is passing at a distance of 150 m from the project site. Land fill should be developed keeping away high tension line and adopting necessary safety norms.

A Vaidya & K. Bhattacharyya

1917 ~~1819~~ 468

- Greenbelt should be developed around the landfill site in such a way so that environmental and aesthetic quality of the nearby village are also taken care.

- It is desirable that mango garden located near the site should not be destroyed during construction of sanitary landfill

- On pages 61 to 63, description of the text, title of the Tables (4.10 to 4.13), and contents of the Table are not matching. This needs to be checked and properly incorporated.

- Ambient air quality monitoring locations (Table 4.4, Page 57) do not comply with location indicated in Fig. 4.6 (page 59). Moreover, there is only one sampling point in the downwind direction as indicated in Table 4.4 and Fig. 4.6 which is inadequate.

- On Page 76, Table 4.18 is referred in the text as results of ground water analysis. In the title of Table 4.18, however, the results have been indicated as surface water quality data.

- On page 72, in the description of ground water analysis, Tables 4.16 a), to 4.16 c) are mentioned. These tables are missing in the report.

- In the sub-chapter titled "land use" (4.12, page 88), land use pattern for whole of Lucknow city has been indicated. It is necessary to indicate the land use pattern of the project site and surrounding area.

- In the sub-chapter socio-economic scenario, (4.13.1, page 93-94), there is no mention of data on health scenario, diseases pattern in the project site and the surrounding area.

- On page 94 (4.13.2), total population of study area (10 km radius) has been reported to be 76326 which should be rechecked.

A Vaidya Bhattacharyya

1918 ~~1852~~ 469

It is also suggested that the necessary steps like public hearing, clearance of EIA report from statutory bodies etc. should be followed prior to commencement of construction of sanitary landfill and compost plant.

A Mandhyay J.K. Bhattacharyya

1919 (1837) 470



**Photograph 1: Shifted MSW Dump**



**Photograph 2: Dumped Demolition Waste**

A Waidya

S. K. Bhattacharyya

1920 (1534) 471



**Photograph 3: Scattered Municipal Solid Waste**



**Photograph 4: Scattered Municipal Solid Waste**

A Mishra

J. K. Bhattacharyya

1921 1835 472



**Photograph 5: Newly Constructed Embankment on the Right Bank of Gomati River**

A Waidya
J. K. Bhattacharyya

1922

(1936)

473

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.**

C. M. Application No. of 2009

State of U. P. ----------Applicant

In re

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 09.7.2009 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

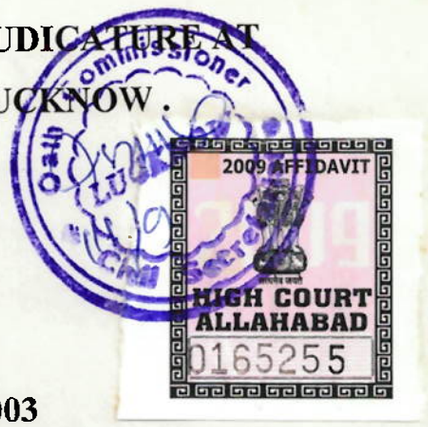
Dated: 15.09.2009

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1923 (1897) 474

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .**




**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

**AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 9th JULY 2009.**

I, Surya Prakash Mishra aged about 51 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:



1924

838
475

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 9th July 2009 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 15th September 2009.

5. That in compliance of the order dated 9th July 2009 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question. It is significant to submit that vide order dated 9th July 2009, this Hon'ble Court directed to file the report in regard to the execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work, sewage disposal work , rain water harvesting works, progress of third water works , action taken on the report of NEERI as well as the selection of land for solid waste disposal etc. in the Lucknow City. It is submitted that enclosing the copy of the order dated 9th July 2009 passed by this Hon'ble Court, vide letter No. 4968 / Nine – 5 – 09 – 4 Writ / 07 dated 17.8.2009 and letter No. 6115 (1) / 9– 5 – 2009 – 4 Writ / 2007 TC dated 08.9.2009, the Department of Urban Development , Government of U.P. directed to all the concerned departments to file the separate affidavit before this Hon'ble Court to apprise the progress of works relating to them. The true photostat copies of the aforesaid letters dated 17.8.2009 and 08.9.2009 are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan ,

Oath Commissioner LUCKNOW

1925

1835

Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavits are being filed by the Nagar Nigam, Lucknow; U. P. Jal Nigam, Lucknow; Jal Sansthan, Lucknow and Ground Water Department in compliance of orders dated 9th July 2009 passed by this Hon'ble Court.

**7.** That it is submitted that under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City under Water Supply Scheme [Phase -- I , Part – II] vide Government Order No. 3959 / Nine – 5 – 2009 / 55 Budget / 06 TC – II Lucknow dated 24th August 2009, the State Government sanctioned an amount of Rs. 2564.88 Lakh for improvement of water supply in Lucknow City. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 24th August 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No.A – 2** to this affidavit.

**8.** That the deponent is filing the progress report with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' on the basis of records submitted by the U. P. Jal Nigam vide its letter No. 2049 / M – 49 97 dated 10th September 2009:

**(i).** That the details of work done till 31st August 2009 under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for improvement of drinking water facilities are being mentioned as under:

The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 31st August 2009,

Oath Commissioner LUCKNOW 14/9 Civil Secretariat

1926

(1890) 479

40 + 10 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing / reboring, out of which till 31st August 2009, total 43 old Tube-Wells have been repaired and they are working.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 109.88 Km have been completed till 31st August 2009.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 50 numbers of Tube-Wells have been completed till 31st August 2009, and rising main work relating to 7 numbers of Tube-Wells are in progress.

**(ii).** That the details of work done till 31st August 2009 under the General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City are being mentioned as under:

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City total 409 + 1230 new hand pumps have been installed in the year 2007-08 and 2008 - 09, and those are working.

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City total 670 + 153 hand pumps were proposed for special repairing / rebore, in the year 2007-08 and 2008 -09, and those have been repaired / rebored and they are working.

Addl. Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat 14/9

1927

(1841) 478

In the year 2009-10, the U. P. Jal Nigam proposed for special repairing / rebore of 140 hand pumps; out of which till 31st August 2009 the works relating to special repairing / rebore of all 140 hand pumps have been completed, and they are working.

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City total 5 Tube-Wells were proposed for installation, and till 31st August 2009, all 5 Tube-Wells have been installed and they are working.

Under General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City, total 39 old Tube-Wells were proposed for reboring, out of which till 31st August 2009, total 39 old Tube-Wells have been repaired / rebored and they are working.

True photostat copy of a chart showing physical progress of aforesaid work is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

**9.** That in Master Planning of Sewerage Works, for Lucknow Sewerage District – 1 an estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by the Government of India. It is submitted that the Lucknow Sewerage Scheme of District – 1 covers approximately 289 Km of branch sewer laying, and 48 Km of trunk sewer laying, construction of one Sewage Pumping Station of 56 mld capacity and one number STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 156.0 Km. of sewer line has been laid till 31st August 2009, and out of 48 Km. trunk sewer laying work, the work in total 32 Km have been completed till 31st August 2009. It is submitted that the work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started and about 53 % and 64 %

Addl. Commissioner LUCKNOW 14/9 Civil Secretariat

1928 1392 479

work with regard to same have been completed. True photostat copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (under the Sewerage Scheme of District–1) is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

**10.** That it is significant to submit that the works done till 31st August 2009, under Gomti Action Plan Phase –I and Phase – II at Lucknow are detailed herein under:

**(i).** It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to three works , which are under progress.

**(ii).** It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II till 31st August 2009 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

**11.** That in regard to the progress of sewage treatment plant (STP), it is submitted that the land for construction of 345 mld STP has been acquired by the Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 , and after finalization of tendering process, and clearance from the Pollution Control Board, U.P. and Forest Department, the work has been started on 18.7.2008, and till 31st August 2009 about 65 % work have been completed. The

Commissioner Office LUCKNOW Civil Secretariat

14/9

1929 (1843) 480

progress of different component of 345 mld STP is being detailed in the **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

**12.** That the work of construction of THIRD WATER WORKS is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase – I , Part – I, sanctioned cost whereof is Rs. 388.61 Crore; and the same has been sanctioned by the Government of India, under the JNNURM. It is submitted that 8 Hectare land near Katautha Jheel has been acquired for Third Water Work, and the works for construction of boundary wall has been completed. It is submitted that the Irrigation Department, U. P., has agreed to provide 100 Cusec raw water from Sharda Canal for Third Water Works, and the proceedings with regard to same are in progress. The works for clear water treatment plant, 10 numbers of underground storage tank, clear water feeder main, development of intake works and dredging, development and beautification works of Katautha Jheel are in progress. A photocopy of the chart showing progress of different component of Third Water Works is being annexed as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

**13.** That in compliance of the order dated 9th July 2009 passed by this Hon'ble Court vide letter dated 22.8.2009, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow submitted a request to the Scientist and Head, Solid and Hazardous Waste Management Division, NEERI, Nagpur for sending a team to Lucknow to examine the steps taken in compliance of suggestions made by the NEERI, Nagpur vide its letter dated 14.10.2008 and 14.5.2009. It is submitted that vide letter dated 07.9.2009 the Additional Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow informed to the office of deponent about the aforesaid letter dated 22.8.2008, he also informed that the

1930

1944
481

E.I.A. Report submitted by the U.P. Jal Nigam has been sent to NEERI, Nagpur. The photocopy of the aforesaid letter dated 22.8.2008 and 07.9.2009 are being annexed as **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit.

**14.** That it is submitted that for integrated development of Lucknow City, in the month of January 2009, the U. P. State Advisory Council taken decision regarding cleaning of the River Gomti. In reference whereof for cleaning of river Gomti, from Gomti Barrage to Gaughat two projects amounting Rs. 177.16 Lakh and Rs. 243.93 Lakh prepared by the U.P. Projects Corporation Ltd., Lucknow have been sanctioned. It is submitted that vide its report dated 28.8.2009, the U.P. Projects Corporation Ltd., Lucknow have started the works relating to cleaning of river Gomti.

The progress report dated 28.8.2009 submitted by the U.P. Projects Corporation Ltd., Lucknow is being annexed as **ANNEXURE No. A – 9** to this affidavit.

**15.** That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 14.09.2009

Deponent

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1 to 3 of this affidavit ~~are~~ true to my personal knowledge those of paragraphs 4 to 14 are true to my information which derived from the records and those of

1931

1545
482

paragraphs 15 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated: 14-9-09

Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

14/9/09

( ओम प्रकाश चौहान )

सम्पत्ति अधिकारी

नगर विकास अनुभाग-5

उ० प्र० लखनऊ ।

Commissioner
LUCKNOW
14/9

कक्ष सं० 165255

द्वारा शपथ ली गई ओम प्रकाश चौहान

जिनका परिचय श्री ओम प्रकाश चौहान

दिनांक 14.9.09

वाद संख्या 1545/482/1931

प्रकार हलफनामा

न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (स्टे ऑफिस)

शपथ की फीस वसूली गई

अभिसाक्षी ने शपथ – पत्र पढ़ लिया है, और इसकी विषय वस्तु समझता है।

14/9/09

( डा० अटार्थकर त्रिपाठी )

शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी

न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)

उ० प्र० शासन

1932

ANNEXURE NO. A-1 (1846)

483

मा0 उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति
बैठक दिनांक-21.08.2008 समय 4.00 बजे
संख्या-4968/9-5-2009-4रिट/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6- उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
10- महाप्रबन्धक, जल संस्थान लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 7 अगस्त, 2009

**विषयः- जनहित याचिका संख्या-4436(एम/बी)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संदर्भित जनहित याचिका की सुनवाई दिनांक 09.07.2009 को मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा की गयी। सुनवाई के उपरान्त मा0 पीठ द्वारा लखनऊ की पेयजल, गोमती नदी की सफाई, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, भूगर्भ जल का निरन्तर ह्रास आदि विषयों पर कतिपय आदेश पारित किये गये हैं। उक्त पारित आदेशों (छायाप्रति संलग्न) के समादर में प्रति शपथ पत्र मा0 पीठ के सम्मुख दिनांक 15.09.2009 के पूर्व में दाखिल किया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2009 को पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में उनके, बापू भवन के अष्टम तल स्थित, कार्यालय कक्ष में दि0 21.08.2009 को सायं 4.00 बजे एक बैठक आहूत की गयी है।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में उल्लिखित अपने से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराते हुए तदनुसार प्रति शपथ पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल कराने एवं उक्त प्रस्तावित बैठक में संगत सूचनाओं सहित किसी भिज्ञ अधिकारी को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

**संलग्नकः-यथोक्त।**

भवदीय,

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

GO Chauhan

Oath Commissioner LUCKNOW

1933

(1892) 484

आज्ञा/अनुपस्थिति

9/9/09

मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अति महत्वपूर्ण
संख्या-6115(1)/9-5-2009-4रिट/2007टीसी

प्रेषक,

राम सहाय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 शासन ।
4- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
7- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
9- महाप्रबन्धक, जल संस्थान लखनऊ ।
10- निदेशक, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर, 2009

विषयः- जनहित याचिका संख्या-4436(एम/बी)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित याचिका संख्या-4436 (एम/बी)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दि0 09.07.2009 को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा जनपद लखनऊ की पेयजल व्यवस्था, गोमती नदी की सफाई, सालिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु भूमि का चयन, नीरी की रिपोर्ट पर कार्यवाही, भूगर्भ जल का निरन्तर ह्रास, तृतीय जलकल गोमती नगर, लखनऊ में पेयजल हेतु ट्यूबवेल एवं हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन आदि की प्रगति रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति के साथ उपस्थित होने हेतु दिनांक 15.09.2009 की तिथि निर्धारित की गयी है।

2- प्रश्नगत जनहित याचिका में नगर विकास विभाग के पत्र संख्य-4968/नौ-5-09 -4रिट/07 दिनांक 17.08.2009 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति संलग्नक करते हुए अपने अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रति शपथ पत्र तैयार कर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कराने का अनुरोध किया जा चुका है।

3- अतः पुनः अनुरोध है कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रति शपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कराने का कष्ट करें।

4- यह भी सूच्य है कि इस प्रकरण में नगर विकास विभाग की ओर से प्रति शपथ पत्र तैयार कराने हेतु श्री एच0 सी0 श्रीवास्तव, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा अपने आवास इन्दिरानगर पर दिनांक 10.09.2009 को रात्रि 8.00 बजे का समय दिया गया है। अतएव अपने से संबंधित

GO Chauhan

Oath Commissioner LUCKNOW 1479

1934

1598 485

(2)

सूचनाओं सहित किसी भिज्ञ अधिकारी को श्री एच0पी0श्रीवास्तव, मुख्य अपर स्थायी अधिवक्ता के आवास पर उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
9/9/09
( राम सहाय )
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

9/9/09
9/9/09

आज्ञा से,
( राम सहाय ) 9/9/09
अनु सचिव।

GO Chauhan

Commissioner
LUCKNOW
Secretariat

(89) 486

ANNEXURE NO-A-2

संख्या- 3958/नौ-5-2009/55बजट/06टीसी-।।

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 24 अगस्त, 2009

**विषयः भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श में वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- 59(1)/पीएफ-।/2009-62, दिनांक 03.06.2009 द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर में सीवरेज कार्य डिस्ट्रिक्ट-4 परियोजना हेतु केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 196.05 लाख तथा लखनऊ नगर की जलापूर्ति (फेज-। पार्ट-।।) परियोजना हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 1832.06 लाख अर्थात कुल अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2028.11 लाख तथा योजनान्तर्गत निर्धारित 20 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 811.24 लाख अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि **रू0 2839.35 लाख (रू0 अट्ठाइस करोड़ उन्तालीस लाख पैंतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में निम्न विवरणानुसार एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

| परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष कुल अनुमन्य केन्द्रांश | केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि | केन्द्रांश तथा राज्यांश की कुल स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| कानपुर नगर में सीवरेज कार्य डिस्ट्रिक्ट-4 | 20736.00 | 10368.00 | 196.05 (Bal. of 1st Inst.) | 78.42 | 274.47 |
| लखनऊ नगर की जलापूर्ति (फेज-। पार्ट-।।) | 7328.25 | 3664.13 | 1832.06 (1st Inst.) | 732.82 | 2564.88 |
| | | योग | 2028.11 | 811.24 | **2839.35** |

**(रू0 अट्ठाइस करोड़ उन्तालीस लाख पैंतीस हजार मात्र)**

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) के खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित नागर स्थानीय निकाय के अंश की धनराशि प्राप्त होने या अंशदान देने की सहमति प्राप्त होने पर अवमुक्त की जायेगी।

GOFinSanctions-NV5(09-10)SI

Commissioner Office LUCKNOW Secretariat 14/9

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा तथा द्वितीय किश्त का आहरण प्रथम किश्त का 60 प्रतिशत व्यय किये जाने के पश्चात किया जायेगा।

(3) यथा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) निदेशक, स्थानीय निकाय स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करेंगे।

(5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2009-10 की आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-01-नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों/नगर सुधार बोर्डों को सहायता-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-2450-दस/2009, दिनांक 13 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सूर्य प्रकोश मिश्र )
विशेष सचिव

संख्या- 3958/नौ-5-2009/55बजट/06टीसी-।।, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हे।
9- अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10- नियोजन अनुभाग-3/4
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

GOEinSanctions-NV5(09-10)SI

Commissioner LUCKNOW 1419

1937 (1551) 488

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 3958(1)/नौ-5-2009-55बजट/06टीसी-।।
लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2009

## शुद्धि-पत्र

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में कानपुर नगर में सीवरेज कार्य डिस्ट्रिक्ट-4 परियोजना हेतु केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 196.05 लाख तथा लखनऊ नगर की जलापूर्ति (फेज-। पार्ट-।।) परियोजना हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 1832.06 लाख अर्थात कुल अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2028.11 लाख तथा योजनान्तर्गत निर्धारित 20 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 811.24 लाख अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 2839.35 लाख (रू0 अट्ठाइस करोड़ उन्तालीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 3958/नौ-5-2009/55बजट/06टीसी -।।, दिनांक 24 अगस्त, 2009 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित तालिका में त्रुटिवश **लखनऊ नगर की जलापूर्ति (फेज-। पार्ट-।।)** परियोजना के सम्मुख अंकित **भा/स द्वारा अनुमोदित लागत** रू0 7328.25 लाख तथा **अनुमोदित लागत के सापेक्ष कुल अनुमन्य केन्द्रांश** रू0 3664.13 लाख अंकित हो गया है। अतः **लखनऊ नगर की जलापूर्ति (फेज-। पार्ट-।।)** परियोजना के सम्मुख अंकित **भा/स द्वारा अनुमोदित लागत** रू0 7328.25 लाख के स्थान पर **रू0 14656.50 लाख** एवं **अनुमोदित लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश** की धनराशि रू0 3664.13 लाख के स्थान पर **रू0 7328.25 लाख** पढ़ी जाय।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

संख्या- 3958(1)/नौ-5-2009/55बजट/06टीसी-।।, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
4- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर/लखनऊ।
5- निदेशक, ~~स्थानीय निकाय~~ , उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10- नियोजन अनुभाग-3/4
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से
( सूर्य प्रकाश मिश्र )
विशेष सचिव।

GOFinSanctions-NV5(09-10)SI

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat 1479

ANNEXURE NO -

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 से 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम** | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 40 नग चालू। | - | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | - | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 4 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 101.64 कि.मी. | 8.24 कि.मी. | 109.88 कि.मी. | 28.38 कि.मी. कमीशन्ड, 2 कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | - | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | **सामान्य कार्यक्रम** | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 75 नग | - | 75 नग | 75 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | 99 नग | 41 नग | 140 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 4 नग चालू तथा, 1 नग प्रगति पर। | 1 नग चालू | 5 नग चालू। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

ANNEXURE NO-A4

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 से 31.08.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 138.00 कि.मी. | 156.00 कि.मी. | 18.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 27.00 कि.मी. | 32.00 कि.मी. | 5.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 45% | 53% | 8% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 55% | 64% | 9% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड) | 263.04 | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 85.710 | 96.670 | 10.960 | |
| | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 100.390 | 109.250 | 8.860 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 22.4.2008 को निर्गत की गयी। दिनांक 13.10.08 को रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा 5.12.2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा 10.02.2009 को रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा 20.03.2009 को रु.24.77 करोड़ तथा रु. 19.77 करोड़ की किश्त दिनांक 2.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 15.22 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 29.49 करोड़। जल निगम को वित्तीय निविदायें प्राप्त हो गयी हैं।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 24.13 करोड़। जल निगम को वित्तीय निविदायें प्राप्त हो गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE NO—A-5

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 से 31.08.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग + 1 नग (80%) | 5 नग + 1 नग (80%) | -- | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (60%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (65%) | 1 नग (5%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5670 मीटर | 5830 मीटर | 160 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 60% | 64% | 4% | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 39.175 | 41.105 | 1.930 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 41.650 | 41.650 | 0.000 | |

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

Oath Commissioner LUCKNOW Secretary 14/9

d:progress/progressformat xls sh1

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 30.06.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 30.06.2009 से 31.08.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | भौतिक प्रगति | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95% 1 नग 50% | 17नग 95%+ 1 नग 65% | 1 नग 15% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 50% | 10 नग 95%+1 नग 55% | 1 नग 5% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9180 मीटर | 9484 मीटर | 304 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 90% | 90% | -- | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 80% | 82% | 2% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 55% | 1 नग 65% | 1 नग 10% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 100% | 5 नग 100% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 80% | 20% | 30% | 10% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 80% | 10% | 15% | 5% | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 45% | 45% | -- | |
| (ब) | वित्तीय प्रगति | | | | | |
| 1. | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़)<br>वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | 263.04/417.64 | 201.713 | 223.361 | 21.648 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 244.0351 | 252.035 | 8.000 | |

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई

d:progress/progressformat.xls sh1

1942

ANNEXURE NO. A-6

(1816)

493

## 345 एम.एल.डी. क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) कार्य के विभिन्न अवयवो का प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्य घटक | वास्तविक अद्यतन प्रगति (31.08.2009) |
|---|---|---|
| 1. | प्री-ट्रीटमेन्ट यूनिट्स | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, कालम कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण। |
| 2. | यू.ए.एस.बी. रियेक्टर | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 5 प्रतिशत पूर्ण। |
| 3. | प्री-एरेशन टैंक - 3 नग | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण |
| 4. | पालिशिंग पाण्ड ऐरेशन जोन- 140 मीटर x 140 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 5. | फाइनल पालिशिंग पाण्ड 140 मीटर x 550 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 6. | स्लज ड्राईंग बेड (106 नग) | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 7. | स्टाफ क्वार्टर 15 नग | 80 प्रतिशत पूर्ण। |
| 8. | एडमिनस्ट्रैटिव ब्लाक 1 नग | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 9. | वर्कशाप बिल्डिंग | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 10. | फाइनल एफ्लुऐन्ट सीवर 2400 एम. एम. साइज - 1500 मीटर | उत्पादन केन्द्र बन गया है, पाइप बनना चालू हो गया है। |
| 11. | गैस होल्डर्स - 3 नग | राफ्ट कार्य पूर्ण। वाल का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण। |
| 12. | स्लज पम्प हाउस | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। |
| 13. | क्लोरीन कान्टैक्ट टैंक | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। वाल कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण। |
| 14. | विद्युत यांत्रिक कार्य | फर्म द्वारा सप्लाई आदेश का कार्य पूर्ण। |
| 15. | कार्य की ओवर आल प्रगति | 65 प्रतिशत पूर्ण। |

10/9

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-।
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

Office Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

14/9

1943

ANNEXURE NO- A-7

1857

494

# BRIEF NOTE ON PROGRESS OF THIRD WATER WORKS AT GOMTI NAGAR SANCTIONED UNDER JNNURM

Work of costruction of III[rd] Water Works is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase-I, Part-I sanctioned cost Rs. 388.61 Crore, sanctioned by GOI under JNNURM. Cost of III[rd] Water Works & related works included in above project is Rs. 172.93 Crore.

8.00 hectare land near Kathauta lake is available for III[rd] Water Works. Source of raw water is Sharda Sahayak Feeder Canal near Moradabad Distributory. Irrigation Department has already agreed to provide 100 cusecs of raw water but formal G.O. has to be issued. To provide raw water from Sharda Sahayak a proposal of Rs. 19.01 Crore of Irrigation Department for the construction of head works etc. is included in the sanctioned project and out of which Rs. 10.00 Crore has already been released. In addition to this, Rs. 1.00 Crore has also been paid to Irrigation Department for the construction of retaining wall & other safety measures required for feeder canal.

Proposed works under III[rd] Water Works are construction of head works at Sharda Sahayak intake site (by Irrigation Department), 10.50 Km. raw water rising main, dredging, development & beautification of Kathauta lake, treatment plant - 80 MLD capacity, underground reservoirs-12 nos.(6 nos. each for Indira Nagar & Gomti Nagar areas), 27.50 Km. clear water feeder main & 30.80 Km. clear water rising main. Against above proposed works, works of construction of treatment plant, 10 nos. underground reservoirs, clear water feeder main, head works at intake site by Irrigation Department and dredging & development works of Kathauta lake are under progress. Overall upto date progress of various components of the III[rd] Water Works is about 35%. During canal closure period, water stored in Kathauta lake will be utilized as raw water for treatment plant. Till now Rs. 165.1594 Crore (Central, State & Lucknow Nagar Nigam Share) has been released to U.P. Jal Nigam (Construction Agency) by Govt. under Lucknow Water Supply Scheme Phase-I, Part-I. All the bove released amount has been spent against whole project till 31.08.09. Out of this total expenditure, Rs. 56.40 Crore has been spent for the works of III[rd] Water Works. All works of III[rd] Water Works are proposed to complete by March 2011.

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

Comm-issioner
LUCKNOW
14/10/09

1944 (1858) 495

# DESCRIPTION OF WORKS RELATED TO III[rd] WATER WORKS

| S. No. | Description of Work | Cost | | Total | Present Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Civil | E/M | | |
| 1- | Canal lining & head works. | 1901.00 | - | **1901.00** | Work is under execution by Irrigation Department. Rs. 1000.00 Lacs has been given to Irrigation Department against Rs. 1901.00 Lacs |
| 2- | Intake and pre-settling units. | 30.75 | 1693.68 | **1724.43** | Civil works awarded. Rs. 100.00 Lacs has been given to Irrigation Department for the construction of retaining wall for the safety of feeder canal & related works. Cleaning of site has already been done. |
| 3- | Treatment Plant-80 mld and intake well at Chinhat lake. | 1239.81 | 2017.67 | **3257.48** | Work is under progress. Approx-35% work completed. |
| 4- | Raw water rising main | 2254.52 | - | **2254.52** | Work awarded & supply of pipes started. |
| 5- | Dredging & development of Chinhat lake. | 2403.86 | - | **2403.86** | Work in progress. Approx-42% work completed. |
| 6- | Clear water rising main | 2892.65 | - | **2892.65** | Work in progress. 14.00 Km. line laid. |
| 7- | Rising main to fill the existing over head tank from proposed C.W.R. & construction of C.W.R. | 1538.72 | 788.95 | **2327.67** | Construction of 10 nos. C.W.R. is under progress. |
| 8- | Construction of office building, boundary wall etc. | 531.44 | - | **531.44** | Construction of boundary wall completed. Remaining works are under progress. |
| | **G.Total** | **12792.75** | **4500.30** | **17293.05** | |

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

Distt. Commissioner LUCKNOW

11/19

# नगर निगम लखनऊ

**प्रेषक,**

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्याः-D-648/A.M.C.A/09
दिनांकः- 07.09.09

**सेवा में,**

श्री एस.पी. मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास विभाग
लखनऊ।

नत्थी

**-: विषय :-**

रिट याचिका संख्या – 4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–633/ए0एम0सी0–ए/09 दिनांक 3.9.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके संज्ञान में लाना है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में NERRI,Nagpur को भी संलग्न पत्र दिनांक 22.8.2009 को प्रेषित कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त जलनिगम द्वारा प्रस्तुत E.I.A. रिपोर्ट भी NERRI को भेज दी गयी है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

7633/VSNWS/09
SDM/S

भवदीय

(ए.जी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

08/09/09
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

10/9/09

Chief Commissioner LUCKNOW Chief Secretariat

14/9

1946

(1860)
497

# Lucknow Nagar Nigam

From,
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam

Ref. no.- D-582/NA/AM GA/09

Date- 22-06-2009

To,
Dr. A.N. Vaidya
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste Management Division
National Environmental Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur
Maharastra 440 020

**Subject**
Regarding W.P. No. 4436(M.B.) of 2003 Sewage Treatment Plant Vs. State of U.P. & others

Dear sir,

Regarding above subject the latest order of Hon'ble High Court Allahabad, Lucknow Bench is being enclosed herewith for your kind perusal. Hon'ble High Court have ordered that all the proposals be finally cleared by NERRI, Nagpur.

Your suggestions mentioned in letter dated 14-10-2008 and 14-05-2009 have already been communicated to all the concerned department viz; U.P. Jal Nigam (responsible for execution of solid waste project), Lucknow Development Authority (responsible for arranging land for land fill sites), Pollution Control Board (responsible for clearing the project submitted by U.P. Jal Nigam), Irrigation Department (responsible for maintaining the bandha and catchment area of river Gomti), State P.W.D. (responsible for beautifying the area in question near Gandhi Setu).

U.P Jal Nigam & Pollution Control Board have taken certain steps in compliance of your suggestion. We request you to send a team of NERRI to Lucknow to examine the steps taken personally, so that Hon'ble High Court may be appraised on the next date of hearing i.e. 15-sep-2009.

Kindly inform us about your programme.

Encl: as above

Sincerely yours

(Shailesh Kumar Singh)
Municipal Commissioner

Oath Commissioner
LUCKNOW
Civil Secretariat

ANNEXURE NO-A-9
(ISC)
498

# यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, द्वारा गोमती नदी की सतह व तटबन्धों तथा नदी के तल की ड्रेजिंग द्वारा सफाई के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी

लखनऊ नगर के समेकित विकास हेतु माह जनवरी–2009 में उ0प्र0 राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में गोमती नदी की सफाई हेतु निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रम में गोमती बैराज से गऊघाट तक गोमती नदी की सतह, तट एवं तटबन्धों की सफाई तथा नदी की तलहटी से अपशिष्ट एवं तलछट की ड्रेजिंग द्वारा सफाई हेतु यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन द्वारा तैयार की गयी दो परियोजनाऐं क्रमशः रू0 177.16 लाख तथा रू0 243.93 लाख की धनराशि हेतु स्वीकृत की गयी। आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.09 को अवस्थापना विकास समिति की बैठक में उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हुई तथा माह फरवरी–2009 से जनवरी–2010 तक (एक वर्ष हेतु) उक्त कार्य उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन से कराये जाने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में आवास विकास परिषद, तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कमशः रू0 75–75 लाख की धनराशि तथा नगर निगम लखनऊ द्वारा रू0 50.00 लाख की धनराशि कारपोरेशन को उपलब्ध करायी गयी है। प्रथम परियोजना के अनुसार गोमती बैराज से गऊघाट तक एक वर्ष हेतु (मानसून काल छोड़कर) नदी तट, तटबन्धों एवं सतह की सफाई का कार्य रू0 177.16 लाख की लागत से किया जाना है। गोमती नदी में मिलने वाले नालों से नदी की तलहटी में निरन्तर जमा होने वाले अपशिष्ट एवं तलछट को ड्रेजिंग से निकालने हेतु रू0 243.93 लाख की दूसरी परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें रू0 49.34 लाखकी धनराशि ड्रेजर क्रय करने, रू0 36.79 लाख उसके एक वर्ष के संचालन एवं रखरखाव हेतु तथा रू0 144.00 लाख नदी से निकलने वाले सिल्ट की ढुलाई हेतु निर्धारित है। कारपोरेशन द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

यद्यपि पूर्व में आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन में मानसून अवधि (15 जून से 30 सितम्बर तक) में उक्त कार्य को स्थगित मानते हुए व्यय की गणना की गयी थी। परन्तु इस वर्ष बिलम्बित मानसून एवं अवर्षण की स्थिति को देखते हुए गोमती नदी की शुचिता बनाये रखनें हेतु आयुक्त लखनऊ मण्डल के निर्देशानुसार उक्त कार्य को 15 जून से 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। 16 जुलाई से कार्य स्थगित कर दिया गया। कार्य स्थगित होते ही नदी में गंदगी की मात्रा बढ़ने लगी। वस्तुस्थिति से आयुक्त महोदय लखनऊ मण्डल को अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने मानसून अवधि में वर्षा की कमी को देखते हुए कार्य की निरन्तरता बनायें रखने हेतु निर्देशित किया, उक्त के परिप्रेक्ष्य में मानसून अवधि में भी सफाई तथा ड्रेजिंग का कार्य कराया जा रहा है। मानसून अवधि में कराये जा रहे अतिरिक्त कार्य हेतु तथा पूर्व में स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु, आयुक्त लखनऊ मंडल से अनुरोध किया गया है।

महाप्रबन्धक जोन–7
यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0
लखनऊ

Addl. Commissioner LUCKNOW 14/9/09

(डा० बटाशंकर त्रिपाठी) 14/9/09
अपर आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी

# यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

## गोमती नदी की सतह व तटबन्धों की सफाई तथा नदी के तल की ड्रेजिंग का कार्य

दि0- 27.08.09

| क्रम सं0 | योजना का नाम | वित्तीय लागत (रु0 लाख में) | वित्तीय संसाधन की उपलब्धता (रु0 लाख में) | वित्तीय प्रगति ( रु0 लाख में) | भौतिक प्रगति प्रतिशत में | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गोमती नदी की सतह तथा तटबन्धों की सफाई एवं ड्रेजिंग का कार्य (गऊ घाट से गोमती बैराज तक) (फरवरी,09 से जनवरी,10 तक मानसून अवधि छोड़कर) | 268.46 | 200.00<br>(आवास विकास परिषद - 75.00<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण- 75.00<br>नगर निगम लखनऊ- 50.00 ) | 180.00 | 67% | 1-गोमती नदी के दोनों तटबन्धों पर निर्मित 25 बैरल पर लोहे की जाली लगाई गयी है तथा सफाई के लिए प्रत्येक बैरल पर चार सफाई कर्मी लगाये गये हैं जो नियमित रुप से सफाई कार्य कर रहे हैं।<br><br>2-नालों के शीर्ष पर ड्रेजिंग का कार्य प्रगति पर है। कुकरैल नाला, पराग डेरी, छठ घाट, हनुमान सेतु के समीप शनि मन्दिर, बैरल संख्या-1, बैरल संख्या-2 डालीगंज पर कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में बैरल संख्या-25 पर कार्य चल रहा है।<br><br>3-उपकरण जो कार्य पर लगाये गये हैं-<br>1- 120 बी0एच0पी0 ड्रेजर - 1<br>2- मोटर बोट -2<br>3- कन्ट्री बोट -16<br>4- पोकलेन -1<br>5- जे0सी0बी0 -1<br>6- डम्पर -2<br>7- श्रमिक -200<br><br>4- ड्रेजिंग कार्य से निकले हुए मलवे का निस्तारण का कार्य जो मूलरूप में विकास प्राधिकरण द्वारा या कराया जाना था निगम द्वारा कराया जा रहा है।<br><br>5. स्वीकृत लागत के विरुद्ध रु0 68.46 लाख की धनराशि कारपोरेशन को प्राप्त होना है।<br><br>6. इस वर्ष मानसून विलम्बित होने एवं वर्षा की स्थिति सामान्य न होने के कारण सफाई कार्य जो दि0 15.06.09 से 30.09.09 तक (मानसून अवधि) स्थगित रखा जाना था, कार्य स्थल की स्थिति को देखते हुए अनवरत जारी रखा जा रहा है जिसमें अतिरिक्त व्यय होगा। मानसून अवधि में कराये जा रहे कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को सम्मलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। |

( गोपाल सिंह )
महाप्रबन्धक,जोन-7
लखनऊ

1949

1863

500

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No.

IN RE: 110602-09

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

02 NOV 2009

**APPLICATION FOR TAKING THE STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.09.2009 and 17.09.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT ON RECORD**

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to take the same on record.

Such other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the nature and circumstances of the case may also kindly be passed in favour of the said opposite party.

Lucknow

Dated : 12.11.2009

**(Namit Sharma)**
Advocate
Counsel for Nagar Nigam
Lucknow.

1950

(1864)
501

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003






Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

Status report on affidavit in compliance of orders dated 15.09.09 & 17.09.2009 passed by this Hon'ble Court

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 53 years, s/o Late Subedar Singh, presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow, the deponent do here by solemnly affirm and state on oath as under:-



1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That the aforesaid writ petition was last listed on 1 5.09.2009 and 17.09.2009 whereby this Hon'ble Court on 17.09.2009 was pleased to pass following order :

1951 (1865) 502

**" Since we have already directed that report be submitted by NEERI by the end of October, 2009, the matter be listed on 30.10.09, on which date all the officers, as directed earlier, shall appear in person and the Vice Chairman, Lucknow Development Authority shall also remain present for assisting the Court on that date."**

3. That in compliance of detailed order passed on 15.09.09 and in light of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 17.09.09 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Nagar Nigam Lucknow in compliance of the aforesaid orders with regard to submission of report by National Environment Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur hereinafter referred to as 'NEERI'.

4. That in compliance of the said orders the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps to communicate the aforesaid orders to NEERI for needful at its end. A true copy of letter dated 26.09.2009 issued by Nagar Nigam Lucknow to NEERI is annexed herewith as **Annexure No.-1** to this affidavit

5. That in compliance of the aforesaid orders passed by this Hon'ble Court in light of aforesaid facts the NEERI communicated regarding its visit to Nagar Nigam,Lucknow to inspect the site where the garbage has been dumped near Gandhi Setu, Lucknow and the proposed landfill site near Dasheri village, Hardoi Road Lucknow. Further NEERI had intimated to deposit Rs. 2.00 lacs as charges for the proposed inspection. A true copy of letter dated 30.9.09 issued by NEERI to Nagar Nigam Lucknow is being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this affidavit.

6. That in furtherance to aforesaid the officials of NEERI visited Lucknow on 6-7.10.2009 whereby the officials of all the concerned departments i.e. Nagar Nigam Lucknow, U.P. Pollution Control Board, Irrigation Department, Public Works Department, Lucknow Development Authority and Construction and Design Services, U.P.

1952 (1866) 503

Jal Nigam jointly assisted the inspecting team for inspection of the aforesaid sites in question.

7. That in furtherance to above inspection of the said sites by NEERI a detailed inspection report was submitted by it to Nagar Nigam Lucknow vide its letter no. SHWMD/HQ/2009 dated 24/10/09. True copy of said letter dated 24.10.09 alongwith inspection report are annexed herewith as **Annexure No.- 3** to this affidavit.

8. That the following comments/recommendation were made by NEERI after the inspection of aforesaid sites in question which are as follows:

(A) **Comments/Recommendation regarding Management of the MSW Dump** :

In the earlier inspection report, two options were suggested for the management of MSW Dump and protection of Gomti river water. One option was removal of dumped MSW and disposal in a sanitary landfill constructed as per the guidelines specified in the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000. However, at present, no sanitary landfill is available at Lucknow. Hence , dumped waste cannot be scientifically disposed of on permanent basis. Alternate option was confinement of waste in a scientific way at the site so that river water is protected from surface run off and leachate due to dumped waste. This involves closure of the dump as per MSW 2000 Rules and provision of retaining wall to arrest surface and subsoil leachate flows towards the river.

In the existing situation, priority should be given to the management of the MSW already dumped. Considering the non-availability of sanitary landfill, the confinement of the waste in a scientific manner is of urgent necessity. For confinement of waste, the following measures are suggested :

- Initialy all the heaps of municipal solid waste scattered at different places should be brought to one place and as far as possible away from the river and towards the road side and should be thoroughly compacted.

COMMISSIONER FOR OATH High Court, Allahabad 29/10

1953 (7867) 504

- Afterwards the waste dump should be closed as per the guidelines specified in Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000. The process broadly involves adoption of following measures :

  i. The whole of the waste mass should be covered by barrier soil layer comprising of 60 cms of clay or amended soil with permeability coefficient less than $1x10^{-7}$ cm/sec.

  ii. On the top of the barrier soil layer, there should be a drainage layer of thickness 15 cms.

  iii. On the top of the drainage layer shall be a vegetative layer of thickness 45 cms to support plant growth.

  iv. Vegetative layer can be provided at the top.

  v. A slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed dump.

- A retaining wall should be provided along the periphery covering all the side and enclosing the closed waste dump.
- The retaining wall should be extended to the subsoil strata so that lateral movement of leachate towards the river is prevented. This should be done in consultation and guidance with appropriate experts in the field and regulatory agencies. Hydrological features of the region should also be taken in the consideration.

**Development Activity and Related Construction**

It was reported that a park and parking area are to be developed in the area near the river where the MSW is dumped. As such any urban or commercial construction should not be allowed on the river bed and within 100 m distance from the river bed appropriately determined by the high flood water line, from environmental point of view. Hence, prior to commencement of any construction and developmental activity , all the concerned government organizations should ensure that the proposed constructions/development will be beyond flood plane area and satisfy the necessary norms considering high flood line of the river in that area. In addition it is suggested that no commercial or residential activities should be allowed on such a reclaimed area.

COMMISSIONER FOR GAT... High Court, Allahabad

1954 (1968) 505

(B) **Comments/Recommendation with regard to Development of Sanitary Landfill** :

Activities have been initiated by LNN for developing sanitary landfill for Lucknow. A land has been identified near Dasheri village for this purpose. Environment Impact Assessment of the proposed sanitary landfill and compost plant has been conducted. A report of the EIA studies has been sent to NEERI for reviewing. It is observed that although the report addresses various aspects of municipal solid waste management as per MSW 2000 Rules, it needs revision considering following points :

- It has been reported that landfill site is located at a distance of 100 m from Daseri village. Approach road of the landfill should not pass through the village.
- A buffer zone should be created around the landfill. Any development in the buffer zone is prohibited.
- It has been reported that a high tension electric line is passing at a distance of 150 m from the project site. Landfill should be developed keeping away high tension line and adopting necessary safety norms.
- Green belt should be developed around the landfill site in such a way so that environmental and aesthetic quality of the nearby village are also taken care.
- It is desirabled that mango garden located near the site should not be destroyed during construction of sanitary landfill.
- On pages 61 to 63, description of the text, title of the Tables (4.10 to 4.13), and contents of the Table are not matching. This needs to be checked and properly incorporated.
- Ambient air quality monitoring locations (Table 4.4, Page 57 ) do not comply with location indicated in Fig. 4.6 (page 59). Moreover , there is only one sampling point in the downwind direction as indicated in the Table 4.4 and Fig. 4.6 which is inadequate.
- On page 76, Table 4.18 is referred in the text as results of ground water analysis. In the title of Table 4.18, however, the results have been indicated as surface water quality data.

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

1955 (1869) 506

- On page 72, in the description of ground water analysis, Table 4.16 a), to 4.16 c), are mentioned. These tables are missing in the report.
- In the sub-chapter titled "land use" (4.12, page 88), land use pattern for whole of Lucknow city has been indicated. It is necessary to indicate the land use pattern of the project site and surrounding area.
- In the sub-chapter socio-economic scenario, (4.13.1, page 93-94) , there is no mention of data on health scenario , diseases pattern in the project site and the surrounding area.
- On page 94 (4.13.2), total population of study area (10 km. radius) has been reported to be 76326 which should be rechecked .

It is also suggested that the necessary steps like public hearing , clearance of EIA report from statutory bodies etc. should be followed prior to commencement of construction of sanitary landfill and compost plant.

9. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps in compliance of orders dated 15:09.2009 and 17.09.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time and also undertakes to perform its part in light of the said comments/recommendation submitted by NEERI.

Lucknow
Dated: 30.10.2009

**DEPONENT**

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Lucknow
30/10

**Verification**

I the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to ~~10~~ 9 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of this is false and nothing material has been concealed therein.

1956 (1870) 507

Signed and verified on this day of October, 2009 at Lucknow.

Lucknow:
Dated: 30.10.2009

**DEPONENT**

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by Shri Shailesh Kumar Singh the deponent on ~~----------~~ 30/10/09 ~~----------~~ A.M./P.M. who has been identified by Namit Sharma Advocate, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 30/10/09 Upon No. 1.9184

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, Allahabad

1957 (3) (871) 508

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003

Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

Annexure No.- 1

# Lucknow Nagar Nigam

From.
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam

Ref. no.- D-688/D.M./Pb. Cell/09

Date- 26.9.09

To,
Dr. A.N. Vaidya
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste Management Division
National Environmental Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur
Maharastra 440 020

**Subject**

Regarding W.P. No. 4436(M.B.) of 2003 Sewage Treatment Plant Vs. State of U.P. & others

Dear sir,

Regarding above please note that Hon'ble High court heard the matter on 15-09-2009 and again on 17-09-2009. On 15-09-2009 Hon'ble High Court observed as follows :-

"Shri S.K. Singh says that a team of NEERI would visit this place sometime in the first week of October and thereafter will furnish its report within next one month.

We find that the matter requires an early consideration and, therefore, we request NEERI to furnish its report within 15-days from the date of making inspection..... ..... Since the inspection report NEERI is awaited, the Irrigation Department as well as Public Works Department shall intimate the Court as to what is the urgency of making parks and parking lots in the absence of such a report which is likely to be made available sometime by the end of October 2009."

On 17-09-2009 Hon'ble High Court observed as follows :-

" Since we have already directed that report be submitted by NEERI by the end of October, 2009, the matter be listed on 30.10.09, on which date all the officers, as directed earlier, shall appear in person and the Vice Chairman, Lucknow Development Authority shall also remain present for assisting the court on that date."

We therefore request you to visit Lucknow at the earliest so that you may submit the report before Hon'ble High Court well within time.

Encl: Two Judgment of Hon'ble High Court.

Sincerely yours

(Shailesh Kumar Singh)
Municipal Commissioner

COMMISSIONER FOR OATH

1958 (9) 509

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
Writ Petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plant---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties
Annexure No.- 2

07/10/2009 04:19 0712249752 NEERI NAGPUR PAGE 01/31


**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**

Dr. A.N. Vaidya
Assistant Director
Solid Waste Management Unit

Tele { phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 337
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in


SWMU/IIQ/2009
September 30, 2009

Fax No. 0522-2622440
0522-2625960

To,
Mr.A.C. Sinha
Additional Municipal Commissioner,
Lucknow Nagar Nigam,
**Lucknow**

**Subject: MSW dumping on the Gomati river bank near Gandki Setu, Lucknow**

Sir,

This is in continuation of my earlier letter dated September 14, 2009. In this regard I wish to inform you that I and my colleague Mr.J.K.Bhattacharyya will be reaching Lucknow on October 06, 2009, by Delhi – Lucknow Air India morning flight. The proposed visit envisages site inspection, appraisal of the progress and meeting with concerned authorities. The proposed visit is scheduled for a period October 06-08, 2009. You are requested to kindly provide transport and accommodation during the proposed visit. Kindly note that the charges for the proposed inspection are Rs. 200,000/- (Rs. Two Lakh only), which include overall expenses and overheads as per prevailing norms at our end.

Yours faithfully,

(A.N.Vaidya) 30/9/09

COMMISSIONER FOR OATH

31

1959
(10)
~~509~~
510

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
Writ Petition No. 4436(MB) of 2003
Sewage Treatment Plant---------- Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties
Annexure No.- 3


**National Environmental Engineering Research Institute**
**Nehru Marg, Nagpur 440 020**

**Dr. A.N. Vaidya**
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste
Management Division

Tele { phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in


SHWMD/HQ/2009
October 24, 2009

To
Mr. S.K. Singh
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam
Lucknow

**Subject:** **Submission of Inspection Report on Dumped Solid Waste on Gomati River bed near Gandhi Setu**

**Ref:** **Writ Petition No. 4436(M.B.) of 2003 Sewage Treatment Plant Vs. Stute of U.P. & Others**

Dear Sir,

This has reference to your letter No. D-688/NA/AMC-A/09 dated 26.09.2009, requesting for a visit to Lucknow and submission of Inspection Report on above mentioned subject. Accordingly, we are submitting the report based on the inspection of Gomati river bed (near Gandhi Setu) by NEERI scientists during Oct. 6-7, 2009.

Kindly acknowledge the receipt of the report.

Yours faithfully,

A.N.Vaidya
(A.N. Vaidya) 24/10/09

Copy to: Registrar,
Lucknow Bench of Allahabad High Court
Lucknow

1960
(11)
511

Inspection Report

# Report on Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow

**(Reference: Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003)**

**Submitted to:**

**Lucknow Nagar Nigam, Lucknow**

**National Environmental Engineering Research Institute**
**(Council of Scientific and Industrial Research)**
**Nehru Marg, Nagpur - 440 020**

**October 2009**

1961 ~~1975~~ 512

(12)

## Preamble

A writ petition (No. 4436 (MB) of 2003) filed at Lucknow bench of Hon'ble Allahabad High Court raised the issue of Municipal Solid Waste (MSW) that was then being dumped on the bank of Gomati river, near Gandhi Setu, which concerned the pollution of Gomati river. In response, Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court directed Lucknow Nagar Nigam (LNN) to request National Environment Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur for inspection of the site and submitting a status report on the issue. Accordingly, NEERI team inspected the site during July 8 – 9, 2008 along with officials of concerned governmental organizations and regulatory agencies. Subsequently a status report was submitted to Hon'ble High Court. Subsequent to this, Hon'ble High Court on September 15,2009, again directed LNN to request NEERI for the inspection of the site near Gandhi Setu on Gomati River, where LNN and other concerned Governmental agencies had carried out some developmental work and submit a report by October 30, 2009. Accordingly, NEERI scientists Dr. A.N. Vaidya and Mr. J.K. Bhattacharyya inspected the site during October 6-7, 2009 to review the status of activities. This report elaborates the observations of NEERI on the matter and suggests the future course of action. It also offers the comments on the EIA report submitted by LNN for the proposed sanitary landfill site for Lucknow.

## Background of Earlier Status Report (July, 2008)

The major concern in the earlier inspection and the status report (July, 2008) was the remedial measures for the MSW dumped on the banks of Gomati River near Gandhi Setu, and it did not concern any other developmental activities. The report suggested two alternatives for remediation of the situation. As Lucknow city then did not have and it still does not have a sanitary landfill as per MSW 2000 Rules, confinement of MSW dump was suggested to prevent the pollution of Gomati River. Removal of MSW from the site was another option. However in absence of sanitary landfill, this would have resulted in mere shifting of pollutant

I J.K. Bhattacharyya A.N. Vaidya

1962 (13) 513

from one place to another and would have been detrimental to environment as well. NEERI also recommended for construction of a retaining wall along the periphery of the municipal solid waste dump with the help of experts in this field, competent government organization and regulatory authorities for restricting the lateral movement of leachate towards the river.

In addition to the above status report, NEERI agreed to assist in site selection for sanitary landfill. It was also presumed that necessary clearances would be obtained from various governmental organizations for this purpose. With this background, the visit was undertaken by NEERI scientists in October 2009.

**Report on the Existing Status (October 2009)**

As mentioned earlier, a team of NEERI scientists including Dr. A.N. Vaidya and Mr. J.K. Bhattacharyya visited concerned site during October 6-7, 2009 to review the status of the activities as directed by the Hon'ble High Court. The other officials present during the visit were as follows.

1. Mr. Shailesh Kumar Singh, Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam
2. Mr. A.C. Sinha, Additional Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam
3. Mr. R.K. Tiwari, J.E., Regional Office of U.P. Pollution Control Board, Lucknow
4. Mr. P. Joshia, A.E., Irrigation Department, Luckow
5. Mr. S. Kumar, A.E.(V), PD, PWD, Lucknow
6. Mr. R.K. Shukla, E.E., Lucknow Development Authority, Lucknow
7. Mr. K.K. Kharbanda, S.R.E., Unit 6, C&D.S., U.P. Jal Nigam, Lucknow
8. Mr. A.P. Yadav, P.M. Unit 6, C&D.S. U.P. Jal Nigam, Lucknow
9. Mr. S.R. Verma, J.E. PD, PWD, Lucknow
10. Mr. M.N. Khan, E.E., PD, PWD, Lucknow
11. Mr. S.K. Jain, C.E. Lucknow Nagar Nigam

A.N. Vaidya Jaishree Nandkarni

1963 514

14

**Observations**

The major observations pertaining to the site near Gandhi Setu on Gomati River are as follows.

- The concerned municipal solid waste dump has been shifted to the adjacent vacant space and the void has been partly filled up with the demolition waste (Photograph No. 1 and 2). It was reported that the demolition waste was dumped for the purpose of developing parking place.

- A few small heaps of municipal solid wastes are lying scattered at different places. (Photograph No. 3 and 4)

- An embankment, referred as Bundha, has been constructed along right bank of the Gomati River from Gandhi Setu to La Martenciere bund (Photograph 5). It was reported that the embankment would act as a protective barrier in flooding situation as well as it would protect the river water from surface run off of the surrounding area. It was also reported that the work has been undertaken by irrigation department for land reclamation in the area.

**Comments/Recommendation**

**Management of the MSW Dump**

In the earlier inspection report, two options were suggested for the management of MSW dump and protection of Gomati River water. One option was removal of dumped MSW and disposal in a sanitary landfill constructed as per the guidelines specified in the Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000. However, at present, no sanitary landfill is available at Lucknow. Hence, dumped waste cannot be scientifically disposed of on permanent basis. Alternate option was confinement of waste in a scientific way at the site so that river water is protected from surface run off and leachate due to dumped waste. This involves closure of the dump as per MSW 2000 Rules and provision of retaining wall to arrest surface and subsoil leachate flows towards the river.

1964 515

15

In the existing situation, priority should be given to the management of the MSW already dumped. Considering the non-availability of sanitary landfill, the confinement of the waste in a scientific manner is of urgent necessity. For confinement of waste, the following measures are suggested:

- Initially all the heaps of municipal solid waste scattered at different places should be brought to one place and as far as possible away from the river and towards the road side and should be thoroughly compacted.
- Afterwards the waste dump should be closed as per the guidelines specified in Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000. The process broadly involves adoption of following measures.

  i. The whole of the waste mass should be covered by barrier soil layer comprising of 60 cms of clay or amended soils with permeability coefficient less than $1 \times 10^{-7}$ cm/sec.

  ii. On the top of the barrier soil layer, there should be a drainage layer of thickness 15 cms.

  iii. On the top of the drainage layer shall be a vegetative layer of thickness 45 cms to support plant growth.

  iv. Vegetative layer can be provided at the top

  v. A slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed dump.

- A retaining wall should be provided along the periphery covering all the sides and enclosing the closed waste dump.
- The retaining wall should be extended to the subsoil strata so that lateral movement of leachate towards the river is prevented. This should be done in consultation and guidance with appropriate experts in the field and regulatory agencies. Hydrological features of the region should also be taken in the consideration. A Waidya J. K. Bhattacharyya



COMMISSION FOR OATH

37

1965 ~~1895~~ 516

16

**Developmental Activity and Related Construction**

It was reported that a park and parking area are to be developed in the area near the river where the MSW is dumped. As such any urban or commercial construction should not be allowed on the river bed and within 100 m distance from the river bed appropriately determined by high flood water line, from environmental point of view. Hence, prior to commencement of any construction and developmental activity, all the concerned government organizations should ensure that the proposed constructions/development will be beyond flood plane area and satisfy the necessary norms considering high flood line of the river in that area. In addition it is suggested that no commercial or residential activities should be allowed on such a reclaimed area.

**Development of Sanitary Landfill**

Activities have been initiated by LNN for developing sanitary landfill for Lucknow. A land has been identified near Dasheri village for this purpose. Environment Impact Assessment of the proposed sanitary landfill and compost plant has been conducted. A report of the EIA studies has been sent to NEERI for reviewing. It is observed that although the report addresses various aspects of municipal solid waste management as per MSW 2000 rules, it needs revision considering following points.

- It has been reported that landfill site is located at a distance of 100 m from Daseri village. Approach road of the landfill should not pass through the village

- A buffer zone should be created around the landfill. Any development in the buffer zone is prohibited.

- It has been reported that a high tension electric line is passing at a distance of 150 m from the project site. Land fill should be developed keeping away high tension line and adopting necessary safety norms.

1916 (1880) 517

17

- Greenbelt should be developed around the landfill site in such a way so that environmental and aesthetic quality of the nearby village are also taken care.

- It is desirable that mango garden located near the site should not be destroyed during construction of sanitary landfill

- On pages 61 to 63, description of the text, title of the Tables (4.10 to 4.13), and contents of the Table are not matching. This needs to be checked and properly incorporated.

- Ambient air quality monitoring locations (Table 4.4, Page 57) do not comply with location indicated in Fig. 4.6 (page 59). Moreover, there is only one sampling point in the downwind direction as indicated in Table 4.4 and Fig. 4.6 which is inadequate.

- On Page 76, Table 4.18 is referred in the text as results of ground water analysis. In the title of Table 4.18, however, the results have been indicated as surface water quality data.

- On page 72, in the description of ground water analysis, Tables 4.16 a), to 4.16 c) are mentioned. These tables are missing in the report.

- In the sub-chapter titled "land use" (4.12, page 88), land use pattern for whole of Lucknow city has been indicated. It is necessary to indicate the land use pattern of the project site and surrounding area.

- In the sub-chapter socio-economic scenario, (4.13.1, page 93-94), there is no mention of data on health scenario, diseases pattern in the project site and the surrounding area.

- On page 94 (4.13.2), total population of study area (10 km radius) has been reported to be 76326 which should be rechecked.

A Wadhwa Purushottam



COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad

1967 (1881) 18 518

It is also suggested that the necessary steps like public hearing, clearance of EIA report from statutory bodies etc. should be followed prior to commencement of construction of sanitary landfill and compost plant.

A Wardha J.K. Bhattacharyya



COMMISSIONER FOR OATHS

1968 (19) 519



**Photograph 1: Shifted MSW Dump**



**Photograph 2: Dumped Demolition Waste**

A. Vaidya

D. K. Bhattacharyya

1969

520

20



**Photograph 3: Scattered Municipal Solid Waste**



**Photograph 4: Scattered Municipal Solid Waste**

A Maidya

J. K. Bhattacharyya

1970

521

(21)



**Photograph 5: Newly Constructed Embankment on the Right Bank of Gomati River**

A Mishra

J. K. Bhattacharyya

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad

1971

(1)(S/B) 522

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No.

IN RE: 110586-09

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others --------Opposite Parties

**APPLICATION FOR TAKING THE STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.09.2009 and 17.09.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT ON RECORD**

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to take the same on record.

Such other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the nature and circumstances of the case may also kindly be passed in favour of the said opposite party.

Lucknow

Dated : 30.10.2009

12.11.2009

**(Namit Sharma)**
Advocate
Counsel for Lucknow Jal Sansthan,
Lucknow.

1972

(880)
523

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:




Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ---------Opposite Parties

**STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.09.2009 and 17.09.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, D.K. Sharma, aged about 57 years, son of Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition when listed on 15.09.2009 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass the following order, relevant portion of the same is being reproduced herein as under:-

"Let an affidavit be filed by the Jal Sansthan stating therein the status of supply of pure drinking water in all Zones, which are six in number.



1973 (1587) 524



The court is not concerned at this moment as to which agency is responsible for supply of drinking water as we feel no single authority can be held responsible for the same and it requires joint efforts by all including the Nagar Nigam.

We, therefore, direct that aforesaid information be furnished by filing affidavit and if any scheme /proposal is to be chalked out for supply of pure drinking water in the city of Lucknow, that may also be brought on record."

3. That in compliance of the aforesaid direction made by this Hon'ble Court on 15.09.2009 and 17.09.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Lucknow Jal Sansthan, Lucknow in compliance of the same, thereby mentioning the details of work undertaken by the authorities under the JNNURM and others.

4. That in compliance of the aforesaid order to ensure pure and safe supply of drinking water the Lucknow Jal Sansthan has installed Chlorine Dozing facility at each and every tube-well in each Zone. In reference to the said averments a chart of 1716 chlorine tests report done by joint inspection team, Bacteriological tests report of 848 water samples done by State Health Institute and 1593 chlorine tests report done by departmental laboratory of Jal Sansthan for the period April,2009 to 24th October, 2009 are annexed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That further to ensure supply of pure and safe drinking water throughout city of Lucknow in all six Zones the work has been entrusted to State Health Institute, Government of U.P., in light of Government order dated 23.08.2008. A true

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD

1974 (1888) 525



copy of government order dated 23.08.2008 is annexed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

6. That in light of aforesaid government order for Chlorine Testing of drinking water a joint inspection team comprising of representatives of Chief Medical Officer (Deputy Chief Medical Officer), Zonal Health Officer of Nagar Nigam Lucknow and Assistant Engineer of Lucknow Jal Sansthan has been formed which is entrusted with the job of taking water sample and thus testing it to ensure pure and safe supply of drinking water. A detailed testing report of 458 water samples taken from all six Zones which includes old Lucknow in the form of chart from 16th September, 2009 to 26th October, 2009 is annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

7. That the Lucknow Jal Sansthan has taken all steps and measures to prevent contamination of drinking water by conducting regular drives with regard to repair of leakage and disconnection of illegal connection and connections taken from Alkathiene Pipe (Plastic Pipe) in all the six Zones throughout Lucknow City. True copy of Zone-wise chart of 1726 leakage repair, 235 disconnection of plastic/illegal connections in said drive is enclosed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

8. That further in continuation to above the Lucknow Jal Sansthan during the period of 22nd September 2009 to 24th October 2009 sent 380 water samples to State Health Institute for Bacteriological testing.

It is pertinent to mention over here that the report of the same indicates all the results were excellent. True copy of Zone wise chart of the testing report of all 380 water

1975 ~~889~~ 526



samples is enclosed herewith as **Annexure No. 5** to this affidavit.

9. That further the Lucknow Jal Sansthan has initiated a drive to get all the sewer cleaned throughout the city of Lucknow in all the six Zones. A true copy of said cleaning of sewer in all the six Zones of Lucknow in the form of chart is annexed herewith as **Annexure No. 6** to this affidavit.

10. That the handpumps have been provided by the Lucknow Jal Sansthan in all the six Zones to cater the need of the general public in case of failure of regular water supply and for the poor persons staying in respective Zone. The said handpumps are being repaired as and when any complaint is received from the respective Zone.

11. That it is further submitted that with regard to repairs of handpumps and tube wells suitable steps have been taken by the Lucknow Jal Sansthan in all the Zones through out the city of Lucknow. True copy of Zone wise of chart of said repair work done by Lucknow Jal Sansthan is being annexed herewith as **Annexure No. 7** to this affidavit.

12. That further to ensure supply of clean and pure drinking water in all the six Zones of Lucknow, the Lucknow Jal Sansthan initiated a regular drive with regard to cleaning of the Over Head Tanks and Zonal Reservoir in all the six Zones which commenced from 25th October, 2009 onwards and the same will be completed by 30th November, 2009.

13. That further under the JNNURM it has been proposed to increase the capacity of second waterworks Balaganj to 200 mld from its present capacity of 100 mld and work on same

1976 ~~1990~~ 527



is in progress and the same will be completed within the stipulated period.

14. That further in continuation to the second water works, the work on the third water works at Gomti Nagar will be completed by March, 2011.

15. That it is further submitted that in addition to JNNURM, reboring of 8 tube wells in water scarcity areas have been completed by the Lucknow Jal Sansthan from its own fund. A photocopy of chart indicating reboaring of said tube wells is annexed herewith as **Annexure No. 8** to this affidavit.

16. That it is further pertinent to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan has filed its compliance affidavit in light of each and every order passed by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

17. That from the narration made herein above it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 15.09.2009 and 17.09.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow

Dated : 30.10.2009

**DEPONENT**



1977 ~~1897~~ 528



## Verification

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 1-17 of this affidavit are true to my personal knowledge and those of paras ___ are believed by me to be true on the basis of record and paras ___ are based on legal advise. No part of its is false and nothing material has been concealed therein.

So help me God.

Lucknow

Dated : 30.10.2009

**DEPONENT**

I identify the deponent who has signed before me.

**(Namit Sharma)**
Advocate

Solemnly affirm before me on 30-10 2009 at about 7-00 a.m. /p.m. by, the deponent who is identified by D.K. Sharma the deponent, who is identified by Sri Namit Sharma Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

HIGH COURT, ALLAHABAD COMMISSIONER FOR OATH

**Oath Commissioner**

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Capon No. 111459
Date 30/10/09

1978 (7) 529

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 1

**1. ओ0टी0 परीक्षण संयुक्त टीम(मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के चिकित्सक एवं लखनऊ जल संस्थान के सहा0 अभियन्ता) द्वारा।**

| माह | कुल | धनात्मक | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| अप्रैल 09 | 127 | 127 | 0 |
| मई 09 | 312 | 301 | 11 |
| जून 09 | 293 | 290 | 3 |
| जुलाई 09 | 275 | 262 | 13 |
| अगस्त 09 | 200 | 194 | 6 |
| सितम्बर 09 | 252 | 250 | 2 |
| 24 अक्टूबर 09 तक | 257 | 248 | 9 |
| **कुल** | **1716** | **1672** | **44** |

नोटः–35 स्थानो पर पुनः परीक्षण में क्लोरीन प्राप्त हुयी। 09 स्थान प्राइवेट सप्लाई से सम्बन्धित हैं जिन्हें

**2. जीवाणु परीक्षण (राज्य स्वास्थ्य संस्थान) द्वारा।**

| माह | कुल | उत्तम | संतोषप्रद | असंतोषप्रद |
|---|---|---|---|---|
| अप्रैल 09 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| मई 09 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| जून 09 | 78 | 77 | 1 | 0 |
| जुलाई 09 | 74 | 68 | 6 | 0 |
| अगस्त 09 | 47 | 44 | 2 | 1 |
| सितम्बर 09 | 236 | 236 | 0 | 0 |
| 24 अक्टूबर 09 तक | 219 | 219 | 0 | 0 |
| **कुल** | **848** | **838** | **9** | **1** |

नोटः–1 असंतोषप्रद नमूना पुनःपरीक्षण में उत्तम स्तर का प्राप्त हुआ।

**3. ओ0टी टेस्ट प्रयोगशाला जल संस्थान, ऐशबाग द्वारा कराये गये।**

| माह | कुल | धनात्मक | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| अप्रैल 09 | 193 | 193 | 0 |
| मई 09 | 326 | 325 | 1 |
| जून 09 | 134 | 134 | 0 |
| जुलाई 09 | 106 | 106 | 0 |
| अगस्त 09 | 68 | 68 | 0 |
| सितम्बर 09 | 373 | 373 | 0 |
| 24 अक्टूबर 09 तक | 393 | 393 | 0 |
| **कुल** | **1593** | **1592** | **1** |

नोटः–राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ द्वारा कराये गये परीक्षण मे 01 ऋणात्मक स्थान उत्तम स्तर का प्राप्त

अधिशासी अभियन्ता(मु0)

केमिस्ट 25.10.09

COMMISSIONER FOR OATHS

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, 1979 (1993) 530

LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003 (8)

SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS

ANNEXURE NO. 2

दूरभाष नं०:0522-2324086

प्रेषक,

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ०प्र०,
सेक्टर–सी,अलीगंज,लखनऊ।

6185
10-9-08

सेवा में,

मण्डलीय अपर निदेशक,
चि०स्वा०एवं परि०कल्याण सेवायें
लखनऊ मण्डल लखनऊ।

संख्याःरा०स्वा०सं०/जल परीक्षण/2008/6431-47 दिनॉकः 23-8-2008

विषयः– पेयजल की रासायनिक एवं जीवाणु जॉच कराने हेतु जल नमूने राज्य स्वास्थ्य संस्थान में भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि पेयजल के नमूॅनों की रासायनिक एवं जीवाणु जॉच प्रदेश स्तर पर इस संस्थान में की जाती है एवं इसके अर्न्तगत जनपदों में स्थित कारखानों,होटल, रेस्टोरेन्ट,आईस फैक्ट्री,आइसक्रीम फैक्ट्री/बस स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक पेयजल स्थलों से पेयजल के नमूनें एकत्रकर जॉच हेतु इस संस्थान में भेजने होते हैं। उक्त के संबंध में समय समय पर शासन/महानिदेशालय स्तर से भी आदेश जारी किये गये है ।

संभावित संक्रामक रोगकाल की स्थिति को देखते हुए प्रदूषित पेयजल की सप्लाई के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा इसकी रिपोर्ट मॉगी जाती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं । आपके अधीनस्थ जनपदों से जल नमूॅना परीक्षण हेतु इस संस्थान में पिछले दो वर्षो से नही भेजा जा रहा है जनपदो की सूची साथ में संलग्न है । कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जल नमूॅनों को मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से भेजने के लिए निर्देशित कर दें,,इस सम्बन्ध में जनपद में तैनात सी०एफ०आई० एवं एफ०आई०को शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हैं।

अतः कृपया उक्त के सम्बन्ध में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधीनस्थ सी०एफ०आई० एवं एफ०आई०को पत्र में उल्लिखित प्रतिष्ठानों से नमूॅने एकत्र कर जॉच हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ०प्र०,सेक्टर–सी अलीगंज,लखनऊ में भेजने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

जल संस्थानों,जल निगमों, वाटर वर्क्स से लिये गये नमूनों को जिले में गठित टीमों (मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा जल संस्थानों के नामित प्रतिनिधि) द्वारा ही एकत्र कराना सुनिश्चित किया जाये ताकि नमूना संग्रह में पारदर्शिता बनी रहे ।

भ व दी य,

संलग्नकःउपरोक्तानुसार ।

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ०प्र०,
सेक्टर–सी,अलीगंज,लखनऊ।

पृ०सं०: रा०स्वा०सं०/जल परीक्षण/2008/6448-51 तद्वदिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ०प्र०,लखनऊ ।
2– निर्देशक(स्वास्थ्य),स्वास्थ्य सेव महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
3– महाप्रबन्धक,जल संस्थान लखनऊ
4– अधिशासी अधिकारी,जल संस्थान/नगर पालिका परिषद

EE-1,2,3,4,5,6,7,8/मोरब
कृ० मा० अपेक्षित है।

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ०प्र०,
लखनऊ।

1900 1894 531 (9)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 3

## दिनांक 16 सितम्बर, 2009 से 26 अक्टूबर, 2009 तक

## जोनवार संयुक्त टीम द्वारा किये गये ओ0टी0 परीक्षण

| जोन | पेयजल नमूनों की सं0 | धनात्मक | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 |
| 2 | 112 | 112 | 0 |
| 3 | 59 | 56 | 3 |
| 4 | 75 | 73 | 2 |
| 5 | 91 | 91 | 0 |
| 6 | 99 | 99 | 0 |
| **कुल** | **458** | **453** | **5** |

**नोट**–05 ऋणात्मक पाये गये नमूनों का फालोअप कराये जाने पर वे उत्तम स्तर के प्राप्त हुए।

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR CAT

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 3A

1981 (10) 532

સાક્ષિક

સંયુક્ત O.T. પરીક્ષણ।

ગ્રાહક - પ્રથમ
દિ૦ - 12·10·09

ગ્રાહક દિનાંક 12·10·09 ના સંયુક્ત રૂપે O.T. પરીક્ષણ કરવા બાબત દિલ્લીમાં પરિણામ નિમ્નવત્ પ્રાપ્ત થયેલ।

ક્રમાંક - સ્થળ વ્યાખ્યા - પરિણામ - ટીકા

1 - કેસરબાગ ચોકડી SS/(પુરવઠા) S.P. (+ve) મૂળ ચોકડી - 2
2 - S.K. આર્કેડ ચોકડી S.P (- ve) " "
(કેસરબાગ ચોકડી પાસે)
3 - રાજધાની આર્કેડ ચોકડી પૂર્વ બાજુ S.S.P - (+ve) Zone - I
4 - ચર્ચ રોડ સામેનો - પૂર્વ બાજુ S.P. - (+ve) "
5 - ઓડિયમ ચોકડી રોડ પાસે S.P - (+ve) "
6 - ખાનગી બાગ ચોકડી બાજુ S.P. - (+ve) "
7 - માલવાગ ચોકડી ઓવરબ્રીજ નીચે S.P - (+ve) "
8 - ગુરુદ્વારી મંદિર રોડ પાસે S.P - (+ve) "
(ગુરુદ્વારી નીચે)
9 - ગોમતી-2 ઘાટ રોડ રોડ પાસે (ઈમરજન્સી) S.P - (+ve) "
10 ગોપાલ ભવન રોડ ઓડિયમ S.P - (+ve) "
11. ઘંટા અસ્પતાલ રોડ-સામે S.P (હેવલોક્સ - (+ve) "
12 - હનુમાન મંદિર રોડ સામે 3Gમાંથી - (+ve) "

નોંધ - ઉપરોક્ત બે ચોકી પૈકી ગુરુદ્વારા રોડ ચોકડી પર S.P. ની જગ્યાએ P.W.D. વિભાગ દ્વારા ડાયવર્ઝન કરવામાં આવેલ હોવાથી O.T. (-) પ્રાપ્ત થયેલ।

| |

ગ્રાહક
ડી-અનવાર ઝાહમદ
સ્વાસ્થ્ય નિરીક્ષક
C.M.O. કાર્યાલય

12/10/09
ગ્રાહક અંગુઠાનિશાન
દ્વારા સંયુક્ત અધિવક્તા
પ્રથમ - પ્રથમ

COMMISSIONER

~~1976~~ 1982
533
(11)

સંયુક્ત T.T. પરીક્ષણ

જોબ-પ્રથમ
દિનાંક - 20.10.09
દિવસ-મંગળવાર

આજ રોજ 26/10/09 ના C.M.O. કાર્યાલય ખે.વા.યો. તરીકે ના ઉમેદવારો ની સાથે વિવિધ સ્થળો એ T.T. પરીક્ષણ ની નકલ લિસ્ટ ગામે વાઈઝ નીચે મુજબ પાર્ટ કરવામાં આવે છે.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | રબારી ફળી-ચોરાથી | SP | - +ve |
| (2) | પાકીઝરી-સ્કૂલ સામે | SP | - +ve |
| (3) | H/138 ઉમેદ પ્રકાશ (House) | | - +ve |
| (4) | બાપુ કરસનજી રાઠોડ ની સામે | (SP) | - +ve |
| (5) | મોતીપુરા ચોથા | (SP) | - +ve |
| (6) | રાજ અપાર્ટમેન્ટ ની સામે જાપલિંગ ગરોડ | (SP) | - +ve |
| (7) | કાલરપેલ્સ ચોરાથી | (SP) | - +ve |
| (8) | ગોકુલ નાકા ચોરાથી | (SP) | - +ve |
| (9) | ભોલા-કાળા-ચોરાથી-ચાર કિલોમીટર | | - +ve. |
| (10) | રામી દેવલ ચોરાથી ભોલા કાળા | | - +ve. |

26/10/09
અનવાર ઉમેદ
ખે.વા.યો. નિરીક્ષણ
C.M.O. કાર્યાલય
મોડાસા

26/10/09
પી.એ. બારોટ
પુર્વ-સ્વાસ્થ્ય અધિકારી
ગ્રેડ-I
મોડાસા

1983 (12) ~~1997~~ 534

सेवा में जल शोधन, जि॰ 2

संयुक्त जल परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.9.09 समय प्रातः 7.00 AM to 8.30 AM

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रद्धाधाम जानकी पब्लिक स्कूल सैंपल पानी | Absent |
| 2. | अनुराग पैलेस के पास सैंपल पानी | Absent |
| 3. | डा॰ जिया क्लीनिक लहरी गंज चौराहा सैंपल पानी | Absent |
| 4. | क्रिश्चियन कालेज गलालुधैत के पास सैंपल पानी | Absent |
| 5. | लालजी स्वीट हाउस क्रिश्चियन कालेज चौराहा सैंपल पानी | Absent |
| 6. | सीती स्टेशन चौराहा सैंपल पानी | Absent |
| 7. | सीती स्टेशन वालछुप के पास सैंपल पानी | Absent |
| 8. | जुबली कालेज के बगल में सैंपल पानी | Absent |
| 9. | गुरुनानक स्कूल रुमाऊमार्ग सैंपल पानी | Absent |
| 10. | डा॰ मनीष रस्तोगी राजा बाजार सैंपल पानी | Absent |
| 11. | राजा बाजार चौराहा सैंपल पानी | Absent |
| 12. | शिव मन्दिर के सामने राजा बाजार सैंपल पानी | Absent |
| 13. | डाकघर मिष्ठान भण्डार राजा बाजार सैंपल पानी | Absent |
| 14. | बाबूलाल चौराहे के पास सैंपल पानी | Absent |
| 15. | एडवारा गेट के पास सैंपल पानी | Absent |

15/9/09
डा॰ डी॰ के॰ अग्रवाल
चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
लखनऊ।

15.09.2009
डा॰ मा॰ जियाउद्दीन खाँ रिजवी
चिकित्साधिकारी
नगर निगम, लखनऊ

15/9/09
[illegible]
सहायक अभियन्ता
नलकूप खण्ड
लखनऊ।

COMMISSIONER FOR OATHS

1984 ~~1997~~ 535

(+3)



## स्वच्छ जल संस्थान, ज़ोन-2

संयुक्त जल परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29-9-09 समय प्रातः 7.00AM/8.30AM

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ~~बू~~तलाब चौराहा मन्दिर के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 2. | जियावलीगंज के पास स्टैण्ड पाइप तहसीलगंज | +ve |
| 3. | आम्मापेठ के पास स्टैण्ड पाइप दुर्गाबाड़ | +ve |
| 4. | जातपाक होटल के सामने स्टैण्ड पाइप रामगंज दुर्गाबाड़ | +ve |
| 5. | क्रिश्चियन कॉलोनी नलकूप के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 6. | लालजी स्वीट हाउस के पास स्टैण्ड पाइप त्रिवेणीकालोनी | +ve |
| 7. | कुतुबबाग पार्क के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 8. | सीती स्टेडियम चौराहे के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 9. | मुंगफली मण्डी के पास स्टैण्डपाइप सीतीस्टेडियम | +ve |
| 10. | ओवरहेड टैंक के पास स्टैण्ड पाइप सीतीस्टेडियम | +ve |
| 11. | मु०-आजाद सण्टर सुभाषमार्ग के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 12. | दुर्गाजी मन्दिर सुभाषमार्ग के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 13. | टाईगर सिक्योरिटी सर्विसेज गल्लामण्डी सुभाषमार्ग | +ve |
| 14. | हनुमान मन्दिर के पास स्टैण्ड पाइप सुभाषमार्ग दुर्गाबाड़ | +ve |
| 15. | पुलिस चौकी के पास स्टैण्ड पाइप दुर्गाबाड़ | +ve |
| 16. | सब्जी हेया ट्रेन्च के सामने स्टैण्डपाइप राजेन्द्र नगर | +ve |
| 17. | राजेन्द्र नगर चौराहा स्टैण्ड पाइप | +ve |
| 18. | नन्दवाला टेन्ट हाउस के सामने स्टैण्डपाइप राजेन्द्र नगर | +ve |
| 19. | लाम्बे हेया ट्रेन्च सेक्टर के पास राजेन्द्र नगर | +ve |
| 20. | एशबाग पुलिस चौकी के पास स्टैण्ड पाइप | +ve |

29.09.2009

29/9/09

ओ०एं० (अहमद (स्वास्थ्यनीरिक्षक) डी०मो० से० (जगदिशबाबीपिनी वार्डिट

चिकित्साधिकारी चिकित्साधिकारी स्वच्छ अधिकारी

मुख्यचिकित्सा अधिकारी कार्यालय नगर निगम कानपुर जोन-2

कानपुर। कानपुर।

1985 (4955) 536

(4y)



## बरवाडा पुलिस थाना, जोन-2

जन परिवाद शिविर दिनांक 6.10.09 समय प्रातः 9.00 AM से 3.00 PM

1. राधागंज जोगता के पास स्टैण्ड जोड़
2. डाकुगंज पान के पास स्टैण्ड जोड़
3. ग. जिया के आवास के पास स्टैण्ड जोड़
4. जामा मस्जिद के सामने स्टैण्ड जोड़
5. जोतवाड़ हल्के के सामने स्टैण्ड हुसनाबाद
6. घन्टाघर के सामने स्टैण्ड जोड़
7. कोतवाली चौराहे के पास स्टैण्ड जोड़
8. कलाकेन्द्र हल्के के पिछे स्टैण्ड जोड़
9. तालाबड़ा जोगता के पास स्टैण्ड जोड़
10. नीली स्टैण्ड आवा हड्डटंक के पास स्टैण्ड जोड़
11. मंडू स्टैण्ड दाल के पास स्टैण्ड डाकुगंज
12. बालागंज चौराहे के पास स्टैण्ड जोड़
13. यासीनगंज चुन्ना के पास स्टैण्ड जोड़
14. म.न. 439/227 मोनू के आवास से यासीनगंज
15. यासीनगंज में रामदुलारे के आवास के पास स्टैण्ड जोड़
16. म.न. 439/133 मो. वजिया के आवास से यासीनगंज
17. म.न. 439/102 मो. निसार के आवास से यासीनगंज
18. यासीनगंज में गुड़िया के आवास के सामने स्टैण्ड जोड़
19. यासीनगंज में कुबालु के आवास के पास स्टैण्ड जोड़
20. यासीनगंज में राजा के आवास के पास स्टैण्ड जोड़

06/10/2009

डा. मो. ले. जिया खिलजी (एम.बी.)
चिकित्सा अधिकारी
जन चिकित्सालय बरवाडा

श्री ओमकार जोशी
स्वास्थ्य निरीक्षक
जन चिकित्सालय बरवाडा

प्रधान
जाहिद
सहायक अभिलेखक
जन चिकित्सालय
बरवाडा

1986 (1990) 537

(15)



## लखनऊ जल संस्थान जोन-2

संयुक्त जल परीक्षण रिपोर्ट, दिनांक 13.10.07 समय प्रातः 7.00 से 10.30 AM

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रहीमगंज जोनल के पास स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 2. | बाबूगंज पार्क के पास स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 3. | डा. जिया क्लीनिक के पास लहरीगंज | +ve |
| 4. | जामा मस्जिद के पास स्टैण्ड पोस्ट हुसैनाबाद | +ve |
| 5. | आलमबाग होटल के सामने स्टैण्ड पोस्ट रामगंज हुसैनाबाद | +ve |
| 6. | चन्दौसा के सामने स्टैण्ड पोस्ट हुसैनाबाद | +ve |
| 7. | कैसरबाग बस अड्डा के पास दोनों स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 8. | कैसरबाग बस अड्डा पीछे जर्दोजी धोबियाना स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 9. | अमित काष्ठ स्टोर के पास स्टैण्ड पोस्ट 8 नवम्बर रोड | +ve |
| 10. | श्री जी मन्दिर सुईवाला रोड स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 11. | सिविल डिफेन्स कालोनी के पास स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 12. | लालजी बीट हाउस छोटेवाला कालोनी चौराहा | +ve |
| 13. | सीवी रस्तोगी के पास स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 14. | बलाकि इण्डिया के पास स्टैण्ड पोस्ट मलिकगंज | +ve |
| 15. | पुलिस लाइन्स की बाहरी नालपार अलीगंज के पास मलिकगंज | +ve |
| 16. | मलिकगंज टैंक के पास स्टैण्ड पोस्ट | +ve |
| 17. | चिल्ड्रन्स पार्क पर महानगर स्टैण्ड पोस्ट | +ve |

13.10.2007
जा.मा.अ. जिला विकास अधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नगर निगम, लखनऊ।

अखिलेश सहगल
(खण्ड प्रभारी सिविल)
कार्यपालक अधिकारी जल संस्थान
लखनऊ

13/10
जल निगम
सहायक अभियन्ता
लखनऊ।

COMMISSIONER FOR OATHS
30/10

1987 (1991) 538
16

[illegible] जा.नं. 2

संयुक्त जांच परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.10.09 समय प्रातः 11 बजकर [illegible] मिनट

1. बालुरगंज थाना के ग्राम स्टेज पॉइंट
2. डा. शिखा चटर्जी के ग्राम स्टेज पॉइंट
3. ग्राम गार्जियन के ग्राम स्टेज पॉइंट
4. उत्तमकुमार हालदार ग्राम स्टेज पॉइंट रामगंज बुलाकार
5. रामरतन पुलिस चौकीदार ग्राम स्टेज पॉइंट
6. [illegible] पाल्मर स्कूल के सामने स्टेज पॉइंट
7. आदेश उत्तरी म.न. 539/R/पतेन स्कूल रोड
8. अब्दुल साहिद म.न. 539/R1/664 स्कूल रोड
9. डा. मो. कमाल म.न. 2271/35 डाकघर स्कूल रोड
10. सुकमा छोवालाल म.न. 2271/9 रेलवे रोड स्कूल रोड
11. अभिमन्यु म.न. 23, डाकघर रोड स्कूल रोड
12. श्री संपद अली मिश्रा हाजीदल के सामने स्कूल रोड
13. " अतीक अहमद गाउन्ट बेरी स्कूल के पास स्कूल रोड
14. उत्तराउदयन स्कूल रोड ऑफिस
15. बर्धमान स्कूल रोड ऑफिस
16. जहरलाल हालदार स्कूल रोड ऑफिस
17. मो. उलिउ स्कूल रोड ऑफिस
18. श्री रामचन्दर स्कूल रोड ऑफिस
19. श्री रंजीत स्कूल रोड ऑफिस
20. श्री जय चन्दर के मकान के स्कूल रोड ऑफिस

20.10.2009

अनवर अहमद — डा. मो. मा. जिला अधिकारी — जाहिद
पुलिस चौकीदार — चौकीदार — ग्रामीण अभिभावक
थाना, जिला उत्तर दिनाजपुर — थाना, जिला उत्तर दिनाजपुर — जिला उत्तर दिनाजपुर



1988 ~~1502~~ 539

(47)



सरकारी जमा तिमाही जून 88

संयुक्त जमा एकाउन्ट खिर्ने बिन्दु 31.10.87 सम्मा खाता नं 20 Rs नं 30 Rs

1. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
2. रामसेवक यादव वा अन्य नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
3. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
4. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
5. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
6. [illegible] वा गोविन्द [illegible] [illegible] 1 खाता
7. 356।357 [illegible] [illegible] 1 खाता
8. [illegible] [illegible] [illegible] 1 खाता
9. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
10. [illegible] [illegible] [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
11. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 खाता
12. [illegible] [illegible] [illegible] 1 खाता
13. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
14. [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
15. [illegible] [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] [illegible] 1 खाता
16. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
17. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 खाता
18. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नेपाल बैंक लि. [illegible] 1 खाता
19. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 खाता
20. [illegible] [illegible] 1 खाता

[illegible]
उपसचिव (स्वास्थ्य सेवा)
सुकुमबासी तथा पुनर्स्थापना कुन्द्रालाको
सरकार

[illegible]
सरोकार
सरकार, उपसचिवको
सरकार



56 1989 (18) 540

आज दिनांक 16/9/09 को प्रातः 7.00 से 9 बजे तक संयुक्त जल संस्थान पर C.M.O द्वारा क्लोरीन परीक्षण किया गया। परिणाम निम्नवत है।

(1) कुट्टन के होटल से सीतापुर रोड खदरा +ve
(2) मदेपगंज मन्दिर के पास +ve
(3) अलीगंज थाने के पास (S.P.) +ve
(4) L 1/34 सेक्टर बी +ve
(5) जलरिया मदरसा के सामने +ve
(6) महादेव होटल के पास जानकीपुरम (S.P.) +ve
(7) इंजिनियरिंग कालेज पावर हाउस जानकीपुरम +ve
(8) भावना कामप्लेक्स जानकीपुरम (S.P.) +ve
(9) सहारा स्टेट चौराहा जानकीपुरम +ve
(10) EWS-1/431 सेक्टर H जानकीपुरम +ve
(11) मोहम्मद अली के घर से बस्तू वाली गली अलीगंज +ve
(12) 486/38 नशाद अहमद सेक्टर वाईन बस्तू वाली गली +ve.
(13) मुंशी के होटल से माण्डू तेला खदरा +ve

(अनवार अहमद)
स्वास्थ्य प्रवेक्षक
C.M.O आफिस
कंट्रोल रूम लखनऊ

(के० के० श्रीवास्तव)
सहायक अभि० अधि०
जल संस्थान जोन-3
अलीगंज लखनऊ

1990 (19) 541

आज दिनांक 30/09/09 को प्रातः 9.10 बजे से 9.40 बजे जोन-3 के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पेयजल गुणवत्ता का परीक्षण C.M.O. व जल संस्थान की संयुक्त टीम द्वारा की गयी है जो निम्न है।

1:- श्री रामू कुमार प्रधानाचार्य तोमर खेड़ा = +Ve
2:- श्री अतेन्द्र अहमद, ,, = +Ve
3:- श्री बबली, खोरीसिंघ, डमीगंज = +Ve
4:- खोरीसिंघ मिनी सचिवालय स्टैण्ड पोस्ट = +Ve
5:- शंकर नगर चौराहा = +Ve
6:- रामकृष्ण मठ के सामने स्टैण्डपोस्ट = +Ve
7:- अतीगंज थाने का पास स्टैण्ड पोस्ट = +Ve
8:- ठेकरी बाजार, स्टैण्ड पोस्ट डमीगंज = +Ve
9:- B.S.S. अतीगंज, सेक्टर बी = +Ve
10:- ईदगाह मस्जिद कालिंग = +Ve
11:- इंजी० कालेज चौराहा स्टैण्डपोस्ट जानकीपुर = +Ve
12:- आयना कालोनी सिंह रोड, जानकीपुर = +Ve
13:- रजकना P.C.O. कुमारगंज = +Ve
14:- डा० लोहानी, पंतनगर = +Ve
15:- श्री सलीम नेता, पंतनगर = +Ve

30/9/09

(अतिरिक्त अहमद)
रजाधर निवासी
ए.एस.ओ. आर्मी
कन्ट्रोल रूम

(के० के० श्रीवास्तव)
एडिशनल
जल संस्थान जोन-3

COMMISSIONER FOR OATH

51 1991 542

आज दिनांक 23/9/09 को प्रातः 7.00 से 9.00 बजे तक संयुक्त टीम द्वारा C.M.O व जिल संस्थान द्वारा पेयजल परीक्षण किया गया। परिणाम निम्नवत हैं :-

1) 486/52 ठठेरी बाजार स्टेशन रोड डालीगंज -ve
2) 486/42 ठठेरी बाजार S.R. ... -ve
3) जलालिया स्कूल भाड़ टोला रवदरा -ve
4) यादव दूध डेरी के पास कन्या स्कूल रवदरा -ve
5) मदर टेरेसा स्कूल डरपत नगर रवदरा -ve
6) 475/11 क रवदरा रोड कन्या स्कूल -ve
7) [illegible] के होटल से सब्जी मंडी रवदरा -ve
8) मार्किट सिद्दीकी कंट्रोल के सामने मच्छी गंज -ve
9) राजकपूर के घर से बालमिकी मोहल्ला मच्छी गंज -ve
10) 536/809 मदेयगंज रवदरा -ve
11) हरीस इंटरप्राईजेज के पास कैसुलगंज -ve
12) सूर्या मैरिज लॉन के पास कैसुलगंज -ve
13) विशाल आटा चक्की के पास सबौली (S.P.) +ve

(अनवार अहमद)
स्वास्थ्य निरीक्षक
C.M.O आफिस
अंबेडकर नगर

(के० कोई श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता
जिल संस्थान जोन-3
अलीगंज लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS

1992 ~~1906~~ (21) 543

आज कि तारीख को पाता ० से वंचित और संयुक्त बैंक ऑफ़ इण्डिया के अधिकारी द्वारा पेयजल परिदर्शन किया गया। परिदर्शन निम्नवत है।

(1) कालीजी मन्दिर बोरिंग — रफाबगंज = कच्चा
(2) संतोष श्रीवास्तव के [illegible] नगर = कच्चा
(3) विनोद कुमार श्रीवास्तव [illegible] गंज नगर = कच्चा
(4) सीमा के घर से बोरिंग — रफाबगंज = कच्चा
(5) स० के निगम गैस — रफाबगंज = कच्चा
(6) हसन इण्टरप्राईजेज गैस गोंसे नगर (डी) कच्चा
(7) [illegible] गैस नगर रफाबगंज = कच्चा
(8) मोहम्मद यूसुफ के घर से गोंसे नगर = कच्चा
(9) नदीम खान के घर से गोंसे नगर रफाबगंज = कच्चा
(10) रहमान पेट्रोल पम्प सब्जी अमीनाबाद = कच्चा
(11) फातिमा के घर से बसहिबाड़ा = कच्चा
(12) नौ आमिर (एडवोकेट) के घर से बसहिबाड़ा = कच्चा
(13) पाण्डेय हुसामण्डी अमीनाबाद = कच्चा
(14) खलीलुल रहमान के घर से हुसामण्डी (आंशिक) = कच्चा
(15) बच्चा लाल के घर से बसहिबाड़ा = कच्चा
(16) सुरेश के घर से बसहिबाड़ा = कच्चा

P.T.O.

[illegible]

1993 ~~1994~~ 544

(22)

1994 (23) 545

आज दिनांक 14.10.2004 को प्रातः 7 - 8:30 बजे तक सम्पूर्ण CMO एवं सेक्टर द्वारा पेयजल परीक्षण निम्नानुसार परिणाम निकले :-

(1) रक्षदा ओवर हेड टैंक +
(2) मशालची चौक श्रीरामकुमार -
(3) शिवकुमार मशालची चौक +ve
(4) निजाम हलवे वाले चौक +ve
(5) जगदीश मदरसा स्वीटपोस्ट +ve
(6) बच्चू वाली गली स्वीट पोस्ट +ve
(7) देवी मन्दिर हनुमान मंदिर के पास स्वीटपोस्ट +ve
(8) बच्चू वाली गली स्वीटपोस्ट
(9) जलेजवाली कोठी मुगलवाला रोड +ve
(10) कैलाशचन्द्र जतरूका के पास स्वीटपोस्ट +ve
(11) पूर्णचन्द्रजी पिंटू अखबार वाले के पास स्वीटपोस्ट +ve
(12) श्री विनोद तिवारी 484/04 शंकर रोड पोस्ट +ve
(13) बच्चू लक्ष्मण प्रसाद के स्वीट पोस्ट +ve
(14) गंज लक्ष्मण प्रसाद रोड विद्या मंदिर +ve
(15) पीरूकलां मेंहे के पास शिवलाल कुमार +ve
(16) बागा अशोक पेंटर की अशोक दे +ve

(अशोक कुमार)
स्वास्थ्य निरीक्षक
C-M-O आफिस
कोटा

(जी॰ सी॰ शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
जवाहर नगर अभियान
कोटा

कोटा नगर परिषद
प्रदूषण नियंत्रण
जवाहर नगर अभियान



1995

546

(24)

| | | |
|---|---|---|
| (1) | [illegible] | +ve |
| (2) | [illegible] | +ve |
| (3) | 8/320 | +ve |
| (4) | 7/602 | +ve |
| (5) | 67584 | +ve |
| (6) | 5/64 | +ve |
| (7) | 5/140 | +ve |
| (8) | 5/612 | +ve |
| (9) | [illegible] | +ve |
| (10) | 3/122 | +ve |
| (11) | [illegible] | — |
| (12) | 3/54 | +ve |
| (13) | 1/331 | +ve |
| (14) | 1/603 | +ve |
| (15) | 1/343 | +ve |
| (16) | 1/124 | +ve |
| (17) | [illegible] | +ve |
| (18) | [illegible] | — |

C.S.



1996 ~~1990~~ 547

(25)

63

~~आज दिनांक 28-10-09 को [illegible] 1.00 से 2.00 बजे तक~~
संयुक्त टीम C.M.O व जल[illegible]थान द्वारा पेयजल परीक्षण
किया गया। परिणाम निम्न[illegible] हैं

| | | |
|---|---|---|
| (1) मोहन मीकिन ढाल के पास | डालीगंज (S.P.) | +ve |
| (2) हसनगंज कोतवाली के सामने | (S.P.) | +ve |
| (3) ठेरी बाजार चरही से डालीगंज | (S.P.) | +ve |
| (4) बड्डू वाली गली से | (S.P.) | +ve |
| (5) सुधीर शुक्ला एडवोकेट के कार्यालय के सामने | (S.P.) | +ve |
| (6) 2/3 निराला नगर लाल कालौनी | | +ve |
| (7) राजेन्द्र प्रसाद E-2-31, 32 इन्दिरा नगरी अलीगंज | | +ve |
| (8) पुरनिया चौराहा के पास | (S.P.) | +ve |
| 9) B-1/10 Sec J अलीगंज | | +ve |
| 10) एम० ए० खाँन B-1-151 Sec-G अलीगंज | | +ve |
| 11) L-पी/18 Sec- L | | +ve |
| (12) इसरार खाँन 9/18 सेक्टर I अलीगंज | | +ve |
| (13) 40 L/118 यशोदा मुखौली सेक्टर-E | | +ve |
| (14) माही मोरसी के सामने जानकीपुरम | (S.P.) | +ve |

(अन्वार अहमद) 28/10

स्वास्थ्य निरीक्षक
C.M.O-आफिस कंट्रोल रूम
लखनऊ

(ओ० के० श्रीवास्तव)

सहायक अभि[illegible]ता
जल संस्थान उ[illegible]
अलीगंज लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH

1997 548

(26)

आज दिनांक 24.9.09 को प्रातःकाल
जलापूर्ति में उपलब्ध क्लोरीन परीक्षण
किए जाने की सूचना निम्नवत है

1. S.P. निकट नगर निगम कार्यालय चन्दर नगर → tivo
2. S.P निकट BMC चन्दर नगर → tivo
3. SP. मिलौवा निकट 551 ब्लॉक/321 → tivo
4. T. water श्रीगोपाल एकीट हैदर बैग रोड चन्दर नगर → tivo
5. SP. निकट चन्दर नगर नलकूप 6 → tivo
6. SP. निकट मौनीबाबा मन्दिर पानपुर → tivo
7. S.P निकट श्रद्धांजली साड़ी आलमबाग → tivo
8. SP. निकट सरदारजी की तलवी मी प्रधान नटविंड़ा रोड → tivo
9. S.P. निकट मिलन होटल ईस्ट नटखेड़ारोड → tivo
10. SP निकट पौराणिक पान भण्डार पानपुर रोड → tivo
11. शीतल कुमार 552/404 आजाद नगर रोड → tivo
12. SP. निकट आशीर्वाद होटल बलवंत आजाद नगर रोड → tivo
13. हैप्पी पोर्ट निकट शिवमन्दिर आजाद नगर → tivo

(अनीस अहमद)
एस.डी.ओ. निरीक्षण
M.P.M.O.S.A.O. कार्यालय
लखनऊ

24-9-09
(गुरुश्वर दयाल)
सी.एम.ओ. एम.ओ.
जल संस्थान
जोन - 4

COMMISSIONER FOR OATHS

1998 ~~1912~~ (27) 549

# संयुक्त बकाएदार परीक्षण रिपोर्ट दि. 1-10-09

| क्र. सं. | स्थान का विवरण | | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | L.D.A. Quarters सर्वेन्ट रोड सेक्टर-I मि.नं. 1594 के सामने | | +ive |
| 2. | " " " मि नं 994, G. K. Saxena. | | +ive |
| 3. | पार्किंग D Sh V.K. Sonkar मि. नं 392 | | +ive |
| 4. | " " Sh Ashok Saxena " 379 | | +ive |
| 5. | " Sec. I Smt Sahmla Agrwal " No HO/A | | +ive |
| 6. | " " House No. 370A | | +ive |
| 7. | " " Sh Ganga Ram 356 C | | +ive |
| 8 | " Sec II S. H.N. Kohli - Hou — | | +ive |
| 9. | " Sec I House No 322 | | +ive |
| 10 | " " S. Alibijil H. No - 125 B | | +ive |
| 11. | " " Sh Ramik Singh " 126 B | | +ive |
| 12. | 2120 सेक्टर-5 2/634 L.D.A. | रहीं गाजियाबाद | +ive |
| 13 | " " 2/620 " | " | +ive |
| 14 | " " 2/096 " | " " | +ive |
| 15. | LDA Colony Sec H. H. No C2/12 | Kanker Road | +ive |

11/10/09
(D. N. Yadav)
Junior Engineer
LHO Jal Sansthan
Zone - II.

(Dr Anwar Ahamad)
सहा० वि० अधिकारी
एल०एच०ओ
गा०ब०
LHO

30/10

1999 (28) 1999 550

ઉમેદવારોની યાદી જેઓ પ્રાથમિક પરીક્ષામાં પાસ થયા

60-01-80-09

(1) [illegible] +Ve

(2) [illegible] +Ve

(3) [illegible] -Ve

123, [illegible]

(4) [illegible] SS-1910 +Ve

(5) [illegible] SS-1926 +Ve

(6) [illegible] -Ve ✓

(7) [illegible] E WS/E-3/315 +Ve

(8) [illegible] E-3/278 +Ve

(9) [illegible] -Ve ✓

C-86

(10) [illegible] +Ve

(11) [illegible] +Ve

[illegible]

2000 (1914) 551

(29)

आज दिनांक 15/10/09 को पुनः तलाशी की संयुक्त जांचपरीक्षण किया गया। परिणाम निम्न पाये गये हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | नगर निगम पार्षद [illegible] | S.P | +ve |
| (2) | [illegible] | S.P | +ve |
| (3) | [illegible] | S65/09 | +ve |
| (4) | [illegible] | S65/09 | +ve |
| (5) | [illegible] | S65/09 | +ve |
| (6) | [illegible] | S69-ब/409 | +ve |
| (7) | [illegible] | S54-ब/09 | +ve |
| (8) | श्री [illegible] | S69-ब/409 | +ve |
| (9) | श्री [illegible] | S69-ब/469 | +ve |
| (10) | [illegible] | S55/09 | +ve |
| (11) | श्री [illegible] | S70/09 | +ve |
| (12) | श्री [illegible] | S55/09 | +ve |

श्री [illegible]
सहा० निरीक्षक

[illegible]
सहा० कार्य अ०
जलापूर्ति-1

[illegible]
जलापूर्ति

2001 (1915) 552

(30)

## [illegible]

[illegible] 01/04/15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2002 (1916) 553

(31)

आज दिनांक 29.10.09 को प्रातःकालीन जलापूर्ति में संपूरक क्लोरीन परीक्षण की रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. S.P. निकट चन्दर निगम ओवरहेड पेयजल आलमबाग → 5 tins
2. S.P. निकट शुभ्रवस्त्र धो० ली० आ० स्टार लैंड्रर्स चन्दर नगर आलमबाग → 5 tins
3. गोपाल डेयरी एवं मिलावा → 5 tins
4. S.P. निकट चन्दर इलेक्ट्रिक सानुधर रोड → 5 tins
5. हरि ओम मोहली एण्ड कम्पनी सानुधर रोड आलमबाग पेट्रोल पम्प → 5 tins
6. S.P. निकट चन्दर नगर नलकूप नं० 06 → 5 tins
7. लाईनचौकी भण्डार आलमबाग चौराहा → 5 tins
8. S.P. निकट वाल्ड आटो पार्ट्स रामनगर → 5 tins
9. नरायन पब्लिक स्कूल लैदर नगर → 5 tins
10. S.P. निकट तिवारी फिलिंग लैदर नगर → 5 tins
11. श्रीमती गोपाल 569/1 लैदर नगर → 5 tins
12. जनपथ इलेक्ट्रिकल्स सानुधर रोड रामलीलाल नगर → 5 tins

29/10/09
(अनवार अहमद)
एस० निरीक्षक
मुख्य चि० अधिकारी
पानीघर लखनऊ

29-10-09
(मुनेश्वर दयाल)
पी० एस० एस०
जलसंस्थान जोन-6
चन्दर नगर

/s/

2003 (1917) 554

(32)

दिनांक 11.9.09 को श्री दरबारा सिंह जोहल के नाम
नामे के संबंध में कार्यवाही का विवरण —

1. गली नं 1 के तातपुरा नगर — 1 नग
2. पुराना नगर बैंक के पास — 1 नग
3. नई गली नं 1 तातपुरा नगर — 1 नग
4. 9/169 सैक्टर 9 — 1 नग
5. 925/3 H ब्लॉक इंदिरा नगर — 1 नग
6. सी 2095/9 की कमांक पुराना अंबाला — 1 नग
7. आरुषपाली — 1 नग
8. पुरानी गली तातपुरा नगर S.T — 1 नग
9. तातपुरा नगर मेन रोड दुकानों के पास — 1 नग
10. सैक्टर-17 बैंक के पास — 1 नग
11. सैक्टर-19 डी. रामलीला ग्राउंड — 1 नग
12. सैक्टर-12 बैंक के नजदीक — 1 नग
13. मूलचंद पार्क में तुलसी के पास — 1 नग
14. वी-ब्लॉक बैंक के पास — 1 नग
15. कंडक्टरों कुलदीप के घरों — 1 नग

11/9/09

(एस. पी. श्रीवास्तव)
एडीशनल सुपरिंटेंडेंट

11/9/09

(एस. डी. पी. ओ.)
सिविल लाइन्स, अंबाला शहर

2004 (1918) 555

(33)

दिनांक 25.9.09 को श्रीदेवी नगर जो.40S में जनता मिलने का सायुक्त परिपत्र

1. A- ब्लॉक पुलिस चौकी के पास S.P — +ve
2. A- ब्लॉक मोना मोबिल S.P — +ve
3. लालकुआं मेन सलाक्लोनिक S.P — +ve
4. लालकुआं पीडब्लीए के ऑफिस पास — +ve
5. लालकुआं मोतिले के पास पा — +ve
6. लालकुआं सुलभ के आगे — +ve
7. प्रभात लो के सामने वाले रास्ते के पास S.P — +ve
8. शास्त्री मार्केट S.P — +ve
9. B- 1078 मकान पा — +ve
10. सीलमपुर मस्जिद — +ve
11. D- 1364 मकान पर — +ve
12. सेक्टर 12/490 — +ve
13. अरविन्दो पार्क पुलिस चौकी के पास — +ve
14. मुखीपुरिया शाला रोड़ के पास — +ve
15. प्रभात लोक मंडल के पा पा — +ve

(ए.पी. ओ. गाजियाबाद)
स्थानीय निकाय-II
जल संस्थान गाजियाबाद

(अनवर अहमद)
स्वास्थ्य निरीक्षक
मु. नि. अधिकारी कार्यालय
कौशाम्बी, गाजियाबाद



2005 (1919) 556

(34)

દિનાંક ૦૧.૦૧.૨૦૦૬ ના રોજ મળેલ બાંધકામ ની સમિતિ

નિર્ણય પરિણામ —

1. A લાભોને બજારદર કરતાં ઓછા — +૫%
2. આકૃતિવાળી ચોકલેટ — +૫%
3. રાષ્ટ્રીય તહેવારનાં ફુગ્ગાઓ — +૫%
4. ચોકલેટના કાર્ટન ઉપરના લોગોના ડિઝાઇન — +૫%
5. રમકડાંમાં બીજાંની ભેળસેળ — +૫%
6. લાભાર્થીઓની ઓળખ — +૫%
7. રંગોળી પ્રતિયોગિતા — +૫%
8. કાર્ટૂન પ્રતિયોગિતા — +૫%
9. ઓળખ કાર્ડ પર ફોટોગ્રાફ — +૫%
10. નોંધ બિંદુ ઈન્દિરા નગર — +૫%
11. ઓલો ન. B 11/18 — +૫%
12. બી. ૨૧ થી ૨૭ ઓલો ન. — +૫%

(સભ્ય સચિવ)

(અધ્યક્ષ)



2006 (1920) 557

(35)

नोट : 2

दिनांक 16.10.07 को ब्लॉक ग्राम पंचायत के परीक्षण में जल नमूने का परिणाम (+ve/-ve)

1. 2/6 लिखित रवाना सोमवती नगर — +ve
2. 4/139 — " — सोमवती — +ve
3. 4/5 लिखित रवाना हरिजन बस्ती — +ve
4. 4/211 लिखित रवाना — +ve
5. गुलाब चाय की दुकान लिखित — +ve
6. 6/272 राम बहादुर सिंह लिखित रवाना — +ve
7. 5/39 लिखित रवाना — +ve
8. अपूर्ण लिखित रवाना — +ve
9. 3/120 लिखित रवाना — +ve
10. 3/172 लिखित रवाना — +ve
11. 11 90 लिखित रवाना — +ve
12. 5/206 लिखित रवाना — +ve
13. ब्लॉक कार्यालय सोमवती — +ve
14. मदरसा वाली गली लिखित रवाना 5' — +ve
15. मदरसे वाली गली लिखित रवाना 5' — +ve

16/10/07

(इस्लाम अहमद)
सहायक अभियन्ता-5

16/10/07

(इस्तखार अहमद)
ब्लॉक्स निरीक्षक
मु. चि. अधिकारी कार्यालय
लक्सर का

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT OF UTTARAKHAND

2007 (1921) 558

(36)

दिनांक 23.10.97 को सं. सम्पत्ति भवन परीक्षण में
लिये गये सत्यापन का परिणाम —

1- लेबरर्ज मार्केट चौकी के पास — +ve.
2. Above O.T.C. के पास — +ve.
3. सी-1117 — +ve.
4. मूल नाथ मार्केट — +ve.
5. सेक्टर 4 थाने के पास — -ve. प्राइवेट सम्पत्ति
6. सिविल डिफेन्स मल्टी स्पेशियलिटी के सामने — -ve प्राइवेट सम्पत्ति
7. सिविल लाइन 1/260 गोशाला गेट — +ve.
8. 2/3 सिविल लाइन गोशाला गेट — +ve.
9. आशुतोष चौराहा मंदिर के पास — +ve.
10. आशुतोष चौराहा से कुतुबमीनार की ओर — +ve
11. प्रताप नगर से [illegible] — +ve
12. कुतुब इंडिया गेट पुरानी गली — +ve.
13. कुतुब रानसर इमली गली — +ve.
14. रामकृष्णपुरम — +ve.

(ई.ओ. कोलानाक)
सर्वे आफिसर ग्रेड-II

(मंजूर अहमद)
सहा. निदेशक
भू. नि. अधिकारी कार्यालय
अजमेर रोड।



2008 (1922) 559

(37)

- 44 -

2009 (1923) 560

(38)

20

आज दिनांक 19.09.09 को प्रातः निम्नलिखित स्थानों पर ओटी परीक्षण किया :—

| | परिणाम |
|---|---|
| 1. स्टै० पो० निकट चरक डायग्नोस्टिक सेन्टर चौक लखनऊ | +Ve |
| 2. स्टै० पो० निकट आकर बाकर पुरीनी सब्जी मंडी चौक | +Ve |
| 3. स्टै० पो० निकट अकबरी गेट ढाल चौक | +Ve |
| 4. स्टै० पो० बम्बे वाली गली कश्मीरी मोहल्ला | +Ve |
| 5. स्टै० पो० निकट पुल गुलाम हुसैन नाला कश्मीरी मोहल्ला | +Ve |
| 6. स्टै० पो० निकट कश्मीरी मोहल्ला चौराहा | +Ve |
| 7. स्टै० पो० पुलिस चौकी कश्मीरी मोहल्ला | +Ve |
| 8. स्टै० पो० निकट टापे वाली गली कश्मीरी मोहल्ला | +Ve |
| 9. स्टै० पो० निकट नाला गिरधारी सिंह इण्टर कालेज | +Ve |
| 10. स्टै० पो० निकट बालदा अशर्फी बाद | +Ve |
| 11. स्टै० पो० निकट डूडिया गंज डाल अशर्फी बाद | +Ve |
| 12. स्टै० पो० खिलौचपुरा डूडिया गंज चौराहा | +Ve |
| 13. स्टै० पो० निकट बर्फखाना रेशबाग | +Ve |
| 14. स्टै० पो० निकट प्रीमियर स्टील वर्क्स रेशबाग मोती झील लखनऊ | +Ve |
| 15. स्टै० पो० निकट गुप्ता चाट वाले पीली कालोनी रेशबाग लखनऊ | +Ve |

19/09/09

(मो० यूनुस अहमद)
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
सी० एच० ओ० कार्यालय

सहा० आशुलेखक
बालागंज

19/09/09

वाटर एनालिस्ट
प्रयोगशाला
बालागंज



2010 (1929) 561

(39)

21

आज दिनांक 26.09.09 को प्रातः संयुक्त टीम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर ओटी परीक्षण किया गया :—

| | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|
| 1. | स्टै० पो० निकट मिर्जा बाग कालोनी बालागंज | +Ve |
| 2. | स्टै० पो० निकट चरक फैथोलोजी चौक लखनऊ | +Ve |
| 3. | स्टै० पो० निकट चौक कोतवाली चौक | +Ve |
| 4. | स्टै० पो० परिवार कल्याण निदेशालय के पास | -Ve |
| 5. | स्टै० पो० निकट बान वाली गली चौक | +Ve |
| 6. | स्टै० पो० निकट कोनेश्वर चौराहा चौक | +Ve |
| 7. | रसूर वाल्व निकट मजार हरदोई रोड | +Ve |
| 8. | स्टै० पो० निकट सेन्ट जोसेफ स्कूल हरदोई रोड | +Ve |
| 9. | स्टै० पो० निकट प्रोफेसर कालोनी मंजू टेन्ट हाल | +Ve |
| 10. | स्टै० पो० निकट चौमुखी महादेव मन्दिर हरदोई रोड | +Ve |
| 11. | टैप वाटर मित्तल मिष्ठान भंडार हरदोई रोड | +Ve |
| 12. | टैप वाटर मुराद्वारी ~~चिकन~~ बिरयानी चास मंडी | +Ve |
| 13. | स्टै० पो० निकट गामा भर्सिंग चौक हुसैना बाद | +Ve |
| 14. | स्टै० पो० निकट छोटा इमाम बाड़ा हुसैना बाद | +Ve |
| 15. | स्टै० पो० घंटाघर के सामने हुसैना बाद | +Ve |
| 16. | स्टै० पो० रेलवे छन्ना डाली गंज हाथी पार्क के पास | +Ve |

अनवार अहमद
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
सी० एम० ओ० कार्यालय

26/9/09
सहा० अभियन्ता
बालागंज

26/9/09
जाफ्र एनार्ति
बालागंज
प्रयोगशाला



2011 (1925) 562

(40)

आज दिनांक 03·X·09 को प्रात: 22 संयुक्त टीम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर ओटी परीक्षण किये गये :-

| | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|
| 1. | स्टै० पो० निकट मि० गंज बाग कालोनी, बालागंज | +Ve |
| 2. | स्टै० पो० निकट प्रोफेसर कालोनी राधा गाम | +Ve |
| 3. | स्टै० पो० निकट सेन्ट जोसेफ स्कूल हरदोई रोड | +Ve. |
| 4. | रजर वाल्व निकट बैंक आफ बडौदा हरदोई रोड | +Ve. |
| 5. | स्टै० पो० निकट महात्मा गाँधी स्कूल हरदोई रोड | +Ve |
| 6. | स्टै० पो० निकट सूर्या पैलेस हरदोई रोड | +Ve |
| 7. | स्टै० पो० निकट चौक जोनल चौक | +Ve. |
| 8. | स्टै० पो० निकट कोतवाली चौक लखनऊ | +Ve |
| 9. | स्टै० पो० निकट परिवार कल्याण निदेशालय सिटी स्टेशन के पास | +Ve. |
| 10. | स्टै० पो० निकट अकबरी गेट ढाल चौक | +Ve |
| 11. | स्टै० पो० निकट नक्खास पुलिस चौकी | +Ve |
| 12. | स्टै० पो० निकट बम्बे वाली कश्मीरी चौक | +Ve. |
| 13. | स्टै० पो० निकट टापे वाली गली कश्मीरी मोहल्ला लखनऊ | +Ve |
| 14. | स्टै० पो० निकट फुल गुलाम हुसैन कश्मीरी मोहल्ला | +Ve |

प्रोग्रेस-च.ई.स्त्रीवास्तव
चैस मैडिकल
सी०एम० ओ०
कार्यालय लखनऊ

09/10/09
सहायक अभियन्ता
बालागंज

03·X·09
सहायक एनालिस्ट
प्रयोगशाला
बालागंज

30/10

2012 · 1926
563

(41)

23

आज दिनांक 10.10.09 को प्रातः निम्नलिखित स्थानों पर ओटी परीक्षण किये गये :—

1. स्टै० पो० हिन्द मार्का कम्पनी के सामने चौक +ve
2. स्टै० पो० बेग आई सेन्टर चौक के सामने +ve
3. स्टै० पो० निकट अकबरी गेट डाल चौक +ve
4. स्टै० पो० निकट बम्बे वाली गली कश्मीरी मोहल्ला +ve
5. स्टै० पो० निकट एयूटी पार्लर के सामने कश्मीरी मोहल्ला +ve
6. स्टै० पो० निकट कश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी +ve
7. स्टै० पो० निकट गिरधारी सिंह डण्टर कालेज +ve
8. स्टै० पो० निकट टापे वाली गली कश्मीरी मोहल्ला +ve
9. स्टै० पो० वालदा अशर्फाबाद के सामने +ve
10. स्टै० पो० निकट इण्डिया गंज चौराहा +ve
11. स्टै० पो० निकट अर्सलजाद इण्डिया गंज +ve
12. स्टै० पो० निकट हैदर गंज चौराहा +ve
13. स्टै० पो० निकट हैदर गंज पुलिया +ve
14. स्टै० पो० निकट वसीम पी० सी० ओ० कच्ची कालोनी +ve
15. स्टै० पो० निकट पुराना हैदर गंज पुलिया +ve
16. टैप वाटर मा० नं० 346/76 श्री जितेन्द्र साहू मेहदी गंज +ve
17. टैप वाटर मकान श्री आशिक अली कच्ची कालोनी +ve
18. स्टै० पो० निकट सैन्टीनियल डण्टर कालेज बौला गंज +ve

10/10/09
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
स्वा० सम० ओ० कार्यालय

10/10/09
सहा० अभियन्ता
बालागंज

10/10/09
वार्ड [illegible]
बालागंज

2013 (1927) 564

(42)

24

आज दिनांक 17.10.09 को पूर्व संयुक्त टीम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर ओटी परीक्षण किये गये :—

| | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|
| 1. | स्टैण्ड पोस्ट निकट पीपली बाग कालोनी बालागंज | +Ve |
| 2. | हैण्डपम्प निकट पेट्रोल पम्प सी० ओ० बालागंज | +Ve |
| 3. | स्टैण्ड पोस्ट निकट प्रोफेसर कालोनी राजा गंगा अस्पताल | +Ve |
| 4. | स्टैण्ड पोस्ट निकट सूर्या टैक्टर हरदोई रोड बरबाड़ | +Ve |
| 5. | टैप वाटर म०न० 277/3 इस्लाम नगर रसूलाबाद | +Ve |
| 6. | टैप वाटर मकान श्री० लतीफ पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 7. | टैप वाटर मकान श्री शकील अहमद पीपली वाली रसूलाबाद | +Ve |
| 8. | टैप वाटर मकान श्री सैय्यद अली निकट मजार बेले वाला | +Ve |
| 9. | टैप वाटर मकान श्री राम सिंह जी की मण्डप आदर्श आजाद | +Ve |
| 10. | टैप वाटर मकान श्री खलीक अहमद पार्षद को श्री कैलाश | +Ve |
| 11. | टैप वाटर मकान श्री जमालुद्दीन पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 12. | टैप वाटर मकान श्री राम नरायण सिंह पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 13. | टैप वाटर मकान श्री जहूरुल हसन पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 14. | टैप वाटर मकान श्री नसीम अहमद रिटायर्ड पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 15. | टैप वाटर मकान श्री आबिद अली पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 16. | टैप वाटर मकान श्री मो० शब्बीर पुराना रसूलाबाद | +Ve |
| 17. | टैप वाटर मकान श्री अशोक कुमार पुराना रसूलाबाद | +Ve |

स्वास्थ्य निरीक्षक/निरी० सहा० अभियन्ता
सी०एम०ओ० कार्यालय बालागंज

17/X/09

30/10

2014 (1920) 565

(43)

25

आज दिनांक 24.10.09 को शाम सम्पर्क किए गए निम्नलिखित स्थानों पर ओटी परीक्षण किये गये :-

| | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|
| 1. | स्टै० पो० त्रिलोचन डिग्री कालेज चौराहा शीतलगंज | +Ve |
| 2. | स्टै० पो० निकट परिवार कल्याण निदेशालय [illegible] | +Ve |
| 3. | स्टै० पो० निकट चरखा चौराहा सीतापुरी रोड पर चौक | +Ve |
| 4. | स्टै० पो० निकट अनेतवाली चौक लखनऊ | +Ve |
| 5. | स्टै० पो० निकट गोल दरवाजा चौक लखनऊ | +Ve |
| 6. | स्टै० पो० निकट चौक औकला चौक लखनऊ | +Ve |
| 7. | स्टै० पो० जेल आई सेन्टर के सामने चौक लखनऊ | +Ve |
| 8. | स्टै० पो० नक्खास पुलिस चौकी के सामने | +Ve |
| 9. | स्टै० पो० निकट कंघी वाली गली चौक लखनऊ | +Ve |
| 10. | स्टै० पो० निकट कल्लू मेवा के, पास [illegible] | +Ve |
| 11. | स्टै० पो० निकट थाना हुसैनगंज चौराहा लखनऊ | +Ve |
| 12. | स्टै० पो० निकट राजकीय इण्टर कालेज [illegible] | +Ve |
| 13. | स्टै० पो० निकट पुराना हैदरगंज थाना चौराहा | +Ve |
| 14. | स्टै० पो० कल्लू बेकरी [illegible] | +Ve |
| 15. | स्टै० पो० निकट चरही चुंगी आश्रम लखनऊ | +Ve |
| 16. | स्टै० पो० निकट नरेश बेकरी बड़ा तालाब राजाजीपुरम | +Ve |
| 17. | डैव वाटर गुप्ता हलवाई सपना कालोनी राजाजीपुरम | +Ve |
| 18. | स्टै० पो० दिवाकर निशुल्क के सामने राजाजीपुरम | +Ve |
| 19. | स्टै० पो० निकट नोएडा सेक्टर 6 ब्लाक राजाजीपुरम | +Ve |

स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/निरीक्षक
सी० एम० ओ० कार्यालय
लखनऊ

सहा० आयुक्त 24/10/09
बादशाहगंज

24/10/09
वार्ड एम्प्लायर
बादशाहगंज
प्रो० हाजरा



2015 (929) 566

(447)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 4

## दिनांक 16 सितम्बर, 2009 से 26 अक्टूबर, 2009 तक

## जोनवार काटे गये अल्काथीन पाइप व लीकेज मरम्मत का विवरण

| जोन | काटे गये अल्काथीन पाइप की सं0 | लीकेज मरम्मत की सं0 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 86 |
| 2 | 54 | 231 |
| 3 | 74 | 513 |
| 4 | 56 | 171 |
| 5 | 33 | 508 |
| 6 | 12 | 217 |
| **कुल** | **235** | **1726** |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR OATHS

2016 (1930) 45 567

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

## WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003

## SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS

## ANNEXURE NO. 5

दिनांक 22.09.09 से 24.10.09 के मध्य लखनऊ शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नमूनों के जीवाणु परीक्षण का जोनवार विवरण

| जोन | वार्ड/मोहल्ले का नाम | लिए गये नमूने | उत्तम/सन्तोषद | संदेहास्पद/असंतोषप्रद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कसाईबाड़ा, मछली मोहाल, कन्धारी बाजार, राजभवन, लालकुआँ, छितवापुर, चारबाग उदयगंज, हुसैनगंज पुराना किला, मार्टिन पुरवा, वजीरहसन रोड, नरही बटलर पैलेस, आदि। | 50 | 50 | 0 |
| 2 | राजा बाजार, मशकगंज, वजीरगंज, ऐशबाग, ...ण्डी नवीउल्ला रोड, खजुहा, रकाबगंज, पाण्डेगंज, मौलवीगंज, तिलकनगर मोतीनगर, राजेन्द नगर, दुगांवा, पानदरीबा, फतेहगंज दुर्विजयगंज, मवैया, मोतीझील, लालबाग, कैसरबाग, गोलागंज, अमीनाबाद, सिटी स्टेशन वजीरगंज, मौलवीगंज, पाटानाला आदि। | 66 | 66 | 0 |
| 3 | डालीगंज, सीतापुर रोड, मदेगंज खदरा, ब्रम्हनगर, इरादतनगर, मोहन मेकिन्स रोड, फैजाबाद रोड, हसनगंज, निशातगंज, महानगर, रिंग रोड, अलीगंज कुर्सी रोड, जानकीपुर, कल्याणपुर, विकास नगर, प्रियदर्शिनी कालोनी, फैजुल्लागंज, त्रवेणीनगर, निरालानगर, पुरनिया आदि। | 115 | 115 | 0 |
| 4 | आलमबाग, सुजानपुरा, नटखेड, आजादनगर, पूरननगर, सिंगारनगर, एल्डिको, रजनीखण्ड, साउथ...ो, रेलनगर प्रेमनगर, स्नेहनगर, भोला खेड़ा कृष्णानगर, इन्द्रलोक, एल0डी0ए0 कालोनी, रूचिखण्ड, मानकनगर आदि। | 38 | 38 | 0 |
| 5 | इन्दिरानगर, लवकुशनगर, समुद्दीपुर, टीकापुरवा, मुशी पुलिया, गोमतीनगर कठौता, तखवा, विजयीपुर गोमतीनगर विभिन्न खण्ड, बडी जुगौली, उजरियांव, फैजाबाद रोड, बस्तौली, चिनहटबाजार, आदि। | 39 | 39 | 0 |
| 6 | हरदोई राड, ठाकुरगंज, निवाजगंज यासीनगंज, राजाजीपुरम, सहादतगंज, बीबीगंज कश्मीरी मोहल्ला, चौक हुसैनाबाद, मोहनीपुरवा, दौलतगंज, अहमदगंज, मेहदीखेडा, खालाबजार, करेहटा, मालवीय नगर मोतीझील, पाण्डे का तालाब, टूडियागंज ,मंसूर नगर अहमदनगर, सरायमाली खॉ, चौक आदि। | 72 | 72 | 0 |
| | कुल | 380 | 380 | 0 |

अधिशासी अभियन्ता (मु0)

COMMISSIONER FOR OATH

केमिस्ट 29.10.09

2017 (1937) (46) 568

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | जल स्रोत का विवरण तथा नाम | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्त का स्थान | धारय पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कलोनी काउन्ट आर अगर) | | आनुमौलिक मूल-विन्यास (प्रोअनाटिव कालोनी फार्म काउन्ट) | | | | | सम्भाव्य मूल-पांक्षेप-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असयोजित का अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अन्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनलों में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1589/ | 24-10-09 | 24-10-09 | वाटर आवाल श्री कन्हैयालाल569/ब/463 प्रेमनगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1590/ | " | " | वाटर आवाल श्री आनन्दकुमार शर्मा 569/ब/454प्रेमनगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1591/ | " | " | वाटर आवाल श्री कालेरा कुमार गुप्ता 569/569/1045महानगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1593/ | " | " | टी0ओ0पी0 थाना महानगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1594/ | " | " | टी0ओ0महानगर गेट कालेज के पीछे | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1595/ | " | " | टी0ओ0महानगरथाना गोमा पुराना महानगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1596/ | " | " | टी0ओ0पी0 कात्या अस्पताल महानगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |
| 1597/ | " | " | वाटर प्रम्पस पेरा बाग 2010नवाब | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0-5पीपीएम0 | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अ0 जलकल खेरागढ़ जल संस्थान लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु0 (जल संस्थान) .....

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् .....

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी .....

5–अधिशासी अधिकारी/अ0ज0, जल निगम लखनऊ ।

संख्या ..... 7756 ..... दिनांक ..... 26/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वा०सं०–7.3.09–(228/)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट) ;

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ ~~लखनऊ~~ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—————————————— से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

के मिस्ट

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर). | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1583/डब्लू | 24. 10. 09 | 24. 10. 09 | स्टैण्डपोस्ट निकट आरोडा भोजनालय सुजानपुरा रोड आलमबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1584/डब्लू | " | " | स्टैण्डपोस्ट निकट शालीनी हर्बल ब्यूटी पार्लर पूरन नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1585/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास श्री राकेश सिंह 569/घ /7 प्रेमनगर आलमबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1586/डब्लू | " | " | टैपवाटर श्री सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव569/घ/26 प्रेमनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1587/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव 579/घ/53प्रेमनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1588/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास श्री शिवकुमार 569/घ/ 893प्रेमनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी0पी0एम0 | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1/ गैरार्स अधिशासी अभि0 मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु0 (जल संस्थान) x

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5—अधिशासी अभि0 नगर उ0प्र0, जल निगम लखनऊ ।

संख्या 7752 दिनांक 26-6-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एरा०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

अधिशासि मु० लखनऊ जल संस्थान रेजाबाग लखनऊ।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पानी एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— रेजीडेन्ट ... से लिये गये पानी के नमूने की जीवाणु ... परीक्षा हेतु

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूक-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूक-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1573/डब्लू | 23.10.09 | 23.10.09 | स्वै०पो०निकट योजना भवन हैवलक रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1574/डब्लू | " | " | टैपवाटर निकट मोटर गैराज राज भवन परिसर लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1575/डब्लू | " | " | टैपवाटर डिस्पेन्सरी राजभवन लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1576/डब्लू | " | " | टैपवाटर किचेन राज भवन लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1577/डब्लू | " | " | टैपवाटर पैन्ट्री राज भवन लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1578/डब्लू | " | " | स्वै०पो०चौराहा फूलबाग | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4पी०पी०एम० | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित— अधि०अभि० मु० लखनऊ जल संस्थान रेजाबाग लखनऊ।

1—मेसर्स .....

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... लखनऊ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ।

5—अधिशासी अभियन्ता नगर ड्रेनेज, जल निगम लखनऊ।

संख्या 7731 दिनांक 26.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2020 571

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आसपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° से० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1563/डब्लू | 23.10.09 | 23.10.09 | स्टै०पो०हालीगं सब्जी मंडी | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1564/डब्लू | " | " | स्टै०पो०निक्ट डालीगंज देसी शराब की दुकान | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1565/डब्लू | " | " | स्टै०पो०शहियनाघरवा मोहन मैकिन रोड | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1566/डब्लू | " | " | स्टै०पो०बाल्मीकीनगर निकट मंदिर | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1567/डब्लू | " | " | स्टै०पो०कदम रसूल खदरा निकट मस्जिद | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1568/डब्लू | " | " | टैपवाटर पम्पिंग ऐशा बाग जो०० लखनऊ | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1569/डब्लू | " | " | स्टै०पो०निकट पोस्ट आफिस तुन्दर बाग | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1570/डब्लू | " | " | स्टै०पो०चौराहा लाल कुआ | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 3पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1571/डब्लू | " | " | स्टै०पो०निकटगुटकीडीह गर्ल्स इन्टर कालेज हुसैनगंज | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 3पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1572/डब्लू | " | " | स्टै०पो०निकट थाना हुसैनगंज | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 3पी०पी०एम० | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभि० मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) x

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5—अधिशाषी अभियन्ता हैनागर हैउ०प्र०, जल निगम लखनऊ ।

संख्या 7727 दिनांक 26-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2021 512

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— जल परीक्षण का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र किये जाने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | नमूने का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूक्ष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूक्ष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1556/डब्लू | 22.10.09 | 22.10.09 | स्टै०पो०मगफली मार्केट सिटी स्टेशन | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | –0 | 0 | 2.0पी०पी०एम० | सामान्य परिस्थितियो मे क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1557/डब्लू | " | " | स्टै०पो०जवाहरनगर नहीं बस्ती नवीउत्तल रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ₹.2पी०पी०एम० | सामान्य परिस्थितियो मे क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1558/डब्लू | " | " | स्टै०पो०सिटी रेलवे स्टेशन जुमजम होटल के निकट | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0पी०पी०एम० | सामान्य परिस्थितियो में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1559/डब्लू | " | " | स्टै०पो०वजीरगंज थाने के निकट | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी०पी०एम० | उत्तम |
| 1560/डब्लू | " | " | वाटर पम्पस्था शेषबाग लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी०पी०एम० | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित— अधि०अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान शेषबाग लखनऊ ।

1— मेसर्स .....

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) .....

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ । .....

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ । .....

5—अधिक्षण अभियन्ता नगर उ०प्र०, जल निगम लखनऊ ।

संख्या 7719 दिनांक 26-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.9.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2022 573 (51)

अधिशासी अभि0 मु0 जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आउपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजमाटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10, लाख में (फी. रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1550/डब्लू | 21.10.09 | 21.10.09 | टैपवाटर निवास जहिरु हसन खुरमनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1551/डब्लू | " | " | टैपवाटर निवास मेहदा प्रताद खुरमनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1552/डब्लू | " | " | टैपवाटर विकासनगर कार्यालय जल संस्थान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1553/डब्लू | " | " | टैपवाटर सैक्टर-3 पानी की टंकी विकास नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1554/डब्लू | " | " | टैपवाटर पम्पहाउस ऐशबाग जलसंस्थान लखनऊ | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी0पी0एम0 | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–~~नेसर्स~~ अधिशासी अभि0 मु0 जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... x ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5–अधिशासी अभि0 नगर उ0प्र0, जल निगम लखनऊ ।

संख्या 7715 दिनांक 26/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2237)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2023 574

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ । से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | धात्विय पर के मण्डल की संख्या प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | सभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1544/डब्लू | 20/10/09 | 20/10/09 | टैपवाटर निकट तलफ निवास श्री मती टी. खान खुर्म नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1545/डब्लू | " | " | हैं0 पो0 मस्जिद के सामने खुर्म नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1546/डब्लू | " | " | टैपवाटर लोधी भवन खुर्म नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1547/डब्लू | " | " | टैप वाटर निवास श्री जमालउद्दीन खुर्म नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1548/डब्लू | " | " | टैप वाटर पम्प रूम ऐशबाग जल संस्थान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ ।

संख्या 7711 दिनांक 26-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2024 575

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— फैमिस्ट

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | वास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1539/डब्लू | 20/10/09 | 20/10/09 | स्टैण्पो० पिकनिक स्पाट रोड निकट राम भवन खुर्रम नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1540/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० बी-21 कमला नेहरू के सामने खुर्रम नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1541/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० टाटा मोटर्स के सामने खुर्रम नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1542/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० जयभारत भूमि सिलाई कढ़ाई सेन्टर के सामने खुर्रम नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1543/डब्लू | " | " | वॉटर निवास अनीस अहमद माउंट बेरी स्कूल के बगल में खुर्रम नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मैसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ

संख्या 7707 दिनांक 26-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एरा०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2025 576

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में, अधिशासी अभियन्ता मु० नगर जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

जल के नमूने का नाम तथा पता— कॉमिस्ट से लिए गये नमूनों की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | संग्रह करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्रदाय का स्थान | धारय पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1524/डब्लू | 15/10/09 | 15/10/09 | टै०पो० कन्डरी इकाबगंज निकट नलकूप | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1525/डब्लू | - | - | टै० पो० यहिया गंज गुरुद्वारे के निकट | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1526/डब्लू | - | - | टै०पो० बर्तन भण्डार महियागंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1527/डब्लू | - | - | टै०पो० निकट पुलिस चौकी पीटानाला | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1528/डब्लू | - | - | हैप वाटर पम्पलम रेलवाग जल संस्थान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1- मैसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

2-अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ।

4-मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।

5- अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम 30 पु०, लखनऊ ।

संख्या 7699 दिनांक 26-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य-7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

जल एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— कामरेट

परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमोलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कौलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1519/डब्लू | 15/10/09 | 15/10/09 | स्वै० पो० रिफाहे आम क्लब के निकट सिटी स्टेशन | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1520/डब्लू | " | " | स्वै०पो० बुलन्द बाग वजीर गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1521/डब्लू | " | " | स्वै० पो० वजीर गंज थाने के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1522/डब्लू | " | " | स्वै०पो० तकिया आजमबेग नाले के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1523/डब्लू | " | " | स्वै०पो० महेश प्रसाद स्टोर मौलवीगंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1— मैसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशा० अभियन्ता (नागर) जल निगम मु० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7695 दिनांक 26/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2271 (56) 578

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

[illegible] जल संस्थान ग्रेशाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... फेमिर्स

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनाक तथा समय | प्राप्त होने का दिनाक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिय कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सैं० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1514/डब्लू | 14/10/09 | 14/10/09 | स्टैण्पो० भूनाथ मार्केट इन्दिरा नगर पुलभ के पास | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1515/डब्लू | " | " | स्टै० पो० बस्तौली गुरुद्वारा के पीछे इन्दिरा नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1516/डब्लू | " | " | स्टै० पो० समद्दी - पुर चौराहा इन्दिरा नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1517/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० चिनहट बाजार शुक्ला रेस्टोरेन्ट | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1518/डब्लू | " | " | वॉर वाटर पम्पस्थ ग्रेशाग जल संस्थान | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स ..... अधिशासी अभि अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ग्रेशाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... XXX ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... x x लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5– अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7691 दिनांक 26.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एरा०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.9.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2028 (Appx) 579

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अधिशासी मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

जल के नमूने एकत्रित करने का स्थान तथा पद— के मिस्ट

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | भरत डालने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | अवशिष्ट या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1509/डब्लू | 14/10/09 | 14/10/09 | स्टे० पो० "ए" ब्लाक पुलिस चौकी के पास फैजाबाद रोड | नही | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1510/डब्लू | " | " | स्टे० पो० लक्ष्मण नगर इन्दिरा नगर निवास दिलीप | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1511/डब्लू | " | " | स्टे० पो० प्रकाश पब्लिक स्कूल जनरल स्टोर्स के पास लक्ष्मण नगर | 22 | 31 | – | 0 | 3 | 0 | – | 3 | नही | सन्दोषप्रद |
| 1512/डब्लू | " | " | स्टे०पो० शास्त्री मार्केट इन्दिरा नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1513/डब्लू | " | " | स्टे० पो० आयुर्वानी चौराहा इन्दिरा नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता नागर जल निगम उ० प्र०, लखन ।

संख्या 7687 दिनांक 26-10-200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(228/)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2029 (1) (85) 580

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

प्रयुक्त एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा अवधि (इनाकुलेशन) | जल प्रतिदर्श का स्थान | धारित्र पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल मे (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख मे (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे मे कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली मे रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1505/डब्लू | 13/10/09 | 13/10/09 | स्टै०पो० चरवहरी गोलागंज | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1506/डब्लू | " | " | स्टै०पो० निकट डम्पो स्टै० अमीनाबाद | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1507/डब्लू | " | " | टैप वाटर पम्प रूम रेलवाग | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... XXX ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... उ० ..... ।

5– अधिशासी अभियन्ता नगर ई जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7683 दिनांक 26.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

के नाम तथा पद

से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | पाप्त होने का दिनाक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के गण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूक-पक्षि-गण (प्रोजमपटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूक-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1501/डब्लू | 13/10/09 | 13/10/09 | ट्रैo पो० निकट कैसरबाग बस अड्डा | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1502/डब्लू | " | " | ट्रैo पो० निकट टेलीफोन एक्सचेंज कैसरबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1503/डब्लू | " | " | ट्रैo पो० निकट परिवहन वर्कशाप कैसरबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1504/डब्लू | " | " | ट्रैo पो० निकट सब्मिर्सिबल पम्पिंग स्टेशन ख्यालीगंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–कैसर ..... अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5– अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ

संख्या 7664 दिनांक 26/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एच०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मिस्ट

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूम-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | सम्भाव्य नूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1489/डब्लू | 8/10/09 | 9/10/09 | सै०पो० निकट ह्यीमो वाली गली झवाई टोला | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1490/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट हमदर्द दवाखाना ह्यीमो वाली गली झवाई टोला | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1492/डब्लू | 12/10/09 | 12/10/09 | वेवाटर पम्पस्म ऐशबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1498/डब्लू | 13/10/09 | 13/10/09 | सै०पो० निकट मस्जिद निम्बूखाना | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1. 2 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1499/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट नई मंजिल मानसिक चिकित्सालय लालबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1500/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट एस के० आटोमोबाइल कैसरबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—गेसर्स ..... अधिशाषी अधिकारी मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशाषी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5— अधिशाषी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7609 दिनांक 29.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2937 (1946) (61) 583

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ग्रेडभाग लखनऊ ।

एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—— के सिरट

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आगमन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन अगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कौलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1483/डब्लू | 8/10/09 | 8/10/09 | सै०पो० सामने जहीर ए० खान क्लीनिक यासीन गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1484/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट निवास मैना 432/163 यासीन गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1485/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट लिया-कत प्लाजाअम्बर गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1486/डब्लू | " | " | सै०पो० हबीब क्ली-निक अम्बर गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1487/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट चिकवन नाला चौपटिया | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1488/डब्लू | " | " | सै०पो० निकट चौराहा चौपटिया | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ग्रेडभाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ

संख्या 7613 दिनांक 24-10-200[illegible]

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.8.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2023 (1947) (62) 584

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी [illegible] मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— कामरट

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पाटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली मे रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1477/डब्लू | 9/10/09 | 9/10/09 | स्वा०पो० मौसमगंज डालीगंज निकट राम लीला मैदान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1478/डब्लू | " | " | स्वा० पो० परही हसन गंज फैजाबाद रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1479/डब्लू | " | " | स्वा०पो० मंशीगंज बगिया हसन गंज निकट निवास देवराज यादव | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1480/डब्लू | | " | वा वाटर पम्पहाउस ऐशबाग जल संस्थान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1481/डब्लू | " | " | वावाटर निवास हसन 432/201 यासीन गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी.पी.एम | उत्तम |
| 1482/डब्लू | " | " | स्वा०पो०निकट महादेव जी मन्दिर यासीनगंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जलनिगम उ० प्र०, लखनऊ

संख्या 7617 दिनांक 29-10-200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2207)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2034 (19 48) (6) 585

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेखाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले अधिकारी का नाम तथा पद ..... के सिप्ट

| प्रयोगशाला संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक सूक्ष्म-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेक्सिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1471/डब्लू | 8/10/09 | 8/10/09 | स्कै०पो० तरुण धर्मकाटे के निकट सीतापुर रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1472/डब्लू | " | " | स्कै०पो० देवकी नर्सिंग होम के निकट सीतापुर रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1473/डब्लू | " | " | स्कै०पो० अहिबरन पर बिजली कार्या०सीतापुर रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1474/डब्लू | " | " | टेपवाटर निकट सीता-पुर रोड रेलवे | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1475/डब्लू | " | " | स्कै०पो० निकट प्राथ-मिक विद्यालय लाहौर ग्रेज डालीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | ~~उत्तम~~ उत्तम |
| 1476/डब्लू | " | " | स्कै०पो० शिवा कालेज के पीछे इरादतनगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेखाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5– अधिशासी अधिकारी (नगर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ

संख्या 7621 दिनांक 27.10.200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.9.09–(2267)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेशाग लखनऊ

जल एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूक्ष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूक्ष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1464/डब्लू | 7/10/09 | 7/10/09 | स्टैण्पो० निकट मन्दिर गुड रोड रेशाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1465/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट अग्रवाल आटा चक्की मालवीय नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1466/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट कील फैक्टरी गुलजार नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1467/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट काली जी का मन्दिर मोती झील कालोनी रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1468/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० चौराहा बुलाकी अड्डा ताल कटोरा रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1470/डब्लू | 8/10/09 | 8/10/09 | स्टैण्पो० क्वारी पम्पहाउस स्कूल के निकट पुराना | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेशाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम 30 पु०, लखनऊ

संख्या 7625 दिनांक 24/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

मी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.8.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अधिकारी मु0 लखनऊ जल संस्थान रेसकोर्स लखनऊ ।

1- एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... के लिए ..... से लिए गये नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्र. सं. (लेखा) | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई जार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1459/डब्लू | 7/10/09 | 7/10/09 | स्टैण्पो० निकट मन्दिर गौराहा. आनीगंज फतेहगंज | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1460/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट पाइ-मरी पाठशाला दुर्विजय गंज | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1461/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट मन्दिर भूसा मण्डी | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.2 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1462/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट शोभा होटल पोस्ट आफिस रोड पान दरीबा | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.2 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियोंमें क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1463/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० निकट पी. सी. ओ. के मैथा गौराहा | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.2 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेसकोर्स लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता–मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5– अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 मु0, लखनऊ ।

संख्या 7629 दिनांक 24/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7,902–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2231 (1957) (LC) 588

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अधिकारी, जल संस्थान खेसराज लखनऊ

कृपया करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—कैमिस्ट

| क्र० संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आलयन (इनाक्युलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक यूथ-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य यूथ-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1453/डब्लू | 7/10/09 | 7/10/09 | स्वै०पो० बनारसी टोला अलीगंज निकट आई. टी. आई. | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1454/डब्लू | " | " | स्वै०पो० कपूरथला मार्केट निकट यूको बैंक | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1455/डब्लू | " | " | स्वै०पो० भैरोजी मन्दिर चौराहा पंचदेवल गंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1456/डब्लू | " | " | स्वै०पो० विवेकानन्द पालीक्लीनिक के सामने सिराला नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1457/डब्लू | " | " | स्वै०पो० निकट रामाधीन सिंह इन्टर कालेज बाबूगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1458/डब्लू | " | " | हैण्डपम्प सम्प खेसराज लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान खेसराज खेसराज लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नगर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7633 दिनांक 24.10.200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2938 (1912) 589

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलबाग लखनऊ ।

कृपया निम्न जल स्रोतों का परीक्षण तथा परिणाम—

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | धारक पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रंखी गई परख-नलियों की संख्या | : | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1441/डब्लू | 6/10/09 | 6/10/09 | वेव वाटर आवास श्री बी. डी. तिवारी बी-46 रेलनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1448/डब्लू | 7/10/09 | 7/10/09 | स्टैण्डपो0 निकट देवी पालिया सब्जी मन्डी निकट रिंग रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1449/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो0 गलाचीन मन्दिर कुर्सी रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1450/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो0 गणपति मिष्ठान भन्डार कुर्सी रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1451/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो0 चौधरी टोला अलीगंज निकट नलकूप | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1452/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो0 पाण्डे टोला अलीगंज निकट इन्दरा कुआ | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—नेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) .....

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् xxx लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ ।

संख्या 7641 दिनांक 24.11.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलवाग, लखनऊ ।

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नून-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अन्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1436/डब्लू | 6/10/09 | 6/10/09 | वाटर पुलिस चौकी ए०ब्लाक साउथ सिटी | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1437/डब्लू | " | " | वा वाटर आवास श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता 8-रक्षा खण्ड एल्डिको -2 | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1438/डब्लू | " | " | वा वाटर आवास श्री गिरजीव नाथ सिन्हा बी 586 एल्डिको -2 | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1439/डब्लू | " | " | टै०पो० निकट शिव मिष्ठान भन्डार रजनी खण्ड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1440/डब्लू | " | " | टै०पो० निकट सोनू डेरी 3/206 रजनी खण्ड -9 | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7645 दिनांक 29/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

केमिस्ट

पेयजल के नमूनों की जीवाणु परीक्षा

| क्रम संख्या | संकलन करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्रदाय का स्थान | धारय पर के गण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक भूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य भूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1430/डब्लू | 6/10/09 | 6/10/09 | टैप वाटर निकट पीली कोठी त्रिवेणी नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1431/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो० पम्प रूम ऐश० जल संस्थान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1432/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास श्री बी.एस. श्रीवास्तव बी. 37 साउथ सिटी | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.6 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है। |
| 1433/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास डा० पी.एस. सक्सेना सी-3 साउथ सिटी | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1434/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास मध्य भाग डी-122 साउथ सिटी | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1435/डब्लू | " | " | टैपवाटर आवास श्रीमती संगीता राय एफ-68 साउथ सिटी | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियन्ता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम मु० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7649 दिनांक 24/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2041/313 592

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान, ऐशबाग लखनऊ ।

के मिस्ट से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | धात्त्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (फालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1424/डब्लू | 6/10/09 | 6/10/09 | टै०पो० निवास कृदीन मिश्रा स्नेही नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1425/डब्लू | - | - | टै० वाटर निवास मालती गुप्ता प्लाट० 88 केशव नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1426/डब्लू | - | - | टै०पो०सरभि पब्लिक स्कूल के पास सीतापुर रोड | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1427/डब्लू | - | - | टै० पो० निकट निवास नही चन्द्रिका यादव पैजुल्ला गंज | | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1428/डब्लू | - | - | टै०पो०जयसवाल जनरल स्टोर्स के पैजुल्लागंज | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1429/डब्लू | - | - | टै० वाटर त्रिवेणी नगर पाण्डेय जी का मन्दिर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5– अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7653 दिनांक 29/10 2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2047 (71) 573

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

| क्रम संख्या | नमूना करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100-मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1419/डब्लू | 5/10/09 | 5/10/09 | स्वे०पो० नगरा धाम सेक्टर9 विकास नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | जल |
| 1420/डब्लू | - | - | टेप वाटर पम्पारूम ऐशबाग जल संस्थान | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | जल |
| 1421/डब्लू | 6/10/09 | 6/10/09 | टेपवाटर एल-1/12 निवास शिव कुमार सिंह प्रियदर्शनी कालोनी सीतापुर रोड | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | जल |
| 1422/डब्लू | - | - | टेप वाटर एल-1-1/8 सेक्टर वी. प्रियदर्शी कालोनी | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | जल |
| 1423/डब्लू | - | - | स्वे०पो० बाबा डेयरी ताड़ी खाना सीतापुर रोड | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | जल |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ । .....

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ

संख्या 7570 दिनांक 22.10.09

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.9.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट) ।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— कैमसट

पेयजल परीक्षण का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक सूक्ष्म-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1413/डब्लू | 5/10/09 | 5/10/09 | स्टै०पो० कामाख्या स्कूल के पास कल्यानपुर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1414/डब्लू | " | " | स्टै०पो० शिव मन्दिर निकट म. न. 3/573 | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1415/डब्लू | " | " | स्टै०पो० होटल निकट गंगा सदन 7/581/4 विकास नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1416/डब्लू | " | " | स्टै०पो० खुर्रम नगर यूना-इटेड मोटर्स के सामने | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1417/डब्लू | " | " | स्टै०पो० निवास डा० लोहनी पतनगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1418/डब्लू | " | " | स्टै०पो० लक्ष्मीबाई स्कूल के पास शौचालय के सामने म० न० 3 विकास नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx .....

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम 30 पु०, लखनऊ ।

संख्या 7566 दिनांक 22·10·2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.8.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेसबाग लखनऊ ।

...करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक सूक्ष्म-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य सूक्ष्म-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी मात्रा प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1408/डब्लू | 5/10/09 | 5/10/09 | स्टै0पो0 निकट मधुबन अपार्टमेन्ट वजीर हसन रोड | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1409/डब्लू | " | " | चौराहा सिकन्दर बाग निकट मोहन जलपान गृह | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है । |
| 1410/डब्लू | " | " | स्टै0पो0 भावना काम्प्लेक्स के निकट रोड जानकी पुरम | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1411/डब्लू | " | " | स्टै0 पो0 पाल मिष्ठान भण्डार के निकट कंचना बिहारी मो0 कल्यानपुर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1412/डब्लू | " | " | स्टै0पो0 मस्जिद के निकट कंचना बिहारी मार्ग कल्यानपुर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेसबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ ।

संख्या 7562 दिनांक 22-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2045 596 (45)

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मिस्ट ..... के लिए पेय जल के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य घर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कौलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1402/डब्लू | 5/10/09 | 5/10/09 | स्टैण्डपो० कृष्णा लोक अस्पताल मीराबाई मार्ग नरही | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1.6 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है। |
| 1403/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो० निकट गेट मल्लाहपुर मीराबाई मार्ग | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1.4 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है। |
| 1404/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो० चौराहा बटलर पैलेस | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1405/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो० तिराहा प्रयाग नरायन रोड | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1406/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो० निकट शिव सदन मन्दिर बाबू अड्डा प्रयाग नरायन रोड | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1407/डब्लू | " | " | स्टैण्डपो० निकट पराग डेरी तिलक मार्ग | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान उ० प्र०, लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता, नागर, जल संस्थान उ० प्र०, लखनऊ

संख्या 7558 दिनांक 22.10.200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य- 7.3.09--(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2046 (25) 577

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ।

कृपया ... जल ... की ... का नाम तथा पद— फ्रेक्विस्ट

... जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | सकल करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1395/डब्लू | 3/10/09 | 3/10/09 | स्टे०पो० पराना हनुमान जी का मन्दिर अलीगंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1396/डब्लू | " | " | स्टे०पो० मस्जिद मानस कॉम्पलेक्स के सामने कुर्सी रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1397/डब्लू | " | " | टेस्ट वाटर पम्प एम जल संस्थान रेलवाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1400/डब्लू | 5/10/09 | 5/10/09 | स्टे०पो० निकट राशिद कैज सेन्टर रामजस लेन नरही | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियो में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है। |
| 1401/डब्लू | " | " | स्टे० पो० निकट मस्जिद तकिया नरही | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.5 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है। |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ

संख्या 7554 दिनांक 22.10. 200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान खेखाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद———— के मिस्ट

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आपपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्थ पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुजैविक मूल-पक्षि-गण (प्रोजाम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1389/डब्लू | 3/10/09 | 3/10/09 | स्टे०पो० राम राम बैंक चौराहा अलीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1390/डब्लू | " | " | स्टे० पो० निकट पार्क सेक्टर क्यू अलीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1391/डब्लू | " | " | स्टे०पो० सेन्ट्रल स्कूल अलीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1392/डब्लू | " | " | हैड स्टे० पो० गोयल चौराहा मन्दिर अलीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1393/डब्लू | " | " | स्टे० पो० सिटी मान्टे-सरी स्कूल के निकट अलीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1394/डब्लू | " | " | स्टे०पो० सेक्टर जी तिराहा अलीगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान खेखाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम, उ० प्र० लखनऊ ।

संख्या 7599 दिनांक 22·10·2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.9.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

जल एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... कलर्क ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | धास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग् प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1383/इब्लू | 3/10/09 | 3/10/09 | स्टे०पो० सी. एम. एस. स्कूल हिन्द नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1384/इब्लू | " | " | स्टे० पो० निकट गोल मार्किट सेक्टर –डी. एल. डी. ए. कलोनी कानपुर रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.4 पी. पी. एम. | असंतो सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1385/इब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट शिवा चौराहा रिंग रोड। शारदा नगर योजना | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1386/इब्लू | " | " | स्टे० पो० मानक नगर रेलवे स्टेशन के पीछे | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1387/इब्लू | " | " | स्टे०पो० इन्जीनीयरिंग कालिज चौराहा रिंग रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1388/इब्लू | " | " | स्टे०पो०निकट ढाबा पल्टन तीतापुर रोड योजना | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र० , लखनऊ

संख्या 7546 दिनांक 22·10· 2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.9.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2049 1377 1382

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद — के मिस्ट — से लिए गए पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | पात्र पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आंगर) | | अनुमौलिक सूक्ष्म-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1377/डब्लू | 3/10/09 | 3/10/09 | स्टे०पो० स्नेह नगर श्मशान घाट के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1378/डब्लू | " | " | स्टे०पो० भोला खेड़ा नर्सरी के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1379/डब्लू | " | " | स्टे०पो० कृष्ण आश्रम बरिगांव कानपुर रोड | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1380/डब्लू | " | " | स्टे० पो० निकट राधिका बूटीक कृष्णा नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1381/डब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट मानक नगर डाकघर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1382/डब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट इन्द्र लोक की परिसर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ ।

संख्या 7502 दिनांक 22/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

सूचना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—केमिस्ट

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूप-पक्षि-गण (प्रोजम्पाटेव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य नूप-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन). | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1370/डब्लू | 1/10/09 | 1/10/09 | स्टैण्पो० काली दास मार्ग चौराहा लामा-टीनियर जूनियर के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1371/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० मार्टिन पत्थर मैदान छोटी मस्जिद के सामने | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1372/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० नरही प्राइमरी स्कूल के सामने | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1373/डब्लू | " | " | टैप वाटर मल्लापुर मीरा-बाई मार्ग निवास श्री राजू मलिन बस्ती | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1374/डब्लू | " | " | स्टैण्पो० गोखले मार्ग चौराहा फारेचना हरि गंगर अपार्टमेन्ट के सामने | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1375/डब्लू | " | " | टैपवाटर एकलव्य नगर पुलिस चौकी पार्क के पीछे वजीर हसन रोड मलिन बस्ती | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियन्ता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ

संख्या 7538 दिनांक 22.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.9.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

समूचा एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—केमिस्ट से [illegible] जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | धात्स्य पर के नण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1364/डब्लू | 1/10/09 | 1/10/09 | वेपवाटर 2/227 निवास एस. के. भाटिया विकास खण्ड II | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1365/डब्लू | " | " | टेप वाटर पम्पहाउस ऐशबाग जल संस्थान | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1366/डब्लू | " | " | हैण्डपो० मु० हसन जल शेखर टैंक लीनिक के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1367/डब्लू | " | " | हैण्डपो० मुरादअली लेन बर्फ खाना (मलिन बस्ती) | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1368/डब्लू | " | " | हैण्डपो० पुराना किला मस्जिद के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1369/डब्लू | " | " | हैण्डपो० बक्शी खेन्य कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस कार्य० के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् [illegible] लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी [illegible] लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7534 दिनांक 22.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... के लिस्ट ..... से लिए गये पानी के नमूनों की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1358/डब्लू | 1/10/09 | 1/10/09 | टैप वाटर 3/531 विनीत खण्ड गोमती नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1359/डब्लू | " | " | स्वा०प्रो० जीवन प्लाजा कॉम्प्लेक्स विराम खण्ड -5 पार्क के पास | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1360/डब्लू | " | " | टैप वाटर आश्रम 5/87 निवास अतल चन्द्र मेहरोत्रा विराम खण्ड | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1361/डब्लू | " | " | टैप वाटर 2/392 स्व० गोपीनाथ दीक्षित विराम खण्ड | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1362/डब्लू | " | " | स्वा०प्रो० हसड़िया चौराहा गोमती नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1363/डब्लू | " | " | स्वा०प्रो० सिद्ध मार्केट विराट खण्ड गोमती नगर | नही | नही | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1- मैसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ।

5- अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या ..... 1530 ..... दिनांक ..... 22/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.8.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2053 82 604

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान, ऐशबाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— कैमिस्ट ..... से लिए गए जांची के नमूनों की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुनौलिक नूष-पक्षि-गण (प्रोज्ञम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० नौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1351/डब्लू | ~~30/9/09~~ 30/9/09 | 30/9/09 | स्टे०पो० जस्टिस आलोक कुमार सिंह 1/289 के सामने विकास खण्ड गोमती नगर | नहीं | नहीं | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1352/डब्लू | " | " | टेप वाटर पम्प रूम ऐशबाग जल संस्थान | नहीं | नहीं | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1355/डब्लू | 1/10/09 | 1/10/09 | टेप वाटर बड़ी जुगौली निकट मन्दिर गोमती नगर | नहीं | नहीं | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1356/डब्लू | " | " | स्टे०पो० मिठाई वाला चौराहा निकट अंडर ब्रिज गोमती नगर | नहीं | नहीं | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1357/डब्लू | " | " | टेप वाटर उजरियाँव आफरीन टेलर के सामने | नहीं | नहीं | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान, ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल संस्थान उ0 प्र0, लखनऊ

संख्या 7448 दिनांक 20/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2237)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2054 83 605

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मेसर्ट

के लिए भेजे गये जल की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पाटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | सभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1346/डब्लू | 30/9/09 | 30/9/09 | टैप वाटर निवास राम-नाथ कठौता वास्तु खण्ड गोमती नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियो में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1347/डब्लू | " | " | टै0पो0 एमिरी कालिज के सामने विनीत खण्ड -5 नलकूप | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1348/डब्लू | " | " | टै0पो0 प्राथमिक विद्यालय तरवना के सामने गोमती नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1349/डब्लू | " | " | टै0पो0 जस्टिस एस. एम. चौहान के निवास के सामने | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1350/डब्लू | " | " | टैप वाटर आटा चक्की विवेक खण्ड 2 जी-4/150 विवेक खण्ड गोमती नगर | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितिय में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ ।

संख्या 7452 दिनांक 20/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2055 (85) 6006

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

| क्र.सं. | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आगमन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूप-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूप-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1341/डब्लू | 30/9/09 | 30/9/09 | वेव वाटर पान दरीबा मिष्ठवाड़ा परन गुम्द चौराहा पिलिभीत | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1342/डब्लू | " | " | वेव वाटर एम. बी. एस. बैरियर 1/260 विजय खण्ड 3 गोमतीनगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1343/डब्लू | " | " | वेव वाटर 2/76 वास्तु खण्ड के बगल के नक्शप के सामने गोमती नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1344/डब्लू | " | " | वेव वाहर नन्हे लाल कठोले गोमती नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 4पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1345/डब्लू | " | " | वेव्पो0 लकी जनरल स्टोर्स के सामने वास्तु खण्ड – 2 कठोला गोमती नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 मु0, लखनऊ ।

संख्या 7456 दिनांक 20.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मिस्ट से लिए गये पानी के नमूनों की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमोलिक [illegible] (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेंबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरज़ी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सैं० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1336/डब्लू | 30/9/09 | 30/9/09 | स्टे०पो० नेहरूनगर स्नेहा शिल्प ग्राम केन्द्र के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1337/डब्लू | " | " | स्टे०पो० मोतीनगर नाले के पास पीपल रोड मन्दिर मलिन बस्ती | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1338/डब्लू | " | " | स्टे०पो० राजेन्द्र नगर नन्द लाल टेन्ट हाउस के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1339/डब्लू | " | " | स्टे०पो० दुगावा पुलिस चौकी के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1340/डब्लू | " | " | स्टे०पो० बशीरत गंज डा० परवेज खान क्लीनिक के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेखाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) XXX ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम 30 पु०, लखनऊ ।

संख्या 7460 दिनांक 20.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.9.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2057 608 (86)

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान मु0 लखनऊ ऐशबाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मार्फत के लिए गये पानी के नमूनों की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आयपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1331/डब्लू | 29/9/09 | 29/9/09 | स्टे०पो० ब्यालीगंज पुलिस क्लब के पास केसरबाग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 2पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1332/डब्लू | 30/9/09 | 30/9/09 | स्टे०पो० तिलक नगर श्री अग्रवाल क्लासेस के सामने | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1333/डब्लू | " | " | स्टे०पो० गुडम्बेड रोड पवन के रिगें कारपोरेशन के पास ऐशबाग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 5पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1334/डब्लू | " | " | टैप वाटर गुलजार नगर ऐशबाग साक्षी किरण कार्यालय मलिन बस्ती | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1335/डब्लू | " | " | स्टे० पो० मवैया पुल के नीचे मीट शाप के सामने | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0. 4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, ल ।

संख्या 7464 दिनांक 20/10/200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।

2958 87 87

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० जल संस्थान ग्रेटर लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मिश्रा से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूप-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूप-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1326/डब्लू | 29/9/09 | 29/9/09 | स्वे०पो० बिरहाना चौराहा मन्दिर कृष्णा ब्यायज के सामने | नही | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी. पी. एम. | उत्तम |
| 1327/डब्लू | " | " | स्वे०पो० बेक मंशकगंज चौराहा निकट महिला लेडीज क्लर्स | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1328/डब्लू | " | " | स्वे०पो० अस्तबल चारबाग मौलवी गंज निकट अमीन लान्ड्री | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1329/डब्लू | " | " | स्वे०पो० चिकमन्डी मौलवीगंज बिहारी इन्टर पुाइजेज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1330/डब्लू | " | " | स्वे०पो० नियामत उल्लाह मार्ग अमीना-बाद प्राथमिक विद्यालय के गेट के सामने | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ग्रेटर लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभि अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 7468 दिनांक 20/10/200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेशबाग लखनऊ ।

क्लिन्ट

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नून-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मिं० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | | 1 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 1321/डब्लू | 29/9/09 | 29/9/09 | टेप वाटर पम्पहाउस जल संस्थान रेशबाग | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1322/डब्लू | " | " | स्टैण्ड स्टे0पो0 खजुआ मा0 नं0 256/228 दीन दयाल धाम के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1323/डब्लू | " | " | स्टे0पो0 शास्त्री नगर दुर्गा मन्दिर दुर्गा मिठान भन्डार के निकट | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1324/डब्लू | " | " | स्टे0पो कुण्डरी रकाब गंज अवध गारमेन्ट्स के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1325/डब्लू | " | " | स्टे0पो0 पान्डेगंज गौरव टूडिंग कम्पनी के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1– रेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेशबाग लखनऊ ।

2– अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5– अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ0 प्र0, लखनऊ ।

संख्या 7472 दिनांक 20.10. 2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मिस्ट ..... से लिए गये पानी के नमूने का जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक भूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य भूष-पक्षि-मण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीड्युअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1316/डब्लू | 29/9/09 | 29/9/09 | स्टे०पो० सब्जी मंडी निशातगंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1317/डब्लू | " | " | स्टे०पो० गुरुद्वारा गेट के निकट | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1318/डब्लू | " | " | स्टे०पो० सिविल अस्पताल महानगर के निकट | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1319/डब्लू | " | " | स्टे०पो० महानगर घोसियाना निकट यादव भवन | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1320/डब्लू | " | " | स्टे० पो० महानगर पानी की टंकी के निकट | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 3 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5— अधिशासी अभियन्ता नागर जल निगम मु०, लखनऊ

संख्या 7476 दिनांक 20.10. 2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2961 (90) 42

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

जल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता—————— से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक भूत-पक्षि-गण (प्रोजम्यटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य भूत-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नेम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1311/डब्लू | 29/9/09 | 29/9/09 | स्वे०पो०रामाधीन सिंह रोड निकट हरि मन्दिर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1312/डब्लू | " | " | स्वे०पो० मत्स्य निदेशालय के निकट फैजाबाद रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1313/डब्लू | " | " | स्वे०पो० डा० शटू गुप्ता के निवास के सामने फैजाबाद रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1314/डब्लू | " | " | स्वे०पो० न्यू हैदराबाद कल्याण मण्डप के निकट | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1315/डब्लू | " | " | स्वे०पो० वाल्दा रोड निशातगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य-अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता नागर जल निगम उ0 मु0, लखनऊ ।

संख्या 7480 दिनांक 20-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

पूर्ति करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजमाटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलीफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1304/डब्लू | 26/9/09 | 26/9/09 | ई०पी० अब्दुल अजीज रोड भोला नाथ कुआँ ख्यात नर्सिंग होम के सामने पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1305/डब्लू | " | " | ई० वाटर गन्ना स्वीट हाउस चौपटिया तिराहा | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1306/डब्लू | " | " | ई० वाटर सराय माली खाँ०न०109 श्री एस. एन. तपसेना | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1307/डब्लू | " | " | ई०पी० काली जी मन्दिर बाजार अग्रवाल धर्मशाला के पास चौक | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1308/डब्लू | " | " | ई०पी० राम मनोहर लोहिया पार्क गेट के सामने चौक | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5– अधिशाषी अभियन्ता (नगर) जल निगम उ० प्र०, लखनऊ ।

संख्या 1488 दिनांक 20/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2257)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—

| क्रम संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आयपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फ़ार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलीफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1299/डब्लू | 26/9/09 | 26/9/09 | डिपो० इन्दिरा नगर जल भरने के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1300/डब्लू | " | " | डिपो० बिल्लोचपुरा मो० अहमद होटल के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1301/डब्लू | " | " | डि० पो० अकबरी गेट निकट आफिस के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1302/डब्लू | " | " | डिपो० पुलिस चौकी कबीरी मो० अन्सार नगर वाटर के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1303/डब्लू | " | " | डिपो० मजहू नगर अन्दर मो० नं० वाटर के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मैसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेहाना लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नगर) जल निगम 30 पु०, लखनऊ ।

संख्या 7165 दिनांक 13.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2064 615 (93)

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—

जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कौलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य नूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कौलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1294/डब्लू | 26/9/09 | 26/9/09 | पेय वाटर हलपार्ट [illegible] दुकान [illegible] [illegible] [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1295/डब्लू | " | " | [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1296/डब्लू | " | " | [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1297/डब्लू | " | " | [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1298/डब्लू | " | " | [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... लखनऊ जल संस्थान लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... ।

5—अधिशासी अभियन्ता/नगर [illegible] लखनऊ ।

संख्या 7169 दिनांक 13.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद _____ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनाक तथा समय | प्राप्त होने का दिनाक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० नौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1288/डब्लू | 26/9/09 | 26/9/09 | पेय वाटर पम्प हम पालिका ऋण संस्थान | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1289/डब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट पी. आ ऐपी० ऐसर सरोजनी एवं लेन | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1290/डब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट आवास हलाल अनुपाल 36/52 चिनालधार पार्क | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1291/डब्लू | " | " | स्टे०पो० औराहा लाल कुआ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1292/डब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट हाथी टीला रहा मन्दा लाल कुआँ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1293/डब्लू | " | " | स्टे०पो० निकट पंप लाल गर्भी नगर पालिका पुरे पंजाबी रोड | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० जल संस्थान खोजा लखनऊ

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

5– अधिशासी अभियन्ता [illegible] जल निगम लो० नि०, लखनऊ

संख्या 7173 दिनांक 13.10.2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287) –20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— [illegible] पेयजल के नमूनों की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | भेजा होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1283/डब्लू | 26/9/09 | 26/9/09 | पेय वाटर निवासी [illegible] इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1284/डब्लू | " | " | पेय वाटर निवास राम प्रताप [illegible] इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1285/डब्लू | " | " | पेय वाटर [illegible] चौराहा हनुमान मन्दिर इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1286/डब्लू | " | " | पेय वाटर निवास नन्द कुमार अवस्थी [illegible] नगर पुरवा इन्दिरा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1287/डब्लू | " | " | [illegible] मंडी पुरवा [illegible] मन्दिर इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1- मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेजीडेन्स लखनऊ

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

5– अधि० अभि० नागरी जल निगम उप० मु० लखनऊ

संख्या 7177 दिनांक 13/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09– (2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सूची एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुनौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल-नम्बर कोलीफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अनुमति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1278/ड्ब्लू | 26/9/09 | 26/9/09 | टि०पो० ग्वार के पास तेलराज गार्डेन के निकट इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1279/ड्ब्लू | " | " | टि०पो० लखनू नगर पास गुलाब के मकान के सामने इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1280/ड्ब्लू | " | " | टि० पो० निवास प्रसाद कुमार तहसील पाइलेक्शन मार्ग इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1281/ड्ब्लू | " | " | टि०पो० ग्वीन्स मोनुमेन्ट इन्टरनेशनल स्कूल के सामने तक्की नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1282/ड्ब्लू | " | " | टि०पो० अमरपाली योजना के प्लॉट नम्बर कम्पलेक्स इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेवाराम लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता नगर जल संस्थान मु०, लखनऊ ।

संख्या 7181 दिनांक 13-10- 2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2387)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूक-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूक-पक्षि-गण की संख्या 100 मि०ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 50 मि०ली० 1 | 10 मि०ली० 5 | 1 मि०ली० 5 | 0.1 मि०ली० 5 | | | |
| 1253/ह्ब्लू | 25/9/09 | 25/9/09 | पी०पी० तिराहा गिवाचि नगरनिगम गोरखपुर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2.0 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |
| 1254/ह्ब्लू | " | " | पी०पी० [illegible] होटल के सामने से मालिन बस्ती | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |
| 1255/ह्ब्लू | " | " | के वाटर मोतीझील कालोनी मु0 न0 2/3 के पास गुलरी जगा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |
| 1256/ह्ब्लू | " | " | पी०पी० [illegible] कालोनी मोतीझील | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1257/ह्ब्लू | " | " | के. वाटर पाने का विभव म.न. 290/545 | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.0 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स ..... मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 पालिका जल संस्थान रेलवे रोड लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... ।

5– अधिशासी अभियन्ता [illegible] नगर निगम जल संस्थान लखनऊ ।

संख्या 7185 दिनांक 13/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2069 (98) 126

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० [illegible] संस्थान, [illegible] लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | पात्र पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूप-पक्षि-गण (प्रोजमाटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-राण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी-भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1248/डब्लू | 25/9/09 | 25/9/09 | टे० पो० बी० ब्लाक [illegible] राजाजी पुरम मोड़ के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा से अधिक है |
| 1249/डब्लू | " | " | टे० पावर ग्रिड पुरी [illegible] मकान की पिन्नी [illegible] नाले तथा मेट रोड के सामने मलिन बस्ती | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |
| 1250/डब्लू | " | " | टे० पो० अरहेटा [illegible] खरेही चौराहा [illegible] कटोरा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.5 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |
| 1251/डब्लू | " | " | टे० पो० बरहेटा [illegible] मुना गिन्ना लाडी रोड [illegible] वाटर आफिस के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.5 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है |
| 1252/डब्लू | " | " | टे० पावर ग्रिड मण्डी [illegible] [illegible] कालोनी [illegible] के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० [illegible] जल [illegible] खण्ड लखनऊ।

2–अधिशासी अभियन्ता मु० (जल संस्थान) ..... xxxx .....।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ .....।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ .....।

5– अधिशासी अभियन्ता [illegible] जल [illegible] मु० लखनऊ।

संख्या 7189 दिनांक 13/10 200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान [illegible]

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद---------- से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | ठोस पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर, कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1242/डब्लू | 25/9/09 | 25/9/09 | ट्यूबवेल जली मिया मदरसा के सामने इरादत नगर | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | .2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1243/डब्लू | " | " | हैंड वाटर सिवात इरशाद अहमद 486/38 वाली गली | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1244/डब्लू | " | " | ट्यूबवेल मोहन मीकिंग मेट के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1245/डब्लू | " | " | ट्यूबवेल कपूर नगर गुड़ियन टोला मन्दिर के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1246/डब्लू | " | " | हैंड वाटर पम्पसेट शिवाग जल संस्थान | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1247/डब्लू | " | " | [illegible] | | | | | | | | | | |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० जल संस्थान, [illegible] लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् [illegible] ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी [illegible] ।

5– अधिशासी अभियन्ता, नगर पं० जल निगम 30 पु०, लखनऊ ।

संख्या 7193 दिनांक 13.10. 200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

जोनल [illegible] लखनऊ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— के मिश्रा से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1236/डब्ल्यू | 25/9/09 | 25/9/09 | वेल वाटर मै० ग्रेट अहमद 429,08 कैम रतूल खेरा | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1237/डब्ल्यू | " | " | वेपाटर निवास करने वालिकी कालोनी इरारत नं० | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1238/डब्ल्यू | " | " | वेवाटर निवास करन वालिकी कालोनी इरारत नं० | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1239/डब्ल्यू | " | " | वेपो० मोहन मीकिंग कालोनी नाले के पास | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1240/डब्ल्यू | " | " | वेपो० मीठी रमेन्डी खेरा नलकूप के पास | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1241/डब्ल्यू | " | " | वेपो० इलियास अहमद जनरल स्टोर्स के सामने मान्डो टोला | नही | नही | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान रेलवाग लखनऊ।

2 अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ।

5— अधिशा अभियन्ता (नागर) जल निगम, उ० प्र०, लखनऊ।

संख्या 7197 दिनांक 13/10 200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.9.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/3 )।

(1986) 623

2072 (101)

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—————— से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमीलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1230/डब्लू | 28/9/09 | 25/9/09 | टेण्पो० निकट कैसरी फूलबाग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1231/डब्लू | " | " | टेण्पो० निकट बांस मण्डी स्टोर नजरबाग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1232/डब्लू | " | " | वेवाटर पी. ए. सी. कैम्प राज भवन परिसर लखनऊ | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1233/डब्लू | " | " | वेवाटर निकट का० सहायक अभि० सिविल राजभवन परिसर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1234/डब्लू | " | " | वेवाटर किचेन राजभवन लखनऊ | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1235/डब्लू | " | " | वेवाटर पैन्ट्री राजभवन लखनऊ | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—गेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान विभाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता (नागर) जल निगम उ० प्र० लखनऊ ।

संख्या 201 दिनांक 13/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2257)—20,000—(कम्प्यूटर/आ

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद _____ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुनीलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलीफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1223/जेडब्लू | 24/9/09 | 24/9/09 | डिपो० मालदार के पास ग्रेड नोर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1224/जेडब्लू | " | " | रेड पो० कबीर मठ तिलापुर रोड | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2.0 पी.पी.एम. | सामान्य पेय विधियों में क्लोरीन का मान मान्य से अधिक |
| 1225/जेडब्लू | " | " | मै वाटर पम्पिंग स्टेशन लखनऊ | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1226/जेडब्लू | 25/9/09 | 25/9/09 | डिपो० निकट तलन दपट्टा कसाई [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1227/जेडब्लू | " | " | डिपो० निकट मजार कसाई बाग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1228/जेडब्लू | " | " | डिपो० निकट ली निक डी० रिजवान मुल्ली मोहल्ला | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1229/जेडब्लू | " | " | डिपो० निकट पुलिस [illegible] | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स अधि० अभि० गुरु लखनऊ जल संस्थान, ऊ० प्र० लखनऊ

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

5– अधि० अभि० नगर जल निगम उ० प्र०, लखनऊ

संख्या 705 दिनांक 13/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–, 3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यू ग्राफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद _____ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पालेय कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1217/उन्नू | 24/9/09 | 24/9/09 | पेय वाटर 530/1 पी० नियामत महल्ला बाबा बाबा का पुरवा | नहीं | नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. टवा. पी. एम. | उत्तम |
| 1219/उन्नू | " | " | पेय वाटर 538/253 नियामती राम सोना बाबा का पुरवा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1219/उन्नू | " | " | पेय वाटर डा. सिंघ जवन क्लीनिक के पास कुम्हार टोला उन्नाव | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1. ऑ. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक है। |
| 1220/उन्नू | " | " | पेय वाटर अर्थ पार्किंग महेश्वर सरोज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1. 2 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1221/उन्नू | " | " | पेय xxxxxx ट्यूब्स xxxxxx गुप्ता मन्दिर मकान नम्बर 40 | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1. 4 पी. पी. एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1222/उन्नू | " | " | पेय पी० कर्बला उन्नाव के निकट | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता जलकल जल संस्थान पेयजल लखनऊ

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

5–अधिशासी अभियन्ता नागरिक जल निगम 30 पी०, लखनऊ

संख्या 7209 दिनांक 13/10/2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.9.06 (2287)–20,000–(कम्प्यूटर/ पेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद _____ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1211/ | 24/9/09 | 24/9/09 | टिप्पो निकट रा. लीला मैदान कैसरा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1212/ | " | " | वेस वाटर निवास अंजुल अग्रज धाम शेल नगर कैसरा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1213/ | " | " | वेस वाटर म0 वसीम 476/232 पुरानी बात मण्डी | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1214/ | " | " | मे0पी0 मिलानी टोला निकट मिनी लखपद | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1215/ | " | " | वेस वाटर निवास [illegible] टोला कैसरा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1216/ | " | " | वेस वाटर म. न. 323 [illegible] का पुरवा अवध | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.0 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान रेहाना लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) XXX ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... ।

5– अधिशासी अभियन्ता ई नगर ई जल निगम मु0 पु0, लखनऊ ।

संख्या 7213 दिनांक 18/10/ 200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.9.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान खेसाराम लखनऊ ।

सूचना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक भूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई पार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य भूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1204/डब्लू | 24/9/09 | 24/9/09 | ई0पी0 नौबस्ता तलियावालाबाजार पैथली नर्सिंग होम | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1205/डब्लू | " | " | ई0पी0 वालाबाजार चौराहा अग्रवाल फ्रूट्स के पास | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1206/डब्लू | " | " | ई0पी0 लक्ष्मण गंज नरोत्तम पेपर्स के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1207/डब्लू | " | " | ई0पी0 वलाकी इण्डा चरहीं के पास | नहीं | नहीं | – | 00 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1208/डब्लू | " | " | टी वाटर बड़ा तालाब कालोनी आर0ओ पी एन. गुप्ता 31/12/15 के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.4 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1210/डब्लू | " | " | ई0पी0मदयगंज चौराहा निकट पार्क की दुकान | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2पी0पी0एम0 | उत्तम |
| 1209/डब्लू | " | " | ई0पी0 पानी की टं0 लोहपुर रोड निकट पुल की दुकान | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान खेसाराम लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लि.ज. ..... ।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5–अधिशासी अभियन्ता, नगर, 30 ए0, जल निगम लखनऊ ।

संख्या 6871 दिनांक 3-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— केमिस्ट श्री वीरेन्द्र कुमार से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्र० सं० | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूफ-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संगाव्य मूफ-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1183/डब्लू | 23/9/09 | 23/9/09 | स्टे०पो० अगार नगर सत्तग ग्रन के पास | नही | नही | – | ,0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5पी.पी.एम. | उत्तम |
| ********** | " | " | | | | | | | | | | | |
| 1200/डब्लू | 24/9/09 | 24/9/09 | टेप वाटर मेहन्दीगंज त्रिवात प्रेम नरायण साह अपटान के पीछे देशी शराब की दुकान | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.2 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियों में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1201/डब्लू | " | " | टेप वाटर कच्ची कालोनी विजय लाइट हाउस के यसमपे मेहन्दी गंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1.0 पी.पी.एम. | सामान्य परिस्थितियो में क्लोरिन की मात्रा मानक से अधिक |
| 1202/डब्लू | " | " | स्टे०पो० पुराना बंदर गंज चौराहा खानू ट्रेडर्स के पास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1203/डब्लू | " | " | स्टे०पो० भवानी गंज विशाल मंजिल कपास | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान, ऐशबाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशा अभियन्ता नागर० 30प्र०, जल निगम लखनऊ ।

संख्या 6875 दिनांक 3-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य-7.3.09-(2287)-20,000-(कम्प्यूटर/अ...)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मु0 जल संस्थान ग्रामीण लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद — केमिस्ट नरेन्द्र कुमार — से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने की दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | वाष्प पर के मण्डल का गणना प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक सूक्ष्म-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलीफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परखनलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| H177/डब्लू | 23/9/09 | 23/9/09 | ट्रे0पो0 अर्जुन नगर पानिक हरबल ब्यूटी पार्लर के पास | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| H178/डब्लू | " | " | ट्रे0पो0 नटखेड़ा रोड निकट तिलपति गन्ना फैक्टरी | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| H179/डब्लू | " | " | ट्रे0पो0 मिलावा जनता आटा चक्की के पास | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5पी. पी. एम. | उत्तम |
| H180/डब्लू | " | " | ट्रे0पो0 मधुवन नगर त्रिवेन्द्र वाले निकेतन इण्टर कालेज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी. पी. एम. | उत्तम |
| H181/डब्लू | " | " | ट्रे0पो0 आजाद नगर लालकुआं साउन्ड सर्विस के पास | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5पी. पी. एम. | उत्तम |
| H182/डब्लू | " | " | ट्रे0पो0 पूरन नगर अमित इण्डेन गैस एजेन्सी के सामने रोड | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ जल संस्थान ग्रामीण लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता—मु० (जल संस्थान) xxx ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5—अधि० अभि० नगर/ उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ ।

संख्या 6883 दिनांक 3-10-09

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम. संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आदपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल-का-गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक भू-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | सांभाव्य भूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1171/डब्लू | 23/9/09 | 23/9/09 | ट्यूबवेल निकट मस्जिद दौलतगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1172/डब्लू | " | " | ट्यूबवेल सामने फूलमती मन्दिर अलमद गंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1173/डब्लू | " | " | हैण्ड वाटर पम्प इन्दिरा नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1174/डब्लू | " | " | ट्यूबवेल्ली पुलिया मन्दिर के पास आत्मबाग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1175/डब्लू | " | " | हैण्ड वाटर सरदारी केन्द्रीय जनरल स्टोर के पास | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1176/डब्लू | " | " | ट्यूबवेल सुभाष पुर रोड एवं जेल के सामने | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.5 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स ..... अधिशासी अभियन्ता मु० लखनऊ जल संस्थान खेवाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियन्ता मु० (जल संस्थान) ..... xxx ..... ।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर-निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ ..... ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ ..... ।

5— अधि० अभि० नगर मु० जल, नियम , लखनऊ ।

संख्या 6887 दिनांक 3-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य 7.3.09 (2287)-20,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय लखनऊ जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक नूम-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट-नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1165/डब्लू | 23/9/09 | 23/9/09 | ट्वे0पो0 के सामने पापुलर चिकन बिरयानी ईमी गेट | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1166/डब्ल्यू | " | " | ट्वे0पो0 निकट फिरदोस इलक्ट्रीशियरिंग वर्क्स रोड जामा मस्जिद | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1167/डब्ल्यू | " | " | ट्वे0पो0 सामने पुलिस चौकी हुसैनाबाद | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1168/डब्ल्यू | " | " | ट्वे0पो0 सामने पुलिस चौकी का झण्डा | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1169/डब्ल्यू | " | " | ट्वे0पो0 सामने तौफीक इलेक्ट्रानिक्स रामगंज | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1170/डब्ल्यू | " | " | ट्वे0पो0 निकट नलकूप मोहनी पुरवा | नही | नही | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1– मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मु0 लखनऊ ऐशबाग लखनऊ

2– अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परि०द लखनऊ

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

5– अधिशासी अभियन्ता, नगर उ0 प्र0, जल निगम, लखनऊ

संख्या 6899 दिनांक 8-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2091 1999 632 110

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय कार्यालय, जल संस्थान, रेसाना, लखनऊ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद- [illegible] वीरेन्द्र कुमार से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अन्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1159/डब्लू | 23/9/09 | 23/9/09 | के० पो० मा० पब्लो मिष्ठान भण्डार वाली गली के सामने डालीगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1160/डब्लू | " | " | के० पो० सब्जी मण्डी डालीगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1161/डब्लू | " | " | के०पो० मन्धीगंज तकिया निकट नाला | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1162/डब्लू | " | " | के० पो० शंकर नगर पानी की टंकी के निकट | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1163/डब्लू | " | " | के०पो० निकट चौक जोन्स | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1164/डब्लू | " | " | के० पो० सामने बैंक विजनेस चौराहा कार्ट हुसैनाबाद | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित-

1- मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय कार्यालय जल संस्थान रेसाना, लखनऊ।

2- अधिशासी अभियन्ता मु० (जल संस्थान) ×××।

3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् [illegible] लखनऊ।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ।

5- अधिशासी अभियन्ता, नगर, 30 पु०, जल निगम लखनऊ

संख्या 6895 दिनांक 3/10/200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य-7.3.09-(2287)-20,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2082 (11) 633

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय लखनऊ जल संस्थान, लेखाग लखनऊ ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | धात्रय पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुभौलिक नूम-पक्षि-गण (प्रोजम्पाटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूम-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1153/डब्लू | 23/9/09 | 23/9/09 | स्टे० पो० तुलसी मार्ग सुभाष चन्द्र बोस कार्ड बोर्ड के सामने | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1154/डब्लू | " | " | स्टे०पो० कैनन मार्केट एवं पान फ्लावर शॉप सामने | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1156/डब्लू | " | " | स्टे०पो० दुर्गाकुण्डी मन्दिर लाजपत नगर | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1157/डब्लू | " | " | विक्टो० क्लिट इलाका रैण्ड डालीगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1159/डब्लू | " | " | स्टे० पो० देशी शराब वाले पीपे डालीगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1158/डब्लू | " | " | 6 लार्ड घर डालीगंज ह्यूमन बटी पार्लर के निकट | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय लखनऊ जल संस्थान लेखाग लखनऊ ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ ।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ।

5— अधिशासी अभियन्ता नगर उ० प्र० जल निगम, लखनऊ ।

संख्या 6897 दिनांक 3-10-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(228, ')—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)

2083 634

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, रेवाराम, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फी रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में– कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1148/डब्ल्यू | 22/9/09 | 22/9/09 | स्टे०पो० सिन प्रसाद पटवा गुरु मार्गसिसवा इलाई के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1149/डब्ल्यू | " | " | स्टे०पो० बालेश्वर मेयर स्कूल के सामने रजीरगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1150/डब्ल्यू | " | " | स्टे०पो० ट्रेनिंग कालेज के सामने सिसवा | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1151/डब्ल्यू | " | " | स्टे०पो० जगत नारायण रोड तथा एम ओच्छ प्रशा. निदे० के सामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1152/डब्ल्यू | " | " | स्टे०पो० बांस मण्डी मेन गुलाब रोड निकट जवेल कालोनी | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मेसर्स .....

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx .....

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् .....

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी .....

5– अधिशासी अभियन्ता ( नगरीय जल निगम, जल निगम लखनऊ

संख्या 6759 दिनांक 30-9-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2084 (113) 635

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रेलवे लाइन लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद— जे मिस्ट —से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूल-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूल-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलीफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सैं० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1142/डब्लू | 22/9/09 | 22/9/09 | पेय वाटर पम्पिंग स्टेशन लखनऊ | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1143/डब्लू | " | " | रे०प्रो० अन्जुपन वर्कीप के सामने फिल्ट स्टेशन | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1144/डब्लू | " | " | रे०प्रो० राजाबाजार चौराहा पार्क के पास | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1145/डब्लू | " | " | रे०प्रो०डा० तथा रक्तोसी-निवारक सामने सुभाकमार्ग | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1146/डब्लू | " | " | रे०प्रो० मालगोदाम लक्ष्मी मंदिर के सामने सिटी स्टेशन | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1147/डब्लू | " | " | रे०प्रो० अग्रवाल मशालाउद्योग के सामने मशकगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1— मैसर्स अधिशासी अभियन्ता मु० जल संस्थान, रेलवे लाइन लखनऊ

2— अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) XXX

3— नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ

4— मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

5— अधिशासी अभियन्ता (नगर), जल० जल निगम लखनऊ

संख्या 6755 दिनांक 30-9-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य—7.3.09—(2287)—20,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद _____ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणनं प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| H137/डी | 22/9/09 | 22/9/09 | [illegible] | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. [illegible] | उत्तम |
| H138/डी | 22/9/09 | 22/9/09 | [illegible] | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. [illegible] | उत्तम |
| H139/डब्लू | " | " | [illegible] | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| H140/डब्लू | " | " | [illegible] | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 2 पी. पी. एम. | उत्तम |
| H141/डब्लू | " | " | [illegible] | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 1 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1– मेसर्स [illegible]

2– अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) XXX

3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् [illegible]

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी [illegible]

5– अधिशा अभियन्ता नगर [illegible] जल निगम लखनऊ

संख्या 675 दिनांक 2-09-200 9

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2086 (115) 637

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय जल संस्थान, ई.एच.डी., लखनऊ।

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद—————— से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1132/डब्लू | 22/9/09 | 22/9/09 | ए0पी0 सिंह चौक चौराहा | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1133/डब्लू | " | " | हे0 पो0 ज्योति थियेटर के सामने हरदोई रोड | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1134/डब्लू | " | " | पे. पी. सोण्डा बरगोई रोड | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1135/डब्लू | " | " | हे0 पो0 सामने टी. बी. हास्पिटल ठाकुरगंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2पी.पी.एम. | उत्तम |
| 1136/डब्लू | " | " | हे0 पो0 सामने पिंक ऐरा सिनेमा गंज | नहीं | नहीं | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 पी.पी.एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित—

1—मेसर्स अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय जल संस्थान ई.एच.डी., लखनऊ।

2—अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx।

3—नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद्————।

4—मुख्य चिकित्सा अधिकारी————।

5— अधिशासी अभियन्ता नगर , जल संस्थान नउउ० प्र० जल निगम लखनऊ।

संख्या 6747 दिनांक 30-9-09 200

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य-7.3.09-(2287)-20,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद _____ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1127/5क्यू | 22/9/09 | 22/9/09 | वेस वाटर हाता मुरेना बी. बी. सूबेखेल कोनामने | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1128/5क्यू | " | " | वेस वाटर हाथाई को दुकान पुराना बुरा हलकोर्ट के सामने महादतगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1129/5क्यू | " | " | नेशनल धन्टो केम गोयाबरी से चेक पोस्ट दरगाह रोड महादतगंज । | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1130/5क्यू | " | " | वेस पो० वेंदोइ कालीनर्स के सामने कश्मीरी मोहला | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1131/5क्यू | " | " | वेस वाटर बिहारी पुर्ह वेंदा दुकानों के सामने महादतगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.3 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1–मैसर्स अतिरिक्त अभियन्ता संख्यालय जल संस्थान ऐशबाग लखनऊ ।

2–अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) xxx

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् _____

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी _____

5– अधिशासी अभियन्ता नगर उ० प्र० जल निगम, लखनऊ

संख्या 6743 दिनांक 30-9-2009

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

डी०एस०यू०पी० ऐण्ड पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2008 (117) 639

# राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद ..... के मिस्ट ..... से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम

| क्रम-संख्या | एकत्र करने का दिनांक तथा समय | प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन) | जल प्राप्ति का स्थान | घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आगर) | | अनुमौलिक मूष-पक्षि-गण (प्रोजम्पटिव कोलाई फार्म काउन्ट) | | | | | संभाव्य मूष-पक्षि-गण की संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोवेबिल नम्बर कोलोफार्म आर्गेनिज्म) | असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग प्रति 10 लाख में (फ्री रेजीडुअल क्लोरीन) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर | 72 घण्टे में कमरे के तापमान पर | प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा | 50 मि०ली० | 10 मि०ली० | 1 मि०ली० | 0.1 मि०ली० | | | |
| | | | | | | रखी गई परख-नलियों की संख्या | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1122/डब्लू | 22/9/09 | 22/9/09 | प्र वाटर जोन पश्चिम स्टेशन राजा पुरम, लखनऊ | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी. पी. एम. | उत्तम |
| 1123/डब्लू | " | " | स्टे० पो० बावली पुलिस चौकी के सामने सहादतगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी. पी. एम. | उत्तम |
| 1124/डब्लू | " | " | प्र वाटर केसवाली सहादतगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. अपी. पी. एम. | उत्तम |
| 1125/डब्लू | " | " | स्टेपो० टेम्पो स्टैंड के सामने सहादतगंज | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 4 पी. पी. एम. | उत्तम |
| 1126/डब्लू | " | " | प्र वाटर मन्दिर पुराना नूर बैंया | नहीं | नहीं | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0. 3 पी. पी. एम. | उत्तम |

निम्नलिखित को प्रेषित–

1– मेसर्स ..... अतिरिक्त अधिकारी मु० ..... लखनऊ

2– अधिशासी अभियंता मु० (जल संस्थान) ..... xxx .....

3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् ..... लखनऊ

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... लखनऊ

5– अधिशासी अधिकारी नगर ..... जल संस्थान लखनऊ

संख्या 6739 दिनांक 30-9-2009

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 चिकित्सा एवं राज्य स्वास्थ्य–7.3.09–(2287)–20,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

2089 (118) ~~2003~~ 64

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 6

## दिनांक 16 सितम्बर, 2009 से 26 अक्टूबर, 2009 तक

## जोनवार सीवर सफाई का विवरण

| जोन | कुल संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 499 | |
| 2 | 645 | |
| 3 | 713 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | 742 | |
| 6 | 220 | |
| कुल | **3119** | |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR OATHS

2090
(119)
641

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 7

## दिनांक 16 सितम्बर, 2009 से 26 अक्टूबर, 2009 तक

## जोनवार कराये गये हैण्डपम्प मरम्मत का विवरण

| जोन | कुल संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 43 | |
| **कुल** | **199** | |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

2091 (120) (2005) 642

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS

**ANNEXURE NO. 8**

**लखनऊ जल संस्थान द्वारा अपने स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2009–10 में अप्रैल, 2009 से अक्टूबर 2009 तक रिबोर कराये गये नलकूपों की सूची**

| क0सं0 | नलकूप का नाम |
|---|---|
| 1. | गाड़ी अड्डा नलकूप |
| 2. | मुण्डावीर नलकूप आलमबाग |
| 3. | दौदा खेड़ा नलकूप |
| 4. | हाता सूरत सिंह |
| 5. | से0–आई अलीगंज नलकूप |
| 6. | से0–सी प्रियदर्शिनी कालोनी |
| 7. | निरालानगर नलकूप |
| 8. | राजेन्द्र नगर नलकूप |
| 9. | से0–ई कानपुर रोड़ |
| 10. | रूचि खण्ड कानपुर रोड़ |
| 11. | विकान्त खण्ड, गोमती नगर |
| 12. | नैपियर रोड़ फेज–2 |
| 13. | टिकैत राय एल0डी0ए0 कालोनी |
| 14. | टिकैत राय फेज–3 |
| 15. | विभूति खण्ड गोमती नगर |
| 16. | विभव खण्ड गोमती नगर |
| 17. | रामनगर एल0डी0ए0 कालोनी |
| 18. | वास्तु खण्ड गोमती नगर–2 |
| 19. | मोतीझील नलकूप |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

2092

(2006)
643

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.**

C. M. Application No. of 2009

State of U. P. ----------Applicant

In re

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the orders dated 15.9.2009 and 17.9.2009 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

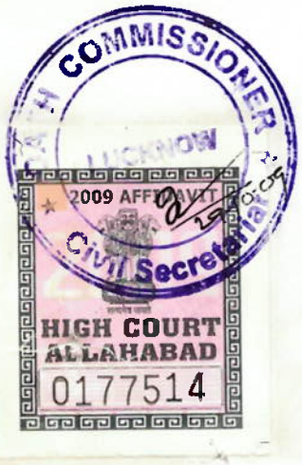
Lucknow

Dated: 30-10-2009

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

2093 (2007) 644




**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .**

**Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003**

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

**AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDERS DATED 15TH OCTOBER 2009 AND 17TH OCTOBER 2009.**

I, Surya Prakash Mishra aged about 51 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:




1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the

2094 (2009) 645

interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 15th September 2009 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order, and directed to the Engineer-in-Chief, Public Works Department, U.P. and Engineer-in-Chief, Irrigation Department U.P. to explain certain facts before this Hon'ble Court, and directed to list the matter on 17th September 2009. On 15th September 2009, this Hon'ble Court pleased to pass an order, and directed to respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 30th October 2009.

COMMISSIONER ★ Civil Secretariat 29.10.09

5. That in compliance of the order dated 15th September 2009 and 17th September 2009 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question. It is significant to submit that vide order dated 15th September 2009, this Hon'ble Court directed to file the report in regard to the execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work, sewage disposal work, progress of third water works as well as the action taken on the report of NEERI etc. in the Lucknow City.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavits are

2095

2009 646

being filed by the Nagar Nigam, Lucknow; U. P. Jal Nigam, Lucknow; Jal Sansthan, Lucknow and Ground Water Department in compliance of orders dated 9th July 2009 passed by this Hon'ble Court.

It is submitted that in compliance of the order dated 15th September 2009, the Lucknow Jal Sansthan has submitted its progress report dated 27th October 2009 for the work performed by the Lucknow Jal Sansthan w.e.f. 15th September 2009 to 26th October 2009 with regard to trace the impurities of drinking water, and dealt the complaints accordingly. The true photostat copy of the progress report dated 27th October 2009 for the work performed by the Lucknow Jal Sansthan is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No.A–1** to this affidavit.

OATH COMMISSIONER LUCKNOW 29-10-09 Civil Secretariat

7. That it is submitted that during the financial year 2009 – 10, vide Government Order No. 3813 / Nine – 5 – 2009 – 37 Sa / 09 Lucknow dated 23rd September 2009, the State Government sanctioned an amount of Rs. 2194.58 Lakh under the UIG / UIDSSMT Part of the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City under Water Supply Scheme [Phase – I , Part – I, Volume 1 to 5] against the estimated cost of Rs. 38661.00 Lakh. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 23rd September 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

8. That it is submitted that for implementation of the ongoing / already sanctioned schemes under Gomati Action Plan Phase – II at Lucknow; vide Government Order No. M - 14014 / 3 / 2003 –NRCD – II dated 17th June 2009, the Ministry of

2096

(2010) 647

Environment and Forests, National River Conservation Directorate, Government of India released the payment of grant-in-aid of Rs. 4143.00 Lakh (i.e., 70 % as share of the Central Government) in favour of the U.P., Jal Nigam, Lucknow. As State Share (30 %) an amount of Rs. 1775.57 Lakh has been sanctioned by the State Government under the River Pollution Eradication Programme, and vide Government Order dated 15.5.2009, and vide Government Order No. 6081 / Nine – 5 – 2009 – 11 (162) / 2000 TC Lucknow dated 14th September 2009 same has been released by the State Government. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 14th September 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

OATH COMMISSIONER LUCKNOW 29-10-09 Civil Secretariat

**9.** That it is submitted that during the 3rd quarter of the financial year 2009 -10, for implementation of the ongoing / already sanctioned schemes under Gomati Action Plan Phase – II at Lucknow; vide Government Order No. M - 14014 / 3 / 2003 – NRCD - II dated 30th September 2009, the Ministry of Environment and Forests, National River Conservation Directorate, Government of India released the payment of grant-in-aid of Rs. 23.27 Crore in favour of the U.P., Jal Nigam, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 30th September 2009 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

**10.** That the deponent is filing the progress report with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' on the basis of records submitted by the U. P. Jal Nigam vide its letter No. 2328 / M – 24 / 106 dated 27th October 2009:

2097

(2011) 648

**(i).** That the details of work done till 27th October 2009 under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for improvement of drinking water facilities are being mentioned as under:

The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 27th October 2009, 40 + 12 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing / reboring, out of which till 27th October 2009, total 43 old Tube-Wells have been repaired and they are working.




The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 113.602 Km have been completed till 27th October 2009.

The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 52 numbers of Tube-Wells have been completed till 27th October 2009, and rising main work relating to 6 numbers of Tube-Wells are in progress.

**(ii).** That the details of work done till 27th October 2009 under the General Programme for improvement of drinking water facilities in Lucknow City are being mentioned as under:

2099 (2013) 650

of Sewage Pumping Station and STP has been started and about 58 % and 70 % work with regard to same have been completed. True photostat copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (under the Sewerage Scheme of District–1) is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

**12.** That it is significant to submit that the works done till 27th October 2009, under Gomti Action Plan Phase –I and Phase – II at Lucknow are detailed herein under:

**(i).** It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to three works , which are under progress.

**(ii).** It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II till 26th October 2009 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

**13.** That in regard to the progress of sewage treatment plant (STP), it is submitted that the land for construction of 345 mld STP has been acquired by the Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 , and after finalization of tendering process, and clearance from the Pollution Control Board, U.P. and Forest Department, the work has been started on 18.7.2008, and till 26th October 2009 about 70 % work have been completed. The

2100

(2019) 651

progress of different component of 345 mld STP is being detailed in the **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit.

**14.** That the work of construction of THIRD WATER WORKS is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase – I , Part – I, sanctioned cost whereof is Rs. 388.61 Crore; and the same has been sanctioned by the Government of India, under the JNNURM. It is submitted that 8 Hectare land near Kataultha Jheel has been acquired for Third Water Work, and the works for construction of boundary wall has been completed. It is submitted that the Irrigation Department, U. P., has agreed to provide 100 Cusec raw water from Sharda Canal for Third Water Works, and the proceedings with regard to same are in progress. The works for clear water treatment plant, 10 numbers of underground storage tank, clear water feeder main, development of intake works and dredging, development and beautification works of Kataultha Jheel are in progress. A photocopy of the chart showing progress of different component of Third Water Works is being annexed as **ANNEXURE No. A – 9** to this affidavit.




**15.** That with regard to solid and hazardous waste management, the Nagar Nigam, Lucknow informed that the report of NEERI, Nagpur has been received on 24th October 2009. A copy of the said report of NEERI, Nagpur has also been send directly to the Registrar of this Hon'ble Court in compliance of direction made by this Hon'ble Court on 15.9.2009. It is submitted that appropriate action be taken as per report of the NEERI, Nagpur by the concerned departments and as per directions by this Hon'ble Court.

**16.** That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development

2101 (2015) 652

Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow
Dated : 29 october, 2009

Deponent

COMMISSIONER Civil Secretariat

## VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1 and 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 15 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 16 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow
Dated: 29 october, 2009

Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

I IDENTIFY THE DEPONENT WHO HAS SIGNED BEFORE ME.

(ओम प्रकाश चौहान)
तामील अधिकारी
इन्साफ विकास अनुभाग
3-पी सचिवालय लखनऊ।

क्रम सं. 0177514
श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, विशेष लिपिक
ओम प्रकाश चौहान, तामील अधिकारी
दिनांक 29.10.09 समय 6:00 P.M.
रिट पिटीशन नं 4436/2003
लीनज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ

29.10.09
(केशव दयाल)
उप आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

ANNEXURE NO. A-1

2102 (2016) 653

## लखनऊ जल संस्थान मे
## दिनांक 15/9/09 से दि0 26/10/09 तक जोनवार विवरण।

शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि व जल संस्थान के सहा0 अभियन्ता, नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिदिन पेयजलापूर्ति की जांच की जाती है जल संस्थान द्वारा दिनांक 15.09.09 से 28.09.09 तक कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

1. काटे गये अल्काथीन पाइप

| जोन | कुल संख्या | निस्तारित | अनिस्तारित |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 54 | 54 | 0 |
| 3 | 74 | 74 | 0 |
| 4 | 56 | 56 | 0 |
| 5 | 33 | 33 | 0 |
| 6 | 12 | 12 | 0 |
| **कुल** | **235** | **235** | **0** |

2. लीकेज मरम्मत

| जोन | कुल संख्या | निस्तारित | अनिस्तारित |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 86 | 0 |
| 2 | 231 | 231 | 0 |
| 3 | 513 | 513 | 0 |
| 4 | 171 | 171 | 0 |
| 5 | 508 | 508 | 0 |
| 6 | 217 | 217 | 0 |
| कुल | **1726** | **1726** | **0** |

3. सीवर सफाई

| जोन | कुल संख्या | निस्तारित | अनिस्तारित |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 499 | 0 |
| 2 | 645 | 645 | 0 |
| 3 | 713 | 713 | 0 |
| 4 | 300 | 300 | 0 |
| 5 | 742 | 742 | 0 |
| 6 | 220 | 220 | 0 |
| कुल | **3119** | **319** | **0** |

Zone

2103

2017
654

4. हैण्डपम्प मरम्मत

| जोन | कुल संख्या | निस्तारित | अनिस्तारित |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 नग | 9 | 2 |
| 2 | 36 नग | 36 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 23 | 0 |
| 5 | 45 | 45 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | **115** | **113** | **02** |

नोट - अनिस्तारित शिकायतें तीन दिन में निस्तारित कर दी जायेगी।

5. ओ0टी0 परीक्षण

| जोन | विभाग द्वारा | संयुक्त टीम द्वारा | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| 1 | 1445 | 24 | 0 |
| 2 | 1560 | 120 | 0 |
| 3 | 2689 | 52 | 03 |
| 4 | 1635 | 84 | 02 |
| 5 | 4797 | 42 | 0 |
| 6 | 937 | 119 | 0 |
| कुल | **13063** | **441** | **05** |

नोट - ऋणात्मक पाये गये 05 स्थानों पर क्लोरीन्ड करा दिया गया जो धनात्मक पाये गये।

6. गन्दे पानी की शिकायत

| जोन | कुल संख्या | निस्तारित | शेष |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | – |
| 2 | 07 | 07 | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 02 | 02 | – |
| 5 | 01 | 01 | – |
| 6 | 02 | 02 | – |
| कुल | 12 | 12 | 0 |

COMMISSIONER
29.10.09
Civil Sec...

सचिव
लखनऊ जल संस्थान
27-10-09

29.10.09
( केशव दयाल )
अपर शासन एवं अनुभाग अधिकारी
शासन अनुभाग-1 (उच्च स्तरीय)
उत्तर प्रदेश शासन।

Zone

2104

ANNEXURE NO. A-2

(2018)

संख्या- 3813/नौ-5-2009-37सा/09

655

प्रेषक,

विपिन कुमार द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 2009

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2009-10 में जेएनएनयूआरएम योजना के यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी घटक के अन्तर्गत निकायों को उनके अंश की धनराशि की 'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-तक0 सेल/3851/206/08, दिनांक 22.05.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम योजना के यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्शों के अन्तर्गत निम्नलिखित नगरों की स्वीकृत 07 परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की धनराशि/अवशेष धनराशि कुल **रू0 4122.70 लाख (रू0 इक्तालीस करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2009-10 में **मा0 कांशीराम नगर विकास योजना** के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र. | निकाय का नाम | परियोजना का नाम | भा/स द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश | अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य निकाय अंश | निकाय अंश की अब तक स्वीकृत धनराशि | निकाय अंश की स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | नगर निगम, आगरा | आगरा नगर में सीवरेज कार्य-नार्थ वेस्टर्न जोन में ब्रान्च एण्ड लैटेरल सीवर लाइन निर्माण | 2162.00 | 540.50 | 324.30 | 162.15 | 162.15 |
| 2 | नगर निगम, लखनऊ | लखनऊ नगर की जलापूर्ति (फेज-1 पार्ट-1 वाल्यूम-1 से 5) | 38861.00 | 9715.26 | 5829.16 | 2914.58 | 2194.58 |
| 3 | नगर निगम, इलाहाबाद | इलाहाबाद नगर की जलापूर्ति कम्पोनेन्ट (पार्ट-।।) | 16234.00 | 1623.00 | 973.80 | - | 973.80 |
| 4 | नगर निगम, वाराणसी | वाराणसी नगर की जलापूर्ति पार्ट-।। सिस वरूना एरिया | 8610.00 | 1076.25 | 645.75 | - | 645.75 |
| 5 | नगर पालिका परिषद, फतेहपुर | फतेहपुर जलापूर्ति | 1570.04 | 628.01 | 78.50 | - | 78.50 |
| 6 | नगर पालिका परिषद, उन्नाव | उन्नाव जलापूर्ति | 385.09 | 154.03 | 19.25 | - | 19.25 |
| 7 | नगर पालिका परिषद, बस्ती | बस्ती जलापूर्ति | 973.26 | 389.36 | 48.67 | - | 48.67 |
| | | | | | | योग | **4122.70** |

**(रू0 इक्तालीस करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार मात्र)**

COMMISSIONER Civil Supplies 29.10.09

2105

(2015) 656

2- संबंधित स्थानीय नागर निकाय को उपर्युक्त तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी।

(3) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(6) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

(8) उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

COMMISSIONER LUCKNOW 29.10.09 Civil Secretariat

(11) स्वीकृत धनराशि यदि रू0 2.00 करोड़ से अधिक है, तो उसका आहरण तीन समान किश्तों में तथा कार्य की आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा। दूसरी तथा तीसरी किश्त के आहरण के पूर्व पूर्वगामी किश्त की धनराशि से किये गये कार्यों एवं समूची परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो लिया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं शासन को दिनांक 31 मार्च, 2010 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"6215 जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-2807-दस/09, दिनांक 16 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( विपिन कुमार द्विवेदी )
विशेष सचिव।

GORF-(09-10)-S1

2106 (2020) 657

संख्या- 3813/नौ-5-2009-37सा/09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

23.9.09

( विपिन कुमार द्विवेदी )
विशेष सचिव।

COMMISSIONER LUCKNOW 29/10/09 Civil Secretariat

29.10.09

( केशव दयाल )
अनुभाग अधिकारी
अनुभाग-1 (नगर आयुक्त)
प्रदेश शासन।

GORF-(09-10)-S1

-15- 2107

ANNEXURE NO.A-1

संख्या- 6081/नौ-5-2009-11(162)/2000टीसी

(2021) 658

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2009

विषयः **गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 4992/नौ-5-2009-11(162)/2000टीसी, दिनांक 13 जुलाई, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर** हेतु रू0 263.04 करोड़ की अनुमोदित योजना के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश संख्या- एम-14014/3/2003-एनआरसीडी-।, दिनांक 17 जून, 2009 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 4143.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश (30 प्रतिशत) **रू0 1775.57 लाख (रू0 सत्तरह करोड़ पचहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)** की धनराशि, नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में शासनादेश संख्या-2654/नौ-5-09-67बजट/09, दिनांक 15.05.09 के द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 112.00 करोड़, जो शासनादेश संख्या-3287/नौ-5-09-67बजट/09, दिनांक 05.06.09 के द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी है, में से आहरित कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

OATH COMMISSIONER LKNOW 2/ 29/10/09 Civil Secretariat

1. प्रश्नगत धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। अन्य कार्यों पर नहीं किया जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न करके आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-2782-दस/09, दिनांक 11.09.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

GOFinSanctions-NV5(09-10)SJ

2108

2021
659

संख्या- 6081/नौ-5-2009-11(162)/2000टीसी एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
9. नियोजन अनुभाग-3, 4।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

29.10.09
( केशव दयाल )
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय),
उत्तर प्रदेश शासन।

ANNEXURE NO A-4

No.M-14014/3/2003-NRCD-II
Government of India
Ministry of Environment & Forests
NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

"Paryavaran Bhawan"
CGO Complex,Lodi Road,
New Delhi-110003
Dated:-30th September, 2009

To

The Pay and Accounts Officer,
Ministry of Environment & Forests,
'Paryavaran Bhawan',
CGO Complex Lodhi Road,
NEW DELHI

**Subject:- Release of Grant-in-Aid of Rs. 23,27,00.000- (Rupees Twenty three crore and twenty seven lakh only) in favour of Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow for implementation of the ongoing/already sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase-II at Lucknow (UP) for the 3rd quarter of the financial year 2009-2010.**

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the release for the payment of Grant-in-Aid of **Rs. 23,27,00,000/- (Rupees Twenty three crore and twenty seven lakh only)** in favour of Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow for implementation of the ongoing/already sanctioned schemes under Gomti Action Plan, Phase – II at Lucknow (UP) for the 3rd quarter of the financial year 2009-2010.

The following points are also to be noted :-

i) Close monitoring of implementation is done so as to ensure that the sanctioned schemes are completed within the sanctioned cost and time. Any increase in cost due to cost or time over run, or for any other reason, shall be borne by the State Government themselves.

ii) The State Government of U.P. is also contributes their corresponding share for the scheme, and confirms the same to NRCD.

iii) Further release of funds will be considered only after receipt of Utilization Certificate and Expenditure Statement/Physical Progress Statement showing clearly the progress of implementation in terms of percentages.

iv) The funds presently released are to be utilized by 31st December, 2009.

The release of funds is subject to the following terms and conditions:

**Financial Aspects:**

i) The terms and conditions as stipulated in the orders conveying Administrative Approval & Expenditure Sanctions (AA&ES) in respect of the schemes under the Plan issued from time to time shall be adhered to during implementation of the projects.

iv) Any escalation over and above the sanctioned cost in respect of individual projects shall be borne by the State Government. The Implementing Agency has to take this into account while incurring expenditure on the approved projects.

v) Funds shall be made available to the implementing agencies without delay or diversion.

vi) The State Govt. shall take all necessary legal and executive measures to ensure that local bodies augment their resources for Operation & Maintenance of the assets created under the River/Lake Conservation Plan.

vii) Appropriate policy initiatives will be taken by State Govt. to tackle non-point sources of pollution including agricultural run-off, industrial pollution and solid waste management.

viii) On receipt of the grant, the grantee/State Government shall make available its share in the cost of the project. Further installments of grants of the Central Government would be released only after such contribution is released by the State.

ix) The funds released for the projects should be operated through a separate interest earning bank account. The interest thus earned should be credited to the project and reflected in the Utilization Certificates from time to time and shall be adjusted towards future funds release for the project. For any diversion of funds, the signatory of the bank account shall be held responsible.

x) The Government of India reserves the right to withdraw the sanction at any stage if it is convinced that the amount released has not been properly utilized or appropriate progress is not being made.

xi) The Implementing Agency is not permitted to seek or utilize funds for the same purpose from any other organization (Government, semi-Government, autonomous or private).

xii) The implementing agency shall furnish monthly expenditure statements in the prescribed forms from the commencement of the project. These should be submitted by the 20th of the following month for the preceding month.

xiii) The implementing agency shall furnish to the NRCD a utilization certificate in respect of grants-in-aid received during the various quarters as under:-

(a) For the 1st, 2nd and 3rd quarters in the prescribed form 'A' to be provided by NRCD.
(b) For the 4th Quarter in the prescribed form 'B' to be provided by NRCD.
(c) Utilization certificates will be furnished to NRCD in respect of grants received in various quarters by the dates indicated as follows:

| | | |
|---|---|---|
| 1st Quarter | April – June | 15th August |
| 2nd Quarter | July- September | 15th November |
| 3rd Quarter | October-December | 15th February |
| 4th Quarter | January- March | 15th May |

(xiv) The cost of the project is to be shared on 70:30 basis between Centre and States. The sanctioned

29/10/09

2111

2025
662

-3-

...should be spent exclusively therein as per the guidelines of the scheme and ... and within the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed the amount sanctioned ... project/scheme and within the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed ... amount sanctioned for the project/scheme. Any unspent amount(s) should be surrendered ... Directorate. For carrying forward any unutilized amounts beyond the specified time limit prior approval of NRCD should be obtained. Centage will be payable @ 8%.

xiii) It is the responsibility of the implementing agency to ensure that the assets are exclusively used for the purpose for which the grant is sanctioned and to maintain the assets and their records properly.

xiv) All the assets acquired/created out of the grants shall not be disposed of, encumbered, or utilized for any purpose other than that for which sanctioned.

xv) As indicated in the fund request of U.P. Jal Nigam, the funds released will be spent on the following projects and the minimum physical progress to be achieved as indicated by U.P. Jal Nigam with the present fund release by 31st December, 2009 are indicated below:-

| Component | Minimum physical progress to be achieved |
|---|---|
| Interception &Diversion (I&D) works of G.H Canal | 80% |
| I&D works of China Bazar drain | 98% |
| Rehabilitation of exiting sewers & laying of new sewers | 80% |
| Raising mains from Kukrail SPS to MPS & from MPS to STP, MPS at Gwari Culvert | 90% |
| 3.45 mld. STP | 80% |
| Genset for Kukrail Nala | 70% |
| Non-core works | 50% |

COMMISSION
LUCKNOW
29-10-09
Secretary

xvi) While seeking further release of funds, U.P. Jal Nigam shall indicate the project components to be funded therewith and %age of progress sought to be achieved, with the fund release.

3.1 **Audit:**

a) The Comptroller & Auditor General of India at his discretion shall have the right of access to the books and accounts of the Implementing Agency receiving the funds from the Government of India for the purpose of Audit.

b) The books of accounts of the grantee, relating to this grant, shall be open to Audit by the Internal Audit Wing of this Ministry.

c) The implementing agency shall furnish to the Government annually a report of its work within three months, and its audited statement of accounts within nine months of the financial year.

3.2 **Electronic Remittance of Funds:**

The fund releases by this Ministry would be remitted by Electronic transfer. The following details may be kept updated from time to time to enable electronic remittance.

(a) Bank account details both in figures and words to NRCD.

329

2112

2026
663

(b) MICR Code and IFSC Code of the Bank Branch.

(c) Necessary authorization by the grantee organization to its bank to receive the remittances on behalf and to issue necessary bank receipt to the Ministry's bank for receipt of funds.

Changes if any in the bank details shall be communicated without delay to this Ministry.

3.3 **Submission of Monthly Physical & Financial Progress Reports (PFPR):**

(a) Monthly Physical and Financial Progress Reports (PFPR) in the prescribed format shall be signed by at least two designated officers of the Implementing Agency, one of whom will be Chief Engineer/ Head of the Department.

(b)The signing officer will indicate his name and designation in full in capital letters and affix official seal under the signature. While fax PPRs will be accepted for commencement of the processing of the case, ink-signed PPRs must follow by Speed Post.

(c) Consistency between physical progress and expenditure shall be maintained and reasons for substantial variations i.e., more than 10% shall be appropriately explained against each item.

3.4 **Submission of Utilization Certificates (UCs):**

The Utilization Certificates (UCs) in the prescribed format shall be signed and stamped by the Head of the Organization, Head of the Accounts Department and field level functionary at Executive Engineer level/ Principal Investigator, as applicable. The name and designation of the officers signing the UCs shall be clearly mentioned in full and in capital letters.

3.5 **Project Management & Monitoring:**

(a) Time and cost overrun leading to delay in implementation of projects is viewed with serious concern by the Government and as per instructions contained in Cabinet Secretary's D.O. letter No.261/1/10/2000-Cab. Dated June 4, 2001 read with Planning Commission's D.O letter No.O-14015/2/98-PAMD dated 19.8.1998, mandatory Review of the Schemes must be carried out from time to time so as to assess the expenditure trend and time schedule of the schemes and appropriate action against those responsible delay shall be taken in accordance with the instructions.

(b) Inter-Departmental Monitoring Committee shall be set up at the State/UT and Divisional/District levels. The State level Committee will be chaired by Principal Secretary of the Department concerned and a balanced and representative composition of representatives of all Departments and agencies concerned for ensuring timely and qualitatively sound execution of works.

(c) The Urban Local Body level Committee will be constituted under the Chairmanship of the Chief Executive Officer of the Municipal Corporation/Committee and have representatives from all executing agencies concerned. The intervention of District Magistrate/ Collector shall be sought for resolution of inter-Departmental issues.

(d) Citizens Monitoring Committees shall be constituted in the towns where the NRCP works are proposed to be taken up.

29.10.09

329

2113 (2027) 664

3.6 Inspection:

(a) The Government of India may depute any person to visit the implementing agency for the purpose of monitoring its work. Full facilities shall be provided by the implementing agency to the persons deputed for inspection by the Government of India.

(b) The implementing agency shall maintain separate audited accounts for the project. If it is found expedient to keep a part or the whole amount in a bank account earning interest, the interest thus earned has to be reported as a credit to the grantee adjustable towards further installments of grant.

3.7 **Operation & Maintenance:**

(a) Assets created under the GAP/ NRCP shall be handed over to the local body after completion and construction agency shall continue to maintain assets on contract basis till such time the local body acquires the necessary technical expertise for this purpose.

(b) Local communities shall be involved in the operation and maintenance of non-core schemes.

3.8 **Miscellaneous:**

Any staff that may be employed for preparation, execution or operation of the project by the implementing agency are not to be treated as employees of the Government of India. They shall be governed solely by the rules of the grantee with respect to all matters including terms and tenure of service. The deployment of such staff at the time of completion or termination of the project will not be the concern or responsibility of the Government of India.

4. The Drawing and Disbursing Officer, National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forests is hereby authorized to prepare and submit bill for **Rs.23,27,00,000/-(Rupees Twenty three crore and twenty seven lakh only)** to Pay and Accounts Officer, Ministry of Environment & Forests, New Delhi to make payment electronically i.e. through CBs/RTGS to Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow (U.P.) whose bank details are given below:-

| Name of the Implementing Agency | Address of Implementing Agency | Name of Bank where Account of Agency held | Name & Complete Address of the Bank Branch | MICR Code & IFSC Code | Type of Account | Account No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.P. Jal Nigam, Lucknow -226001 | Managing Director, U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001 | Union Bank of India | Union Bank of India, Hazaratganj Branch, 29-Hazaratganj, Lucknow | MICR Code-226026002 IFSC Code – UBIN0530221 | Saving Bank | 302202010701122 |

**Receipt of funds may kindly be acknowledged by way of a letter. Changes if any in the banks details shall be communicated to this Ministry immediately.**

CAG COMMISSIONED LUCKNOW 29/10/09 Civil Secretariat

2114 2028 665

... last instalment of recurring grant and the unspent balance of Rs.4.95 crore as on 30-8-2009 ... been taken into consideration while releasing the current installment of funds. A copy of the Utilization Certificates for the Ist quarter (from 1-4-2009 to 30-6-2009) and 2nd quarter (July and August 2009) alongwith the earlier sanction order dated 9th June, 2009 are enclosed. The grantee institution is a Govt. Government Body.

6. The funds for expenditure on the scheme would be debitable to the Major Head '3435' ... 191. 06. 02. 31- Grants-in-Aid (Other Schemes)- National River Conservation Plan under Demand No. 30-Ministry of Environment & Forests for the financial year 2009-2010 (Plan).

7. In case of violation of any of these conditions of the grant or in case of closure or dissolution of the grantee organization, the Government shall take possession of all the assets of the organization acquired out of the Government grants and use them in any manner deemed appropriate or to recover from the organization the value of such assets at its discretion.

8. This issues under the powers delegated to the Ministry of Environment & Forests and with the approval of Special Secretary Ministry of Environment & Forests as well as with the concurrence of IFD vide their Dy. No.1743/AS&(FA/F/09 dated 30.9.2009.

CIVIL COMMISSIONER LUCKNOW 29.10.09 Civil Secretariat

Yours faithfully,

(C.UPPILI)
**Under Secretary to the Govt. of India**

Copy for information and necessary action to :-

1. DDO, NRCD- 2 copies.
2. Jt.Director of Audit-II, Commercial, Scientific & Misc.Works AGCR Building I.P.Estate, New Delhi.
3. Chief Secretary, Govt.of U.P., Sachivalaya, "Annex", Lucknow(UP).
4. Principal Secretary, Department of Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh, Sachivalaya, "Bapu Bhawan" Lucknow (UP).
5. Managing Director, U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow (UP).
6. Chief Engineer (Ganga), U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow.
7. General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, River Bank Colony, Near Suraj Kund, Lucknow (UP).
8. The District Magistrate, Lucknow (U.P)
9. Dir(HA)/Dir(BS)/DD(SS)/US(Fin)/US(P)/Computer Cell
10. Sanction Folder/Guard File.

30/9/09

(C.UPPILI)
**Under Secretary to the Govt. of India.**

29.10.09
( केशव दयाल )
संयुक्त आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय),
उत्तर प्रदेश शासन।

ANNEXURE NO. A-5

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 से 27.10.09 तक कुल प्रगति | 27.10.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 40 नग चालू। | - | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू | 12 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | 3 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 109.88 कि.मी. | 3.722 कि.मी. | 113.602 कि.मी. | 28.38 कि.मी. कमीशन्ड, 25.00 कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 2 नग नलकूपों की राइजिंग में पूर्ण एवं चालू। | 52 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | सामान्य कार्यक्रम | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध नये हेण्डपम्प | 75 नग | 75 नग | - | 75 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | 140 नग | - | 140 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 5 नग चालू। | - | 5 नग चालू। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

CIVIL COMMISSIONER Lucknow 29.10.09 Civil Secretariat

29.10.09 (कंवल दयाल) शपथ आयुक्त एवं विभाग अधिकारी, न्याय अनुभाग [illegible] उच्च न्यायालय), इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

215

2023

ANNEXURE NO. A-6

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 26.10.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 से 26.10.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 156.00 कि.मी. | 170.00 कि.मी. | 18.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 32.00 कि.मी. | 34.00 कि.मी. | 5.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 53% | 58% | 8% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 64% | 70% | 9% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 96.670 | 105.700 | 9.030 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 109.250 | 109.250 | 0.000 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 22.4.2008 को निर्गत की गयी। दिनांक 13.10.08 को रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा 5.12.2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा 10.02.2009 को रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा 20.03.2009 को रु.24.77 करोड़ तथा रु. 19.77 करोड़ की किश्त दिनांक 2.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 15.22 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 29.49 करोड़। जल निगम को वित्तीय निविदायें प्राप्त हो गयी हैं।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 24.13 करोड़। जल निगम को वित्तीय निविदायें प्राप्त हो गयी हैं।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

OATH COMMISSIONER ★ LUCKNOW 2 24/10/09 ★ Civil Secretariat

29.10.09

(कैलाश चन्द्रा)
शपथ अनुभाग-।, अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-।, (उच्च न्यायालय),
उत्तर प्रदेश शासन।

पारियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

2116

2030

ANNEXURE No. A-7

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

## गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 26.10.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 से 26.10.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग + 1 नग (80%) | 5 नग + 1 नग (80%) | -- | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (65%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (70%) | 1 नग (5%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5830 मीटर | 5830 मीटर | 160 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 64% | 64% | 4% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 41.105 | 41.267 | 0.162 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 41.650 | 41.650 | 0.000 | |

**नोट :** कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

29.10.09

(केशव दत्त)
शासन आयुक्त एवं विभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग (उच्च न्यायालय),
उत्तर प्रदेश शासन।

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

COMMISSIONER LUCKNOW 29.10.09 Civil Secretariat

2117

2051

कार्यालय महाप्रब[illegible], गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल [illegible]म, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

## गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 31.08.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 26.10.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 31.08.2009 से 26.10.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95%+ 1 नग 65% | 17नग 95%+ 1 नग 65% | 1 नग 15% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 55% | 10 नग 95%+1 नग 60% | 1 नग 5% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9484 मीटर | 10184 मीटर | 700 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 90% | 90% | -- | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 82% | 85% | 3% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 65% | 1 नग 70% | 1 नग 5% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 100% | 5 नग 100% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 80% | 30% | 40% | 10% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 80% | 15% | 20% | 5% | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 45% | 45% | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड) | 263.04/417.64 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 223.361 | 238.3 | 14.939 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 252.035 | 293.06 | 41.025 | |

COMMISSIONER Civil Secretariat Lucknow 29.10.09

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

29.10.09
(केशव दयाल)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-I (विधि सचिवालय)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

2118 2032

(2033)
ANNEXURE No. A-8

2119 670

## 345 एम.एल.डी. क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) कार्य के विभिन्न अवयवो का प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्य घटक | वास्तविक अद्यतन प्रगति (26.10.2009) |
|---|---|---|
| 1. | प्री-ट्रीटमेन्ट यूनिट्स | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, कालम कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण। |
| 2. | यू.ए.एस.बी. रियेक्टर | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण। |
| 3. | प्री-एरेशन टैंक - 3 नग | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण |
| 4. | पालिशिंग पाण्ड ऐरेशन जोन- 140 मीटर x 140 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 5. | फाइनल पालिशिंग पाण्ड 140 मीटर x 550 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 6. | स्लज ड्राईंग बेड (106 नग) | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 7. | स्टाफ क्वार्टर 15 नग | 80 प्रतिशत पूर्ण। |
| 8. | एडमिनस्ट्रैटिव ब्लाक 1 नग | 75 प्रतिशत पूर्ण। |
| 9. | वर्कशाप बिल्डिंग | 75 प्रतिशत पूर्ण। |
| 10. | फाइनल एफ्लुऐन्ट सीवर 2400 एम. एम. साइज - 1500 मीटर | 10 मीटर पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण । |
| 11. | गैस होल्डर्स - 3 नग | राफ्ट कार्य पूर्ण। वाल का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। |
| 12. | स्लज पम्प हाउस | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। वाल कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण। |
| 13. | क्लोरीन कान्टैक्ट टैंक | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। वाल कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण। |
| 14. | विद्युत यांत्रिक कार्य | फर्म द्वारा सप्लाई आदेश का कार्य पूर्ण। |
| 15. | कार्य की ओवर आल प्रगति | 70 प्रतिशत पूर्ण। |

29.10.09

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-।
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

29.10.09
( केशव दयाल )
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्या. अनुभाग-।, (सिविल साइड),
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2120

ANNEXURE NO. A-9

(2034)

671

# BRIEF NOTE ON PROGRESS OF THIRD WATER WORKS AT GOMTI NAGAR SANCTIONED UNDER JNNURM

Work of costruction of III[rd] Water Works is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase-I, Part-I sanctioned cost Rs. 388.61 Crore, sanctioned by GOI under JNNURM. Cost of III[rd] Water Works & related works included in above project is Rs. 172.93 Crore.

8.00 hectare land near Kathauta lake is available for III[rd] Water Works. Source of raw water is Sharda Sahayak Feeder Canal near Moradabad Distributory. Irrigation Department has already agreed to provide 100 cusecs of raw water but formal G.O. has to be issued. To provide raw water from Sharda Sahayak a proposal of Rs. 19.01 Crore of Irrigation Department for the lining of different canals and construction of head works etc. is included in the sanctioned project and out of which Rs. 10.00 Crore has already been released. In addition to this, Rs. 1.00 Crore has also been paid to Irrigation Department for the construction of retaining wall & other safety measures required for feeder canal.

Proposed works under III[rd] Water Works are construction of head works at Sharda Sahayak intake site (by Irrigation Department), 10.50 Km. raw water rising main, dredging, development & beautification of Kathauta lake, treatment plant - 80 MLD capacity, underground reservoirs-12 nos.(6 nos. each for Indira Nagar & Gomti Nagar areas), 27.50 Km. clear water feeder main & 30.80 Km. clear water rising main. Against above proposed works, works of construction of treatment plant, 10 nos. underground reservoirs, clear water feeder main, head works at intake site by Irrigation Department and dredging & development works of Kathauta lake are under progress. Overall upto date progress of various components of the III[rd] Water Works is about 40%. During canal closure period, water stored in Kathauta lake will be utilized as raw water for treatment plant. Till now Rs. 165.1594 Crore (Central, State & Lucknow Nagar Nigam Share) has been released to U.P. Jal Nigam (Construction Agency) by Govt. under Lucknow Water Supply Scheme Phase-I, Part-I. All the bove released amount has been spent against whole project till date. Out of this total expenditure, Rs. 56.40 Crore has been spent for the works of III[rd] Water Works. All works of III[rd] Water Works are proposed to complete by March 2011.

COMMISSIONER ... Secretariat

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

29.10.09

2121

2035
672

# DESCRIPTION OF WORKS RELATED TO III[rd] WATER WORKS

| S. No. | Description of Work | Cost | | Total | Present Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Civil | E/M | | |
| 1- | Canal lining & head works | 1901.00 | - | **1901.00** | Work is under execution by Irrigation Department. Rs. 1000.00 Lacs has been given to Irrigation Department against Rs. 1901.00 Lacs |
| 2- | Intake and pre-settling units | 30.75 | 1693.68 | **1724.43** | Civil works awarded. Rs. 100.00 Lacs has been given to Irrigation Department for the construction of retaining wall for the safety of feeder canal & related works. Felling of trees at proposed site has got done by Forest Department. |
| 3- | Treatment Plant-80 mld and intake well at Chinhat lake. | 1239.81 | 2017.67 | **3257.48** | Work is under progress. Approx-40% work completed. |
| 4- | Raw water rising main | 2254.52 | - | **2254.52** | Work awarded & supply of pipes & laying started. |
| 5- | Dredging & development of Chinhat lake. | 2403.86 | - | **2403.86** | Work in progress. Approx-42% work completed. |
| 6- | Clear water rising main | 2892.65 | - | **2892.65** | Work in progress. 17.17 Km. line laid out of 27.424 Km. |
| 7- | Rising main to fill the existing water head tank from proposed C.W.R. & construction of C.W.R. | 1538.72 | 788.95 | **2327.67** | Construction of 10 nos. C.W.R. is under progress. Tender process for rising main in progress. |
| 8- | Construction of office building, boundary wall etc. | 531.44 | - | **531.44** | Construction of boundary wall completed. Remaining works are under progress. |
| | **G.Total** | **12792.75** | **4500.30** | **17293.05** | |

OATH COMMISSIONER
Civil Secretariat
29-10-09

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

29.10.09
( केशव दयाल )
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग (उच्च न्यायालय),
उत्तर प्रदेश शासन।

(15)

2122 (2036) 673

In the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench, Lucknow.




C.M. Application No. 112336 (W)/2009.

In re:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of ~~2008~~ 2003.

PRESENTED TODAY
JOINT REGISTRAR (LISTING)
17 NOV 2009

Sewage Treatment Plant . . Petitioner

Vs.

State of U.P. and others. . . Opp.Parties.

Application for Listing.

The humble petitioner submits as under :-

01. That the Case was listed on 30.10.2009 but the Hon'ble Bench was not constituted and since then there is no order for listing of the Case.

02. That the matter pertains to environmental problem and for drinking water to the Citizens of Lucknow City.

03. That despite detailed interim order to stop the construction near Gandhi Setu, where the Lucknow Nagaar Nigam has dumped the garbage, the Lucknow Development Authority and other construction agency are continuing the work.

04. That recently the M E E R I given recommendation that no Construction activity will be allowed within 100 meter distance from Gomti River

2123 (2033) 674



Basin, but ignoring these observation, the opposite parties are making construction

Therefore, it is most respectfully prayed that the above noted Case be ordered to be listed at an early date, in the interest of justice.

Lucknow, dated:
Nov. 17, 2009.

B.K. Singh
(B.K. Singh)
Advocate,
Counsel for the Petitioner.

2124 (2038) 675

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

C.M. Application No. 114133 of 2009

PRESENTED TODAY
JOINT REGISTRAR (LISTING)
21 NOV 2009

In Re:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant

...Petitioner

Versus

State of U.P. & others

...Opp. Parties

**APPLICATION FOR TAKING AFFIDAVIT ON RECORD.**

The above-named applicant/Opp. Party No. 4 most respectfully begs to submit as under:-

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the same on record.

Any other suitable order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case also be passed.

LUCKNOW:

DATED: 21 Nov., 2009

(D.K. UPADHYAYA)
Advocate
**Counsel for the Opp. Party No.4.** / L.D.A.

2125

2039
676

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.**




Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant

...Petitioner

Versus

State of U.P. & others

...Opp. Parties

**AFFIDAVIT**

(On behalf of Lucknow Development Authority)

**I, Mani Prasad Mishra,** aged about 52 years, son of Sri Prabhu Shankar Misra, presently posted as Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

2126

(204)
677

1. That the deponent is presently posted as Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow and is well conversant with the facts deposed to hereunder.

2. That in the instant Public Interest Litigation, this Hon'ble Court has been monitoring various aspects relating to municipal problems, such as sanitation, drinking water, pollution, environment protection etc. Various directions have been issued by this Hon'ble Court from time to time to facilitate the betterment of the city of Lucknow and directions have also been issued to all the agencies responsible for the same.

3. That this Hon'ble Court while hearing the matter on 9.7.2009 , inter alia, observed that so far as solid waste management is concerned, according to Nagar Nigam, steps have been taken and the procedure required for the purpose is being fully adopted. The Chief Standing Counsel was directed to seek instructions to indicate if any report is required from NEERI for the purpose of establishment of park or not. It was stated by the Chief Standing Counsel that construction regarding sanitary land site selected for the solid waste management would be done when the report from NEERI is obtained.

4. That the matter was again taken up on 15.9.09 and it was complained by the counsel for the petitioner that the garbage dumped at the side of the river Gomti has not been removed and instead the same is being used for development of park and a car parking slots

2127 2041 678

It was also reported by the counsel for the petitioner that the garbage has been pushed & away & and some parking is being laid ~~layed~~ by the Public Works Department. The Hon'ble Court directed the Irrigation Department as well as Public Works Department to intimate to the Court about the urgency of making parks and parking slots in absence of report from NEERI.

5. That the matter was again taken up on 17th September 2009 on which date it was informed by the counsel for the Lucknow Development Authority that on the left hand side of Gandhi Setu garbage was never dumped rather it was dumped on the right hand side and further that no work on that area would be undertaken any further till the report from NEERI is obtained. Accordingly, on the said statement the order was passed by the Hon'ble Court. The matter was ordered to come up on 30th October 2009, however on the said date i.e. on 30th October 2009 the Hon'ble Bench could not assemble.

6. That it is submitted that the study on environmental issues related with municipal solid waste dumped on the right side of Gomti River Gandhi Setu was being done by the NEERI on the request of Lucknow Nagar Nigam. The NEERI submitted its report to Lucknow Nagar Nigam on 24th October 2009. The said report by NEERI was sent by Lucknow Nagar Nigam to Lucknow Development Authority vide its letter dated 26th October 2009. A true copy of the said letter

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT, ALLAHABAD

2128 (2042) 679

dated 26.10.09 of the Nagar Nigam and the letter of NEERI alongwith the report dated 24.10.2009 are being annexed herewith as **ANNEXURE NO.A-1 (Colly)** to this affidavit.

7. That the NEERI in its report considered the alternate option of confinement of waste at the site so that river water is protected from surface run off and leachate due to dumped waste which involves closure of dump and provision of retaining wall to arrest surface and subsoil leachate flows towards the river. The NEERI opined that in the existing situation priority should be given to management of the waste already dumped, accordingly it recommended to adopt the following measures:

(1) Initially all the heaps of municipal solid waste scattered at different places should be brought to one place and as far as possible away from the river and towards the road side and should be thoroughly compacted.

(2) Afterwards the waste dump should be closed as per the guidelines specified in Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000. The process broadly involves adoption of following measures:

(i) The whole of the waste mass should be covered by barrier soil layer comprising of 60 cms of clay or amended soils with

COMMISSIONER FOR AFFIDAVITS High Court, ALLAHABAD

2129 (2093) 680

permeability coefficient less than 1 x 10 cm/sec.

(ii) On the top of the barrier soil layer, there should be a drainage layer of thickness 15 cms.

(iii) On the top of the drainage layer shall be a vegetative layer of thickness 45 cms to support plant growth.

(iv) Vegetative layer can be provided at the top

(v) A slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed dump.

(3) A retaining wall should be provided along the periphery covering all the sides and enclosing the closed waste dump.

(4) The retaining wall should be extended to the subsoil strata so that lateral movement of leachate towards the river is prevented. This should be done in consultation and guidance with appropriate experts in the field and regulatory agencies. Hydrological features of the region should also be taken in the consideration.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

8. That after obtaining report from NEERI as provided by this Hon'ble Court in its order dated 9.8.2009

2130

2044
681

15.9.2009 and 17.9.2009 , the garbage which was scattered on the right hand side of river is being shifted at two places and construction of retaining wall as per suggestion of NEERI has also been started. It is further stated that before construction of retaining wall started, the report of NEERI was considered by the officials of Nagar Nigam and LDA on 26.10.2009 and a joint inspection by a team of Nagar Nigam and Lucknow Development Authority officials was also undertaken on 27.10.2009 and it was decided that area be developed in accordance with the suggestions given by NEERI so that Gomti river water be protected from surface run off and leachate due to the waste. It is further submitted that the development of the area is being done in accordance with the NEERI's report which includes construction of retaining wall, covering waste mass by barrier soil layer of clay of 60 cms thickness, construction of a drainage layer of thickness of 15 cms and covering of top of drainage layer with a vegetative layer of thickness of 45 cms to support the plant growth. While developing the area as suggested by the NEERI slope of the final cover would be directed towards other sides of the river i.e. it would not be directed towards river and also a peripheral drain would be provided around the closed dump alongwith retaining wall. It is further stated that retaining wall will be extended to the subsoil strata to check lateral movement of leachate towards river.

High Court, ALLAHABAD

2095
682

2131

9. That it may also be submitted at this juncture that towards both sides of Gandhi Setu, two formal parks will be developed and besides these two formal parks, on the right hand side towards La Martiniere College, informal parks will also be developed. So far as two formal parks are concerned, the same will be absolutely green, with only footpaths. In respect of informal parks it is stated that the same would also be almost green with only one public convenience, some space for parking, footpath and a platform will be developed. The area will be kept green which would not only be helping to maintain the ecology but would also have the effect of checking the pollution.

It is further stated that strengthening and widening of the road (old bundha) leading towards La Martiniere College is also being undertaken. Levelling of the ground with good earth is also going on at both side of Gandhi Setu in open spaces. A true copy of the plan according to which development of the area is being presently done is being annexed herewith as **ANNEXURE NO.A-2**.

Lucknow: Dated 21/11/09

DEPONENT.

**VERIFICATION.**

I, the deponent, named above, do hereby verify that the contents of para nos. 1 of this affidavit are true to my personal knowledge:

(2096)
683
2132

those of Para nos. 2 to 5 of this affidavit are based on information derived from records; those of para nos. ——— of this affidavit are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. SO HELP ME GOD.

LUCKNOW:
DATED, 21/11/ 2009.

**DEPONENT.**

I, identify the deponent who has signed before me.

D.P. Upadhyaya - Adl.

~~Clerk in C.S.C. office~~

Solemnly affirmed before me on 21/11/09 at about 8.30 a.m. by the deponent Sri Mani prasad misra. who has been identified by Sri D.K. Upadhyaya Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood all the contents of this affidavit, which has been read by the deponent before me.

Dinesh Kumar Misra Advocate
Oath Commissioner High Court
Allahabad, Lucknow, Bench
Date 21.11.09 No. 10/1/25

ANNEXURE NO. A-1

2133 (9) 2049 684

6018/1/Vol.

4/11/09

3571/JD/09

5/XI/09

# नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ।

संख्या:- D-703(A)/Adic-A/09

दिनांक:- 26.10.2009

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव
   उ.प्र. शासन, नगर विकास विभाग
2. प्रमुख सचिव
   उ.प्र. शासन, सिंचाई विभाग
3. प्रमुख सचिव
   उ.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग
4. उपाध्यक्ष
   लखनऊ विकास प्राधिकरण
5. प्रबन्ध निदेशक
   उ.प्र. जल निगम

नत्थी

-: विषय :-

रिट पिटीशन संख्या 4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.09 व 17.09.09 के क्रम में National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि सुनवाई की अगली तिथि पर सभी विभागो को मा. उच्च न्यायालय को अनुपालन आख्या से अवगत भी कराना है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

26/10

नगर आयुक्त

COMMISSIONER FOR OATHS

2134 (10) (2048) 685

National Environmental Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur 440 020

Dr. A.N. Vaidya
Scientist & Head
Solid & Hazardous Waste
Management Division

Tele { phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in

SHWMD/HQ/2009
October 24, 2009

To
Mr. S.K. Singh
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam
Lucknow

Subject: **Submission of Inspection Report on Dumped Solid Waste on Gomati River bed near Gandhi Setu**

Ref: **Writ Petition No. 4436(M.B.) of 2003 Sewage Treatment Plant Vs. State of U.P. & Others**

Dear Sir,

This has reference to your letter No. D-688/NA/AMC-A/09 dated 26.09.2009, requesting for a visit to Lucknow and submission of Inspection Report on above mentioned subject. Accordingly, we are submitting the report based on the inspection of Gomati river bed (near Gandhi Setu) by NEERI scientists during Oct. 6-7, 2009.

Kindly acknowledge the receipt of the report.

Yours faithfully,

A.N.Vaidya

(A.N. Vaidya) 24/10/09

Copy to: Registrar,
Lucknow Bench of Allahabad High Court
Lucknow

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

2135 (11) (2049) 486

Inspection Report

# Report on Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow

(Reference: Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003)

Submitted to:

Lucknow Nagar Nigam, Lucknow

National Environmental Engineering Research Institute
(Council of Scientific and Industrial Research)
Nehru Marg, Nagpur - 440 020

October 2009

COMMISSIONER FOR OATHS

2136 (12) 2050 687

## Preamble

A writ petition (No. 4436 (MB) of 2003) filed at Lucknow bench of Hon'ble Allahabad High Court raised the issue of Municipal Solid Waste (MSW) that was then being dumped on the bank of Gomati river, near Gandhi Setu, which concerned the pollution of Gomati river. In response, Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court directed Lucknow Nagar Nigam (LNN) to request National Environment Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur for inspection of the site and submitting a status report on the issue. Accordingly, NEERI team inspected the site during July 8 – 9, 2008 along with officials of concerned governmental organizations and regulatory agencies. Subsequently a status report was submitted to Hon'ble High Court. Subsequent to this, Hon'ble High Court on September 15,2009, again directed LNN to request NEERI for the inspection of the site near Gandhi Setu on Gomati River, where LNN and other concerned Governmental agencies had carried out some developmental work and submit a report by October 30, 2009. Accordingly, NEERI scientists Dr. A.N. Vaidya and Mr. J.K. Bhattacharyya inspected the site during October 6-7, 2009 to review the status of activities. This report elaborates the observations of NEERI on the matter and suggests the future course of action. It also offers the comments on the EIA report submitted by LNN for the proposed sanitary landfill site for Lucknow.

## Background of Earlier Status Report (July, 2008)

The major concern in the earlier inspection and the status report (July, 2008) was the remedial measures for the MSW dumped on the banks of Gomati River near Gandhi Setu, and it did not concern any other developmental activities. The report suggested two alternatives for remediation of the situation. As Lucknow city then did not have and it still does not have a sanitary landfill as per MSW 2000 Rules, confinement of MSW dump was suggested to prevent the pollution of Gomati River. Removal of MSW from the site was another option. However in absence of sanitary landfill, this would have resulted in mere shifting of pollutant

1 J.K. Bhattacharyya A.N. Vaidya

2137 (13) (2057) 688

from one place to another and would have been detrimental to environment as well. NEERI also recommended for construction of a retaining wall along the periphery of the municipal solid waste dump with the help of experts in this field, competent government organization and regulatory authorities for restricting the lateral movement of leachate towards the river.

In addition to the above status report, NEERI agreed to assist in site selection for sanitary landfill. It was also presumed that necessary clearances would be obtained from various governmental organizations for this purpose. With this background, the visit was undertaken by NEERI scientists in October 2009.

**Report on the Existing Status (October 2009)**

As mentioned earlier, a team of NEERI scientists including Dr. A.N. Vaidya and Mr. J.K. Bhattacharyya visited concerned site during October 6-7, 2009 to review the status of the activities as directed by the Hon'ble High Court. The other officials present during the visit were as follows.

1. Mr. Shailesh Kumar Singh, Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam
2. Mr. A.C. Sinha, Additional. Municipal Commissioner, Lucknow Nagar Nigam
3. Mr. R.K. Tiwari, J.E., Regional Office of U.P. Pollution Control Board, Lucknow
4. Mr. P. Joshia, A.E., Irrigation Department, Luckow
5. Mr. S. Kumar, A.E.(V), PD, PWD, Lucknow
6. Mr. R.K. Shukla, E.E., Lucknow Development Authority, Lucknow
7. Mr. K.K. Kharbanda, S.R.E., Unit 6, C&D.S., U.P. Jal Nigam, Lucknow
8. Mr. A.P. Yadav, P.M. Unit 6, C&D.S. U.P. Jal Nigam, Lucknow
9. Mr. S.R. Verma, J.E. PD, PWD, Lucknow
10. Mr. M.N. Khan, E.E., PD, PWD, Lucknow
11. Mr. S.K. Jain, C.E. Lucknow Nagar Nigam

A.N. Vaidya J.K. Bhattacharyya

2138 (14) 2052 689

Observations

The major observations pertaining to the site near Gandhi Setu on Gomati River are as follows.

- The concerned municipal solid waste dump has been shifted to the adjacent vacant space and the void has been partly filled up with the demolition waste (Photograph No. 1 and 2). It was reported that the demolition waste was dumped for the purpose of developing parking place.

- A few small heaps of municipal solid wastes are lying scattered at different places. (Photograph No. 3 and 4)

- An embankment, referred as Bundha, has been constructed along right bank of the Gomati River from Gandhi Setu to La Martenelere bund (Photograph 5). It was reported that the embankment would act as a protective barrier in flooding situation as well as it would protect the river water from surface run off of the surrounding area. It was also reported that the work has been undertaken by irrigation department for land reclamation in the area.

Comments/Recommendation

**Management of the MSW Dump**

In the earlier inspection report, two options were suggested for the management of MSW dump and protection of Gomati River water. One option was removal of dumped MSW and disposal in a sanitary landfill constructed as per the guidelines specified in the Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000. However, at present, no sanitary landfill is available at Lucknow. Hence, dumped waste cannot be scientifically disposed of on permanent basis. Alternate option was confinement of waste in a scientific way at the site so that river water is protected from surface run off and leachate due to dumped waste. This involves closure of the dump as per MSW 2000 Rules and provision of retaining wall to arrest surface and subsoil leachate flows towards the river.

2139 (15) (2053) 690

In the existing situation, priority should be given to the management of the MSW already dumped. Considering the non-availability of sanitary landfill, the confinement of the waste in a scientific manner is of urgent necessity. For confinement of waste, the following measures are suggested:

- Initially all the heaps of municipal solid waste scattered at different places should be brought to one place and as far as possible away from the river and towards the road side and should be thoroughly compacted.
- Afterwards the waste dump should be closed as per the guidelines specified in Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000. The process broadly involves adoption of following measures.

  i. The whole of the waste mass should be covered by barrier soil layer comprising of 60 cms of clay or amended soils with permeability coefficient less than $1 \times 10^{-7}$ cm/sec.

  ii. On the top of the barrier soil layer, there should be a drainage layer of thickness 15 cms.

  iii. On the top of the drainage layer shall be a vegetative layer of thickness 45 cms to support plant growth.

  iv. Vegetative layer can be provided at the top

  v. A slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed dump.

- A retaining wall should be provided along the periphery covering all the sides and enclosing the closed waste dump.
- The retaining wall should be extended to the subsoil strata so that lateral movement of leachate towards the river is prevented. This should be done in consultation and guidance with appropriate experts in the field and regulatory agencies. Hydrological features of the region should also be taken in the consideration. A.M. Vaidya J. K. Bhattacharyya

2140 (16) (2054) 691

## Developmental Activity and Related Construction

It was reported that a park and parking area are to be developed in the area near the river where the MSW is dumped. As such any urban or commercial construction should not be allowed on the river bed and within 100 m distance from the river bed appropriately determined by high flood water line, from environmental point of view. Hence, prior to commencement of any construction and developmental activity, all the concerned government organizations should ensure that the proposed constructions/development will be beyond flood plane area and satisfy the necessary norms considering high flood line of the river in that area. In addition it is suggested that no commercial or residential activities should be allowed on such a reclaimed area.

## Development of Sanitary Landfill

Activities have been initiated by LNN for developing sanitary landfill for Lucknow. A land has been identified near Dasheri village for this purpose. Environment Impact Assessment of the proposed sanitary landfill and compost plant has been conducted. A report of the EIA studies has been sent to NEERI for reviewing. It is observed that although the report addresses various aspects of municipal solid waste management as per MSW 2000 rules, it needs revision considering following points.

- It has been reported that landfill site is located at a distance of 100 m from Daseri village. Approach road of the landfill should not pass through the village
- A buffer zone should be created around the landfill. Any development in the buffer zone is prohibited.
- It has been reported that a high tension electric line is passing at a distance of 150 m from the project site. Land fill should be developed keeping away high tension line and adopting necessary safety norms.

A.N. Vaidya  J. K. Bhattacharyya

2141 (17) (2019) 692

- Greenbelt should be developed around the landfill site in such a way so that environmental and aesthetic quality of the nearby village are also taken care.

- It is desirable that mango garden located near the site should not be destroyed during construction of sanitary landfill

- On pages 61 to 63, description of the text, title of the Tables (4.10 to 4.13), and contents of the Table are not matching. This needs to be checked and properly incorporated.

- Ambient air quality monitoring locations (Table 4.4, Page 57) do not comply with location indicated in Fig. 4.6 (page 59). Moreover, there is only one sampling point in the downwind direction as indicated in Table 4.4 and Fig. 4.6 which is inadequate.

- On Page 76, Table 4.18 is referred in the text as results of ground water analysis. In the title of Table 4.18, however, the results have been indicated as surface water quality data.

- On page 72, in the description of ground water analysis, Tables 4.16 a), to 4.16 c) are mentioned. These tables are missing in the report.

- In the sub-chapter titled "land use" (4.12, page 88), land use pattern for whole of Lucknow city has been indicated. It is necessary to indicate the land use pattern of the project site and surrounding area.

- In the sub-chapter socio-economic scenario, (4.13.1, page 93-94), there is no mention of data on health scenario, diseases pattern in the project site and the surrounding area.

- On page 94 (4.13.2), total population of study area (10 km radius) has been reported to be 76326 which should be rechecked.

Awaidya Jyotiacharya



COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

2142 (18) 2056 693

It is also suggested that the necessary steps like public hearing, clearance of EIA report from statutory bodies etc. should be followed prior to commencement of construction of sanitary landfill and compost plant.

A Wardha J.K. Bhattacharya

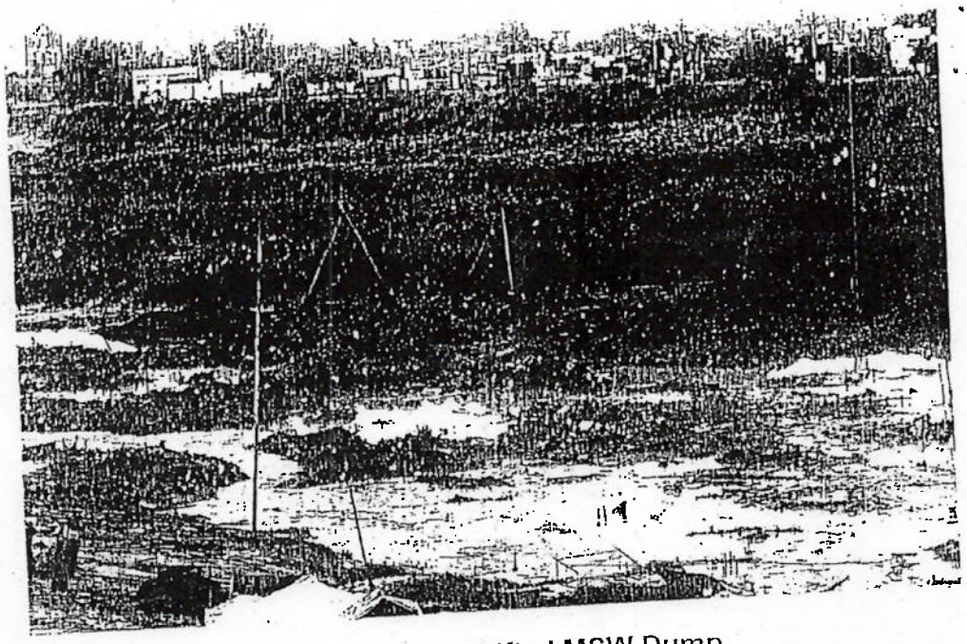
7

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

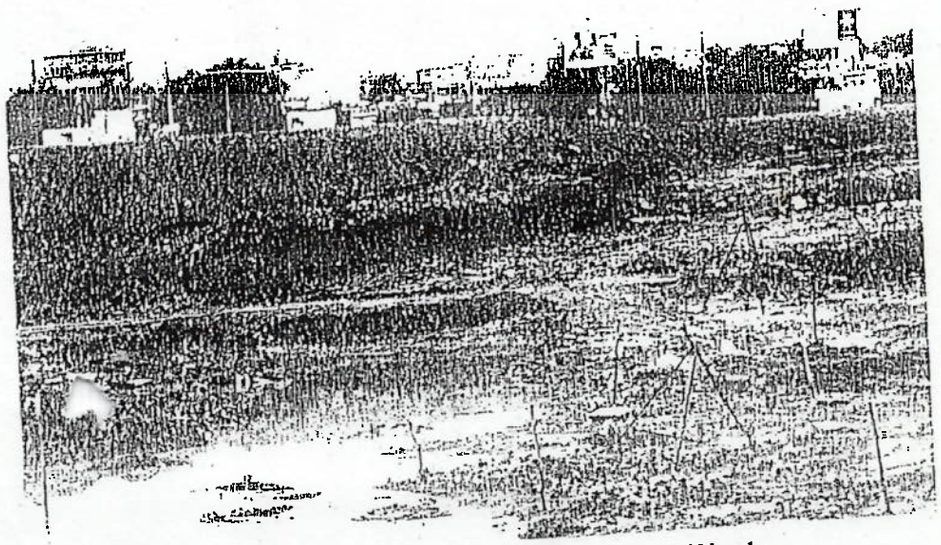
2143

(19)

2057
694



Photograph 1: Shifted MSW Dump



Photograph 2: Dumped Demolition Waste

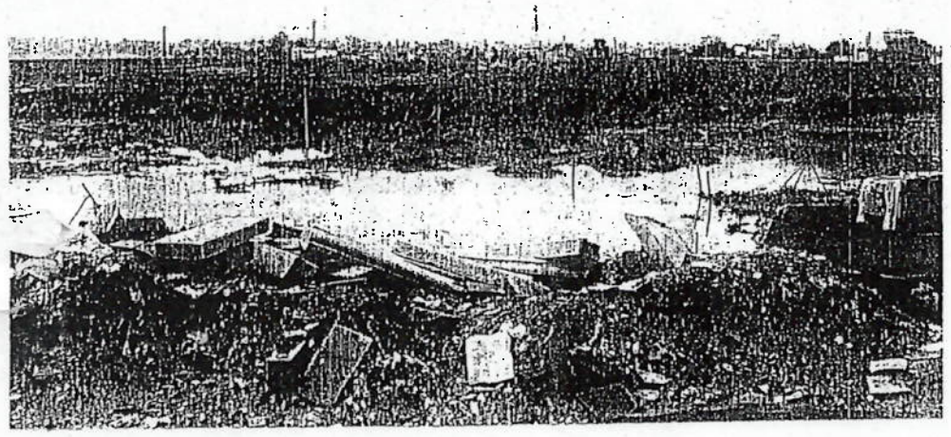


COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

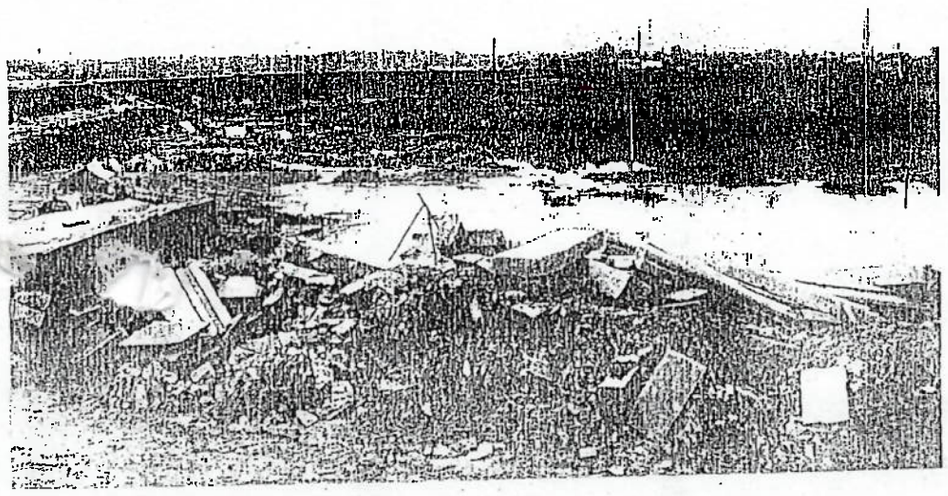
2144

20

2058
695



Photograph 3: Scattered Municipal Solid Waste

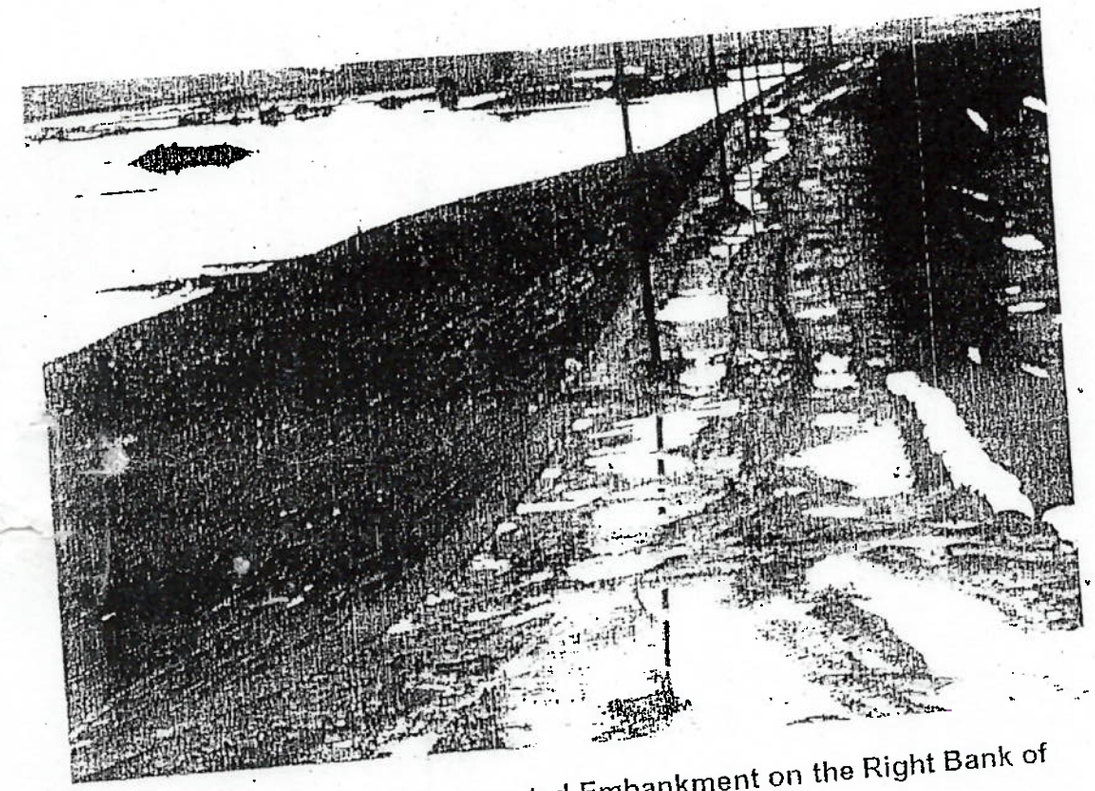


Photograph 4: Scattered Municipal Solid Waste

A Waidya

J. K. Bhattacharyya

2145 2059 2019 696 (21)

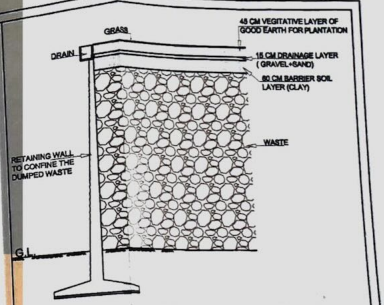


Photograph 5: Newly Constructed Embankment on the Right Bank of Gomati River

ANNEXURE NO A-2

22 697

2146




THE DETAIL OF RETAINING WALL AND OTHER PROTECTIVE WORKS AS PER REPORT OF NEERI




FORMAL AND INFORMAL PARKS

2147 (2064) 698

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD**

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

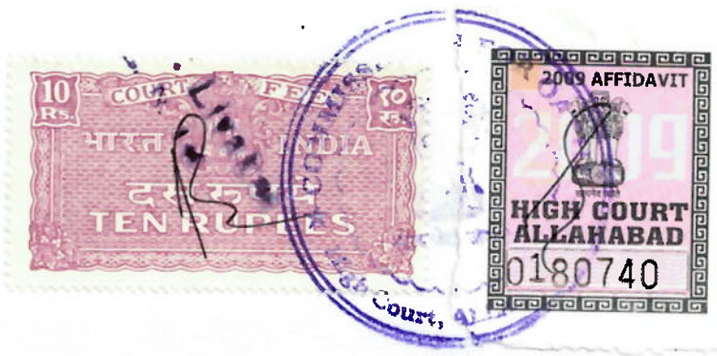
Date : 23/11/2009

**(I.P. Singh)**
Advocate,
Counsel for Deponent

2148 (2012) 699

**IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**
**SITTING AT LUCKNOW.**

W/P No. 4436 (M/B)/2003




Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 15-09-2009 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM**

I, Prem Kumar Assudani, aged about 52 years, son of Sri H.M. Assudani presently posted as Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, UP. Jal Nigam, Lucknow and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.




2. That on 15-09-2009 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to furnish a progress

report for the establishment of sewage treatment plant, pumping stations and supply of water.

3. That it is submitted that UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal.

4. It is further submitted that Jal Nigam is preparing detailed project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

5. That for Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. The Ministry of Urban Development, Govt. of India has sanctioned the DPR of Sewerage District-III Part-I for an amount of Rs. 262.16 Crore in the meeting of C.S.M.C. dated 21.11.2008 and Sewerage District-III Part-II for an amount of Rs. 214.43 Crore in the meeting dated 29.12.2008.




6. That the detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is being annexed as **ANNEXURE NO.I** to this affidavit.

7. That the Government of India/ U.P. Government has released Rs. 118.15 Crore upto 26.10.2009 against detailed project report of Sewerage District-I (amounting to Rs.236.23 crore),

2150 2064-701

out of which Nagar Nigam has released an amount of Rs.109.25 Crores to U.P. Jal Nigam. The Govt. of India has released Rs. 32.77 Crore for Sewerage District-III Part-I on dated 16.12.2008 and Rs. 26.18 Crore for Sewerage District-III Part-II. The State Govt. has released Rs.29.49 Crore and Rs. 24.13 Crore has been released to U.P. Jal Nigam for Sewerage District-II Part-I and Part-II respectively. The financial bid for Sewerage District-III Part-I has been rejected due to higher rates and the process of re-tendering is in progress. The financial bid for Sewerage District-III Part-II has been finalized and the agreement process is in progress.

8. That the sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant appurtenant works. 22.00 Km of sewer line has been laid from 31.08.2009 to 20.11.2009 and the progress of total laid sewer line upto 20.11.2009 is 210 Km. 60% work of sewage pumping station and 72% work of Sewage Treatment Plant has been completed. An expenditure of Rs. 107.50 Crore has been made upto 30.09.2009 against release of Rs. 109.250 Crore. A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **ANNEXURE NO. II** to this affidavit.

9. That so far concrete steps in regard to progress of Sewage Treatment Plant is concerned, it is submitted that the construction of 345 mld STP is going on in full swing and 72% of work has been completed till date. The progress of different component of 345 mld STP is annexed as **ANNEXURE NO.III** to this affidavit.

10. It is further submitted that the laying of 2100 mm and 1800 mm dia rising main is in progress and 1600 m rising main has

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

23/11

2151 ~~2065~~ 702

been laid since 31.08.2009. The detailed upto date chart showing work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II has been prepared and is annexed as **ANNEXURE NO. IV & ANNEXURE NO. V** to this affidavit.

11. That so far installation of new tube wells under JNNURM is concerned out of 40 new tube wells, works of all the 40 new tube wells has been completed and commissioned. In addition to this, installation of 21 tube wells under five piped water supply schemes, the work of 12 tube wells has been completed and commissioned and the commissioning work of 6 tube wells is in progress. The works of remaining 3 tube wells can not be started due to land dispute. A photocopy of the chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

12. That it is submitted that so far installation of new handpumps under normal programme in the year 09-10 is concerned, the work of all the 75 handpumps have been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

13. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells under JNNURM is concerned, the work of all 43 rebore tube wells has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

14. That it is submitted that target of re-boring / special repair of 140 handpumps was fixed under District Plan (urban) 2009-10. Out of which all the 140 re-boring / special repair has been completed. A photo copy of progress chart is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

15. That it is further submitted that in addition to JNNURM, UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State

COMMISSIONER FOR OATHS ★ High Court, ALLAHABAD

23/1

A2

2152 2006 703

Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for all the 5 tube wells have been completed. Out of proposed 39 rebore tube wells, all the 39 tube wells have been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **ANNEXURE NO. VI** to this affidavit.

16. That so far concrete steps in regard to progress of IIIrd Water Works is concerned, 8 Hectare land near Katautha Jheel has been acquired for third water works and the works for boundary wall has been completed. Irrigation Department has agreed to provide 100 cusec Raw Water from Sharda Canal for IIIrd Water Works, the formal order is yet to be received from Irrigation Department. The works for water treatment plant, 10 Nos. underground water storage tank, clear water feeder main, development of intake works and dredging, development and beautification works of Katautha Jheel are in progress. Overall upto date progress of various component of IIIrd Water Works is about 42%. A photocopy of the chart showing progress of different components of IIIrd Water Works and brief note on IIIrd Water Works is being annexed as **ANNEXURE NO. VII & ANNEXURE NO. VIII** to this affidavit.

17. That it is submitted that financial progress of water supply schemes is annexed as **ANNEXURE NO. IX** to this affidavit.

23/11/09

Place : Lucknow

Date : 23.11.2009

Deponent

2153 ~~1067~~ 704

## Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 12 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has been concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 23.11.2009

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 23/11/09 at 10:55 a.m./p.m. by Shri P.C. Asthana who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

23/11/09

Sanjay Kumar Singh
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
Date.....

OATH COMMISSIONER

1 No 740 23/11/09

# जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना के मुख्य बिन्दु

दिनांक 20.11.2009 तक

ANNEXURE-I

| क्र.सं. | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु. में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत) | चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र | 287335 | 448634 | 565069 | 36 | 55 | 70 | 229.55 | 236.23 | 7988.93 | 4062.34 | 8221.35 | 4180.52 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी. बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम. एल.डी.। | निर्माणाधीन |
| 2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II | अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र | 225975 | 442125 | 884500 | 28 | 54 | 108 | 489.98 | -- | 21682.93 | 5539.63 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>राइजिंग मेन - 50 मीटर<br>एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| 3.1 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट - I) | गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र | 709558 | 1130121 | 1765143 | 87 | 138 | 216 | 276.03 | 308.80 | 3890.16 | 1563.80 | 4351.96 | 1749.41 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी<br>राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.08 को रु. 262.16 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 45.878 करोड़ आवंटित। जल निगम को रु. 29.49 करोड़ प्राप्त। निविदा अधिक दर प्राप्त होने के कारण अस्वीकृत, पुनः निविदा की कार्यवही प्रगति पर। |

ANNEXURE-I

| क्र.सं. | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट | आच्छादित क्षेत्र | परिकल्पित जनसंख्या | | | उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन) | | | अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में) | | प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में) | | प्रस्तावित मुख्य कार्य | एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2025 | 2040 | 2010 | 2025 | 2040 | सी.डी.पी. के अनुसार | डी.पी.आर के अनुसार | 2010 | 2040 | 2010 | 2040 | | | |
| 3.2 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III ( पार्ट-II ) | गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र | 465860 | 716805 | 1058143 | 57 | 88 | 130 | 165.03 | 244.03 | 3542.48 | 1558.15 | 5238.27 | 2304.03 | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी<br>राइजिंगमेन - 3375 मी.<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग<br>एस.टी.पी. - नही<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है | भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.08 को रु. 214.43 करोड़ के लिए स्वीकृत। प्रथम चरण हेतु रु. 37.534 करोड़ आवंटित। जल निगम को रु. 24.13 करोड़ प्राप्त। निविदा का कार्य पूर्ण। कार्य शीघ्र प्रारम्भ। |
| 4 | सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV | शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि | 1114272 | 1505315 | 2148145 | 136 | 184 | 263 | 955.08 | -- | 8571.34 | 4446.07 | | | ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी<br>सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग<br>एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग<br>विविध कार्य - जाब | ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.) | विरचन अन्तर्गत |
| **TOTAL** | | | **2803000** | **4243000** | **6422000** | **344** | **519** | **787** | **2115.67** | | **7547.88** | **3294.41** | | | | **787 MLD** | |

d:aks/NURM.xls sh7

परियोजना प्रबन्धक (अस्थाई)

ANNEXURE - II

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.09.2009 को सूचित कुल प्रगति | दिनांक 20.11.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 15.9.2009 को सूचित प्रगति से 20.11.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज | 289 कि.मी. | 156.00 कि.मी. | 175.00 कि.मी. | 19.00 कि.मी. | |
| 2 | ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.) | 48 कि.मी. | 32.00 कि.मी. | 35.00 कि.मी. | 3.00 कि.मी. | |
| 3 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.) | 1 नग | 53% | 60% | 7% | |
| 4 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.) | 1 नग | 64% | 72% | 8% | |
| 5 | राइजिंग मेन - 1000 एम.एम. | 45 मीटर | -- | -- | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़) | 263.04 | | | | |
| 2. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 96.670 | 107.500 | 10.830 | |
| | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 109.250 | 109.250 | 0.000 | |

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 22.4.2008 को निर्गत की गयी। दिनांक 13.10.08 को रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त तथा 5.12.2008 को रु. 5.34 करोड़ की चतुर्थ किश्त तथा 10.02.2009 को रु. 7.48 करोड़ की पंचम किश्त तथा 20.03.2009 को रु.24.77 करोड़ तथा रु. 19.77 करोड़ की किश्त दिनांक 2.4.2009 को निर्गत की गयी। (रु. 15.22 करोड़ नगर निगम द्वारा सड़क पुर्ननिर्माण में रोका गया है, वह भी इसमें सम्मिलित है।)
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 262.16 करोड़) की योजना दिनांक 21.11.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 65.54 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 29.49 करोड़। अधिक दर के कारण प्राप्त वित्तीय निविदायें अस्वीकृत। पुनः निविदायें आमंत्रित।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 214.43 करोड़) की योजना दिनांक 29.12.2008 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा रु. 53.62 करोड़ अवमुक्त। जल निगम को प्राप्त धनराशि - रु. 24.13 करोड़। वित्तीय निविदा स्वीकृत। शीघ्र कार्य प्रारम्भ।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
अस्थाई गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE - II

2157 (2011) 708

# ANNEXURE - III

## 345 एम.एल.डी. क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) कार्य के विभिन्न अवयवो का प्रगति विवरण

| क्र.सं. | कार्य घटक | वास्तविक अद्यतन प्रगति (20.11.2009) |
|---|---|---|
| 1. | प्री-ट्रीटमेन्ट यूनिट्स | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, कालम कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 35 प्रतिशत पूर्ण। |
| 2. | यू.ए.एस.बी. रियेक्टर | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण, अन्य कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण। |
| 3. | प्री-एरेशन टैंक - 3 नग | फाउन्डेशन कार्य पूर्ण, वॉल कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण |
| 4. | पालिशिंग पाण्ड ऐरेशन जोन- 140 मीटर x 140 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 5. | फाइनल पालिशिंग पाण्ड 140 मीटर x 550 मीटर | खुदाई कार्य पूर्ण, लाइनिंग कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 6. | स्लज ड्राईंग बेड (106 नग) | 70 प्रतिशत पूर्ण। |
| 7. | स्टाफ क्वार्टर 15 नग | 80 प्रतिशत पूर्ण। |
| 8. | एडमिनस्ट्रैटिव ब्लाक 1 नग | 75 प्रतिशत पूर्ण। |
| 9. | वर्कशाप बिल्डिंग | 75 प्रतिशत पूर्ण। |
| 10. | फाइनल एफ्लुऐन्ट सीवर 2400 एम. एम. साइज - 1500 मीटर | 50 मीटर पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण । |
| 11. | गैस होल्डर्स - 3 नग | राफ्ट कार्य पूर्ण। वाल का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। |
| 12. | स्लज पम्प हाउस | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। वाल कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण। |
| 13. | क्लोरीन कान्टैक्ट टैंक | फाउन्डेशन कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। वाल कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण। |
| 14. | विद्युत यांत्रिक कार्य | फर्म द्वारा सप्लाई आदेश का कार्य पूर्ण। |
| 15. | कार्य की ओवर आल प्रगति | 72 प्रतिशत पूर्ण। |

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-।
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

22/11

ANNEXURE - IV

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती ण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
### गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.09.2009 को सूचित कुल प्रगति | दिनांक 20.11.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 15.9.2009 को सूचित प्रगति से 20.11.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग | 6 नग | 5 नग + 1 नग (80%) | 5 नग + 1 नग (80%) | -- | कुकरैल नाले का कार्य |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 6 नग | 6 नग | 5 नग पूर्ण, 1 नग (65%) | 5 नग पूर्ण, 1 नग (70%) | 1 नग (5%) | कुकरैल नाले का कार्य |
| 3 | राइजिंग मेन - 7525 मीटर | 7525 मीटर | 5830 मीटर | 6030 मीटर | 220 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 20 मीटर | 20 मीटर | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 4 नग | 4 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 6 | जेनसेट - 8 नग | 8 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 7 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 8 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 1 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 9 | पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग | 25 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 10 | विद्युत संयोजन - 6 नग | 6 नग | पूर्ण | पूर्ण | -- | |
| 11 | विविध कार्य - जाब | 100% | 64% | 64% | 4% | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 44.75 / 48.62 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 41.105 | 41.267 | 0.162 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 41.650 | 41.650 | 0.000 | |

**नोट :** कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी। अब कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE - II

ANNEXURE - V

## कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

### माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2009 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

### गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

| क्र.सं. | कार्य | प्रस्तावित कार्य | दि. 15.09.2009 को सूचित कुल प्रगति | दिनांक 20.11.2009 तक कुल प्रगति | दिनांक 15.9.2009 को सूचित प्रगति से 20.11.2009 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (अ) | **भौतिक प्रगति** | | | | | |
| 1 | आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग | 18 नग | 17नग 95%+ 1 नग 65% | 17नग 95%+ 1 नग 65% | 1 नग 15% | |
| 2 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग | 11 नग | 10 नग 95%+1 नग 55% | 10 नग 95%+1 नग 60% | 1 नग 5% | |
| 3 | राइजिंग मेन - 18955 मीटर | 18955 मीटर | 9484 मीटर | 11084 मीटर | 1600 मीटर | |
| 4 | सीवर लाइन - 6092 मीटर | 6092 मीटर | 3460 मीटर | 3460 मीटर | -- | |
| 5 | स्टाफ क्वार्टर - 11 नग | 11 नग | 90% | 90% | -- | |
| 6 | जेनसेट - 25 नग | 25 नग | 100% | 100% | -- | |
| 7 | मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग | 1 नग | 82% | 85% | 3% | |
| 8 | सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग | 3 नग | 1 नग 65% | 1 नग 72% | 1 नग 7% | शेष 2 नग का कार्य नहीं होना है। |
| 9 | सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग | 7 नग | 6 नग 100%+1 नग 90% | 6 नग 100%+1 नग 90% | -- | |
| 10 | नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग | 5 नग | 5 नग 100% | 5 नग 100% | -- | |
| 11 | शौचालय का निर्माण - 21 नग | 21 नग | 6 नग | 6 नग | -- | शेष के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 12 | वनीकरण - जाब | 80% | 30% | 40% | 10% | |
| 13 | जनजागरण - जाब | 80% | 15% | 20% | 5% | |
| 14 | भूमि अधिग्रहण - जाब | 100% | 100% | 100% | -- | |
| 15 | पम्पिंग प्लान्ट - जाब | 58 नग | 95% | 95% | -- | |
| 16 | विद्युत संयोजन - जाब | 100% | 70% | 70% | -- | |
| 17 | विविध कार्य - जाब | 100% | 45% | 45% | -- | |
| (ब) | **वित्तीय प्रगति** | | | | | |
| | स्वीकृत परिव्यय (रु.करोड़) | 263.04/417.64 | | | | |
| 1. | वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़) | | 223.361 | 250.03 | 26.669 | |
| 2. | प्राप्त धन (रु. करोड़) | | 252.035 | 293.06 | 41.025 | |

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE-V

संलग्नक - 6

## लखनऊ नगर में पेयजल सुधार हेतु किये गये कार्यों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | प्रस्तावित कार्य | 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 से 20.11.09 तक कुल प्रगति | 20.11.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम** | | | | | |
| 1. | नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे) | 40 नग | 40 नग चालू। | - | 40 नग चालू। | |
| 2. | विभिन्न पाँच पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत | | | | | |
| 2.1 | नये नलकूप | 21 नग | 10 नग चालू, 7 नग प्रगति पर। | 2 नग चालू | 12 नग चालू, 6 नग प्रगति पर। | 3 कार्यस्थल विवादित |
| 2.2 | रिबोर नलकूप | 1 नग | 1 नग चालू। | - | 1 नग चालू। | |
| 3. | रिबोर नलकूप | 43 नग | 43 नग चालू। | - | 43 नग चालू। | |
| 4. | वितरण प्रणाली | 133.31 कि.मी. | 109.88 कि.मी. | 3.722 कि.मी. | 113.602 कि.मी. | 28.38 कि.मी. कमीशन्ड, 25.00 कि.मी. की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर |
| 5. | राइजिंग मेन | 14.40 कि.मी. | 50 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 7 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | 2 नग नलकूपों की राइजिंग में पूर्ण एवं चालू। | 52 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर। | |
| | **सामान्य कार्यक्रम** | | | | | |
| 1. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 409 नग | 409 नग | - | 409 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 1230 नग | 1230 नग | - | 1230 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध नये हैण्डपम्प | 75 नग | 75 नग | - | 75 नग | |
| 2. | वर्ष 2007-08 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 670 नग | 670 नग | - | 670 नग | |
| | वर्ष 2008-09 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 153 नग | 153 नग | - | 153 नग | |
| | वर्ष 2009-10 के विरूद्ध विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प | 140 नग | 140 नग | - | 140 नग | |
| 3. | नये नलकूप | 5 नग | 5 नग चालू। | - | 5 नग चालू। | |
| 4. | रिबोर नलकूप | 39 नग | 39 नग। | - | 39 नग। | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)



ANNEXURE- VI

# जनहित याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 पर दिनांक 15.09.2009 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में आख्या

## (पेयजल)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1, स्वीकृत लागत रू. 388.61 करोड़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन तृतीय जलकल गोमतीनगर(अनुमानित लागत रू0 172.93 करोड़) से गोमती नदी के पार स्थित गोमती नगर, इन्दिरा नगर एवं उससे सटी हुई अन्य आवासीय कालोनियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। जलकल हेतु शारदा सहायक फीडर कैनाल से कच्चा जल सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है जिस हेतु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये रू0 19.01 करोड़ के प्राक्कलन के विरूद्ध सिंचाई विभाग को रू0 10.00 करोड़ दे दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त इनटेक साइट पर पोषक नहर की सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वाल एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के निर्माण हेतु रू0 1.00 करोड़ की धनराशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी गई है।

तृतीय जलकल का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। तृतीय जलकल के कार्यों के अन्तर्गत क्लैरीफ्लोकुलेटर, भूमिगत जलाशय, फिल्टर हाउस, केमिकल हाउस/लेबोरेट्री, रि-सर्कुलेशन टैंक के अतिरिक्त प्रशासनिक व आवासीय भवन आदि एवं जोनल रिजरवायर तथा क्लीयर वाटर फीडरमेन बिछाये जाने तथा चिनहट झील की ड्रेजिंग व विकास आदि का कार्य प्रगति पर है तथा शारदा सहायक इनटेक साइट से ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक प्रस्तावित रॉ-वाटर राइजिंग मेन बिछाये जाने का कार्य भी प्रगति पर है। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की लाइनिंग आदि का कार्य भी प्रगति पर है। वर्तमान तक कुल लगभग 42 प्रतिशत् कार्य पूर्ण हो गया है।

उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गतं ही लखनऊ नगर के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 40 नग नये नलकूप एवं 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना में सम्मिलित पांच पाइप पेयजल योजनाओं में 21 नग नये एवं 01 नग रिबोर नलकूपों का कार्य भी प्रस्तावित है। योजना में सम्मिलित 40 नग नलकूपों के सापेक्ष 40 नग नलकूपों को राइजिंग मेन बिछाकर चालू करते हुए 40 एम0एल0डी0 पेयजल की वृद्धि की गई है तथा 43 नग रिबोर नलकूपों को भी चालू कर 43 एम0एल0डी0 पेयजल की वृद्धि कर दी गई है।

योजना में सम्मिलित 21 नग नये नलकूपों एवं 1 नग रिबोर नलकूप के सापेक्ष 12 नग नये नलकूपों तथा 1 नग रिबोर नलकूप को चालू करते हुए 13 एम0एल0डी0 पेयजल की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त 6 नग नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है परन्तु अन्य तत्सम्बन्धित कार्य प्रगति में होने के कारण अभी इससे जलापूर्ति नहीं की जा रही है। 3 नग नलकूपों हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण नलकूप निर्माण नहीं हो सका है।

पेयजल योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 5 नग नये नलकूपों एवं 39 नग रिबोर नलकूपों के सापेक्ष समस्त 44 नग नलकूपों को चालू किया जा चुका है।

लखनऊ नगर में नगरीय पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के विरूद्ध 409 नग नये हैण्डपम्प एवं 670 नग हैण्डपम्पों को रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किया जाना प्रस्तावित था। उक्त के विरूद्ध समस्त 409 नग नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य किया जा चुका है एवं 670 नग हैण्डपम्पों को रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-09 के विरूद्ध 1230 नग नये इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प तथा 153 नग खराब हैण्डपम्पों को विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष समस्त 1230 नग नये तथा 153 नग खराब हैण्डपम्पों को विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किया जा चुका है। वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित 140 नग विशेष मरम्मत वाले हैण्डपम्पों के सापेक्ष समस्त 140 नग हैण्डपम्प चालू कर दिये गये हैं तथा प्रस्तावित 75 नग नये हैण्डपम्प के सापेक्ष समस्त 75 नग नये हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं।

20/11/09

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

20/11/09

महाप्रबन्धक(पेयजल)

22/11

2162 713

# THE MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF WATER SUPPLY TILL 20.11.09

1- **UNDER JNNURM PROGRAMME :**

- **Construction of New Tube Wells against 40 Tube Wells** : 40 Tube Wells Commissioned.
- **Construction of Tube Wells under Five piped water supply schemes.** :
- **New Tube Wells - 21 Nos.** 12 Tube Wells Commissioned, 6 under Progress & 3 site disputed.
- **Rebore Tube Wells - 1 No.** Commissioned.
- **Construction of Rebore Tube Wells against 43 Rebore Tube Wells** : 43 Tube Wells Commissioned.
- **Distribution System** : 113.602 Km. Laid, 28.38 Km. Commissioned.
- **Rising Main** : Rising Main of 52 Tube Wells laid and Commissioned. Rising Main of 6 Tube Wells under Progress.
- **Over Head Tank** : Construction of 4 Over Head Tanks in Progress & work for one (5th)OHT started.
- **C.W.R.** : Construction of 5 CWR's in Progress.
- **Third Water Works** : Construction of Boundary Wall, Inlet Chamber, Inlet Channel, clarriflocculators, C.W.R. cum sump & pump house, filter house, re-circulation tank, chemical house, administrative block and residential quarters of WTP under progress. Laying of feeder main is also under progress, 17.17 Km. laid. Construction of 10 Nos. Zonal C.W.Rs. under progress. Dredging & development of Chinhat lake and aying of raw water rising main also under progress. Fund of Rs. 11.00 Crore has been paid to Irrigation Department for Construction of Head Works, lining of canals and retaining wall at intake site etc. Lining of canals also under progress.

2- **UNDER WATER SUPPLY NORMAL PROGRAMME :**

- **New Hand Pumps** :
- **Against 2007-08** Work of all proposed 409 New India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2008-09** Work of all proposed 1230 New India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2009-10** Work of all proposed 75 New India Mark-II Hand Pump completed.
- **Rebore/Special Repair Hand Pumps** :
- **Against 2007-08** Works of all 670 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2008-09** Works of all 153 Rebored/Repaired. India Mark-II Hand Pump completed.
- **Against 2009-10** Out of 140 targetted Hand pumps, all 140 Hand pumps are commissioned by reboring/special repair.
- **Construction of New Tube well under Normal Programme** : 5 Tube wells commissioned.
- **Construction of Rebore Tube well under Normal Programme** : 39 Tube wells commissioned.

**Project Manager**
Peyjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow

COMMISSIONER OF OATHS ALLAHABAD

2163 2072 714

ANNEXURE - VII

# DESCRIPTION OF WORKS RELATED TO III[rd] WATER WORKS

| S. No. | Description of Work | Cost | | Total | Present Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Civil | E/M | | |
| 1- | Canal lining & head works. | 1901.00 | - | **1901.00** | Work is under execution by Irrigation Department. Rs. 1000.00 Lacs has been given to Irrigation Department against Rs. 1901.00 Lacs |
| 2- | Intake and pre-settling units. | 30.75 | 1693.68 | **1724.43** | Civil works awarded. Rs. 100.00 Lacs has been given to Irrigation Department for the construction of retaining wall for the safety of feeder canal & related works. Felling of trees at proposed site has got done by Forest Department. Work of construction of pre-settling units started. |
| 3- | Treatment Plant-80 mld and intake well at Chinhat lake. | 1239.81 | 2017.67 | **3257.48** | Work is under progress. Approx-42% work completed. |
| 4- | Raw water rising main | 2254.52 | - | **2254.52** | Work under progress. |
| 5- | Dredging & development of Chinhat lake. | 2403.86 | - | **2403.86** | Work in progress. Approx-42% work completed. |
| 6- | Clear water feeder main | 2892.65 | - | **2892.65** | Work in progress. 17.17 Km. line laid out of 27.424 Km. |
| 7- | Rising main to fill the existing over head tank from proposed C.W.Rs. & construction of C.W.Rs. | 1538.72 | 788.95 | **2327.67** | Construction of 10 nos. C.W.Rs. is under progress. Work for rising main awarded. |
| 8- | Construction of office building, boundary wall etc. | 531.44 | - | **531.44** | Construction of boundary wall completed. Remaining works are under progress. |
| | **G.Total** | **12792.75** | **4500.30** | **17293.05** | |

29/11

**Project Manager,**
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

COMMISSIONER FOR OATHS

29/11

ANNEXURE-VIII

# BRIEF NOTE ON PROGRESS OF THIRD WATER WORKS AT GOMTI NAGAR SANCTIONED UNDER JNNURM

Work of costruction of III[rd] Water Works is included in the project of Lucknow Water Supply Scheme, Phase-I, Part-I sanctioned cost Rs. 388.61 Crore, sanctioned by GoI under JNNURM. Cost of III[rd] Water Works & related works included in above project is Rs. 172.93 Crore.

8.00 hectare land near Kathauta lake is available for III[rd] Water Works. Source of raw water is Sharda Sahayak Feeder Canal near Moradabad Distributory. Irrigation Department has already agreed to provide 100 cusecs of raw water but formal G.O. has to be issued. To provide raw water from Sharda Sahayak a proposal of Rs. 19.01 Crore of Irrigation Department for the lining of different canals and construction of head works etc. is included in the sanctioned project and out of which Rs. 10.00 Crore has already been released to Irrigation Department. In addition to this, Rs. 1.00 Crore has also been paid to Irrigation Department for the construction of retaining wall & other safety measures required for feeder canal.

Proposed works under III[rd] Water Works are construction of head works at Sharda Sahayak intake site (by Irrigation Department), 10.50 Km. raw water rising main, dredging, development & beautification of Kathauta lake, treatment plant - 80 MLD capacity, underground reservoirs-12 nos.(6 nos. each for Indira Nagar & Gomti Nagar areas), 27.50 Km. clear water feeder main & 30.80 Km. clear water rising main. Against above proposed works, works of construction of treatment plant, 10 nos. underground reservoirs, clear water feeder main, lining works of canals by Irrigation Department and dredging & development works of Kathauta lake are under progress. Overall upto date progress of various components of the III[rd] Water Works is about 42%. During canal closure period, water stored in Kathauta lake will be utilized as raw water for treatment plant. Till now Rs. 165.1594 Crore (Central, State & Lucknow Nagar Nigam Share) has been released to U.P. Jal Nigam (Construction Agency) by Govt. under Lucknow Water Supply Scheme Phase-I, Part-I. All the above released amount has been spent against whole project till date. Out of this total expenditure, Rs. 56.40 Crore has been spent for the works of III[rd] Water Works. All works of III[rd] Water Works are proposed to complete by March 2011.

Project Manager,
Peyjal-II,
U.P. Jal Nigam, Lucknow

28/11

संलग्नक - १

# लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1

## वित्तीय प्रगति

(रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | कार्य | 20.03.09 तक कुल प्रगति | 20.03.09 से 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 तक कुल प्रगति | 30.06.09 से 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 तक कुल प्रगति | 31.08.09 से 20.11.09 तक कुल प्रगति | 20.11.09 तक कुल प्रगति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| | जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम | | | | | | | | |
| | वित्तीय प्रगति | 123.8818 | 41.2382 | 165.12 | 0.0394 | 165.1594 | - | 165.1594 | प्रथम किश्त रू0 20.00 करोड़ 27.03.08 को, द्वितीय किश्त रू0 20.00 करोड़ 22.04.2008, तृतीय किश्त रू0 20.00 करोड़ 22.08.2008 में, चौथी किश्त रू0 10.7986 करोड़ 06.10.08 को तथा पाँचवी किश्त रू0 8.784667 करोड़ 04.12.08, 12.298533 करोड़ 11.02.09 एवं रू0 39.6388 करोड़ 17.03.09 को एवं रू0 33.6388 करोड़ दिनांक 31.03.09 को प्राप्त हुई है। |
| | प्राप्त धनराशि | 131.5206 | 33.6388 | 165.1594 | - | 165.1594 | - | 165.1594 | |

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

ANNEXURE - IX

# STATUS AND REQUIREMENT OF WATER SUPPLY FOR LUCKNOW CITY

संलग्नक-8

| S. No. | Water Supply District | Location | Main Area included | Population | | | Requirement | | Available at Present | | | | Proposed to be enhanced in JNNURM by 2010 | | Availability of Ground Water beyond mid stage 2025 | Total Proposed Availability | | Deficit (Year 2040) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Water | | | Storage | Water | Storage | | Water | Storage | Water | Storage |
| | | | | 2010 | 2025 | 2040 | Water Demand in 2040 | Storage | Surface | Ground Water | Total | | | | | | | | |
| | | | | | | | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (MLD) | (KL) | (MLD) | (KL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | A | Cis Gomti area between Gomti River and Line from Dilkusha to Hardoi. | Aminabad, Charbagh, Hazratganj, Vidhan Sabha, Butler Palace, Rajajipuram, Aisbhagh, Balaganj, Chowk, Medical College, Hardoi Road. | 1159707 | 1495795 | 1879750 | 341.26 | 113752 | 183.86 | 71.13 | 254.99 | 77350 | 111.52 | 2550 | 15.00 | 310.38 | 79900 | 30.88 | 33852 |
| 2 | B | Trans Gomti area on the left bank upto Kukrail Nala. | Aliganj, Khadra, Daliganj, Nishatganj, Jankipuram, Nirala Nagar, Sitapur Road, University Road, Paper Mill. | 696698 | 1111911 | 1745287 | 301.06 | 100354 | 20.00 | 73.72 | 93.72 | 31300 | 19.20 | 3100 | 70.00 | 109.20 | 34400 | 191.86 | 65954 |
| 3 | C | Trans Gomti area on the left bank of Gomti River beyond Kukrail Nala. | Indira Nagar, Gomti Nagar, Sarvodaya Nagar, Sanjay Gandhi Puram & adjoining private colonies. | 478910 | 737155 | 1085451 | 187.24 | 62413 | 0.00 | 66.98 | 66.98 | 34500 | 84.80 | 5350 | 55.00 | 139.80 | 39850 | 47.44 | 22563 |
| 4 | D | Cis Gomti area beyond Dilkusha Hardoi N.R. Line. | Alambagh, Sringar Nagar, Kanpur Road, Raibareli Road, Airport, Sarojini Nagar, South City, Aashiana. | 467685 | 898139 | 1711512 | 295.24 | 98412 | 0.00 | 42.04 | 42.04 | 14000 | 23.04 | 2200 | 42.04 | 65.08 | 16200 | 230.16 | 82212 |
| | | | Total | 2803000 | 4243000 | 6422000 | 1124.80 | 374931 | 203.86 | 253.87 | 457.73 | 157150 | 238.56 | 13200 | 182.04 | 624.46 | 170350 | 469.46 | 204581 |

| Proposed Work in Future under JNNURM Programme | | | |
|---|---|---|---|
| **Phase-I, Part-I**<br>**Estimated Cost Rs. 456.62 Crore**<br>**(Rs. 388.61 Crore without centage)** | **Phase-I, Part-II**<br>**Estimated Cost Rs. 146.565 Crore** | **Phase-I, Part-III** | **Phase-II** |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
| Renovation of 100 Year old Aishbagh Water Works, Strengthening of Feeder Mains, Replacement of Raw Water Rising Main,<br>Upgradation of II W/W Balaganj from 100 MLD to 200 MLD, Strengthening of Feeder Mains from Balaganj.<br>Reorganisation of Garhi Kanaura W/S at the farthest end of Aishbagh W/W command area.<br>Tube wells - 12 Nos.(12 mld) | Reorganisation of W/S Scheme in three areas namely Saadatganj, Kanhaiya Madhopur & Mallahi Tola.<br>Tube wells - 2 Nos.<br>Works related to intake of II water works Balaganj<br>Works related to increase of water in river Gomti. | W/S Schemes having no piped arrangement.<br>Renovation of existing C.W.L. & over head tanks.<br>Automation of existing water supply system.<br>Segregation of existing feeder mains in different water supply zones. | |
| Reorganisation of Shiv Nagar Khadra W/S Scheme,New Water Supply Scheme for Bharat Nagar Area, Sitapur Road.<br>Tube wells - 20 Nos.(20 mld) | W/S Scheme in Aadil Nagar area.<br>Tube wells - 4 Nos. | New W/S Scheme having no piped water supply.<br>Automation of existing water supply system.<br>Renovation of existing over head tanks. | Construction of FourthWater works at Ghaila. |
| Construction of III[rd] W/W at Gomti Nagar ( 80 mld Capacity)<br>Liberty Colony Sarvodaya Nagar W/S Scheme<br>Tube wells - 5 Nos.(5 mld) | Six W/S Schemes of private colonies adjacent to Indira Nagar & Gomti Nagar to utilize the water produced by Third Water Works. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | |
| New Water Supply Scheme for Kharika Ward.<br>Tube wells – 24 Nos.(24 mld) | W/S Scheme of Raja Bijli Pasi Ward &<br>Reorganisation of Chitragupta Nagar Ward.<br>Tube wells - 15 Nos. | W/S Schemes for areas having no piped water.<br>Reboring of permanent defunct tube wells.<br>Renovation of existing over head tanks.<br>Automation of existing water supply system. | Construction of Fifth Water works at Mohaan road.<br>Reorganisation of distribution system of remaining areas. |
| **Present Status:** | | | |
| DPR sanctioned by G.O.I. Works under progress. Rs. 165.1594 Crores has been received by U.P. Jal Nigam till now out of which Rs. 165.12 Crore has been spent on works. The works of scheme are under progress. | DPR Costing Rs. 146.565 Crore sanctioned by Govt. of India. Tendering process for the works are under progress. | Survey & preparation of scheme in progess. | Scheme will be prepared, subject to the availability of surface water source. |

**Project Manager,**
Payjal-II

2168 (2082) 719

**N THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No.

IN RE:

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003




Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

**APPLICATION FOR TAKING THE STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.09.2009 and 17.09.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT ON RECORD**

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to take the same on record.

Such other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the nature and circumstance of the case may also kindly be passed in favour of the said opposite party.

Lucknow

Dated: 04.12.2009

**(Namit Sharma)**
Advocate
Counsel for Nagar Nigam
Lucknow

2169 (2083) 720

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

Writ Petition No. 4436(MB) of 2003

2009 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 0186916

INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Sewage Treatment Plant---------- Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

Status report on affidavit in compliance of orders dated 15.09.09 & 17.09.2009 passed by this Hon'ble Court

I, Pratap Singh Bhadauriya, aged about 50 years, s/o Shri Dafedar Singh, presently working as Additional Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow, the deponent has been authorized by the Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow do here by solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent has been authorized by the Municipal Commissioner, Nagar Nigam Lucknow who is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That the aforesaid writ petition when listed on 15.09.2009 and 17.09.2009 whereby this Hon'ble Court on 17.09.2009 was pleased to pass following order :

2170 (2084) 721

**" Since we have already directed that report be submitted by NEERI by the end of October, 2009, the matter be listed on 30.10.09, on which date all the officers, as directed earlier, shall appear in person and the Vice Chairman, Lucknow Development Authority shall also remain present for assisting the Court on that date."**

3. That in compliance of detailed order passed on 15.09.09 and in light of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 17.09.09 a detailed affidavit dated 30.10.2009 has been filed mentioning therein the details of works undertaken by Nagar Nigam Lucknow in compliance of the aforesaid orders with regard to report submitted by National Environment Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur hereinafter referred to as 'NEERI'.

4. That in furtherance to the aforesaid affidavit dated 30.10.2009 filed by Nagar Nigam Lucknow, it is to submit that public hearing with regard to the Environmental Impact Assessment Report for the environmental clearance of the landfill site near Hardoi Road, has been notified by the Member Secretary U.P. Pollution Control Board for 30.12.2009 at 2.00 pm at the proposed landfill site. A true copy of the notification published in the daily news paper 'Rashtriya Sahara' dated 28.11.2009 is annexed herewith as **Annexure No.-1** to this affidavit.

5. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken all relevant steps in compliance of orders dated 15.09.2009 and 17.09.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued by this Hon'ble Court from time to time and also undertakes to perform its part in light of the said comments/recommendation submitted by NEERI.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALL
4/12

Lucknow
Dated: 04.12.2009

**DEPONENT**

2171 (2085) 722

## Verification

I the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 5 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of this is false and nothing material has been concealed therein.

Signed and verified on this day of December, 2009 at Lucknow.

Lucknow:
Dated: 04.12.2009

**DEPONENT**

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by Shri Pratap Singh Bhadauriya the deponent on ~~11.12.2009 at 11.30~~ A.M./P.M. who has been identified by Namit Sharma Advocate, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

SHALENDRA KUMAR
ADVOCATE OATH COMMISSIONER
Allahabad High Court
Lucknow Bench Lucknow
Dated..... Session No. .....
4-12-09 / 186196

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

2172 (208) 723

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD (LUCKNOW BENCH, LUCKNOW)

Writ Petition No. 4038(MB) of 2009

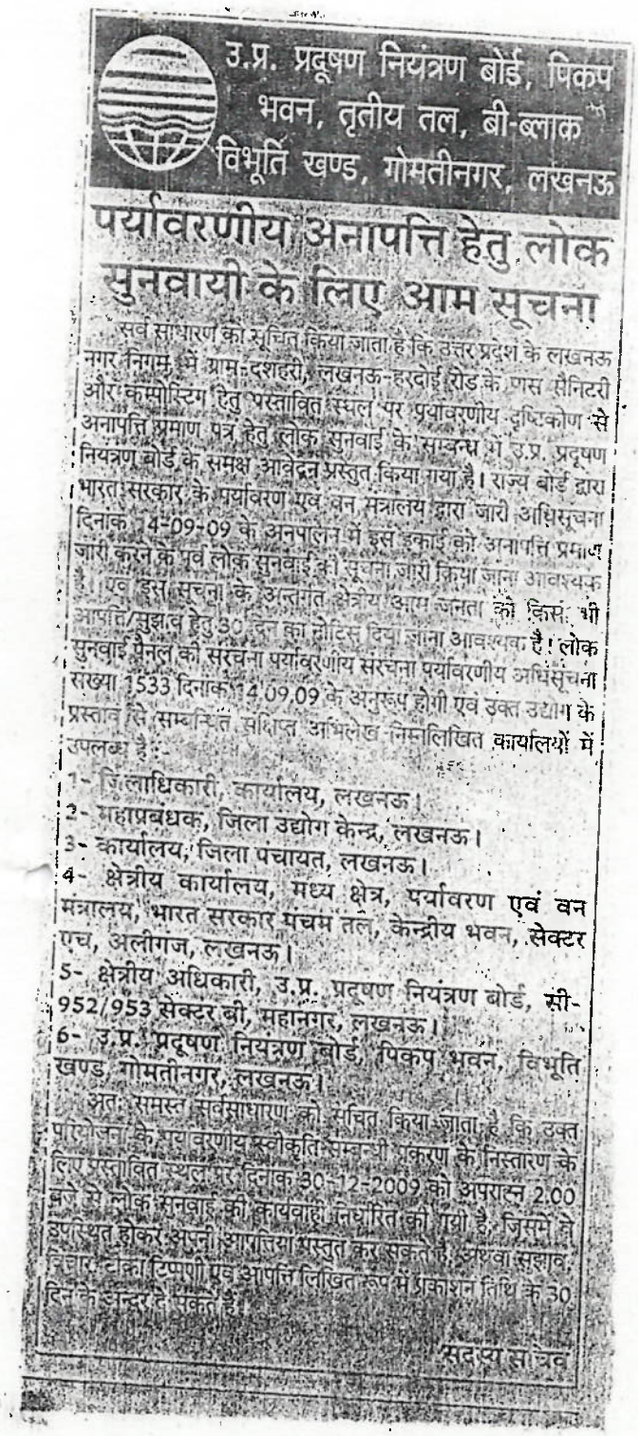
Sewage Treatment Plant ..... Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ..... Opp. Parties

Annexure No. - 1

राष्ट्रीय सहारा दि. 2.11.2009



उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

## पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवायी के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में ग्राम-दशहरी, लखनऊ-हरदोई रोड के पास सैनिटरी और कम्पोस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14-09-09 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है। एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.09 के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1- जिलाधिकारी, कार्यालय, लखनऊ।
2- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ।
3- कार्यालय, जिला पंचायत, लखनऊ।
4- क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-952/953 सेक्टर बी, महानगर, लखनऊ।
6- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए प्रस्तावित स्थल पर दिनांक 30-12-2009 को अपरान्ह 2:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है, जिसमें वे उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

सदस्य सचिव



2173 (2087) 724

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. Application No.

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

**APPLICATION FOR TAKING THE STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF LUCKNOW JAL SANSTHAN , LUCKOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.09.2009 and 17.09.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT ON RECORD**

For the facts, reasons and circumstances as stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to take the same on record.

Such other order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the nature and circumstances of the case may also kindly be passed in favour of the said opposite party.

Lucknow

Dated :04.12.2009

**(Namit Sharma)**
Advocate
Counsel for Jal Sansthan,
Lucknow.

2174 (2088) 725

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

**STATUS REPORT ON AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.09.2009 and 17.09.2009 PASSED BY THIS HON'BLE COURT**

I, D.K. Sharma, aged about 57 years, son of Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition when listed on 15.09.2009 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass the following order, relevant portion of the same is being reproduced herein as under:-

"Let an affidavit be filed by the Jal Sansthan stating therein the status of supply of pure drinking water in all Zones, which are six in number.

2175 2059 726



The court is not concerned at this moment as to which agency is responsible for supply of drinking water as we feel no single authority can be held responsible for the same and it requires joint efforts by all including the Nagar Nigam.

We, therefore, direct that aforesaid information we furnished by filing affidavit and if any scheme /proposal is to be chalked out for supply pure drinking water in the city of Lucknow, that may also be brought on record."

3. That in compliance of the aforesaid direction made by this Hon'ble Court on 15.09.2009 and 17.09.2009 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Lucknow Jal Sansthan, Lucknow in compliance of the same, thereby mentioning the details of work undertaken by the authorities under the JNNURM and others, the said affidavit is being filed in continuation to the status report on affidavit filed by Lucknow Jal Sansthan Lucknow dated 04.12.2009 in the aforesaid case.

4. That in compliance of the aforesaid order to ensure pure and safe supply of drinking water the Lucknow Jal Sansthan has installed Chlorine Dozing facility at each and every tube-well in each Zone. In reference to the said averments a chart of 54 chlorine test report done by Joint Inspection team, Bacteriological test report of 59 water samples done by State Health Institute and 336 chlorine test report done by departmental laboratory of Jal Sansthan in the month of November, 2009 is annexed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That the Lucknow Jal Sansthan has taken all steps and measures to prevent contamination of drinking water by conducting regular drives with regard to repair of leakage and disconnection of illegal connection and connections taken from

COMMISSIONER FOR OATHS
सत्यमेव जयते
High Court, ALLAHABAD

2176 727



Alkathiene Pipe (Plastic Pipe) in all the six Zones throughout Lucknow City. True copy of Zone-wise chart of 1262 leakage repair, 129 disconnection of plastic /illegal connections in said drive is enclosed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

6. That further the Lucknow Jalsansthan has initiated a drive to get all the sewer cleaned throughout the city of Lucknow in all the six Zones. A true copy of said cleaning of sewer in all the six Zones of Lucknow in the form of chart is annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

7. That it is further submitted that with regard to repairs of handpumps and tube wells suitable steps have been taken by the Lucknow Jal Sansthan in all the Zones through out the city of Lucknow. True copy of Zone wise of chart of said repair work done by Lucknow Jal Sansthan is being annexed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

8. That it is further pertinent to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan has filed its compliance affidavit in light of each and every order passed by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

9. That from the narration made herein above it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 15.09.2009 and 17.09.2009 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

Lucknow

Dated : 04.12.2009

**DEPONENT**

2177 (2009) 728



## Verification

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 9 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of its is false and nothing material has been concealed therein.

So help me God.

Lucknow

Dated : 04.12.2009

**DEPONENT**

I identify the deponent who has signed before me.

**(Namit Sharma)**
Advocate

Solemnly affirm before me on 4-12- 2009 at about 12-10 a.m. /p.m. by, the deponent who is identified by D.K. Sharma the deponent, who is identified by Sri Namit Sharma Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

**Oath Commissioner**

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

SHALENDRA KUMAR
ADVOCATE HIGH COURT
Lucknow Bench Lucknow
Dated.....Coupon No. .....
4-12-09 186926

2178 2052 729

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 1

## लखनऊ जल संस्थान

1. ओ0टी0 परीक्षण संयुक्त टीम(मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के चिकित्सक एवं लखनऊ जल

| माह | कुल | धनात्मक | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| नवम्बर 09 | 336 | 336 | 0 |
| **कुल** | **336** | **336** | **0** |

2. जीवाणु परीक्षण (राज्य स्वास्थ्य संस्थान) द्वारा।

| माह | कुल | उत्तम | संतोषप्रद | असंतोषप्रद |
|---|---|---|---|---|
| नवम्बर 09 | 59 | 29 | 0 | 0 |
| **कुल** | **59** | **29** | **0** | **0** |

नोटः–30 नमूनों के परीणाम अभी प्राप्त नही हुए है।

3. ओ0टी टेस्ट प्रयोगशाला जल संस्थान, ऐशबाग द्वारा कराये गये।

| माह | कुल | धनात्मक | ऋणात्मक |
|---|---|---|---|
| नवम्बर 09 | 54 | 54 | 0 |
| **कुल** | **54** | **54** | **0** |

सचिव

सत्यमेव जयते

2179 2051 730

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 2

## दिनांक 01 नवम्बर, 2009 से 30 नवम्बर, 2009 तक

## जोनवार काटे गये अल्काथीन पाइप व लीकेज मरम्मत का विवरण

| जोन | काटे गये अल्काथीन पाइप की सं0 | लीकेज मरम्मत की सं0 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 123 |
| 2 | 21 | 137 |
| 3 | 23 | 260 |
| 4 | 19 | 134 |
| 5 | 33 | 414 |
| 6 | 21 | 194 |
| **कुल** | **129** | **1262** |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान



2180 2179 2094 731

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 3

## दिनांक 01 नवम्बर, 2009 से 30 नवम्बर, 2009 तक

## जोनवार सीवर सफाई का विवरण

| जोन | कुल संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 627 | |
| 2 | 645 | |
| 3 | 430 | |
| 4 | 418 | |
| 5 | 517 | |
| 6 | 194 | |
| **कुल** | **2831** | |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान



2181 732

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 (M/B) OF 2003
SEWAGE TREATMENT PLANT VERSUS STATE OF U.P. & OTHERS
ANNEXURE NO. 4

## दिनांक 01 नवम्बर, 2009 से 30 नवम्बर, 2009 तक

## जोनवार कराये गये हैण्डपम्प मरम्मत का विवरण

| जोन | कुल संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | 60 | |
| **कुल** | **166** | |

सचिव
लखनऊ जल संस्थान

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

2182 (2096) 733

**In The Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad**
**Lucknow Bench, Lucknow**

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003

Sewage Treatment Plant ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite Parties

**CONNECTED WITH**

Writ Petition No. 2598 (MB) of 2007

Gomti Nagar Jan Kalyan Maha Samiti ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite parties

**AND**

Writ Petition No. 6748 (MB) of 2008

Bhanwari Lal ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite Parties

**AFFIDAVIT**

I, Ram Prakash Jaiswal about 32 years, S/o Sri Moti Lal Jaiswal R/o 19/1405 Indira Nagar, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

(1) That the deponent is the clerk of the petitioner's counsel and doing pairivi on behalf of others petitioners and as

Ramprakash

2183

2097
734

such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case deposed to hereunder;

(2) That on 23.11.2009, learned Counsel for the Lucknow Development Authority filed supplementary affidavit through Mr. Mani Prasad Mishra, Secretary, Lucknow Development Authority saying that the respondents are not making any construction for any other purposes and they have started the construction of retaining wall, only after the report submitted by the National Environment Engineering Research Institute (NEERI) on 24.10.2009.

(3) That as a matter of fact, till date, neither the Lucknow Nagar Nigam nor the Lucknow Development Authority initiated any action for construction of retaining wall. Instead of constructing retaining wall, they are making various constructions for other purposes. The NEERI has also made observation that the work has been undertaken by the Irrigation Department in the reclaimed land. Counsel for the petitioner has also got photographs of the area to prove the fact that till date the respondents have not taken any steps for construction of retaining wall and contrary to that, they are making other constructions. The true photocopy of the photographs is being collectively filed as **Annexure No.A1** to this affidavit.

Ramprakash

2184 2098 735

(4) That under these circumstances, the undertaking given by the respondents on 17.9.2009 has been flouted willfully and deliberately.

(5) That under these circumstances, they are liable to be punished.

Lucknow
Dated: 4/12/2009

Ramprakash
(DEPONENT)

**VERIFICATION**

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of para 1 to 5 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow
Dated: 4/12/2009

Ramprakash
(DEPONENT)

I, identify the deponent who has signed before me.

B.K.Singh
Advocate

Solemnly affirmed before me on 4/12/2009 at 9:40 a.m./p.m. by Sri Ram Prakash Jaiswal, the deponent who is identified by Sri B. K. Singh, Advocate, High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understood the contents of the affidavit which has read out and explained by me.

OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
Lucknow Bench

Oath Commissioner

In The Hon'ble High Court of Judicature At Allahabad.
Lucknow Bench, Lucknow
W.P.No 4436 (M/B) 2003
Sewage Treatment Plant Vs. State of U.P. & ors.
2105
4
1059
736
Annexure No A-1





737






PWD
लोक निर्माण विभाग
PWD
लोक निर्माण विभाग
PWD
लोक निर्माण विभाग